त्रयोदश माला, खंड 16, अंक 29

बुधवार, 25 अप्रैल, 2001

5 वैशाख, 1923 (शक)

FOR REFERENCE ONLY

NOT TO BE ISSUED

# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 16 में अंक 22 से 31 तक हैं)

18/12/01

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

## सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

---

**( अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)**

# विषय-सूची

*[त्रयोदश माला, खंड 16, छठा सत्र, 2001/1923 (शक)]*

**अंक 29, बुधवार, 25 अप्रैल, 2001/5 वैशाख, 1923 (शक)**


| विषय | कालम |
|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 541 से 543 | 5–33 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 544 से 560 | 33–64 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 5641 से 5817 | 64–324 |
| **सभा पटल पर रखे गये पत्र** | 325–339 |
| **प्राक्कलन समिति** | |
| छठा प्रतिवेदन | 339 |
| **लोक लेखा समिति** | |
| की गई कार्यवाही संबंधी विवरण | 339 |
| **वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति** | |
| छयालीसवां, सैंतालीसवां और अड़तालीसवां प्रतिवेदन | 340 |
| **पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति** | |
| की गई कार्यवाही संबंधी विवरण | 340 |
| **नियम 377 के अधीन मामले** | 341–349 |
| (एक) देश की जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता | |
| श्री विजय गोयल | 341 |
| (दो) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच उसेदघाट में चम्बल नदी पर एक पुल निर्माण के लिए मध्य प्रदेश की सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री अशोक अर्गल | 341 |
| (तीन) बिहार में नवादा, गया और औरंगाबाद में विकास केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता | |
| डा. संजय पासवान | 342 |


* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

| विषय | | कालम |
|---|---|---|
| (चार) | राजस्थान में अजमेर को वायु मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता<br>प्रो. रासासिंह रावत | 342 |
| (पांच) | उड़ीसा के बारबिल में कलिंगा आयरन वर्क्स को अर्थक्षम बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता<br>श्री अनन्त नायक | 343 |
| (छः) | विश्व बैंक की सहायता से मध्य प्रदेश में शुरू की जा रही स्वास्थ्य परियोजनाओं को लागू किए जाने की समीक्षा की आवश्यकता<br>डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय | 344 |
| (सात) | कर्नाटक में होलेनारासिपुरा ताल्लुक में पेयजल की गम्भीर समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता<br>श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा | 344 |
| (आठ) | निराश्रित और विकलांग व्यक्तियों के लिए अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरित किए जाने की आवश्यकता<br>श्री आर.एस. पाटिल | 344 |
| (नौ) | कर्नाटक में बीदर और गुलबर्गा के बीच नई रेल लाइन को शीघ्र पूरा करने के लिए धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता<br>श्री इकबाल अहमद सरडगी | 345 |
| (दस) | अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए कर्नाटक सरकार को धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता<br>श्री जी.एस. बसवराज | 346 |
| (ग्यारह) | उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अवंतिकापुरी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई किए जाने की आवश्यकता<br>डा. बलिराम | 346 |
| (बारह) | उड़ीसा के साथ महानदी के जल में हिस्सेदारी करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को सलाह दिए जाने की आवश्यकता<br>श्री भर्तृहरि महताब | 347 |
| (तेरह) | सिक्किम को वायु मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता<br>श्री भीम दाहाल | 348 |
| (चौदह) | अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए बनाए गए कानूनों को कड़ाई से लागू किए जाने की आवश्यकता<br>श्री रामदास आठवले | 348 |

| विषय | कालम |
|---|---|
| **सभा के कार्य के बारे में घोषणा.** | 349 |
| **सेवा संबंधी मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हितों को प्रभावित करने वाले कार्मिक विभाग के कतिपय परिपत्रों को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में.** | 351–360 |
| **संसद सदस्य के नाम कथित रूप से धमकी भरे फोन आने और उनके टेलीफोन टेप किए जाने के बारे में..** | 361–368 |
| **वित्त विधेयक, 2001** | 372–510 |
| श्री यशवन्त सिन्हा | 372 |
| विचार करने के लिए प्रस्ताव | 377 |
| श्री शिवराज वी. पाटिल | 377 |
| श्री चिन्मयानन्द स्वामी | 385 |
| श्री सुबोध राय | 394 |
| श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति | 397 |
| कुंवर अखिलेश सिंह | 402 |
| श्री प्रकाश परांजपे | 408 |
| कुमारी मायावती | 412 |
| श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा | 415 |
| श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी | 424 |
| श्री हरिभाऊ शंकर महाले | 426 |
| श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव | 427 |
| डा. रघुवंश प्रसाद सिंह | 433 |
| श्री रघुनाथ झा | 434 |
| श्री रामानन्द सिंह | 438 |
| श्री पवन कुमार बंसल | 440 |
| श्री रामदास आठवले | 443 |
| श्री पी.सी. थामस | 444 |
| श्री रतिलाल कालीदास वर्मा | 448 |
| श्री प्रवीण राष्ट्रपाल | 450 |
| डा. बी. बी. रमैया | 453 |
| श्रीमती श्यामा सिंह | 456 |
| खंड 2 से 130 और 1 | 481–508 |
| पारित करने के लिए प्रस्ताव | 510 |

## लोक सभा

बुधवार 25 अप्रैल, 2001/5 वैशाख, 1923 (शक)

*लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।*

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले** (मुम्बई दक्षिण मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, आज मुंबई बंद है। वहां ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय अध्यक्ष द्वारा कुंवर अखिलेश सिंह और श्री रामजी लाल सुमन से दो स्थगन प्रस्ताव प्राप्त किए गए थे। माननीय अध्यक्ष द्वारा दोनों ही प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया गया है। यदि आप कोई अन्य बात उठाना चाहते है तो आप इसे प्रश्न काल के पश्चात् उठा सकते हैं। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। कृपया सहयोग कीजिए।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले** : उपाध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर बात है। हमने नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री मोहन रावले, आप इसे शून्य काल के दौरान उठा सकते हैं। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** (रायगंज): महोदय, कृपया मुझे एक मिनट की अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव** (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, हम सदन चलाने में आपको पूरा सहयोग देंगे लेकिन मैं किसानों के विषय में गंभीर मामला उठाने की अनुमति चाहता हूं। आज देश के किसानों का सवाल है वर्तमान बजट में किसानों के लिये कुछ भी नहीं दिया गया है। सरकार ने भारतीय किसानों के लिये सबसिडी कम कर दी है। जिन विदेशी एवं धनी किसानों से बराबरी करने की बात सरकार कर रही है, उन धनी देशों के किसानों को भारत के किसानों से सौ गुना से भी अधिक छूट दी जा रही है। स्वयं वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है भारतीय किसानों का साढ़े तीन प्रतिशत उत्पादन घट गया है। खाद पर छूट और कम हो जाने पर आने वाले समय में अन्न उत्पादन और घटेगा। प्रतिस्पर्धा हमेशा बराबर वाले के साथ की जाती है। क्या जापान, अमेरिका और कनाडा और यूरोपीय समूह के देशों के किसानों से भारत के किसान बराबरी कर सकते हैं। धनी देशों में सौ गुना सबसिडी मिलती है जबकि यहां सबसिडी कम होती जा रही है। प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हुये हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि भारत के किसानों को बरबादी से कैसे बचाएंगे। प्रतिस्पर्धा बराबर वाले के साथ होती है यदि एक आदमी यहां खड़ा है और एक पांच कि.मी. दूर खड़ा है, उससे कहो कि दौड़ो और हवाई अड्डे पर पहुंचो तो जो आगे खड़ा है, वह पहले पहुंचेगा और जो पीछे है, वह पीछे ही रहेगा। इसलिये हमारी मांग है कि किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिया जाये। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में संकेत दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार संगठन से समझौतों से किसानों को हानि नहीं होने दी जाएगी। ...*(व्यवधान)*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** (रत्नागिरी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि...

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्वश्चन ऑवर के बाद आपको मौका मिलेगा, तब आप उठा सकते हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, मैं, यहां एक चीज का उल्लेख करना चाहता हूं। मेरा टेलीफोन टेप किया गया है। जबसे मैंने दूरसंचार घोटाले का मुद्दा उठाया है तबसे मुझे कार्पोरेट माफिया से टेलीफोन पर अनेक धमकियां मिल रही हैं ...*(व्यवधान)* मैंने इसके बारे में माननीय अध्यक्ष को बता दिया है। मैं इसे सदन में उठाना चाहता हूं। कृपया मुझे अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं आपको प्रश्न काल के पश्चात् बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रामजीलाल सुमन** (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय ,

...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्वश्चन ऑवर में नहीं। जीरो आवर में चांस दूंगा। आप बैठिए।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : हम यहां इस तरह सभा की कार्यवाही में बाधा डालकर नई परिपाटी स्थापित करने जा रहे है।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। अब हमें प्रश्न काल शुरू करने दें।

*...(व्यवधान)*

**श्री एस. जयपाल रेड्डी** (मिरयालगुडा): महोदय, मैं श्री मुलायम सिंह यादव से सहमत हूं। किसानों को न केवल गेहूं के संबंध में ही समस्याएं हो रही हैं बल्कि धान के संबंध में भी समस्याएं हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री रेड्डी यह बात सत्य है। उनके द्वारा सभा पटल पर दो स्थगन प्रस्ताव रखे गए हैं। वे माननीय अध्यक्ष से भी मिले हैं इसलिए, मैं उन्हें बोलने का अवसर दूंगा। ये मुद्दे प्रश्न काल समाप्त होने के तुरंत बाद उठाए जा सकते हैं। कृपया अध्यक्षपीठ को सहयोग करें।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने कहा कि मैं आपको क्वश्चन ऑवर के बाद फ्लोर दे दूंगा, अभी नहीं।

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** (पूर्णिया): उपाध्यक्ष महोदय, आप खड़े हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं *...(व्यवधान)* मैं बोलूंगा नहीं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं आपको क्वश्चन ऑवर के बाद फ्लोर दे दूंगा।

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : सर, मैं सिर्फ एक आग्रह करना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप सारे आग्रह जीरो ऑवर में करिये। क्वश्चन ऑवर को डिस्टर्ब मत करिये। क्वश्चन नम्बर 541

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय**: सबको मैंने यही कहा है कि जीरो ऑवर में बोलें, आपको भी यह कह रहा हूं।

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, आपने सबकी बातें सुनी हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप क्वश्चन ऑवर के बाद सवाल पूछना। मैं आपको क्वश्चन ऑवर में चान्स दूंगा। आपको शून्यकाल में चान्स मिलेगा। मैंने सबको बैठा दिया है कि कैसे बोलने का चान्स दूंगा। क्वश्चन ऑवर में सवाल पूछना यह सारे मैम्बर्स का अधिकार है, उनका जवाब सरकार की तरफ से आना है।

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सैकिंड के लिए बोलना चाहता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपको जीरो ऑवर में चान्स मिलेगा।

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : सर, सम्पूर्ण बिहार जल रहा है, वहां लगातार हत्याएं हो रही हैं*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कोई किसानों के बारे में बोलना चाहता है, कोई शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बोलना चाहता है। आप अभी नहीं क्वश्चन ऑवर में बोलिये।

*[अनुवाद]*

श्री पप्पू यादव कृपया अब बाधा न डाले। मुझे आपको गम्भीरता से लेना पड़ेगा।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : हमारे बी.एस.एफ. के जवान मारे गये *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने आपको बताया था कि मैं आपको शून्य काल के दौरान बोलने का अवसर दूंगा। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। श्री रामदास आठवले कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

अब श्री रामपाल सिंह, प्रश्न संख्या 541 लेते हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*[हिन्दी]*

### मानसिक तथा शारीरिक रोगों के उपचार

*541. श्री+रामपाल सिंह :
श्री पदमसेन चौधरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शारीरिक तथा मानसिक रोगों के उपचार की परम्परागत पद्धतियों की भारी उपेक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का उपचार की परम्परागत पद्धतियों में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

*[अनुवाद]*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है।

*विवरण*

(क) से (घ) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों (आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा से भिन्न) पर अपेक्षित ध्यान दिया गया है और इन्हें विशिष्ट स्थान दिया गया है। देश भर में 2854 अस्पतालों, 396 कालेजों और 22735 औषधालयों का एक विस्तृत बुनियादी ढांचा स्थापित किया गया है। विभिन्न पद्धतियों के 6.11 लाख से अधिक पंजीकृत चिकित्सक हैं। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और होमियोपैथी प्रणालियों के विकास और प्रचार का काम देखने के लिए 1995 में एक नया विभाग स्थापित किया गया था।

विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन पर बल दिया गया है जिनमें भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिए प्रमुख क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। इनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- संस्थाओं के शैक्षिक मानकों का उन्नयन।
- कच्ची सामग्री की उपलब्धता में सुधार करना।
- औषध गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण।
- पता लगाए गए क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना।
- भारत और विदेशों में पद्धतियों की प्रभावकारिता के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय प्रणाली में इन पद्धतियों का एकीकरण।

संबंधित चिकित्सा प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं में निर्देशन, विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान में समन्वय रखने के लिए चार स्वायत्त परिषदें स्थापित की गई हैं। ये परिषदें शारीरिक और मानसिक/आचरण संबंधी विकारों के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त इस समय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी में वाह्य स्थानिक अनुसंधान योजना के अंतर्गत 25 क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए 21 संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। ऐसे प्रमुख क्षेत्र जहां भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की क्षमता है, की पहचान की गई है और प्रचालनात्मक अनुसंधान अध्ययन, नैदानिक परीक्षण और प्रभावकारिता अध्ययनों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिनमें वर्तमान प्रासंगिकता और उभरते हितों को कवर किया जा रहा है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद उपचार के वैज्ञानिक प्रमाणीकरण के लिए इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रस्तावों का वित्त पोषण कर रही है। अन्य में जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन हैं, जो इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य में भी लगे हुए हैं। औषधों की प्रभावकारिता सिद्ध करने के लिए नैदानिक परीक्षणों पर बल दिया गया है और संस्थाओं तथा उद्योग को पारम्परिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों की व्यापक रूप से स्वीकार्यता को बढ़ावा देने हेतु और अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

*[हिन्दी]*

**श्री रामपाल सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भारत प्राचीन काल से ही शारीरिक और मानसिक रोगों के उपचार के लिए परम्परागत पद्धतियों पर निर्भर है। लेकिन आज इनका हमारे देश में ह्रास होता जा रहा है और विदेशों में इसे बढ़ावा मिल रहा है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में ही कहा है कि परम्परागत पद्धतियों के अनुसंधान के लिए अब तक जितनी भी योजनाएं तैयार की गई हैं, वर्तमान में उनमें कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं। मेरे प्रश्न का बी पार्ट यह है कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में सूचित किया है कि इस समय भारतीय चिकित्सा पद्धति की योजनाओं के अन्तर्गत 25 क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य लिये गये हैं,

जिसमें 21 संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 25 क्षेत्र कौन से हैं और कौन सी 21 संस्थाएं हैं जिन्हें वित्तीय सहायता दी जा रही है और इनका मापदंड और आधार क्या है।

*[अनुवाद]*

**श्री ए. राजा** : महोदय, यह भी सही हो सकता है कि भूतकाल में औषधि की परम्परागत प्रणाली की उपेक्षा की गई है। भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी विभाग (डिपार्टमेंट आफ इंडियन सिस्टम्स आफ मेडिसीन), एक पृथक एवं विशिष्ट विभाग है, जिसका गठन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1995 में आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने एवं उनका प्रसार करने के लिए किया गया था। हम इन चिकित्सा पद्धतियों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। एक पृथक विभाग के गठन के बाद पद्धति के विकास पर केन्द्रीभूत ध्यान गया है।

जहां तक अनुसंधान का संबंध है, हमारे पास भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए सांविधिक विनियामक निकाय है, जैसे एलोपैथी के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है। विस्तार में जाने से पूर्व में संक्षेप में यह कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे पास एलोपैथी में शिक्षा के स्तर, निर्माण प्रक्रिया आदि को विनियंत्रित करने के लिए अनुसंधान और विनियामक निकाय हैं, वैसे ही भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के लिए भी संतुलित ढांचा उपलब्ध है। इससे इन पद्धतियों को बहुत बढ़ावा मिलेगा और यह जानने के लिए भी कि सरकार इनको बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

जहां तक अनुसंधान का संबंध है, तो परिषद के रूप में विधि के अंतर्गत अनेक अनुसंधान संस्थान गठित किए गए हैं। हमारे यहां चार शीर्ष अनुसंधान संस्थान हैं, उनका नाम है–आयुर्वेद और सिद्ध संबंधी केन्द्रीय अनुसंधान परिषद, यूनानी चिकित्सा संबंधी केन्द्रीय अनुसंधान परिषद, होम्योपैथी संबंधी केन्द्रीय अनुसंधान परिषद और योग और प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी केन्द्रीय अनुसंधान परिषद। ये अनुसंधान संस्थान स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी अनुसंधान, औषधियां अनुसंधान, औषध मानकीकरण, चिकित्सा-वनस्पतीय सर्वेक्षण, जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान, औषधीय पौधों को उठाने, साहित्यिक अनुसंधान और परिवार कल्याण संबंधी अनुसंधान के क्षेत्र में ध्यान केन्द्रित कर रही है।

*[हिन्दी]*

**श्री रामपाल सिंह** : उपाध्यक्ष जी, मैंने पूछा कि 25 जगह जो इन्होंने रिसर्च के लिए नियुक्त की हैं वे कौन सी हैं और किन संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी है। इसका जवाब नहीं आया है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कौन से क्षेत्र हैं उन्होंने बताया है।

**श्री रामपाल सिंह**: यह नहीं बताया है। सिर्फ आयुर्वेद, होम्योपैथिक के बारे में बताया है, जगहों के बारे में नहीं बताया है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : तीन जगह भी बताई हैं।

**श्री रामपाल सिंह** : किन-किन संस्थाओं को सहायता दी गई है?

*[अनुवाद]*

**श्री ए. राजा** : जहां तक इन चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध अस्पतालों के वार्डों के उन्नयन हेतु सहायता का संबंध है, तो चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध अस्पताल के वार्डों के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए 20 लाख रुपये प्रति संस्थान की दर से पांच सरकारी संस्थानों को सहायता दी गई है। ये महाविद्यालय हैं:- गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज हास्पीटल, तिरुवनन्तपुरम; गवर्नमेंट नसीबा तय्यीबा कॉलेज, हैदराबाद, जे.पी.एस. होम्योपैथी मेडिकल कालेज, हैदराबाद; गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, बंगलौर और गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज हास्पीटल, चेन्नई। इसके अलावा, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, सभी अनुसंधान निकायों में बाह्य अनुसंधान जारी है। इसके अलावा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) जो मुख्य रूप से एलोपैथी पद्धति के लिए है, ऐलोपैथी पद्धति के समान ही भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में भी अनुसंधान कार्य कर रही है।

*[हिन्दी]*

**श्री रामपाल सिंह** : इस परियोजना के लिए अब तक सरकार ने कितने धन का आबंटन किया है।

*[अनुवाद]*

**श्री ए. राजा** : नौवीं पंचवर्षीय योजना में 364.7 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इस वर्ष के लिए हमने सभी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के लिए एक साथ 120 करोड़ रुपए का आवंटन किया।

*[हिन्दी]*

**श्री पदमसेन चौधरी** : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि इस परियोजना के लिए 1995 में एक विभाग की स्थापना की गई थी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस विभाग की स्थापना कहां-कहां की

गई है, इस पर व्यय होने वाला वार्षिक ब्यौरा तो मंत्री जी ने बताया है लेकिन इसकी निगरानी का दायित्व किस पर है और इससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं यह जानकारी मैं चाहता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री ए. राजा** : भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी संबंधी विभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक पृथक विभाग बताया गया है। इस विभाग की देख-रेख के लिए अलग से एक सचिव की नियुक्ति की गई है और वह इन सभी बातों का ध्यान रख रही है।

*[हिन्दी]*

**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि देशी चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद को अत्यधिक महत्व दिया गया है, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इस पर नए शोध और अनुसंधान हो रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस स्थिति को देखते हुए क्या सरकार आयुर्वेद के लिए पृथक डायरैक्टोरेट बनाने का विचार रखती है क्योंकि इस पद्धति में काम करने वाले चिकित्सकों ने इस बारे में ज्ञापन भी दिए हैं और सरकार से बार-बार आग्रह भी किया है?

*[अनुवाद]*

**श्री ए. राजा** : महोदय, जैसा कि इसे मैंने पहले ही कहा, ऐलोपैथी पद्धति के समान ही भारतीय चिकित्सा पद्धति में हम भेषजीय मानकों को भी बनाए रख रहे हैं। विभाग ने अब तक एकल औषधीय पौधों के 80 और 78 विनिबंध वाले भारतीय आयुर्वेदिक भेषज का पहला और दूसरा खंड निकाला जो प्रकाशित हो गया है। तीसरा खंड जिसमें एकल औषधीय पौधों के 100 विनिबंध हैं, हाल ही में प्रकाशित किया गया है।

इसी तरह, महोदय, भारतीय आयुर्वेदिक भेषज में 444 और 191 सम्मिलित नुस्खे वाला पहला और दूसरा खंड है जिसे पद्धति के लाभ के लिए भी प्रकाशित किया गया है।

*[हिन्दी]*

**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निश्चित प्रश्न है कि क्या सरकार अलग से आयुर्वेद डायरैक्टोरेट स्थापित करने का विचार रखती है अथवा नहीं, उसका मंत्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया है? क्या सरकार आयुर्वेद के लिए एक पृथक निदेशालय का गठन कर रही है या नहीं?

*[अनुवाद]*

**श्री ए. राजा** : महोदय, हमारे पास दो निकाय हैं। एक विधिक निकाय जो आयुर्वेदिक पद्धति में समाहित शिक्षा प्रणाली को बनाए रखने एवं निगरानी रखने पर जोर देती है। दूसरा अनुसंधान निकाय है। मुझे लगता है कि अब किसी निदेशालय की आवश्यकता नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य आयुर्वेद के लिए एक पृथक निकाय, एक देशी निकाय के बारे में पूछ रहे हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं।

**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या सरकार एक पृथक आयुर्वेद निदेशालय के गठन पर विचार कर रही है या नहीं?

**श्री ए. राजा** : महोदय, मैं विशेष रूप से आयुर्वेद के बारे में ही स्पष्टीकरण दे रहा हूं। आयुर्वेद संबंधी दो निकाय पहले से ही विद्यमान हैं। शिक्षा प्रणाली को स्तरीय बनाए रखने के लिए एक विधिक निकाय भी है। ...*(व्यवधान)*

**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : मैं एक पृथक निदेशालय के बारे में पूछ रहा हूं।

**श्री ए. राजा** : इसके अलावा, माननीय सदस्य के प्रति सम्मान के साथ, मैं यह महसूस करता हूं कि आयुर्वेद के लिए पृथक निदेशालय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, यदि इसकी आवश्यकता है, तो माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करूंगा।

**श्री पी.आर. किन्डिया** : उपाध्यक्ष महोदय, भूटान और तिब्बत से लगने वाला पूर्वोत्तर प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र है। यह औषधीय वनस्पति से सम्पन्न है। एक औषधीय चिकित्सा पद्धति तिब्बत के क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी, कैंसर, मधुमेह और रक्त चाप के मामले में यह बहुत कारगर है। मिजोरम में एक पौधा है जो सामान्य रोगों के उपचार में बहुत उपयोगी है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र का मैंने उल्लेख किया है क्या वे उस क्षेत्र की जड़ी-बूटियों के खजाने से परिचित हैं, क्या उन्हें अनुसंधान हेतु चिन्हित किए जाने वाले क्षेत्रों की जानकारी है, क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र का ध्यान रखा जाएगा।

**श्री ए. राजा** : महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने मेडीसिनल प्लांट बोर्ड के गठन की भी घोषणा की थी। यह बोर्ड जड़ी-बूटियों, उचित सिंचाई व्यवस्था, लागत प्रभावी, कृषि, अनुसंधान व अन्य चीजों के संबंध में कार्य करेगा।

मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मधुमेह के लिए एक औषधि तैयार की है परंतु यह अभी प्रयोगात्मक और नैदानिक स्थिति में है और इस पर गंभीरता से विचार चल रहा है। फिर भी माननीय सांसद द्वारा दिए गए ब्यौरे को ध्यान में रखा जाएगा व राष्ट्रीय बोर्ड समय आने पर इस पर विचार करेगा।

**श्री एम. मास्टर मथान** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने आयुर्वेदिक पद्धति में उपलब्ध इंजैक्शनों पर प्रतिबंध लगाया है। यदि हां तो तत्संबंधी चिकित्सकीय और वैधानिक कारण क्या हैं? मैं माननीय मंत्री महोदय से यही जानना चाहता हूं।

**श्री ए. राजा** : महोदय, यह एक संवेदनशील प्रश्न है। फिर भी मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। इस सभा के सम्मुख यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इंजैक्शन से दी जाने वाली औषधियों सहित सभी औषधियां औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अन्तर्गत आती हैं। इसके अन्तर्गत आयुर्वेद में, एक भारतीय चिकित्सा पद्धति होने के कारण, इंजैक्शनों का उत्पादन करने की अनुमति नहीं है। फिर भी दो कंपनियां, प्रताप फार्मेसी और सिद्धि फार्मेसी व जौनपुर स्थित एक अन्य आयुर्वेद फार्मेसी ने एक इंजैक्शन तैयार किया है और इसे बाजार में बेचना शुरू कर दिया।

जैसे ही यह मामला विभाग की जानकारी में आया भारत के औषध नियंत्रक ने इसकी जांच की और एक आदेश जारी किया। क्योंकि इस प्रकार की औषधि या इंजैक्शन बनाना औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है, अत: उन्होंने 1983 में इस पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए थे।

इन कंपनियों ने यह कहते हुए इन आदेशों का विरोध किया कि चूंकि ये औषधियां मनुष्य जाति के लिए हानिकारक नहीं हैं। अत: उन्हें इन्हें बाजार में बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। फिर भी, चूंकि इसमें कानूनी अड़चनें शामिल थीं, अत: जब उन्होंने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी तो उच्चतम न्यायालय ने विभाग को धारा 33(ग) के अन्तर्गत एक समिति गठित करने का निदेश दिया जिसकी व्यवस्था स्वयं औषधि और प्रसाधन अधिनियम में है। इसके अंतर्गत इस बात का निर्णय किया जाता है कि कोई प्रयोगात्मक व नैदानिक आधार पर इंजैक्शन का उत्पादन कर सकता है या नहीं। तदनुसार, हमने एक समिति का गठन किया। इस समिति ने सभी प्रयोगात्मक व नैदानिक अध्ययन करने के पश्चात् यह महसूस किया कि इसको बाजार में बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे पूर्व कि इस संबंध में कोई निदेश दिया जा सके कंपनियों ने अपने पास प्राप्त जानकारी के आधार पर उच्चतम न्यायालय में पुन: याचिका दायर कर दी जिससे कि इस संबंध में उचित तरीके से निर्णय प्राप्त किया जा सके। अत: हम उच्चतम न्यायालय के निदेशों का इंतजार कर रहे हैं। यह मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है और इस स्थिति में सभा को ये ही बातें बताई जा सकती हैं।

**श्री एम. मास्टर मथान** : उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु में सरकार ने जमीन दे दी है ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

**श्री एम. मास्टर मथान** : महोदय, तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान के लिए जमीन दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कब ...*(व्यवधान)*

**श्री ए. राजा** : महोदय, चूंकि ये तमिलनाडु के बारे में है, मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : चाहे यह तमिलनाडु के बारे में ही क्यों न हो, मैं नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता।

**श्री ए. राजा** : महोदय, मैं तमिलनाडु से हूं। मैं जानता हूं कि मैं भारत सरकार में एक मंत्री हूं परंतु तमिलनाडु से चुने हुए संसद सदस्यों के मन में कोई भी अनावश्यक आशंका नहीं होनी चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि आपके पास सूचना है तो वह आप दे सकते हैं।

**श्री ए. राजा** : वे राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान के बारे में पूछ रहे हैं। आयुर्वेद और यूनानी औषधियों के लिए पहले से ही राष्ट्रीय संस्थान हैं। सरकार चेन्नई में राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। तमिलनाडु सरकार ने कुछ जमीन दी है। मामला यह है कि राज्य का हिस्सा निर्धारित किया जाना चाहिए, कि उसे कितना वहन करना है। इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने सकारात्मक उत्तर दिया है। इस पर निर्णय इसी वर्ष हो जाएगा।

**श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** : उपाध्यक्ष महोदय, वैश्वीकरण के साथ-साथ हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ा रहा है। नौकरशाहों, विद्यालय जाने वाले बच्चों और कभी-कभी हम पर भी बहुत तनाव और अवसाद हावी रहता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या, जैसा कि बहुत से सिद्ध योगियों

व अन्य योगियों ने सुझाया है, योग व ध्यान इसका बेहतरीन उपाय है। इस पद्धति को हमारे माननीय मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रबाबु नायडु भी बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने नौकरशाहों और विधायकों सहित राजनीतिज्ञों के लिए भी इसका पाठ्यक्रम शुरू किया है। क्या माननीय मंत्री महोदय इस योग और ध्यान के पाठ्यक्रम को भारतीय पद्धतियों के एक विषय के रूप में भारतीय चिकित्सा पद्धति में शामिल करेंगे?

**श्री ए. राजा** : माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को एम.बी.बी.एस. के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। इसके अतिरिक्त जहां तक कुछ रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य का संबंध है, आयुर्वेद और सिद्ध संबंधी केन्द्रीय अनुसंधान परिषद की आयुर्वेद अनुसंधान इकाई हैदराबाद स्थित संस्थान, जो कि मैं समझता हूं कि मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान का एक राष्ट्रीय संस्थान है, के साथ मिलकर इस दिशा में कार्य कर रहा है। हम उनके साथ चिकित्सकीय और पद्धति के अनुसार कुछ खोजने के लिए लगातार सम्पर्क बनाए रखते हैं। हम हर बात का हल ढूंढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।

**श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** : हमें केवल हैदराबाद के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें यह राष्ट्रीय स्तर पर चाहिए। पूरे देश में असंतुलन की यह स्थिति है। हमारे पास इस संबंध में एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

## प्रसूति के दौरान महिलाओं की उच्च मृत्यु दर

***542. श्री +पी.आर. खूंटे :**
**श्री चन्द्रनाथ सिंह :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष प्रत्येक एक हजार गर्भवती महिलाओं में से चार महिलाओं की बच्चे को जन्म देते समय ही मृत्यु हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गर्भवती महिलाओं में लौह की कमी में भारी वृद्धि हो रही है जिससे देश में प्रसूति के दौरान महिलाओं की अधिक संख्या में मृत्यु होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

*[अनुवाद]*

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा)**: (क) से (ङ) एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है।

*विवरण*

(क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि द्वारा प्रकाशित एक विवरण किट "पापुलेशन एण्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ फैक्ट्स ऑन इंडिया" के अनुसार भारत में प्रति वर्ष एक हजार जीवित जन्मों पर चार माताओं की मृत्यु होती है यह तथ्य भारत में महारजिस्ट्रार की नमूना पंजीयन प्रणाली द्वारा प्रकाशित मातृ मृत्यु अनुपात के अनुमानों के समनुरूप है। इन अनुमानों के अनुसार 1998 में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 407 थी।

मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण हैं:-

1. प्रत्यक्ष कारण: रक्तस्राव, संक्रमण, बाधित प्रसव, असुरक्षित गर्भपात, गर्भावस्था, टॉक्सीमिया आदि।
2. अप्रत्यक्ष कारण: रक्ताल्पता, विषाणुज यकृतशोथ (हेपेटाइटिस), क्षय रोग और मलेरिया।
3. सामाजिक-आर्थिक कारण : विवाह के समय कम आयु, किशोरावस्था में गर्भधारण, महिलाओं का निम्न स्तर, महिला साक्षरता का निम्नस्तर, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कमी, लिंग पूर्वाग्रह और आर्थिक निर्भरता।

(ग) और (घ) गर्भावस्था के दौरान रक्ताल्पता मातृ मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 1984-86 के दौरान 11 राज्यों में किए गए एक अध्ययन के अनुसार 87.6 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता पाई गई। तथापि, 1998-99 में किए गए देश व्यापी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 49.7 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं रक्ताल्पता से पीड़ित पाई गई। यद्यपि इन दो सर्वेक्षणों की कड़ाई से तुलना नहीं की जा सकती, फिर भी परिणामों से गत वर्षों में गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता में कमी होने के रुझान का पता चलता है।

(ङ) आयरन की कमी से होने वाली रक्ताल्पता अपर्याप्त पोषण की समस्या है। वर्ष 1993 में एक राष्ट्रीय पोषण नीति तैयार की गई थी और गर्भवती महिलाओं और बच्चों की पोषणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए भारत सरकार के कई विभागों के माध्यम से पोषण पर एक कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है जिनमें अन्य के साथ-साथ महिला और बाल विकास विभाग का समन्वित

बाल विकास सेवा कार्यक्रम तथा परिवार कल्याण विभाग का प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल हैं। देश-भर में चलाए जा रहे प्रजनन एवं बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं और बच्चों (1-5 वर्ष) को रोग निरोधन और रक्ताल्पता के उपचार के लिए आयरन और फालिक एसिड की गोलियां प्रदान की जाती हैं।

मातृ स्वास्थ्य परिचर्या परिवार कल्याण कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय पोषण रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम और गर्भवती महिलाओं के लिए टेटनस रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम जैसे कई अनुलम्ब कार्यकलाप (वर्टिकल इंटरवेंशन्स) परिवार कल्याण कार्यक्रम में 1977-78 से चलाए जा रहे हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न अनुलम्ब (वर्टिकल) कार्यकलापों को एकीकृत करने के लिए 1992 में विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रव्यापी शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम (1992-97) चलाया गया। वर्ष 1997 में चलाया गया प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को शिशु जीवन-रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के कार्यकलापों को तथा कुछ नए कार्यक्रमों के साथ सुदृढ़ करके चलाया जाना जारी है। मातृ मृत्यु में कमी लाने के उद्देश्य से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार हैं:-

1. अनिवार्य प्रसूति परिचर्या की व्यवस्था।
2. आपाती प्रसूति परिचर्या की व्यवस्था।
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित करके पिछड़े जिलों में सेवाओं की व्यवस्था।
4. सेवाओं की पहुंच में सुधार लाने के लिए पिछड़े जिलों में अतिरिक्त ए.एन.एम. की संविदात्मक नियुक्तियां।
5. संवेदनाहरण विज्ञानियों, स्त्रीरोग विज्ञानियों, सुरक्षित मातृत्व परामर्शदाताओं तथा प्रयोगशाला तकनीशियनों, जन स्वास्थ्य नर्सों आदि जैसे तकनीकी कर्मचारियों की संविदात्मक अथवा अंशकालिक नियुक्ति का प्रावधान।
6. उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्रथम रेफरल यूनिटों में मातृ स्वास्थ्य के लिए औषधों और उपस्करों का प्रावधान, जिनमें मातृ एवं बाल्यावस्था की रक्ताल्पता के लिए आयरन और फालिक एसिड की गोलियां भी शामिल हैं।
7. चुने हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चौबीसों घंटे प्रसव सेवाओं की एक योजना।
8. निर्धन परिवारों की गर्भवती महिलाओं के लिए रेफरल परिवहन सुविधा।
9. सुरक्षित गर्भपात के लिए चिकित्सीय गर्भ समापन हेतु सुविधाएं और प्रशिक्षण।
10. जनन-मार्गीय संक्रमणों और यौन संचारित संक्रमणों की रोकथाम, उपचार और नियंत्रण।
11. जन प्रचार के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यक्रमों को तेज करना तथा निचले स्तर पर स्थान-विशिष्ट कार्यकलापों का विकेन्द्रीकरण।
12. जहां पर सरकारी सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं, वहां पर गैर-सरकारी संगठनों में जागरूकता पैदा करने और सेवा प्रदानगी में सहयोग लेना।
13. चिकित्सा/पराचिकित्सा और अन्य सेवा प्रदायकों को प्रशिक्षण।

दाइयों को प्रशिक्षण

मातृ मृत्यु दर में काफी कमी लाने और आमतौर पर मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाने की जरूरत पर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 में काफी बल दिया गया है जिसको सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस नीति में संपूर्ण निचले स्तर पर अन्तर-क्षेत्रीय समन्वय तथा गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक (सिविल) समाज, पंचायती राज संस्थाओं और महिला वर्गों को मातृ मृत्यु अनुपात और शिशु मृत्यु दरों में कमी लाने के काम में शामिल करने के लिए एक समग्र कार्यनीति अपनाने की सिफारिश की गई है।

*[हिन्दी]*

**श्री पी.आर. खुंटे** : माननीय उपाध्यक्षजी, हमने एक गंभीर प्रश्न की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है। यह तथ्य बड़े पैमाने पर सत्य है कि मानव विकास के लिए महिलाओं को स्वस्थ और शिक्षित होना जरूरी है। 1991 की जनगणना के मुताबिक भारत में स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात 1000 पुरुषों में 927 स्त्रियां हैं। यह अनुमान है कि प्रति वर्ष 120 लाख बालिकाएं जन्म लेती हैं जिनमें से केवल 90 लाख ही पन्द्रह वर्ष की अवधि तक जीवित रह पाती हैं खासकर हमारे जो ग्रामीण अंचल हैं, जहां महिलाएँ या शिक्षित नहीं हैं या स्वस्थ नहीं हैं। प्रसव के समय स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में बहुत सी महिलाएं या बच्चे मौत के शिकार हो जाते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्रसव पूर्व देखभाल, सुरक्षित गर्भावस्था और शिशु जन्म तथा प्रसव उपरान्त स्वास्थ्य उपलब्ध करवाने के लिए आंगनवाड़ी एवं जन-

स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को स्वास्थ्य सेवा का प्रशिक्षण देकर यह काम सौंपने का कार्यक्रम भारत सरकार के पास है?

*[अनुवाद]*

**श्री ए. राजा** : सरकार माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त भावनाओं के बारे में चिन्तित है। जैसाकि उत्तर में बताया गया है प्रसूति के दौरान मौतों का एक मुख्य और प्रत्यक्ष कारण है : रक्तस्राव, संक्रमण, असुरक्षित गर्भपात आदि है। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है इसके सामाजिक-आर्थिक कारण भी बहुत हैं। वे हैं : विवाह के समय कम आयु, किशोरावस्था में गर्भ धारण करना, महिलाओं की निम्न स्थिति, महिला शिक्षा का निम्न स्तर, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अभाव, लिंग भेद और आर्थिक निर्भरता ये इस कलंक के कारण हैं। इन सब पर नियंत्रण पाने के लिए हमने 1997 में विश्व बैंक की सहायता से एक व्यापक योजना शुरू की थी।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने पूछा है कि क्या आपके पास गर्भवती महिलाओं के सहायतार्थ आंगनवाड़ी महिलाओं को शिक्षित करने के लिए योजनाएं हैं। उन्होने यह बात पूछी है।

**श्री ए. राजा** : मैं इसी बात पर आ रहा हूं। प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों को सशक्त बना रहे हैं- ताकि वे गर्भवती माताओं और बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए डाक्टरों अथवा प्रशिक्षित चिकित्सा कार्मिकों को वेतन आधार पर ले सकें। यदि डाक्टर और सहायक नर्स धात्रियां बिल्कुल उपलब्ध नहीं हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री पी.आर. खुंटे** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसका सटीक उत्तर नहीं आया। ग्रामीण जन-स्वास्थ्य रक्षक खासकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्राय: प्रत्येक गांव में हैं और कम से कम आठवीं, दसवीं और बारहवीं तक पढ़ी-लिखी हैं जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रूप में नियुक्ति दी गई है। वे कुपोषण को दूर करने के लिए पोषणहार भी वितरण करती हैं लेकिन प्रसव के संदर्भ में उनको ज्ञान नहीं होने के कारण वे यह सुविधा उनको उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके इस सेवा में लगाया जाए तो निश्चित रूप से काफी लाभ मिल सकता है। यह उत्तर अभी मुझे नहीं मिला है और मेरा पूरक प्रश्न अभी बाकी है। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप इसमें दूसरा प्रश्न भी जोड़ दीजिए।

**श्री पी.आर. खुंटे** : इसी कड़ी में मेरा यह कहना है कि डेढ़ हजार से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायत में किसी स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता, हालांकि 10-12 गांवों में नर्सों की नियुक्ति दी गई है जिससे वे 10-12 गांवों को कंट्रोल नहीं कर पातीं और यह सुविधा वहां तक नहीं पहुंचा पातीं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में, जहां पन्द्रह सौ से अधिक आबादी वाले गांव हैं, क्या वहां महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने का कार्यक्रम भारत सरकार के पास है?

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने दो बाते उठाई हैं।

**श्री ए. राजा** : नर्सों और डाक्टरों को भर्ती करने का काम राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। इसके बावजूद केन्द्र सरकार रिक्तियां भरने के लिए राज्य सरकारों से लगातार अनुरोध कर रही है। इसके अतिरिक्त, प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत हमारे पास आवश्यक प्रसूति परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत हम दो प्रकार के प्रसवों को बढ़ावा देते हैं और उनका प्रचार करते हैं। एक है प्रसव संस्थानों को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में लाया जाता है और वहां प्रसव कराया जाता है। दूसरा है कि दाइयों अर्थात् स्थानीय आंगनवाड़ी, आदि, को प्रशिक्षण देकर घर पर ही सुरक्षित प्रसव को प्रोत्साहन देना। इसके लिए राज्यों, विशेषकर 18 राज्यों में 142 जिलों के लिए अब तक 5.21 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इन 18 राज्यों के 142 जिलों में हमने गर्भवती महिलाओं की मौतों का पता लगाया है और उसके लिए हमने धनराशि दी है। उनके लिए हर प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्रनाथ सिंह**: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है, मातृ मृत्यु में कमी लाने के उद्देश्य से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं, इस सूची में 14 कार्यक्रम आपने दिये हैं। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में इनमें से एक भी कार्यक्रम चालू नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री जी बैठे हैं, ये उत्तर प्रदेश के ही हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी गरीबी गांवों में आज भी है, उसके कारण हमारी माताएं और बहनें खाने के अभाव में और चिकित्सा के अभाव में कष्ट उठा रही हैं और उनका उत्पीड़न हो रहा है। विशेष रूप से इसमें दिया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में व्यवस्था है, 24 घंटे व्यवस्था है। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बच्चा पैदा करने के लिए कोई भी महिला डाक्टर नहीं है। जिला अस्पतालों में, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर में केवल इसकी व्यवस्था है, लेकिन वहां इतनी भीड़ पहुंच जाती है कि वहां पर भी हमारी माताओं और बहनों को जगह नहीं

मिलती है और फिर गांव में दाई से उन्हें प्रजनन कराना पड़ता है। आर्थिक अभाव में, धन के अभाव में और गरीबी के कारण माताओं का और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। कार्यक्रमों की यह जो सूची दी गई है, हम समझते हैं कि यह हिन्दुस्तान में लागू नहीं होगी, बल्कि अमेरिका या किसी वेस्टर्न कंट्री में लागू होगी। यह जो सूची है, क्या उत्तर प्रदेश में ये 14 कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं? यदि चलाये जा रहे हैं तो किन जिलों में चलाये जा रहे हैं, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं? मेरी जानकारी में उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में ये कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं। पहले अस्पतालों में गरीबों को मुफ्त में दवाई मिलती थी, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं पूछना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* यह मेरा दूसरा क्वश्चन है। मेरा क्वश्चन पूरा नहीं हुआ। अस्पतालों में जो मुफ्त में महिलाओं को प्रजनन के समय में चिकित्सा उपलब्ध रहती थी, अब उसमें 400 रुपये फीस ली जा रही है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप सवाल पूछिये।

**श्री चन्द्रनाथ सिंह** : तो क्या ये गरीब महिलाएं, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो अस्पतालों

*[अनुवाद]*

में जाकर बच्चा पैदा कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी, मैं यह पूछना चाहता हूं?

**श्री ए. राजा** : महोदय, सारे कार्यक्रम सभी राज्यों में निरन्तर कार्यान्वित किए जा रहे हैं। मंत्रालय में उपलब्ध किसी कार्यक्रम से किसी राज्य को अलग नहीं किया गया है।

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्रनाथ सिंह** : उत्तर प्रदेश में नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : केन्द्र सरकार की लिस्ट में है। अगर उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उनकी गलती है।

*[अनुवाद]*

**श्री ए. राजा** : महोदय, स्वास्थ्य राज्य का विषय है। तालुक स्तर अथवा ब्लाक स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का रख-रखाव राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। हम तो उनकी सहायता ही कर रहे हैं। हम अस्पतालों और अन्य चीजों के मानकों को उन्नत बनाने के उद्देश्य से यहां से वित्त पोषण कर रहे हैं। मैं ये विवरण दे सकता हूं। वर्ष 1997-98 से लेकर 2000-2001 तक ही अतिरिक्त सहायक नर्स धात्रियों की भर्ती करने के लिए हमने 15.63 करोड़ रुपए दिए हैं। पी.एच.एन. प्रयोगशाला तकनीशियनों, रेफरल परिवहन, चौबीसों घंटे खुले रहने वाले क्लीनिक, परामर्श, गैर-सरकारी प्रसूति रोग विज्ञानियों आदि की सेवाएं बाहर से लेने के लिए हम उत्तर प्रदेश, जो अन्य राज्यों के समकक्ष है, को धन दे रहे हैं। यदि माननीय सदस्य को ब्यौरा चाहिए तो मैं उन्हें ये ब्यौरे भेज दूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप माननीय सदस्य को ब्यौरे भेज सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**कुंवर अखिलेश सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न का सही जवाब नहीं आया है। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : यू.पी. के बारे में आपको इन्फोर्मेशन भेजेंगे।

**श्री चन्द्रनाथ सिंह** : आप जो पैसा दे रहे हैं, उसकी देख-रेख भी की जाए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सारी डिटेल्स आपको भेजेंगे। आप फिर भी खड़े हो रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री रतन लाल कटारिया के प्रश्न को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : इतना लम्बा-चौड़ा प्रश्न पूछने के लिए यह समय नहीं है। प्रश्न काल में आप भाषण नहीं दे सकते, सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं।

**श्री रतन लाल कटारिया** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रसव के दौरान हमारे देश में एक्सपेक्टेंट मदर की मृत्यु हो जाती है, इसमें शहरी और ग्रामीण अनुपात कितना है और मरने वालों में क्या अधिकतर संख्या अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं की होती है? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कुपोषण के परिणामस्वरूप जो यह मृत्यु हो जाती है तो उसमें कई बार माता बच जाती है, लेकिन बच्चे की

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मृत्यु हो जाती है, इसमें ऐसे बच्चों का प्रतिशत कितना है, कई बार कुपोषण के कारण जच्चा या बच्चा में से एक की मृत्यु हो जाती है।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि आपके पास ये ब्यौरे हैं तो आप उन्हें बता दीजिए अथवा आप माननीय सदस्य को लिखित रूप में भेज सकते हैं।

**श्री ए. राजा** : जहां तक मातृ मृत्यु दर का संबंध है तो हमारे पास कोई ठोस सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं है। तथापि, भारत के महापंजीयक के अनुसार वर्ष 1998 में स्वीकृत केन्द्रीय पंजीकरण योजना के द्वारा एक लाख गर्भवती महिलाओं में से 407 गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। सरकार मातृ मृत्यु के इस अनुपात को घटाकर एक लाख गर्भवती माताओं पर एक सौ तक नीचे लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

*[हिन्दी]*

**श्री जे.एस. बराड़** : 21वीं सदी में प्रवेश करने के बाद भी महिलाओं की जो दुर्दशा इस देश में है, सवाल के जवाब में सारी बात मंत्री जी ने बताई है। उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, वे सरासर असत्य हैं। अनीमिया डेफिशेंसी की बात कही गई है, इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च ने 11 सूबों में जांच कराई। उसमें 1984-1986 में 87 प्रतिशत महिलाओं को, जिनकी इस देश में पूजा होती है, आयरन डेफीशेंसी अनीमिया था। अब बताया गया है कि वह 49.7 प्रतिशत रह गया है। मैं मंत्री जी से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि गर्भवती महिलाओं और एक वर्ष से पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों को लौह और फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती है। गांवों में जहां लिटरेसी रेट अमंग वूमैन बहुत कम है, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह टेबलेट नहीं मिलती है। इसके बारे में आप कंक्रीट स्टेप उठाएंगे? लेटेस्ट सेंसेस के मुताबिक मेल और फीमेल के रेशों में कमी आई है, विशेषकर पंजाब में सबसे ज्यादा आई है। इसको रोकने के लिए, सोसाइटी में जो गलत काम हो रहे हैं, उसके बारे में मंत्री महोदय क्या कदम उठाएंगे?

*[अनुवाद]*

**श्री ए. राजा** : जहां तक रक्ताल्पता जो मातृ मृत्यु का मुख्य कारण है, का संबंध है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा एक अध्ययन कराया गया है। इस अध्ययन की वर्ष 1984-86 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा कराए गए अध्ययन से तुलना की जा सकती है। इस अध्ययन के अनुसार 87.6 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में रक्त की कमी होती है। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य और ऐसे अन्य कार्यक्रमों का प्रचार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण इन आंकड़ों में वर्ष 1998-99 में 49.7 प्रतिशत तक की कमी आई है। अतः सरकार प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों को शुरू करके मातृ मृत्यु अनुपात को और कम करने के लिए अत्यधिक उत्सुक है।

**श्री जे.एस. बराड़** : पुरुष-महिला अनुपात में कितनी कमी आई?

**श्री ए. राजा** : इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। मैं ये आंकड़े आपको भिजवा दूंगा।

**श्री जे.एस. बराड़** : महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। *...(व्यवधान)* क्या मंत्री जी मुझे लिखित उत्तर भेज सकते हैं? *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या आप बता सकते हैं कि क्या पंजाब में पुरुष और महिला अनुपात में कमी आई है? जनगणना के संशोधित आंकड़ों के अनुसार इसमें चिन्ताजनक अन्तराल आया है। क्या ऐसा कुछ है जो सरकार इस संबंध में करना चाहती है?

**श्री ए. राजा** : महोदय, इस प्रश्न का संबंध माताओं की मौतों से है। तथापि, माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर लिखित रूप से दिया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती जसकौर मीणा** : उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि कम से कम एक महिला की आवाज को आपने सुना है। पूरा सदन महिलाओं के प्रसव के मुद्दे पर संवेदनशील है। महिलाओं की प्रसव के दौरान मौत पर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार स्वयं और स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से प्रसव के दौरान मृत्यु होने वाली दर को कम करना चाहती है लेकिन वे अस्सी प्रतिशत महिलाएं, जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती हैं और जिनके लिए ये कार्यक्रम और सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या आपने देश के अंदर बीमारू प्रांत बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये चारों बीमारू प्रांतों के नाम से जाने जाते हैं, इन चारों प्रांतों में प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु न हो, उसकी उचित व्यवस्था के लिए क्या स्वयंसेवी संगठनों को साथ जोड़ा है और यदि नहीं तो इसके लिए क्या विशेष पैकेज आपने लिया है ताकि ये प्रांत बीमारू प्रांत से बाहर निकलकर आगे आएं?

*[अनुवाद]*

**श्री ए. राजा** : महोदय, जहां तक बीमारू राज्यों हेतु स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संबंध है जहां भी इस रोग की घटनाएं अधिक होती हैं, भौगोलिकीय स्थिति को ध्यान में रखे बगैर हम विभाग में उपलब्ध सभी योजनाओं का वित्त पोषण कर रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती जसकौर मीणा** : हमने इन चार बीमारू प्रांतों के बारे में पूछा है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री ए. राजा** : महोदय, जहां तक गैर-सरकारी संगठनों का चयन करने के लिए क्रियाविधि पर विचार का संबंध है, हम उन गैर-सरकारी संगठनों, जो तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, के लिए मातृ गैर-सरकारी संगठन का दर्जा दे रहे हैं। महोदय, मैं गैर-सरकारी संगठनों के बारे में अन्य ब्यौरे बाद में दूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप बाद में उन चार राज्यों के बारे में उन्हें जानकारी दे दीजिएगा।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती जसकौर मीणा** : हमें चार राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आंकड़े चाहिएं। ...*(व्यवधान)*

**संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना**

***543. श्री दानवे रावसाहेब पाटील** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्य द्वारा सिफारिश किए जाने के बावजूद राज्यों में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत राज्यों में जिला कलेक्टरों द्वारा समय पर उपयोग प्रमाण-पत्र न जारी करने तथा समय पर कार्य पूरा न कराने के संबंध में केंद्र सरकार को संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

**विनिवेश विभाग में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी)**: (क) से (ग) सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

***विवरण***

(क) और (ख) वर्तमान दिशा निर्देशों तथा कार्यविधि के अंतर्गत, प्रति सांसद दो करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की पात्रता राशि एक करोड़ रुपए प्रति किस्त की दर से दो किस्तों में जारी की जाती है। यह 50 लाख रुपए से कम अस्वीकृत शेष दर्शाने वाली व्यय रिपोर्ट पर आधारित होता है। जैसे ही जिला कलेक्टर से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होती है, एक करोड़ रुपए की अगली किस्त सांसद के संबंध में जारी कर दी जाती है। ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में कुछ सांसदों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

कुछ सांसदों से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यों के कार्यान्वयन में विलंब/कार्यान्वयन न किए जाने की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें कार्यों के कार्यान्वयन की गति को मंद बनाने वाली विभिन्न परिस्थितियों पर प्रकाश डालती हैं:

(1) निधियों के अवमोचन में विलंब।

(2) सांसदों से प्राप्त अनुसंशाओं पर जिला प्राधिकारियों द्वारा प्रक्रिया में विलंब।

(3) संबंधित अभिकरणों द्वारा प्राक्कलन तैयार करने में विलंब।

(4) संबंधित जिलाध्यक्षों द्वारा वित्तीय सुंस्वीकृतियां जारी करने में विलंब।

(5) कार्यकारी अभिकरणों द्वारा समय-सीमा का पालन न किया जाना।

(6) एक जिले से दूसरे जिले को निधियों के हस्तांतरण में विलंब।

(7) जिलाध्यक्षों द्वारा केंद्र सरकार को व्यय विवरण न प्रस्तुत किया जाना।

(8) भूमि की अनुपलब्धता/अधिग्रहण में विलंब।

(9) निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचार संहिता का लागू होना।

(10) जिले के अधिकारियों के अन्य अनेक उत्तरदायित्व।

(ग) जिला कलेक्टरों द्वारा व्यय रिपोर्ट न प्रस्तुत किए जाने/प्रस्तुत करने में विलंब का कोई विशेष दृष्टांत जब कभी जिला

कलेक्टर के द्वारा इस मंत्रालय के ध्यान में लाया जाता है, अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु संबंधित जिला कलेक्टर से तुरंत संपर्क किया जाता है।

कार्यान्वयन में विलंब की शिकायतें प्राप्त होने पर मामले को जांच तथा उपचारी कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों/केंद्रक प्राधिकारियों के समक्ष तुरंत उठाया जाता है। राज्य सरकारों को दिशा निर्देशों के प्रावधानों का दृढ़ता से पालन करने तथा सांसदों द्वारा अनुशंसित कार्यों को शीघ्रता से कार्यान्वित करने का सुझाव समय-समय पर दिया जाता है। जिलाध्यक्षों को सुझाव दिया गया है कि वे सांसदों द्वारा अपनी पात्रता की सीमा तक अनुशंसित कार्यों को निधियों के वास्तविक अवमोचन की प्रतीक्षा किए बिना संस्वीकृति प्रदान करें तथा व्यय रिपोर्ट शीघ्रता से प्रस्तुत करें ताकि मंत्रालय द्वारा निधियां तीव्र गति से जारी की जा सके। जिलाध्यक्षों को यह भी सुझाव दिया गया है कि वे कार्यों की प्रकृति को देखते हुए इनके कार्यान्वयन के लिए एक समय-सीमा तय करें तथा उसका दृढ़ता से पालन करें। केंद्र सरकार द्वारा निधियों के अवमोचन की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के लिए दो करोड़ रुपए की राशि को 50 लाख रुपए की चार किस्तों में जारी करने के स्थान पर दो करोड़ रुपए की वार्षिक पात्रता को एक करोड़ रुपए प्रति किस्त की दर से दो किस्तों में जारी करने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि अस्वीकृत शेष जैसे ही एक करोड़ रुपए से नीचे आएगा, एक करोड़ रुपए की अगली किस्त जारी कर दी जाएगी। राज्य सरकारों/जिलाध्यक्षों को यह भी सुझाव दिया गया है कि वे दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यों के प्रबोधन के प्रावधानों का अनुपालन करें तथा मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव आदि के स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित करने की विशेष व्यवस्था करें।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की लोक सभा की संसदीय समिति ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पांडिचेरी तथा लक्षद्वीप के जिलाध्यक्षों के साथ अन्योन्य क्रिया के लिए 15.4.2000 को हैदराबाद का दौरा किया। समिति मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ जिलाध्यक्षों से अन्योन्य क्रिया के लिए 12 सितंबर, 2000 को खजुराहो भी गई। कमियों को दूर करने के लिए राज्य मंत्री (सां. एवं. का.का.) के स्तर पर समय-समय पर समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं, ताकि अनुशंसित कार्यों का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। राज्य मंत्री (सां. एवं का.का.) की अध्यक्षता में सांसदों तथा जिलाध्यक्षों के साथ विशेष समीक्षा बैठकें पटना, कलकत्ता, भुवनेश्वर और गोवा में आयोजित की गई थीं।

*[हिन्दी]*

**श्री दानवे रावसाहेब पाटील** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में है। प्रश्न यह है कि संसद सदस्य द्वारा सिफारिश किये जाने के बावजूद राज्य में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अन्तर्गत जिला कलैक्टरों द्वारा समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी न करने तथा समय पर कार्य को न करने के संबंध में है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : शिकायत मिली या नहीं मिली और क्या कार्यवाही की गई है?

**श्री दानवे रावसाहेब पाटील** : स्थानीय क्षेत्र के बारे में हर राज्य से हर तरह की शिकायतें हैं। मेरी शिकायत यह है कि जिलाधिकारी की स्थानीय क्षेत्र विकास के काम में सैंक्शन करके जिला परिषद डी.आर.डी.ए. या पी.डब्ल्यू.डी. के पास देने के बाद यह काम सैंक्शन होने के बाद उनकी तरफ से किया जाता है लेकिन मैं जालना क्षेत्र से आया हूं ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप सवाल पूछिए। कई मेम्बर्स को सवाल पूछना है।

**श्री दानवे रावसाहेब पाटील** : प्रश्न यह है कि मेरे स्थानीय क्षेत्र का काम सैंक्शन करने के बाद जिला परिषद के ग्रामीण क्षेत्र के डी.आर.डी.ए. के पास भेजने के बाद भी वह जिला परिषद के सी.ओ. ने कलैक्टर से लैटर लिखा है कि यह काम हम नहीं कर सकते तथा और किसी एजेंसी से करा लो। लैटर का सबूत भी मेरे पास है। हमने हर बार यह बात उठाई लेकिन सी.ओ. ने यह काम करने से इंकार कर दिया। मेरा प्रश्न यह है कि ऐसा ऑफिसर जो काम मंजूर करने के बाद जिनके पास इम्पलीमेंटेशन के लिए दिया जाता है, क्या ऐसा लैटर लिख सकता है और अगर लिखता है तो उसे क्या सजा दी जाएगी?

**श्री अरुण शौरी** : महोदय, ऐसी शिकायतें कई बार आई हैं। जब भी कोई माननीय सदस्य स्पैसिफिक शिकायत करते हैं, तो उस पर एक दम, हम खुद, डीएम से और आफिसर से बात करते हैं। अभी दो-तीन दिन पहले श्री बरार मेरे पास आए थे और श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव जी आई थीं। ...*(व्यवधान)* स्थिति में सुधार होता है। ...*(व्यवधान)* ऐसी कोई योजना भी नहीं है, ऐसा कोई प्रोवीजन भी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट आफिसर को किसी तरह सैन्टर से कोई पनिशमेंट दे सकें। मैं गुमराह नहीं करूंगा, हम परसुएड कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आफीसर्स स्टेट गवर्नमेंट के अधीन काम करते हैं हम चीफ सैक्रेटरी से बात कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट आफीसर से बात कर सकते हैं। इस बारे में सदन में कई बार आवाज उठी है कि स्टेट में पावर डिसैन्ट्रलाइज हो और डिस्ट्रिक्ट आफीसर को यहां से पनिश किया जाए। इस डिसैन्ट्रलाइजेशन के विषय पर रूरल डेवलपमेंट डिमान्ड्स पर चर्चा हो रही थी। आप भी इसमें तव्वजह दें कि छोटे-छोटे वर्क्स न हो। जैसा माननीय सदस्य ने जालना के बारे में कहा है, वे कोई

स्पैसिफिक बात बतायें, मैं खुद आफीसर्स से बात करके कोई-न-कोई हल जरूर निकालूंगा।

**श्री दानवे रावसाहेब पाटील** : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वे जिला आफिसर के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन योजनाओं के करोड़ों रुपए अभी-भी जिला कलैक्टरों के पास पड़े हुए हैं और बार-बार लिखने के बावजूद भी कोई एजेंसी काम नहीं करती है। योजनाओं को इम्पलीमेंट नहीं करती है। इस वजह से सांसदों को तकलीफ होती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे राज्यों को इस बारे में कुछ लिखेंगे?

**श्री अरुण शौरी** : महोदय, जैसा मैंने कहा है, जरूर लिखेंगे। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हें जवाब देने दीजिए। आप उन्हें जवाब भी नहीं देने देते।

*[हिन्दी]*

**श्री अरुण शौरी** : लिखूंगा ही नहीं, बल्कि उनसे खुद बात करूंगा और कोई हल निकालूंगा।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय, इनका कहना है कि मानदंड तो पहले से ही हैं। यदि कोई अधिकारी मानदडों का उल्लंघन कर रहा हो तो सरकार ने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है?

**श्री अरुण शौरी** : मैं मामले की जांच किए बगैर पहले से ही यह निर्णय नहीं दे सकता कि किसी अधिकारी ने मानदंडों का उल्लंघन किया है। मैं ऐसा नहीं कह सकता। जब भी माननीय सदस्य मुझसे कोई शिकायत करेंगे, मैं उसकी जांच करूंगा।

*[हिन्दी]*

**श्री कांतिलाल भूरिया** : कितनी बार राइटिंग में दिया है। रिफ्यूज हो जाता है। हम जानना चाहते हैं कि इस बारे में क्या कार्यवाही करेंगे? *...(व्यवधान)*

**श्री अरुण शौरी** : आप इस तरह से कहते रहिए, मैं नहीं मानूंगा। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया मंत्री महोदय को उत्तर देने दें।

**श्री अरुण शौरी** : मैं मामले की जांच किए बगैर किसी अधिकारी की निंदा नहीं करूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : किसी सदस्य को ऐसा करना शोभा नहीं देता। ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर आप मंत्री महोदय को उत्तर पूरा ही नहीं करने देते।

*...(व्यवधान)*

**श्री अरुण शौरी** : ये मुझे नहीं बल्कि जिला प्रशासन को लिखे पत्र की बात कह रहे हैं। जब मामला मेरे समक्ष लाया जाएगा, मैं अवश्य इस पर कार्यवाही करूंगा। वह हमें इसे मामले पर रखना क्यों नहीं चाहते। यदि अधिकारी कुछ गलत कर रहा है तो हम उस प्रश्न का समाधान करेंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री पटेल, वह जवाब दे चुके हैं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री दानवे रावसाहेब पाटील** : महोदय, हमारे पास प्रूफ है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रूफ होगा, आप मंत्री जी को लिखिए। मंत्री जी ने कहा कि हम टेकअप करेंगे।

**कुंवर अखिलेश सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, भारत सरकार के कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत जिलाधिकारियों को 30 दिन के अंदर प्रशासनिक स्वीकृति और 45 दिन के अंदर वित्तीय स्वीकृति देने का निर्देश दिया है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की स्थाई समिति ने इन दिशा-निर्देशों में परिवर्तन करने के भी सुझाव दिए हैं। हम मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि जिन जनपदों के अंतर्गत माननीय सदस्यों के प्रस्ताव पर 30 दिन के अंदर जिलाधिकारियों द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी जा रही है और 45 दिन में वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है, उनके विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करेंगे? आपकी जानकारी के आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि कहीं भी 30 दिन और 45 दिन के अंदर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की जा रही है और चूंकि आपने उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान नहीं किया है इसलिए जिलाधिकारी मनमानी कार्य कर रहे हैं। दूसरा मेरा यह कहना है कि आपने अपने उत्तर में कहा है कि जब हमारी एक करोड़ की धनराशि की स्वीकृति आ जाएगी तो आप अगले एक करोड़ की स्वीकृति जारी कर देंगे, मैं अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि या तो आपका उत्तर गलत है और नहीं तो

व्यावहारिक रूप से आपकी जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह गलत है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया भाषण मत दीजिए। यही मुश्किल है।

**श्री अरुण शौरी** : उपाध्यक्ष महोदय, दरअसल, अध्यक्ष महोदय ने पिछली बार इस मामले पर आधे घंटे की चर्चा के लिए कहा था। यदि आप इस मसले पर एक सुसंगठित चर्चा कराएं तो मैं इनमें से प्रत्येक का जवाब दूंगा। मैं कह चुका हूं कि हम चर्चा के लिए एकदम सहमत हैं।

जहां तक दंड देने का प्रश्न है, मुझे अपनी ही बात दोहरानी होगी कि इस मामले में अधिकारियों को दंड देने के लिए संसद को एक कानून बनाना होगा। अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस मुद्दे पर मैं किसी को भ्रम में रखना नहीं चाहता। ...*(व्यवधान)*

दूसरी बात यह है कि जहां तक जिला कलेक्टरों को प्रेरित करने का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं पहल करते रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि आप ऐसे करते रहेंगे तो वह जवाब कैसे देंगे?

...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री प्रधान, उन्हें जवाब देने दीजिए। वह विस्तार से बता रहे हैं। यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या आप नहीं चाहते कि जवाब दिया जाए? माननीय सदस्य ने एक प्रश्न किया है और माननीय मंत्री जवाब दे रहे है। श्री प्रधान, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

**श्री अरुण शौरी** : महोदय, हमारा विभाग नियमित रूप से बैठकें कर रहा है। श्री प्रियरंजन दासमुंशी और अन्य सदस्य इसकी पुष्टि करेंगे। हम कलेक्टरों से बैठकें कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने हैदराबाद में दक्षिण के सभी राज्यों के कलेक्टरों के साथ और खजुराहो में उत्तर-पश्चिमी राज्यों के कलेक्टरों के साथ स्वयं बैठकें की हैं। हमारी और बैठकें करने की भी योजना है। श्री रमैया, स्वयं कलेक्टरों से मिलते रहे हैं। मैंने पश्चिम बंगाल के लिए संबंधित व्यक्तियों से कोलकाता में मुलाकात की है। मैं भुवनेश्वर और गोवा में भी उनसे मिला हूं।

तीसरा मुद्दा धन जारी करने के बारे में है। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)* माननीय सदस्यों ने धन जारी किए जाने के संबंध में शिकायत की थी। ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्रीमती फूलन देवी** : जिलाधिकारी कुछ नहीं करते। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : फूलन देवी जी, आप बैठ जाइए, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री अरुण शौरी** : जहां तक धन जारी करने का संबंध है। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्रीमती फूलन देवी, कृपया बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्रीमती फूलन देवी** : उपाध्यक्ष जी, जिलाधिकारी हमसे मिलते नहीं हैं और न मिलकर वे हमारा अपमान कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जाइए।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : उपाध्यक्ष जी, हम लोगों को भी आप सुन लें।...*(व्यवधान)*

**श्री रामदास आठवले** : एक करोड़ नहीं, पांच करोड़ रिलीज करो। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों आप प्रश्न काल को भी नहीं चलते दे रहे।

...*(व्यवधान)*

**श्री अरुण शौरी** : जहां तक धन जारी करने का संबंध है, जो शिकायत अभी मिली है। उसके बारे में, मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 1,390 करोड़ रुपये की राशि जारी

की गई थी। इस वर्ष 2,080 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस प्रकार 800 करोड़ रुपये अधिक जारी किए गए हैं। इस बार हमें 16 जनवरी को 250 करोड़ रुपये दिए गए और 14 फरवरी तक पूरी राशि जारी कर दी गई है। फिर, हमें 27 मार्च को 250 करोड़ रुपये दिए गए और 29 मार्च तक पूरी राशि जारी कर दी गई।...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**कुंवर सर्वराज सिंह** : उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी का जवाब एकदम गलत है। ...*(व्यवधान)*

**श्री मोहन रावले** : उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप ही हमें न्याय दीजिए ...*(व्यवधान)* वे लोग कुछ कार्यवाही नहीं करते हैं।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय 250 करोड़ रुपये की राशि जारी किए जाने का ब्यौरा दे रहे हैं परन्तु कोई उन्हें सुनना ही नहीं चाहता। यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले** : हमारा पैसा इतना डिले हो गया है। अब यह 15-20 दिन में मिलना चाहिए। आप क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं, केन्द्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने श्री राजीव प्रताप रूडी को बोलने की अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राजीव प्रताप रूडी** : उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं।

*[अनुवाद]*

हालांकि हमारे मंत्री जी के पास एक दृष्टि है परन्तु मेरे विचार से उनके विभाग में दृष्टि दोष है और इसी से अधिकांश समस्याएं पैदा होती हैं। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप प्रश्न पूछिए।

**श्री राजीव प्रताप रूडी** : यहां हमने जो भी चर्चा की है उसके अलावा जो प्रश्न है वह अनुमान तैयार करने से संबंधित है।

*[हिन्दी]*

हमने देश में देखा है कि अगर पुल का निर्माण कहीं किया जाना है और अगर प्राइवेट इंजीनियर को नक्शा बनाने को कहते हैं तो वह दस हजार में बनाता है लेकिन सरकारी प्रावधान के अनुसार उस पर जब तक कार्यपालक अभियंता दस्तखत नहीं करेगा तब तक उस योजना की स्वीकृति डिप्टी मजिस्ट्रेट नहीं देंगे। जिस भवन का निर्माण दो लाख में हो सकता है उसका प्राक्कलन वह साढ़े तीन-चार लाख में देता है। गांव के लोग कहते हैं कि स्कूल का निर्माण अगर समिति को दिया जाए और नक्शा हम अपने इंजीनियर से बनवाएं तो वह 10 लाख में बनाएगा लेकिन सरकारी कर्मचारी उसी प्राक्कलन को 30 लाख में करते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको दस्तखत करने को तैयार नहीं होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या रिकोग्नाइज्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर, रिकोग्नाइज्ड आर्किटैक्ट के द्वारा प्राक्कलन बनाया गया हो तो उसकी स्वीकृति क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे करके उस काम को करवाने के लिए कोई प्रक्रिया अपनाने का विचार आप रखते हैं। अगर रखते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी और इसमें आपका मंतव्य क्या होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके पैसे का दुरुपयोग होगा ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री अरुण शौरी** : यह एक महत्वपूर्ण सुझाव है। निश्चय ही मैं इसका ध्यान रखूंगा। राज्य सरकार की मशीनरी के माध्यम से चीजों को कार्यान्वित करने के मौजूदा प्रावधान का कारण यह है कि यदि संसद सदस्य अपनी ओर से वास्तुकारों और ठेकेदारों के नाम बताने लगे तो ...*(व्यवधान)*

**मध्याह्न 12.00 बजे**

**श्री राजीव प्रताप रूडी** : महोदय यही सारी समस्या है।

**श्री अरुण शौरी** : महोदय, मैं अनुमान तैयार करने और वास्तुकारों के संबंध में मामले को अवश्य उठाऊंगा। मैं अभी से बताए देता हूं कि संसद सदस्यों के खिलाफ आरोप लगने शुरू हो जाएंगे, परन्तु एक महत्वपूर्ण सुझाव के रूप में मैं इस पर काम करूंगा और सदन इस पर निर्णय देगा। पर इसके लिए दिशानिर्देशों में संशोधन की आवश्यकता होगी और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी डा. बी.बी. रमैया की अध्यक्षता वाली समिति इस पर निर्णय लेगी। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

*[हिन्दी]*

### अस्पतालों के लिए विश्व बैंक सहायता

***544. राजकुमारी रत्ना सिंह:**
**श्री मानसिंह पटेल:**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक कुछ राज्यों में अस्पतालों और औषधालयों को स्थापित करने के लिए निधियां उपलब्ध करा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(ग) इस सहायता से चिकित्सा सुविधाओं में किस सीमा तक वृद्धि हुई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा)**: (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और अस्पतालों की स्थापना उनका उन्नयन करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, कुछ राज्यों का विश्व बैंक के पास सहायता के अनुरोध के साथ सम्पर्क करने और भारत सरकार तथा विश्व बैंक द्वारा इसका मूल्यांकन करने के फलस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ सात राज्यों में अनिवार्य द्वितीयक स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी सुविधाओं के नवीकरण, विस्तार तथा उनको आधुनिक बनाने के लिए सहायता मिल रही है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:

**1. आंध्र प्रदेश**

**लागत** : 608.00 करोड़ रुपए (158.9 मिलियन अमरीकी डॉलर)

**अवधि** 1.3.95 से $6^1/_2$ वर्ष

**कवरेज** : विस्तार/नवीकरण—21 जिला अस्पताल, 47 क्षेत्रीय अस्पताल, 25 उप-सामुदायिक/तालुक अस्पताल, 49 सामुदायिक/तालुक अस्पताल और तीन नए मातृ एवं बाल स्वास्थ्य एकक।

**प्रगति** : 138 अस्पतालों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। जिनमें से 130 अस्पतालों को चालू किया जा चुका है। सभी 150 अस्पतालों को शीघ्र ही चालू कर दिया जायेगा। 130 अस्पतालों के प्रमुख उपकरण मानदंड पूरे किए जा चुके हैं और शेष अस्पतालों की आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। अस्पताल कार्यनिष्पादन की कोटि निर्धारण प्रणाली के उन्नयन के लिए गुणवत्ता संकेतकों का पता लगाया गया है। चिकित्सीय कचरे के निपटान के लिए योजना तैयार कर ली गई है। स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण को नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है।

**2. पश्चिम बंगाल**

**लागत** : 698.00 करोड़ रुपये (174.2 मिलियन अमरीकी डालर)

**अवधि** : 27.6.96 से 5 1/2 वर्ष

**कवरेज** : विस्तार/नवीकरण—15 जिला अस्पताल, 60 उप-मंडलीय अस्पताल, 95 ग्रामीण अस्पताल, 28 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन, सुन्दरबन क्षेत्रों में 8 खंड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।

**प्रगति** : 85 अस्पतालों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष 125 अस्पतालों में कार्य आगे बढ़ रहा है। आशा है कि 30 अप्रैल, 2001 तक कुल 140 निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। खरीद योजना के चरण-I और II के अंतर्गत आदेशित उपकरण की आपूर्ति करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। 170 अस्पतालों में उपकरण और फर्नीचर का मरम्मत कार्यक्रम पूरा कर लिया गया है।

**3. कर्नाटक**

**लागत** : 546.00 करोड़ रुपए (136.4 मिलियन अमरीकी डालर)

**अवधि** : 27.6.96 से $5^1/_2$ वर्ष

**कवरेज** : विस्तार/नवीकरण—21 जिला अस्पताल, 107 उप-मण्डलीय अस्पताल और 74 सामुदायिक अस्पताल।

**प्रगति** : 105 अस्पतालों में कार्य पूरा कर लिया गया है और अन्य 86 अस्पतालों में कार्य चल रहा है। शेष 9 अस्पतालों के कार्य भी शीघ्र पूरा हो जाने की अपेक्षा है। सामान और उपकरण की खरीद योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। 30 अस्पतालों में चिकित्सीय कचरे के निपटान की प्रणाली पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है।

4. पंजाब

लागत : 425.00 करोड़ रुपए (106.1 मिलियन अमरीकी डालर)

अवधि : 27.6.96 से 5 1/2 वर्ष

कवरेज : विस्तार/नवीकरण—13 जिला अस्पताल, 46 उप-मंडलीय अस्पताल और 91 सामुदायिक अस्पताल।

प्रगति : कुल 154 अस्पतालों में से 63 अस्पतालों में सिविल निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं और 63 अस्पतालों में निर्माण कार्य चल रहे हैं। 47 करोड़ रुपए के सामान की खरीद कार्य अग्रिम अवस्था में है।

5. उड़ीसा

लागत : 415.57 करोड़ रुपये (90.7 मिलियन अमरीकी डालर)

अवधि : सितम्बर, 1998 से 5 वर्ष

कवरेज : 32 जिला मुख्यालय के अस्पताल, 20 उप-मंडलीय अस्पताल, 19 क्षेत्र अस्पताल, 85 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।

प्रगति : 21 निर्माण कार्य पहले ही चल रहे हैं और 14 के निर्माण कार्य भी शीघ्र ही शुरू हो जाएंगे। अन्य 120 अस्पतालों के लिए डिजाइन और निविदा प्रक्रिया चल रही है। 5 करोड़ रुपए की 42 अस्पताली गाड़ियां, उपकरण और औषधें खरीद ली गई हैं। चिकित्सीय कचरे के निपटान, गुणवत्ता आश्वासन, रोग निगरानी इत्यादि में प्रगति हुई है।

6. महाराष्ट्र

लागत : 727.00 करोड़ रुपए (158.1 मिलियन अमरीकी डालर)

अवधि : 14.2.1999 से 5 1/2 वर्ष

कवरेज : 25 जिला अस्पताल, 76 उप-मंडलीय अस्पताल, 35 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।

प्रगति : 27 अस्पतालों में कार्य प्रगति पर है और 30 अप्रैल, 2001 तक कुल 57 अस्पतालों को कवर किए जाने की आशा है। आशा है कि 6 अस्पतालों को 30 अप्रैल, 2001 तक पूरा कर लिया जाएगा। 18 करोड़ रुपये के मूल्य के उपकरण, औषधियों इत्यादि की खरीद का कार्य चल रहा है।

7. उत्तर प्रदेश

लागत : 495.00 करोड़ रुपए (110 मिलियन अमरीकी डालर)

अवधि : 1.7.2000 से 51/2वर्ष

कवरेज : 25 जिला अस्पतालों (पुरुष), 25 जिला अस्पतालों (महिला), 3 संयुक्त अस्पतालों, 28 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 36 खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण।

प्रगति : निर्माण के लिए बोलियों को प्राप्त करने और उनकी जांच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी प्रकार, अस्पतालों की गाड़ियों और उपकरणों की खरीद शीघ्र ही शुरू हो जाएगी।

**फिजी में पूजा-स्थलों पर हमले**

*545. **डा. अशोक पटेल:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान फिजी में मंदिरों पर हमले, मंदिरों से स्वर्ण आभूषणों की लूट तथा मूर्तियों को तोड़ने से संबंधित घटनाओं की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में फिजी की सरकार से विरोध प्रकट किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर फिजी की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्र (श्री जसवंत सिंह):** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान**

*546. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले :**
**कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:**

क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात, रोजगार सृजन तथा सकल औद्योगिक उत्पादन के मामले में लघु उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है;

(ख) इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्र के विकास तथा उसे मजबूत करने में उपर्युक्त नीति कहां तक सहायक सिद्ध हुई है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री ( श्रीमती वसुन्धरा राजे ):** (क) 1999-2000 में लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान अनुमानत: कुल निर्यात का 35.177.50 लाख व्यक्तियों को रोजगार और कुल औद्योगिक उत्पादन का 39.53% रहा।

(ख) सरकार की वर्तमान नीति लघु उद्योग क्षेत्र को उच्च जीवन शक्ति और विकास बल युक्त बनाने की है, जिससे वे अर्थव्यवस्था में विशेषत: निर्यात में वृद्धि, रोजगार एवं उत्पादन में पूर्णतया योगदान दे सकें। इसके अतिरिक्त, 30 अगस्त, 2000 को लघु उद्योग क्षेत्र को मजबूत बनाने तथा घरेलू तथा विश्वव्यापी दोनों स्तरों पर इसकी प्रतियोगितात्मकता बढ़ाने के लिए लघु उद्योग एवं अति लघु क्षेत्र के लिए व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की गई थी। नीति पैकेज में इसके साथ-साथ क्रेडिट का सरल प्रवाह, 25 लाख रु. तक के कोलेट्रल युक्त मिश्रित ऋण की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु पूँजी सहायता और उन्नत आधारभूत संरचना शामिल है।

(ग) सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत उपाय लघु उद्योग क्षेत्र को सतत संवृद्धि दर बनाए रखने, उत्पादन की वृद्धि में सार्थक योगदान, रोजगार सृजन, विदेशी मुद्रा अर्जित करने एवं विश्वव्यापी स्तर पर प्रतियोगितात्मक बनाने में सहायता करते हैं।

*[अनुवाद]*

**पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाना**

*547. **श्री रामदास आठवले :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महान ऐतिहासिक नायक पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अफगानिस्तान से वापस लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाये गए हैं?

**विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री ( श्री जसवंत सिंह ):** (क) जी नहीं। सरकार के पास ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अफगानिस्तान में हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

*[हिन्दी]*

**जी.एस.एल.वी. का प्रक्षेपण**

*548. **श्री माणिकराव होडल्या गावित :**
**श्री नरेश पुगलिया :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का पहला 'जी.एस.एल.वी.' हाल ही में कुछ तकनीकी खराबी के कारण उड़ान नहीं भर सका है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'जी.एस.एल.वी.' का प्रक्षेपण असफल होने के कारण अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम को भारी धक्का लगा है;

(ग) क्या 'जी.एस.एल.वी.' के प्रक्षेपण की असफलता के कारणों की कोई प्राथमिक जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इससे सरकार को कुल कितनी हानि हुई है;

(च) क्या सरकार 'जी.एस.एल.वी.' के पुन: प्रक्षेपण पर विचार कर रही है;

(छ) यदि हां, तो उसके लिए क्या समय-सीमा तय की गई है; और

(ज) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री ( श्रीमती वसुन्धरा राजे ):** (क) मार्च 28, 2001 को स्वचालित प्रमोचन प्रक्रिया प्रणाली (ए.एल.एस.) द्वारा यह पता लगाने के बाद कि स्ट्रैप-ऑन बूस्टरों में से एक में अपेक्षित प्रणोद विकसित नहीं हो पाया है, उत्थापन से एक सेकेण्ड पहले जी.एस.एल.वी. के प्रथम प्रमोचन का प्रयास अवरुद्ध कर दिया गया। तद्नुपरांत जी.एस.एल.वी. को अप्रैल 18, 2001 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया।

(ख) इस प्रमोचन अवरोध के कारण अन्तरिक्ष कार्यक्रम प्रभावित नहीं हुआ है। दूसरी ओर सुरक्षित अवरोधन तथा इ. के शीघ्र समाधान से प्राप्त अनुभव अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जोकि इसकी सफल उड़ान से सिद्ध हो चुका है।

(ग) स्ट्रैप-ऑन मोटर में अपर्याप्त प्रणोद के बनने के कारणों के लिए एक विस्तृत विश्लेषण किया गया है।.

(घ) इंजिन के आक्सीडाइजर प्रवाह लाइन में एक दोषपूर्ण प्लम्बिंग, जिसका जांच के दौरान पता नहीं चल पाया था, के कारण स्ट्रैप-ऑन बूस्टरों में से एक में अपेक्षित प्रणोद विकसित नहीं हो पाया। इसके परिणामस्वरूप इंजिन को मिलने वाले आक्सीडाइजर के प्रवाह में कमी हो गई। खराब इंजिन के स्थान पर एक अतिरिक्त इंजिन को प्रतिस्थापित कर दिया गया। राकेट की सभी अन्य प्रणालियां ठीक पाई गई। तदनुपरांत जी.एस.एल.वी. को अप्रैल 18, 2001 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया।

(ङ) प्रमोचन को अवरुद्ध करने का प्रावधान प्रमोचन की विलोम गणना का एक भाग है। राकेट की सभी प्रणालियां अच्छी स्थिति में और पुन: उपयोग किये जाने के लिए उपयुक्त थी। खुले हुए इंजिन को भी सुसज्जित करने के बाद पुन: उपयोग में लाया जा सकता है। पुन: प्रमोचन के प्रयास में अतिरिक्त नेटवर्क किराया प्रभार, प्रणोदक और गैसों की अत्यन्त सीमित मात्रा में जरूरत होती है, जिसके लिए प्रावधान किया गया है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि सुरक्षित अवरोधन और शीघ्र समाधान से जो अनुभव प्राप्त हुआ है, वह अत्यन्त मूल्यवान है। इसमें अन्तर्निहित अतिरिक्त खर्च बहुत अधिक नहीं है।

(च) और (छ) जी.एस.एल.वी.डी. को अप्रैल 18, 2001 को सफलता पूर्वक प्रमोचित किया गया है।

(ज) जबकि विविध इंजिनों के निर्माण द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं को वैधता प्रधान की गई थी, वर्तमान अनुभव के आधार पर इन्हें अधिक सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

*[अनुवाद]*

**गर्भ निरोधक**

***549. डा. रमेश चंद तोमर :**
**श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के प्रयास के रूप में केन्द्र सरकार ने पूरे देश में गर्भ-निरोधकों को सहज-सुलभ बनाने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त कार्य दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण लोगों को जनसंख्या रोकने के लिए अभी भी गर्भ-निरोधकों के उपयोग की जानकारी नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भ निरोधकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा)** : (क) और (ख) भारत सरकार ने मार्च, 2001 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में एक शक्ति सम्पन्न कार्रवाई दल गठित किया है। शक्ति सम्पन्न कार्रवाई दल ने जनसंख्या वृद्धि को उचित सीमाओं तक नियंत्रित करने में पिछड़ रहे राज्यों पर विशेष बल देते हुए क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों को तैयार करने में सहायता करनी है। शक्ति सम्पन्न कार्रवाई दल के विचारार्थ विषयों में शामिल हैं:- (1) क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करना, (2) स्वैच्छिक संघों, सामुदायिक संगठनों और पंचायती राज संस्थाओं की सार्थक सहभागिता हेतु उपाय तैयार करना, (3) गर्भ निरोधकों के सामाजिक विपणन के क्षेत्र को विस्तारित करने की गुंजाईश का पता लगाना।

(ग) जहां तक ग्रामीण लोगों में गर्भ निरोधकों के प्रयोग के बारे में जागरूकता का संबंध है, ग्रामीण लोगों में गर्भ निरोधकों के उपयोग के विषय में 1998-1999 में कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन एफ एच एस-2) से पता चलता है कि भारत में गर्भ निरोधक विधियों की जानकारी लगभग पूरे राष्ट्र में है। वर्तमान में विवाहित महिलाओं में से औसतन 99% महिलाएं कम से कम गर्भ निरोधन की एक विधि को जानती हैं।

(घ) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम निम्नलिखित गर्भ निरोधक सेवाएं प्रदान करता है:-

- एक स्थायी तरीके के रूप में नसबन्दी सेवाएं प्रदान करना।
- बच्चों के जन्म में अन्तर रखने के लिए (आई.यू.डी.) निवेशन करना।
- बच्चों के जन्म में अन्तर रखने के लिए मुख्य सेव्य गर्भ निरोधक गोलियां प्राप्त करना।
- बच्चों के जन्म में अन्तर के लिए निरोध प्रदान करना।

निरोध और मुख्य सेव्य गोलियां मुफ्त वितरण स्कीम और सामाजिक विपणन स्कीम के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं जबकि आई.यू.डी. सेवा केवल मुफ्त वितरण स्कीम के अन्तर्गत प्रदान की जा रही है।

**(1) निरोध**

भारत सरकार द्वारा मैथुन-समर्थ उपयोगकर्ताओं को निरोध निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं:-

* मुफ्त वितरण स्कीम

* सामाजिक विपणन स्कीम

**मुफ्त वितरण स्कीम:**

निरोधों का मुफ्त वितरण इन्हें उन लोगों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था जो इन्हें खरीदने का मूल्य वहन नहीं कर सकते। इस स्कीम के अन्तर्गत परिवार कल्याण विभाग निरोधों को 'निरोध' ब्रांड नाम से विभिन्न विनिर्माताओं से खरीदता है और औषधालयों, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों आदि के जरिए उपयोगकर्ताओं को मुफ्त वितरित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इनकी आपूर्ति करता है।

**सामाजिक विपणन स्कीम :**

निरोध के लिए मामूली मूल्य अदा करके खरीदने वाले व्यक्तियों को निरोध उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत ने 1968 में एक सामाजिक विपणन कार्यक्रम शुरू किया था इस स्कीम के अन्तर्गत स्वदेशी विनिर्माताओं से तीन विभिन्न किस्मों के निरोध नामत: (1) 'नया चिकनाई युक्त निरोध', (2) 'डीलक्स निरोध' और (3) 'सुपर डिलक्स निरोध' खरीदे जाते हैं और खुले बाजार में बिक्री हेतु विपणन कम्पनियों को रियायती दरों पर इनकी आपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त, वितरण कंम्पनियों/गैर-सरकारी संगठनों को उनके अपने नाम से निरोध के विपणन की अनुमति दी जाती है।

**(2) मुख्य सेव्य गर्भ-निरोधक गोलियां**

भारत सरकार मैथुन-समर्थ उपयोगकर्ताओं को मुख्य सेव्य गर्भ निरोधक गोलियां निम्नलिखित स्कीमों के जरिए उपलब्ध कराती है:

* मुफ्त वितरण स्कीम

* सामाजिक वितरण स्कीम

**मुफ्त वितरण स्कीम:**

मुफ्त वितरण स्कीम के अन्तर्गत मुख्य सेव्य गर्भ-निरोधक गोलियां 'माला एन' के ब्रांड नाम से खरीदी जाती हैं और स्वीकारकर्ताओं को उसी ढंग से मुफ्त वितरित की जाती हैं जिस ढंग से निरोध वितरित किए जाते हैं।

**सामाजिक विपणन कार्यक्रम:**

निरोधों की सामाजिक विपणन स्कीम के पैटर्न पर भारत सरकार ने 1987 से मुख्य सेव्य गोलियों का सामाजिक विपणन शुरू किया था। इस स्कीम के अन्तर्गत, सरकार स्वदेशी विनिर्माताओं से 'माला डी' गोलियां खरीदती है और विपणन कम्पनियों को रियायती दरों पर इनकी आपूर्ति करती है।

**(3) कॉपर-टी**

परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत बच्चों के जन्म में अन्तर रखने वाली महत्वपूर्ण विधियों में से एक विधि कॉपर-टी लगाना है। प्रशिक्षित चिकित्सकों/प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपकेन्द्रों और अस्पतालों में कॉपर-टी निवेशन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इसकी आपूर्ति की जाती है।

**क्षेत्र परियोजनाएं:**

हिन्दुस्तान लेटेक्स परिवार नियोजन प्रोत्साहन न्यास, तिरुवन्तपुरम द्वारा तीन क्षेत्र विशिष्ट सामाजिक विपणन परियोजनाएं चलाई गई हैं। ये परियोजनाएं हैं:

(1) मध्य प्रदेश के पांच जिलों में और (2) आंध्र प्रदेश में पूरे राज्य में इन परियोजनाओं का लक्ष्य सामाजिक विपणन चैनलों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भ-निरोधकों की उपलब्धता को बढ़ाना है।

मैसर्स हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश में राज्य अभिनय एवं परिवार नियोजन के सहयोग से निरोधों और मुख्य सेव्य गोलियों के लिए एक ग्रामीण विपणन परियोजना भी चलाई गई है। पिछले दो वर्षों में इन परियोजना के इस सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य में कई गैर-सरकारी संगठनों और दुग्ध सहकारी समितियों के साथ संबद्धताएं स्थापित की हैं और इस सम्बन्ध में काफी प्रगति की है।

वर्ष 2000-01 के दौरान परिवार कल्याण विभाग ने मथुरा, कारगिल, पटना, लखनऊ और दिल्ली में स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मेले लगाकर व्यापक जागरुकता उत्पत्ति कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आवश्यक समन्वय और अनुवर्ती कार्रवाई के साथ खासतौर पर जागरुकता बढ़ाने और अनिवार्य उपचारात्मक स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता बढ़ाने के विषय में अनुक्रिया बहुत अच्छी रही।

इसी तरह के उद्देश्यों के साथ कम उपयोग किए गए/दूरदराज के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ध्यान देते हुए 102 जिलों में प्रजनन एवम् बाल स्वास्थ्य शिविर लगाने की स्कीम शुरू की गई है। यद्यपि, 50 जिलों में चल रही प्रजनन एवम् बाल स्वास्थ्य पहुंच सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना चलाई जा रही है। तथापि गर्भ-निरोधकों के बारे में परामर्श देने और उनके वितरण सहित पहुंच सेवाओं का ग्राम स्तर पर सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

## रक्षा सौदों के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट

***550 श्रीमती श्यामा सिंह:**

**श्री एस.वी.वी.एस. मूर्ति:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अप्रैल, 1989 से 75 करोड़ रुपये की लागत से अधिक लागत वाले रक्षा खरीद के सभी प्रमुख सौदों के संबंध में अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान रक्षा खरीद में बिचौलियों का शामिल होना पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा रक्षा सौदों में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री ( श्री जसवंत सिंह ):** (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 17 अप्रैल, 1989 के अनुदेशों में हथियारों/हथियार प्रणालियों की खरीद में एजेंटों को शामिल किए जाने पर रोक लगा दी गई थी। इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय द्वारा 7 नवंबर, 1997 को भी अनुदेश जारी किए गए थे कि विदेशी पूर्तिकारों के साथ की जाने वाली सभी संविदाओं में ऐसी शर्तें शामिल किए जाने की जरूरत है जिनके द्वारा विक्रेता से यह वचनबद्धता ली जानी अपेक्षित है कि उसने संविदा लेने में मध्यस्थता करने या उसे सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या फर्म आदि को इस काम में नहीं लगाया है या उन्हें कोई राशि अदा नहीं की है। जब कभी इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच करके समुचित कार्रवाई की जाती है।

(ङ) रक्षा खरीदों में उच्च स्तरीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग/नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करके आदेश जारी किए हैं कि 75 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले सभी बड़े सौदों/खरीद-निर्णयों की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और जहां आवश्यक हो केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनिवार्य और समयबद्ध संवीक्षा की जाए।

*[हिन्दी]*

## संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

***551. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत राशि में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस राशि में कब तक वृद्धि किए जाने की संभावना है?

**विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री ( श्री अरूण शौरी ):** (क) से (घ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद को देय राशि को बढ़ाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके निम्नलिखित कई कारण हैं:-

(1) चूंकि इस योजना के अंतर्गत निधियां अव्यपगत होती हैं, आज तक अग्रेनित देनदारी 786.5 करोड़ रुपये की है। इस देनदारी को वहन करने हेतु चालू वर्ष तथा अगले वर्ष के लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करानी होंगी।

(2) 31 मार्च, 2001 तक इस योजना के अंतर्गत 7097.8 करोड़ रुपये के कुल अवमोचन की तुलना में जिलों द्वारा सूचित किया गया कुल व्यय 4649.50 करोड़ रुपये है, जो अवमोचित राशि का लगभग 65.5 प्रतिशत है। एक तरफ तो सरकार उच्च ब्याज पर निधियां

उधार ले रही है, दूसरी तरफ जिलों में निधियां व्यर्थ पड़ी हैं।

(3) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 11 जून, 1998 तथा 17 अप्रैल, 2001 को संसद में प्रस्तुत अपनी रिपोर्टों में निधियों के उपयोग में कमी पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है।

(4) इसके अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने निम्नलिखित आधार पर निधियों के उपयोग की कड़ी आलोचना की है:-

(क) मंत्रालय ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियां उनके प्रयोजन के लिए प्रयोग के साथ बिना किसी परस्पर संबंध के जारी किया।

मंत्रालय निधियों का अवमोचन अनुमोदित मानदंड के अनुसार स्वीकृत कार्यों की लागत के आधार पर करता है तथा उपयोग प्रमाण-पत्र पर जोर नहीं देता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इस पद्धति की आलोचना की।

(ख) कार्यकारी अभिकरणों के अव्ययित शेष राशि वापस नहीं की।

लेखा परिक्षा प्रतिदर्श पर लिए गए 1/3 निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यकारी अभिकरणों को पाया गया कि उन्होंने ऐसे मामलों में जहां कार्य या तो निरस्त कर दिए गए थे अथवा अनुमानित लागत से कम पर पूरे किए गए थे, अतिरिक्त राशि को अपने पास ही रोक लिया।

(ग) गैर अनुमेय प्रयोजनों के लिए निधियां का अनियमित विषयांतर।

लेखा परीक्षा ने पाया कि जिलाध्यक्षों ने कुल 18.33 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी गैर अनुमेय कार्यों के लिए दी गई।

(घ) व्यावसायिक तथा निजी संगठनों के लिए कार्यों की संस्वीकृति।

जिलाध्याक्षों ने व्यावसायिक संगठनों, न्यासों, क्लबों, संस्थाओं, निजी संस्थानों के 518 कार्यों के लिए 9.16 करोड़ रुपये के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जो योजना के अंतर्गत अनुमेय नहीं थे।

(ङ) मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्यों की अनियमित स्वीकृति।

लेखा परीक्षा ने पाया कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियां मरम्मत और अनुरक्षण कार्यों पर व्यय की गई, जो दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमेय नहीं है।

(च) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों से सामान की खरीद।

दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 5.46 करोड़ रुपये की स्टॉक सामग्री का क्रय किया गया।

(छ) धार्मिक पूजा स्थलों पर अनियमित क्रय।

धार्मिक पूजा स्थलों के कार्यों पर दिशा निर्देशों में प्रतिबंध है। लेखा परीक्षा ने ऐसे कई मामले उठाए जहां धार्मिक पूजा स्थलों के कार्य योजना के अंतर्गत कराए गए थे।

(ज) स्मारकों पर अनियमित व्यय।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में स्मारकों के निर्माण की अनुमति नहीं है। लेखा परीक्षा ने सात निर्वाचन क्षेत्रों सहित पांच राज्यों में स्मारक भवनों के निर्माण पर 54.55 लाख रुपये का अनियमित व्यय पाया।

(झ) ऋणों अनुदानों तथा चंदों की अनियमित स्वीकृति

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रावधानों के विरुद्ध ऋणों, अनुदानों तथा चंदों कुल 81.45 लाख रुपये की अनियमित स्वीकृति दी गई।

(ञ) निधियों का संदिग्ध घोटाला/दुर्विनियोजन

लेखा परीक्षा ने सूचित किया है कि सात प्रतिदर्श राज्यों में कुल 118.36 लाख रुपये की धनराशि के संदिग्ध घोटाले/दुर्विनियोजन के 13 मामले थे।

(ट) अपूर्ण/छोड़े गए कार्य

14 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के 31 निर्वाचन क्षेत्रों में 99 कार्यों को भूमि के स्वामित्व के विवाद, निधियों की अपर्याप्त उपलब्धता, स्थानीय लोगों/सरकारी विभागों द्वारा उठाए गए विवादों के कारण बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया।

समग्र रूप से, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का निष्कर्ष है कि लेखा परीक्षा के निष्कर्ष सांसद स्थानीय क्षेत्र का विकास योजना के संचालन में, अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सांसदों द्वारा अनुशंसा की अवस्था में तथा जिले के अधिकारियों द्वारा निष्पादन की अवस्था में योजना की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफलता, और योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और इसके प्रबोधन में असफलताएं दर्शाते हैं। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने अनुशंसा

की है कि इस योजना ने अपने मुख्य उद्देश्य को बिल्कुल पूरा नहीं किया है तथा इस दृष्टि से, केन्द्र सरकार को योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान व्यवस्था की गहन समीक्षा करने की आवश्यकता है।

*[अनुवाद]*

**केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए मामले**

***552. श्री शिवाजी माने:**
**श्री विनय कुमार सोराके:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) के अधीन जांच हेतु कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) उनमें से कितने मामले एक दशक से ज्यादा समय से लंबित हैं;

(ग) असाधारण विलम्ब के कारण क्या हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अंतर्गत कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ङ) सभी लम्बित मामलों को कब तक पूर्ण कर लिए जाने की संभावना है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री ( श्रीमती वसुन्धरा राजे ):** (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार, फरवरी 28, 2001 को मौजूद स्थिति के अनुसार, 1677 मामले उसके अन्वेषण के अधीन चल रहे थे।

(ख) और (ग) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के पास अन्वेषण के अधीन चल रहे उपर्युक्त मामलों में से, चार मामले एक दशक से भी अधिक समय से अन्वेषण के अधीन चले आ रहे हैं। जैसा कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बताया है, इन चार मामलों के अन्वेषण में विलंब के कारण, अन्वेषण के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया स्थगन-आदेश, उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में दायर की गई वादकालीन पुनरीक्षण-याचिकाएँ और विदेशों में अन्वेषण करवाने हेतु न्यायालयों द्वारा जारी अनुरोध-पत्रों का तामील नहीं किया जाना है।

(घ) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान, शासकीय गुप्त बात अधिनियम के तहत वर्ष, 1998 और 1999 में एक-एक, अर्थात् कुल दो मामले दर्ज किए गए।

(ङ) जबकि लंबित चल रहे सभी 1677 मामलों के अंतिम रूप से निबटा दिए जाने के बारे में लगने वाला समय बता पाना संभव नहीं है, फिर भी, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा, अन्वेषण के अधीन चल रहे मामलों की संख्या कम करने की कार्य-योजना तैयार की गई है। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा मामलों के अन्वेषण में कम विलंब होने देने और अन्वेषण के अधीन लंबित चल रहे मामलों की संख्या कम करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

*[हिन्दी]*

**पल्स पोलियो अभियान**

***553. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पल्स पोलियो अभियान सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि अनेक इलेक्ट्रानिक और समाचार-पत्र माध्यमों ने उपर्युक्त अभियान की सफलता के बारे में संदेह व्यक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन शंकाओं को देखते हुए कई स्थानों पर पल्स पोलियो की दवा नहीं पिलाई गई;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ए. राजा ):** (क) और (ख) देश में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। सूचित की गई कवरेज 1996 में करीब 12 करोड़ बच्चों से बढ़ाकर 21 जनवरी, 2001 को आयोजित किए गए नवीनतम दौर के दौरान करीब 16 करोड़ हो गई है। पोलियो रोगियों की संख्या में भी महत्वपूर्ण कमी हुई है जो 1998 में सूचित किए गए 1934 पोलियो रोगियों से घटकर 2000 में सूचित किए गए सिर्फ 265 रोगी रह गई है। 2001 के दौरान, अब तक सिर्फ 8 रोगियों की सूचना मिली है

और इसका स्पष्ट संकेत है कि 2 फरवरी, 2001 के बाद पांच सप्ताहों के दौरान देश में किसी भी पुष्ट रोगी का पता नहीं चला है।

(ग) और (घ) पूर्व में इलेक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया द्वारा मुखीय पोलियो वैक्सीन के सेवन के कारण मौतें/नपुंसकता/एच.आई.वी. इत्यादि होने के बारे में कुछ संदेह उत्पन्न किए गए थे। मुखीय पोलियो वैक्सीन के सेवन के परिणामस्वरूप सूचित मौतों की छानबीन की गई है तथा इन्हें मुखीय पोलियो वैक्सीन से नहीं बल्कि अन्य कारणों से संबंधित पाया गया। मुखीय पोलियो वैक्सीन के बारे में ये समाचार कि इससे नपुंसकता, एच.आई.वी./एड्स होता है, पूर्णतया बेबुनियाद एवं निराधार हैं।

(ङ) से (छ) कुछ ऐसे दृष्टांत थे जहां लोगों के कुछ वर्गों ने मुखीय पोलियो वैक्सीन के बारे में आशंकाएं व्यक्त की कि इससे नपुंसकता इत्यादि उत्पन्न होती हैं। इन आशंकाओं को सामुदायिक नेताओं, प्रभावीशाली व्यक्तियों तथा तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से दूर कर दिया गया और मुखीय पोलियो वैक्सीन के सेवन के प्रति इन परिवारों की अरुचि पर पार पा लिया गया था।

*[अनुवाद]*

## स्वास्थ्य संबंधी देखभाल

***554. श्री सईदुज्जमा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या देश में गर्भाशय ग्रीवा तथा विशेष रूप से महिलाओं में स्तन कैंसर जैसे रोगों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से कमजोर वर्गों में क्या यह नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच/निगरानी न होने के कारण है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे कार्यों में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने तथा उनकी सेवाओं का उपयोग करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) और (ख) पिछले दशक में जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों से डेटा के सामयिक रूझान विश्लेषण से शहरी कैंसर रजिस्ट्रियों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच कैंसर की समग्र घटना में थोड़ी लेकिन महत्वपूर्ण वृद्धि होने का पता चला है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद रजिस्ट्रियों से 1982-1994 के बीच बंगलौर, मुम्बई, मद्रास, दिल्ली और भोपाल में महिलाओं के बीच स्तन कैंसर की घटना दर में वृद्धि होने का पता चला है। बंगलौर और मद्रास में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की आयु समंजित घटना दर में कमी होने का पता चला। तथापि, इस परिवर्तन के सही कारण विदित नहीं हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक राज्य में एक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र को मान्यता देने, सरकारी मेडिकल कालेजों में ऑन्कोलाजी स्कंधों के विकास, सरकारी और पूर्त संगठनों में टेलि-थिरेपी एककों की संस्थापना के लिए अनुदानों और जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रमों के अलावा, गैर-सरकारी संगठनों को स्वास्थ्य शिक्षा शुरू करने, कैंसर का शीघ्र पता लगाने और उसकी रोकथाम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है।

## भारत-अमेरिका के बीच समझौते

***555. श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
**श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:**

**क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या भारत और अमेरिका ने सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर तथा सेवा उद्योग में द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समझौतों पर कब तक अमल किया जाएगा; और

(घ) इन समझौतों से भारतीय उद्योग को कहां तक लाभ मिलने की संभावना है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन):** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

## रक्षा सौदों की समीक्षा

***556 श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
**श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:**

**क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 मार्च, 2001 को दि स्टेट्समैन में "डिफैन्स डील्स टू बी रिब्यूड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही हुए तहलका रहस्योद्घाटन के बाद सरकार को विभिन्न रक्षा सौदों की पुन: जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा है;

(ग) क्या इससे सशस्त्र बलों का सारा आधुनिकीकरण कार्यक्रम ही प्रभावित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तहलका रहस्योद्घाटन से प्रभावित होने वाली रक्षा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और रक्षा बलों का सही समय पर आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह):** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) किसी भी रक्षा अधिप्राप्ति की पुन: जांच का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है, अत: जब भी रक्षा परियोजनाओं की कोई पुनरीक्षा की जाती है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उससे देश की रक्षा तैयारियों पर कोई आंच न आए।

**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाना**

***557. श्री वरकला राधाकृष्णन:**
**श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर अस्पताल स्तर तक करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर अस्पताल के स्तर तक किया गया;

(ग) क्या देश में अधिकांश ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों में मूलभूत ढांचे अर्थात् औषधियों, प्रशिक्षित चिकित्सकों (विशेषज्ञों) तथा भेषजज्ञों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो जनशक्ति और मूलभूत ढांचे के अभाव में इन केन्द्रों को खोल जाने के पीछे क्या औचित्य है और

(ङ) इन केन्द्रों में चिकित्सकों की रिक्तियां भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) और (ख) सरकार ने राज्य सरकारों को 25% प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पतालों की स्थापना करने की सलाह दी है। उन्नयन किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्थान चयन करते समय केवल उन क्षेत्रों का चयन किया जाए जहां पर्याप्त दूरी के भीतर कोई रैफरल सुविधाएं नहीं हैं। ज़िला मुख्यालय से अत्यधिक दूर स्थित क्षेत्रों और पिछड़े, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों को अधिमान दिया जाना चाहिए। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कवर करना चाहिए, उसमें 30 पलंग, काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, बाल चिकित्सा, प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान और जनस्वास्थ्य में प्रशिक्षित और अर्हता प्राप्त विशेषज्ञ होने चाहिए। प्रति एक लाख जनसंख्या के लिए लगभग 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल होना चाहिए।

चूंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों की स्थापना करना संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है, उपरोक्त मानदण्डों को नहीं अपनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप ज्यादातर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों की स्थापना उन्नयन करने के बजाए नए सिरे से की गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है। रोगी को प्रथम रैफरल परिचर्या प्रदान करने के उद्देश्य जिला अस्पताल/उप-जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों जैसी द्वितीयक स्तरीय सुविधाओं के उन्नयन और आधुनिकीकरण के उद्देश्य से इस समय सात राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में द्वितीयक स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ किया जा रहा है।

(ग) और (घ) सरकार को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के भीतर स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे और जनशक्ति के बीच कुछ अंतरालों और इसके इष्टतम स्तर से कम कार्य करने के बारे में पता है। ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं के इष्टतम स्तर से कम कार्य करने के जिम्मेवार कुछ कारण इस प्रकार हैं:

* संस्थाओं का मल्टीपलटीयर जो समय-समय पर सृजित किया गया था, को एक निश्चित जनसंख्या की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए संगठित नहीं किया जा रहा है।
* अनुपयुक्त अवस्थिति, कम पहुंच और कम रखरखाव।
* महत्वपूर्ण जनशक्ति में अंतराल ।
* अनिवार्य औषधों/नैदानिक साधनों की कमी।
* कम रैफरल संबद्धता (लिंकेजिज)।

प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं के कार्यकरण में सुधार के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

* उपकेन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण/उचित स्थान निर्धारण।
* ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों/औषधालयों का विलय, पुनर्संरचना, पुन: निर्धारण और उन्हें मौजूदा आधारभूत ढांचें के साथ एकीकृत करना।
* कुछ राज्यों में मौजूदा ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तालुक, उप प्रभागीय अस्पतालों की पुनर्संरचना।
* जनशक्ति और सुविधाओं में महत्वपूर्ण अंतरों को पूरा करने हेतु बी.एम.एस. और ई.ए.पी. के लिए वी.एम.एस., ए.सी.ए. से निधियों का उपयोग करना।
* प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अंतरों को पूरा करने और संविदात्मक नियुक्तियों/ए.एन.एम./लेडी डाक्टरों/विशेषज्ञों की सेवाएं किराए पर लेने के लिए अपेक्षित अर्हताओं के डाक्टरों की नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर वाक-इन इन्टरव्यू।
* चल स्वास्थ्य क्लिनिकों का इस्तेमाल।
* वर्तमान में आधारभूत ढांचे में महत्वपूर्ण अंतरों को कवर करते हुए स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अधीन अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से वित्तपोषण किया जाता है।
* प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम के अधीन राज्यों को छोटी/बड़ी मरम्मत और अनुरक्षण आदि के लिए निधियां विमुक्त की जा रही हैं।

(ङ) चूंकि डाक्टरों की नियुक्ति और तैनातियां पूर्ण रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है, इसलिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की रिक्तियों को भरने के लिए समुचित उपाय करें।

1999 में आयोजित किए गए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के छठे सम्मेलन के संकल्प के अनुसरण में राज्यों को सलाह दी गई है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में अर्हता प्राप्त डाक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित उपाय करें:-

* डाक्टरों की विकेन्द्रीकृत भर्ती का सहारा लेना।
* डाक्टरों की संविदा के आधार पर नियुक्ति करना।
* नए स्नातकों के लिए 3 वर्ष के लिए ग्रामीण सेवा को अनिवार्य बनाना।
* उन सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 3 वर्ष तक कार्य किया है, मेडिकल कालेजों में 25 प्रतिशत स्नातकोत्तर सीटें आरक्षित करना।

डाक्टरों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम उपाय ये हैं:-

* राज्य सरकार को संविदा के आधार पर संवेदनाहरण विज्ञानियों और विशेषज्ञों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है।
* कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ को मानदेय देकर चौबीसों घंटे प्रसव सेवाएं शुरू की गई हैं।
* हर महीने कम से कम दो बार एम.टी.पी. सेवाएं प्रदान करने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जाने के लिए परामर्शदाता डाक्टरों की सेवाएं संविदा के आधार पर किराए पर लेने की व्यवस्था है।
* सेवा प्रदानगी हेतु गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाता है।
* प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी में भारतीय चिकित्सा पद्धति के व्यवसायियों को शामिल किया जा रहा है।

सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 अंगीकार की है जो ग्रामीण क्षेत्रों और विविध स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों वाले अन्य अल्पसेवित वर्गों में प्रशिक्षित चिकित्सा कार्मिकों की मौजूदा संख्या में निम्नलिखित द्वारा वृद्धि करने की आवश्यकता पर देती है, उदाहरणार्थ:-

* लाइसेंसशुदा चिकित्सा व्यवसायियों की पहले की पद्धतियों को पुनर्जीवित करना।
* सार्वजनिक-निजी सहभागिता में वृद्धि करना और उसका आवर्धन तथा गैर-सरकारी/निजी व्यवसायियों के लिए एक भूमिका प्रदान करना।

* उन प्राइवेट चिकित्सा व्यवसायियों, जिन्हें भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा उपयुक्त सत्यापन के बाद प्रत्यायित किया जा सकता है, को एक अनुचर (सैटेलाइड) जनसंख्या सौंपना।

* परामर्श और हिमायत में गैर चिकित्सीय भाईचारे को शामिल करना।

* हिमायत, परामर्श और क्लिनिक सेवाओं में वृद्धि करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करना।

*विवरण*

*पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्जा बढ़ाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 1998-99 | | | 1999-2000 | | | 2000-2001 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सा.स्वा. केन्द्रों के रूप में दर्जा बढ़ाए गए प्रा.स्वा.के. | अस्पतालों के रूप में दर्जा बढ़ाए गए सा. स्वा. के . | वर्ष के दौरान स्थापित किए गए सा.स्वा. केन्द्र | सा.स्वा. केन्द्रों के रूप में दर्जा बढ़ाए गए प्रा.स्वा.के. | अस्पतालों के रूप में दर्जा बढ़ाए गए सा. स्वा. के. | वर्ष के दौरान स्थापित किए गए सा.स्वा. केन्द्र | सा.स्वा. केन्द्रों के रूप में दर्जा बढ़ाए गए प्रा.स्वा.के. | अस्पतालों के रूप में दर्जा बढ़ाए गए सा. स्वा. के. | वर्ष के दौरान स्थापित किए गए सा.स्वा. केन्द्र |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – |
| 3. | असम | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | बिहार | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. | गोवा | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6. | गुजरात | – | – | 18 | – | – | 18 | – | – | 9 |
| 7. | हरियाणा | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | – | – | 1 | 10 | – | – | – | – | – |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – |
| 10. | कर्नाटक | – | 5 | 7 | – | – | – | – | – | – |
| 11. | केरल | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – |
| 12. | मध्य प्रदेश | 124 | – | 20 | – | – | – | – | – | – |
| 13. | महाराष्ट्र | – | – | 2 | – | – | 40 | – | – | 1 |
| 14. | मणिपुर | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15. | मेघालय | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16. | मिजोरम | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| 17. | नगालैंड | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – |
| 18. | उड़ीसा | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | पंजाब | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20. | राजस्थान | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 21. | सिक्किम | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22. | तमिलनाडु | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23. | त्रिपुरा | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24. | उत्तर प्रदेश | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25. | पं. बंगाल | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
| 26. | अं. एवं नि. द्वीपसमूह | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27. | चंडीगढ़ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28. | दा. एवं ना. हवेली | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29. | दमन एवं दीव | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30. | दिल्ली | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31. | लक्षद्वीप | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32. | पांडिचेरी | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

(आंकड़े अनंतिम)

*[हिन्दी]*

## गोपनीय दस्तावेजों का प्रकाशन

***558. श्री विजय गोयल:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् वहां की वर्तमान सरकार अपने गोपनीय दस्तावेजों को अवर्गीकृत बताकर सार्वजनिक कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनमें भारत से संबंधित अनेक दस्तावेज समय-समय पर अनेक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की इन दस्तावेजों को भारत में लाने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) :** (क) सरकार को रूसी परिसंघ की सरकार द्वारा पहले गुप्त दस्तावेजों को गुप्त दस्तावेजों की सूची में से हटाए जाने की जानकारी है।

(ख) सरकार को भारत से संबंधित ऐसे दस्तावेजों, जिन्हें गुप्त सूची में से हटाया गया है, के समाचार-पत्रों में किसी प्रकाशन की जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) इस समय भारत सरकार और रूसी परिसंघ की सरकार के बीच गुप्त सूची में से हटाए गए इन दस्तावेजों को रूसी परिसंघ से भारत लाने के लिए कोई करार नहीं है।

## अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम

***559. श्री राम टहल चौधरी:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करने हेतु केन्द्रीय सहायता के संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में आज तक, प्रत्येक राज्य को स्वीकृत/जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी):** (क) भारत सरकार अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:-

(1) अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

(2) अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(3) अन्य पिछड़े वर्ग के लड़कों तथा लड़कियों के लिए होस्टल, तथा

(4) अन्य पिछड़े वर्ग के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग।

इस योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर इन योजनाओं के उपबंधों के अनुरूप उपलब्ध कराई जाती है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम आकांक्षा ऋण योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव तथा उन्हें निर्मुक्त निधियां इस प्रकार हैं:-

**1. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति**

(रु. लाख में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 1998-99 निर्मुक्त निधियां | 1999-2000 निर्मुक्त निधियां | 2000-2001 निर्मुक्त निधियां |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बिहार | 84.60 | शून्य | शून्य |
| 2. | आंध्र प्रदेश | शून्य | 325.00 | शून्य |
| 3. | मध्य प्रदेश | 64.00 | शून्य | शून्य |
| 4. | त्रिपुरा | 1.40 | 100.00 | 95.79 |
| 5. | मणिपुर | शून्य | शून्य | 16.00 |
| 6. | असम | शून्य | शून्य | 62.50 |
| 7. | कर्नाटक | शून्य | शून्य | 425.71 |
| | कुल | 150.00 | 425.00 | 600.00 |

**2. अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को भारत में अध्ययन के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति**

(रु. लाख में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 1998-99 निर्मुक्त निधियां | 1999-2000 निर्मुक्त निधियां | 2000-2001 निर्मुक्त निधियां |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | बिहार | 196.50 | शून्य | शून्य |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 116.00 | 324.26 | 559.25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | मध्य प्रदेश | 149.00 | शून्य | शून्य |
| 4. | त्रिपुरा | 3.00 | 55.00 | शून्य |
| 5. | कर्नाटक | शून्य | 118.00 | 110.72 |
| 6. | मणिपुर | शून्य | शून्य | 91.36 |
| 7. | गोवा | शून्य | शून्य | 25.00 |
| 8. | असम | शून्य | शून्य | 94.47 |
| 9. | जम्मू एवं कश्मीर | शून्य | शून्य | 8.00 |
| 10. | उत्तर प्रदेश | शून्य | शून्य | 40.20 |
| | कुल | 464.50 | 497.26 | 899.00 |

**3. अन्य पिछड़े वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टल**

(रु. लाख में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 1998-99 निर्मुक्त निधियां | 1999-2000 निर्मुक्त निधियां | 2000-2001 निर्मुक्त निधियां |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बिहार | 120.53 | शून्य | शून्य |
| 2. | आंध्र प्रदेश | शून्य | 144.26 | शून्य |
| 3. | मध्य प्रदेश | 10.00 | शून्य | शून्य |
| 4. | राजस्थान | शून्य | 57.48 | शून्य |
| 5. | कर्नाटक | शून्य | 78.26 | 18x.23 |
| 6. | सिक्किम | शून्य | 20.00 | शून्य |
| 7. | त्रिपुरा | शून्य | शून्य | 10.00 |
| 8. | तमिलनाडु | शून्य | शून्य | 259.86 |
| 9. | मणिपुर | शून्य | शून्य | 46.91 |
| | कुल | 130.53 | 300.00 | 500.00 |

**4. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग**

(रु. लाख में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 1998-99 निर्मुक्त निधियां | 1999-2000 निर्मुक्त निधियां | 2000-2001 निर्मुक्त निधियां |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | असम | 6.78 | शून्य | शून्य |
| 2. | केरल | 3.33 | शून्य | शून्य |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | मध्य प्रदेश | 5.19 | 2.13 | शून्य |
| 4. | उड़ीसा | 2.12 | 0.85 | 0.01 |
| | कुल | 17.42 | 2.98 | 0.01 |

**5. आकांक्षा कृषि योजना (राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा कार्यान्वित)**

(रु. लाख में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 1998-99 निर्मुक्त निधियां | 1999-2000 निर्मुक्त निधियां | 2000-2001 निर्मुक्त निधियां |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बिहार | शून्य | 0.55 | शून्य |
| 2. | मध्य प्रदेश | 0.59 | 0.33 | शून्य |
| 3. | पांडिचेरी | 0.11 | शून्य | शून्य |
| 4. | तमिलनाडु | 2.45 | 0.72 | 0.48 |
| | कुल | 3.15 | 1.60 | 0.48 |

*[अनुवाद]*

**सॉफ्टवेयर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा**

***560. श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सॉफ्टवेयर क्षेत्र में चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में भारत में हुए विकास की तुलना में चीन ने कितनी सफलता प्राप्त की है; और

(ग) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चीन और अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन):** (क) चीन सॉफ्टवेयर क्षेत्र में बराबरी के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। वे काफी संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायविदों को अंग्रेजी में प्रशिक्षण भी दे रहे हैं।

(ख) भारत द्वारा किए गए 6.24 बिलियन अमरीकी डॉलर के सॉफ्टवेयर निर्यात की तुलना में चीन का सॉफ्टवेयर निर्यात 1.2 बिलियन अमरीकी डॉलर है।

(ग) सरकार ने अपने प्रतिस्पर्धियों पर सूचना प्रौद्योगिकी कुशलताओं में बढ़त बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न कदम उठाए हैं जिसमें स्मार्ट स्कूलों की स्थापना, आभासी विश्वविद्यालयों का संवर्धन, इलेक्ट्रॉनिक विभाग कम्प्यूटर पाठ्यक्रम मान्यता (डीओईएसीसी) योजना के जरिए अनौपचारिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों में (आरईसी) तथा अन्य इंजीनियरी कॉलेजों में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों में विद्यार्थियों की भर्ती में वृद्धि करना शामिल है।

*[हिन्दी]*

**प्रवासी भारतीयों को प्रतिनिधित्व**

**5641. डा. जसवंत सिंह यादव:**
**श्री सुरेश रामराव जाधव:**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रवासी भारतीयों को संसद में प्रतिनिधित्व देने के संबंध में कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में किन पहलुओं का अध्ययन किये जाने का विचार है; और

(घ) यह समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक सौंप देगी?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णम राजू):** (क) जी नहीं। तथापि, अप्रवासी भारतीयों और पी आई ओ की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति गठित कर ली गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**संविधान की नौवीं अनुसूची में संशोधन**

**5642. श्री राजेश वर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति और पदोन्नति के संबंध में आरक्षण की नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और इसे क्रियान्वित न करने अथवा क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न करने के लिए दण्ड का विधान करने के उद्देश्य से, संविधान की नौवीं अनुसूची में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में विधेयक सभा में कब तक पेश किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) से (घ) ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा आरक्षण के बारे में जारी कार्यकारी अनुदेश, संविधान के अनुच्छेद 16 (4) से मिले प्राधिकार से सम्पुष्ट हैं और ये अनुदेश, "कानून" के अर्थ के अन्तर्गत आते हैं। इन अनुदेशों की विधिक वैधता, इंदिरा साहनी के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष रूप से वैध ठहराई गई है। उपर्युक्त नीति के कार्यान्वयन में किसी कानूनी कमी की आशंका नहीं की गई है। उभरती आवश्यकताएं पूरी करने की दृष्टि से, उपर्युक्त कार्यकारी अनुदेशों में, लचीलेपन की सुविधा है और ऐसा लचीलापन सदैव विधायी अधिनियमन से मुहैया नहीं करवाया जा सकता। आरक्षण के बारे में उपर्युक्त कार्यकारी अनुदेशों का पालन नहीं किया जाना, कदाचार के बराबर है और ऐसा कदाचार, दोषी कार्मिकों को, आचरण-नियमों के अनुसार, अनुशासनिक कार्रवाई का भागी बनाता है।

**रोजगार के अवसरों का सृजन**

**5643. श्री बसुदेव आचार्य:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में उद्योगों की स्थापना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए राज्यवार क्या उपाए किए जा रहे हैं; और

(ख) बेरोजगारी के मद्देनजर उद्योगों की स्थापना हेतु स्थानों के चयन के बारे में क्या मानदंड अपनाया गया है?

**वित्तिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी):** (क) और (ख) राज्य स्तर पर सम्पूर्ण आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। फिर भी, शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार अवसर सृजित करने को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार 1993 से प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई) कार्यान्वित कर रही है। पीएमआरवाई का उद्देश्य 18-35 वर्ष की आयु समूह के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 24000 रुपये/या उससे कम है, रोजगार/स्वरोजगार प्रदान करना है।

पीएमआरवाई के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 के दौरान हुई प्रगति का सार राज्यवार संलग्न विवरण में दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार भी ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में नई यूनिटों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत आधारित संरचना विकास केन्द्रों (आईआईडीसी) को स्थापित करने की एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में आधारिक संरचना सुविधाएं बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को प्रत्येक आईआईडीसी के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) के माध्यम से 3 करोड़ रुपये का ऋण और वित्तीय सहायता के रूप में 2 करोड़ रुपये प्रदान किए जाते हैं।

**विवरण**

*पीएमआरवाई के अंतर्गत हुई प्रगति का सार वर्ष 1999-2000 हेतु*

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | लक्ष्य | आवेदन-पत्रों की संख्या | | बैंकों द्वारा संवितरित मामलों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | बैंकों से प्राप्त | बैंकों द्वारा संस्वीकृत | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **उत्तरी क्षेत्र** | | | | |
| 1. | हरियाणा | 7500 | 13196 | 7123 | 3854 |
| 2. | हिमाचल प्रदेश | 2500 | 3776 | 2144 | 1690 |
| 3. | जम्मू व कश्मीर | 4000 | 2407 | 1157 | 747 |
| 4. | पंजाब | 9000 | 18621 | 9547 | 6749 |
| 5. | राजस्थान | 16100 | 28571 | 14867 | 7617 |
| 6. | चंडीगढ़ | 100 | 128 | 69 | 42 |
| 7. | दिल्ली | 4800 | 4829 | 899 | 510 |
| | **पूर्वोत्तर क्षेत्र** | | | | |
| 8. | असम | 12800 | 15318 | 7826 | 2991 |
| 9. | मणिपुर | 1350 | 1329 | 881 | 158 |
| 10. | मेघालय | 550 | 619 | 524 | 287 |
| 11. | नागालैंड | 200 | 85 | 66 | 42 |
| 12. | त्रिपुरा | 1300 | 1540 | 1029 | 162 |
| 13. | अरुणाचल प्रदेश | 500 | 512 | 410 | 105 |
| 14. | मिजोरम | 350 | 542 | 220 | 31 |
| 15. | सिक्किम | 150 | 119 | 58 | 40 |
| | **पूर्वी क्षेत्र** | | | | |
| 16. | बिहार | 21800 | 19447 | 10254 | 5392 |
| 17. | उड़ीसा | 12150 | 16630 | 7965 | 680 |
| 18. | पश्चिम बंगाल | 22800 | 12024 | 3314 | 1982 |
| 19. | अंडमान व निकोबार | 200 | 333 | 125 | 94 |
| | **मध्य क्षेत्र** | | | | |
| 20. | मध्य प्रदेश | 31600 | 62410 | 29209 | 11234 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 52000 | 84150 | 43769 | 29583 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **पश्चिम क्षेत्र** | | | | |
| 22. | गुजरात | 14600 | 17868 | 10654 | 9620 |
| 23. | महाराष्ट्र | 43600 | 66232 | 34207 | 20238 |
| 24. | दमन व दीव | 50 | 30 | 17 | 16 |
| 25. | गोवा | 600 | 798 | 481 | 380 |
| 26. | दादरा व नगर हवेली | 50 | 42 | 36 | 25 |
| | **दक्षिणी क्षेत्र** | | | | |
| 27. | आंध्र प्रदेश | 33600 | 32972 | 20721 | 10448 |
| 28. | कर्नाटक | 22200 | 31273 | 16652 | 8306 |
| 29. | केरल | 24000 | 28730 | 16325 | 10291 |
| 30. | तमिलनाडु | 15000 | 28126 | 13426 | 9183 |
| 31. | लक्षद्वीप | 50 | 88 | 31 | 19 |
| 32. | पांडिचेरी | 550 | 699 | 402 | 207 |
| | विनिर्दिष्ट नहीं | | | | |
| | अखिल भारत | 356050 | 493444 | 254408 | 142723 |

स्रोत : आर बी आई डाटा।

## कार्य अनुज्ञप्ति

**5644. श्री अनिल बसु:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार और बंगलादेश सरकार के बीच बांग्लादेशियों के लिए कार्य अनुज्ञप्ति और भारतीयों के लिए सदृश्य पारस्परिक व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव पर विचार-विमर्श पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू):** (क) से (ग) भारत और बंगलादेश के बीच वीजा व्यवस्थाओं की व्यापक आधार पर समीक्षा की जा रही है।

*[हिन्दी]*

## लम्बित योजनाएं

**5645. श्री राजो सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास बिहार राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दिए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में**

**राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए राष्ट्रीय परामर्शदात्री परिषद**

**5646. श्री जय प्रकाश: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय परामर्शदात्री परिषद का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित परिषद का गठन कब तक कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (ग) सरकार ने प्राकृतिक चिकित्सा के विकास, संवर्धन और प्रचार के लिए केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे की पहले ही स्थापना की है।

*[अनुवाद]*

**पांचवां वेतन आयोग**

**5647. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट श्रेणी-3 और श्रेणी-1 के लिए क्रमश: रु. 5500-9000 तथा रु. 7500-12000 रु. के उच्च वेतनमानों की स्वीकृति के लिए पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसकी जांच कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है?

**विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी):** (क) जी, नहीं।

(ख) यदि पांचवें केन्द्रीय आयोग की सिफारिशों को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया जाता है तो डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड 3 को 5500-9000 रु. और टाडा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड - 1 को 7500-12000 रु. का वेतनमान मिलेगा जो इस समय क्रमश: 5000-8000 रु. और 7450-11500 रु. का वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) मामले की वित्त मंत्रालय से परामर्श करके जांच की जा रही है और ज्यों ही वित मंत्रालय से प्रस्ताव पर सहमति मिल जाएगी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इस बाबत आदेश जारी करेगा।

**बामियान बौद्ध प्रतिमा की अनुकृति का निर्माण**

**5648. श्री किरीट सोमैया: क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका के प्रमुख बौद्ध संगठन भारत से श्रीलंका में बामियान बौद्ध प्रतिमा की अनुकृति के निर्माण में सहायता की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने श्रीलंका द्वारा अपेक्षित आवश्यक सूचना और दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू):** (क) से (घ) श्रीलंका की महाबोधी सोसायटी ने बामियान में नष्ट की गई बुद्ध की मूर्तियों के स्पष्ट चित्रों को प्राप्त करने में सहायता की मांग की है ताकि इनके प्रतिरूप बनाने में स्थानीय मूर्तिकारों को मदद मिल सके। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास उपलब्ध कुछ चित्रों की प्रतियां श्रीलंकाई प्राधिकारियों को भेजी गई हैं।

*[हिन्दी]*

**कैंसर का उन्मूलन**

**5649. श्री रामदास रूपला गावीत:**
**श्री राजो सिंह:**

**क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कैंसर के उन्मूलन के लिए सरकार को विदेशी अभिकरणों द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कैंसर के निवारण और उपचार के लिए व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि में इस संबंध में अब तक क्या परिणाम हासिल किए गए;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में विशेष वार्ड स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार कैंसर के इलाज हेतु अलग कैंसर अस्पतालों/केन्द्रों को खोलने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) चालू द्विवर्ष 2000-01 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकलापों के लिए लगभग 6,00,000 अमरीकी डालर आवंटित किए हैं। पिछले द्विवर्ष 1998-99 में यह आवंटन 3,53,000 अमरीकी डालर था।

(ख) 1998-99 के द्विवर्ष में खर्च की गई धनराशि संलग्न विवरण में है।

(ग) इन कार्यकलापों को सफलतापूर्वक चलाया गया।

(घ) ऐसे किसी प्रस्ताव की योजना नहीं बनाई गई है अथवा ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ङ) लागू नहीं है।

(च) से (ज) केन्द्र सरकार के पास कैंसर के निवारण और उपचार के लिए विभिन्न राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना है।

***विवरण***

*राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत डब्ल्यू एच ओ द्विवार्षिक 1998-99 के ब्यौरे*

| क्र.सं. | मद | मात्रा (अमरीकी डालर) | राशि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पेप स्मीयर किट | 1 लाख | 75,000 | सूची संलग्न तालिका 1 |
| 2. | मारफीन टेबलेट | 10एम जी × 50 लाख<br>60 एम जी × 4 लाख | 1,85,000 | -तदैव-<br>तालिका 2 |
| 3. | केन स्केन साफ्टवेयर | 11 | 11,000 | -तदैव-<br>तालिका 3 |
| 4. | प्रशिक्षण कार्यक्रम | 16 | 59,500 | -तदैव-<br>तालिका 4 |
| | | कुल | 3,30,500 | |

**तालिका-1 : पेप स्मीयर किटों के लिए परेषितियों के पते**

| क्र.सं. | नाम और पता | मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | डा. पी.एस. प्रभाकरन,<br>प्रो. एंड हैड,<br>डिपार्टमेंट आफ सर्जीकल आन्कोलाजी,<br>किदवई मेमोरियल इन्स्ट. आफ अन्कोलाजी,<br>डा. एम. एच. मरीगोवडा रोड,<br>बंगलौर-560029 (कर्नाटक) | 8000 किट |
| 2. | डा. डी.डी. पटेल,<br>निदेशक,<br>गुजरात कैंसर रिसर्च इन्स्टीट्यूट,<br>न्यू सिविल हास्पीटल कम्पाउंड,<br>अर्सवा, अहमदाबाद-380016<br>(गुजरात) | 8000 किट |
| 3. | डा. ए. के. गोविला,<br>निदेशक, | 8000 किट |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | कैंसर हास्पीटल एंड रिसर्च इन्स्ट.<br>मंदर की माता,<br>ग्वालियर-474009 (मध्य प्रदेश) | |
| 4. | डा. (सुश्री) वी. शान्ता,<br>कैंसर इन्स्टीट्यूट,<br>अडयार, चेन्नई-600020<br>(तमिलनाडु) | 8000 किट |
| 5. | डा. एम. कृष्ण नायर,<br>रीजनल कैंसर सेन्टर,<br>मेडिकल कालेज कैम्पस,<br>त्रिवेन्द्रम-695011 (केरल) | 8000 किट |
| 6. | डा. सी. नायक,<br>रीजनल सेन्टर फार कैंसर<br>रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सोसायटी,<br>कटक-753007 (उड़ीसा) | 8000 किट |
| 7. | डा. एम. सिद्दीकी,<br>चित्तरंजन नेशनल कैंसर इन्स्ट.,<br>37, एस.पी. मुखर्जी रोड,<br>कलकत्ता-700026 (पश्चिम बंगाल) | 10,000 किट |
| 8. | डा. विनोट कोचुपिल्लै,<br>निदेशक,<br>इन्स्टीट्यूट रोटरी कैंसर हास्पीटल,<br>एम्स, अंसारी नगर,<br>नई दिल्ली 110029 | 10,000 किट |
| 9. | डा. ए. दिनशाव,<br>टाटा मेमोरियल हास्पीटल,<br>इरनेस्ट बोरगेस मार्ग, पारेल,<br>मुम्बई-400012 (महाराष्ट्र) | 8000 किट |
| 10. | निदेशक,<br>कमला नेहरू मेमोरियल हास्पीटल,<br>इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश | 8000 किट |
| 11. | डा. सत्या प्रसाद राव,<br>निदेशक,<br>एम एन जे इन्स्टीट्यूट आफ आन्कोलाजी,<br>रीजनल कैंसर सेन्टर, रेड हिल्स,<br>हैदराबाद-500004 (आंध्र प्रदेश) | 8000 किट |
| 12. | डा. गाजी जी. अहमद,<br>निदेशक,<br>डा. बी.बी. कैंसर इन्स्टीट्यूट,<br>गोपीनाथ नगर,<br>गुवाहाटी-781016 (असम) | 8000 किट |

**तालिका 2 : परेषितियों के पते तथा मारफीन गोलियां**

| क्र.सं. | नाम और पता | मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | डा. पी.एस. प्रभाकरन,<br>प्रो. एंड हैड,<br>डिपार्टमेंट आफ सर्जीकल आन्कोलाजी,<br>किदवई मेमोरियल इन्स्ट. आफ आन्कोलाजी,<br>डा. एम. एच. मेरीगोवडा रोड,<br>बंगलौर-560029 (कर्नाटक) | 10 मि.ग्रा. की 4 लाख गोलियां<br>60 मि.ग्रा. की 30,000<br>गोलियां |
| 2. | डा. डी.डी. पटेल,<br>निदेशक,<br>गुजरात कैंसर रिसर्च इन्स्टीट्यूट,<br>न्यू सिविल हास्पीटल कम्पाउंड,<br>असंवा, अहमदाबाद-380016 (गुजरात) | 10 मि.ग्रा. की 4 लाख गोलियां<br>60 मि.ग्रा. की 30,000<br>गोलियां |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | डा. ए.के. गोवला,<br>निदेशक,<br>कैंसर हास्पीटल एंड रिसर्च इन्स्ट.<br>मंदरे की माता,<br>ग्वालियर-474009 (मध्य प्रदेश) | 10 मि.ग्रा. की 2 लाख गोलियां<br>60 मि.ग्रा. की 30,000<br>गोलियां |
| 4. | डा. (सुश्री) वी. शान्ता,<br>कैंसर इन्स्टीट्यूट<br>अडयार, चेन्नई-600020<br>(तमिलनाडु) | 10 मि.ग्रा. की 5 लाख गोलियां<br>60 मि.ग्रा. की 30,000<br>गोलियां |
| 5. | डा. एम. कृष्ण नायर,<br>निदेशक,<br>रीजनल कैंसर सेन्टर,<br>मेडिकल कालेज कैम्पस,<br>त्रिवेन्द्रम-695011 (केरल) | 10 मि.ग्रा. की 10 लाख<br>गोलियां<br>60 मि.ग्रा. की 30,000<br>गोलियां |
| 6. | डा. सी. नायक,<br>रीजनल सेन्टर फार कैंसर<br>रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सोसायटी,<br>कटक- 753007 (उड़ीसा) | 10 मि.ग्रा. की 4 लाख गोलियां<br>60 मि.ग्रा. की 30,000<br>गोलियां |
| 7. | डा. एम. सिद्दीकी,<br>चितरंजन नेशनल कैंसर इन्स्ट.,<br>37, एस.पी. मुखर्जी रोड,<br>कलकत्ता-700026 (पश्चिम बंगाल) | 10 मि.ग्रा. की 5 लाख गोलियां<br>60 मि.ग्रा, की 50,000<br>गोलियां |
| 8. | डा. विनोट कोचुपिल्लै,<br>निदेशक,<br>इन्स्टीट्यूट रोटरी कैंसर हास्पीटल,<br>एम्स, अंसारी नगर,<br>नई दिल्ली-110029 | 10 मि.ग्रा. की 5 लाख गोलियां<br>60 मि.ग्रा. की 50,000<br>गोलियां |
| 9. | डा. ए. दिनशाव,<br>टाटा मेमोरियल हास्पीटल,<br>इरनेस्ट बोरगेस मार्ग, पारेल,<br>मुम्बई-400012 (महाराष्ट्र) | 10 मि.ग्रा. की 4 लाख गोलियां<br>60 मि.ग्रा. की 30,000<br>गोलियां |
| 10. | निदेशक,<br>कमला नेहरू मेमोरियल हास्पीटल,<br>इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश | 10 मि.ग्रा. की 2 लाख गोलियां<br>60 मि.ग्रा. की 30,000<br>गोलियां |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 11. | डा. सत्या प्रसाद राव,<br>निदेशक,<br>एम एन जे इन्स्टीट्यूट आफ आन्कोलाजी,<br>रीजनल कैंसर सेन्टर, रेड हिल्स,<br>हैदराबाद-500004 (आंध्र प्रदेश) | 10 मि.ग्रा. की 2 लाख गोलियां<br>60 मि.ग्रा. की 30,000<br>गोलियां |
| 12. | डा. गाजी जी. अहमद,<br>निदेशक,<br>डा. बी.बी. कैंसर इन्स्टीट्यूट,<br>गोपीनाथ नगर,<br>गुवाहाटी-781016 (असम) | 10 मि.ग्रा. की 3 लाख गोलियां<br>60 मि.ग्रा. की 30,000<br>गोलियां |

**तालिका 3 : केन स्केन साफ्टवेयर के लिए प्रेषितियों के पते**

| क्रमांक | नाम और पता | मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | डा. पी.एस. प्रभाकरण,<br>आचार्य एवं अध्यक्ष,<br>डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलाजी,<br>किदवई मेमोरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ आन्कोलाजी,<br>डा. एम.एच. मारीगौडा रोड,<br>बंगलौर-560 029 (कर्नाटक) | 1 |
| 2. | डा. डी.डी. पटेल,<br>निदेशक, गुजरात कैंसर रिसर्च इन्स्टीट्यूट,<br>न्यू सिविल हास्पिटल कम्पाउंड, असर्वा रोड,<br>अहमदाबाद -380016 (गुजरात) | 1 |
| 3. | डा. ए. के. गोविला,<br>निदेशक, कैंसर हास्पिटल एंड रिसर्च इन्स्टीट्यूट,<br>मान्द्रे की माता,<br>ग्वालियर-474 009 (मध्य प्रदेश) | 1 |
| 4. | डा. (श्रीमती) वी. शांता,<br>कैंसर इन्स्टीट्यूट, अदयार, चैन्नई-600020<br>(तमिलनाडु) | 1 |
| 5. | डा. एम. कृष्णन् नायर,<br>निदेशक, रीजनल कैंसर सेंटर,<br>मेडिकल कालेज कैंपस,<br>त्रिवेन्द्रम-695011 (केरल) | 1 |
| 6. | डा. सी. नायक,<br>रीजनल सेंटर फार कैंसर,<br>रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सोसायटी,<br>कटक-753007 (उड़ीसा) | 1 |
| 7. | डा. विनोद कोचुपिल्लई,<br>निदेशक, इन्स्टीट्यूट रोटरी कैंसर हास्पिटल,<br>एम्स, अंसारी नगर,<br>नई दिल्ली- 110029 | 1 |
| 8. | डा. ए. दिन्शा,<br>टाटा मेमोरियल हास्पिटल,<br>अरनेस्ट बोर्ग्स मार्ग, परेल,<br>मुम्बई-400012 (महाराष्ट्र) | 1 |
| 9. | निदेशक,<br>कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल,<br>इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश | 1 |
| 10. | डा. सत्या प्रसाद राव,<br>निदेशक, एम.एन.जे. इन्स्टीट्यूट ऑफ आन्कोलाजी,<br>रीजनल कैंसर सेंटर, रेड हिल्स,<br>हैदराबाद-500004 (आंध्र प्रदेश) | 1 |
| 11. | डा. गाजी जी. अहमद,<br>निदेशक, डा. बी.बी. कैंसर इन्स्टीट्यूट,<br>गोपीनाथ नगर,<br>गुवाहाटी-781016 (असम) | 1 |

तालिका 4 : डब्ल्यू एच ओ द्विवार्षिक 1998-99 के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम

| क्रमांक | नाम और पता | मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | डा. पी.एस. प्रभाकरण,<br>आचार्य एवं अध्यक्ष,<br>डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलाजी,<br>किदवई मेमोरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ आन्कोलाजी,<br>डा. एम.एच. मारीगौडा रोड,<br>बंगलौर-560 029 (कर्नाटक) | 1. प्रा.स्वा. के. सा. स्वा. केंद्रों के चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण।<br>2. मुख कैंसर में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण। |
| 2. | डा. डी.डी. पटेल,<br>निदेशक, गुजरात कैंसर रिसर्च इन्स्टीट्यूट,<br>न्यू सिविल हास्पिटल कम्पाउंड, असर्वा रोड,<br>अहमदाबाद, -380016 (गुजरात) | प्रा. स्वा.के./सा.स्वा.के./जिले के चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण। |
| 3. | डा. ए. के. गोविला,<br>निदेशक, कैंसर हास्पिटल एंड रिसर्च इन्स्टीट्यूट<br>मान्द्रे की माता,<br>ग्वालियर-474 009 (मध्य प्रदेश) | प्रा. स्वा.के./सा.स्वा.के./जिले के चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण। |
| 4. | डा. (श्रीमती) वी. शांता,<br>कैंसर इन्स्टीट्यूट, अदयार, चैन्नई-600020<br>(तमिलनाडु) | प्रा. स्वा.के./सा.स्वा.के./जिले के चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण। |
| 5. | डा. एम. कृष्णन् नायर,<br>निदेशक, रीजनल कैंसर सेंटर,<br>मेडिकल कालेज कैंपस,<br>त्रिवेन्द्रम-695011 (केरल) | प्रा. स्वा.के./सा.स्वा.के./जिले के चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण। |
| 6. | डा. सी. नायक,<br>रीजनल सेंटर फार कैंसर,<br>रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सोसायटी,<br>कटक-753007 (उड़ीसा) | प्रा. स्वा.के./सा.स्वा.के./जिले के चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण। |
| 7. | डा. विनोद कोचुपिल्लई,<br>निदेशक, इन्स्टीट्यूट रोटरी कैंसर हास्पिटल,<br>एम्स, अंसारी नगर,<br>नई दिल्ली-110029 | 1. प्रा. स्वा.के./सा.स्वा.के./जिले के चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण।<br>2. राष्ट्रीय उपचार नीति पर कार्यशाला। |
| 8. | डा. ए. दिन्शा,<br>टाटा मेमोरियल हास्पिटल,<br>अरनेस्ट बोर्ग्स मार्ग, परेल,<br>मुम्बई-400012 (महाराष्ट्र) | 1. प्रा. स्वा.के./सा.स्वा.के./जिले के चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण।<br>2. स्तन कैंसर में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 9. | निदेशक,<br>कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल,<br>इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश | प्रा. स्वा.के./सा.स्वा.के./जिले के चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण। |
| 10. | डा. सत्या प्रसाद राव,<br>निदेशक, एम.एन.जे. इन्स्टीट्यूट ऑफ आन्कोलाजी,<br>रीजनल कैंसर सेंटर, रेड हिल्स,<br>हैदराबाद-500004 (आंध्र प्रदेश) | प्रा. स्वा.के./सा.स्वा.के./जिले के चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण। |
| 11. | डा. गाजी जी. अहमद,<br>निदेशक, डा. बी.बी. कैंसर इन्स्टीट्यूट, गोपीनाथ नगर,<br>गुवाहाटी-781016 (असम) | प्रा. स्वा.के./सा.स्वा.के./जिले के चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण। |
| 12. | प्रिंसिपल,<br>इन्दिरा गांधी मेडिकल कालेज,<br>शिमला | प्रा. स्वा.के./सा.स्वा.के./जिले के चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण। |
| 13. | प्रिंसिपल, गवर्नमेंट मेडिकल कालेज,<br>अमृतसर | प्रा. स्वा.के./सा.स्वा.के./जिले के चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण। |
| 14. | निदेशक,<br>चितरंजन नेशनल कैंसर इन्स्टीट्यूट,<br>कलकत्ता | 1. प्रा. स्वा.के./सा.स्वा.के./जिले के चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण।<br>2. कैंसर ग्रीवा में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण। |

*[अनुवाद]*

**चिकित्सा सुविधाओं के लिए सहायता**

**5650. श्री टी. गोविन्दन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत वर्ष के दौरान सरकार को केरल से राज्य में चिकित्सा सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु कोई परियोजना/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (ग) सरकारी अस्पताल, एरनाकुलम में आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 1.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता हेतु केरल सरकार से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को फरवरी, 2000 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

मंत्रालय में प्रस्ताव पर विचार किया गया है और केरल सरकार को 1.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी दे दी गई है।

**उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोग**

**5651. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोग जैसी कई बीमारियां जो कि पहले प्रौढ़ तथा वृद्ध लोगों से जुड़ी हुई थीं, अब कम उम्र के लोग भी इनके शिकार हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी बीमारियों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा)**: (क) से (ग) हृदय रोग विज्ञानियों का यह अनुभव है कि कम आयु के लोगों में उच्च रक्तदाब और हृदय संबंधी रोग की घटनाओं में वृद्ध हुई है। तथापि, हृदय रोगियों की संख्या के संबंध में कोई राष्ट्रव्यापी आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं। क्योंकि इन रोगों के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्ति की जीवन-शैली और खान-पान की आदत शामिल हैं, इसलिए इन रोगों पर नियंत्रण करने हेतु डाक्टर लोगों में उचित जीवन-शैली और खान-पान की सही आदत अपनाने के लिए जागरुकता उत्पन्न कर रहे हैं।

## अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार

**5652. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या नागरिक अधिकारों के हनन और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार निवारण संबंधी अधिनियमों के कार्यान्वयन के प्रभावों के मूल्यांकन हेतु कोई अध्ययन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी)**: (क) और (ख) इस मामले को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ उठाया गया था। अब तक प्राप्त सूचना को संकलित किया गया है और विवरण-I तथा II के रूप में संलग्न किया गया है। जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल से सूचना की प्रतीक्षा है।

(ग) और (घ) संचालित मूल्यांकन अध्ययनों, निष्कर्षों तथा उन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे विवरण-III के रूप में संलग्न हैं।

***विवरण-I***

*अप्रैल, 1996 से दिसम्बर, 2000 तक की अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के पंजीकृत मामलों के ब्यौरे*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 1996 अप्रैल-दिसम्बर (तक) | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 (जनवरी से सितम्बर) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1997 | 2149 | 1805 | 1897 | 1411 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 3. | असम | 1 | 1 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 4. | बिहार | 646 | 1640 | 1558 | 1445 | 558 |
| 5. | गोवा | शून्य | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 6. | गुजरात | 1989 | 2283 | 2224 | 1773 | 589 |
| 7. | हरियाणा | 9 | 32 | 32 | 28 | 43 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 59 | 86 | 62 | 66 | 52 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | अनु | अनु | अनु | अनु | अनु |
| 10. | कर्नाटक | अनु | अनु | अनु | अनु | अनु |
| 11. | केरल | अनु | अनु | अनु | अनु | अनु |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | मध्य प्रदेश | अनु. | अनु. | अनु. | अनु. | अनु. |
| 13. | महाराष्ट्र | अनु. | अनु. | अनु. | अनु. | अनु. |
| 14. | मणिपुर | शून्य | शून्य | 2 | 2 | 1 |
| 15. | मेघालय | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 16. | मिजोरम | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 17. | नागालैंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 18. | उड़ीसा | 836 | 1180 | 1332 | 1449 | 982 |
| 19. | पंजाब | 3 | 5 | 17 | 19 | 25 |
| 20. | राजस्थान | अनु. | अनु. | अनु. | अनु. | अनु. |
| 21. | सिक्किम | — | 2 | — | — | — |
| 22. | तमिलनाडु | 74 | 757 | 397 | 1011 | 750 |
| 23. | त्रिपुरा | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 10359 | 9236 | 7095 | 6917 | 6246 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | अनु. | अनु. | अनु. | अनु. | अनु. |
| 26. | अंडमान निकोबार | शून्य | 2 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 27. | चंडीगढ़ | 1 | — | शून्य | शून्य | शून्य |
| 28. | दमन व दीव | शून्य | - | शून्य | शून्य | शून्य |
| 29. | दादर व नगर हवेली | शून्य | — | 1 | 1 | 1 |
| 30. | दिल्ली | 12 | — | 14 | 20 | 14 |
| 31. | लक्षद्वीप | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 32. | पांडिचेरी | शून्य | 1 | शून्य | 1 | 3 |
| | कुल | 16486 | 17396 | 15042 | 14630 | 10676 |

अनु.-उपलब्ध नहीं।

*विवरण–2*

*जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर अप्रैल 1996 से सितम्बर, 2000 तक की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों के मामलों (दोष सिद्धि तथा दोष मुक्ति) के ब्यौरे*

| 1996 (अप्रैल से दिसम्बर) | | 1997 | | 1998 | | 1999 | | 2000 (जनवरी से सितम्बर) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दोष सिद्ध | दोष मुक्त | दोष सिद्ध | दोष मुक्त | दोष सिद्ध | दोष मुक्त | दोष सिद्ध | दोष मुक्त | दोष सिद्ध | दोष मुक्त |
| 986 | 4395 | 901 | 4155 | 550 | 5365 | 373 | 2836 | | @ |

नोट @ - वर्ष 2000 के लिए सूचना एकत्र की जा रही है।

*विवरण-3*

संचालित मूल्यांकन अध्ययनों, निष्कर्षों और उन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे

1. न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने "अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास की योजना" तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत पीड़ितों को कानूनी सहायता, राहत और पुनर्वास की योजना पर मूल्यांकन अध्ययन पर दो अध्ययनों का संचालन किया।

इस अध्ययन में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है।

अध्ययन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं।

1. विशेष लोक अभियोजन के रूप में विख्यात अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाए।

2. राज्य को अत्याचारों के पीड़ितों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान की जानी चाहिएं।

3. पीड़ितों को राहत वितरण, पुनर्वास तथा कानूनी सहायता को विशेष न्यायालय के ध्यान में लाया जाए।

2. जिज्ञासु आदिवासी अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली ने गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों में दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित विशेष सैलों के कार्यकरण का मूल्यांकन किया।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-

1. गुजरात में वर्तमान अवसंरचना तथा मानीटरिंग तंत्र पूर्ण तथा कारगर है लेकिन समय-समय पर इसे सुदृढ़ करने की जरूरत है।

2. ऐसे मामलों में तत्काल निबटान पद्धति का सृजन करने के उद्देश्य से और अधिक विशेष न्यायालयों को स्थापित करने की जरूरत है।

3. महाराष्ट्र में भारत सरकार ने इन अधिनियमों के कार्यान्वयन में समाज कल्याण विभाग की अन्तर्ग्रस्तता तथा भागीदारी पर सशक्त रूप से बल देना चाहिए।

4. राज्य सरकार स्तर पर अन्तर्विभागीय समन्वयन के साथ एक बेहतर मानीटरिंग तथा रिपोर्टिंग पद्धति की जरूरत है।

5. अत्याचार प्रवण क्षेत्रों में ग्रामीण थानों में विशेष सैलों का सृजन करने की जरूरत है।

3. सामाजिक न्याय तथा विकलांगों का कल्याण केन्द्र, वाराणसी में "न्यायालयों द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों का निबटान-समस्या और समाधान" पर एक अध्ययन शुरू किया।

अध्ययन रिपोर्टों के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-

(1) आय सृजक कार्यकलापों को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करना

(2) विधि सम्मत शासन का उचित प्रशासन

(3) उचित तथा कानूनी संरक्षण प्रदान करना

(4) अनुसूचित जातियों के रिहायशी इलाकों में पुलिस चौकी की स्थापना।

उपर्युक्त अध्ययनों की सिफारिशों/सुझावों को संबंधित राज्य सरकारों को उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

*[हिन्दी]*

**राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हृदय रोग संबंधी सुविधाएं**

**5653. श्री नागमणि:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हृदय शल्य चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अस्पताल में इस सुविधा को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (ग) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में नजदीकी हृदय शल्य क्रिया सहित कार्डियो थोरासिक और वस्क्युलर सर्जरी विभाग दिसम्बर, 1998 में शुरू किया गया था। कोरोनरी आर्टरी बाइपास ग्राफ्टिंग (सी.ए.बी.जी.), वाल्व प्रतिस्थापन और सहज हृदय शल्य क्रिया सुविधाओं सहित अक्तूबर, 2000 में एक पूर्ण सुसज्जित विभाग शुरू किया गया है।

*[अनुवाद]*

## केन्द्रीय भण्डार में अनियमितताएं

**5654. श्री शीशराम सिंह रवि:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान केन्द्रीय भंडार की आंतरिक लेखापरीक्षा में इसके कार्यकरण, आपूर्तिकत्ताओं को अनुचित लाभ देने, आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध दुर्भावना, ऊंचे, दामों पर कम्प्यूटर, मांदी जेरोक्स जैसी वस्तुओं की खरीद करने, सरकारी विभागों को घटिया किस्म की स्टेशनरी की आपूर्ति करने और अत्यधिक मूल्यों पर स्टेशनरी और अन्य वस्तुओं की बिक्री करने आदि का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अनियमितताओं की जांच करने हेतु कोई जांच समिति नियुक्त की है;

(घ) यदि नहीं, तो जांच समिति कब तक गठित किए जाने की संभावना है;

(ङ) पिछले एक वर्ष के दौरान संसद सदस्यों से इस संबंध में सरकार द्वारा प्राप्त किए गए पत्रों की संख्या कितनी है और इन पत्रों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(च) उनमें से अभी भी कितनों पर कार्यवाही की जानी है और इन पत्रों का जवाब कब तक दिए जाने की संभावना है; और

(छ) भंडार के स्टेशनरी विभाग के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री ( श्रीमती वसुन्धरा राजे ):** (क) और (ख) केन्द्रीय भण्डार का अपना कोई भी आन्तरिक लेखापरीक्षा-प्रकोष्ठ नहीं है। केन्द्रीय भण्डार की आन्तरिक लेखा-परीक्षा, समय-समय पर, किसी बाह्य अभिकरण अर्थात् चार्टर्ड लेखाकारों की फर्म द्वारा, संविदा के आधार पर की जाती है। उपर्युक्त आंतरिक लेखापरीक्षा-फर्म द्वारा की जाने वाली सभी आपत्तियां/टिप्पणियां, अलग-अलग कार्य-संव्यवहार और लेन-देन के बारे में होती हैं। इनके बारे में लेखापरीक्षक से विचार-विमर्श किया जाता है और अधिकांश आपत्तियां विचार-विमर्श से ही निबटा दी जाती हैं। शेष आपत्तियों पर प्रबंधन द्वारा ध्यान दिया जाता है और अगली लेखापरीक्षा से पहले उन्हें निपटा देने की दृष्टि से अपेक्षित सुधारात्मक उपाय सर्वोच्च प्राथमिकता पर किए जाते हैं।

(ग) और (घ) भाग (क) और (ख) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) पिछले एक वर्ष के दौरान, सरकार को केन्द्रीय भण्डार की आन्तरिक लेखापरीक्षा में अनियमितताओं का कोई आरोप विशेष लगाते हुए संसद-सदस्यों से, कोई भी पत्र नहीं मिला है।

(च) भाग (ङ) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(छ) केन्द्रीय भण्डार के कार्य-निष्पादन में लगातार बेहतरी लाने और उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दृष्टि से, लेखन-सामग्री के स्टोरों सहित, सभी क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) सामान खरीदने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से केन्द्रीय भण्डार के निदेशक-बोर्ड ने क्रय-नीति तैयार की है।

(2) यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से, प्रतिदिन हरेक स्टोर की बिक्री का सार मॉनीटर करने के क्रम में प्रधान कार्यालय में कम्प्यूटर-सॉफ्टवेयर-कार्यक्रम स्थापित किया गया है कि वे सामान, कोडों के अनुसार बेचें।

(3) केन्द्रीय भण्डार ने यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से आपूर्तिकर्त्ताओं से कीमत की गारन्टी से संबंधित क्षतिपूर्ति का वचन-पत्र लेने की प्रक्रिया शुरू की है कि उपभोक्ताओं को सामान सर्वोत्तम मूल्य पर अर्थात् न्यूनमतम मूल्य पर मिले।

(4) उपभोक्ताओं से त्वरित प्रतिपुष्टिपरक सुझाव प्राप्त करने की दृष्टि से, सभी स्टोरों पर, पहले से ही कीमत अदा करके, उन्हें भेजे जाने हेतु पोस्ट-कार्ड खरीद कर रखे गए हैं। उपभोक्ताओं से मिलने वाली शिकायतों/उनसे मिलने वाले सुझावों पर कार्रवाई की जाती है। गम्भीर शिकायतें मिलने पर, आरोप की गम्भीरता के आधार पर, आपूर्तिकर्ता निलम्बित अथवा विपंजीकृत कर दिए गए हैं।

(5) जहां कहीं संभव हो, पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा लाने की दृष्टि से, उनसे सीमित निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

(6) कर्मचारियों में निहित स्वार्थ नहीं पनपने देने की दृष्टि से, पिछले वर्ष लगभग 125 कर्मचारी स्थानान्तरित कर दिए गए। उनमें से बहुत से कर्मचारी कई सालों से स्थानान्तरित नहीं किए गए थे।

**मधुमेह के मामले**

5655. **श्री मोइनुल हसन:**
**श्री अनन्त नायक:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मधुमेह के रोगियों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मधुमेह से पीड़ित निर्धन रोगी इंसुलिन उपचार पद्धति की बढ़ती हुई लागत का भार उठा पाने में असमर्थ हैं; और

(घ) यदि हां, तो रोगियों को समुचित उपचार और रियायती दरों पर इंसुलिन के इंजेक्शन/गोलियां उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार विशेषतौर से देश के शहरी क्षेत्रों में मधुमेह की व्याप्तता में वृद्धि का जानपदिक रोग विज्ञानीय प्रमाण है। इस वृद्धि के कारणों का उत्तरदायी वृद्ध होती (एजिंग) जनसंख्या, अस्वास्थ कर खान-पान, स्थूलता और शारीरिक परिश्रम रहित जीवन-शैली को ठहराया जा सकता है।

विभिन्न प्रकारों के इन्सुलिन आधारित औषध योग (इन्जेक्टेबल्स) पैकों की कीमतें कंपनी के आवेदन-पत्र के आधार पर समय-समय पर नियत/संशोधित की जाती हैं। तथापि, निर्धन रोगियों को इन्सुलिन को उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए एन.पी. पी.ए. के इन्सुलिन औषध-योगों के निर्माताओं/आयातकों के साथ विचार-विमर्श किया। परिणामस्वरूप, कुछ प्रमुख कंपनियों ने सरकारी अस्पतालों और संस्थाओं के माध्यम से निर्धन और जरूरत मंद रोगियों के लिए विशेष कीमतों (कटौती दरों) पर इन्सुलिन आधारित औषध योगों की आपूर्ति की पुन: पुष्टि की है।

ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय प्रणाली और शहरी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं में सभी स्तरों पर मधुमेह उपचार किया जाता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी प्रमुख संस्थाओं के अतिरिक्त, देश में लगभग 100 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय हैं, जो द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर मधुमेह उपचार संबंधी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पंजाब राज्यों में 1999-2000 में "जैव-रासायनिक प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण और गुणवत्ता आश्वासन" संबंधी कार्यक्रम शुरू किया गया।

**केन्द्रीय भण्डार की क्रय नीति**

5656. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगस्त माह, 2000 के दौरान केन्द्रीय भण्डार के निदेशक-मंडल ने केन्द्रीय भण्डार में की जाने वाली खरीद के संबंध में निदेशात्मक नीति तैयार की है;

(ख) क्या इस नीति को शुरू करने से पूर्व ही प्रकाशीय वस्तुओं के मामले में इसे नए आपूर्तिकर्त्ताओं के पक्ष में कर दिया गया जबकि विद्यमान आपूर्तिकर्त्ताओं के लिए इसे कड़ा बना दिया गया और क्या यह सब क्रय नीति के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) उक्त नीति के बदलने से बने कड़े नियमों को खत्म करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय भण्डार ने किसी आपूर्तिकर्त्ता विशेष (किन्हीं विशेष आपूर्तिकर्त्ताओं) को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से क्रय-नीति में कोई भी संशोधन नहीं किया है।

(ग) से (ङ) भाग (ख) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

**केन्द्रीय भंडार की क्रय-नीति**

5657. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केन्द्रीय भंडार के निदेशक-मंडल ने अगस्त, 2000 के दौरान एक व्यापक क्रय-नीति तैयार की थी और क्या उक्त नीति को बाद में समाविष्ट आपूर्तिकर्त्ताओं के पक्ष में विद्यमान और बाद में समाविष्ट आपूर्तिकर्त्ताओं के बीच सीमित निविदा आमंत्रित कर उक्त नीति को लागू किए जाने से पहले ट्यूबलाइट और बल्बों के विद्यामन कुछ आपूर्तिकर्त्ताओं की सक्रियता से परिवर्तित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो केवल ट्यूबलाइट और बल्ब के संबंध में क्रय-नीति को परिवर्तित किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री ( श्रीमती वसुन्धरा राजे ):** (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय भण्डार ने किसी आपूर्तिकर्त्ता विशेष (किन्हीं विशेष आपूर्तिकर्त्ताओं) को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से क्रय-नीति में कोई भी संशोधन नहीं किया है।

(ग) भाग (क) और (ख) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

## नेत्र-दान

**5658. श्री मोहन रावले:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में वे सामान्य अस्पताल कौन-कौन से हैं जो अपने वार्डों में मृत रोगियों के संबंधियों को परामर्श देकर उन्हें नेत्र-दान करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं;

(ख) वर्ष 2000 में किए गए नेत्र-दानों की राज्य-वार और अस्पताल-वार संख्या कितनी है;

(ग) मृत्यु के ठीक पश्चात् नेत्र-दान करने हेतु सभी मृत रोगियों के संबंधियों से अनिवार्य रूप से अनुरोध न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) अस्पताल को नजदीकी पंजीकृत नेत्र बैंक से अनिवार्य रूप से जोड़े जाने और नेत्र-दान की सहमति प्राप्त करने के मामले में समय पर नेत्र संग्रह न कर पाने के क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ए. राजा ):** (क) से (घ) भारतीय नेत्र बैंक संघ से उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रतिवर्ष 100,000 कोर्निया की मांग के विरुद्ध प्रतिवर्ष एकत्र किए गए कोनियों की संख्या लगभग 19,000 है। भारतीय नेत्र बैंक संघ द्वारा एकत्र किए गए कोर्नियों की संख्या लगभग 19,000 है। भारतीय नेत्र बैंक संघ द्वारा एकत्र किए गए नेत्रों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। नेत्र दान में खराब अनुक्रिया (रिसपोंस) मिलने के कारणों में भ्रान्तियां, पूर्वाग्रह और नेत्रों को निकालने के लिए कम समय (4-6 घंटे) का मिलना है। इसके लिए उत्तरदायी अन्य कारणों में जागरुकता का अभाव और घटिया सम्प्रेषण का होना है। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 पर संशोधन के लिए विचार किया जा रहा है ताकि नेत्रों के दान के लिए सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके, यद्यपि इस समय इसके कार्यान्वयन के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

कोर्नियों की संग्रहण दर बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अन्य प्रयास किए जा रहे हैं:

- सहमति प्राप्त करने के पश्चात् नेत्रों का समय से संग्रहण करने के कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए पंजीकृत नेत्र बैंकों और आस-पास के अस्पतालों को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- नेत्र दान के बारे में जन-साधारण में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए रेडियो और दूरदर्शन के मीडिया नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है।
- देश हर वर्ष 25 अगस्त-8 सितम्बर के बीच नेत्र दान के बारे में एक राष्ट्रीय पखवाड़ा मनाता है। इस पखवाड़े के दौरान नेत्र दान के कार्य को तेज करने के लिए सभी उपलब्ध प्रचार साधनों के माध्यम से तीव्रीकृत प्रचार किया जाता है।
- इस कार्य के केन्द्र बिन्दु को अब "नेत्र दान के लिए वचन देने" से बदल कर सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों, सशस्त्र सेना, रेलवे, कर्मचारी बीमा निगम इत्यादि के प्रमुख बहु-विशिष्ट अस्पतालों में "अस्पताल रिट्रिवल कार्यक्रम" शुरू करके नेत्रों के वास्तविक संग्रहण करने पर कर दिया है। इससे नेत्रदान का संग्रहण बढ़ने की आशा है। अधिघात केन्द्रों, गहन परिचर्या एककों और कैंसर केन्द्रों में इसका व्यापक प्रचार किया जाता है।
- इस कार्यक्रम को और कारगर बनाने के लिए सामाजिक कल्याण, शिक्षा, प्रचार और जन-सम्पर्क जैसे अन्य विभागों के स्टाफ का सहयोग मांगा जा रहा है।
- नेत्र बैंक स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी संगठन की सहभागिता को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

*विवरण*

*भारतीय नेत्र बैंक संघ के सदस्य नेत्र बैंकों द्वारा कोर्निया संग्रहण के राज्यवार आंकड़े*

| क्रम सं. | राज्य | 1996 में संग्रह किए गए नेत्र | 1997 में संग्रह किए गए नेत्र | 1998 में संग्रह किए गए नेत्र | 1999 में संग्रह किए गए नेत्र | 2000 में संग्रह किए गए नेत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 650 | 1114 | 1040 | 917 | 1306 |
| 2. | असम | 0 | 0 | सूचित नहीं किए गए | सूचित नहीं किए गए | 0 |
| 3. | बिहार | 20 | 26 | 28 | 68 | 17 |
| 4. | चंडीगढ़ | 109 | 150 | 200 | 225 | 246 |
| 5. | दिल्ली | 691 | 914 | 846 | 997 | 881 |
| 6. | गुजरात | 5259 | 5430 | 5133 | 588 | 6078 |
| 7. | हरियाणा | 20 | 20 | 10 | सूचित नहीं किए गए | 168 |
| 8. | कर्नाटक | 709 | 655 | 723 | 776 | 842 |
| 9. | केरल | 345 | 324 | 238 | 206 | 264 |
| 10. | महाराष्ट्र | 2134 | 1896 | 2700 | 1477 | 4189 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 298 | 277 | 310 | 456 | 408 |
| 12. | उड़ीसा | 6 | 27 | सूचित नहीं किए गए | सूचित नहीं किए गए | 0 |
| 13. | पंजाब | 659 | 714 | 752 | 100 | 199 |
| 14. | राजस्थान | 105 | 44 | 47 | 143 | 218 |
| 15. | तमिलनाडु | 1776 | 2145 | 2534 | 1201 | 3359 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 212 | 32 | 319 | 224 | 214 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 410 | 352 | 214 | 296 | 531 |
| 18. | पांडिचेरी | — | — | — | — | 67 |
| | | 13,463 | 14,411 | 15,194 | 12,174 | 18,987 |

*अन्य पिछड़ी जातियों के लिए राज्य आयोग*

**5659. श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से अन्य पिछड़ी जातियों के लिए महाराष्ट्र राज्य आयोग के गठन संबंधी कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किस कारण से गठित किया जा रहा है और यह कब से लंबित है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों के लिए पुनर्नियोजन नियम**

**5660. श्री अनन्त नायक:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने देश में व्यापक बेरोजगारी के मद्देनजर सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों के पुनर्नियोजन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी;

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

**विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**नौसेना कैंटीन, दिल्ली में हुए घोटाले की जांच**

**5661. श्री रामजी मांझी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली के डलहौजी मार्ग स्थित नौसेना कैंटीन में हुए घोटाले की जांच करने हेतु गठित जांच समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

*विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह):* (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**मानसिक रूप से अपंगों के लिए छात्रावास**

**5662. श्री ए. कृष्णैया:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना मानसिक रोगों और सेरेबल पाल्सी इत्यादि से पीड़ित बच्चों के लिए छात्रावासों के निर्माण की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रोगों से पीड़ित बच्चों और उक्त छात्रावासों में संभावित रूप से भर्ती किए जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है;

(ग) अब तक इसके कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अभिभावकों के बच्चों की सहायता हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी):** (क) राष्ट्रीय न्याय ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात और बहु विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए देख-रेख सेवाओं की सुविधाएं प्रदान करने संबंधी योजनाओं की परिकल्पना करता है।

(ख) से (घ) आवास क्षमता का निर्धारण इन सुविधाओं को स्थापित करने के लिए इच्छुक संगठन द्वारा किया जाएगा। योजना की मानक ईकाई लागत, अधिक/कम लाभग्राहियों हेतु आनुपातिक वृद्धि/कमी के साथ 20 व्यक्तियों के लिए निर्धारित की गई है।

**अपंगता से संबंधित क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित व्यवसायिकी**

**5663. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपंगता से संबंधित क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित व्यवसायिकों को तैयार करने में भारतीय पुनर्वास परिषद की कोई भूमिका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वार्षिक लागत कितनी है और भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अपंगता क्षेत्र हेतु प्रशिक्षित व्यावसायिकों की संख्या में वृद्धि करने हेतु क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी):** (क) से (ग) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अंतर्गत भारतीय पुनर्वास परिषद का गठन पुनर्वास व्यावसायिकों तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण को विनियमित तथा मानीटर करने, पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस उद्देश्य के लिए परिषद ने विभिन्न उपाय जैसे पुनर्वास व्यावसायिकों/कार्मिकों के लिए अल्पावधिक तथा दीर्घावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ब्रिज पाठ्यक्रम, विकलांगता प्रबंधन में पी.एच.सी. चिकित्सा अधिकारियों का अभिमुखीकरण आदि आरम्भ किए हैं। इसके अलावा, यह परिषद समय-समय पर संगत विषयों पर सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम, सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाएं आदि भी प्रायोजित करती है। वित्त वर्ष 2000-2001 के दौरान परिषद को सहायता अनुदान के रूप में 4.12 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई।

*[हिन्दी]*

## बढ़ईयों को अनुसूचित जाति का दर्जा

5664. **श्री महेश्वर सिंह:**
**श्री सुरेश चन्देल:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत समूचे देश में बढ़ई को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है परन्तु वर्ष 1966 में हिमाचल प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् राज्य में शामिल किए गए नए क्षेत्रों में रह रहे बढ़ई समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा न दिए जाने के कारण एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकार को सभी आवश्यक सूचना प्रेषित की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी):** (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुसूचित जाति की सूची को अधिसूचित किया गया है। बढ़ई को अनुसूचित जाति की सूची में अधिसूचित नहीं किया गया है।

संबंधित राज्य सरकार द्वारा तरखान समुदाय, जिसका व्यवसाय हिमाचल प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति की सूची में लकड़ी/लोहे का काम बताया गया है, को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव संस्तुत किया गया है। अनुमोदित रूपरेखाओं के अनुसार प्रक्रियाबद्ध किया गया है।

## भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा

5665. **डा. संजय पासवान:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के जीवन और संपत्ति को खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू):** (क) और (ख) दिसम्बर, 2001 के अन्तिम सप्ताह में, भारतीय फिल्मी सितारे ऋतिक रोशन द्वारा की गई तथाकथित नेपाल विरोधी टिप्पणियों के विरुद्ध काठमांडू और नेपाल के अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किए गए थे। इन प्रदर्शनों ने भारत विरोधी वातावरण पैदा कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप काठमांडू तथा नेपाल के कुछ अन्य स्थानों पर भारतीय मूल के लोगों की सम्पत्ति को क्षति हुई। भारत सरकार ने इस मामले को नेपाल में भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों और उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा तथा रक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम स्तर पर नेपाल की शाही सरकार के साथ उठाया। नेपाल की सरकार ने अपने इस आश्वासन को संप्रेषित किया कि आवश्यक उपाए किए जाएंगे।

हाल ही में, 30 और 31 जनवरी, 2001 को दिल्ली में संपन्न भारत-नेपाल विदेश सचिव स्तर की वार्ता संपन्न हुई थी। इन वार्ताओं के दौरान इस मसले पर चर्चा हुई और भारत सरकार की हित-चिन्ता से नेपाली पक्ष को अवगत करा दिया गया है। दोनों पक्ष यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर सहमत हुए कि इस प्रकार की वारदातें भविष्य में घटित न हों।

*[अनुवाद]*

## रक्षा संबंधी योजनाओं में विशेषज्ञों की भागीदारी

5666. **श्री रामजीवन सिंह:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना संबंधी मुद्दों और आपातकालीन योजना पर विचार करते समय रक्षा सेना के अनुभवी विशेषज्ञों और तीनों सेनाओं के प्रमुखों को आमंत्रित नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे नीतिगत निर्णयों में विशेषज्ञों को शामिल करने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाया जाएगा?

**विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री ( श्री जसवंत सिंह ):** (क) राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी मामलों पर सरकार द्वारा समुचित स्तरों पर विचार किया जाता है और इस प्रक्रिया में सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख भी सम्बद्ध रहते हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, जब कभी आवश्यकता होती है, उच्चतम स्तर की बैठकों में भी भाग लेते हैं। इन बैठकों में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसकी उप-संरचनाओं की बैठकें और सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठकें भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

## कैंसर के लिए रेडियोथिरेपी

**5667. श्री ए. वेंकटेश नायक:**
**श्री शिवाजी माने:**
**श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
**श्री रामशेठ ठाकुर:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेडिएशन थिरेपी कोबाल्ट इकाइयों की अधिक स्थापना ही कैंसर के उपचार का एकमात्र रास्ता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रेडिएशन थिरेपी इकाइयों की स्थापना हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समय भारत कैंसर के रोगियों के लिए रेडियोथिरेपी प्रदान करने हेतु कोबाल्ट मशीन और लीनयर एक्सीलेटर आयात कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम जिसके समक्ष इस समय अनेक मुश्किलें आ रही हैं, की स्वदेशी तकनीक द्वारा लीनयर एक्सीलेटर का निर्माण करने वाली समीर परियोजना की सफलता से बहुत बढ़ावा मिलने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(छ) इस एक्सीलेटर के विकास से राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम को किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ए. राजा ):** (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) स्वदेशी उपकरणों का विकास करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) से (छ) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिक विभाग) की भारत में लीनियर एक्सेलिरेटर टेलिथिरेपी के स्वदेशी विकास की समीर परियोजना है। अगले 3-5 वर्षों में दो लीनियर एक्सेलिरेटरों का विकास किया जाएगा तथा चार और लीनियर एक्सेलिरेटर निर्मित किए जाएंगें जो पहले दो लीनियर एक्सेलिरेटरों की सफलता पर निर्भर करेगा।

*[हिन्दी]*

## डिब्बा बंद रसों में कृत्रिम रंग

**5668. श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डिब्बा बंद रसों में कृत्रिम रंगों की मात्रा अनुमत: स्तर से ज्यादा होती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज तक बाजार से कितने नमूने एकत्र किए गये हैं और उनमें से कितने नमूने उपयुक्त नहीं पाए गए; और

(ग) सरकार द्वारा इस उत्पादों के उत्पादन को रोकने हेतु उत्पादकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ए. राजा ):** (क) से (ग) प्राप्त हुई सूचना के अनुसार वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान राज्य/संघ क्षेत्रों के प्राधिकारियों द्वारा एकत्र किए गए डिब्बा बंद फल के रस के 1010 नमूनों में से 5 नमूने कृत्रिम रंगों के साथ मिलावटी पाए गए। सभी मामलों में अभियोजन शुरू किए गए हैं।

*[अनुवाद]*

**टेम्पर प्रूफ इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन**

**5669. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आविष्कार किये गए टेम्पर प्रूफ इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में कनाडा और बांग्लादेश सरकारों ने दिलचस्पी दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो इन मशीनों के निर्यात हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) जी, हां।

(ख) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसिल) ने बंगलादेश से प्राप्त लिखित अनुरोध का उत्तर दे दिया है। उन्होंने नमूने के तौर पर इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों को अध्ययन के लिए भेजने का भी अनुरोध किया है। इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। चूंकि यह केवल प्रारम्भिक पूछताछ है इसलिए इस चरण पर यह बताना मुश्किल है कि इसके परिणामस्वरूप कितने का कारोबार किया जाएगा। कनाडा से इस संबंध में अभी तक कोई लिखित अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

**नौवीं योजना के लिए बजटीय सहायता**

**5670. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना की वर्ष 2001-2002 की वार्षिक योजना हेतु सकल बजटीय सहायता को कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) बजटीय सहायता की कटौती करने के बाद नौवीं योजना के लिए बजटीय सहायता की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस निर्णय के कारण किन-किन क्षेत्रों को कम धनराशि मिलने की संभावना है?

**विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी):** (क) से (ग) जी, नहीं। उपाध्यक्ष, योजना आयोग और वित्त मंत्री के बीच हुई चर्चाओं तथा देश की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया कि वार्षिक योजना 2001-2002 के लिए सकल बजटीय सहायता (जी बीएस) 100,100 करोड़ रुपये होगी। इस राशि में से 95,100 करोड़ रु. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं को केन्द्रीय सहायता (40,644 करोड़ रु.) तथा केन्द्रीय क्षेत्रक योजना (54,456 करोड़ रु.) हेतु आवंटित किए गए हैं। शेष 5,000 करोड़ रु. अभी तक आवंटित नहीं किए गए हैं तथा व्यय विभाग के बजटीय प्रावधान में योजना स्कीमों संबंधी अतिरिक्त व्यय हेतु एक मुश्त प्रावधान के रूप में दर्शाए गए हैं। इस राशि को सरकार की विनिवेश प्राप्तियों की वसूली से लिंक किया गया है और उपलब्ध होने पर वर्ष के दौरान आबंटित की जाएगी। वार्षिक योजना 2001-02 के लिए सकल बजटीय सहायता सहित, नौवीं योजना के लिए बजटीय सहायता वास्तविक रूप में लगभग 88% (अर्थात् वर्ष 1996-97 के मूल्यों पर) है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**चन्द्रमा के लिए मिशन**

**5671. श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 मार्च, 2001 के 'हिन्दुस्तान' में "भारत में चांद के घर दस्तक देने की तैयारी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) उक्त परियोजना पर कुल कितनी धनराशि के व्यय किए जाने की संभावना है और उससे कितना लाभ मिलने की संभावना है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने चन्द्रमा पर मानव रहित वैज्ञानिक मिशन के लिए इसके व्यावहारिक पहलुओं और अन्य सम्बद्ध आवश्यकताओं की जांच के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया है। अध्ययन दल की सिफारिशों पर इसरो द्वारा किया जायेगा।

(ग) चन्द्र मिशन और इसके लिए अपेक्षित बजट प्रावधान का ब्यौरा अध्ययन दल द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही आकलित किया जा सकता है। चन्द्र मिशन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को गति प्रदान करेगा और ग्रहों की खोज के लिए भावी मिशनों हेतु मार्ग प्रशस्त करेगा।

*[अनुवाद]*

## सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क

**5672. श्री के. येरननायडू:** क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) देश में ऐसे पार्कों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास गत दो वर्षों के दौरान इन पार्कों से अर्जित आय के संबंध में कोई जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी ऐसे पार्क को केन्द्र सरकार द्वारा अथवा केन्द्र सरकार की सहायता से स्थापित किया गया है/किये जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन):** (क) भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना और एक स्वायत्त संस्था के रूप में दिनांक 5 जून, 1991 को इसका पंजीकरण उच्च गति आंकड़ा संचार सुविधा सहित मूल संरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना तथा प्रबंध करने के उद्देश्य से और सॉफ्टवेयर क्षेत्र को प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी अन्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था।

एसटीपीआई योजना की मुख्य विशेषताएं नीचे दिए अनुसार हैं:

- एक स्थान पर अनुमति के अंतर्गत अनुमोदन
- शत प्रतिशत विदेशी साम्या पूंजी की भी अनुमति
- नि:शुल्क आयात
- पुरानी पूंजीगत वस्तुओं के आयात की भी अनुमति
- ऐसे उत्पादों के लिए सीमा शुल्क बंधक की अवधि 5 वर्ष, जिसे बढ़ाकर 10 वर्ष किया जा सकता है, जिसमें काफी मात्रा में पूंजीगत निवेश तथा मूल संरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता होती है
- देशीय खरीद के लिए स्थानीय कर से छूट
- निर्यात के 50 प्रतिशत तक घरेलू बाजार में बिक्री की अनुमति
- मार्च, 2010 तक कार्पोरेट आयकर से छूट
- शुद्ध विदेशी मुद्रा पर निर्यात की बाध्यता 0.25 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा आयातित वस्तुओं के लागत बीमा भाड़ा मूल्य का 3 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, जिसे 5 वर्षों की अवधि में पूरा किया जाना है।

(ख) से (छ) एसटीपीआई ने नीचे दिए गए अनुसार 19 एसटीपीआई केन्द्र पहले ही स्थापित कर लिए हैं:-

| क्र.सं. | केन्द्र | राज्य |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | बंगलौर | कर्नाटक |
| 2. | पुणे | महाराष्ट्र |
| 3. | भुवनेश्वर | उड़ीसा |
| 4. | हैदराबाद | आंध्र प्रदेश |
| 5. | नोएडा | उत्तर प्रदेश |
| 6. | गांधीनगर | गुजरात |
| 7. | तिरुवन्नतपुरम | केरल |
| 8. | चेन्नई | तमिलनाडु |
| 9. | मोहाली | पंजाब |
| 10. | जयपुर | राजस्थान |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 11. | नयी मुम्बई | महाराष्ट्र |
| 12. | कोयम्बटूर | तमिलनाडु |
| 13. | मणिपाल | कर्नाटक |
| 14. | मैसूर | कर्नाटक |
| 15. | गुवाहाटी | असम |
| 16. | वाइजैग | आंध्र प्रदेश |
| 17. | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| 18. | श्रीनगर | जम्मू तथा कश्मीर |
| 19. | कलकत्ता | पश्चिम बंगाल |

निम्नलिखित एसटीपीआई केन्द्रों की स्थापना के लिए वर्ष 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है:

| क्रम सं. | स्थापना स्थल | राज्य |
|---|---|---|
| 1. | गुवाहाटी | असम |
| 2. | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| 3. | श्रीनगर | जम्मू तथा कश्मीर |
| 4. | हुबली | कर्नाटक |
| 5. | शिमला | हिमाचल प्रदेश |
| 6. | पांडिचेरी | पांडिचेरी |
| 7. | औरंगाबाद | महाराष्ट्र |
| 8. | नागपुर | महाराष्ट्र |

इसके अतिरिक्त, एसटीपीआई द्वारा संबंधित राज्य सरकार की सहायता से निम्नलिखित एसटीपी केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है:

| क्र.सं. | केन्द्र | राज्य |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | नासिक | महाराष्ट्र |
| 2. | कोल्हापुर | महाराष्ट्र |
| 3. | वारंगल | आंध्र प्रदेश |
| 4. | तिरूपति | आंध्र प्रदेश |
| 5. | विजयवाड़ा | आंध्र प्रदेश |
| 6. | देहरादून | उत्तरांचल |
| 7. | मंगलौर | कर्नाटक |
| 8. | जम्मू | जम्मू तथा कश्मीर |
| 9. | राउरकेला | उड़ीसा |
| 10. | कलकत्ता | पश्चिम बंगाल |
| 11. | गुड़गांव | हरियाणा |
| 12. | अगरतला | त्रिपुरा |
| 13. | शिलांग | मेघालय |
| 14. | गंगटोक | सिक्किम |
| 15. | भोपाल | मध्य प्रदेश |
| 16. | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| 17. | त्रिची | तमिलनाडु |
| 18. | मदुरै | तमिलनाडु |
| 19. | तिरुनेलवेली | तमिलनाडु |
| 20. | सलेम | तमिलनाडु |

एसटीपीआई की सदस्य इकाइयों ने वर्ष 1999-2000 के दौरान, 11,607 करोड़ रु. से भी अधिक के सॉफ्टवेयर का निर्यात किया है। एसटीपी इकाइयों से 11,607 करोड़ रुपये का निर्यात राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर निर्यात का लगभग 68 प्रतिशत है। राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

***विवरण***

*केन्द्र वार सॉफ्टवेयर निर्यात*

(करोड़ रुपये में)

| केन्द्र का नाम | 1998-99 | 1999-2000 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| बंगलौर | 2888 | 4321 |
| भुवनेश्वर | 53 | 80 |
| कलकत्ता | 96 | 150 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| चेन्नई | 748 | 1890 |
| गांधीनगर | 13 | 27 |
| हैदराबाद | 574 | 1059 |
| जयपुर | 4 | 15 |
| मोहाली | 5 | 15 |
| नवी मुम्बई | 148 | 962 |
| नोएडा | 1346 | 2450 |
| पुणे | 381 | 572 |
| त्रिवेन्द्रम | 44 | 57 |
| योग | 6300 | 11607 |

*[हिन्दी]*

**अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में "भूमिहार" जाति को शामिल करना**

**5673. डा. बलिराम:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश की भूमिहार जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी):** (क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन सी बी सी) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सूचियों में नागरिकों के किसी वर्ग को पिछड़े वर्ग के रूप में शामिल करने संबंधी अनुरोधों की जांच करता है और समुदाय के पिछड़ेपन के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पहलुओं के आधार पर इन सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग को अधिक शामिल करने या कम शामिल किए जाने की शिकायतों की सुनवाई करता है और केन्द्र सरकार को सलाह देता है जो वह उपयुक्त समझता है। भारत सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दिए गए परामर्शों के आधार पर पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में समावेशन/संशोधिन संबंधी मामलों का निर्णय करती है और इन्हें समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश की भूमिहार जाति/समुदाय को पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने संबंधी कोई सलाह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**'ट्रोमा' योजना**

**5674. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'ट्रोमा' नामक योजना देश में चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान विशेषकर जम्मू-कश्मीर में इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में कितना कार्य शुरू किया गया है और क्या-क्या उपलब्धि हासिल हुई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (घ) इस मंत्रालय में 'ट्रोमा' नामक कोई स्कीम कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तथापि, यह मंत्रालय 'राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित नगरों/शहरों के सरकारी अस्पतालों में आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं' के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के अधिक दुर्घटना वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले चुनिन्दा राज्य सरकार के अस्पतालों में दुर्घटना और आपाती सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। आपाती परिचर्या केन्द्र सुविधाएं उन सरकारी अस्पतालों को प्रदान की जाती हैं जहां पहले से न्यूनतम आधारभूत ढांचा और कार्मिक उपलब्ध हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर को पिछले दो वर्षों के दौरान कोई सहायता नहीं दी गई है। तथापि, जम्मू व कश्मीर सरकार को इस स्कीम के अंतर्गत श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर स्थित मरगुंड, कंगन में आपाती/अभिघात सेवाओं के विकास हेतु वर्ष 2001-2002 के लिए 150 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान

इस स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है-

1999-2000

1. महाराजा यशवंत राव अस्पताल, इन्दौर के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 97 लाख रुपये।
2. जनरल अस्पताल, करनाल के लिए हरियाणा सरकार को 150 लाख रुपये।
3. पटना मेडिकल कालेज अस्पताल, पटना के इन्दिरा गांधी केन्द्रीय आपाती एकक के लिए बिहार सरकार को 53 लाख रुपये।

2000-2001

1. त्रिपुरा सुन्दरी अस्पताल (दक्षिणी जिला), उदयपुर के लिए त्रिपुरा सरकार को 70 लाख रुपये।
2. एस.टी.एन.एम. अस्पताल, गंगटोक में आपातकालीन परिचर्या एकक के लिए सिक्किम सरकार को 70 लाख रुपये।
3. पासीघाट जनरल अस्पताल के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार को 59 लाख रुपये।
4. किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 150 लाख रुपये।
5. जनरल अस्पताल, माहे के लिए पांडिचेरी सरकार को 78 लाख रुपये।

## विकलांगों को सुविधाएं

**5675. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांग लाभार्थियों को केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के भवन के अंदर लाने के लिए औषधालयों में बैसाखी, स्ट्रेचर और पहियादार कुर्सी आदि का कोई प्रावधान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन औषधालयों में उक्त सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार विकलांग लाभार्थियों के लिए औषधालयों में उक्त सुविधाओं को कब तक प्रदान करने का है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) और (ख) दिल्ली के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के बैसाखी, स्ट्रेचर और पहियादार कुर्सी का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। जहां तक दिल्ली से बाहर के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों का सम्बन्ध है, कोलीबाड़ा, मुम्बई में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय में बैसाखी उपलब्ध है और स्ट्रेचर और पहियादार कुर्सी का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में सुविधाओं का उन्नयन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

*विवरण-1*

| क्र.सं. | औषधालय का नाम | बैसाखी | स्ट्रेचर | पहियादार कुर्सी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | चाणक्यपुरी | - | हां | - |
| 2. | चित्रगुप्त रोड | - | हां | - |
| 3. | कांस्टीट्यूशन हाउस | - | हां | - |
| 4. | फरीदाबाद | हां | हां | - |
| 5. | काली बाड़ी | हां | - | - |
| 6. | नार्थ एवेन्यु | - | हां | हां |
| 7. | पहाड़गंज | - | हां | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 8. | डा. जाकिर हुसैन रोड | – | हां | – |
| 9. | पंडारा रोड | – | हां | – |
| 10. | दिल्ली कैंट | हां | – | – |
| 11. | हरी नगर | हां | – | – |
| 12. | तिलक नगर | हां | – | – |
| 13. | न्यू राजेन्द्र नगर | हां | – | – |
| 14. | जनकपुरी-2 | हां | – | – |
| 15. | अशोक विहार | – | हां | – |
| 16. | नारायणा | हां | – | – |
| 17. | पूसा रोड | – | हां | – |
| 18. | श्रीनिवासपुरी | हां | हां | हां |
| 19. | आर.के.पुरम-4 | हां | हां | हां |
| 20. | तिमारपुर | – | हां | हां |
| 21. | किंग्जवे कैम्प | हां | हां | हां |
| 22. | लक्ष्मी नगर | – | हां | – |
| 23. | शाहदरा | हां | हां | – |
| 24. | यमुना विहार | हां | हां | – |
| 25. | सब्जी मंडी | – | हां | – |

*विवरण-2*

*स्ट्रेचर, पहियादार कुर्सी की सुविधाओं वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों का ब्यौरा*

| क्र.सं. | | स्ट्रेचर की उपलब्धता | पहियादार कुर्सी की उपलब्धता |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| 1. | बेंगलूर | सभी औषधालय | उपलब्ध नहीं |
| 2. | भुवनेश्वर | सभी औषधालय | सभी औषधालय |
| 3. | हैदराबाद | सभी औषधालय | 3 फंक्शनल औषधालयों और एक पॉलीक्लिनिक में उपलब्ध |
| 4. | जबलपुर | सभी औषधालय | उपलब्ध नहीं |
| 5. | जयपुर | सभी औषधालय | एक पालीक्लिनिक और एक औषधालय में उपलब्ध |

| 1 | | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 6. | कानपुर | 3 फंक्शनल औषधालयों और एक पॉलीक्लिनिक में उपलब्ध | उपलब्ध नहीं |
| 7. | कलकत्ता | 4 फंक्शनल औषधालयों और एक पॉलीक्लिनिक में उपलब्ध | उपलब्ध नहीं |
| 8. | लखनऊ | एक पॉलीक्लिनिक और एक औषधालय में उपलब्ध | उपलब्ध नहीं |
| 9. | मुम्बई | 4 फंक्शनल औषधालयों और एक पॉलीक्लिनिक में उपलब्ध | एक पालीक्लिनिक में उपलब्ध |
| 10. | नागपुर | सभी औषधालय | एक पालीक्लिनिक और एक फंक्शनल औषधालय में उपलब्ध |
| 11. | चेन्नई | सभी औषधालय | सभी औषधालय |
| 12. | पुणे | सभी औषधालय | उपलब्ध नहीं |
| 13. | गुवाहाटी | सभी औषधालय | सभी औषधालय |

*[अनुवाद]*

**यूक्रेन से राडार की खरीद की जांच**

**5676. श्री अशोक ना. मोहोल:**
**श्री रामशेठ ठाकुर:**

**क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 अप्रैल, 2001 के 'नवभारत टाइम्स' में 'स्थायी समिति ने यूक्रेन राडार सौदों की जांच की मांग की' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कारगिल युद्ध के दौरान हथियारों की खोज करने वाले 50 राडारों की खरीद हेतु यूक्रेन की एक कंपनी के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या विदेश मंत्रालय ने इस सौदे का विरोध किया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सौदे पर हस्ताक्षर करने के पीछे क्या औचित्य है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले की छानबीन कराने का है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह):** (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

**यूरोपीय आयोग की सहायता**

**5677. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में यूरोपीय आयोग द्वारा समर्थित पंचवर्षीय 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम' की कुल अनुमानित लागत कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धन राशि खर्च की गई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) यूरोपीयन कमीशन द्वारा सहायता प्राप्त भारत में पांच वर्षीय 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम' के लिए कुल अनुमानित लागत यूरोज 200 मिलियन है।

(ख) इस कार्यक्रम पर भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च/रिलीज की गई धनराशि 103.38 करोड़ रुपये है।

**स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए सहायता**

**5678. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न परियोजनाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों से कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अस्पतालों तथा औषधालयों के नाम सहित गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को विशेषकर महाराष्ट्र को कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार राज्यों के विशिष्ट तौर पर अस्पतालों और औषधालयों को निधियां आबंटित नहीं करती। राज्यों के पास अपने अस्पतालों और औषधालयों को निधियों के आबंटन के लिए अपने बजट में उनका अपना प्रावधान होता है।

*विवरण*

| क्र. सं. | राज्य का नाम | दाता का नाम | परियोजना का नाम | आवंटित धनराशि | उपयोग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | डीएफआईडी | संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम | 20.57 मिलियन पौंड | वितरण आरंभ नहीं हुआ |
| | | विश्व बैंक | राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम | 1998-99<br>533.50 लाख रुपये<br>1999-2000<br>434.40 लाख रुपये<br>2000-01<br>417.25 लाख रु. | 1998-99<br>585.25 लाख रुपये<br>1999-2000<br>654.45 लाख रुपये<br>2000-01<br>256.53 लाख रु. |
| | | विश्व बैंक | आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना | 133.0 मिलियन अमरीकी डालर | 84.5 मिलियन अमरीकी डालर |
| 2. | गुजरात | ओआरईटी, दी नीदरलैंड | गुजरात स्वास्थ्य परिचर्या परियोजना | अनुदान<br>एनएलजी 39.826 मिलियन<br>ऋण<br>एन एल जी 59.739 मिलियन | एनएलजी 30.60 मिलियन<br><br><br>एन एल जी 59.73 मिलियन |
| 3. | कर्नाटक | डेनमार्क (डानिडा) | राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम चरण-2 | 31.50 करोड़ रुपये | 7.48 करोड़ रुपये |
| | | जर्मनी | माध्यमिक स्तर स्वास्थ्य परिचर्या परियोजना | डीएम 23.0 मिलियन | 4.564 मिलियन डी. एम. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | मध्य प्रदेश | डेनमार्क (डानिडा) | बुनियादी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम | 49.51 करोड़ रुपये | 1.90 करोड़ रुपये |
| | | | राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम | 1999-2000<br>58.34 लाख रुपये<br><br>2000-01<br>60.00 लाख रुपये | इस धन राशि का पूरा उपयोग कर लिया गया है। |
| | | विश्व बैंक | राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम | 1998-99<br>976.67 लाख रुपये<br>1999-2000<br>740..81 लाख रुपये<br><br>2000-01<br>473.00 लाख रुपये | 1998-99<br>654.23 लाख रुपये<br><br>1999-2000<br>1,116.21 लाख रुपये<br>2000-01<br>382.17 लाख रुपये |
| 5. | महाराष्ट्र | जर्मनी<br>यू एस ए. | बुनियादी स्वास्थ्य कार्यक्रम<br>एवीईआरटी-एड/एचआईवी कार्यक्रम | डीएम 20.0 मिलियन<br>41.5 मिलियन अमरीकी डालर | डीएम 2.225 मिलियन<br>0.00 |
| | | विश्व बैंक | राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम | 1998-99<br>449.25 लाख रुपये<br><br>1999-2000<br>664.88 लाख रुपये<br><br>437.00 लाख रुपए | 1998-99<br>702.38 लाख रुपये<br><br>1999-2000<br>1,203.74 लाख रु.<br>2000-01<br>321.25 लाख रुपए |
| | | विश्व बैंक | महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना | 134.0 मिलियन अमरीकी डालर | 4.431 मिलियन अमरीकी डालर |
| 6. | उड़ीसा | डीएफआईडी | उड़ीसा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परियोजना चरण-3 अवस्था-1 | 3.287 मिलियन पौंड | 0.419 मिलियन पौंड |
| | | | *प्रजनन स्वास्थ्य परियोजना, उड़ीसा (तकनीकी सहयोग के अंतर्गत अनुदान भारत सरकार के बजट के माध्यम से नहीं दिया जाता) | 4.99 मिलियन पौंड | |
| | | डेनमार्क (डानिडा) | राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम | 31.96 करोड़ रुपये | 1.31 करोड़ रुपये |
| | | डेनमार्क (डानिडा) | राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम | 1999-2000<br>64.81 लाख रुपये | इस धनराशि का पूरा उपयोग कर लिया गया है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2000-01<br>53.23 लाख रुपये | |
| | | डेनमार्क (डानिडा) | राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम | 1998-99<br>551.08 लाख रुपये<br>1999-2000<br>420.25 लाख रुपए<br>2000-01<br>1087.00 लाख रुपए | 1998-99<br>382.08 लाख रुपये<br>1999-2000<br>793.53 लाख रुपए<br>2000-01<br>1546.85 लाख रुपए |
| | | विश्व बैंक | उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना | 76.4 मिलियन अमरीकी डालर | 6.026 मिलियन अमरीकी डालर |
| 7. | राजस्थान | विश्व बैंक | राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम | 1998-99<br>324.50 लाख रुपये<br>1999-2000<br>314.18 लाख रुपये<br>2000-01<br>759.00 लाख रुपये | 1998-99<br>545.19 लाख रुपये<br>1999-2000<br>339.77 लाख रुपये<br>2000-01<br>1085.75 लाख रुपये |
| 8. | सिक्किम | फ्रांस | नामची अस्पताल का आधुनिकीकरण | एफएफ 24.0 मिलियन | एफएफ 20.9 मिलियन |
| 9. | तमिलनाडु | डेनमार्क (डानिडा) | क्षेत्र स्वास्थ्य परिचर्या परियोजना | 51.50 करोड़ रुपये | 33.77 करोड़ रुपए |
| | | | राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम | 1998-99<br>20.0 लाख रुपये<br>1999-2000<br>27.88 लाख रुपये<br>2000-01<br>147.74 लाख रुपये | धन का पूरा उपयोग कर लिया गया है। |
| | | यू एस एड | एड्स निवारण और नियंत्रण | 10.0 मिलियन अमरीकी डालर | 4.295 मिलियन अमरीकी डालर |
| | | विश्व बैंक | राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम | 1998-99<br>866.85 लाख रुपये<br>1999-2000<br>1009.82 लाख रुपये<br>2000-01<br>523.25 लाख रुपये | 1998-99<br>931.64 लाख रुपये<br>1999-2000<br>600.48 लाख रुपये<br>2001-01<br>501.26 लाख रुपये |
| 10. | पश्चिम बंगाल | डीएफआईडी | पश्चिम बंगाल यौन स्वास्थ्य परियोजना (तकनीकी सहयोग के अंतर्गत अनुदान भारत सरकार के माध्यम से नहीं दिया जाता) | 3.930 मिलियन पौंड | - |
| | | जर्मनी | बुनियादी स्वास्थ्य कार्यक्रम | डीएम 60.0 मिलियन | शून्य |

*राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे कार्यक्रम*

| क्र. सं. | राज्य का नाम | दाता का नाम | परियोजना का नाम | आबंटित धनराशि | उपयोग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और उड़ीसा | डीएफआईडी | यौन स्वास्थ्य सहभागिता | 28.10 मिलियन पौंड | वितरण आरम्भ नहीं हुआ |
| 2. | मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और उड़ीसा | डेनमार्क | राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम | 43.89 करोड़ रुपये | 2.96 करोड़ रुपये |
| 3. | केरल और उड़ीसा | इटली | मातृ शिशु परिचर्या परियोजना | आईटीएल 2.0 बिलियन | मई, 2000 में आबंटित वितरण की जानकारी नहीं। |
| 4. | राजस्थान और कर्नाटक | कनाडा | भारत-कनाडा सहयोग एच आई वी/एड्स परियोजना | 12.748 बिलियन कनेडियन डालर | 0.00 |
| 5. | कर्नाटक, पंजाब और पश्चिम बंगाल | विश्व बैंक | 2 राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना | 191.0 मिलियन अमरीकी डालर | 39.479 मिलियन अमरीकी डालर |
| 6. | उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा | विश्व बैंक | मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता नियंत्रण परियोजना | 117.8 मिलियन अमरीकी डालर | 50.74 मिलियन अमरीकी डालर |
| 7. | बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दमन एवं दीव | विश्व बैंक | कुष्ठ उन्मूलन परियोजना | 75.933 मिलियन अमरीकी डालर | 73.97 मिलियन अमरीकी डालर |
| 8. | सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | विश्व बैंक | दूसरी एच आई वी/एड्स नियंत्रण परियोजना | 229.8 मिलियन अमरीकी डालर | 33.613 मिलियन अमरीकी डालर |
| 9. | सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | विश्व बैंक | मलेरिया नियंत्रण परियोजना | 164.8 मिलियन अमरीकी डालर | 32.643 मिलियन अमरीकी डालर |
| 10. | सभी राज्य | विश्व बैंक | क्षय रोग नियंत्रण | 142.4 मिलियन अमरीकी डालर | 21.782 मिलियन अमरीकी डालर |

**परिव्यय योजना को अंतिम रूप दिया जाना**

5679. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:**
**श्री सुशील कुमार शिंदे:**
**श्री अब्दुल हमीद:**
**श्रीमती रेणूका चौधरी:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000-2001 और वर्ष 2001-2002 के लिए परिव्यय योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा योजना आवंटन को अंतिम रूप देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(घ) क्या कई राज्य सरकारों ने मंजूरशुदा परिव्यय योजना की आलोचना की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी):** (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2000-2001 के लिए राज्यों के वार्षिक योजना परिव्यय को, वर्ष के दौरान राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपाध्यक्ष, योजना आयोग के बीच हुई बैठक में अन्तिम रूप दिया गया । चालू वर्ष अर्थात 2001-2002 के लिए अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, और त्रिपुरा के संबंध में राज्य योजना परिव्यय को अन्तिम रूप दे दिया गया है। शेष राज्यों के योजना परिव्यय को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। वर्ष 2000-2001 के लिए मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय की तुलना में संशोधित योजना परिव्यय और वर्ष 2001-2002 के लिए सहमत परिव्यय के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के लिए राज्यों के योजना परिव्यय को संबंधित राज्यों के परामर्श से (1) नौवीं योजना के पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में राज्य की योजना हेतु कुल वास्तविक संसाधन जुटाव की प्रवृत्ति, और (2) योजना के वित्तपोषण हेतु उपलब्ध संसाधनों के यथार्थ आकलन को ध्यान में रखते हुए अन्तिम रूप दिया गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

***विवरण***

*वर्ष 2001-2002 के लिए राज्यवार सहमत परिव्यय तथा वर्ष 2000-01 के लिए अनुमोदित और संशोधित परिव्यय*

(करोड़ रुपये)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | अनुमोदित परिव्यय 2000-01 | | सहमत परिव्यय 2001-2002 |
|---|---|---|---|---|
| | | मूल | संशोधित | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 7,708.00 | 6,660.14 | @ |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 640.00 | 605.41 | 661.00 |
| 3. | असम | 1,520.00 | 1,520.00* | @ |
| 4. | बिहार | 3,100.00 | 1,736.72 | @ |
| 5. | गोवा | 332.00 | 347.00 | 460.00 |
| 6. | गुजरात | 7,600.00 | 7,010.00 | @ |
| 7. | हरियाणा | 1,920.00 | 1,825.20 | 2,150.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1,382.00 | 1,720.00 | @ |
| 9. | जम्मू तथा कश्मीर | 1,753.00 | 1,753.00* | @ |
| 10. | कर्नाटक | 7,250.00 | 6,785.37 | @ |
| 11. | केरल | 3,317.00 | 2,493.25 | @ |
| 12. | मध्य प्रदेश | 3,295.58 | 3,300.58 | 3,620.00 |
| 13. | महाराष्ट्र | 11,500.00 | 11,500.00 | @ |
| 14. | मणिपुर | 451.00 | 429.57 | @ |
| 15. | मेघालय | 480.00 | 467.00 | 487.00 |
| 16. | मिजोरम | 401.26 | 396.71 | 410.00 |
| 17. | नागालैंड | 326.00 | 326.16 | 405.00 |
| 18. | उड़ीसा | 2,665.00 | 2,555.25 | @ |
| 19. | पंजाब | 2,420.00 | 2,147.14 | @ |
| 20. | राजस्थान | 4,146.00 | 4,247.94 | @ |
| 21. | सिक्किम | 250.00 | 250.00* | 300.00 |
| 22. | तमिलनाडु | 5,700.00 | 5,775.30 | @ |
| 23. | त्रिपुरा | 485.00 | 422.60 | 560.00 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 9,025.00 | 6,756.79 | @ |
| 25 | पश्चिम बंगाल | 4,026.59 | 4,026.59* | @ |

@अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया।
*राज्य सरकार द्वारा संशोधन नहीं मांगा गया, अनुमोदित परिव्यय दोहराया गया।

*[हिन्दी]*

**योजना आयोग का क्षेत्राधिकार**

**5680. श्रीमती शीला गौतम:**
**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन क्षेत्रों में योजना आयोग के क्षेत्राधिकार को सीमित करने का है जहां व्यापक योजना बनाये जाने की जरूरत है और बाकी क्षेत्रों में योजना बनाए जाने की शक्तियां संबंधित केन्द्रीय मंत्रियों और राज्य सरकार को प्रत्यायोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी):** (क) से (ग) वर्तमान में योजना आयोग बदले हुए घरेलू और भूमण्डलीय परिदृश्य में आयोग की और अधिक प्रभावी भूमिका क्या होनी चाहिए, को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। इस संबंध में, बदलते हुए आर्थिक

परिदृश्य के परिणामस्वरूप योजना आयोग की भूमिका पर बनाए गए एक नोट पर प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 30 सितम्बर, 2000 को हुई योजना आयोग की पूर्ण बैठक में विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव का मोटे तौर पर अनुमोदन किया गया और इस पर उपाध्यक्ष और केन्द्रीय वित्त मंत्री के बीच आगे और चर्चा की जानी है।

गत वर्षों से, योजना आयोग ने अपने आपको मुख्य रूप से अपनी आयोजना और आवंटित कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अर्थव्यवस्था की निवेश आयोजना का कार्य करने तक सीमित रखा है जिसमें केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के बीच निधि का आबंटन और राज्य योजनाओं को साथ ही केन्द्रीय क्षेत्रक में मंत्रालयों/विभागों से परे योजनाओं को केन्द्रीय सहायता का आबंटन शामिल है। इस कार्य में दोनों पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं के निरूपण की प्रक्रिया-उनकी समीक्षा, मानीटरिंग और अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई निहित है। तथापि, इस कार्यकलाप का अपना कुछ महत्व अर्थव्यवस्था में कुल निवेश में सार्वजनिक निवेश के घटते हुए शेयर और बदलती हुई अर्थव्यवस्था तथा प्रशासन के कारण जो राष्ट्र के विकास लक्ष्यों को वितरित करने में बाजार पर अत्यधिक निर्भरता, महत्वपूर्ण सामाजिक और आधारित संरचना क्षेत्रक में क्षमता निर्माण का निरीक्षण करने की इसकी प्रासंगिकता का पहले से अधिक महत्वपूर्ण मांगपरक और तात्कालिक बने रहने जैसे दोनों कारणों से समाप्त हो चुका है।

बदलती हुई घरेलू आर्थिक नीतिगत व्यवस्था और उभरती हुई भूमण्डलीय व्यवस्था के साथ अर्थव्यवस्था का समान रूप से तीव्र गति से एकीकरण के सामने, निवेश आयोजना अब तक मात्र, अथवा सर्वोत्तम अथवा सर्वाधिक विकासगामी प्रभावी साधन नहीं रहा है। वास्तव में एक ऐसा वातावरण जो व्यक्तिगत पहल को प्रोत्साहित कर सके और सभी को अवसर उपलब्ध कराने में अग्रसर हो सके, के सृजन को सुलभ बनाने के लिए राज्य की भूमिका और इस प्रकार की योजना को सामान्य रूप से आर्थिक क्रियाकलाप में और विशेष रूप से उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से अलग होना होगा। अतः योजना को प्रतिस्पर्धी क्षेत्रकों और क्षेत्रों के बीच मात्र बजटीय आबंटन के कार्य से आगे बढ़ना है, क्योंकि मात्र यही काफी नहीं है और समय एवं स्थान के अनुसार नीतिगत सामंजस्य सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ना है। इसके लिए योजना आयोग को "थिंक टैंक" विशेषज्ञता आधान के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करना अपेक्षित है।

**गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डालना**

**5681. श्री रामशकल:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में विशेषकर मिर्जापुर, सोनभद्र, कुशीनगर और देवरिया जिलों में गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक दंडित किए गए गैर-सरकारी संगठनों के नाम सहित ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे संगठनों के विरुद्ध अब तक की गई कार्रवाई की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी):** (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर मिर्जापुर, सोनभद्र, कुशीनगर तथा देवरिया जिलों में गत तीन वर्षों से आज तक दंडित गैर-सरकारी संगठनों के नाम संलग्न विवरण दिए गए हैं।

इन संगठनों को या तो काली सूची में डालने या अगली सहायता रोकने के लिए कार्रवाई की गई है। संबंधित राज्य सरकार/जिला कलेक्टर से सरकारी सहायता से सृजित परिसम्पत्तियों को जब्त करने, उसका निपटान करने, इससे प्राप्त धन को सरकार के पास जमा करने तथा शेष राशि का भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने के लिए कहा गया है।

*विवरण*

| क्र.सं. | संगठन का नाम और पता | परियोजना का नाम | अन्तर्गत राशि (रु. लाख में) | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अखिल भारतीय समाज कलवन्त प्रतिष्ठान सेवा, पूरी, देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश | ए डी आई पी योजना | 1.28 | वर्ष 1998-99 में काली सूचीबद्ध |
| 2. | रचना संस्थान, ग्राम लेहनी जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश | विकलांगों के लिए विशेष स्कूल | 1998-2001 में कोई अनुदान नहीं दिया गया है। | मंत्रालय के अधिकारियों से प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद सहायता अनुदान रोक दिया गया है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | अंजुमन मदरसा इस्लामिया, उराई, जालौन, उत्तर प्रदेश | नशीली दवा (दुरुपयोग) | 5.10 | 1999-2000 में काली सूचीबद्ध |
| 4. | नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ सोसल वेलफेयर, 5/13/43-बी गुरूद्वारा के पीछे, खवासपुरा, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) | मद्यपान और पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण | 14.00 | 1999-2000 में काली सूचीबद्ध |
| 5. | सर्वोदय ग्राम एवं महिला विकास संस्थान, एम.रामपुर (उत्तर प्रदेश) | मद्यपान और पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण | 2.57 | 1999-2000 में काली सूचीबद्ध |
| 6. | अम्बेडकर शिक्षा प्रसारक समिति, नीलेचल, महाराजगंज (उत्तर प्रदेश) | मद्यपान और पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण | 5.10 | 1999-2000 में काली सूचीबद्ध |
| 7. | अभिनव सेवा संस्थान, द्वारिका गंज, सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) | मद्यपान और पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण | 15.00 | 1999-2000 में काली सूचीबद्ध |
| 8. | नन्दिनी बाल विकास एवं ग्रामीण ग्रामोद्योग सेवा समिति, ग्राम-परवती, पी.ओ. हरवंशपुर, जिला-गोंडा (उत्तर प्रदेश) | मद्यपान और पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण | 1.35 | 1999-2000 में काली सूचीबद्ध |
| 9. | राष्ट्रीय समाज कल्याण संस्था, बी-405, गोपाल टावर, 50, रामतीरथ मार्ग लखनऊ (उत्तर प्रदेश) | कुष्ठरोग मुक्त व्यक्तियों के लिए परियोजना | 11.00 | 1999-2000 में काली सूचीबद्ध |
| 10. | जनकल्याण एवं नारी उत्थान समिति, 104, साहिबगंज, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) | मद्यपान और पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण | 6.80 | 1999-2000 में काली सूचीबद्ध |
| 11. | परोपकारी संस्थान, एल.एस-2/648, सेक्टर-एफ, जानकीपुरम, लखनऊ | सामान्य सहायता अनुदान | 1.69 | 2000.2001 में काली सूचीबद्ध |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 12. | भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, जय नारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़, फरुखाबाद (उत्तर प्रदेश) | सामान्य सहायता अनुदान | 0.98 | 2000-2001 में काली सूचीबद्ध |
| 13. | मानव शिक्षा प्रसार समिति, 280/69, तिलकनगर, बाघम्बरी रोड, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) | सामान्य सहायता अनुदान | 1.66 | 2000-2001 में काली सूचीबद्ध |
| 14. | बाल विकास एवं महिला कल्याण परिषद्, जिला-गोंडा (उत्तर प्रदेश) | शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र | 5.00 | 2000-2001 में काली सूचीबद्ध |
| 15. | किशन शिक्षण संस्थान, ग्राम-जैतनगर, पो. खाजोना, जिला-हरदोई | कुष्ठरोग मुक्त व्यक्तियों के लिए परियोजना | 10.40 | मंत्रालय के अधिकारियों की प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद सहायता अनुदान रोक दिया गया है। अगली कार्रवाई की जाएगी। |
| 16. | जन सेवा संस्थान, ग्राम पो.-कौंधियारा, जिला-इलाहाबाद | 1. कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों का पुनर्वास 2. विकलांगों के लिए विशेष स्कूल | 1998-2001 में कोई अनुदान नहीं दिया गया है। | मंत्रालय के अधिकारियों की प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद सहायता अनुदान रोक दिया गया है। अगली कार्रवाई की जाएगी। |
| 17. | सर्व कल्याण संस्थान 564/44, गुरुनानक नगर, आलमबाग, लखनऊ | कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के लिए परियोजना | 12.06 | जारी सिफारिश के आधार पर गैर-सरकारी संगठन द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार का पत्र प्राप्त होने पर अनुदान रोक दिया गया । काली सूची में डालने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी। |
| 18. | प्रभात अन्तर्राष्ट्रीय, एम.डी.-1, सेक्टर-डी, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर, लखनऊ | कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के लिए परियोजना | 1.29 | जारी सिफारिश के आधार पर गैर-सरकारी संगठन द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार का पत्र प्राप्त होने पर अनुदान रोक दिया गया। काली सूची में डालने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी। |
| 19. | अनन्त आश्रम, एल.डी. 19, सेक्टर-एफ, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ | कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के लिए परियोजना | 7.14 | जारी सिफारिश के आधार पर गैर-सरकारी संगठन द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार का पत्र प्राप्त होने पर अनुदान रोक दिया गया। काली सूची में डालने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 20. | सेवा लोक कल्याण समिति, तरंगिनी मार्ग, एलिडको कालोनी बांगला बाजार, पो. भदरुख, लखनऊ | कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के लिए परियोजना | 2.41 | जारी सिफारिश के आधार पर गैर-सरकारी संगठन द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार का पत्र प्राप्त होने पर अनुदान रोक दिया गया। काली सूची में डालने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी। |
| 21. | अवध संस्थान, रामघाट अयोध्या, फैजाबाद | विकलांगों के लिए विशेष स्कूल | 7.65 | जारी सिफारिश के आधार पर गैर-सरकारी संगठन द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार का पत्र प्राप्त होने पर अनुदान रोक दिया गया। काली सूची में डालने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी। |
| 22. | जनता सेवा संस्थान, रोज सुल्तानपुर, जिला-अम्बेडकर नगर | कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के लिए परियोजना | 15.00 | जारी सिफारिश के आधार पर गैर-सरकारी संगठन द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार का पत्र प्राप्त होने पर अनुदान रोक दिया गया। काली सूची में डालने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी। |

*[अनुवाद]*

**गांवों में स्थापित किए गए ग्रामीण उद्योग**

**5682. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन:** क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तमिलनाडु के गांवों में अब तक स्थापित किए गए ग्रामीण उद्योगों की संख्या कितनी है और उनमें कितने लोग काम कर रहे हैं;

(ख) पंजीकृत ग्रामीण उद्योगों/संस्थानों का ब्यौरा है;

(ग) इन उद्योगों की वर्तमान स्थिति कैसी है और कितने उद्योग लाभ अर्जित कर रहे हैं और उनमें से कितने घाटा उठा रहे हैं;

(घ) क्या घाटा उठाने वाले उद्योगों को सहायता उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) खादी ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी), जीवनक्षम उद्योग इकाइयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तथापि, खादी ग्रामोद्योग आयोग स्वयं ग्रामोद्योगों की स्थापना नहीं करता। 31.03.2000 की यथा-स्थिति के अनुसार तमिलनाडु राज्य की ग्रामोद्योग इकाईयों में लगभग 10.51 लाख व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) ऐसी कोई भी सूचना केन्द्रीय रूप से तैयार नहीं की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी सेवाएं**

**5683. श्री सुबोध मोहिते:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग ने सी.जी.एच.एस. के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी सेवाओं के उन्नयन, विस्तार और सुदृढ़ीकरण हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने प्रस्ताव पर क्या फैसला लिया है;

(ग) क्या सरकार सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी का प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की बजाय भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी विभाग के नियंत्रणाधीन करने पर विचार कर रही हैं;

(घ) क्या सी.जी.एच.एस. के निदेशालय में भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के वरिष्ठ अधिकारियों का पद वैकल्पिक रूप से दिया जाए; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस पर क्या निर्णय है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी सेवाओं का उन्नयन, विस्तार और समेकन का कार्य भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग के दायरे में नहीं आता है। यह कार्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा देखा जाता है। तथापि, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी सेवाओं के उन्नयन, विस्तार और समेकन के लिए एक प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को भेजा था जिस पर इसकी व्यवहारिकता और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा सकती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

**कर्नाटक में कृषि और ग्रामीण उद्योग**

**5684. श्री आर.एस. पाटिल:** क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में विशेषकर बगलकोट और बीजापुर जिलों में कुल कितने कृषि और ग्रामीण उद्योग स्थापित किए गए;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 2001-2002 के दौरान बगलकोट जिले में और कृषि और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) औद्योगिकीकरण, संबंधित राज्य सरकारों का विशिष्ट उत्तरदायित्व है, और केन्द्रीय सरकार इस प्रयास में राज्य सरकारों की अनुपूरक है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अनुदान, ब्याज सब्सिडी, छूट, प्रशिक्षण, विपणन आदि के रूप में खादी एवं ग्रामोद्योग के संवर्धन और विकास के लिए सहायता प्रदान करता है, तथापि स्वयं किसी इकाई की स्थापना नहीं करता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**भारत और जर्मनी के विशेषज्ञों की बैठक**

**5685. श्री सुशील कुमार शिंदे:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और जर्मनी के विशेषज्ञों की अपने देशों की अंतर्राष्ट्रीय छवि को सुधारने हेतु तौर तरीके पर चर्चा करने के लिए मार्च, 2001 को नई दिल्ली में एक तीन दिवसीय बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू):** (क) जी, हां। 'हाई स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में जर्मनी में भारत की छवि और

भारत में जर्मनी की छवि' की समीक्षा से संबद्ध भारत-जर्मन विशेषज्ञों की बैठक भारत में जर्मन उत्सव 2000-2001 के भाग के रूप में नई दिल्ली में 12-14 मार्च, 2001 तक संपन्न हुई थी।

(ख) विशेषज्ञों ने अपने-अपने देश में उपलब्ध सूचना को बढ़ाने संबंधी रणनीतियां विकसित करने के तौर-तरीकों पर चर्चा की ताकि एक-दूसरे की संस्कृतियों और मूल्यों की बेहतर परस्पर समझबूझ को बढ़ाया जा सके। इस बैठक में हाई स्कूल पाठ्य पुस्तकों में एक दूसरे के परस्पर बोध में परिवर्तनों को क्रियान्वित करने के लिए एक संयुक्त दल की स्थापना की भी सिफारिश की गई।

*[हिन्दी]*

## रोजगार सृजन में कमी

**5686. श्री नवल किशोर राय:**
**श्री रामजीलाल सुमन:**

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवें दशक के मुकाबले नौवें दशक के दौरान घरेलू उत्पादन, रोजगार अवसरों के सृजन और लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात में कमी आयी है;

(ख) यदि नहीं, तो आठवें और नौवीं दशक के दौरान अलग-अलग लघु औद्योगिक इकाइयों की कुल संख्या कितनी थी और उनसे कुल कितने मूल्य का उत्पादन हुआ तथा उनके द्वारा रोजगार के अवसरों के सृजन की वार्षिक दर कितनी रही; और

(ग) उक्त दशकों के दौरान इस संबंध में अंतर के क्या कारण हैं?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) अस्सी और नब्बे के दशक के दौरान लघु उद्योग इकाईयों की अनुमानित कुल संख्या और वर्ष-वार उत्पादन के अनुमानित कुल मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अस्सी और नब्बे के दशक के दौरान रोजगार के अवसरों के सृजन की वार्षिक दर अनुमानत: क्रमश: 7.8 प्रतिशत और 4.9 प्रतिशत थी। रोजगार की वृद्धि दर में कमी विद्यमान लघु उद्योगों के आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा निम्न श्रमिक प्रबलता वाले नए लघु उद्योग क्रियाकलापों के प्रकट होने के साथ जोड़ा जा सकता है।

***विवरण***

| वर्ष के दौरान | लघु उद्योग इकाईयों की संख्या (लाखों में संख्या) | 1970-71 के मूल्यों पर कुल उत्पादन (करोड़ रुपये) |
|---|---|---|
| 1980-81 | 8.74 | 10906 |
| 1981-82 | 9.62 | 11837 |
| 1982-83 | 10.59 | 12800 |
| 1983-84 | 11.55 | 14120 |
| 1984-85 | 12.40 | 15810 |
| 1985-86 | 13.53 | 17840 |
| 1986-87 | 14.62 | 20187 |
| 1987-88 | 15.83 | 22742 |
| 1988-89 | 17.12 | 25672 |
| 1989-90 | 18.23 | 28960 |
| 1990-91 | 19.48 | 31160 |
| 1991-92 | 20.82 | 32129 |
| 1992-93 | 22.46 | 33935 |
| 1993-94 | 23.88 | 36948 |
| 1994-95 | 25.71 | 37362 |
| 1995-96 | 26.58 | 41621 |
| 1996-97 | 28.03 | 46333 |
| 1997-98 | 29.44 | 50239 |
| 1998-99 | 30.80 | 54108 |
| 1999-2000 | 32.12 | 58523 |

## अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की पहल

**5687. श्री थावर चन्द गेहलोत:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या पहल की गयी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारतीय पहल का समर्थन किया?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू)** : (क) आतंकवाद से सम्बद्ध व्यापक अभिसमय; नाभिक हथियारों के

प्रयोग के निषेध से सम्बद्ध अभिसमय; अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा निरस्त्रीकरण के संदर्भ में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका; और नाभिकीय खतरे को कम करना कुछ ऐसी पहलकदमियां हैं जिन्हें भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्पों के जरिए किया। भारत समूह 77 या गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के माध्यम से लगभग सभी आर्थिक तथा सामाजिक मसलों और कई राजनीतिक मुद्दों को परिचालित करता है, और इसीलिए आमतौर पर किसी विशेष पहलकदमी के साथ उसे मान्यता नहीं मिलेगी।

(ख) 151 देशों ने आंतकवाद से सम्बद्ध व्यापक अभिसमय पर कार्य जारी रखने की भारत की पहलकदमी का समर्थन किया है तथा अन्य पहलकदमियों के लिए समर्थन का रिकार्ड भी प्रभावशाली है।

*[अनुवाद]*

## बाड़ लगाना

**5688. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या पाकिस्तान ने मान्य सीमा पर बाड़ लगाने का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू):** (क) से (ग) भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर तथा पाकिस्तान के बीच सीमा सहित भारत-पाकिस्तान सीमा के किसी भाग के लिए ''कार्यकारी सीमा'' शब्द लागू नहीं हो सकता है।

हमारे सुरक्षा बलों ने समय-समय पर जम्मू और कश्मीर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर रक्षा संरचनाओं के निर्माण का कार्य किया है। संरचना की प्रकृति और प्रकार हमारी सुरक्षा आवश्यकताओं के मूल्यांकन पर आधारित होता है। इस संदर्भ में, जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवादियों की पाकिस्तान प्रायोजित घुसपैठ को ध्यान में रखना होता है। हमारे सुरक्षा बल यथा आवश्यक होने पर इस प्रकार की संरचनाओं को निर्मित करना जारी रखेंगे। किसी प्रकार की रक्षा संरचनाओं का निर्माण करने के संबंध में पाकिस्तान की आपत्तियां अतार्किक हैं और हमने उन्हें खारिज कर दिया है।

जम्मू और कश्मीर राज्य भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग है। इस राज्य के प्रदेश के एक भाग पर पाकिस्तान ने बलात और अवैध कब्जा कर रखा है। शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के तहत, जो भारत-पाकिस्तान संबंधों के लिए आधार हैं, दोनों देश सभी अनसुलझे मसलों का समाधान प्रत्यक्ष द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से शान्तिपूर्ण रूप से करने के लिए वचनबद्ध हैं।

## भारतीय लक्ष्य विमानों की खरीद में इजरायल द्वारा गहरी रुचि दर्शाना

**5689. श्रीमती डी.एम. विजयाकुमारी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या इजरायल ने भारत के स्वदेश निर्मित लक्ष्य विमान को खरीदने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं;

(ग) क्या इस विमान को खरीदने के लिए कोई और देश भी आगे आया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह):** (क) और (ख) इस्राइल के रक्षा मंत्रालय ने पायलट रहित लक्ष्यभेदी विमान 'लक्ष्य' के तकनीकी ब्यौरों के लिए अनुरोध किया था। ये ब्यौरे उन्हें मुहैया करवा दिए गए हैं।

(ग) और (घ) कुछ अन्य देशों से केवल कुछ आरंभिक पूछताछ संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

## मानसिक विकृतियां

**5690. डा. जसवंतसिंह यादव:**
**श्री सुरेश रामराव जाधव:**

**क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों से देश में मानसिक विकृतियां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2001 को मानसिक स्वास्थ्य वर्ष के रूप में मनाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) और (ख) जी हां। मानसिक बीमारियों वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने का कारण जनसंख्या में वृद्धि जैसे कारकों से जनांकिकी स्थितियों में परिवर्तन होना तथा विश्व भर में अवसाद की दर में समग्र वृद्धि का होना है। जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी अध्ययनों से पता चलता है कि जनसंख्या के 1 से 2 प्रतिशत लोगों को बड़े मानसिक विकार हैं और 5 से 10 प्रतिशत छोटे-मोटे मानसिक विकारों से पीड़ित हैं।

(ग) सरकार ने देश के चुने हुए जिलों में मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों को परिचर्या प्रदान करने के लिए एक प्रायोगिक कार्यक्रम पहले ही आरम्भ किया है। इस समय 20 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 25 जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न मानसिक विकारों तथा मिरगी से पीड़ित व्यक्तियों का पता लगाना और उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और जिला स्तर पर प्रशिक्षित डाक्टरों तथा उन परिवारों और समुदाय से सक्रिय सहायता प्रदान करके उपचार प्रदान करना है, जहां रोगी रहता है।

(घ) और (ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 7.4.2001 को विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय "मानसिक स्वास्थ्य-बहिष्कार नहीं-उपचार करने का साहस करें" की घोषणा की है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर जागरुकता बढ़ाने के लिए एक विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रायोजित वैश्विक स्कूल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों को उजागर करने के लिए संगोष्ठियां आयोजित की गई।

## अन्य पिछड़े वर्गों के आई.ए.एस./ आई.पी.एस. अधिकारी

**5691. श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि के अनुसार संवर्गवार और राज्यवार कुल कितने आई.ए.एस./आई.पी.एस. अधिकारी कार्यरत हैं;

(ख) क्या क्रीमीलेयर प्रणाली लागू किए जाने के बाद अन्य पिछड़े वर्गों के आई.ए.एस./आई.पी.एस. बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की ऐसी कठिनाइयों को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और महिला आई.ए.एस./आई.पी.एस. अधिकारियों का राज्य वार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) इस बारे में विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) इंदिरा साहनी बनाम भारत-संघ और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप, सरकार ने समाज के, सामाजिक रूप से उन्नत वर्गों के व्यक्तियों को भारत-सरकार के पदों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों को सुलभ आरक्षण का लाभ नहीं लेने देने के कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं। उपर्युक्त मानदंड, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से निर्धारित किए गए हैं कि सामाजिक सुविधाओं से वंचित अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को पदों में आरक्षण का पूरा लाभ मिले। ये मानदंड, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के पदों के संबंध में, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के मामले में भी लागू हैं।

(घ) इस बारे में विवरण सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

***विवरण***

*20.04.2001 को मौजूद स्थिति के अनुसार, संवर्ग/राज्य-वार कार्यरत, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या*

| क्र.सं. | संवर्ग/राज्य | कार्यरत अधिकारियों की संख्या | महिला अधिकारियों की संख्या | अनुसूचित जातियों के अधिकारियों की संख्या | अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या | अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 315 | 33 | 36 | 14 | 10 |
| 2. | ए.जी.एम.यू.टी.** | 239 | 39 | 28 | 19 | 06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | असम और मेघालय | 207 | 10 | 09 | 28 | 05 |
| 4. | बिहार | 246 | 19 | 20 | 11 | 07 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 90 | 08 | 07 | 08 | 02 |
| 6. | गुजरात | 226 | 24 | 19 | 11 | 07 |
| 7. | हरियाणा | 208 | 31 | 32 | 02 | 02 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 126 | 17 | 09 | 13 | 02 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 113 | 03 | 07 | 04 | 02 |
| 10. | झारखंड | 117 | 15 | 12 | 15 | 03 |
| 11. | कर्नाटक | 265 | 36 | 34 | 08 | 05 |
| 12. | केरल | 181 | 21 | 26 | 05 | 05 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 317 | 47 | 33 | 08 | 06 |
| 14. | महाराष्ट्र | 343 | 41 | 42 | 09 | 08 |
| 15. | मणिपुर और त्रिपुरा | 152 | 04 | 06 | 27 | 03 |
| 16. | नागालैंड | 53 | 01 | 01 | 14 | — |
| 17. | उड़ीसा | 197 | 17 | 17 | 08 | 07 |
| 18. | पंजाब | 193 | 27 | 27 | 01 | 06 |
| 19. | राजस्थान | 242 | 31 | 29 | 13 | 07 |
| 20. | सिक्किम | 42 | 04 | 03 | 10 | 01 |
| 21. | तमिलनाडु | 329 | 37 | 57 | 12 | 11 |
| 22. | उत्तरांचल | 72 | 07 | 11 | 04 | 01 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 483 | 43 | 63 | 11 | 16 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 301 | 25 | 29 | 14 | 06 |
| | कुल | 5057 | 540 | 557 | 269 | 121 |

** ए. जी. एम. यू. टी. संवर्ग में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और सभी संघ-राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

*15.11.2000 को मौजूद स्थिति के अनुसार संवर्ग/राज्य-वार कार्यरत, भारतीय पुलिस-सेवा के अधिकारियों की संख्या*

| क्र.सं. | संवर्ग/राज्य | कार्यरत अधिकारियों की संख्या | महिला अधिकारियों की संख्या | अनुसूचित जातियों के अधिकारियों की संख्या | अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या | अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 187 | 11 | 20 | 10 | 25 |
| 2. | ए.जी.एम.यू.टी.** | 155 | 10 | 21 | 13 | 04 |
| 3. | असम और मेघालय | 135 | 04 | 08 | 25 | 07 |
| 4. | बिहार | 161 | 07 | 17 | 10 | 16 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 59 | — | 04 | 05 | 01 |
| 6. | गुजरात | 139 | 04 | 17 | 11 | 11 |
| 7. | हरियाणा | 111 | 06 | 17 | — | 09 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 76 | 01 | 04 | 04 | 03 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 86 | 01 | 08 | 04 | 05 |
| 10. | झारखंड | 86 | 09 | 13 | 08 | 05 |
| 11. | कर्नाटक | 140 | 05 | 18 | 08 | 05 |
| 12. | केरल | 112 | 02 | 13 | 03 | 24 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 219 | 08 | 36 | 15 | 06 |
| 14. | महाराष्ट्र | 206 | 06 | 31 | 09 | 19 |
| 15. | मणिपुर और त्रिपुरा | 103 | 03 | 04 | 18 | 02 |
| 16. | नागालैंड | 40 | 01 | — | 27 | 03 |
| 17. | उड़ीसा | 129 | 07 | 15 | 04 | 08 |
| 18. | पंजाब | 143 | 06 | 23 | 03 | 07 |
| 19. | राजस्थान | 148 | 05 | 13 | 11 | 17 |
| 20. | सिक्किम | 25 | — | 02 | 06 | 02 |
| 21. | तमिलनाडु | 176 | 08 | 28 | 06 | 73 |
| 22. | उत्तरांचल | 42 | 04 | 05 | 05 | 01 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 359 | 07 | 61 | 07 | 20 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 248 | 04 | 30 | 15 | 07 |
| | कुल | 3285 | 119 | 408 | 229 | 280 |

** ए. जी. एम. यू. टी. संवर्ग में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और सभी संघ-राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

**उपग्रहों के प्रक्षेपण में हुई दुर्घटनाओं की प्रतिपूर्ति**

**5692. श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतरिक्ष-स्थित विभिन्न उपग्रहों से संबंधित किसी दुर्घटना के संभावित प्रभावों पर विचार किया है;

(ख) क्या अंतरिक्ष-संबंधी संधियों में उक्त दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों/संस्थानों को प्रतिपूर्ति बीमा-सुविधा देने के लिए कोई प्रावधान रखा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) और (ख) जी, हां।

(ग) 'अन्तरिक्ष पदार्थों द्वारा होने वाली क्षति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय देयता पर कन्वेंशन' को संयुक्त राष्ट्र संघ ने तैयार किया था और इस पर भारत सहित 107 देशों ने हस्ताक्षर किये। इस कन्वेंशन में प्रमोचित करने वाले देश द्वारा पृथ्वी की सतह अथवा उड़ाने भरते हुए वायुयान अथवा अन्तरिक्ष में किसी अन्य अन्तरिक्ष पदार्थ को इसके अन्तरिक्ष पदार्थ से होने वाली क्षति के लिए देयता की शर्तों का निरूपण किया गया है।

**राज्य वित्त एवं विकास निगम को धनराशि**

**5693. श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान, उड़ीसा की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य वित्त एवं विकास निगम को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान, उड़ीसा राज्य वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रयुक्त की गई राशि के संबंध में ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी):** (क) और (ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) की योजनाओं के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा अनुसूचित जाति विकास निगम को निर्मुक्त की गई निधियां और उनके द्वारा उपयोग की गई निधियां निम्नलिखित हैं:-

**एनएसएफडीसी द्वारा निर्मुक्त निधियां**

(रुपये लाख में)

| वर्ष | निर्मुक्त निधियां | उपयोग की गई निधियां |
|---|---|---|
| 1998-99 | 954.69 | 279.51 |
| 1999-2000 | 754.08 | 769.45 |
| 2000-2001 | 689.20 | 100.48 |

**एनएसकेएफडीसी द्वारा निर्मुक्त निधियां** (रुपये लाख में)

| वर्ष | निर्मुक्त निधियां | उपयोग की गई निधियां |
|---|---|---|
| 1998-99 | 0.00 | 0.00 |
| 1999-2000 | 0.00 | 0.00 |
| 2000-2001 | 100.33 | 5.25 |

राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को अंश पूंजी सहायता की योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दिए गए 51% अंश के सदृश आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य वित्त और विकास निगम को इक्विटी का 49% केन्द्रीय अंश प्रदान किया गया जाता है बशर्ते की वसूली प्रतिशत 60% से अधिक हो, राज्य अंश निर्मुक्त कर दिया गया है और पहले निर्मुक्त की गई राशि का उपयोग कर लिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, उड़ीसा अनुसूचित जाति विकास निगम को इक्विटी का कोई केन्द्रीय अंश निर्मुक्त नहीं किया गया है क्योंकि दिशानिर्देशों के अनुसार कोई सहायता स्वीकार्य नहीं थीं।

**भारत-मलेशिया समझौता**

**5694. श्री जी. एस. बसवराज:**
**श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
**श्री मल्लिकार्जुनप्पा :**

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर के सूचना-प्रौद्योगिकी उद्योग-जगत ने मलेशिया के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इससे दोनों देशों के बीच सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के व्यापार-संबंधों में किस तरह से वृद्धि होने का अनुमान है; और

(घ) समझौता-ज्ञापन के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)**: (क) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कर्नाटक सरकार ने मलेशिया के साथ किसी समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं तथा बंगलौर के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग द्वारा भी मलेशिया के साथ किसी समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर करने की कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

**परिवार कल्याण कार्यक्रम**

**5695. श्री शंकर सिंह वाघेला:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिवार कल्याण कार्यक्रम के स्थान पर सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन दृष्टिकोण (सी.एन.ए.ए.) कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दोनों कार्यक्रमों के बीच क्या अन्तर है; और

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम की तुलना में सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन दृष्टिकोण कार्यक्रम की उपलब्धियों की सफलता कितनी रही है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा)**: (क) जी नहीं। वास्तव में सामुदायिक आवश्कता मूल्यांकन दृष्टिकोण को परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मामले की गुणवत्ता पर बल देते हुए पहली अप्रैल, 1996 से अपनाया गया है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत परिवार कल्याण सेवाओं के बारे में लोगों की जरूरतों का निचले स्तर पर समुदाय के साथ परामर्श करके मूल्यांकन किया जायेगा।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

**ग्रामीण निर्धनता संबंधी समिति**

**5696. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े ग्रामीण गरीबी-उपशमन कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि आवंटित करने संबंधी मापदण्डों का निर्धारण करने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य अनुशंसाएं क्या हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी)**: (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की दिनांक 19 फरवरी, 1999 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, उपाध्यक्ष योजना आयोग की अध्यक्षता में बड़े ग्रामीण गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों के आबंटन संबंधी मापदण्ड के लिए एनडीसी की एक समिति गठित की गयी थी। इस समिति के सदस्यों में ग्रामीण विकास मंत्री, योजना राज्य मंत्री, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित, सदस्य योजना आयोग इस समिति के सदस्य-सचिव थे। समिति के विचारार्थ विषय नौवीं योजना में बड़े ग्रामीण गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों के आबंटन के संबंध में मापदण्ड बनाना था।

(ग) से (ङ) एनडीसी समिति की एक बैठक दिनांक 12.1.2000 को आयोजित की गयी थी और इसमें वर्तमान में प्रयुक्त मापदण्ड, अर्थात् प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पूर्ण योजना आयोग द्वारा यथाअनुमोदित 15 प्रतिशत समायोजित हिस्से को बनाए रखने के संबंध में सहमति एवं समझौता हुआ था। तथापि, कुछ राज्यों ने टिप्पणी की थी कि उन राज्यों को कुछ प्रोत्साहन दिया जा सकता है जिन्होंने गरीबी कम करने के संदर्भ में अच्छा कार्य किया है। यह भी उल्लेख किया गया था कि कुछ राज्यों में विशेष आवश्यकताएं और निराशा के क्षेत्र हैं और इन मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता थी। उपाध्यक्ष, योजना आयोग ने अपनी चिंता प्रकट की और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऐसे मुद्दों पर दसवीं पंचवर्षीय योजना का निरूपण करते समय विचार किया जा सकता है। एनडीसी समिति की रिपोर्ट एनडीसी की आगामी बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

**रक्त-बैंकों को विनियमित करने के लिए विधान**

**5697. डा. वी. सरोजा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृ पा करेंगे कि:

(क) क्या रक्त-बैंकों को विनियमित करने के लिए एक विधान लाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम/नियमों के रूप में पहले से ही एक विधान मौजूद है जिसके उपबंधों में अन्य बातों के साथ-साथ रक्त बैंकों के विनियमन की व्यवस्था है।

**मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या**

**5698. श्री रामानन्द सिंह: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि आवंटित करके मध्य प्रदेश में जिले-वार कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान, अप्रयुक्त रह गई आवंटन राशि का जिलावार ब्यौरा क्या है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) और (ख) मध्य प्रदेश की सूचना के अनुसार, जिले-वार लक्ष्य, शिक्षित बेरोजगार युवकों को प्रदान की गई संस्वीकृति की संख्या, ऋणों का संवितरण और प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 हेतु राज्य में अनुमानित रोजगार-सृजन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार वर्ष 2000-2001 के कार्यक्रम के लिए संस्वीकृत मामलों के ऋणों का संवितरण 31.12.2001 तक जारी रहेगा। लक्ष्यों का जिले-वार आबंटन और उनकी निगरानी राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

***विवरण***

*राज्यवार लक्ष्य, बैंकों द्वारा दी गई संस्वीकृतियां और ऋणों का संवितरण और वर्ष 2000-2001 के लिए प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत अनुमानित रोजगार सृजन*

मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट पर आधारित (24.4.2001 के अनुसार)

| क्र.सं. | जिले का नाम | लक्ष्य संख्या | बैंकों द्वारा संस्वीकृत ऋण (सं.) अनन्तिम | बैंकों द्वारा ऋणों का संवितरण (सं.) अनन्तिम | अनुमानित रोजगार सृजन (सं.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | भिण्ड | 225 | 144 | 19 | 24. |
| 2. | मलनपुर | 235 | 238 | 13 | 4 |
| 3. | मोरेना | 345 | 327 | 107 | 135 |
| 4. | शियोपुर | 145 | 148 | 77 | 97 |
| 5. | दतियां | 275 | 280 | 168 | 212 |
| 6. | गुना | 575 | 655 | 375 | 473 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | ग्वालियर | 1400 | 1406 | 424 | 534 |
| 8. | शिवपुरी | 430 | 457 | 163 | 205 |
| 9. | देवास | 975 | 1007 | 239 | 301 |
| 10. | मन्दसौर | 465 | 544 | 262 | 330 |
| 11. | नीमच | 265 | 281 | 129 | 163 |
| 12. | रतलाम | 670 | 670 | 284 | 358 |
| 13. | शाजापुर | 515 | 588 | 224 | 282 |
| 14. | उज्जैन | 1115 | 1117 | 228 | 287 |
| 15. | बादवानी | 300 | 306 | 84 | 106 |
| 16. | धार | 405 | 405 | 72 | 91 |
| 17. | इंदौर | 2490 | 2500 | 1018 | 1283 |
| 18. | झाबुआ | 405 | 407 | 201 | 253 |
| 19. | खंडवा | 815 | 815 | 130 | 164 |
| 20. | खरगोन | 505 | 589 | 508 | 640 |
| 21. | पीथमपुर | 185 | 85 | 23 | 29 |
| 22. | बेतुल | 460 | 461 | 145 | 183 |
| 23. | भोपाल | 1725 | 1867 | 353 | 445 |
| 24. | मंडीदीप | 235 | 236 | 90 | 113 |
| 25. | रायसेन | 295 | 297 | 81 | 102 |
| 26. | राजगढ़ | 455 | 501 | 219 | 276 |
| 27. | सिंहोड़ | 555 | 503 | 120 | 151 |
| 28. | विदिशा | 615 | 616 | 155 | 195 |
| 29. | हरदा | 205 | 213 | 57 | 72 |
| 30. | होशंगाबाद | 440 | 471 | 224 | 282 |
| 31. | दत्तर पुर | 375 | 375 | 103 | 130 |
| 32. | दमोह | 540 | 570 | 43 | 54 |
| 33. | पनरा | 215 | 226 | 10 | 13 |
| 34. | सागर | 1015 | 1040 | 159 | 200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35. | टीकमगढ़ | 325 | 325 | 93 | 117 |
| 36. | बालाघाट | 460 | 418 | 69 | 68 |
| 37. | छिंदवाड़ा | 765 | 766 | 108 | 136 |
| 38. | डिंडोरा | 90 | 91 | 57 | 72 |
| 39. | जबलपुर | 1280 | 1281 | 57 | 72 |
| 40. | कटनी | 465 | 597 | 234 | 295 |
| 41. | मंडला | 205 | 210 | 43 | 54 |
| 42. | नरसिंहपुर | 615 | 738 | 43 | 54 |
| 43. | सिओनी | 330 | 334 | 154 | 194 |
| 44. | रेवा | 620 | 642 | 118 | 149 |
| 45. | सतना | 775 | 789 | 151 | 190 |
| 46. | शाहदोल | 365 | 365 | 125 | 158 |
| 47. | सिंधि | 460 | 461 | 84 | 106 |
| 48. | उमरिया | 165 | 67 | 51 | 64 |
| | योग | 26790 | 27529 | 7884 | 9935 |

*यह संवितरण 31.12.2001 तक जारी होगा।

**अनुमानित रोजगार 1026 व्यक्ति प्रति इकाई की दर से संवितरित ऋण जोकि पूर्व वर्षों में संवितरण ऋणों के भौतिक सत्यापन पर आधारित है।

*[हिन्दी]*

**लघु और कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए खर्च की गई राशि**

**5699. श्री निहाल चन्द चौहान:** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजस्थान के लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कितनी धनराशि खर्च की है; और

(ख) राजस्थान में "दीनदयालं हथकरघा प्रोत्साहन योजना" के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) वित्तीय वर्ष का संदर्भ शायद 2000-01 का है। लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने संबंधी स्कीम/कार्यक्रम राजस्थान सहित सभी राज्यों में समान रूप से लागू हैं और किसी राज्य विशेष के संबंध में निधि का आवंटन नहीं किया जाता है। वर्ष 2000-01 के दौरान 70.1.77 करोड़ रु. की (अनन्तिम) राशि का उपयोग देश भर में लघु, कृषि और ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु किया गया था।

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 2000-01 के दौरान "दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना" शुरू की गई थी ताकि एकीकृत और व्यापक ढंग से बुनकरों की निपुणता और ज्ञान का उन्नयन करने में आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। हैंडलूम संगठनों को सुदृढ किया जा सके, बेहतर उत्पादों के विकास हेतु बुनियादी संरचना और सामान्य सुविधाओं की उपलब्धता का सुनिश्चय किया

जा सके, प्रचार और विपणन हेतु सहायता प्रदान की जा सके, तैयार उत्पादों की मोबिलिटी में सुधार किया जा सके, विपणन प्रोत्साहन इत्यादि प्रदान किया जा सके।

*[अनुवाद]*

**भारत-रूस के बीच विचार-विमर्श**

**5700. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस के वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, मादक दवाओं की तस्करी और हथियारों के अवैध व्यापार का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक-सहयोग बढ़ाने हेतु आपसी परामर्श कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत से एक उच्च-स्तरीय शिष्टमंडल ने मास्को जाकर इन मसलों पर रूस की सरकार के साथ विचार-विमर्श किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू):** (क) और (ख) रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादीमीर पुतिन की अक्तूबर, 2000 में भारत की राजकीय यात्रा के दौरान लिए गए निर्णय के अनुरूप भारत और रूसी परिसंघ ने अफगानिस्तान से सम्बद्ध एक संयुक्त कार्यकारी दल गठित किया है। अफगानिस्तान से सम्बद्ध भारतरूसी संयुक्त कार्यकारी दल की प्रथम बैठक 20-21 नवम्बर, 2000 को नई दिल्ली में हुई थी।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् और रूसी परिसंघ की सुरक्षा परिषद् के बीच सम्पन्न सहयोग से सम्बद्ध प्रोतोकोल के अनुसार दोनों पक्षों मे अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सुरक्षा से सम्बद्ध संयुक्त समन्वय दलों की स्थापना की है। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद और अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सुरक्षा से सम्बद्ध संयुक्त समन्वय दलों की प्रथम बैठक 19-21 फरवरी, 2001 में मास्कों में हुई थी।

(ग) संयुक्त समन्वय दलों की बैठक के दौरान, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा औषध-द्रवों के अवैध व्यापार से भारत और रूसी परिसंघ दोनों को मिलने वाली चुनौतियों से सम्बद्ध मसलों पर चर्चा हुई। क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी मामलों पर भी चर्चा हुई।

**भारतीय मछुआरों को बंदी बनाया जाना**

**5701. डा. (श्रीमती) सुधा यादव:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यदि पाकिस्तान ने 38 भारतीय मछुआरों को, अरब सागर में उसकी जल-सीमा का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में बंदी बना लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू):** (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस समय 302 भारतीय मछुवारे पाकिस्तान में नजरबंद हैं।

(ख) सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप पाकिस्तान 84 भारतीय मछुवारों की रिहाई के लिए सहमत हुआ है। अन्य 76 मछुवारों को पाकिस्तान ने कोंसली पहुंच भी प्रदान की है जिनमें इस वर्ष मार्च में गिरफ्तार किए गए 45 मछुवारे भी शामिल हैं। उम्मीद हैं कि ये भारतीय मछुवारे शीघ्र भारत लौट आएंगे। पाकिस्तान की हिरासत के शेष भारतीय मछुवारों की शीघ्र रिहाई के हमारे प्रयास जारी रहेंगे।

**आयुर्वेदिक अस्पताल**

**5702. श्री राम प्रसाद सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन प्रदान करने और इसमें जनसामान्य के विश्वास को अधिक जाग्रत करने के उद्देश्य से सरकार का राष्ट्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो पहले पहल किन-किन स्थानों पर ऐसे आयुर्वेदिक अस्पतालों को खोले जाने का विचार है; और

(ग) इस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। सम्बन्धित राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आयुर्वेद के अस्पताल स्थापित करती हैं। इस समय 1965 आयुर्वेदिक अस्पताल राज्य सरकारों द्वारा और 82 स्थानीय निकायों द्वारा स्थापित किए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार समग्र आवश्यकता, संसाधनों की उपलब्धता और आम लोगों को होने वाले सम्भावित लाभों को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान और उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना करती है। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद की स्थापना पहले ही की जा चुकी है जिसके साथ 180 पलंगों वाला अस्पताल सम्बद्ध है। आयुर्वेद के विकास और प्रचार के लिए प्राथमिकताओं की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इस समय अन्य सम्भावनाओं पर विचार चल रहा है।

*[हिन्दी]*

**गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि का दुरूपयोग**

**5703. श्री तूफानी सरोज:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रहे कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने अपनी गतिविधियों को रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने गैर-सरकारी संगठन हैं, जिन्होंने पिछले दो वर्षों के दौरान अपनी गतिविधियां रोक दी हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध सरकारी अनुदान-राशि का दुरूपयोग करने का आरोप था;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार को इन गैर-सरकारी संगठनों में से कुछ के खिलाफ सरकारी अनुदान-राशि का दुरूपयोग करने की कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे संगठनों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(च) क्या सरकार इन गैर-सरकारी संगठनों-जो सरकारी अनुदान-राशि का दुरूपयोग करने में संलिप्त रहे हैं- से उक्त अनुदान-राशि की वसूली करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी):** (क) से (छ) सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आए हैं जहां कि अनुदानग्राही संगठन मौजूद नहीं हैं अथवा अनुदान दुरुपयोग कर रहे हैं, अथवा गैर-सरकारी संगठन द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का स्तर निर्मुक्त निधियों के अनुरूप नहीं है। ऐसे मामलों में, गैर-सरकारी संगठन को आगे सहायता अनुदान की और निर्मुक्ति रोक दी जाती है। प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और यदि स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया जाता है तो संगठन को काली सूची में डालने के लिए कार्रवाई की जाती है और संबंधित राज्य सरकार/जिला कलक्टर को सरकारी सहायता से सृजित परिसंपत्तियों को जब्त करने, उनका निपटान करने और एकत्र धन को सरकार के पास जमा करने और शेष धनराशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया धनराशि के रूप में करने के लिए कहा जाता है।

वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के दौरान शराबखोरी और पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग निवारण की योजना के अंतर्गत 7 गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डाला गया है। एक गैर-सरकारी संगठन के मामले में 78,100/-रु. की राशि की वसूली की गई है।

*[अनुवाद]*

**प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण**

**5704. श्री जी.जे. जावीया:** क्या **लघु, कृषि उद्योग और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर गुजरात राज्य में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के कितने आवेदन पिछले तीन वर्षों से लंबित हैं;

(ख) इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 28.02.2001 तक प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत, देश में बैंकों में 1,17,533 ऋण आवेदन लंबित हैं, और गुजरात राज्य में बैंकों में 1344 ऋण आवेदन लंबित हैं।

(ख) से (घ) प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के प्रतिमानकों के अंतर्गत बैंकों को प्रायोजित किए जाने वाले आवदेनों को लक्ष्य के 125% के बराबर होना चाहिए। इसीलिए किसी भी वित्त वर्ष के अन्त तक कुछ आवेदन लंबित हो सकते हैं। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार लंबित आवेदन आने वाले वर्ष में प्रोसेस्ड और प्रायोजित किए जाने हैं। प्रधानमंत्री की रोजगार योजना की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार ऋणों के संवितरण में देरी का कारण आवेदकों द्वारा औपचारिकताओं का पूरा न होना, स्थान की अनुपलब्धता, मार्जिन मनी जमा करने की अयोग्यता आदि है।

**वित्तीय कठिनाइयां.**

**5705. श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि लघु उद्योग, बड़े औद्योगिकी-घरानों द्वारा उन्हें विलम्ब से भुगतान किए जाने की वजह से गंभीर कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु उद्योगों के हितों का संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) और (ख) जी, हां। सरकार लघु उद्योग संघों और निजी लघु उद्योग उद्यमियों से बड़ी इकाइयों

द्वारा लघु उद्योगों को मिलने वाले भुगतान में देरी के कारण समक्ष आ रही है समस्याओं से संबंधित सूचनाएं/अभ्यावेदन पत्र प्राप्त कर रही है।

(ग) लघु एवं अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों को विलम्बित अदायगियों पर ब्याज से संबंधित अधिनियम 1993 में बनाया गया और इसे 1998 में संशोधित किया गया, जो 120 दिनों से अधिक विलम्बित अदायगियों पर प्राइम लैण्डिंग रेट के 150% पर ब्याज की पैनल दर प्रदान करती है। अधिनियम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे औद्योगिक सुविधा परिषदों की स्थापना करें ताकि एक तीव्र और सरल निवारण प्रक्रिया प्रदान की जा सके। अभी तक 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने औद्योगिक सुविधा परिषदों की स्थापना की है। इस कार्य के क्रियान्वयन हेतु अन्य राज्यों से भी अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम की धारा 8 में अनुबंध है कि जहां किसी क्रेता को उस समय में लागू किसी कानून के अन्तर्गत अपने वार्षिक लेखों की लेखा-परीक्षा करवाना अपेक्षित है, वहां ऐसा क्रेता प्रत्येक लेखाकरण वर्ष के अन्त में किसी सप्लायर को अदा न की गई राशियों के लेखों के अपने वार्षिक वितरण में ब्याज सहित राशि का उल्लेख करेगा। एक सप्लायर को स्थायी पंजीकरण प्रणाण-पत्र धारण करने वाले किसी अनुषंगी औद्योगिक उपक्रम अथवा लघु औद्योगिक उपक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है।

### गरीबी और निरक्षरता उन्मूलन

**5706. श्री राम नायडू दग्गुबाटि: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी कल्याण कार्यक्रमे लक्षित समूह तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे लोग जिन्हें अपने अधिकारों और सरकार के कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी नहीं है, वे उनसे लगातार अपरिचित ही बने रहते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार इस संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों में जागरुकता पैदा करने हेतु क्या कदम उठा रही है;

(ङ) नवीनतम जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत की तुलना में अनुसूचित जातियों के लोगों की राज्यवार निरक्षरता दर क्या है; और

(च) सरकार अनुसूचित जातियों के लोगों में साक्षरता की दर में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठा रही हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी):** (क) से (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण कार्यक्रम संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न उपाय किए हैं। जिनमें लक्ष्य समूह को कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करना शामिल है ताकि योजनाओं/कार्यक्रमों के लाभों की लक्ष्य समूह तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के ब्यौरे इन मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की वार्षिक रिपोर्टों में भी निर्दिष्ट किए गए हैं; जिन्हें संसद में रखा जा चुका है और इन मंत्रालयों की वेबसाईटों में भी दिया गया है। योजनाओं के समुचित ढंग से कार्यान्वयन के लिए इस मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ङ) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत की तुलना में अनुसूचित जातियों की राज्य-वार साक्षरता दर को दर्शाने वाला एक विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(च) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधानों, जिनका ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है, को शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की विद्यमान योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

***विवरण-I***

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रदान की गई राशि का समुचित उपयोग करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं:-

(1) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों की निर्मुक्ति प्राप्त प्रस्तावों की विस्तृत जांच के आधार पर की जाती है।

(2) कई निर्मुक्तियां करने से पूर्व पहले की निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्रों पर जोर दिया जाता है।

(3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति, शामिल किए गए लाभग्राहियों तथा अन्य संबंधित सूचना/आंकड़े दर्शाने वाली आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती हैं।

(4) योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए इन मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं।

(5) योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का पता लगाने के लिए इस विषय के प्रभारी राज्य सचिवों के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(6) गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं के मामले में निधियों की निर्मुक्ति राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद और गैर-सरकारी संगठन की प्रतिष्ठा, विगत के निष्पादन आदि के मूल्यांकन के पश्चात की जाती है। आवधिक प्रगति रिपोर्टों के अतिरिक्त, गैर-सरकारी संगठनों के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षित रिपोर्टें और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है जिनके आधार पर आगे निधियों की निर्मुक्ति की जाती है। गैर-सरकारी संगठनों का निरीक्षण राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों तथा अन्य प्राधिकारियों और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के माध्यम से भी किया जाता है।

(7) लक्ष्य समूहों में कार्यक्रमों के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन, होर्डिंग्स, समाचार पत्र विज्ञप्तियों आदि के माध्यम से योजनाओं/कार्यक्रमों के पर्याप्त प्रचार के प्रबंध किए जा रहे हैं।

*विवरण-II*

| क्र.सं. | भारत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र | कुल जनसंख्या (प्रतिशत) | अनुसूचित जाति जनसंख्या (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **भारत*** | **52.21** | **37.41** |
| | **राज्य** | | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 44.09 | 31.59 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 41.59 | 57.27 |
| 3. | असम | 52.89 | 53.94 |
| 4. | बिहार | 38.48 | 19.49 |
| 5. | गोवा | 75.51 | 58.73 |
| 6. | गुजरात | 61.29 | 61.07 |
| 7. | हरियाणा | 55.85 | 39.22 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 63.86 | 53.20 |
| 9. | कर्नाटक | 56.04 | 38.06 |
| 10. | केरल | 89.81 | 79.66 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 44.20 | 35.08 |
| 12. | महाराष्ट्र | 64.87 | 56.46 |
| 13. | मणिपुर | 59.89 | 56.44 |
| 14. | मेघालय | 49.10 | 44.27 |
| 15. | मिजोरम | 82.27 | 77.92 |
| 16. | नागालैंड | 61.65 | 0.00 |
| 17. | उड़ीसा | 49.09 | 36.73 |
| 18. | पंजाब | 58.51 | 41.09 |
| 19. | राजस्थान | 38.55 | 26.29 |
| 20. | सिक्किम | 56.94 | 51.03 |
| 21. | तमिलनाडु | 62.66 | 46.74 |
| 22. | त्रिपुरा | 60.44 | 56.66 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 41.60 | 26.85 |
| 24. | पं. बंगाल | 57.70 | 42.21 |
| | **संघ राज्य क्षेत्र** | | |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 73.02 | 0.00 |
| 2. | चंडीगढ़ | 77.81 | 55.44 |
| 3. | दादर और नागर हवेली | 40.71 | 77.64 |
| 4. | दमन और दीव | 71.20 | 79.18 |
| 5. | दिल्ली | 75.29 | 57.60 |
| 6. | लक्षद्वीप | 81.78 | 0.00 |
| 7. | पांडिचेरी | 74.74 | 56.26 |

*जम्मू और कश्मीर के आंकड़े शामिल नहीं हैं जहां 1991 की जनगणना नहीं की गई थी।

***विवरण-III***

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की विद्यमान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल किया गया है:-

1. प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए शिथिल किए गए मानदंड,

2. 300 लोगों की बस्तियों के बदले 200 लोगों की बस्तियों से एक किलो मीटर की मामूली दूरी के भीतर एक प्राथमिक स्कूल,

3. सभी राज्यों में सरकारी विद्यालयों में कम से कम अपर प्राइमरी स्तर तक ट्यूशन शुल्क को समाप्त करना। अधिकांश राज्यों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए सीनियर सेकेण्ड्री स्तर तक शिक्षण शुल्क समाप्त कर दिया है;

4. इन छात्रों के लिए नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकों यूनिफार्म, स्कूल बैगों आदि जैसे प्रोत्साहनों का प्रावधान,

5. शिक्षा विभाग के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे प्रारम्भिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना, आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आदि के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। लोक जुम्बिश तथा शिक्षा कर्मी परियोजना में, जो समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा परियोजनाएं हैं, दूरस्थ तथा पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित है।

6. आई.आई.टी. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों, केन्द्रीय विश्व विद्यालयों, केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों आदि सहित केन्द्रीय सरकार की उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। आरक्षण के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा तकनीकी संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के प्रवेश के संबंध में न्यूनतम अर्हता अंकों में छूट भी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आरक्षण नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित 98 विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सैल स्थापित किए हैं। आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक स्थाई समिति की भी स्थापना की गई है;

7. विभिन्न विषयों में छात्रों के शैक्षणिक कौशलों तथा भाषाई क्षमता में सुधार करने तथा उनके ग्रहण करने के स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को उपचारी तथा विशेष कोचिंग प्रदान की जाती है। आई.आई.टी. की एक योजना है जिसके अंतर्गत प्रवेश परीक्षा में बहुत कम अंकों से असफल होने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को एक वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और तब उन्हें बी. टेक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जाता है।

8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अनन्य रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जूनियर अनुसंधान फेलोशिप (वार्षिक रूप से 50), छात्रवृत्ति (25), अनुसंधान एसोसिएटशिप (20) फेलोशिप (50) प्रदान किए जाते हैं;

9. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर पाठ्य-पुस्तकें, प्रीमियर्स, व्याकरण पुस्तकें, शब्दकोष तथा द्विभाषी पाठ्य पुस्तकें तैयार करता है और क्षेत्रीय भाषाओं से जनजातीय भाषाओं में अनुवाद को सुचारू बनाता है। सीआईआईएल ने 75 जनजातीय तथा सीमा भाषाओं में कार्य किया है;

10. एनसीईआरटी ने जनजातीय बोलियों में दस पुस्तकों तथा 15 जनजातीय बोलियों में शिक्षण/पठन सामग्री का प्रकाशन किया है;

11. अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप परीक्षा के लिए कट ऑफ अंकों में 10 प्रतिशत तक रियायत दी जाती है तथा जे आर एफ के लिए सफल होने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवारों को फेलोशिप प्रदान की जाती है;

12. यू जी सी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में बैठने वाले तथा व्याख्याता के लिए पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को समाज विज्ञान तथा मानव शास्त्रों में प्रत्येक वर्ष पचास जूनियर फेलोशिप प्रदान की जाती है;

13. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को व्याख्याता के रूप में नियुक्ति के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक 5 प्रतिशत की छूट प्रदान करता है। इस आयोग ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के

लिए स्नातकोत्तर स्तर पर एन इ टी परीक्षा में बैठने के लिए भी अपेक्षित न्यूनतम प्रतिशत अंकों को कम करके 50 प्रतिशत तक कर दिया है;

14. एक दस वर्षीय भावी योजना तैयार करने के लिए एक अन्तर मंत्रालयीन कार्य समूह का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक विकास करना तथा उन्हें अन्य समुदायों के समकक्ष लाना है;

15. कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्र तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिक ध्यान देने के लिए कम महिला साक्षरता वाले जिलों के रूप में एक सौ छियालीस जिलों की पहचान की गई है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संघटक योजना तथा जनजातीय उप योजना के अंतर्गत क्रमश: 767.51 करोड़ रुपये तथा 376.47 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह कुल परिव्यय का 16.33 और 8.01 प्रतिशत है।

**धनी और निर्धन के बीच अन्तर**

**5707. श्री गंता श्रीनिवास राव:**
**श्री रामपाल सिंह:**
**श्री पदमसेन चौधरी:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में धनी और निर्धन के बीच व्याप्त अन्तर में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(ग) क्या सरकार ने इस अन्तर को समाप्त करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी):** (क) और (ख) वर्ष 1993-94 (एनएसएस 50वें दौर) और 1999-2000 (एनएसएस 55वें दौर) के लिए प्राप्त उपभोक्ता व्यय के दो नवीनतम अनुमानों से यह पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिवसीय प्रत्याह्वान के आधार पर) निर्धन और अनिर्धन के बीच प्रति व्यक्ति उपभोग का अनुपात वर्ष 1993-94 में 45 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1999-2000 में 47 प्रतिशत हो गया। तथापि, शहरी क्षेत्रों में इसी अवधि के दौरान यह 37 प्रतिशत से घटकर 36 प्रतिशत हो गया। इसका कारण यह है कि एक बड़ी संख्या में शहरी गरीबों की पहली पीढ़ी ही अभी शहरों में प्रवासी है और उनके पास कोई परिसम्पत्तियां नहीं हैं।

(ग) और (घ) निर्धन और अनिर्धन के बीच के इस अंतर को गरीबों की प्रति व्यक्ति आय/उपभोग में समानुपातिक रूप से अधिक बढ़ोत्तरी के द्वारा, रोजगार और आय सृजक कार्यक्रमों तथा परिसम्पति निर्माण के द्वारा आर्थिक विकास और गरीबों के प्रत्यक्ष आय सृजन को बढ़ाकर कम किए जाने के प्रयास किए जाते हैं।

*[हिन्दी]*

**सैन्य स्तर पर भारत-चीन वार्ता**

**5708. श्री अजय सिंह चौटाला:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन के बीच हाल में सैन्य स्तर पर कोई बातचीत सम्पन्न हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन विषयों पर इस वार्ता में चर्चा की गई; और

(ग) उपरोक्त वार्ता का दोनों देशों के रक्षा संबंधों पर क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा?

**विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पूर्वी सेना कमान के जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ के नेतृत्व में भारतीय सेना के एक प्रतिनिधि मण्डल ने 2 से 7 अप्रैल, 2001 तक चीन की यात्रा की। यह एक सद्भावना यात्रा थी तथा दोनों देशों के बीच एक-दूसरे की सेनाओं में आदान-प्रदान से संबंधित विश्वास पैदा करने वाले मौजूदा उपायों के अनुक्रम में थी।

भारत सरकार चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध में बढ़ाने तथा दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं के बीच मैत्रीपूर्ण और आपसी संपर्कों तथा आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

**हज यात्रा**

**5709. श्री उत्तम राव पाटील:**

**श्री राजो सिंह:**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान मक्का जाने वाले हज यात्रियों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या क्या थी;

(ख) क्या इस संबंध में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कोई कोटा आरक्षित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कृष्णमराजू ):** (क) 1999, 2000 और 2001 के दौरान मक्का जाने वाले हजयात्रियों की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। अलग-अलग ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

*विवरण*

| राज्य | 1999 | | 2000 | | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | जाने वाले हाजियों की सं. | मूल कोटा | जाने वाले हाजियों की सं. | मूल कोटा | जाने वाले हाजियों की सं | मूल कोटा |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| दमन दीव | 12 | 37 | 31 | 37 | 23 | 40 |
| दादर और नगर हवेली | 33 | 37 | 30 | 37 | 15 | 40 |
| गोवा | 27 | 55 | 28 | 55 | 28 | 60 |
| गुजरात | 5310 | 2174 | 7269 | 2174 | 7082 | 2378 |
| मध्य प्रदेश | 3604 | 1979 | 638 | 1979 | 3406 | 2165 |
| महाराष्ट्र | 10517 | 4599 | 10413 | 4599 | 10682 | 5030 |
| चंडीगढ़ | 4 | 55 | 21 | 55 | 4 | 60 |
| दिल्ली | 2242 | 536 | 3083 | 536 | 2649 | 587 |
| हरियाणा | 855 | 461 | 867 | 461 | 720 | 504 |
| हिमाचल प्रदेश | 24 | 46 | 15 | 46 | 39 | 50 |
| जम्मू और कश्मीर | 2352 | 2485 | 4443 | 2485 | 5746 | 2718 |
| पंजाब | 126 | 145 | 158 | 145 | 144 | 158 |
| उत्तर प्रदेश | 15064 | 14534 | 13925 | 14534 | 12085 | 15897 |
| राजस्थान | 3119 | 2125 | 3987 | 2125 | 4297 | 2325 |
| आंध्र प्रदेश | 2406 | 3571 | 3459 | 3571 | 3711 | 3906 |
| कर्नाटक | 3606 | 3155 | 4455 | 3155 | 4848 | 3451 |
| अंडमान निकोबार | 15 | 55 | 30 | 55 | 13 | 60 |
| लक्षद्वीप | 234 | 111 | 205 | 111 | 216 | 121 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पांडिचेरी | 34 | 55 | 60 | 55 | 72 | 60 |
| केरल | 4192 | 4092 | 6969 | 4092 | 6221 | 4476 |
| तमिलनाडु | 2661 | 1840 | 3537 | 1840 | 2858 | 2013 |
| असम | 472 | 3904 | 620 | 3904 | 1067 | 4270 |
| बिहार | 1212 | 7709 | 1580 | 7709 | 1771 | 8432 |
| मणिपुर | 170 | 81 | 126 | 81 | 198 | 88 |
| उड़ीसा | 152 | 349 | 240 | 349 | 214 | 381 |
| त्रिपुरा | 21 | 119 | 10 | 119 | 9 | 130 |
| पं. बंगाल | 1916 | 9691 | 2227 | 9691 | 2056 | 10600 |
| विवेकाधीन कोटा | 640 | 2000 | 483 | 2000 | 959 | 2000 |
| | | | 66000 | | | |
| | | | (+) 6000 | | | |
| कुल | 62100 | 66000 | 71909 | 72000 | 71133 | 72000 |

*[अनुवाद]*

**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा रोगियों के लिए सहायता और भर्ती सुविधा**

**5710. श्री मंजय लाल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नयी दिल्ली जैसा प्रमुख अस्पताल गरीब रोगियों को भर्ती करने और उपचार लागत में उनकी सहायता करने में ऊपेक्षा बरत रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और 31 मार्च, 2001 की तिथि तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा गरीब रोगियों को क्या सहायता और भर्ती सुविधा प्रदान की गयी; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान गरीब रोगियों की सहायता के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा)**: (क) से (ग) जी नहीं। बाह्य रोगी विभाग और आपाती विभाग में आने वाले निर्धन एवं धनी रोगियों के बीच कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है। तथापि, जो रोगी खर्च वहन कर सकते हैं, उन्हें प्राइवेट वार्ड में भर्ती किया जाता है और ऐसे रोगियों की प्रतिशतता मात्र 8 प्रतिशत है। जो रोगी मामूली अस्पताल-प्रभार और जांच करने का शुल्क नहीं दे सकते हैं उन्हें अस्पताल प्रशासन के विभाग की संकाय और चिकित्सा अधीक्षक द्वारा छूट दी जाती है। निर्धन रोगियों और जिन्हें वित्तीय सहायता की जरूरत होती है, उन्हें चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रत्येक मामले में 2000 रुपये तक की वित्तीय सहायता अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की निर्धन निधि से प्रदान की जाती है। कैंसर और हृदय रोग से पीड़ित निर्धन रोगियों को राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि के अन्तर्गत इलाज करने वाले फीजिशियन की सिफारिशों पर चिकित्सा अधीक्षक द्वारा 50,000/- रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। निर्धन रोगियों को सहायता प्रदान करने के लिए संस्थान द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

*अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, निर्धन निधि खाता*

| वर्ष | लाभान्वित रोगियों की संख्या | संवितरित राशि |
|---|---|---|
| 1998-1999 | 56 | 16,325.00 |
| 1999-2000 | 186 | 30,620.00 |
| 2000-2001 | 45 | 22,650.00 |

*राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि*

| वर्ष | लाभान्वित रोगियों की संख्या | संवितरित राशि |
|---|---|---|
| 1999-2000 | 12 | 4,81,667.00 |
| 2000-2001 | 111 | 32,20,420.00 |

संस्थान को राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि के अन्तर्गत 10 लाख रुपये आवर्ती निधि के रूप में प्रदान किए गए हैं।

**बड़े एशियाई ग्रुपिंग का सृजन**

**5711. श्री राम मोहन गाड्डे:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान मलेशियाई प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत एक बड़े एशियाई ग्रुपिंग का सृजन करने से संबंधित प्रस्ताव की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा मलेशिया के साथ आर्थिक संबंधों को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या भारत का विचार बहुपक्षीय मंचों पर मलेशिया के साथ और अधिक समन्वयन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कृष्णमराजू ):** (क) और (ख) अक्टूबर, 2000 में हांग कांग में एशियाई सोसाइटी को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री महाथीर ने एशिया मुद्रा कोष और एशिया विकास संघ का समर्थन किया जिसके माध्यम से एशियाई देश एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से कार्य कर सकें।

(ग) मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है और भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। भारत और मलेशिया के बीच आर्थिक संबंध सतत मंत्री स्तरीय यात्राओं व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलों की यात्राओं और द्विपक्षीय चर्चाओं से और मजबूत किये जाते हैं। आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के तौर-तरीकों पर चर्चा के लिए हमारे पास मंत्री स्तरीय संयुक्त आयोग और व्यापार स्तर पर संयुक्त व्यावसायिक परिषद की व्यवस्थाएं हैं। मंत्री स्तरीय संयुक्त आयोग की पिछली बैठक के दौरान एक द्विपक्षीय व्यापार करार पर भी हस्ताक्षर हुए थे जिसमें व्यापार संवर्धन के अन्य उपायों के साथ-साथ नियमित आधार पर आधिकारिक स्तर पर वाणिज्यिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक संयुक्त व्यापार समिति के गठन की बात भी है।

(घ) जी, हां।

*(ङ) भारत और मलेशिया के बीच विश्व संगठन, जी 15 और जी 77 पर सामान्यत: अद्वितीय सामनता है। इन मुद्दों पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच नियमित परामर्श होता है। आसियान के साथ हमारे संबंधों के लिए आगामी तीन वर्षों के लिए मलेशिया हमारा समन्वय देश है और इसलिए इस क्षेत्रीय निकाय के साथ हमारे परस्पर क्रिया-कलापों में हमारा मार्ग दर्शन करता है। संयुक्त राष्ट्र में भी दोनों देशों के प्रतिनिधिण्डलों के बीच निरंतर चर्चा, पारस्परिक क्रिया-कलाप और विचारों का आदान-प्रदान होता है।*

*[हिन्दी]*

**महत्वाकांक्षी "जीनोम परियोजना" का क्रियान्वयन**

**5712. श्रीमती सुशील सरोज:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नयी औषधियों की खोज करने के क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियां सामाजिक न्याय और पशु अधिकारों के लिए संघर्षरत संगठनों के हस्तक्षेप के कारण बुरी तरह से प्रभावित हो रही है;

(ख) क्या सरकार की महत्वाकांक्षी "जीनोम परियोजना" का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के हस्तक्षेप के कारण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करने का है ताकि औषधि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ए. राजा ):** (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जो देश में जैव-चिकित्सीय विज्ञान में अनुसंधान कार्यकलापों में समन्वयन रख रही है, के अनुसार नई औषधियों के अविष्कार और

जीनोम परियोजना के कार्यनिष्पादन में अनुसंधान कार्यकलाप प्रायोगिक पशुओं पर नियमों को तैयार करने के बाद प्रभावित हुए हैं। यद्यपि इन नियमों का उद्देश्य अनुसंधान कार्यकलापों में बाधा नहीं पहुंचाने का बताया गया है, तथापि, इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पशुओं में प्रयोग करने से पहले या उसके बाद उन्हें अनावश्यक रूप से पीड़ा नहीं पहुंचाई जाए।

वैज्ञानिकों को आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जैव-चिकित्सीय विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यकलाप अबाधित रूप से चल रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**कैंसर के मामले**

**5713. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में फेफड़े के कैंसर के मामलों में बहुत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न अस्पतालों में ऐसे कितने मामले आये हैं; और

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान अस्पताल-वार फेफड़ों के कैंसर से कितने रोगियों का उपचार किया गया?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) भारत की राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रही दिल्ली की जनसंख्या पर आधारित कैंसर रजिस्ट्री के आकड़ों के आधार पर दिल्ली के पुरुषों में 1996-98 के बीच फेफड़ें के कैंसर की घटना-दर में वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष 1995 के दौरान दिल्ली कैंसर रजिस्ट्री ने फेफड़े के कैंसर के कुल 138 नए रोगियों को दर्ज किया जिसमें से 110 पुरुष थे।

(ग) यह सूचना एकत्र नहीं की गई है।

**केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय**

**5714. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में स्थानीय खरीद प्रणाली के अंतर्गत औषधियों के निर्गम की अवधि को 30 दिन से घटाकर 15 दिन करने हेतु मानदंड संशोधित कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकारी अस्पताल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञों द्वारा लिखी गयी औषधियों को उनके बेहतर संघटकों और अधिक प्रभावी होने के बावजूद हृदय और अस्थमा रोगियों को अन्य ब्रांडों की औषधियां स्वीकार करनी पड़ती हैं। औषधियों की खरीद विशेषकर औषधालय संख्या 63 में अपेक्षाकृत कम साख वाली कंपनियों से की जाती है जबकि प्रतिष्ठित और गैर-प्रतिष्ठित कंपनियों के मूल्य समान होते हैं जिसके कारण रोगियों को बहुत कठिनाई और असुविधा होती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार ने रोगियों की शिकायतों को दूर करने के लिए स्थानीय खरीद प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**जनसंख्या नियंत्रण**

**5715. श्री रूपचन्द मुर्मू:**
**श्री सुनील खां:**
**श्री स्वदेश चक्रवर्ती:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनसंख्या वृद्धि की समस्या से ग्रस्त राज्यों के सहायतार्थ "अधिकार प्राप्त कार्य दल" का गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस दल के सदस्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसे कब तक गठित कर दिये जाने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) जी हां। शक्ति प्राप्त कार्रवाई दल का गठन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में 20 मार्च,

2001को किया गया है।

(ख) शक्ति प्राप्त कार्रवाई दल के निम्नलिखित सदस्य हैं:-

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (अध्यक्ष)
2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (उपाध्यक्ष)
3. सचिव, परिवार कल्याण
4. सचिव, स्वास्थ्य विभाग
5. सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग
6. सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता
7. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
8. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
9. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक
10. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन
11. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड राज्यों के प्रधान सचिव/सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण)
12. अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
13. सलाहकार (स्वास्थ्य) योजना आयोग
14. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
15. संयुक्त सचिव (प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य) परिवार कल्याण विभाग
16. महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
17. निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली
18. निदेशक, जनसंख्या विज्ञान का अन्तरराष्ट्रीय ऑफ इंडिया
19. कार्यकारी निदेशक, वालंटरी हेल्थ एसोशिएशन संस्थान, मुम्बई
20. अध्यक्ष, भारतीय परिवार नियोजन संघ
21. संयुक्त सचिव (नीति), परिवार कल्याण विभाग (संयोजक)

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**मेडिकल कालेजों में सीटों को लेकर अनियमितताएं**

**5716. श्री किरीट सोमैया:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में विशेषकर महाराष्ट्र में मेडिकल कालेजों में केन्द्र सरकार का सीटों का कोटा होता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कालेजों के नाम क्या हैं और ऐसी सीटों की राज्यवार, कालेजवार संख्या कितनी है;

(ग) इन सीटों पर प्रवेश के लिए क्या पात्रता मानदंड निर्धारित किए गये हैं;

(घ) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को इन सीटों को भरने के लिए स्पष्ट निदेश देने के बावजूद विभिन्न राज्यों द्वारा कतिपय अनियमितताएं बरती गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र से ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये हैं; और

(च) मेडिकल कालेजों में सीटों को भरने के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन न करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी/की जा रही है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) जी हां। महाराष्ट्र राज्य सहित कुछ राज्य और कुछ चिकित्सा संस्थाएं अपने मेडिकल कालेजों की कुछ एम.बी.बी.एस. सीटों का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष दर वर्ष आधार पर संचालित केन्द्रीय पूल में ऐच्छिक अंशदान करती हैं।

(ख) ऐसे कालेजों के नामों का राज्य वार विवरण और शैक्षणिक सत्र 2000-2001 में केन्द्रीय पूल के नामितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का ब्यौरा विवरण I में दिया गया है।

(ग) पात्रता मानदण्ड विवरण-II और III में दिया गया है।

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं लाया गया है।

(ङ) उपरोक्त (घ) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

*विवरण-I*

| क्र.सं. | मेडिकल/दन्त कालेज का नाम | स्थान | राज्य | सीटों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | गुवाहाटी मेडिकल कालेज | गुवाहाटी | असम | 6 |
| 2. | असम मेडिकल कालेज | डीबरुगढ़ | असम | 6 |
| 3. | सिलचर मेडिकल कालेज | सिलचर | असम | 3 |
| 4. | पटना मेडिकल कालेज | पटना | बिहार | 5 |
| 5. | राजेन्द्र मेडिकल कालेज | रांची | बिहार | 5 |
| 6. | दरभंगा मेडिकल कालेज | लेहारीसराय | बिहार | 5 |
| 7. | जे.एन. मेडिकल कालेज | भागलपुर | बिहार | 4 |
| 8. | नालन्दा मेडिकल कालेज | पटना | बिहार | 4 |
| 9. | एम.जी.एम. मेडिकल कालेज | जमशेदपुर | बिहार | 2 |
| 10. | एस. के. मेडिकल कालेज | मुजफ्फरपुर | बिहार | 4 |
| 11. | ए.एन. मगध मेडिकल कालेज | गया | बिहार | 4 |
| 12. | पाटलीपुत्र मेडिकल कालेज | धनबाद | बिहार | 2 |
| 13. | मौलाना आजाद मेडिकल कालेज | नई दिल्ली | दिल्ली | 6 |
| 14. | ए.आई.आई.एम.एस. | नई दिल्ली | दिल्ली | 5 |
| 15. | एल.एच.एम.सी. | नई दिल्ली | दिल्ली | 30 |
| 16. | पं. बी.डी. शर्मा मेडिकल कालेज | रोहतक | हरियाणा | 1 |
| 17. | इन्दिरा गांधी मेडिकल कालेज | शिमला | हिमाचल प्रदेश | 5 |
| 18. | मेडिकल कालेज | टी.वी.एम. | केरल | 5 |
| 19. | मेडिकल कालेज | कोझीकोड | केरल | 5 |
| 20. | मेडिकल कालेज | कोट्टायम | केरल | 5 |
| 21. | मेडिकल कालेज | अलपुझा | केरल | 5 |
| 22. | मेडिकल कालेज | त्रिसूर | केरल | 4 |
| 23. | गांधी मेडिकल कालेज | भोपाल | मध्य प्रदेश | 7 |
| 24. | जी.आर. मेडिकल कालेज | ग्वालियर | मध्य प्रदेश | 6 |
| 25. | एम.जी. मेडिकल कालेज | इन्दौर | मध्य प्रदेश | 3 |
| 26. | मेडिकल कालेज | जबलपुर | मध्य प्रदेश | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 27. | पं. जे.एल.एन. मेडिकल कालेज | रायपुर | मध्य प्रदेश | 3 |
| 28. | एस.एस. मेडिकल कालेज | रीवा | मध्य प्रदेश | 3 |
| 29. | ग्रान्ट मेडिकल कालेज | मुम्बई | महाराष्ट्र | 2 |
| 30. | आई.जी. मेडिकल कालेज | नागपुर | महाराष्ट्र | 1 |
| 31. | गवर्नमेंट मेडिकल कालेज | नागपुर | महाराष्ट्र | 2 |
| 32. | एस.आर.टी. आर. मेडिकल कालेज | अम्बाजोगाई | महाराष्ट्र | 1 |
| 33. | गवर्नमेंट मेडिकल कालेज | औरंगाबाद | महाराष्ट्र | 1 |
| 34. | डा. वी.एम. मेडिकल कालेज | शोलापुर | महाराष्ट्र | 1 |
| 35. | बी.जे. मेडिकल कालेज | पूना | महाराष्ट्र | 2 |
| 36. | गवर्नमेंट मेडिकल कालेज | मिराज | महाराष्ट्र | 1 |
| 37. | गवर्नमेंट मेडिकल कालेज | नानदेड़ | महाराष्ट्र | 1 |
| 38. | एस.बी.एच. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज | धूले | महाराष्ट्र | 1 |
| 39. | एस.वी.एन. गवर्नमेंट कालेज | यवतमाल | महाराष्ट्र | 1 |
| 40. | एस.एम.एस. मेडिकल कालेज | जयपुर | राजस्थान | 4 |
| 41. | एस.पी. मेडिकल कालेज | बीकानेर | राजस्थान | 4 |
| 42. | आर.एन.टी. मेडिकल कालेज | उदयपुर | राजस्थान | 4 |
| 43. | डा. एस. एन. मेडिकल कालेज | जोधपुर | राजस्थान | 4 |
| 44. | जे.एन. मेडिकल कालेज | अजमेर | राजस्थान | 4 |
| 45. | मेडिकल कालेज | कोटा | राजस्थान | 4 |
| 46. | के.जी. मेडिकल कालेज | लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 3 |
| 47. | जी.एस.वी.एम. मेडिकल कालेज | कानपुर | उत्तर प्रदेश | 3 |
| 48. | एस.एल. मेडिकल कालेज | आगरा | उत्तर प्रदेश | 3 |
| 49. | एल.एल.आर.एम. मेडिकल कालेज | मेरठ | उत्तर प्रदेश | 3 |
| 50. | एम.एल.एन. मेडिकल कालेज | इलाहाबाद | उत्तर प्रदेश | 3 |
| 51. | बी.आर.डी. मेडिकल कालेज | गोरखपुर | उत्तर प्रदेश | 3 |
| 52. | एम.एल.बी. मेडिकल कालेज | झांसी | उत्तर प्रदेश | 3 |
| 53. | बर्धमान मेडिकल कालेज | बर्धवान | पं. बंगाल | 3 |
| 54. | बी.एस. मेडिकल कालेज | बांकूरा | प. बंगाल | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 55. | नार्थ बंगाल मेडिकल कालेज | दार्जिलिंग | प. बंगाल | 4 |
| 56. | एम.पी. साह मेडिकल कालेज | जामनगर | गुजरात | 10 |
| 57. | जिपमेर | पांडिचेरी | तमिलनाडु | 18 |
| 58. | आयुर्विज्ञान संस्थान (बी.एच.यू) | वाराणसी | उत्तर प्रदेश | 4 |
| 59. | एम.जी.आई.एम. एस. सेवाग्राम | वर्धा | महाराष्ट्र | 4 |
| 60. | क्रिश्चिय मेडिकल कालेज | वेल्लौर | तमिलनाडु | 1 |
| 61. | सेंट जॉन मेडिकल कालेज | बंगलौर | कर्नाटक | 1 |
| | | | कुल एम०बी०बी०ए० सीट | 258 |

*विवरण-II*

*एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार के कोटे में दाखिले के लिए विचारार्थ*

**पात्र छात्रों की श्रेणियां:**

1. बिना मेडिकल/दन्त कालेज वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित छात्र
2. रक्षा कर्मियों के वार्ड
3. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल आदि में सेवारत अर्द्ध-सैनिक कार्मिकों के बच्चे
4. मंत्रीमण्डल सचिवालय (एस.एस.बी./आर.एंड ए. डब्ल्यू/ एस.एफ.एफ.) में सेवारत कार्मिकों के बच्चे
5. विदेशों में भारतीय मिशन में कार्यरत भारतीय कार्मिकों के बच्चे
6. कूटनीतिक/द्विपक्षीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा नामित किए जाने वाले स्वयं वित्तपोषित विदेशी विद्यार्थी
7. तिब्बती शरणार्थी
8. राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जीतने वाले बच्चे
9. छात्रों की उपरोक्त श्रेणियों के अलावा जम्मू व कश्मीर राज्य में खराब हालातों के मद्देनजर उग्रवाद से प्रभावित छात्रों को सीटें आंवटित करने के लिए राज्य को कुछ एम.बी.बी.एस. सीटें तदर्थ आधार पर दी जाती हैं।

भारत सरकार के लिए आरक्षित सीटों में दाखिले के लिए अभ्यर्थियों द्वारा पूरी की जाने वाली अर्हता शर्तें और अभ्यर्थियों का चुनाव करते समय पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 9.12.1986 के पत्रांक जोकि उपाबंध-3 पर संलग्न है, यू. 14014/84/86-एम.ई. (यू.जी.) में निहित हैं।

*विवरण-III*

पी.पी. चौहान
संयुक्त सचिव

सं. यू. 14014/84/86-एम ई (यू.जी.)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 9 दिसम्बर 1986

प्रिय श्री

जैसा कि आप जानते है कि हम आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. सीटों के आवंटन हेतु पात्र उम्मीदवारों के चयन और मनोयन हेतु आवंटन करते रहे हैं। हमारे ध्यान में कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं जब कुछ आबंटी अधिकरणों ने हमारे द्वारा आबंटित सीटों पर उम्मीदवारों के चयन और नामांकन करके भारत-सरकार द्वारा ज़ारी संगत अनुदेशों का पालन नहीं किया है।

2. इस बात पर को पुनः दोहराया जाता है कि निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों के बच्चे ही पात्र होंगे- (1) संबधित राज्य/ संघ राज्य के स्थाई निवासी (2) संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकार के कर्मचारी (3) संबंधित राज्य/संघ राज्य में केन्द्रीय/अन्य राज्य/ संघ राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारी और (4) संबंधित

राज्य/संघ राज्य के अन्दर अपने मुख्यालय में तैनाती केन्द्रीय/अन्य राज्य/संघ राज्य के कर्मचारी।

3. उपर उल्लिखित केन्द्रीय/राज्य संघ राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को स्थानीय निवासी के समान माना जाना चाहिए। चयन का एकमात्र मानदण्ड उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता होगी बशर्ते कि भारत सरकार की सहमति से कोई विशेष आदेश जारी न किए गए हों।

4. संबंधित प्रत्येक राज्य/संघ राज्य को आवंटित 22/$^1/_2$ प्रतिशत सीटे उस राज्य/संघ राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। इन आरक्षणों का ब्यौरा इस प्रकार होगा।

(क) अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 1/$^1/_2$ प्रतिशत का स्पष्ट रूप से आरक्षण।

(ख) ऊपर उप पैरा (क) में उल्लिखित आरक्षण में परस्पर परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार यदि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों को भरने के लिए उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो उन्हें अनुसूचित जाति के उपर्युक्त उम्मीदवारों से भरा जाएगा तथा विपरीत स्थिति में भी यही बात लागू होगी और

(ग) यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अर्हक उम्मीदवारों की संख्या सीटों के 22/$^1/_2$ प्रतिशत से कम है तो शेष सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति से भिन्न उम्मीदवारों को दी जा सकती हैं।

5. भारत सरकार के लिए आरक्षित सीटों पर दाखिले के लिए केवल वही उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने अंग्रेज़ी, भौतिकी व रसायनशास्त्र और जीवविज्ञान में अर्हक परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में 40 प्रतिशत)* तीन वर्षीय बी.एस.सी. आनर्स पाठ्यक्रम का पहला वर्ष प्री-डिग्री (दो वर्षीय पाठ्यक्रम/प्री यूनिवर्सिटी (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) - 10+2+3 के नए पैटर्न के अन्तर्गत 10+2 अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष कोई अन्य परीक्षा पास की हो। प्रवेश के लिए 80 प्रतिशत लाभ पात्र परीक्षाओं के परिणामों को और 20 प्रतिशत मेट्रिकुलेशन अथवा स्कूल लीविंग परीक्षा को दिया जाएगा। जब किसी उम्मीदवार ने बी एस सी अथवा एम एस सी परीक्षा पास की हो तो 80 प्रतिशत लाभ पात्र परीक्षा के परिणामों को 10 प्रतिशत मैट्रिकुलेशन अथवा स्कूल लीविंग और 10 प्रतिशत बी एस एस सी परीक्षा के परिणामों पर दिया जाना है।

6. यह भी नोट किया जाए कि:

(क) जिस उम्मीदवार ने अर्हक परीक्षा दूसरे प्रयास में पास की है उसे कुछ अंकों में से 2 प्रतिशत अंक उसकी मेरिट का निर्धारण करने के लिए काट लिए जाने चाहिए।

(ख) जिस उम्मीदवार ने दो से अधिक प्रयासों में अर्हक परीक्षा पास की है, उसे सामान्यतया चिकित्सा अध्ययन के लिए उपर्युक्त नहीं समझा जाना चाहिए।

7. अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार के लिए आरक्षित एम.बी.बी.एस./बी.डी. एस. सीटों पर उम्मीदवारों के चयन और मनोनयन के लिए उपयुक्त मानदण्डों का कड़ाई से पालन किया जाए। इस मंत्रालय की केन्द्रीय चयन समिति भी इस प्रक्रिया का पालन करेगी।

*अंक प्राप्त किए हों। प्रि-मेडिकल/तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम का पहला वर्ष।

8. इस पत्र की स्वीकृति भेजने के लिए मैं आपका आभारी होउंगा।

आपका

हस्ता/-
(पी.पी.चौहान)

सेवा में

बिना मेडिकल कालेजों वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित:-

1. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
2. गृह मंत्रालय (पुनर्वास प्रभाग) नई दिल्ली
3. गृह मंत्रालय (श्री पी. वियराधवन, उप सचिव) नई दिल्ली
4. महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल नई दिल्ली
5. कमाडेंट केन्द्रीय आ.पु. बल, आर के पुरम, नई दिल्ली
6. निदेशक, एस एस बी ईस्ट ब्लाक आर के पुरम, नई दिल्ली

7. विदेश मंत्रालय (छात्र प्रकोष्ठ) श्री जी पी पकपुर अपर सचिव, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

8. विदेश मंत्रालय (कल्याण सेल) (श्री जे.आर. बलाह, उप सचिव) नई दिल्ली

9. मंत्रिमण्डल सचिवालय (श्री आर के गेंगर उप सचिव) बीकानेर हाउस एनेक्सी, शाहजहां रोड, नई दिल्ली

10. अध्यक्ष, भारतीय आयुविज्ञान परिषद्, नई दिल्ली

11. उप महानिदेशक (एन) स्वा. से. महानिदेशालय (एम ई अनुभाग) निर्माण भवन, नई दिल्ली

हस्ता/-
(पी.पी. चौहान)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

**एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास**

**5717. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1994 में एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास (आई.आई.डी.) योजना को कृषि और उद्योग के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा परियोजना का मूल्यांकन करने के पश्चात् इस योजना के प्रस्तावों को राज्य सरकारों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश ने केन्द्र सरकार को कुल कितनी योजनाएं प्रस्तुत की और कितनी योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की गयी;

(ङ) केन्द्र सरकार के पास कितनी परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं; और

(च) इन योजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) जी, हां।

(ख) योजना, ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 50% आरक्षण सहित पूरे देश को कवर करती है।

(ग) योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों को प्रस्तावों की पुष्टि करके उन्हें तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के पास जमा कराना होता है। सिडबी मूल्यांकन रिपोर्टों को केन्द्र सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार ने योजना के अंतर्गत चार प्रस्ताव जमा किए हैं और उन सभी को मंजूरी दे दी गई है।

(ङ) कोई नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**इलेक्ट्रानिक शहर**

**5718. श्री रामदास आठवले: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में विशेषकर जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में राज्यवार कितने इलेक्ट्रॉनिक शहर हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ नये इलेक्ट्रॉनिक शहर स्थापित करने का हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन):** (क) से (घ) भारत सरकार ने किसी इलेक्ट्रॉनिक शहर का निर्माण नहीं किया है। कुछ राज्य सरकारों ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए मूलसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण किया है तथा इन्हें कई बार इलेक्ट्रॉनिक शहर, साइबर शहर, इलेक्ट्रानिक पार्क आदि के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने ऐसी मूलसंरचनात्मक सुविधाओं द्वारा पूरा किए जाने के लिए किसी न्यूनतम आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया है तथा ऐसे शहरों की स्थापना की कोई योजना नहीं बनाई है।

*[अनुवाद]*

**सी.आई.एस.सी.ओ. नेटवर्किंग अकादमी कार्यक्रम**

**5719. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.आई.एस.सी.ओ. सिस्टम द्वारा आगामी पांच वर्षों के दौरान एक लाख से अधिक व्यवसाइयों को शिक्षित करने के लिए भारत में 34 नेटवर्किंग अकादमियां स्थापित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो अंतिम रूप दिये गये/विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसका देश के विशेषकर महाराष्ट्र के सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों और व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में सी.आई.एस.सी.ओ. योजना के तहत शामिल की जाने वाली प्रस्तावित क्षेत्रीय अकादमियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सी.आई.एस.सी.ओ. नेटवर्किंग अकादमी द्वारा तैयार की गयी कार्य योजना क्या है और इस संबंध में कितना निवेश किये जाने का प्रस्ताव है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)**: (क) सिस्को ने 53 क्षेत्रीय नेटवर्किंग अकादमियों तथा 413 स्थानीय अकादमियों की स्थापना करने की एक योजना की घोषणा की है।

(ख) सिस्को द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, कुल 3 क्षेत्रीय तथा 30 स्थानीय नेटवर्किंग अकादमियों की स्थापना महाराष्ट्र राज्य में की जानी है।

सिस्को के अनुसार, ये अकादमियां राज्यों में लोगों को नेटवर्किंग सहित उच्च रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली तथा विश्वस्तर पर पहचान प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी कुशलता में शिक्षण तथा प्रशिक्षण देंगी तथा नेटवर्किंग मूलसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल जनशक्ति सृजन की क्षमता के माध्यम से जनसाधारण में सूचना प्रौद्योगिकी/नेटवर्किंग कुशलता का प्रसार करने में मदद करेंगी।

(ग) यह सूचना मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ) यह सूचना मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

## यूनिट द्वारा चलाई जाने वाली कैंटीन के कर्मचारियों की सेवा शर्तें

**5720. श्री जय प्रकाश: क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना मुख्यालय ने हाल में अपने सभी कमान मुख्यालयों को अपने नियंत्रणाधीन यूनिट द्वारा चलाई जा रही कैंटीनों के असैनिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों में संशोधन करने, उन्हें नियत अवधि के लिए नए नियुक्ति पत्र जारी किए जाने और पदावधि की समाप्ति पर पिछली सेवा अवधि को ध्यान में रखे बिना उनकी सेवाएं समाप्त किए जाने के लिए अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, विशेष तौर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उच्चतम न्यायालय उन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी का दर्जा दे चुका है;

(ग) क्या इन आदेशों के परिणामस्वरूप यूनिट द्वारा चलाई जा रही किसी कैंटीन को बंद किया गया है या कोई कर्मचारी प्रभावित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

**विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह)**: (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

## भारत-यूरोपीय संघ संबंध

**5721. श्री अनन्त नायक**: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान भारत यूरोपीय संघ के बीच हुए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू)**: (क) यूरोपीय समुदाय तथा भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 की अवधि के दौरान, "यूरोपीय संघ-भारतीय नागरिक उड्डयन परियोजना" के लिए वित्त पोषण करार 28 जून, 2000 को लिस्बन में आयोजित प्रथम यूरोपीय संघ-भारत शिखर सम्मेलन में सम्पन्न हुआ था।

## मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान

**5722. श्री ए. ब्रह्मनैया**: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा अनेक विद्यालयों की स्थापना किए जाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा प्रबंधित या चलाए जा रहे संस्थानों की संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान इन विद्यालयों में कितने बच्चों को प्रशिक्षित किया गया;

(घ) क्या राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा इस कार्य का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की सहायता के लिए विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी)**: (क) से (ङ) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (एनआईएमएच) के पास एन.आई.एम.एच. द्वारा चलाए जा रहे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए इसके मुख्यालय में एक विशेष स्कूल है। एन.आई.एम.एच. के पास नई दिल्ली में माडल स्कूल फार मेंटली डेफिसियन्ट चिल्ड्रेन (एमएससएमडीसी) नामक एक विशेष स्कूल भी है। इन प्रत्येक स्कूलों में 90 से ऊपर बच्चे अध्ययन करते हैं। एनआईएमएच द्वारा मानसिक मंदता वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए कार्यरत संगठनों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना जारी है।

**सेतु पाठ्यक्रम और विशेष शिक्षा अध्यापक**

**5723. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुनर्वास परिषद ने पुनर्वास कर्मियों और विशेष शिक्षा अध्यापकों को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो इन पाठ्यक्रमों और इन्हें उपलब्ध कराने वाले विभिन्न संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुनर्वास परिषद इस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो इस कार्य के लिए वित्तीय परिव्यय क्या है;

(ङ) क्या इन पाठ्यक्रमों की उपयोगिता का वार्षिक मूल्यांकन किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी)**: (क) और (ख) भारतीय पुनर्वास परिषद ने मानसिक मंदता, श्रवण विकलांगता, चलन संबंधी विकलांगता, दृष्टि विकलांगता तथा सम्बद्ध विकलांगताओं के क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यकर्ताओं तथा विशेष शिक्षकों के लिए वर्ष 1998 से ब्रिज पाठ्यक्रम आरम्भ किए हैं। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य उन पुनर्वास कार्यकर्ताओं तथा विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है जो जून, 1993 के पहले से कार्य कर रहे हैं तथा जिनके पास मान्यता प्राप्त अर्हता नहीं है। ब्रिज पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों की एक सूची संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारतीय पुनर्वास परिषद ब्रिज पाठ्यक्रम चलाने के लिए संस्थानों को शत-प्रतिशत अनुदान प्रदान करता है। पिछले वित्त वर्ष (2000-2001) के दौरान इस मद में 0.82 करोड़ रुपये राशि व्यय की गई।

(ङ) और (च) भारतीय पुनर्वास परिषद की रिपोर्ट के अनुसार, परिषद द्वारा ब्रिज पाठ्यक्रम का वार्षिक मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाता है तथा पाठ्यक्रम को उपयोगी पाया गया है।

***विवरण***

*प्रश्न सं.- 5723 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर*
*संस्थानों की सूची*

**आंध्र प्रदेश**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 533106 ठाकुर हरिप्रसाद इन्स्टीट्यूट आफ रिसर्च एंड रिहैवी. फार मेन्टली रिटार्डेड, राजामुन्द्री | एम आर |
| 2. | टी.एच.पी. आई. रिसर्च एंड रिहैबीलीटेशन फॉर दि मेन्टली रिटार्डेड, दिलसुखनगर, हैदराबाद | एम आर |
| 3. | सहाया इन्स्टी. फार डिस्लौमा इन मेन्टल रिटार्डेशन, चित्तूर | एम.आर. |
| 4. | स्वीकार रिहैबिलीटेशन इन्स्टीट्यूट, उपकार सर्कल, पीकेट, सिकन्दराबाद | एच.आई. |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | जिला विकलांगुला संगम वीनूकोंडा, गुंटूर-522647 | एल.एच. |
| 6. | नेशनल इन्स्टीट्यूट फार दि मेन्टील हैन्डीकैप्ड, मनोविकास नगर सिकन्दराबाद-500011 | एम.आर. |
| 7. | वीजेसना फाउन्डेशन, हैदराबाद 35 | एल.एच. |
| 8. | सोसाइटी फार एजुकेशन आफ दि डेफ एंड ब्लाइन्ड, विजियानगरम, 535001 | एच.आई. |
| 9. | बी.बी.एस. देवनार स्कूल फार दि ब्लाइन्ड, वेस्ट मारेदपल्ली, सिकन्दराबाद | वी.एच. |
| 10. | एस.वी.स्कूल फार दि. डेफ, तिरूपति | एच.आई. |
| 11. | कालेज आफ टीचर एजुकेशन, उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैम्पस, हैदराबाद | एच.आई. |
| 12. | मंगलम, यशोदानगर, तिरूपति | एल.एच. |
| 13. | डिपार्टमेन्ट आफ एजुकेशन, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सीटी, विशाखापटनम 530003 आं.प्र. | वी.आई. |
| 14. | ए वाई जे एन आई एच. एच. सिकन्दराबाद | एच.आई. |
| 15. | वेथलेइम चर्च एशो. फार दि ब्लाइन्ड, नरसापुर, वेस्ट गोदावरी | वी.आई. |
| **असम** | | |
| 16. | गुवाहाटी मेन्टल वेलफेयर सोसाइटी, काहिलीपाड़ा, गुवाहाटी 781019 | एम.आर. |
| 17. | शिशु सारोथी, स्पास्टिक सोसाइटी आफ असम, गुवाहाटी: 781016 | एम.आर. |
| 18. | प्रेरणा स्पास्टिक सोसाइटी आफ जोरहाट, सिनामारा, जोरह | एल.एच. |
| **बिहार** | | |
| 19. | जे.एम. इन्स्टीट्यूट आफ पीच एंड हियरिंग, इन्द्रापुरी केसरीनगर, पटना, 800024, बिहार | एम.आर. और एच.आर. |
| 20. | बिहार इन्स्टीट्यूट आफ स्पीच एंड हियरिंग एंड रिसर्च सेन्टर, राजेन्द्र नगर पटना, 800016 बिहार | एच.आई. |
| 21. | राजेन्द्र इन्स्टी. आफ एजु. एंड सोसल वेलफेयर, हलीमपुर, डुमरीकला, सीतामढ़ी (बिहार) | एल.एच. |
| 22. | इंडियन इन्स्टीट्यूट रुरल रिकन्सट्रक्शन, आफ सोशल चेन्ज, जहानाबाद | एम.आर. |
| 23. | वाई.एम.एन.ए. हिमगिरी भवन, आनन्दपुरी पटना-800001 (बिहार) | एम.आर. |
| 24. | फीजिकल मेडीसिन एंड रिहबिलीटेशन इन्सटीट्यूट, राजेन्द्र नगर पटना, 800016, बिहार | एल.एच. |
| 25. | दीपालय इन्स्टीच्यूट फार मेन्टल हैल्थ एंड रिहैबिलीटेशन कैलाशपुरी, श्रीनगर हाता, पूर्णिया, बिहार, बिहार 86301 | एम.आर. |
| **चंडीगढ़** | | |
| 26. | इन्स्टीच्यूट फार दि ब्लाइन्ड सेक्टर, 26 चंडीगढ़ | वी.आई. |
| **दिल्ली** | | |
| 27. | तमन्ना स्पेशल स्कूल, वी. 6 स्ट्रीट, वसन्त विहार, नई दिल्ली | एम.आर. |
| 28. | वाई.एम.सी.ए. निजामुद्दीन डिवीजन इन्स्टीच्यूट फार स्पेशल एजू. निजामुद्दीन न्यू दिल्ली | एम.आर. |
| 29. | दि. नेशनल एसो. फार दि. ब्लाइन्ड, सेक्टर, 5, आर.के. पुरम, न्यू दिल्ली | वी.आई. |
| 30. | फ्रेडरेशन फार दि. वेलफेयर आफ दि मेन्टली रिटार्डेड (इंडिया), शहीद जीत सिंह मार्ग, स्पेशल इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली | एम.आर. |
| 31. | अक्षय प्रतिष्ठान, सेक्टर-डी, पाकेट -3 वसंत कुंज, न्यू दिल्ली | एल.एच. |
| 32. | अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, कड़कड़डुमा, विकास मार्ग, दिल्ली | एम.आर. एल.एच. |

| | | |
|---|---|---|
| 33. | समाधान, एफ. ब्लाक नैन पार्क, दक्षिणपुरी, न्यू दिल्ली | एम.आर. |
| 34. | कुलाची हंसराज माडल स्कूल, अशोक विहार, दिल्ली (डी.ए.वी. संचालित स्कूल) | एम.आर. |
| 35. | नेशनल इन्स्टीच्यूट फार दि मेन्टली हैन्डीकैन्ड, रिजनल सेन्टर, कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर | एम.आर. |
| 36. | दिल्ली सोसाइटी फार दि वेलफेयर आफ मेन्टली रिटार्डेड चिल्ड्रेन, ओखला सेन्टर, ओखला मार्ग, नई दिल्ली | एम.आर. |
| 37. | जन माध्यम 148 ए, जमरुदपुर, नई दिल्ली | एम.आर. |
| 38. | ए. एफ.जी जे.आई. सुब्रतोपार्क, दिल्ली कैंट-110010 | एम.आर. |
| 39. | लक्ष्मण पब्लिक स्कूल, हौजखास एन्कलेव, नई दिल्ली-110016 | एम.आर. |
| 40. | इनैलिंग सेन्टर, लेडी इरविन कालेज, नई दिल्ली | एम.आर. |
| 41. | वसन्त वेली स्कूल, सेक्टर सी, वसन्त कुंज, नई दिल्ली | एम.आर. |
| **गुजरात** | | |
| 42. | ब्लाइंड मेन्स एसोसिएशन, डा. विक्रम साराभाई रोड, वस्त्रपुर, अहमदाबाद, 380015 (गुजरात) | वी.आई. |
| 43. | बी.एम.इन्स्टी. ऑफ मेंटल हेल्थ, आश्रम रोड, अहमदाबाद, 380009 | एम.आर. |
| 44. | गुजरात केलवानी ट्रस्ट, मिर्जापुर, अहमदाबाद 380001 | एम.आर. |
| 45. | मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट, जलराम मार्ग, गुजरात | एम.आर. |
| 46. | रोटरी क्लब नाडियाड समाज सेवा एंड संशोधन ट्रस्ट, विद्या विहार, दभन रोड, नाडियाड | एच.आई. |
| 47. | गुजरात काउन्सिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सेक्टर, 21 गांधीनगर | वी.आई. |
| 48. | पी.एन.आर.एस. सोसाईटी फार रिलीफ एंड रिहैब्लिटेशन ऑफ दी डिजेब्ल्ड, भावनगर | एल.एच. |
| 49. | के.एल. इन्स्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, 51, विद्यानगर, भावनगर, गुजरात | एच. आई. |
| **हरियाणा** | | |
| 50. | रेड क्रास इन्सटीट्यूट फार मेंटली हैडिकेप्ड चिल्ड्रेन, गांधीनगर, हरियाणा (अर्पण) | एम.आर. |
| 51. | एसोशियेशन फार द वेल्फेयर ऑफ हैंडिकेप्ड, फरीदाबाद | एच.आई. |
| **हिमाचल प्रदेश** | | |
| 52. | एच.पी.प्राइमरी एजुकेशन सोसाइटी, ग्लेन होगिन, लाल पानी, शिमला-1 | एम.आर. एल.एच. |
| **झारखंड** | | |
| 53. | दीपशिखा इन्सटीट्यूट फॉर चाइल्ड डेवलपमेन्ट एंड मेन्टल हेल्थ, रांची, झारखंड | एम.आर. |
| **कर्नाटक** | | |
| 54. | सेंट एग्निज स्पेशल स्कूल, मंगलौर | एम.आर. |
| 55. | संग्राम एजुकेशन सोसाइटी, इ. डब्ल्यू.एस.90, हुडको कालोनी, बीदर | वी.आई. |
| 56. | श्री रेनुका (येलाम्मा) विद्यावर्द्धक संघ, सौंदती | एम.आर. |
| 57. | एसो. फॉर रिहैब्लिटेशन ऑफ द डिजेबल्ड, कोपल जिला | वी.आई. |
| 58. | श्री विनायक एजुकेशन सोसा., बी ब्लॉक, देवराज अर्स | एच.आई. |
| 59. | बेलगांव इंटीग्रेटेड रूरल डेवलमेन्ट सोसाइटी, नागानुर, गोकक जिला बेलगांव | एच.आई. |

| | | |
|---|---|---|
| 60. | श्री रमण महर्षि अकादमी फॉर द ब्लाईन्ड, जे.पी. नगर, बैंगलूर- 560078 | वी.आई. |
| 61. | एसो.फार. मेन्टली रिटार्डेड सिटीजन्स, नियर किदवई मेमोरियल अस्पताल, बेंगलूर | एम.आर. |
| 62. | दिव्य शांति स्पेशल स्कूल, के.जी. एफ. 6312 | एम.आर. |
| 63. | इन्सटीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, हेन्नुर रोड़, बेंगलूर | एच.आई. |
| 64. | डिवाइन लाइट ट्रस्ट, बैंगलूर | वी.आई. |
| 65. | सेवा इन एक्शन 36 प्रथम मेन एस.टी. बेड ले आउट कोरमंगल, बेंगलूर | एच.आई. |
| 66. | कर्नाटक हैंडिकेप्ड वेलफेयर एसो. जीवन बीमा नगर, बेंगलूर | एच.आई. |
| 67. | वत्सालय एच.ए.एल. स्कूल फॉर स्पेशल एजुकेशन, जवाहर नगर मरथहाली पोस्ट, बेंगलूर-560037 | एम.आर. |

**केरल**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 68. | एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर आफ द हैंडिकेप्ड, एम स्क्वायर कामप्लेक्स, कालीकट-673001 | (एम.आर.) | एच.आई. |
| 69. | बाला विकास इन्स्टीट्यूट फॉर मंडली | | एम.आर. |
| 70. | केरल फेडरेशन ऑफ दी ब्लाईन्ड, कुन्नाकुंजी, पी.ओ. तिरुअनन्तपुरम | | वी.आई. |
| 71. | पोप पॉल मर्सी होम रेसिडेन्सियल ट्रेनिंग स्कूल फॉर दी मेन्टली रिटार्डेड, पेरिंगन्दूर त्रिसुर, 680551 | | वी.आई. |
| 72. | निर्मल सदन, मुवातुपूजा | | एम.आर. |
| 73. | रक्षा सोसाइटी फॉर केरा ऑफ चिल्ड्रेन विद, मल्टीपल हैंडिकेप्स, कोचीन, 682002 | | एम.आर. |
| 74. | सी.एस.आई. ट्रेनिंग सेन्टर फॉर टीचर्स ऑफ दी हियरिंग इम्पेयर्ड, कोलम | | एच.आई. |
| 75. | सेन्ट्रल इन्सटीट्यूट ऑफ मेन्टल रिटार्डेशन, तिरूअनन्तपुरम | | एम.आर. |
| 76. | फेथ इण्डिया, फेथ इंडिया भवन, पुथेनन्ज, पो. अर्नाकुलम, केरल | | सी.पी.आर. |
| 77. | एन.आई. एस. एच. नेशनल इन्सटीट्यूट ऑफ स्पीच एड हियरिंग, पैलेस रोड, पूजपुरा, तिरूअनन्तपुरम, | | एच.आई. |

**मध्य प्रदेश**

| | | |
|---|---|---|
| 78. | दिग्दर्शिका इन्सटीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च, शिवाजी नगर | एम.आर. |
| 79. | एम. पी. वेलफेयर एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइन्ड, किला मैदान, इन्दौर 452006 | वी.आई. |
| 80. | मारियन सोसायटी, सी. ब्लांक, प्राइवेट कॉलोनी, भोपाल (मध्य प्रदेश) | एच.आई. |
| 81. | महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ, ए.बी.रोड़, इंदौर- 452008 | वी.आई. |
| 82. | डीफ एंड डंब एसोसिएशन स्कीम सं. 71 ख, इंदौर - 452009, मध्य प्रदेश | एच.आई. |
| 83. | नवजीवन स्कूल फार हियरिंग हैंडीकप्ड चिल्ड्रेन फार स्पीच एंड लैग्वेज डवलपमेंट नवजीवन बधिर समिति, इंदौर 452001 | एच.आई. |

**महाराष्ट्र**

| | | |
|---|---|---|
| 84. | मिंड्स कॉलेज आफ स्पेशल ऐजुकेशन, स्वेरी हिल, सेवरी रोड़, मुंबई- 400003 | एम.आर. |
| 85. | सोसायटी फार दि एजुकेशन आफ दि क्रिप्लड, मोतलीबाई स्ट्रीट, मुम्बई -400011 | एल.एच. |
| 86. | नेशनल इन्स्टीट्यूट फार दि मैंटली हैंडीकेप्ड, रिजीनल सेंटर, बान्द्रा, मुम्बई-400050 | एम.आर. |

| | | |
|---|---|---|
| 87. | अयोध्या चेरीटेबल ट्रस्ट, सुभाष नगर, पुणे- 411002 | एच.आई. |
| 88. | वी.आर. रूईया मूक, बधिर विद्यालय एस.पी. कालेज, पुणे - 411030 | एच.आई. |
| 89. | सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ टीचर डीफ, म्यूनिसिपल स्कूल, अग्रीपाड़ा, मुम्बई | एच.आई. |
| 90. | दि पूना स्कूल एंड होम फार दि ब्लाइंड ट्रस्ट, कोरेगांव, पुणे-411001 | वी.आई. |
| 91. | दि नेशनल एसोसिएशन फार दी वेलफेयर आफ दि फिजिकली हैंडीकेप्ड, विश्वविद्यालय, अमरावती 446002 | वी.आई. |
| 92. | नेशनल एसो. फार दि ब्लाइंड, इंडिया, 11 खां अब्दुल गफ्फार खान रोड़, वरली मुम्बई -400025 | वी.आई. |
| 93. | नेशनल एसोसिएशन फार दि ब्लाइड, यशवंत मंडल, रविवार करांजा, नासिक -422001 | वी.आई. |
| 94. | अपंग व निराधार बहुद्देशीय कल्याणकारी संस्था, जिंगावाई तकली, गीता नगर, वार्ड सं.-1, नागपुर | एम.आर. |
| 95. | स्पेस्टिक्स सोसायटी ऑफ इंडिया, के.सी.मार्ग, बान्द्रा (पश्चिम) मुम्बई-400050 | एम.आर. |
| 96. | दिलकुश टीचर्स ट्रेनिंग सेन्टर इन स्पेशल एजुकेशन, चर्च रोड़, जुहू, मुंबई -400049 | एम.आर. |
| 97. | एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, विद्याविहार, जुहू रोड़, सांताक्रूज (पश्चिम) मुंबई-400049 | एम.आर. |
| 98. | कामायनी प्रशिक्षण एवं सोसायटी, गोकलनगर, पुणे 16, महाराष्ट्र | एम.आर. |
| 99. | डीफ एंड डम्ब इडस्ट्रीयल इस्टीट्यूट, उत्तरी अम्बाजारी रोड, शंकर नगर, नागपुर | एंच.आई. |
| 100. | अपंग कल्याण एव पुनर्वास संस्था, अजंता रोड़, बुलडाना-443001 | एच.आई. |
| 101. | नवजीवन स्कूल फार मैंटली रिटार्डिड, प्लाट न., पी.-65 एम आई डी सी, नारेगांव फात, औरंगाबाद | एम.आर. |
| 102. | ए वाय जे एन आइ एच एच, बान्द्रा (पश्चिम), मुम्बई-50 | वी.आर. |
| **मणिपुर** | | |
| 103. | आल मणिपुर मेंटली हैंडिकेप्ड पर्सन्स वेलफेयर आर्गेनाइजेशन केशमथांग टॉप लेरेक, इम्फाल- 795008 | एम.आर. |
| **मेघालय** | | |
| 104. | मोन्टफोर्ट सेन्टर फॉर एजुकेशन, दानकेगर, तुरा (डा. घर) मेघालय-794101 | वी.आई. |
| **उड़ीसा** | | |
| 105. | ज्वेल्स इंटरनेशनल्स चेतना इन्स्टीट्यूट ऑफ दि मेंटली हैंडिकेप्ड, नयापल्ली भुवनेश्वर- 751013 | एम.आर. |
| 106. | शांता मेमोरियल पुनर्वास केन्द्र, कैंटिन बिल्डिंग स्टेशन, भुवनेश्वर | एल.एच. |
| 107. | ट्रेनिंग सेन्टर फार ट्रीचर्स आफ दि डीफ एस.आई. कैम्पस यूनिट, 8 भुवनेश्वर | एच.आई. |
| 108. | ट्रेनिंग सेन्टर ऑफ टीचर्स ऑफ दि विजिठली हैंडीकेप्ड, एस.आई.आर.डी. भुवनेश्वर-751012 | वी.आई. |
| 109. | त्यागा, छत्रातोता डाकघर, महांगा, जिला कटक, उड़ीसा-754206 | एचआई |
| **पंजाब** | | |
| 110. | डा. सत्य पाल खोसला चेरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट, एस.यू.एस. नगर, जलंधर | एचआई |
| 111. | नवीजीवनी स्कूल आफ स्पेशल एजुकेशन सुलर, पटियाला-147001 | एमआर |
| 112. | वोकेशनल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेन्टर, लुधियाना, पंजाब-141001 | एल.एच. एवं वी.आई. |
| 113. | डिपार्टमेंट आफ एजुकेशन, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़-160014 | एमआर |

**राजस्थान**

| | | |
|---|---|---|
| 114. | नवदिशा विकास समिति, मेवाती नगर, अलवर-301001 | वीआई |
| 115. | मरुधर डीफ एंड डम्ब स्कूल, सागर रोड, बीकानेर-334001 | एचआई |

**तमिलनाडु**

| | | |
|---|---|---|
| 116. | इन्स्टीट्यूट आफ रिहैबीलीटेशन साइंस एंड स्पेशल एजुकेशन, हॉली क्रॉस कॉलेज, टेप्पाकुलम पोस्ट, तिरुचिरापल्ली-620003 | एमआर, एचआई एंड वीआई |
| 117. | स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु, टीटीटीआई, के सामने, तारामणि रोड, चेन्नई-600013 | एमआर |
| 118. | श्री रामाकृष्ण मिशन विद्यालय कालेज आफ एजुकेशन, कोयम्बटूर | वीआई |
| 119. | हैलर केलर सर्विस सोसाइटी फॉर दी ब्लाइंड विजियागम, विशाखापटनम, मदुरैई-625014 | वी.आई. |
| 120. | बाला विहार प्रशिक्षण स्कूल, हालस रोड, किलपौक गार्डन, चेन्नई-600010 | एमआर |
| 121. | होली क्रॉस सर्विस सोसाइटी, 96बी इट्टूपेट्टई बंगलो, जनरल होस्पीटल के पीछे, पूथूर, तिरुचिरापल्ली-620017 | एच.आई. |
| 122. | अजय मेमोरियल फाऊन्डेशन 6, ऑफिसर्स कालोनी, अन्ना नगर वेस्ट एक्स, चेन्नई-600050 | एच.आई. |
| 123. | एम.एस. चेलामुथु ट्रस्ट एण्ड रिसर्च प्रतिष्ठान, 611 के.के. नगर, मदुरै-625020 | एमआर |
| 124. | इन्स्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ किलपौक, चेन्नई-600010 | एमआर |
| 125. | दी क्लार्क स्कूल फॉर दी डीफ एण्ड दी मेन्टली रिटार्डेड, तीसरी स्ट्रीट डा. राधाकृष्णन सलाई, मैलापोर, चेन्नई-600004 | एच.आई. |
| 126. | स्कूल फॉर यंग डीफ चिल्डर्न बाल विद्यालय 14, पहली क्रॉस स्ट्रीट, शास्त्री नगर, चैन्नई, तमिलनाडू | एच.आई. |
| 127. | स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, सं. 1, रणजीत रोड, कोथूपुरम, चैन्नई-600085 | एल.एच. |
| 128. | ओरल स्कूल फॉर हीयरिंग इम्पायर्ड, ट्रोवेल स्ट्रीट, कालेज रोड, नगरकाईल-629001 कन्याकुमारी जिला तमिलनाडु | एच.आई. |
| 129. | विद्या विकासनी अपोरचूनिटी स्कूल 66 डी, मेट्टूपालायम रोड, थुडीयालूर कोयम्बटूर-641034 | एम.आर. |
| 130. | सी.एस.आई. बालार गनाना, इलाम, हस्थामपेट्टी, सालेम-636007, तमिलनाडु | एम.आर. |

**त्रिपुरा**

| | | |
|---|---|---|
| 131. | अखिल त्रिपुरा अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक उत्थान परिषद अमनगर रोड-1 अगरतला त्रिपुरा-799002 | |

**उत्तर प्रदेश**

| | | |
|---|---|---|
| 132. | चेतना इंस्टीट्यूट, सेक्टर सी, अलीगंज आवास योजना, लखनऊ-24, उत्तर प्रदेश | एम.आर. |
| 133. | नव वानी स्कूल फॉर डीफ विलेज कोइरामपुर, वाराणसी-221105 | एच.आई. |
| 134. | जीवन ज्योति स्कूल एण्ड कम्यूनिटी बेसड रिहबिलिटेशन फॉर दी ब्लाइंड अखता, पी.ओ. सारनाथ, वाराणसी | वी.आई. |
| 135. | अखिल भारतीय विकलांग कल्याण परिषद समिति, तुलसीनगर, अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश | एच.आई. |
| 136. | बाल विकास एवम् महिला कल्याण परिषद, नवाबगंज, गोंडा उ.प्र. | एल.एच. |
| 137. | श्री हनुमान प्रसाद पानडार सी.से. अन्ध विद्यालय, दुर्गा कुन्ड, वाराणसी-221010 | वी.आई. |
| 138. | यू.पी. डीफ एण्ड डम्ब इंस्टीट्यूट, 4/7 मालविया रोड, जार्ज टाऊन, इलाहाबाद | एच.आई. |

| | | |
|---|---|---|
| 139. | विकलांग केन्द्र, 13, लुकेरगंज, इलाहाबाद | एस.एच. |
| 140. | देवा एकीकृत विकलांग स्कूल, 21/100, ब्लाइंड भवन, कामाच्छा, वाराणसी-10 (उ.प्र.) | एम.आर. |
| 141. | एकीकृत विकलांग संस्थान, हनुमान धाम कालोनी, कारानडी, बी.एच.यू. वाराणसी | एम.आर. |
| **उत्तरांचल** | | |
| 142. | राफेल रेदर चेसहायर इंटरनेशनल सेन्टर पो.ओ. बाक्स 157, देहरादून, (उ.प्र.) | एम.आर. |
| 143. | नेशनल इंस्टीट्यूट फार विजुअली हेण्डीकैप्ड 116, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तर प्रदेश | वी.एच. |
| 144. | शार्प मेमोरियल स्कूल फॉर दी ब्लाइंड, पी.ओ. राजपुर, देहरादून-248009 (उ.प्र.) | वी.आई. |
| **पश्चिम बंगाल** | | |
| 145. | अलकेन्दू बौद्ध निकेतन, रेजिडेंशियल पी1/4/1 सीआईटी स्कीम 7एम, वीआईपी रोड, कंकुरगाची | एम.आर. |
| 146. | नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दी मेंटली हैंडीकैप्ड रीजनल सेन्टर, बी.टी. रोड, बौन हुगली, कलकत्ता-90 | एम.आर. |
| 147. | रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड ब्वायज एकेडमी, पी.ओ. नरेन्द्रपुर 24 परगना (साऊथ)-743508 | वी.आई. |
| 148. | विकास भारती कल्याण समिति केन्द्रीय कार्यालय 20/1बी लालबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता-700001 | एल.एच. |
| 149. | पश्चिम बंगाल बाल कल्याण परिषद, 42 रमेश मित्रा रोड, कलकत्ता-700025 | एल.एच. |
| 150. | नॉर्थ कलकत्ता प्रतिबन्धी सेवा केन्द्र, 2/8/1, रामकृष्णा घोष रोड, कलकत्ता-700050 | एम.आर. |
| 151. | सोसाइटी फॉर मेंटल हैल्थ केयर (अन्ध निकेतन) पी.ओ. खजूरदीही, बुर्द्धवान (वाया कटवा)-713518 | एम.आर. |
| 152. | स्पीच एण्ड हियरिंग इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर कलकत्ता केन्द्र-7बी कनकुलिया रोड, कलकत्ता | एच.आई. |
| 153. | रीच सोसाइटी फॉर रेमीडियल एजुकेशन एसेसमेंट हैंडीकैप 18/2/ए/3 विद्या शंकर सरनी, गोल्फ ग्रीन, कलकत्ता-700098 | एच.आई. |
| 154. | होप सोसाइटी फॉर हैण्डीकैप्ड ओरियंटेशन प्रोग्राम एण्ड एजुकेशन, सेंट पाल रोड दुर्गापुर-713204 | एम.आर. |
| 155. | लुईस ब्रेल मैमोरियल स्कूल फॉर दी साइटलेस बिरला रोड, पोस्ट-मखीया, हुगली | वी.आई. |
| 156. | विकासायन इंस्टीट्यूट फार रिटार्डेड चिल्डर्न, 40 बोनहुगली, गवर्नमेंट कालोनी, कलकत्ता | एस.एच. |
| 157. | मनोविकास केन्द्र रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर दी हैंडीकैप्ड 482, मदुदाह, फ्लैट नं. आई-24. सेक्टर-एक, पूर्वी मेट्रोपोलियन बाई-पास कलकत्ता | एल.एच. |
| 158. | एन.आई.ओ.एच., बी.टी. रोड, बोन हुगली, कलकत्ता-700090 | एल.एच. |
| 159. | मिशनरीज़ ऑफ चेरिटी (ब्रदर्स) 37 तांगरा रोड, कोलकत्ता-700015 | एम.आर. |

**दक्षिण एशिया विकास चतुर्भुज पर सम्मेलन**

**5724. श्री शिवाजी माने:**
**श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ ने 13-14 मार्च, 2001 को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के आर्थिक सहयोग से "दक्षिण एशियाई विकास चतुर्भुज-आर्थिक सहयोग के उभरते अवसर" विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा की गई और इस चर्चा का क्या परिणाम रहा;

(ग) इस सम्मेलन पर कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) इस सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गई; और

(ङ) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू):** (क) जी, हां।

(ख) फिक्की ने दक्षिण एशियाई समृद्धि चतुष्कोण (एस.ए.जी.क्यू.) जिसमें बंगलादेश, भूटान, भारत और नेपाल शामिल हैं इन चार देशों के बीच विकासशील परियोजना-आधारित आर्थिक सहयोग के लिए चर्चा करने और क्षेत्रों की पहचाने करने के लिए सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में व्यापार, निवेश, ऊर्जा पर्यटन और अवसंरचना से संबद्ध पांच कार्य सत्र पारित हुए और उनके लिए आर्थिक और तकनीकी सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई।

(ग) इस सम्मेलन के लिए विदेश मंत्रालय ने दस लाख रुपये धनराशि देने की वचनबद्धता दी है जिसमें से अभी तक पांच लाख रुपए संवितरित किए जा चुके हैं।

(घ) और (ङ) मंत्रालय को इस सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशें औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि यह माना जाता है कि प्रमुख सिफारिशें उप क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, संयुक्त उद्यमों की स्थापना, व्यापार संपूरकताओं का विकास इत्यादि विकसित करने की आवश्यकता से संबद्ध हैं।

*[हिन्दी]*

**रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार**

**5725. श्री विजय गोयल:**
**श्री अजय सिंह चौटाला:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 1989 से अब तक दर्ज किए गए रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इन मामलों में किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

**विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह):** (क) से (ङ) केंद्रीय जांच ब्यूरो ने वर्ष 1989 से अब तक केवल निम्नलिखित मामलों की जांच-पड़ताल की है/जांच-पड़ताल/छान-बीन कर रहा है तथा तत्संबंधी स्थिति निम्नवत् है:-

| क्र.सं. | मामले का ब्यौरा | स्थिति |
|---|---|---|
| 1. | मैसर्स ताइयो क्यूसेन कं. लि., जापान से 36 अदद हैंड हेल्ड डायरेक्शन फाइंडर की अधिप्राप्ति | उक्त अधिप्राप्ति में आरोपित अनियमितताओं का कोई आधार नहीं पाया गया। |
| 2. | 155 मि.मी. स्मोक एम्युनिशन की आपूर्ति के लिए दक्षिण अफ्रीका की मैसर्स नोसचेम के साथ संविदा | केंद्रीय जांच ब्यूरो शिकायत का सत्यापन कर रहा है। |
| 3. | मैसर्स पिटकेयर, हांगकांग से गोलीबारूद का आयात | केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आरंभिक जांच पड़ताल की जा रही है। |
| 4. | मैसर्स बोफोर्स, स्वीडन के साथ 155 मि.मी. एफ एच 77बी गन सिस्टम, गोली-बारूद तथा संबद्ध मदों की अधिप्राप्ति के लिए की गई संविदा। | केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र तथा पूरक आरोप-पत्र दाखिल कर दिए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो छानबीन के कार्य में लगा हुआ है। |
| 5. | शस्त्र खोजी राडार की अधिप्राप्ति | केंद्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट परामर्श के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजी गई है। |
| 6. | पूर्वी नौसेना कमान में 'क्रूसिबल्स' की अनियमित अधिप्राप्ति | केंद्रीय जांच ब्यूरो विशाखापट्टनम में निर्धारित अदालत में इस मामले को चला रहा है। |
| 7. | पूर्वी नौसेना कमान में विकसित मदों की अधिप्राप्ति में अनियमितताएं | केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। |
| 8. | उन परिस्थितियों की जांच जिनमें सामग्री संगठन, विशाखापट्टनम द्वारा शिप सेन्डिलियर के माध्यम से अधिप्राप्ति के लिए सुपुर्दगी अवधि को दिसंबर, 94 से आगे बढ़ाया गया। | इस संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कार्य चल रहा है। |
| 9. | पूर्वी नौसेना कमान द्वारा एन एस डी, पोर्ट ब्लेयर में स्थानीय खरीद का मामला | केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। |

2. उपर्युक्त विवरण से यह देखा जा सकता है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अभी तक केवल एक मामले अर्थात खोजी रेडार के संबंध में अपनी रिपोर्ट दी है जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग को परामर्श के लिए भेजा गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ऊपरोल्लिखित मामलों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी है।

**कृषि आधारित उद्योगों में विदेशी निवेश**

**5726. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:** क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान देश में, विशेष तौर पर महाराष्ट्र में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशी निवेश के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) अब तक इनमें से कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) और (ख) लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को पिछले दो वर्षों के दौरान देश में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशी निवेश का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग जो उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का नोडल विभाग है, ने उल्लेख किया है कि उनके पास कोई विशिष्ट सूचना/आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 1.1.1999 से 28.2.2001 तक पिछले दो वर्षों के दौरान कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को महाराष्ट्र राज्य से संबंधित प्रस्तावों सहित अनुमोदित प्रस्तावों के ब्यौरे क्रमश: विवरण-I और II के रूप में संलग्न हैं।

*विवरण-I*

*नीति पश्चात अवधि (1.1.1999 से 28.02.2000) के दौरान अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग का क्षेत्र-वार ब्यौरा*

(राशि करोड़ में)

| क्र.सं. | उद्योग का नाम | अनुमोदनों की संख्या | | | अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राशि | कुल अनुमोदित राशि का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल | तकनीकी | वित्त | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | पेपर उत्पादकों सहित पेपर और लुगदी | 22 | 1 | 21 | 849.29 | 1.20 |
| 2. | चीनी | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | किणवन उद्योग | 10 | 4 | 6 | 17.19 | 0.02 |
| 4. | खाद्य संसाधन उद्योग | | | | | |
| | खाद्य उत्पाद | 94 | 13 | 81 | 433.17 | 0.61 |
| | समुद्री उत्पादन | 5 | 1 | 4 | 6.81 | 0.01 |
| | विविध (खाद्य उत्पाद) | 5 | 0 | 5 | 2.20 | 0.00 |
| 5. | वनस्पति तेल और वनस्पति | 6 | 0 | 6 | 48.30 | 0.07 |
| 6. | साबुन, कॉस्मेटिक एवं सौंदर्य प्रावधान | 7 | 3 | 4 | 1.24 | 0.00 |
| 7. | सरेस और शलेष | 4 | 1 | 3 | 1.43 | 0.00 |
| 8. | विविध उद्योग | 19 | 0 | 19 | 31.06 | 0.04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | बागबानी | 52 | 14 | 38 | 220.90 | 0.31 |
| | कृषि | 7 | 1 | 6 | 6.78 | 0.01 |
| | पुष्पोत्पादन | 3 | 1 | 2 | 317.25 | 0.45 |
| | चाय/कॉफी कैंयर | 9 | 2 | 7 | 2.54 | 0.00 |

*विवरण-II*

*महाराष्ट्र राज्य में नीति पश्चात अवधि (1.1.1999 से 28.02.2000) के दौरान अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग का क्षेत्र-वार ब्यौरा*

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | उद्योग का नाम | अनुमोदनों की संख्या | | | अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राशि | कुल अनुमोदित राशि का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल | तकनीकी | वित्त | | |
| 1. | पेपर उत्पादों सहित पेपर और लुगदी | 6 | 1 | 5 | 527.36 | 2.49 |
| 2. | किणवन उद्योग | 3 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | खाद्य संसाधन उद्योग | | | | | |
| | खाद्य उत्पाद | 16 | 2 | 14 | 40.74 | 0.19 |
| | समुद्री उत्पाद | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | वनस्पति तेल और वनस्पति | 1 | 0 | 1 | 6.00 | 0.03 |
| 5. | साबुन, कॉस्मेटिक एवं सौंदर्य प्रसाधन | 5 | 2 | 3 | 1.24 | 0.01 |
| 6. | विविध उद्योग | | | | | |
| | बागबानी | 4 | 0 | 4 | 17.81 | 0.08 |
| | कृषि | 13 | 6 | 7 | 12.28 | 0.06 |
| | चाय/कॉफी | 1 | 0 | 1 | 315.00 | 1.49 |
| | कैंयर | 1 | 0 | 1 | 0.10 | 0.00 |

*[अनुवाद]*

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए धनराशि का आवंटन**

**5727. डा. एन. वेंकटस्वामी:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष अर्थात 2000-2001 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए बजट आवंटन बहुत कम था;

(ख) यदि हां, तो योजनावार और वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान बजट में आवंटित समस्त राशि का पूरी तरह से उपयोग किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं: और

(च) वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी):** (क) से (घ) और (च) वर्ष 1997-98 से 2000-2001 के लिए बजट आबंटन एवं व्यय और वर्ष 2001-2002 के लिए बजट आबंटन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) अनुसूचित जातियों के विकास के संबंध में वर्ष 1999-2000 में निधियों के उपयोग में कोई कमी नहीं आई थी। तथापि, 1997-98, 1998-99 और 2000-2001 में सफाई कर्मचारियों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना और स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत कम निर्मुक्ति के कारण निधियों के उपयोग में कुछ कमी रही है। कुछ वर्षों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों को निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकी क्योंकि निगम के पास राज्य माध्यम एजेंसियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वयं की पर्याप्त बकाया धनराशि मौजूद थी।

अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में, इस क्षेत्र के लिए योजनाएं तैयार करने में कुछ समय लगा। इसके अलावा, राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से बाद में भी पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। वर्ष 1997-1998 के दौरान निगम (राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) को निधियां भी निर्मुक्ति नहीं की जा सकीं क्योंकि प्राधिकृत शेयर पूंजी 200.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं बढ़ाई गई हैं। निगम के पास पिछले वर्ष की गई निर्मुक्तियों में से व्यय न हुई बकाया धनराशि को देखते हुए वर्ष 2000-2001 के दौरान 68.10 करोड़ रु. के आबंटन की निर्मुक्ति नहीं की जा सकी।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आबंटित निधियों के संबंध में, व्यय में कमी का कारण राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों से कम मांग प्राप्त होना है।

***विवरण***

*पिछले तीन वर्षों अर्थात 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-2001 के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और व्यय एवं वर्ष 2001-2002 के लिए बजट अनुमान दर्शाने वाला विवरण*

(रु. करोड़ में)

| | 1997-98 | | 1998-99 | | 1999-2000 | | 2000-2001 | | 2001-2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ब.अ. | व्यय | ब.अ. | व्यय. | ब.अ. | व्यय | ब.अ. | व्यय | ब.अ. |
| **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** | | | | | | | | | |
| अनुसूचित जाति विकास | 771.00 | 597.63 | 759.38 | 652.38 | 745.75 | 746.26 | 787.70 | 766.89 | 854.84 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 49.08 | 0.00 | 111.50 | 99.80 | 126.30 | 113.25 | 90.52 | 21.59 | 71.43 |
| जनजातीय मंत्रालय (एसटी) | 479.00 | 466.41 | 592.32 | 568.19 | 692.75 | 633.75 | 810.00 | 712.05 | 1040.00 |

अंनतिम

*[हिन्दी]*

**स्वास्थ्य नीति के रूप में जल नीति**

**5728. डा. अशोक पटेल:**
**श्री पदम सेन चौधरी:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आम जनता को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराए जाने के लिए सरकार द्वारा जलनीति को स्वास्थ्य नीति के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (ग) वर्तमान राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को संशोधित करने का कार्य चल रहा है। स्वास्थ्य में अन्तर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण को देखते हुए संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का उदेद्श्य संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एकीकृत करना होगा जिसमें लोगों के लिए स्वच्छ पेय-जल की व्यवस्था भी शामिल है।

**महामारी उन्मूलन**

**5729. श्री माणिकराव होडल्या गावित:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के अधिकांश भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में महामारी फैल रही है;

(ख) यदि हां, तो वहां कौन-कौन सी बीमारियां चिन्ताजनक रूप से फैल रही है;

(ग) इन बीमारियों के कारण अब तक कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है; और

(घ) इन क्षेत्रों में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्य का ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) जी नहीं। कच्छ जिले में संक्रामक यकृतशोथ के केवल छुट-पुट मामले हुए हैं।

(ख) रोग भयप्रद रूप से नहीं फैला है।

(ग) विषाणु हेपेटाइटिस के कारण किसी मौत की सूचना नहीं दी गई है।

(घ) सम्पूर्ण जिले में रोग की स्थिति के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं:-

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली के तकनीकी मार्गदर्शन के अन्तर्गत 82 गश्ती चिकित्सीय दल निगरानी कार्य चलाते हैं। केन्द्रीय निगरानी कक्ष जिसमें राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली और राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद के विशेषज्ञ हैं, ने भी इस क्षेत्र का दौरा किया है और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया है। प्रयोगशाला उपकरणों और अभिकर्मकों की व्यवस्था करके प्रयोगशाला निगरानी सुदृढ़ की गई है। उपचार प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय तीव्र अनुक्रिया दल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करता है।
2. गश्ती चिकित्सा दल पीने के पानी के क्लोरीनीकरण का मानीटर करते हैं। टैंकरों द्वारा आपूर्ति किए गए पानी को भी क्लोरीनीकृत किया जाता है। जोखिम वाले क्षेत्रों में पात्र क्लोरीनीकरण के लिए क्लोरीन की गोलियां भी वितरित की जाती हैं।
3. पुस्तिकाओं, प्रेस नोटों के माध्यम से घर-घर जाकर लोगों को वैयक्तिक स्वच्छता और पर्यावरणीय सफाई के बारे में आवश्यक शिक्षा प्रदान की जा रही है।
4. तत्काल फीड बैक के लिए परिसरीय स्तर से राज्य स्तर तक सम्प्रेषण व्यवस्था सुदृढ़ की गई है।
5. माननीय स्वास्थ्य मंत्री, गुजरात सरकार की अध्यक्षता में पीने के साफ पानी की आपूर्ति और पर्यावरणिक सफाई जैसे जन स्वास्थ्य संबंधी उपायों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया।

*[अनुवाद]*

**भ्रष्टाचार-उन्मूलन**

**5730. श्रीमती श्यामा सिंह:**
**श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता-आयोग ने यह विचार व्यक्त किया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के वर्तमान उपबंध देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए बिल्कुल अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के लिए सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के उपबंधों को सुदृढ़ बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने के लिए प्रस्तावित अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त ने यह विचार व्यक्त नहीं किया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

के मौजूदा प्रावधान इतने कमजोर हैं कि वे भ्रष्टाचार नियंत्रित करने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं हैं। हालांकि उन्होंने भ्रष्ट लोक-सेवकों की सम्पत्ति की जब्ती की दृष्टि से एक अलग विधान अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

(घ) सरकार, लोक-सेवाओं में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार के उन्मूलन की आवश्यकता के प्रति पूर्ण रूप से सचेत है। इस बारे में सरकार, निगरानी, निवारण तथा दंडात्मक/निवारक कार्रवाई की एक त्रिसूत्रीय रणनीति अपनाती है। विभिन्न मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अपने-अपने संगठन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के उत्तरदायी हैं। यह मानते हुए नागरिक-चार्टरों का चलन आरंभ करने और सूचना-सुविधा-केन्द्र स्थापित करने जैसे प्रशासनिक सुधार के उपाय किए जाने आरम्भ कर दिए गए हैं कि निवारक सतर्कता का एक महत्वपूर्ण पहलू लोक-प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा और उनके सरलीकरण का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है। लोक-सेवकों की सेवा-शर्तें नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार, भ्रष्टाचार-निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उनके विरुद्ध की जा रही दण्डात्मक कार्रवाई भी एक निवारक के रूप में कार्य करती है। फिर भी, प्रशासन में कदाचार रोकने की दृष्टि से, लोक-सेवाओं में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान, एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इस बारे में बनाई गई नीतियां, बदलते परिवेश के प्रति और अधिक प्रभावी और संवेदनशील बनाने की दृष्टि से, समय-समय पर आशोधित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, इस बारे में महत्वपूर्ण पहलकदमी के तौर पर, सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कुछ कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय सतर्कता-आयोग को सांविधिक दरजा देने की दृष्टि से लोक-सभा में केन्द्रीय सतर्कता-आयोग-विधेयक, 1999 पेश करना और सरकार के काम-काज के संचालन में और अधिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाने की दृष्टि से सूचना का स्वातंत्र्य-विधेयक, 2000 पेश करना है।

### जनसंख्या नियंत्रण

5731. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
**श्री जी.एस. बसवराज:**
**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवीनतम जनगणना से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि चीन के बाद भारत ने ही एक अरब आबादी को पार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1 मार्च, 2001 को भारत की आबादी 1027,015,247 थी जो कि जनगणना 2001 की अनुमानित संख्या से कुछ अधिक थी;

(ग) क्या जनगणना 2001 के अंतरिम परिणामों के अनुसार 1991-2001 के बीच की अवधि में भारत की आबादी में करीब 181 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई;

(घ) यदि हां, तो क्या यह स्थिति पाने के लिए उपाय करने पर विचार कर रही हैं;

(ङ) क्या सरकार इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (ग) भारतीय जनगणना, 2001 के अनंतिम परिणामों के अनुसार भारत की जनसंख्या पहली मार्च, 2001 को 0.00 बजे 1,027,015,247 थी। भारत के महापंजीयक द्वारा तैयार किए गए "भारत और राज्यों के जनसंख्या प्रक्षेपण" में 2001 में 101.24 करोड़ जनसंख्या प्रक्षेपित की गई। इसलिए जनगणना 2001 भारत की जनसंख्या को अवश्य ही प्रक्षेपित संख्या से अधिक बताती है। हां, 1991-2001 के दशक में भारत की जनसंख्या में लगभग 180.62 मिलियन संख्या और जुड़ी है। इस प्रकार भारत ही विश्व में एक अरब के आंकड़े को पार करने वाला चीन के बाद दूसरा देश है।

(घ) से (च) देश में समग्रतावादी ढंग से जनसंख्या की वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 अपनाई है जो अगले दशक के दौरान मुख्य सामाजिक-जनांकिकीय सूचकों और नीतियों को प्राथमिकता देने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक नीति संबंधी कार्यढांचा प्रदान करती है। जहां नीति में जनसंख्या के शीघ्र स्थिरीकरण के लिए एक बहुक्षेत्रीय एजेंडा रखा गया है, वहां इसमें साथ ही साथ प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने और अभिनव सामाजिक विपणन कार्यनीतियों को अमल में लाने के अलावा बाल जीवन रक्षा, मातृ स्वास्थ्य और गर्भ निरोधन के मुद्दों पर ध्यान देने का प्रयास किया गया है।

*[हिन्दी]*

### बेसहारा बच्चों का कल्याण

5732. **श्री राम टहल चौधरी:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार झारखंड के बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए किसी योजना का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या सहायता दी जा रही है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी)**: (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, यह मंत्रालय बच्चों केकल्याण के लिए तीन योजनाओं नामत:. (1) बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, (2) किशोर न्याय के लिए एक कार्यक्रम तथा (3) समस्त देश में शिशु गृह योजना को कार्यान्वित कर रहा है। उपुर्यक्त योजना (1) के अन्तर्गत यह मंत्रालय बच्चों की निराश्रयता का निवारण तथा सड़कों के जीवन से उनकी वापसी को सुसाध्य बनाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दे रहा है। उपर्युक्त योजना (2) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार उपेक्षित तथा अपराधी किशोरों के लिए किशोर गृहों, प्रेक्षण गृहों, विशेष गृहों तथा उत्तरवर्ती संस्थाओं की स्थापना और चलाने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 50:50 के आधार पर सहायता दे रही है विवरण संलग्न है। उपर्युक्त योजना (3) के अंतर्गत यह मंत्रालय अंत: देशीय दत्तक ग्रहण के प्रोत्साहन के लिए शिशुओं के लिए (शिशु गृह) गृहों हेतु स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दे रहा है।

(ग) झारखंड सरकार ने केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

*विवरण*

*"किशोर न्याय के लिए कार्यक्रम" की योजना के अंतर्गत राज्यवार निर्मुक्त सहायता अनुदान दर्शाने वाला विवरण*

(रुपये लाख में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वर्ष | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-2001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | — | — | 94.98 | — | — |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | — | — | — | — | — |
| 3. | असम | 17.30 | — | 15.83 | — | — |
| 4. | बिहार | — | — | 143.89 | — | — |
| 5. | चंडीगढ़ | — | — | — | — | — |
| 6. | गोवा | 0.81 | — | — | — | 7.33 |
| 7. | गुजरात | — | — | 167.81 | 36.16 | 35.98 |
| 8. | हरियाणा | 6.46 | 8.52 | 26.02 | — | 25.06 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | — | — | — | — | 24.58 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | — | — | — | — | — |
| 11. | झारखंड | — | — | — | — | — |
| 12. | कर्नाटक | 25.00 | 2.38 | 31.23 | — | 87.00 |
| 13. | केरल | 23.53 | 20.97 | 48.63 | 16.86 | 21.30 |
| 14. | मध्य प्रदेश | — | — | 88.69 | 253.84 | 159.27 |
| 15. | महाराष्ट्र | 61.25 | 341.58 | 161.76 | 336.04 | 251.16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | मणिपुर | 3.08 | — | — | — | 5.35 |
| 17. | मेघालय | 2.77 | 2.82 | 2.93 | 4.62 | 5.62 |
| 18. | मिजोरम | 2.87 | 2.03 | 6.70 | 9.71 | 4.26 |
| 19. | नागालैंड | 2.52 | 3.00 | 3.45 | — | 6.67 |
| 20. | उड़ीसा | 14.79 | — | — | — | — |
| 21. | पंजाब | 15.56 | 15.56 | 23.68 | 13.71 | 24.06 |
| 22. | राजस्थान | 11.95 | 8.18 | 9.31 | 8.77 | 8.00 |
| 23. | सिक्किम | — | — | 5.15 | 1.70 | 1.70 |
| 24. | तमिलनाडु | 8.11 | 2.73 | 79.43 | 128.81 | 118.21 |
| 25. | त्रिपुरा | — | 5.00 | — | 1.00 | — |
| 26. | उत्तर प्रदेश | — | — | 276.01 | 129.24 | 184.45 |
| 27. | उत्तरांचल | — | — | — | — | — |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 75.00 | 18.33 | — | 103.54 | 80.00 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | — | — | — | — | — |
| 30. | चंडीगढ़ | — | — | — | 2.00 | 3.10 |
| 31. | दादर और नगर हवेली | — | — | — | — | — |
| 32. | दमन और दीव | — | — | — | — | — |
| 33. | दिल्ली | 29.00 | — | 10.00 | — | — |
| 34. | लक्षद्वीप | — | — | — | — | — |
| 35. | पांडिचेरी | — | — | — | — | — |
| | कुल | 200.00 | 431.00 | 1195.00 | 1046.00 | 1053.00 |
| | बी.ई. | 200.00 | 200.00 | 800.00 | 1000.00 | 1212.00 |

*[अनुवाद]*

**पाकिस्तान में बंधक भारतीय**

**5733. श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1100 से अधिक भारतीय नागिरकों के पाकिस्तान में बंधक होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान केवल 600 भारतीय नागरिकों को ही मुक्त किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन भारतीय नागरिकों को शीघ्र मुक्त कराए जाने और उनकी स्वदेश वापसी के लिए इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता मांगी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू):** (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की जेलों में 54 भारतीय रक्षा कार्मिक, 819 असैनिक बंदी और 302 मछुआरे बंद हैं। तथापि, पाकिस्तान ने कभी भी अपनी अभिरक्षा में किसी भी युद्ध बंदी होने की बात स्वीकार नहीं की है और केवल 160 भारतीय मछुआरों के बंदी होने की ही पुष्टि की है। पाकिस्तान ने अपनी अभिरक्षा में असैनिक बंदियों की संख्या का उल्लेख नहीं किया है।

(ख) 1997 के बाद से अब तक पाकिस्तान में बंद भारतीय नागरिकों में से कुल 611 प्रत्यावर्तित किए गए हैं।

(ग) पाकिस्तान में बंद भारतीय राष्ट्रिकों को शीघ्र छोड़े जाने और प्रत्यावर्तित किए जाने का मुद्दा पाकिस्तान की सरकार के साथ बार-बार सभी स्तरों पर उठाया गया है।

(घ) हमारे प्रयासों के फलस्वरूप पाकिस्तान हाल ही में 84 भारतीय मछुआरों को छोड़ने पर सहमत हुआ है और 76 और भारतीय मछुआरों तक कौंसली पहुंच की सुविधा प्रदान की है। आशा है कि ये 160 भारतीय मछुआरे शीघ्र भारत लौट आएंगे। पाकिस्तानी अभिरक्षा में रह रहे शेष भारतीय राष्ट्रिकों को शीघ्र छुड़वाए जाने के प्रयास जारी हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

## रुग्ण इकाइयां

**5734. श्री विनय कुमार सोराके: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार कितनी लघु उद्योग इकाइयों की पहचान रुग्ण इकाइयों के रूप में की गई हैं;

(ख) इन रुग्ण इकाइयों में अंतर्ग्रस्त राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितनी रुग्ण इकाइयों को बैंकों ने अर्थक्षम संभाव्य पाया है;

(घ) क्या अर्थक्षम संभाव्य इन रुग्ण इकाइयों को पुन: चालू करने के लिए राज्य स्तरीय अन्तर-संस्थागत समिति अवश्यक कदम उठा रही है;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थक्षम संभाव्य रूग्ण इकाइयों के पुनर्वास के लिए संशोधित दिशानिर्देश तैयार किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार मार्च, 1999 के अन्त तक रुग्ण लघु उद्योग इकाईयों की संख्या 3,06,221 थी जिनकी ओर 4313.48 करोड़ रु. का बैंक ऋण बकाया था। उनमें से 18,692 सम्भाव्य जीवनक्षम लघु उद्योग इकाईयों का पता लगा लिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) सरकार द्वारा 30.8.2000 को घोषित किए गए व्यापक नीति पैकेज की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कार्यकारी ग्रुप का गठन किया है ताकि लघु औद्योगिक क्षेत्र में रुग्ण यूनिटों के पुनर्वास के लिए मौजूदा मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों की समीक्षा की जा सके और मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों को पारदर्शी और गैर-स्वैच्छिक बनाने के संबंध में संशोधन संबंधी सिफारिश की जा सके।

## कैंसर अस्पताल

**5735. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोल्हापुर, महाराष्ट्र में कैंसर अस्पताल के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) और (ख) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को कैंसर अस्पताल के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) ऊपर (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**औषधियों के उपयोग पर पाबंदी**

**5736. श्री नरेश पुगलिया:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुर्दे, मनोरोग और उदर की बीमारियों में प्रयुक्त होने वाली कतिपय औषधियों के उपयोग पर पाबंदी लगाने संबंधी कोई अधिसूचना जारी की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 12.03.2001 के सा.का.नि. 170 (अ) के तहत 01.01.2002 से कुछ औषधों, जिसमें संक्रमण, मनश्चिकित्सा तथा उदर रोगों की औषधें शामिल हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है, के विनिर्माण, बिक्री तथा वितरण को मानव प्रयोग हेतु प्रतिषिद्ध करने वाली एक अधिसूचना जारी की गई है।

सरकार ने दिनांक 12.03.2001 के सा. का.नि. 169 (अ) के तहत डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराईड के साथ डायजेपम के नियत खुराक वाले संयोजन के विनिर्माण, बिक्री तथा वितरण को भी तत्काल प्रतिषिद्ध कर दिया है।

*विवरण*

1. नाइट्रोफ्यूरेनट्वाइन एवं ट्रिमेथोप्रिम का नियत खुराक संयोजन।
2. किन्हीं एंटि-एस्थैमैटिक औषधों के साथ फेनोबारबिटोन का नियत खुराक संयोजन।
3. हायोसिन और/या हायोसाइमिन के साथ फेनोबारबिटोन का नियत खुराक संयोजन।
4. आर्गोटामिन तथा/या बेलाडोना के साथ फेनाबारबिटोन का नियत खुराक संयोजन।
5. प्रोपेन्थेलिन ब्रोमाईड सहित किसी एंटी कोलिनर्जिक एजेंट के साथ हैलोपेटिडोल का नियत खुराक संयोजन।
6. मेट्रोनाइडेजोल सहित एंटि-अमीबिक्स के साथ नैलिडिक्सिक का नियत खुराक संयोजन।
7. फ्यूराजोलिडोन के साथ लीपरामाईड हाइड्रोक्लोराईड का नियत खुराक संयोजन।
8. लाइसिन या पेप्टोने के साथ साइप्रोहेप्टाडाइन का नियत खुराक संयोजन।

**नवगठित राज्यों में चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचा**

**5737. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 12 मार्च, 2001 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में यथाप्रकाशित सरकार ने उत्तरांचल, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इन राज्यों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (ग) उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में उपलब्ध प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाएं/आधारभूत ढांचा संलग्न विवरण में दिया गया है। सरकार को इन राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या आधारभूत ढांचे में कुछ अन्तरालों के बारे में पता है। उत्तरांचल राज्य में उप-केंद्रों में सहायक नर्स-दात्री के लगभग 8% पद और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के 26% पद रिक्त पड़े हैं। (10 जिलों का डेटा उपलब्ध)। सरकार का निम्नलिखित उपायों द्वारा इन राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में सुधार लाने का विचार है।

× औषधों और उपस्करों की आपूर्ति को सुदृढ़ करना।
× आवश्यक स्टाफ की संविदात्मक नियुक्ति।
× अनिवार्य प्रसूति परिचर्या को सुदृढ़ करना।
× आपाती प्रसूति परिचर्या को सुदृढ़ करना।
× प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चौबीसों घंटें की प्रसव सेवाओं को सुदृढ़ करना।
× पंचायतों के माध्यम से गरीब परिवारों को रैफरल परिवहन।
× पारम्परिक जन्म परिचरों को प्रशिक्षण।
× प्रतिरक्षण के लिए आउटरिच सेवाएं।
× जिलों में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।
× आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए छोटे और बड़े सिविल कार्य

× वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू की गई प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रावधान किया गया है।

× बाह्य वित्त पोषित कई क्षेत्र में परियोजनाएं निर्माण कार्यकलापों और चिकित्सा/ पराचिकित्सा कार्मिकों के प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने में सफल रही है।

× राज्य स्वास्थ्य पद्धति परियोजना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति से रोगियों के लिए प्राथमिक रैफरल परिचर्या प्रदान करने हेतु जिला अस्पताल उप-जिला अस्पताल और समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जैसी द्वितीयक स्तरीय स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का उन्नयन और आधुनिकीकरण किया गया है।

*विवरण*

| छत्तीसगढ़ | उपकेन्द्र | | | | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | | | | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रामीण जनसंख्या करोड़ | आवश्यकता | मौजूद | कमी यदि कोई है | कुल लक्ष्य (1997-2002) | आवश्यकता | मौजूद | कमी यदि कोई है | कुल लक्ष्य | आवश्यकता | मौजूद | कमी यदि कोई है | कुल लक्ष्य (1997-2002) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.35 | 3375 | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | 540 | 512 | 38 | 38 | 150 | 114 | 36 | 36 |
| झारखंड | | उपकेन्द्र | | | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | | | | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | | | |
| 1.72 | 4265 | 4467 | × | | 710 | 962 | × | | 177 | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध |
| उत्तरांचल | | | उपकेन्द्र | | | | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | | | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | | |
| .8 | 2285 | 1604 | 681 | 681 | 320 | 259 | 61 | 61 | 100 | 23 | 77 | 77 |

लक्ष्यों को अभी तक योजना आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

**नेशनल पोपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड**

**5738. श्री एस.डी.एन. आर. वाडियार:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नेशनल पोपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 के लिए कुल कतनी राशि नियत की गई है;

(ग) नेशनल पोपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड को स्थापित करते समय सामने रखे गये उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राज्य सरकारों ने उक्त अवधि के दौरान क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या प्रत्येक राज्य में जनसंख्या आयोग स्थापित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी):** (क) और (ख) राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है और वर्ष 2000-2001 के दौरान निधि संग्रह की शुरूआती राशि के रूप में 50 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है। आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमण्डल समिति का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् निधि प्रचालनात्मक हो जाएगी।

(ग) से (ङ) सभी राज्यों के मुख्य मंत्री राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग (एनसीपी) के सदस्य हैं। एनसीपी की पहली बैठक से शीघ्र जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने में व्यापक राष्ट्रीय विचार और प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देने की आवश्यकता के बारे में स्पष्ट और सुनिश्चित संदेश मिलता है। कुछ राज्यों ने अपनी जनसंख्या नीतियां बनाई हैं। बहुत से राज्यों ने राज्य जनसंख्या आयोग गठित किए हैं। सभी राज्य सरकारों की ओर से शीघ्र ही जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु आवश्यक नीतियां और कार्यक्रम कार्यन्वित करने के लिए सामान्य बचनबद्धता है।

### ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च की गई राशि

5739. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के तहत तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को स्थापित करने पर सरकार ने कुल कितनी धनराशि खर्च की है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** देश में लघु क्षेत्र की इकाईयां निजी उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाती हैं। केन्द्र सरकार, इन प्रयासों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता करती है। ये योजनाएं/कार्यक्रम देश भर में एकरूप तरीके से क्रियान्वित की जाती है, और इनका राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, केन्द्र सरकार द्वारा देश में लघु उद्योग क्षेत्र के विकास हेतु 4304.00 करोड़ रु. का परिव्यय उदृष्ट किया गया है।

### नेपाल के विदेश मंत्री के साथ बैठक

5740. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
**श्री राम मोहन गाड्डे:**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री के साथ कोई बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई; और

(ग) इसका क्या निष्कर्ष निकला?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू):** (क) से (ग) नेपाल के विदेश मंत्री महामान्य चक्र प्रसाद बस्तोला डेनमार्क की यात्रा पर जाते समय 30 मार्च, 2001 को भारत की निजी पारगमन यात्रा पर आए। उनकी पारगमन यात्रा का मुख्य कार्यक्रम भारत नेपाल बी पी कोइराला फाउन्डेशन के तत्वावधान में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री श्री बी पी कोइराला द्वारा लिखी दो पुस्तकों का विमोचन करना था। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री श्री बस्तोला ने विदेश मंत्री के साथ सदभावना मुलाकात की, इस वार्ता में दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

### एन.एस.डी.पी. हेतु निधियां

5741. **श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने 1996-97 के दौरान देश में राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम के उद्देश्य क्या-क्या हैं;

(ग) योजना आयोग ने प्रत्येक राज्य को इसकी शुरूआत के बाद से प्रतिवर्ष राज्य-वार कितनी-कितनी निधियां आबंटित/जारी की;

(घ) कार्यक्रम के तहत प्रत्येक राज्य में क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(ङ) क्या सरकार ने कार्यक्रम के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो सरकार कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठा रही है?

**विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी):** (क) जी, हां। सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान देश में राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) शुरू किया था जिसके अंतर्गत निधियां अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में स्लम जनसंख्या के आनुपातिक आधार पर प्रत्येक वर्ष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की जाती हैं।

(ख) कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्याप्त और संतोषप्रद जलापूर्ति, सफाई, प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं, स्वास्थ्य देख-भाल प्राथमिक-पूर्व प्रौढ़ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा सुविधाएं आदि प्रदान करना है। इस स्कीम का उद्देश्य आवास का प्रावधान, समुदाय अधिकारिता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, साथ-ही-साथ पर्यावरणीय सुधार एवं सतत समर्थित व्यवस्था के सृजन के द्वारा विभिन्न क्षेत्रक कार्यक्रम का अभिसारण भी है। कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र के रूप में महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना भी है। कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्र के रूप में स्लम क्षेत्र को अपनाकर शहरी गरीबों को अपेक्षित आधारिक संरचना प्रदान करना है।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक वर्ष निधियां स्लम जनसंख्या के आनुपातिक आधार पर प्रदान की जाती हैं। एनएसडीपी के अंतर्गत इसके प्रारम्भ (1996-2001) से 1680.89 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। एनएसडीपी के अंतर्गत निधियों का वर्षवार और राज्यवार आवंटन विवरण-I में दिया गया है।

इस स्कीम के अंतर्गत इसके प्रारम्भ (1996-2001) से 1413.74 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वर्ष 1996-2001 से जारी निधियों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) उपलब्धियां दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां। समय-समय पर शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, जो इस स्कीम की मानीटरिंग करने के लिए नोडल एजेंसी है, ने बैठकों में इसकी प्रगति की समीक्षा की है और मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वे इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित निधियों के बेहतर उपयोग के लिए प्रभावी कदम उठाए। इसके अलावा, निधियां शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग जो कि नोडल विभाग है, की सिफारिशें प्राप्त होने पर और राज्यों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही जारी की जाती हैं।

***विवरण-I***

*राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) के अंतर्गत वर्ष 1996-2001 से निधियों का वर्ष-बार/राज्य-वार आबंटन दर्शाने वाला विवरण*

(रुपये करोड़ में)

| क्र.सं. | राज्य | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 22.97 | 29.45 | 32.50 | 35.75 | 35.75 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.11 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.10 |
| 3. | असम | 2.22 | 2.84 | 2.84 | 3.12 | 3.12 |
| 4. | बिहार | 18.91 | 24.25 | 24.25 | 26.68 | 17.75 |
| 5. | गोवा | 0.44 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.10 |
| 6. | गुजरात | 14.27 | 18.30 | 18.30 | 20.13 | 20.13 |
| 7. | हरियाणा | 3.65 | 4.69 | 5.14 | 5.65 | 5.65 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.10 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 3.26 | 4.18 | 6.59 | 7.25 | 7.25 |
| 10. | कर्नाटक | 12.64 | 16.21 | 17.87 | 21.74 | 21.74 |
| 11. | केरल | 7.27 | 9.32 | 9.32 | 10.25 | 10.25 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 14.80 | 18.98 | 18.98 | 20.88 | 16.54 |
| 13. | महाराष्ट्र | 35.67 | 45.73 | 53.31 | 58.31 | 39.04 |
| 14. | मणिपुर | 0.45 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.10 |
| 15. | मेघालय | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.10 |
| 16. | मिजोरम | 0.34 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | नागालैंड | 0.24 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.10 |
| 18. | उड़ीसा | 4.50 | 5.7 | 6.20 | 6.78 | 6.78 |
| 19. | पंजाब | 7.05 | 9.04 | 9.04 | 9.94 | 9.94 |
| 20. | राजस्थान | 10.49 | 13.45 | 13.45 | 14.79 | 14.79 |
| 21. | सिक्किम | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.10 |
| 22. | तमिलनाडु | 19.05 | 24.42 | 24.65 | 27.11 | 27.11 |
| 23. | त्रिपुरा | 0.39 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.10 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 31.28 | 40.11 | 40.11 | 44.12 | 42.30 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 24.69 | 31.66 | 34.26 | 37.68 | 37.68 |
| 26. | चंडीगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 |
| 27. | झारखंड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.93 |
| 28. | उत्तरांचल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 |

***विवरण-II***

*राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) के अंतर्गत वर्ष 1996-2001 से निधियों का वर्ष-वार/ राज्य-वार जारी किया जाना, दर्शाने वाला विवरण*

(रुपये करोड़ में)

| क्र.सं. | राज्य | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 22.97 | 22.05 | 28.42 | 35.75 | 8.89 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.11 | 0.88 | 0.88 | 1.25 | 0.25 |
| 3. | असम | 2.22 | 2.07 | 2.53 | 2.81 | 0.80 |
| 4. | बिहार | 18.91 | 18.18 | 24.25 | 26.68 | 6.85 |
| 5. | गोवा | 0.44 | 0.88 | 0.12 | 1.10 | 0.28 |
| 6. | गुजरात | 14.27 | 13.68 | 22.92 | 20.13 | 20.13 |
| 7. | हरियाणा | 3.65 | 4.29 | 5.14 | 5.65 | 5.13 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 0.50 | 0.88 | 1.00 | 1.10 | 0.28 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 3.26 | 3.74 | 5.90 | 7.25 | 1.75 |
| 10. | कर्नाटक | 12.64 | 14.85 | 21.12 | 21.74 | 21.74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | केरल | 7.27 | 8.47 | 9.29 | 10.28 | 2.59 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 14.80 | 17.38 | 20.58 | 20.88 | 12.40 |
| 13. | महाराष्ट्र | 35.67 | 41.91 | 57.13 | 58.31 | 12.49 |
| 14. | मणिपुर | 0.45 | 0.88 | 1.00 | 1.10 | 0.29 |
| 15. | मेघालय | 0.40 | 0.88 | 0.88 | 1.10 | 0.29 |
| 16. | मिजोरम | 0.34 | 0.88 | 0.88 | 1.22 | 1.10 |
| 17. | नागालैंड | 0.24 | 0.88 | 0.88 | 1.22 | 0.29 |
| 18. | उड़ीसा | 4.50 | 5.28 | 5.60 | 7.27 | 3.39 |
| 19. | पंजाब | 7.05 | 8.25 | 9.04 | 9.94 | 2.51 |
| 20. | राजस्थान | 10.49 | 12.32 | 13.49 | 14.79 | 3.76 |
| 21. | सिक्किम | 0.03 | 0.88 | 1.00 | 0.88 | 0.25 |
| 22. | तमिलनाडु | 19.05 | 22.33 | 26.74 | 27.11 | 22.59 |
| 23. | त्रिपुरा | 0.39 | 0.88 | 0.90 | 1.20 | 1.10 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 31.28 | 36.74 | 36.74 | 40.26 | 40.41 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 24.69 | 28.93 | 31.01 | 40.93 | 37.68 |
| 26. | चंडीगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 |
| 27. | झारखंड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.93 |
| 28. | उत्तरांचल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 |

***विवरण-III***

*1996-97 से 2000-2001*

*राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) के अंतर्गत राज्यों की उपलब्धियां दर्शानेवाला विवरण*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | कस्बा कवर किया गया | स्लम पाकेट्स कवर की गई | लाभ भोगियों की सं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 116 | 3196 | 3554918 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 14 | 14 | एन.ए. |
| 3. | असम | 14 | 119 | 66863 |
| 4. | बिहार | 64 | 1569 | 1040169 |
| 5. | गोवा | एन.ए. | एन.ए. | एन.ए. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 6. | गुजरात | 21 | 210 | 654000 |
| 7. | हरियाणा | 82 | 436 | 350000 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 48 | 255 | 182056 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | एन.ए. | एन.ए. | एन.ए. |
| 10. | कर्नाटक | 168 | 187 | 149211 |
| 11. | केरल | एन.ए. | एन.ए. | एन.ए. |
| 12. | मध्य प्रदेश | 123 | 3028 | 4399886 |
| 13. | महाराष्ट्र | 24 | 308 | 216685 |
| 14. | मणिपुर | 7 | 7 | 301456 |
| 15. | मेघालय | 6 | 26 | 36000 |
| 16. | मिजोरम | एन.ए. | एन.ए. | एन.ए. |
| 17. | नागालैंड | एन.ए. | एन.ए. | एन.ए. |
| 18. | उड़ीसा | 102 | 1873 | 964948 |
| 19. | पंजाब | 6 | 411 | 834000 |
| 20. | राजस्थान | 183 | 1651 | 766000 |
| 21. | सिक्किम | एन.ए. | एन.ए. | एन.ए. |
| 22. | तमिलनाडु | 719 | 1855 | 3692270 |
| 23. | त्रिपुरा | 13 | 94 | 14855 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 66 | 3247 | 4214000 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 122 | 31627 | 6450000 |

नोट: एन.ए. सूचना उपलब्ध नहीं दर्शाता है।

**तिब्बत पर भारत का रूख**

**5742. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने तिब्बत पर भारत के रूख के संबंध में उसके साथ बैठक की इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कृष्णमराजू ):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**भारत पाक वार्ता**

**5743. श्री सुबोध राय:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के वर्तमान सैनिक शासक ने कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए प्रधान मंत्री को वार्ता हेतु पाकिस्तान आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू)**: (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) पाकिस्तान के सैनिक शासन के नेता बार-बार भारत ,पाकिस्तान वार्ता जो जम्मू और कश्मीर के मसले पर केन्द्रित है को किसी भी स्तर पर पुन आरंभ करने के लिए कहते रहे हैं। इसी दौरान, पाकिस्तान ने जम्मू एवं कश्मीर में सीमापार आतंकवाद को अपना समर्थन बढ़ा दिया है। वास्तव में पाकिस्तान का भारत के प्रति नकारात्मक और आक्रामक रवैया बरकरार है।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग हैं। इस राज्य के एक भाग पर पाकिस्तान का जबरन और अवैध कब्जा है। शिमला समझौते तथा लाहौर घोषणा, जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों का आधार स्तंभ है, के अंतर्गत भारत पाकिस्तान के साथ सभी मसलों को सीधे द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए वचनबद्ध है। सरकार ने कई अवसरों पर दोनों पक्षों द्वारा बातचीत आरंभ करने की अपनी इच्छा दोहराई है जिससे आपसी विश्वास और भरोसा कायम हो, सहयोग का एक स्थायी ढांचा तैयार हो और लम्बित मामलों को सुलझाया जा सके। सार्थक बातचीत के लिए उपयुक्त वातावरण अत्यधिक आवश्यक है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए पाकिस्तान को सीमापार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद करना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**विकासशील देशों की लघु इकाइयों के बीच समन्वय**

**5744. डा. जसवंतसिंह यादव**: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विकासशील देशों की लघु इकाइयों के बीच सहयोग और समन्वय विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे लघु उद्योगों को विकसित करने में किस हद तक लाभ मिलने की संभावना है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे)**: (क) से (ग) अन्य देशों तथा भारत के लघु उद्योगों के बीच सहयोग एवं समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। सरकार अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से भारत के लघु उद्योग/लघु मझौले उद्यम के उद्यमियों और विकासशील देशों के प्रतिनिधियों के बीच आदान प्रदान की सुविधा प्रदान कर रही है। यह आदान प्रदान की प्रक्रिया व्यापार, प्रौद्योगिकी उन्नयन, संयुक्त उद्यमों इत्यादि के विस्तार हेतु परस्पर सहयोग में सहायता प्रदान कर रही है।

*[अनुवाद]*

**पेंशन प्राधिकरण**

**5745. श्री पवन कुमार बंसल**: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय पेंशन नीति के तहत एक पेंशन प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेंशन स्कीम में वेतन के 1.16 प्रतिशत के वर्तमान अंशदान को बंद किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी)**: (क) और (ख) श्रम मंत्रालय, जो इस विषय से संबंधित है, द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाले कामगारों के लिए शुरू की गई कर्मचारी भविष्य निधियों और कर्मचारी पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त नामक एक केन्द्रीय प्राधिकरण पहले ही नियुक्त है। इसलिए अभी किसी पृथक केन्द्रीय पेंशन प्राधिकरण का गठन करने का कोई सुझाव नहीं है।

(ग) और (घ) श्रम मंत्रालय के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना 1955 में 1.16 प्रतिशत के वर्तमान अंशदान को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[हिन्दी]*

**स्वास्थ्य नीति**

**5746. श्री राजो सिंह:**
**श्रीमती जयश्री बैनर्जी:**
**श्री मोइनुल हसन.**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई स्वास्थ्य नीति तैयार की जा रही है;

(ख) क्या नई स्वास्थ्य नीति में सभी के लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना की गई है;

(ग) क्या ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा विज्ञान का अल्प ज्ञान रखने वाले तथा कथित डाक्टरों को सीमित मान्यता दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दरों पर जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ए. राजा ):** (क) और (ख) 1983, जब पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार की गई थी, से देश में हुए महत्वपूर्ण जानपदिक रोग विज्ञानी और सांख्यिकीय परिवर्तनों को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को संशोधित करने का कार्य शुरू किया गया है। ''सभी के लिए स्वास्थ्य'' संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के समग्र उद्देश्य के रूप में भी रहेगा।

(ग) और (घ) सरकार अर्हता प्राप्त स्वास्थ्य व्यवसायिकों के जरिए हर जगह गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए और उचित कीमतों पर आवश्यकता औषध उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में जानती है।

*[अनुवाद]*

**आई.ए.एस./आई.पी.एस. और आई.एफ.एस. अधिकारी**

**5747. श्री चन्द्र नाथ सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस-सेवा और भारतीय विदेश-सेवा में कितने अधिकारी हैं;

(ख) इन सेवाओं के कितने-कितने अधिकारी केन्द्र-सरकार और विभिन्न राज्य-सरकारों में तैनात हैं; और

(ग) भारतीय विदेश-सेवा के कितने अधिकारी देश और विदेशों में तैनात हैं?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री ( श्रीमती वसुन्धरा राजे ):** (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस-सेवा और भारतीय विदेश-सेवा के अधिकारियों की संख्या निम्नानुसार है:-

| 20.04.2001 को मौजूद स्थिति के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या | 15.11.2000 को मौजूद स्थिति के अनुसार भारतीय पुलिस-सेवा के अधिकारियों की संख्या | 01.04.2001 को मौजूद स्थिति के अनुसार भारतीय विदेश-सेवा के अधिकारियों की संख्या |
|---|---|---|
| 5057 | 3285 | 594 |

(ख) संघ-सरकार और विभिन्न राज्य-सरकारों में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस-सेवा के अधिकारियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

| | केन्द्रीय सरकार के अधीन तैनात अधिकारियों की संख्या | विभिन्न राज्य-सरकारों में तैनात अधिकारियों की संख्या |
|---|---|---|
| 20.04.2001 को मौजूद स्थिति के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या | 804 | 4253 |
| 16.4.2001 को मौजूद स्थिति के अनुसार भारतीय पुलिस-सेवा के अधिकारियों की संख्या | 428 | 2857 |

जहां तक भारतीय विदेश-सेवा का संबंध है, उपर्युक्त सेवा का कोई भी अधिकारी किसी भी राज्य-सरकार में प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

(ग) इस समय भारतीय विदेश-सेवा के कुल 187 अधिकारी देश में तैनात हैं, जबकि 407 अधिकारी भारतीय मिशनों और विदेशों में स्थित पदों पर तैनात हैं।

## कुपोषण

**5748. डा. वी. सरोजा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूक्ष्म-पौषणिक कुपोषण रोधी कार्यक्रम का तमिलनाडु में भी विस्तार किए ज़ाने का प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूक्ष्मपोषक कुपोषण से बचाव संबंधी कार्यक्रम पर प्रायोगिक परियोजना इस समय 5 राज्यों अर्थात असम, झारखंड, गुजरात, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की जा रही है। इस प्रायोगिक परियोजना का देश के अन्य राज्यों में और विस्तार करने हेतु निर्णय लेने पर विचार करने के पहले इसका मूल्यांकन किया जाएगा।

## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में डाक्टर

**5749. डा. (श्रीमती) सुधा यादव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सफदरजंग अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल और गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल में डाक्टरों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी नियुक्तियों का आधार क्या है; और

(ग) उनकी सेवाएं कब तक नियमित की जाएंगी?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (ग) जहां तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का संबंध हैं, संकाय पदों में आरक्षण के विषय पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संकाय संघ द्वारा दायर की गई सिविल रिट याचिका में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए अन्तरिम आदेश के कारण, सहायक प्रोफेसर के प्रवेश स्तरीय संकाय पदों को, सितम्बर, 1993 के बाद नियमित आधार पर नहीं भरा गया है। इन आदेशों को अभी तक न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया गया है। इसलिए, रोगी परिचर्या, शिक्षण तथा अनुसंधान कार्यकलापों के हित में सहायक प्रोफेसर के स्तर पर तदर्थ नियुक्तियां की जा रही हैं। इन तदर्थ सहायक प्रोफेसरों को चयन की नियमित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित अभ्यर्थियों की उपलब्धता न होने के कारण, केन्द्र सरकार के अस्पतालों में रोगी परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए सफदरगंज अस्पताल तथा डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर उप-संवर्ग में विशेषकर अतिविशिष्टता वाले विषयों में तदर्थ आधार पर कुछ नियुक्तियां की गइ हैं। तथापि, तदर्थ नियुक्तियां अभ्यर्थी को नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा या अधिकार प्रदान नहीं करती है।

## प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

**5750. श्री रामप्रसाद सिंह:**
**श्री रामदास रूपला गावीत:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आपस में जोड़ने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो देश में इस समय राज्य-वार कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चलाए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार ने प्रथम चरण में ऐसे कितने केन्द्रों को आपस में जोड़ने का निर्णय लिया है और इस योजना के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) और (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना स्थापित जनसंख्या मानदण्डों अर्थात मैदानी क्षेत्र में प्रति 30,000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में 20,000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के आधार पर की जाती है। औसतन एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देश के 25.55 गांवों को कवर करता है।

(ग) जी, नहीं। देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अन्त: सम्बद्ध करने के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई गई है।

तथापि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को रोगियों के रेफरल, संभार-तंत्रों एवं आपूर्तियों, कार्मिकों के पर्यवेक्षण तथा मॉनिटरिंग के उद्देश्य से उप-केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ सम्बद्ध किया गया है।

(घ) देश में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

30.6.2000 की स्थिति के अनुसार देश में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1386 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 58 |
| 3. | असम | 610 |
| 4. | बिहार | 2209 |
| 5. | गोवा | 17 |
| 6. | गुजरात | 984 |
| 7. | हरियाणा | 401 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 302 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 337 |
| 10. | कर्नाटक | 1676 |
| 11. | केरल | 944 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 1690 |
| 13. | महाराष्ट्र | 1762 |
| 14. | मणिपुर | 69 |
| 15. | मेघालय | 85 |
| 16. | मिजोरम | 55 |
| 17. | नागालैंड | 46 |
| 18. | उड़ीसा | 1352 |
| 19. | पंजाब | 484 |
| 20. | राजस्थान | 1674 |
| 21. | सिक्किम | 24 |
| 22. | तमिलनाडु | 1436 |
| 23. | त्रिपुरा | 58 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 3808 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 1262 |
| 26. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 18 |
| 27. | चण्डीगढ़ | — |
| 28. | दादरा व नगर हवेली | 6 |
| 29. | दमण व दीव | 3 |
| 30. | दिल्ली | 8 |
| 31. | लक्षद्वीप | 4 |
| 32. | पांडिचेरी | 39 |
| | अखिल भारतीय | 22807 |

(आंकड़े अनंतिम हैं)

**ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन पर रोक लगाना**

**5751. श्री जी.जे. जावीया:** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गरीब किसानों के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को रोकने के उद्देश्य से ग्रामीण स्तर पर उनको रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य**

**मंत्री ( श्रीमती वसुन्धरा राजे ):** (क) से (ग) जी नहीं। तथापि खादी ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के रूप में 10 लाख रु. तक की लागत की परियोजना हेतु 25% की दर से मार्जिन मनी प्रदान की जाती है तथा 10 लाख रु. से अधिक तथा 25 लाख रु. तक की लागत की परियोजना के लिए 10% की अतिरिक्त दर से मार्जिन मनी प्रदान की जाती है। कमजोर वर्गों के लिए 10 लाख रुपये तक की लागत की परियोजना हेतु 30% की दर से मार्जिन मनी प्रदान की जाती है तथा बकाया राशि (25 लाख रुपये तक) हेतु 10% प्रतिशत की दर से मार्जिन मनी प्रदान की जाती है।

## आयु-सीमा में छूट

**5752. श्री के. येरननायडू:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए नियुक्तियों में इस समय अधिकतम आयु-सीमा में दी गई तीन वर्ष की छूट के बजाय पांच वर्ष तक की छूट देने हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री ( श्रीमती वसुन्धरा राजे ):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को सीधी-भर्ती में, ऊपरी (अधिकतम) आयु-सीमा में तीन वर्ष की ढील मुहैया करवाए जाने के आदेश, 1995 में जारी कर दिए गए। उसके बाद, ऊपरी (अधिकतम) आयु-सीमा में आगे कोई और ढील दिए जाने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

## विजयन्त टैंकों का बदला जाना

**5753. श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में विजयन्त टैंकों को या तो प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है या उनको हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें बदलने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनको बदलने में कितना खर्च आएगा;

(ङ) क्या टैंकों को बदलने की उक्त स्थिति में विदेशों से इनका आयात किया जाना शामिल है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस देश का नाम क्या है और ऐसे आयात हेतु क्या नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं?

**विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री ( श्री जसवंत सिंह ):** (क) जी, हां।

(ख) विजयंत टैंकों को 1966 से सेना में शामिल किया गया था तथा कुल 2141 विजयंत टैंक सेना में थे। विजयंत टैंकों का प्रत्याशित जीवनकाल पूरा हो गया है तथा उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। विजयंत टैंकों को दसवीं सेना योजना की समाप्ति अर्थात 2007 तक चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना है। इन टैंकों को देश में ही निर्मित टी-72 टैंकों तथा आयात के जरिए टी-90 एस टैंकों को खरीद करके प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इन टैंकों को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिए जाने के बाद ही वित्तीय प्रभाव का पता चला पाएगा।

(ङ) और (च) जी, हां। 124 पूर्णत: निर्मित टी-90 एस टैंकों के आयात तथा भारत में स्वदेशी तौर पर निर्मित किए जाने के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण के साथ-साथ 186 टैंकों को पूर्णत: हिस्से -पुर्जों के रूप में /अर्धनिर्मित रूप में आयात किए जाने के लिए रूस के मैसर्स ''रोसोवूरोजेनी'' के साथ हाल ही में एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

## योजना आयोग की संरचना

**5754. श्री गंता श्रीनिवास राव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना आयोग के सदस्यों, सलाहकारों, परामर्शदाताओं आदि की संख्या तथा सहायक कर्मचारियों की कुल संख्या सहित योजना आयोग की संरचना क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की तर्ज पर योजना आयोग में कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए कोई प्रयास किए गये हैं;

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) बदलते आर्थिक परिदृश्य में आयोग की संभावित भूमिका और प्रासंगिकता क्या है?

**विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी):** (क) योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री है और इसके एक उपाध्यक्ष, छः सदस्य और एक सचिव हैं। योजना राज्य मंत्री भी आयोग के एक पदेन सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग के संघटन में दो केन्द्रीय मंत्री, वित्त और विदेश मंत्री, अंशकालिक मंत्री सदस्यों के रूप में होते हैं। आयोग में 24 सलाहकार स्तर के अधिकारी हैं।

उन्हें तकनीकी व सचिवालयी, दोनों प्रकार का सहायक स्टाफ दिया गया है।

विभिन्न पदों/व्यक्तियों के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

| योजना आयोग | | | कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| समूह | संस्वीकृत | भरे गए | मुख्यालय | | क्षेत्र कार्यालय | |
| | | | संस्वीकृत | भरे गए | संस्वीकृत | भरे गए |
| क | 307<br>11* | 234<br>10* | 12 | 05 | 37 | 22 |
| ख | 276<br>20* | 259<br>14* | 05 | 05 | 35 | 30 |
| ग | 398<br>24* | 319<br>20* | 10 | 09 | 67 | 43 |
| घ | 317<br>27* | 305<br>25* | 08 | 08 | 30 | 21 |
| कुल | 1380 | 1186 | 35 | 27 | 169 | 116 |

कुल संस्वीकृत स्टाफ-1584
कुल भरे गए पद - 1329
*ये पद/व्यक्ति उपाध्यक्ष या सदस्यों की पदावधि के सह-सज्ञावसानी हैं।

(ख) और (ग) योजना आयोग ने अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय के मार्गनिर्देशों के अनुसार पदों की समीक्षा करवाई है और समीक्षा की परिणति स्वरूप वर्ष 2000-2001 के दौरान योजना आयोग में विभिन्न स्तरों पर 157 पद पहले ही समाप्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा, विभिन्न स्तरों पर कई पद योजना आयोग द्वारा प्रचालित नहीं किए जा रहे हैं।

(घ) बदलती हुई घरेलू आर्थिक नीति व्यवस्था और उसी तेजी से अर्थव्यवस्था का उभरती हुई भूमण्डलीकरण व्यवस्था के साथ एकीकरण होते जाने से निवेश-आयोजना ही अब विकास करने का एकमात्र या अधिक सशक्त अथवा सबसे अधिक प्रभावी साधन नहीं रही है। वास्तव में, राज्य को और इसीलिए योजना प्रक्रिया को सामान्य तौर पर आर्थिक गतिविधियों और विशेष तौर पर उत्पादन कार्य में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने की बजाय एक ऐसे वातावरण, जो व्यक्तिगत पहलों के लिए उत्साहवर्धक हो और सभी को अवसर प्रदान करता हो, के निर्माण में सहायक की भूमिका निभानी है। अतः आयोजना प्रक्रिया को प्रतिस्पर्धी क्षेत्रकों एवं क्षेत्रों को मात्र बजटीय आबंटन करते रहने से आगे बढ़ना होगा

क्योंकि सिर्फ उतना करना ही पर्याप्त नहीं होगा इसे समय और स्थान के अनुसार नीतिगत सामंजस्य सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करना होगा। इसके लिए योजना आयोग को एक "थिंक टैंक" विशेषज्ञता युक्त ज्ञान के एक आधान के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में योजना आयोग, बदले हुए घरेलू एवं भूमण्डलीकरण परिदृश्य में अपने लिए सबसे प्रभावी भूमिका को सुनिश्चित करने के कार्य में जुटा हुआ है। इस संबंध में बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य में योजना आयोग की भूमिका के संबंध में तैयार किए गए एक नोट पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, 30 सितम्बर, 2000 को हुई योजना आयोग की पूर्ण बैठक में चर्चा की गई। प्रस्ताव को, मौटे तौर पर अनुमोदित कर दिया गया और इस पर उपाध्यक्ष और केन्द्रीय वित्तमंत्री के बीच आगे और चर्चा की जानी है।

**केन्द्रीय भंडार की आंतरिक लेखा परीक्षा**

**5755. श्री रामजी मांझी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडार में विशेषकर खरीद के मामलों में हुई भूल-चूक से निपटने में सुधार हेतु और इन पर निगरानी रखने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं होती;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय भंडार में आंतरिक लेखा परीक्षा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रकार की भूल-चूक का पता लगाने की प्रक्रिया क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसी कितनी भूल-चूकों का पता लगाया गया है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) से (घ) केन्द्रीय भण्डार की, आंतरिक लेखापरीक्षा की अपनी कोई भी व्यवस्था नहीं है और वह अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा, संविदा के आधार पर, किसी बाह्य अभिकरण अर्थात् चार्टर्ड लेखाकारों की फर्म द्वारा करवाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा-फर्म द्वारा की जाने वाली सभी आपत्तियों/टिप्पणियों के बारे में उपर्युक्त फर्म केन्द्रीय भंडार के प्रबंधन से विचार-विमर्श करती है और अधिकांश आपत्तियां विचार-विमर्श के माध्यम से ही निबटा दी जाती हैं। शेष आपत्तियों पर प्रबंधन द्वारा ध्यान दिया जाता है और अगली लेखापरीक्षा से पहले, उनके निबटारे की दृष्टि से अपेक्षित सुधारात्मक उपाय सर्वोच्च प्राथमिकता पर किए जाते हैं।

(ङ) पिछले 3 वर्ष के दौरान, विभिन्न कार्य-संव्यवहारों और लेन-देन में आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा बताई गई गलतियों की कोई निश्चित संख्या दर्शा पाना संभव नहीं है।

**इराक के विरुद्ध लगे प्रतिबंध उठाना**

**5756. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:**
**श्री जी. एस. बसवराज:**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने इराक के विरुद्ध लगे प्रतिबंध उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू):** (क) और (ख) जी, हां। इराक द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संगत संकल्पों का अनुपालन करने पर इराक पर लगे प्रतिबंधों को एक-एक करके हटा लेने की भारत ने मांग की है। भारत ने इराक के लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से कारगर कारवाई किए जाने की मांग की है।

*[हिन्दी]*

**सूचना प्रौद्योगिकी का आयात**

**5757. श्री नवल किशोर राय:**
**श्री जोरा सिंह मान:**

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लगी औद्योगिक इकाइयों ने वर्षवार सूचना प्रौद्योगिकी का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वर्षों के दौरान कितने मूल्य का आयात किया गया और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(ग) उक्त वर्षों के दौरान वर्ष-वार पूंजीगत सामान के संदर्भ में कुल कितने मूल्य का आयात किया गया?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ( श्री प्रमोद महाजन ):** (क) और (ख) जी, हां। इलेक्ट्रानिक वस्तुओं तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के आयात के वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उक्त वर्षों के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के आयात के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

***विवरण***

*इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का आयात*

(मूल्य करोड़ रुपये में)

| वर्ष | इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं | वास्तविक रूप में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर |
|---|---|---|
| 1997-98 | 7759 | 632 |
| 1998-99 | 9352 | 684 |
| 1999-2000 | 11506 | 68 |
| अप्रैल 2000 से नवम्बर 2000 तक | 10827 | 472 |

*[अनुवाद]*

**केन्द्रीय भंडार में अधिक कीमतें**

**5758. श्री रघुनाथ झा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडार सरकारी विभागों को दी जाने वाली लेखन सामग्री की बिक्री पर नौ प्रतिशत मुनाफा ले रहा है जबकि एन.सी.सी.एफ. केवल पांच प्रतिशत ही मुनाफा ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एन.सी.सी.एफ. की ही भांति केन्द्रीय भंडार कम्प्यूटर-बिक्रियों आदि के मामलों में पन्द्रह से चालीस दिन और इससे भी अधिक दिनों के ऋण पर आपूर्तिकत्ताओं से आपूर्ति ले रहा है;

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय भंडार को अपना मुनाफा कम करने हेतु निर्देश दने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री ( श्रीमती वसुन्धरा राजे ):** (क) और (ख) केन्द्रीय भंडार, अपना ऊपरी खर्च वहन करने की दृष्टि से, लेखन-सामग्री की बिक्री पर 3% से 9% तक का मुनाफा ले रहा है। जब कभी निविदाओं के आमंत्रण की सूचना के संदर्भ में प्रतिस्पर्धात्मक दर-सूची पेश की जाती है तो यह मुनाफा घटाकर नाममात्र का ही रहने दिया जाता है। फिर भी, वर्ष, 1999-2000 के दौरान, केन्द्रीय भंडार का सकल लाभ 4.61% ही रहा।

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिसंघ (एन.सी.सी.एफ.) सरकारी विभागों को लेखन-सामग्री और कार्यालय में इस्तेमाल की जाने वाली अन्य वस्तुओं की बिक्री पर 5% तक का मुनाफा लेता है।

(ग) केन्द्रीय भंडार, उत्पाद के संचरण के आधार पर, आपूर्तिकर्त्ताओं से 40 दिन तक की अवधि तक सामान की आपूर्ति उधार ले रहा है, जबकि उपर्युक्त भंडार सरकारी विभागों को लेखन-सामग्री की आपूर्ति औसतन 60 दिन की अवधि तक उधार कर रहा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिसंघ (एन.सी.सी.एफ.) अपने आपूर्तिकर्त्ताओं से कम्प्यूटर खरीदने सहित, विभिन्न वस्तुएं, 30 दिन अथवा उस से अधिक समय तक उधार ले रहा है।

(घ) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) भाग (घ) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**प्लेग की महामारी**

**5759. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्लेग महामारी के वाहकों के जीनोम का अध्ययन करने के लिए समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ए. राजा ):** (क) से (ग) भारत सरकार ने 1994 में प्लेग पर एक तकनीकी सलाहकार समिति गठित की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सूरत और बीड से यसिनिया पेस्टिस आइसो-लेट्स की

आण्विक विशेषता और जिनोमिक्स को प्रदर्शित किया। सेंन्टर फार सेलुलर-एण्ड मोलेक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद द्वारा विस्तृत डी.एन.ए. सिक्वेंसिंग और जिनोमिक फिंगर प्रिंटिंग की गई है। महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा हाल ही में गठित की गई एक जिनोमिक समिति ने प्लेग सहित विभिन्न रोगों पर प्रस्ताव आमंत्रित किए। प्लेग पर और आगे जिनोमिक कार्य को इस वर्तमान जिनोमिक पहल के जरिए बढ़ाया जाएगा।

*[अनुवाद]*

**रक्षा विमानों के निजी उपयोग हेतु बकाया धनराशि**

**5760. श्री राम मोहन गाइडे:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्षा विमानों का निजी उपयोग करने के लिए किन-किन व्यक्तियों/संगठनों पर मामले-वार कुल कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) बकाया धनराशि वसूली करने के लिए क्या उपाय शुरू किए गए हैं और पिछले दो वर्षों के दौरान इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए;

(ग) क्या चूककर्ताओं से बकाया धनराशि वसूल करने के लिए कोई दीवानी मुकदमे दायर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भारत सरकार और किसी अन्य राज्य/स्थानीय सरकार को देय बकाया धनराशि के कारण चुनाव लड़ने से लोगों को रोकने के लिए नियमों में संशोधन करने का है; और

(च) ऐसी खामियों से बचने के लिए भविष्य में रक्षा विमानों का निजी उपयोग करने के लिए अग्रिम रूप में धनराशि लेने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री ( श्री जसवंत सिंह ):** (क) और (ख) भारतीय वायुसेना के विमानों का उपयोग करने के कारण 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार व्यक्तियों/संगठनों पर 146,93,79,172/- रुपये बकाया हैं। वायुसेना मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय प्रयोक्ता एजेंसियों से बकाया धनराशि को शीघ्र चुकाने के लिए समुचित स्तर पर नियमित रूप से अनुरोध करता रहा है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 1999-2000 में 169.41 करोड़ रुपये और वर्ष 2000-2001 के दौरान, 130,25,04,060/- रुपये प्राप्त किए गए हैं।

(ग) जी, हां। पूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर, श्री पी.वी. नरसिंह राव और श्री एच.डी. देवगौड़ा के खिलाफ तीन मुकदमे दायर किए गए हैं।

(घ) पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ दायर किए गए वसूली संबंधी मुकदमों का ब्यौरा इस प्रकार है।

| नाम | कुल राशि (रुपये) |
|---|---|
| श्री चन्द्रशेखर | 12,47,67,414/- |
| श्री पी.वी. नरसिंह राव | 8,93,34,098/- |
| श्री एच.डी. देवगौड़ा | 77,55,325/- |

(ङ) और (च) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। इस विषय पर पहले से ही प्रचलित मौजूदा अनुदेश पर्याप्त हैं।

**सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता**

**5761. श्री रूपचन्द मुर्मू:**
**श्री सुनील खां:**
**श्री स्वदेश चक्रवर्ती**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की समस्याएं हल करने के लिए छह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् मिजोरम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, मेघालय और पंजाब द्वारा मांगी गई धनराशि जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी सभी धनराशि लेने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान इन राज्यों को विमुक्त की गई निधियां इस प्रकार हैं:-

(लाख रुपये में)

| | 2000-2001 |
|---|---|
| मिजोरम | .80 |
| पश्चिम बंगाल | 63.85 |
| उड़ीसा | 34.61 |
| राजस्थान | 13.98 |
| मेघालय | 1.95 |
| पंजाब | 14.41 |

इसके अलावा राज्यों को ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना सहित सभी योजनाओं के संबंध में उनके द्वारा सूचित किए गए व्यय के परीक्षित विवरणों की प्राप्ति के अनुसार निधियां विमुक्त की गई हैं।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**इंदिरापुरम में सी.जी.एच.एस. औषधालय**

**5762. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इंदिरापुरम, गाजियाबाद में सी.जी.एच.एस. औषधालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या भूमि और अन्य आधारभूत सुविधाओं के लिए केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ कोई बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त औषधालय के कब तक खोले जाने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

**प्रौद्योगिकी विकास मिशन का आकलन**

**5763. श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि प्रौद्योगिकी विकास मिशन ने अपने पहले आकलन कार्य का प्रथम चरण पूरा कर लिया है और इसके परिणामों का विश्लेषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस आकलन के क्या सकारात्मक परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मिशन के द्वितीय चरण का काम शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी):** (क) जी, हां।

(ख) प्रौद्योगिकी विकास मिशन (टीडीएम) फेस-I के सकारात्मक परिणामों संबंधी टिप्पणी विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रौद्योगिकी विकास मिशन का फेस-II 1 अप्रैल, 2001 को आरंभ हुआ। टीडीएम फेस-II के अंतर्गत पहचान किए गए व्यापक क्षेत्र हैं: (1) उन्नत डिजाइन और विनिर्माण प्रक्रिया तथा प्रौद्योगिकियां (एडीएम) (2) सूचना और स्व-चलन प्रौद्योगिकियां (आईएटी), (3) संचार प्रौद्योगिकियां एवं नेटवर्क (सीटीएन) (4) इलैक्ट्रानिक प्रौद्योगिकियां और वीएलएसआई डिजाइन (ईटीवी) (5) उन्नत कृषि खाद्य प्रौद्योगिकियां (एएफटी) (6) स्वास्थ्य सुरक्षा और जैव प्रौद्योगिकी (एचसीवी) (7) समान प्रौद्योगिकी (एमटी) और (8) ऊर्जा संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण प्रौद्योगिकियां (ईआरई) वर्ष 2001-02 (बजट अनुमान) में टीडीएम की स्कीमों हेतु 8 करोड़ रु. का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

*विवरण*

*प्रौद्योगिकी विकास मिशन का आकलन*

**सकारात्मक परिणामों संबंधित टिप्पणी**

सकारात्मक परिणाम निम्नानुसार हैं:

1. इससे आईआईटीज और उद्योगों के मध्य बहु-संस्थागत अनुसंधान क्षमता तथा शैक्षणिक संस्थानों और

उद्योगों के मध्य महत्वपूर्ण अन्योन्य क्रिया में वृद्धि हुई है।

2. आईआईटीज के आर एण्ड डी कार्यकलापों में संभावना से अधिक औद्योगिक सहभागिता थी।

3. प्रौद्योगिकी विकास मिशनों ने तत्काल औद्योगिक प्रयोज्यता से परिणाम के अनुकूल अनुसंधान परियोजनाएं सिद्ध की हैं।

4. इससे आईआईटीज को प्रौद्योगिकी विकास की व्यावहारिकता में समयबद्ध आधार पर मार्किट मांग के अनुरूप अनुभाव प्राप्त करने में सहायता मिली है।

5. प्रयोगशालाओं से प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप से पायलट उत्पादन और व्यावसायिकीकरण तक प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण विकास हुआ।

6. विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों से वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति, अनुसंधान के सम्मिलित उद्देश्य में सफलता पूर्वक शामिल हुई।

7. विशेष क्रय प्रक्रियाएं विकसित हुई।

8. संकाय बौद्धिक विशेषता अधिकार कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त कर सका।

9. जनशक्ति विकास में टीडीएम के सहयोग में शामिल हैं 60 विद्यावाचस्पति पुरस्कार, 182 प्रौद्योगिकी निष्णात/ प्रौद्योगिकी स्नातक डिग्रियां, 274 अनुसंधान प्रकाशन, 32 पेटेंट फाइल किए गए तथा 64 प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण किया गया।

### विकलांगों के लिए शिक्षा

**5764. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुनर्वास परिषद का विचार सभी विकलांग बच्चों विशेषकर बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक भारतीय पुनर्वास परिषद ने इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु क्या कार्य किया है;

(ग) इस परिषद के तत्वावधान में वर्ष 2000-2001 में कितनी बालिकाओं ने शिक्षा पाई;

(घ) वर्ष 2000-2001 में परिषद ने कितनी धनराशि खर्च की;

(ङ) क्या इस योजना में अन्य श्रेणियों के विकलांगों को भी शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी):** (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

### भारतीय पुनर्वास परिषद के उद्देश्य

**5765. श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पुनर्वास परिषद के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) क्या इसमें से कोई उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ग) वर्ष 2001-2002 में भारतीय पुनर्वास परिषद के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या इस परिषद द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कराए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि वही कार्य अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा भी किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो भारतीय पुनर्वास परिषद का किसी अन्य संस्थान में विलय करने की संभावना की समीक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी):** (क) से (ग) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अंतर्गत भारतीय पुनर्वास परिषद का गठन, पुनर्वास व्यावसायियों तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण को विनियमित तथा मानीटर करने, पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस उद्देश्य के लिए परिषद ने विभिन्न उपाय जैसे पुनर्वास व्यावसायिकों/कार्मिकों के लिए अल्पावधिक तथा दीर्घावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ब्रिज पाठ्यक्रम,

विकलांगता प्रबंधन में पी.एच.सी. चिकित्सा अधिकारियों का अभिमुखीकरण आदि आरम्भ किए हैं। इसके अलावा यह परिषद समय-समय पर संगत विषयों पर सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम, सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाएं आदि भी प्रायोजित करती है। वर्ष 2001-2002 के दौरान ये कार्यकलाप जारी रहेंगे।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

**भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग**

**5766. श्री रामदास आठवले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित संसद सदस्यों ने प्रधानमंत्री को 17.12.1996, 1-9-1997 और 23-7-1998 को सौंपे गए अपने अभ्यावेदन में भारत सरकार के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन बोर्ड में मुख्य कार्यकारी, कार्यकारी निदेशकों, अंशकालिक अध्यक्षों और सरकारी/गैर-सरकारी सदस्यों जैसे पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को नियुक्त/तैनात करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले भारतीय दंत चिकित्सा परिषद में उक्त पदों पर कुल कितने व्यक्ति नियुक्त/तैनात किए गए हैं;

(घ) इनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं और ऊपर उल्लिखित कुल पदों की तुलना में उनका प्रतिशत कितना है; और

(ङ) यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संसद सदस्यों की उक्त मांग को संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं किया गया तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

**रक्षा प्रमुख की नियुक्ति**

**5767. श्री माणिकराव होडल्या गावित:**
**श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:**
**श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
**श्री सी. श्रीनिवासन:**
**श्री तिरूनावकरसू:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 28 मार्च, 2001 के 'नवभारत टाइम्स' दिल्ली में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार ने सैन्य बलों के तीनों प्रमुखों के ऊपर एक रक्षा प्रमुख की नियुक्ति और एक रक्षा खरीद बोर्ड के गठन को हरी झंडी दिखा दी है;

(ख) यदि हां, तो ये निर्णय कब से प्रभावी होंगे; और

(ग) देश के तीनों सैन्य बलों और हथियारों की खरीद पर इस निर्णय के संभावित असर का ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह):** (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के समग्र पहलुओं की व्यापक रूप से समीक्षा करने और विशेष रूप से कारगिल पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने तथा कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने के लिए 17 अप्रैल, 2000 को एक मंत्री-समूह का गठन किया। मंत्री समूह ने अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा प्रमुख के पद का सृजन किए जाने की सिफारिश की है ताकि सशस्त्र सेनाओं के बीच अपेक्षित सामंजस्य स्थापित करके राष्ट्रीय संसाधनों का बेहतर उपयोग सुगमता से किया जा सके, तीनों सेनाओं की परस्पर और प्रत्येक सेना की अपनी उपस्करों संबंधी आवश्यकताओं की प्राथमिकता सुनिश्चित की जा सके और सरकार को एकल बिन्दु से सैन्य सलाह प्राप्त करने में भी आसानी हो जाए। मंत्री समूह की सिफारिशें 26.2.2001 को प्रधान मंत्री को प्रस्तुत की जा चुकी हैं। सरकार द्वारा रिपोर्ट की जांच और स्वीकृति के बाद यथा अपेक्षित कार्रवाई शीघ्रता से की जाएगी।

*[अनुवाद]*

**भस्मकों का कार्यकरण**

**5768. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी में विभिन्न अस्पतालों के भस्मकों के खराब कार्यकरण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों सहित सभी अस्पतालों को अपने भस्मकों के कार्यकरण का उन्नयन करने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो राजधानी के अस्पतालों के प्राधिकारियों द्वारा भस्मकों के कार्यकरण का उन्नयन करने हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 1.12.2000 के अपने आदेश में सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, कलावती सरन बाल अस्पताल, एस्कोर्टस अस्पताल, बतरा अस्पताल, मूलचन्द अस्पताल और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल को नोटिस जारी किए।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि उनके द्वारा स्थापित की गई ट्रीटमेंट सुविधाओं में सुधार करने हेतु अस्पतालों द्वारा उपाय किए गए हैं।

जहां तक दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों का संबंध है केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए उत्सर्जन मानदण्डों को पूरा करने के लिए डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल के इन्सिनरेटरों को रूपांतरित किया गया है। डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के इन्सिनरेटर का प्रदूषण नियंत्रण मुक्ति के साथ उन्नयन किया गया है। सफदरजंग अस्पताल में इन्सिनरेटर के सैकण्डरी चैम्बर का आकार बढ़ा कर बड़ा किया गया है। एल डी ओ के बेहतर प्रवाह के लिए नोजल का आकार बदल कर तेल के प्रवाह को बढ़ाने के लिए अधिक बड़ा किया गया है जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों में यथानिर्धारित इष्टतम ताप प्राप्त करने के लिए अपेक्षित है। श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल और कलावती सरन बाल अस्पताल में मौजूदा इन्सिनरेटर का उन्नयन करने हेतु सैकण्डरी बर्नर संस्थापित किया जा रहा है और एक नए इन्सिनरेटर के प्रापण की प्रक्रिया चल रही है।

केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में अपशिष्ट पैदा होने वाले स्थलों पर अपशिष्ट की निकट से मानीटरिंग और पृथक्करण किया जा रहा है।

### भारत-कनाडा संबंध

**5769. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों के बाद आपसी संबंधों में दो वर्षों तक छाई उदासी के बाद कनाडा ने भारत के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत को कनाडा के इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू):** (क) जी, हां।

(ख) कनाडा के विदेश मंत्री ने 20 मार्च, 2001 को घोषणा की थी कि कनाडा की सरकार भारत के साथ यथा संभव व्यापक राजनीतिक और आर्थिक संबंधों की कोशिश करेगी और द्विपक्षीय मंत्री स्तरीय यात्राओं को प्रोत्साहन देगी, भारत में कैनेडियन इंटरनेशनल डवलपमेंट एजेंसी (सी आई डी ए) का पूर्ण कार्यक्रम पुन: चालू करेगी जिसमें मई, 1998 में स्थगति किए गए औद्योगिक सहयोग, और संस्कृति तथा खेल-कूद को समर्थन देना शामिल हैं।

(ग) इस आशय का निर्णय कनाडा के विदेश विभाग और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सहायक उप मंत्री की फरवरी 2001 में हुई यात्रा के दौरान भारत को पहले ही बता दिया गया है।

(घ) दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश, शिक्षा और संस्कृति और सुरक्षा तथा आतंकवाद के विरोध सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर संबंध विकसित करने के तौर-तरीकों पर चर्चा की।

### वित्तीय पैकेज की घोषणा

**5770. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु राज्य के लिए एक नया वित्तीय पैकेज तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

**विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के**

**प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**एड्स**

**5771. श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ महिला संगठनों ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-दो में सुनियोजित हस्तक्षेप की अन्तर्विष्टी पर अपनी चिंता जाहिर की है;

(ख)यदि हां, तो क्या इन संगठनों ने देह व्यापार और यौन शोषण की शिकार महिलाओं के पुनर्वास की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (घ) जनवरी, 2000 में कुछ महिला संगठन के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-2 के लक्षित उपचार, उपाय कार्यक्रमों पर संदेह व्यक्त किया था तथा वेश्यावृत्ति का उन्मूलन करने हेतु कार्रवाई करने की मांग की थी।

महिला संगठनों के अभ्यावेदन के प्रत्युतर में, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के कुछ पहलुओं के विषय में उनकी चिन्ता पर विचार करने तथा उन्हें राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-2 के अन्तर्गत उपचार उपाय की सार्थकता स्पष्ट करने हेतु महिला संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की। महिला संगठनों के अपेक्षाकृत बड़े समूह, यूएनएड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन, द्विपक्षीय एजेन्सियों के साथ राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-2 के अन्तर्गत लक्षित उपचार उपाय घटक पर उनके विचार प्राप्त करने हेतु भी एक बैठक आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-2 की नीतियों एवं कार्यक्रमों तथा असुरक्षित जनसमुदायों जैसे कि सैक्स वर्करों के लिए अपनायी गई नीतियों का जोरदार समर्थन किया गया।

यह भी तय किया गया कि सैक्स वर्करों के पुनर्वास के लिए एक सशक्त वातावरण पैदा करने हेतु, जो उन्हें जीने की वैकल्पिक राह प्रदान करेगा, महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षण में कुछ प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की जाएगी।

राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को सीमित पैमाने पर ही प्रयोगिक परियोजनाओं के रूप में चुनिंदा पुनर्वास योजनाओं की जांच करने के लिए भी कहा गया है।

**नई रश्मिविकिरण (इरेडियेशन) तकनीक**

**5772. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:**
**श्री जी.एस. बसवराज:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई ने नई रश्मिविकिरण (इरेडियेशन) तकनीक विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसके क्या लाभदायक प्रभाव हैं; और

(घ) यह तकनीक व्यावसायिक रूप से कब तक व्यवहार्य हो जाएगी?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) जी, हां।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी.ए.आर.सी.) द्वारा इलैक्ट्रॉन बीम किरणन प्रौद्योगिकी विकसित की गई है और इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल पिछले 3-4 वर्षों से किया जा रहा है। इस प्रौद्योगिकी की क्षमता बहुलक पदार्थों को कमरे के तापमान पर और अत्यधिक तीव्र दर पर इनके गुणधर्मों में सुधार लाने (रसायनिक प्रारंभकों का इस्तेमाल किए बिना) के लिए संसाधित करने की है।

(ग) इलैक्ट्रॉन बीम किरणन प्रौद्योगिकी उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों की रेंज के लिए उपयुक्त है और यह ऊर्जा एवं पदार्थों की कम खपत करते हुए बढ़िया किस्म के उत्पाद उपलब्ध कराती है।

(घ) वाणिज्यिक उपयोग हेतु औद्योगिक उत्पादों के किरणन के लिए इलैक्ट्रॉन बीम किरणन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल पहले ही शुरू किया जा चुका है।

## चिकित्सकीय शिष्टाचार और आचार संहिता

5773. **डा. जसवंतसिंह यादव:**
**श्री सुरेश रामराव जाधव:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** दिनांक 13.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3804 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा पेशे से जुड़े व्यक्तियों के लिए संशोधित आचार संहिता को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** प्रारूप ''व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और पैतिकता संबंधी विनियम, 2001'' को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अन्य संबंधित विभागों से परामर्श करके अंतिम रूप दिया जा रहा है।

## औषध तकनीकी परामर्श बोर्ड

5774. **डा. वी. सरोजा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या होमियोपैथिक औषधियों के संबंध में विनियमन संबंधी मामलों को बेहतर रूप प्रदान करने हेतु एक औषध तकनीकी परामर्श बोर्ड की उप-समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) की गई प्रमुख सिफारिशों में एक सिफारिश सभी लाइसेंसशुदा फार्मेसियों में कुछ होम्योपैथिक और जैव-रसायन टिश्यू औषधों की उपलब्धता को सुकर बनाने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची 'ट' में संशोधन करने से संबंधित थी। इसे 28 मार्च, 2001 को अधिसूचित किया गया है। उप समिति ने असंगत सम्मिश्रणों को समाप्त करने के लिए दिशा निर्देशों पर विचार करने की सिफारिश भी की।

## 15-सूत्री कार्यक्रम

5775. **श्री के. येरननायडू:**
**श्री राम नायडू दग्गुबाटि:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ 15-सूत्री कार्यक्रम पुन: तैयार किया है/ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस 15-सूत्री कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ इन कार्यक्रमों को किस प्रकार क्रियान्वित किए जाने का विचार है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी):** (क) से (घ) वर्तमान 15-सूत्री कार्यक्रम तीन आयामी दृष्टिकोण अर्थात (1) साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति से निपटने तथा साम्प्रदायिक दंगों को रोकने की भी, (2) केन्द्र तथा राज्य सरकारों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के अंतर्गत रोजगार में अल्पसंख्यक समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा (3) अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक विकास की ओर लक्षित अन्य उपायों पर आधारित है।

चल रहे 15-सूत्री कार्यक्रम को नया रूप देने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से कार्रवाई की जा रही है ताकि इसे अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी साधन बनाया जा सके।

## हिन्दी अधिकारियों की रिक्तियां

5776. **श्री गंता श्रीनिवास राव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दी का राजाभाषा के रूप में प्रचार-प्रसार करने तथा इसके पत्राचार को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी अनुवादकों/हिन्दी अधिकारियों/सहायकों के कितने पद सृजित किए गए;

(ख) ऐसे कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं और कब से;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे)**: (क) कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय में, इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात् केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो, कर्मचारी-चयन-आयोग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध-संस्थान तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन-अकादमी सहित, हिन्दी अनुवादकों के 40 पद और हिन्दी अधिकारियों के 09 पद हैं।

(ख) से (घ) हिन्दी अनुवादकों के 09 पद रिक्त हैं, जिनमें से 08 पद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में रिक्त हैं और 01 पद लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन-अकादमी में रिक्त है। इनमें से 03 पद, 1989 से, 02 पद 1997 से और 03 पद, 1998 से रिक्त चले आ रहे हैं तथा 01 पद 1999 से रिक्त चला आ रहा है।

ये पद, राजभाषा-विभाग से अपेक्षित नामांकनों के उपलब्ध नहीं होने, नामित उम्मीदवारों द्वारा नियुक्ति की पेशकश स्वीकार नहीं किए जाने आदि के कारण रिक्त हैं।

## राजस्थान में भारतीय वायु सेना द्वारा भूमि का अधिग्रहण

5777. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी**: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय वायु सेना के उपयोग हेतु हनुमानगढ़ (राजस्थान) जिले की रावतसर तहसील के मोटारे, ढंढूसर, धीरदेसर, बनासर और बंगासर गांवों में 47,299 बीघा भूमि अधिगृहीत करने की योजना बना रही है;

(ख) क्या योजनाबद्ध अधिग्रहण के कारण किसानों/भूस्वामियों को पिछले दस वर्षों से इस भूमि का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई हैं;

(ग) क्या इस भूमि पर सभी विकास संबंधी कार्य रोक दिये गये हैं;

(घ) क्या सरकार को अधिग्रहण या अन्य किसी बात के बारे में शीघ्र निर्णय लेने हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा कब तक दिए जाने की संभावना है?

**विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह)**: (क) जी, हां। भारतीय वायुसेना के इस्तेमाल के लिए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में 47,299 बीघा जमीन के अधिग्रहण संबंधी एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) जी, नहीं। कानूनी भू-स्वामियों द्वारा भूमि के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ग) जी, नहीं। इस भूमि पर विकासात्मक कार्य करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(घ) इस संबंध में हनुमानगढ़ जिले की ग्राम पंचायत मोटारे के भूतपूर्व सरपंच से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) चूंकि उक्त भूमि अभी अधिग्रहीत की जानी है, इसलिए अभी मुआवजे की अदायगी का प्रश्न नहीं उठता।

## अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी सहकारिताओं को वित्तीय सहायता

5778. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार**: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी सहकारिताओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में इन सहकारिताओं द्वारा क्या कार्य किया गया?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी)**: (क) से (ग) किसानों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए सहकारी ऋण संस्थाओं को सुदृढ़ करने उद्देश्य से कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग) द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को केन्द्रीय

सहायता निर्मुक्त की जाती है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण सहकारी समितियों का सक्रिय सदस्य बनाना है तथा उनकी सहकारी समितियों को सुदृढ़ करना है ताकि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यकलापों को शुरू करने के लिए सक्षम हो सके। इस योजना के अंतर्गत सहायता 50% अनुदान तथा 50% ऋण के रूप में की जाती है। वर्ष 1999-2000 में इस योजना को संशोधित करने से पूर्व सहायता ऋण के रूप में 35% तथा अनुदान के रूप में 65% प्रदान की जाती थी। इस योजना के निम्नलिखित तीन घटक हैं:-

(1) प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/बड़े आकार के कृषि बहुद्देशीय समितियां। कृषक सेवा सहकारी समितियों में शेयरों के अधिग्रहण के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अनुदान का प्रावधान।

(2) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/बड़े आकार के कृषि बहुउद्देशीय समितियों/ कृषक सेवा सहकारी समितियों के शेयर पूंजी आधार को सुदृढ़ करने के लिए ऋण के रूप में सहायता।

(3) 20,000/- रुपये की प्रबंधकीय सहायता।

वर्ष 2000-2001 से यह योजना सूक्ष्म प्रबंधन मोड में शामिल कर ली गयी है। यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि यह अपनी राज्य कार्य योजना में इस योजना को शामिल करें या शामिल नहीं करें।

*पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत निर्मुक्त सहायता इस प्रकार है*

(रु. लाख में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 1998-99 | | | 1999-2000 | | | 2000-2001 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुदान | ऋण | कुल | अनुदान | ऋण | कुल | अनुदान | ऋण | कुल |
| 1. | त्रिपुरा | — | — | — | 9.60 | — | 9.60 | — | — | — |
| 2. | पंजाब | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. | मध्य प्रदेश | — | — | — | — | 13.13 | 13.13 | — | — | — |
| 4. | राजस्थान | 6.81 | 6.90 | 13.71 | — | — | — | 11.00 | 10.00 | 21.00 |
| 5. | तमिलनाडु | 10.00 | — | 10.00 | — | — | — | — | — | — |
| 6. | केरल | — | 2.00 | 2.00 | — | — | — | — | — | — |
| 7. | उत्तर प्रदेश | 21.09 | — | 21.09 | — | — | — | — | – | — |
| 8. | कर्नाटक | 3.10 | 13.10 | 16.20 | 4.61 | 20.45 | 25.06 | — | — | — |
| 9. | मिजोरम | — | — | — | 17.28 | 6.17 | 23.45 | — | — | — |
| 10. | असम | — | — | — | 0.57 | — | 0.57 | — | — | — |
| 11. | मेघालय | — | — | — | 0.32 | 0.25 | 0.57 | — | — | — |
| 12. | नागालैंड | — | — | — | 7.62 | — | 7.62 | — | — | — |
| | कुल | 41.00 | 22.00 | 63.00* | 40.00 | 40.00 | 80.00** | 11.00 | 10.00 | 21.00*** |

*शामिल 3637 पीएसी

** शामिल 135 पीएसी

*** शामिल 140 पीएसी

प्रत्येक राज्य में इन सहकारिताओं द्वारा किए गए कार्य से संबंधित सूचना का राज्य स्तर पर वर्षवार रखरखाव किया जा रहा है।

**मणिपुर में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट को दान**

**5779. श्री शिवाजी माने:**
**श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गृह मंत्रालय को भेजी गई सेना की तरह एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि मणिपुर की राजनीतिक हस्ती और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने राज्य के सबसे बड़े आंतकवादी संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट को एक लाख रुपये का दान दिया था, जैसा कि दिनांक 8 अप्रैल, 2000 के 'पायनियर' समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेना को मणिपुर में यूनाइटेड नेशनल फ्रंट के दर्जनों ठिकानों पर हाल ही में किए गए तलाशी अभियानों में कई वर्तमान मंत्रियों, नौकरशाहों और यहां तक की पुलिस अधिकारियों से दान प्राप्ति की मूल रसीदों सहित अभिशंसी दस्तावेज प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह):** (क) और (ख) सेना ने अपनी रिपोर्टों में से एक रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशनल फ्रंट की दो रसीदें भेजी हैं जो श्री नीपामाचा सिंह और श्री चन्द्रमणि सिंह से क्रमश: एक लाख और दो लाख रुपये प्राप्त करने की रसीदें हैं।

(ग) राज्य में प्रति विद्रोही संक्रियाओं के दौरान, सैन्य इकाइयों ने प्राय: आतंकवादियों द्वारा भेजे गए 'मांग पत्रों' तथा विभिन्न एजेंसियों/विभागों से उनके द्वारा प्राप्त की गई धनराशि की 'पावती रसीदों' को बरामद किया है।

(घ) गृह मंत्रालय ने जांच और आगे की कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट की एक प्रति आसूचना ब्यूरो को भी भेज दी गई है।

**रूस के साथ हुए रक्षा सौदों में पारदर्शिता का अभाव**

**5780. श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अप्रैल, 2001 के ''स्टेट्समैन'' में ''रसिया नॉट ट्रांसपेरेंट इन डिफेंस सेल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय नौसेना ने रूस से भारी राशि के उपकरण खरीदे हैं;

(ग) क्या सरकार ने रूस की तरफ से पारदर्शिता के अभाव के कारण अधिक राशि का भुगतान किया है;

(घ) यदि हां, तो पनडुब्बी सौदे में रूस को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच करवाई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

**विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह):** (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) विदेशी खरीदारों को रूस से रक्षा संबंधी उपस्करों की आपूर्ति के लिए सभी अधिप्राप्तियां आवश्यक रूप से रूसी संघ सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों से की जानी होती है। अलग-अलग मामलों में कीमतें दोनों पक्षों के बीच बातचीत द्वारा तय की जाती हैं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

**नेशनल पॉपुलेशन स्टैबिलाइजेशन फंड**

**5781. श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल पापुलेशन स्टैबिलाइजेशन फंड के नियंत्रण के मुद्दे को इसके गठन के नौ माह बाद भी अब तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नेशनल पापुलेशन स्टैबिलाइजेशन फंड के गठन के समय आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस उद्देश्य हेतु आवंटित धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का विचार है?

**विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी):** (क) से (ङ) राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि (एनपीएसएफ) को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है और निधि संग्रह की शुरूआती राशि के रूप में सरकारी अंशदान से केन्द्रीय बजट में 100 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई गई है। आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् एनपीएसएफ प्रचालन में आ जाएगा।

## उदार संस्थागत ऋण

**5782. श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋण सहायता प्राप्त करने में बैंकों के नकारात्मक रवैए के कारण लघु उद्योग अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु उद्योगों को उदार संस्थागत ऋण देकर सहायता पहुंचाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) से (ग) बैंकों के नकारात्मक रूझान के कारण बैंकों से पर्याप्त क्रेडिट की प्राप्ति के संबंध में उनके समक्ष आने वाली समस्याओं के बारे में लघु उद्योग उद्यमियों/संघों ने इसे सरकार के ध्यान में लाया है। सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र को क्रेडिट के प्रसार में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाए किए हैं; उनमें से कुछ सरकार द्वारा 30 अगस्त, 2000 को लघु उद्योग के संबंध में घोषित नीति पैकेज का ही एक भाग हैं।

हाल ही में इस संबंध में किए गए उपायों में इकाइयों की वार्षिक प्रक्षेपित टर्न ओवर के 20 प्रतिशत की साधारण अपेक्षा पर आधारित 5 करोड़ रु. तक की कार्यशील पूंजी की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करना, 5 लाख रु. तक के ऋणों के लिए समपार्श्विकता को हटाना, मिश्रित ऋण सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रु. करना, राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के अंतर्गत परियोजना लागत को बढ़ाकर 50 लाख रु. करना, लघु उद्योग बैंकों की विशिष्ट शाखाएं स्थापित करना तथा बिना समपार्श्विकता के 25 लाख रु. तक के ऋण प्रदान करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का प्रचालन करना।

## अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग

**5783. श्री अनन्त नायक:**
**श्री चन्द्रभूषण सिंह:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग के संबंध में एक कार्यदल बनाने पर सहमत हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) जी, हां।

(ख) भारत और रूस ने बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए 1994 में एक करार पर हस्ताक्षर किए थे तथा इसके क्रियान्वयन की देखरेख के लिए एक कार्यदल गठित किया गया है।

(ग) इस कार्यदल की दिसम्बर, 1995 और जनवरी, 2001 में दो बैठकें आयोजित की गई हैं और इसमें सहयोग के सम्भावित क्षेत्रों पर विचार किया गया है।

## मेडिकल स्टोर्स की खरीद

**5784. श्री रघुनाथ झा:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने दिनांक 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष में अपनी रिपोर्ट संख्या 7 में

मेडिकल स्टोर्स और उपकरणों की खरीद और उपयोग के संबंध में प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो भ्रष्टाचार दूर करने और खरीद में जवाबदेही और जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए महानिदेशक, सैन्य बल सेवा चिकित्सा के कार्यकरण में सुधार लाने के बारे में क्या कार्यवाई की गई?

**विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह)**: (क) जी, हां।

(ख) नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में आंतरिक नियंत्रण सहित पद्धति और प्रक्रिया में सुधार लाने का सुझाव दिया था। पद्धति में सुधार लाने और अच्छी गुणता वाली दवाइयों की खरीद सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई करके उसे 1.4.2000 से कार्यान्वित किया गया है:-

(1) चिकित्सा सामान/दवाइयों के लिए एक नई खरीद प्रक्रिया शुरू की गई है।

(2) चिकित्सा सामान की मूल्य शब्दावली-01, जो 1960 में बनाई गई थी, संशोधित की गई है।

(3) पद्धति में सुधार लाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जांच और आंतरिक नियंत्रण शुरू किए गए हैं।

*[हिन्दी]*

## केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों और अस्पतालों में अनियमितताएं

**5785. श्री अब्दुल रशीद शाहीन**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों/सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितता है तथा प्रशासनिक अव्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले हैं जिनमें केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों और अन्य सरकारी अस्पतालों के लिए घटिया स्तर की दवाओं की खरीद की गई थी और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इन औषधालयों/अस्पतालों के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा)**: (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

## आई.एस.ओ.-9000 प्रमाणन

**5786. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी**: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने आई.एस.ओ.-9000 प्रमाणन की वापसी योजना का वर्ष 2007 तक विस्तार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वापसी की राशि बढ़ा दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है·

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) वर्तमान में वापस की जा रही राशि का प्रतिशत क्या है?

**लघु उद्योग कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे)**: (क) जी, हां।

(ख) से (च) आई.एस.ओ.-9000 प्रमाणन धारण करने वाली प्रत्येक लघु इकाई को 75,000 रु. तक की व्यय राशि पर 75% की वर्तमान प्रतिपूर्ति योजना का 31 मार्च, 2007 तक विस्तार कर दिया है।

## पुनर्वास सेवा विश्वविद्यालय

**5787. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु**: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुनर्वास परिषद ने पुनर्वास सेवा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा विश्वविद्यालय मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा किए जा रहे कार्यों को ही दोहराएगा;

(घ) इस समय विश्वविद्यालय की स्थापना से कितना लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(ङ) क्या ऊपर व्यक्त की गई भूमिका को पूरा करने के लिए देश में मौजूद विश्वविद्यालयों के साथ चर्चा करने के कोई प्रयास किए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो ऐसे उद्देश्यों में सहयोग करने हेतु मौजूदा विश्वविद्यालयों के साथ चर्चा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी):** (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों के लिए वेतनमान

**5788. श्री रामदास आठवले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने बख्शी समिति की सिफारिशों के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों के लिए नये वेतनमान के क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बेहतर वेतनमान हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के शिक्षण से संबंधित सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने बख्शी समिति की सिफारिशों के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नए वेतनमान को क्रियान्वित किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में बख्शी समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (छ) के.के. बख्शी समिति द्वारा की गई सिफारिशों सहित सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के पश्चात्, सरकार ने दिनांक 21 जनवरी, 1999 के आदेशों के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली/स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ में विभिन्न संकाय पदों के वेतनमानों तथा भत्तों में संशोधन संबंधी अपनी मंजूरी भेजी। तथापि, दोनों ही संस्थानों के संकाय वेतनमानों के संशोधन से संतुष्ट नहीं थे। 3.3.1999 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक भन्तरिम निर्णय में निर्देश दिया कि जब तक सरकार इस मामले में अन्तिम निर्णय नहीं ले लेती, संकाय को के.के. बख्शी समिति द्वारा संस्तुत वेतनमान दिए जाएं। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए दिनांक 3.3.1999 के अन्तरिम आदेशों के अनुसरण में, अधिकारियों का एक अंतर विभागीय समूह स्थापित किया गया जिसने 13 दिसम्बर, 1999 को अपनी रिपोर्ट दी इस रिपोर्ट का मंत्रियों के समूह ने समर्थन किया। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 12 जनवरी, 2000 को मंत्रियों के समूह द्वारा यथासंस्तुत अंतरविभागीय समूह के अधिकारियों की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। चूंकि बख्शी समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन व्यवहार्य नहीं था, इसलिए सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान/स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के संकाय सदस्यों को 21 जनवरी, 1999 को पहले से ही दिए गए लाभों के अतिरिक्त एक प्रोत्साहन पैकेज दिया है। इन प्रोत्साहनों में शामिल हैं:

(1) अपर प्रोफेसरों को उच्च प्रारम्भिक वेतनमान प्रदान करने के लिए दो अग्रिम वेतन-वृद्धियां देना।

(2) अपर प्रोफेसर के ग्रेड में 7 वर्षों की नियमित सेवा वाले योग्य अपर प्रोफेसरों में से 50% की प्रोफेसर के रूप में मूल्यांकन प्रोन्नति योजना के अन्तर्गत प्रोन्नति रिक्तियों के साथ जोड़े बिना ही की जा सकती है जो कुछ निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन हैं।

(3) मानदण्डों एवं पैरामीटरों के विकास के लिए एक कार्य समूह स्थापित किया जाए जो उत्कृष्टता वाले केन्द्रों को विज्ञान तथा चिकित्सा के क्षेत्रों में सामान्य सरकारी संस्थाओं को बाधा पहुंचाए बिना ही ऐसी संस्थाओं के दीर्घकालिक विकास के प्रयोजन से इन क्षेत्रों में अलग एवं पहचान किए जाने हेतु समर्थ बनाएंगे।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिशों तथा अनुवर्ती सरकारी आदेशों से असंतुष्ट, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संकाय संघ ने के.के. बख्शी समिति की सिफारिशों के पूर्ण कार्यान्वयन की मांग करते हुए दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की है। इस समय यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में

लंबित है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने के.के. बख्शी समिति द्वारा यथा संस्तुत नए वेतनमानों के कार्यान्वयन हेतु कोई निर्देश नहीं दिये हैं।

**डी.आर.डी.ओ. द्वारा इलेक्ट्रिक अलार्म सिस्टम की खरीद**

**5789. श्रीमती श्यामा सिंह:**
**श्री नरेश पुगलिया:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 मार्च, 2001 के 'पायनियर' में 'डी.आर.डीओ. एफर्ट बाइट्स इम्पोर्टेड डस्ट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सेना विदेश से एक इलेक्ट्रानिक इन्ट्रूडर अलार्म सिस्टम खरीदने पर विचार कर रही है जबकि इसी तरह के डी.आर.डी.ओ. का उत्पाद अप्रयुक्त पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में कम कीमत पर सिस्टम उपलब्ध होने के कारण अपने निर्णय पर समीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

**विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रक्षा मंत्रालय ने मैसर्स नेल्को, मुम्बई के साथ एक संविदा की है जिन्होंने अमरीका की मैसर्स ईगल टेलोनिक्स से अनअटेंडिड ग्राउन्ड सेंसर सिस्टम की आपूर्ति के लिए 22 दिसंबर, 1999 को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्राप्त कर लिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के पास इस तरह की कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं है।

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**एड्स विषाणु हेतु ''रिबोजाइम''**

**5790. श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
**श्री जी. एस. बसवराज:**
**श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने ''रिबोजाइम'' का विकास किया है जो एड्स विषाणु की वृद्धि पर रोक लगा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आगे इसका विकास करने के लिए संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(घ) एड्स विषाणु को रोकने में इससे किस तक मदद मिलने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (घ) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वे एक रिबोजाइम, जो एक आर एन ए क्लीविंग डी.एन.ए. एन्जाइम है, पर एक अध्ययन कर रहा है जो एच.आई.वी. के प्रतिवलित होने/विकसित होने को रोक सकता है।

**एड्स उपचार हेतु समझौते**

**5791. श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू. एन. एड्स, डब्ल्यू. एच. ओ. और एन.ए.सी.ओ. ने एड्स से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए संयुक्त वित्तपोषण करने हेतु कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ डब्ल्यू.एच.ओ. और यू.एन. एड्स द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) देश में इस दिशा में 2000-2001 के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या मरणासन्न एड्स रोगियों की देख-रेख के उद्देश्य से अलग आरोग्यशाला स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि हां, तो क्रियान्वयनाधीन ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

**विपणन विकास कोष**

**5792. डा. वी. सरोजा:** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों के लिए विपणन विकास कोष स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) से (ग) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय लघु उद्योगों के लिए विपणन विकास योजना से है। निर्यातों में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एक विपणन विकास सहायता योजना की घोषणा की गई है तथा इसके द्वारा व्यक्तिगत बिक्री-एवं-अध्ययन दौरों, व्यक्तियों आदि को सहायता दिए जाने की सम्भावना है।

**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र**

**5793. श्री अशोक ना. मोहोल:**
**श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश के विशेषकर महाराष्ट्र के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में असंतोषजनक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने बुनियादी न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त सहायता उपलबध कराई है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1998-99,1999-2000 और 2000-2001 के दौरान आज तक इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई; और

(घ) देश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवा उपलब्ध कराने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) सरकार को महाराष्ट्र के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में कुछ अन्तरों के जानकारी है और सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं के इष्टतम स्तर से कम कार्यकरण के लिए जिम्मेदार पहलुओं का पता लगाया है।

(ख) और (ग) नौवीं योजना के दौरान 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के वर्षों के लिए बुनियादी न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। राज्य इस आवंटन में से अपने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र थे। वर्ष 2000-2001 में प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अधीन अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई थी जिसमें से राज्यों को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 375.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। बुनियादी न्यूनतम सेवाओं (1997-98, 1988-99 और 1999-2000) और पी.एम.जी.वाई. (2000-2001) के अधीन राज्यवार आवंटन विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(घ) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

* उपकेन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण/उनका समुचित रूप से पुन: स्थान निर्धारण करना।
* जनशक्ति और सुविधाओं में महत्वपूर्ण अंतरों को पूरा करने हेतु बी.एम. एस. और ई.ए.पी. के लिए बी.एम. एस., ए.सी.ए.ओ. से निधियों का उपयोग करना।
* प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अंतरों को पूरा करने और संविदात्मक नियुक्तियों/ ए.एन.एम./ लेडी डाक्टरों/विशेषज्ञों की सेवाएं किराए पर लेने के लिए अपेक्षित अर्हताओं के डाक्टरों की नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर वाक-इन-इन्टरव्यू।
* चल स्वास्थ्य क्लिनिकों का इस्तेमाल।
* वर्तमान में आधारभूत ढांचे में महत्वपूर्ण अंतरों को कवर करते हुए स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अधीन अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से वित्तपोषण किया जाता है।

* प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन उपाय।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है जो इस प्रकार है:-

1. जल आपूर्ति में सुधार, बिजली के तार डालने और आपरेशन थियेटर, प्रसव कक्ष आदि की मरम्मत के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की छोटी-मोटी मरम्मत के लिए प्रति जिला 10,00,000 रुपये तक निधियां प्रदान की गई हैं।

2. आपरेशन थियेटर, प्रसवकक्ष के निमार्ण/मरम्मत तथा पानी और बिजली की आपूर्ति के उन्नयन के लिए प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला अस्पताल को 10,00,000 रुपये की दर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि में बड़े सिविल कार्यों के लिए निधियां प्रदान की जा रही हैं।

3. औषध किट ए और बी, मिडवाइफरी किटों, उप केन्द्र उपकरण किटों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपकरण किटों और एफ. आर. यू. स्तरीय उपकरण किटों की व्यवस्था।

4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुरक्षित गर्भपात के लिए एम टी पी उपकरणों की व्यवस्था।

5. चौबीसों घण्टे सामान्य प्रसव सेवाओं को सुकर बनाने के लिए सामान्य कार्य समय के बाद कार्य करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों/नर्सों को मानदेय।

6. चुनिंदा राज्यों/जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में औषधें और पी एच एन/नर्स प्रदान करके आवश्यक प्रसव परिचर्या को सुदृढ़ करना।

*विवरण-I*

*पिछले तीन वर्षों के दौरान बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अधीन राज्यवार आवंटन को दर्शाने वाला विवरण*

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आंध्र प्रदेश | 2923.60 | 3923.00 | 1197.00 |
| अरूणाचल प्रदेश | 1021.00 | 1072.00 | 998.00 |
| असम | 3120.00 | 4334.00 | 4534.00 |
| बिहार | 5059.00 | 7518.00 | 10800.00 |
| गोवा | 187.80 | 101.95 | 106.55 |
| गुजरात | 12177.00 | 12132.31 | 11342.82 |
| हरियाणा | 1425.00 | 2700.00 | 2700.00 |
| हिमाचल प्रदेश | 2659.10 | 3341.54 | 3319.83 |
| जम्मू और कश्मीर | 6460.00 | 6334.86 | 6312.79 |
| कर्नाटक | 12713.00 | 11785.00 | 17200.25 |
| केरल | 855.00 | 775.00 | 607.00 |
| मध्य प्रदेश | 5604.00 | 4357.78 | 4056.69 |
| महाराष्ट्र | 9882.00 | 7142.00 | 6856.93 |
| मणिपुर | 271.65 | 600.00 | 550.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| मेघालय | 1306.50 | 2000.00 | 2329.00 |
| मिजोरम | 795.00 | 794.41 | 1830.00 |
| नगालैंण्ड | 1017.00 | 950.00 | 1139.00 |
| उड़ीसा | 1907.89 | 3465.19 | 4127.72 |
| पंजाब | 3432.00 | 2579.60 | 2458.00 |
| राजस्थान | 7005.05 | 8830.00 | 9656.00 |
| सिक्किम | 267.15 | 275.05 | 540.05 |
| तमिलनाडु | 2440.86 | 3388.14 | 2442.99 |
| त्रिपुरा | 619.00 | 659.00 | 630.00 |
| उत्तर प्रदेश | 12836.00 | 27813.00 | 15413.57 |
| पश्चिम बंगाल | 1500.00 | 3103.00 | 3246.00 |
| अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 671.00 | 786.00 | 956.00 |
| चंडीगढ़ | 353.00 | 222.50 | 250.50 |
| दादरा और नागर हवेली | 207.50 | 91.45 | 121.45 |
| दमन और दीव | 97.00 | 153.80 | 128.00 |
| दिल्ली | 1800.00 | 3619.00 | 5525.00 |
| लक्षद्वीप | 151.77 | 71.00 | 141.09 |
| पांडिचेरी | 244.52 | 303.87 | 453.00 |
| कुल योग | 101005.39 | 125223.05 | 121969.23 |

***विवरण-II***

*2000-01 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या घटक के लिए विमुक्त की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण*

(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य | रकम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2841.9 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 1022.56 |
| 3. | असम | 2693.56 |
| 4. | बिहार | 2154.37 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 471 |
| 6. | गोवा | 11.7 |
| 7. | गुजरात | 485.92 |
| 8. | हरियाणा | 251.7 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1334.15 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 10. | जम्मू व कश्मीर | 1286.85 |
| 11. | झारखंड | 1016.85 |
| 12. | कर्नाटक | 1126.94 |
| 13. | केरल | 1036.2 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 1235.55 |
| 15. | महाराष्ट्र | 1486.94 |
| 16 | मणिपुर | 728.4 |
| 17. | मेघालय | 608.86 |
| 18. | मिजोरम | 303.08 |
| 19. | नगालैंड | 616.96 |
| 20. | उड़ीसा | 1478.26 |
| 21 | पंजाब | 606 |
| 22. | राजस्थान | 1446 |
| 23 | सिक्किम | 421.65 |
| 24. | तमिलनाडु | 1571.84 |
| 25. | त्रिपुरा | 762.44 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 8526.25 |
| 27. | उत्तरांचल | 188.4 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 2517.3 |
| | कुल | 38231.63 |

**विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता**

**5794. श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एड्स से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कुल कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उपलब्ध कराई गई कुल सहायता का उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निधियों के आबंटन का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ए. राजा ):** (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में एड्स की समस्या का सामना करने के लिए द्विवर्षी आधार पर निधियां प्रदान करता है जो इस प्रकार हैं :-

| | |
|---|---|
| 1998-1999 | 1,93,000 अमेरीकी डालर |
| 2000 और 2001 | 1,70,000 अमेरिकी डालर |

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

**विषाक्त चाय**

**5795. श्री चन्द्रकांत खैरे:**
**श्री कमल नाथ:**
**श्री राधा मोहन सिंह:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 फरवरी, 2001 के 'नवभारत टाइम्स' में "चाय के साथ जहरीले रसायन की चुसकियां" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसमें कितनी चाय कम्पनियां लिप्त पाई गई; और

(ङ) इस मिलावट को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ए. राजा ):** (क) जी, हां।

(ख) प्रैस रिपोर्ट बताती है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से चाय की बिक्री पर कड़ी नजर रखने का अनुरोध किया है क्योंकि यह डर है कि नकली चाय जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बाजार में अपनी पहचान बना रही है।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश के राज्य खाद्य प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि पूर्व गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश में 4 राईस मिलों से 770 बोरियों में पैक 54,000 किलो नकली चाय जब्त की गई है। जब्त किए गए स्टॉक के नमूनों में काजू की भूसी और इतर पदार्थ (फोरेन मैटर) पाए गए।

(ङ) सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को देश में बेची जाने वाली चाय की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखने और खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करने की सलाह दी है।

**सरकारी विभागों में लेखन-सामग्री की आपूर्ति**

**5796. श्री रघुनाथ झा:**
**श्री रामजी मांझी:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सचिव, कार्मिक और पेंशन-मंत्रालय और अन्य ने हाल में एक बैठक में 1981 में जारी किए गए उस कार्यालय ज्ञापन पर विचार-विमर्श किया जिसके द्वारा नई दिल्ली स्थित कतिपय उपभोक्ता सहकारी समितियों को सरकारी विभागों, आदि को लेखन-सामग्री और अन्य मदों की आपूर्ति के लिए प्राधिकृत किया गया था और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उक्त कार्यालय ज्ञापन को वापस लेने की सिफारिश की जाए;

(ख) यदि हां, तो उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के क्या कारण हैं और समिति द्वारा कौन-कौन सी कमियों/दोषों का पता लगाया गया है;

(ग) क्या उसके लिए जिम्मेदार प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) 1981 में इस तरह का कार्यालय ज्ञापन जारी करने और अब उसे वापस लेने के क्या कारण हैं; और

(ङ) कार्यालय ज्ञापन की संपुष्टि करने तथा उसे वापस लेने के बजाय अधिकारियों को दोषी ठहराने एवं उन्हें दंडित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) से (ङ) सहकारिता-आन्दोलन प्रत्साहित करने की, भारत सरकार की तत्कालीन नीति के मद्देनजर, केन्द्रीय भण्डार और दो अन्य सहकारी समितियों को, मंत्रालयों/विभागों तथा सरकार द्वारा पूर्णत: वित्त-पोषित अन्य निकायों द्वारा, निविदा-प्रक्रिया का निर्वाह किए बिना ही लेखन-सामग्री आदि की खरीद के संबंध में विशेष अधिकार दिए जाने के बारे में उक्त कार्यालय-ज्ञापन, लगभग दो दशक पहले जारी किया गया था।

सरकार को मिले विभिन्न सुझावों के मद्देनजर और नियंत्रण समाप्त कर दिए जाने की आवश्यकता और अपनी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधियों तक ही सीमित रखने की सरकार की मौजूदा सोच ध्यान में रखते हुए, कथित बैठक में, उपर्युक्त स्थिति की जांच-पड़ताल की गई। फिर भी, सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है।

**लघु उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन**

**5797. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु "क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम" को अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना पर निगरानी रखने के लिए किसी शासी और प्रौद्योगिकी अनुमोदन बोर्ड का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बोर्ड की संरचना क्या है;

(ङ) इस योजना के अंतर्गत किन-किन क्षेत्रों को लाभ प्राप्त हुआ है; और

(च) बृहत रूप से इस बोर्ड के विचारणीय विषय तथा कार्यकरण का क्षेत्र क्या है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) जी, हां,

(ख) क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम विनिर्दिष्ट उत्पादों/उप क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजनाओं के लिए पंजीकृत लघु इकाइयों द्वारा अनुसूचित व्यापारिक बैंकों/एन एस आई सी से लिए गए ऋण के 12% के बराबर पूंजी राजसहायता उपलब्ध कराती है।

(ग) जी, हां।

(घ) योजना के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण और आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों की पहचान हेतु लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में शासी और प्रौद्योगिकी अनुमोदन बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के अन्य सदस्य हैं:

1. अपर सचिव और वित्त सलाहकार, लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

2. सलाहकार (आई एंड एम), योजना आयोग
3. बैंकिंग प्रभाग के प्रतिनिधि, आर्थिक कार्य विभाग
4. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि
5. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि
6. कृषि अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि
7. अध्यक्ष, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
8. सी एम डी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
9. कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक
10. सी एम डी, पंजाब नेशनल बैंक
11. सी एम डी, भारतीय स्टेट बैंक
12. अध्यक्ष, एफ ए एस आई आई (फासी)
13. अध्यक्ष, एफ आई एस एम ई (फिसमें)
14. अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती
15. अध्यक्ष सी आई आई-एस एम ई कमेटी
16. सी एम डी, एन आर डी सी या उसके प्रतिनिधि
17. अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (लघु उद्योग), सदस्य सचिव

(ङ) निम्न उत्पाद/उप क्षेत्र इस योजना के अंतर्गत आते हैं:

1. भोजन संसाधन
2. सूचना प्रौद्योगिकी (हार्डवेयर)
3. दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स
4. ऑटो पार्टस एवं कम्पोनेन्टस
5. इलैक्ट्रॉनिक उद्योग विशेष रूप से डिजाइन और मापन से संबंधित
6. कांच एवं मृत्तिका वस्तुएं जिनमें टाइलें भी शामिल हैं।
7. डाइज और इन्टरमीडिएटस
8. खिलौने
9. टायर
10. हस्त औजार
11. साइकिल के पुर्जे और
12. फाउंड्रीज -फेरस एंड कास्ट आयरन
13. पत्थर उद्योग

(च) शासी एवं प्रौद्योगिकी अनुमोदन बोर्ड के मुख्य विचारार्थ विषय हैं:-

- योजना के निर्विघ्न प्रचालन के लिए नीति दिशा निर्देश निर्धारित करना और आवश्यक निर्देश देना।
- योजना के प्रचालन का अनुवीक्षण और पुनरीक्षण।
- उन नई प्रौद्योगिकियों को पहचानना जो योजना के अंतर्गत कवर की जाएगी इसके अंतर्गत शासी और प्रौद्योगिकी अनुमोदन बोर्ड के पास ये अधिकार भी हैं:
- किसी अन्य सदस्य/सदस्यों का सहयोजन, यदि आवश्यक समझा जाए; और
- विशिष्ट उत्पादों/क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकियों को पहचानने हेतु उप समितियों का गठन।

**''मीडिया लैबोरेट्री एशिया''**

**5798. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ''मीडिया लैबोरेट्री एशिया'' नामक प्रस्ताव के क्रियान्वयन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परियोजना कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के साथ संयुक्त प्रयास से चलाई जाएगी;

(ग) प्रस्ताव का ब्यौरा, लागत और इसकी अवधि कितनी है; और

(घ) इससे कौन-कौन से लाभ मिलने की संभावना है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन):** (क) और (ख) जी, हां।

(ग) मीडिया प्रयोगशाला एशिया की स्थापना एमआईटी मीडिया लैब, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का एक संयुक्त प्रस्ताव है। वर्ष 1985 में स्थापित एमआईटी (मैसाचूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) मीडिया लैब, संयुक्त राज्य अमेरिका, शिक्षक समुदाय तथा उद्योग के बीच सहयोग की अवधारणा में अग्रणी रही है तथा विषयों के बीच परम्परागत भेद किए बिना आधारभूत अनुसंधान एवं अनुप्रयोगों के लिए एक अनूठा परिवेश प्रदान करता है। एमआईटी मीडिया लैब दल तथा

भारतीय दल को शामिल करते हुए गठित मीडिया प्रयोगशाला एशिया संयुक्त कार्यदल ने मार्च, 2001 में अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस संयुक्त कार्यदल की रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(घ) मीडिया लैब एशिया में राष्ट्रीय तथा विदेश परियोजनाओं और प्रयोगशालाओं के एक नेटवर्क का प्रस्ताव है जो जरूरतमंद लोगों को सबसे उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ पहुंचाने के लिए समर्पित होगा। मीडिया लैब एशिया की भूमिका आविष्कारों, परिशोधनों की सुविधा उपलब्ध कराना तथा जनता को लाभ पहुचाने वाले नए परिवर्तनों को नियोजित करना है। मीडिया लैब एशिया ग्रामीण स्तरीय क्षेत्रीय परियोजनाओं पर आधारित होगी तथा प्रौद्योगिकी विकास के लिए अनुसंधान तथा प्रतिभागिता द्वारा इसकी सहायता की जाएगी। प्रत्येक परियोजना तकनीकी नवीनताओं पर ध्यान केन्द्रित करेगी तथा प्रायोजक संगठन के लिए एक अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेगी। मीडिया लैब एशिया का उद्देश्य सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) का इस्तेमाल करने के जरिए निर्धनता, साक्षरता/शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और सूक्ष्म उद्यमशीलता जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। मीडिया लैब एशिया परियोजनाओं के कार्यकलापों में ग्रामों तथा शहरी गंदी बस्तियों पर कार्य करने वाले अनुसंधानकर्ताओं का एक समूह शामिल है, तथा यह भागीदार संगठनों को दीर्घकालिक सेवाओं जैसे कि स्वास्थ्य की देखभाल, जनस्वास्थ्य की निगरानी, एक कक्षीय कम्प्यूटर स्कूलगृह, सार्वजनिक तथा डाक सेवाएं, माइक्रो-बैंकिंग, हथकरघा व्यापार, अनौपचारिक क्षेत्र में विनिर्माण, तथा सार्वजनिक मनोरंजन और संचार के नियोजन में सहायता देता है।

**औषध प्रयोगशालाएं**

**5799. श्री रामदास आठवले:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार और स्थान-वार औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित उन्नत प्रयोगशालाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में उक्त प्रयोगशालाओं की अत्यंत कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (ग) 19 राज्य सरकारों ने औषधों की जांच के लिए अपनी स्वयं की औषध प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्रयोगशालाओं में उपलब्ध आधारिक सेवाएं एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग हैं। कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, कसौली और गाजियाबाद में भी केन्द्रीय औषध जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं जिनमें सभी तरह के फार्मेस्युटिकल खुराक रूपों की जांच करने के लिए सुविधाएं हैं। वैक्सीन और सीरा जैसे विशेष उत्पादों के लिए व्यापक जांच सुविधाएं केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में उपलब्ध हैं।

(घ) जिन राज्यों में औषधों और फार्मास्युटिकलों की जांच की सुविधाएं नहीं हैं वे अपने औषध नमूनों की जांच के लिए केन्द्रीय प्रयोगशालाओं में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत राज्यों को उनकी प्रयोगशालाओं में जांच सुविधाओं के संवर्धन में भी सहायता करता है। राज्यों और केन्द्रीय प्रयोगशालाओं को आपूर्ति के लिए वर्तमान वर्ष में 4.25 करोड़ रुपये मूल्य के आधुनिक प्रयोगशाला उपस्करों का प्रापण किया गया है।

देश में औषध जांच सुविधाओं के संवर्धन और औषध नमूनों का तीव्र विश्लेषण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह मंत्रालय चंडीगढ़, हैदराबाद और गुवाहाटी में तीन नई क्षेत्रीय औषध जांच प्रयोगशालाएं स्थापित कर रहा है। जैव उत्पादों की गुणवत्ता की प्रभावी मानिटरिंग के लिए केन्द्रीय सरकार ने नोएडा में राष्ट्रीय जैविक संस्थान की स्थापना की है।

***विवरण***

*देश में मौजूद राज्य सरकार औषध जांच प्रयोगशालाओं की संख्या*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | प्रयोगशालाओं की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2 |
| 2. | बिहार | 1 |
| 3. | दिल्ली | शून्य |
| 4. | गोवा | 1 |
| 5. | गुजरात | 1 |
| 6. | हरियाणा | 1 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 1 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | 1 |
| 9. | कर्नाटक | 1 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 10. | केरल | 1 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 1 |
| 12. | महाराष्ट्र | 1 |
| 13. | उड़ीसा | 1 |
| 14. | पंजाब | 1 |
| 15. | राजस्थान | 1 |
| 16. | तमिलनाडु | 2 |
| 17. | त्रिपुरा | 1 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 1 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 1 |
| | कुल | 20 |

**भारत-ब्रिटेन समझौता**

**5800. श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 जुलाई, 2000 और 31 दिसंबर, 2000 के बीच भारत और ब्रिटेन के मध्य कोई मंत्री स्तरीय दौरा अथवा संपर्क हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कैलेंडर वर्ष 2000 में ब्रिटेन और भारत के मध्य किए गए दौरों का स्तर क्या था;

(ग) क्या उन्होंने ब्रिटेन का दौरा किया और विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले।

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू):** (क) और (ख) जी, हां। कैलेण्डर वर्ष 2000 में 1 जुलाई से 31 दिसम्बर 2000 तक भारत और यू.के. के बीच मंत्रिस्तरीय तथा आधिकारिक स्तरीय यात्राओं का आदान प्रदान किया गया, इन यात्राओं में हमारे विदेश मंत्री, पर्यावरण और वन मंत्री की यू.के. की यात्रा तथा ब्रिटेन के गृह, रक्षा, लघु व्यापार तथा ई कामर्स मंत्रियों तथा उनके विदेश और राष्ट्रमण्डलीय मामलों के राज्य मंत्री की भारत यात्रा शामिल है।

(ग) और (घ) विदेश मंत्री ने 13 से 14 जनवरी 2000 तथा 15 से 16 नवंबर, 2000 तथा ब्रिटेन की यात्राएं कीं। ये यात्राएं दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मसलों पर लगातार चल रही गहन और व्यापक वार्ता के भाग के रूप में थी। दोनों ही अवसरों पर उन्होंने ब्रिटिश विदेश और राष्ट्रमंडलीय मामलों के सैक्रटरी आफ स्टेट श्री राबिन कुक तथा अन्य वरिष्ठ ब्रिटिश वार्ताकारों से विचारों का आदान प्रदान किया। इन वार्ताओं में यू.के. के साथ हमारे बहुआयामी संबंधों की समीक्षा की गई। वार्ताओं में सार्वभौमिक तथा क्षेत्रीय घटनाओं से संबंधित मसलों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुधार, आंतकवाद का सामना करने तथा कोंसली मामलों में सहयोग तथा शिक्षा एवं रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग संबंधी मसलों पर चर्चा की गई।

इन वार्ताओं के अनुसरण में हमारे द्विपक्षीय संबंधों को घनीभूत करने के लिए बहुत सी कई नई पहलकदमियां की गई। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार का मुकाबला करने में सहयोग करने के लिए भारत-यू.के. संयुक्त कार्यदल का गठन किया गया। निरस्त्रीकरण था अप्रसार संबंधी मामलों में परस्पर समझ बूझ विकसित करने के लिए आधिकारिक स्तर की वार्ता शुरू की गई है। द्विपक्षीय वार्ता के क्षेत्र को विस्तृत करने तथा मित्रता को सघन बनाने के लिए नए उपायों का सुझाव देने हेतु एक गैर-सरकारी दल भारत-यू.के. गोलमेज का गठन किया गया।

**एकल खिड़की स्वीकृति**

**5801. डा. वी. सरोजा :** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे .कि:

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों के लिए एकल खिड़की स्वीकृति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) से (ग) संबंधित सरकारों के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला स्तर पर, एक ही स्थान पर पूर्वनिवेश और परवर्ती निवेश के स्तरों पर लघु उद्योगों हेतु आवश्यक सभी सुविधाएं और सहायता प्रदान करने हेतु, जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए गए हैं। जिला उद्योग केन्द्र एकल खिड़की निकासी एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु स्थापित किए गए हैं।

**प्रति व्यक्ति व्यय**

**5802. श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान जन स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय कितना हुआ;

(ख) बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को प्रति व्यक्ति कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1996-97 और 1997-98 के दौरान वर्तमान बाजार मूल्यों पर स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय क्रमश: 98 रुपये और 110 रु. है। बाद के वर्षों के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं।

(ख) 1999-2000 के दौरान मलेरिया, क्षयरोग, एड्स, दृष्टिहीनता और कुष्ठ के प्रमुख रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की दी गई प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सहित सामाजिक आर्थिक आधारभूत ढांचा सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2000-01 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए राज्यों को अनिवार्य न्यूनतम आवश्यकता के रूप में 375 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है जिसका प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

***विवरण***

*प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए 1999-2000 के दौरान विमुक्त की गई राज्य-वार प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता*

(रुपये लाख में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | केन्द्रीय सहायता | 1.3.1999 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या (लाख में) | प्रति व्यक्ति विमुक्त की गई |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 4002.72 | 746.00 | 5.37 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 555.61 | 12.00 | 46.30 |
| 3. | असम | 3735.77 | 256.00 | 14.59 |
| 4. | बिहार | 3105.51 | 981.00 | 3.17 |
| 5. | गोवा | 124.69 | 15.00 | 8.31 |
| 6. | गुजरात | 3498.41 | 476.00 | 7.35 |
| 7. | हरियाणा | 880.21 | 195.00 | 4.51 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 661.09 | 65.00 | 10.17 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 295.39 | 97.00 | 3.05 |
| 10. | कर्नाटक | 2127.24 | 514.00 | 4.14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 11. | केरल | 942.50 | 320.00 | 2.95 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 4580.94 | 783.00 | 5.85 |
| 13. | महाराष्ट्र | 4735.53 | 901.00 | 5.26 |
| 14. | मणिपुर | 745.39 | 22.10 | 33.73 |
| 15. | मेघालय | 407.04 | 24.00 | 16.96 |
| 16. | मिजोरम | 529.77 | 9.00 | 58.86 |
| 17. | नागालैंड | 844.77 | 16.00 | 52.80 |
| 18. | उड़ीसा | 2688.87 | 355.00 | 7.57 |
| 19. | पंजाब | 923.19 | 233.00 | 3.96 |
| 20. | राजस्थान | 2761.31 | 526.00 | 5.25 |
| 21. | सिक्किम | 139.10 | 5.00 | 27.82 |
| 22. | तमिलनाडु | 3034.22 | 613.00 | 4.95 |
| 23. | त्रिपुरा | 580.34 | 36.00 | 16.12 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 5029.16 | 1664.00 | 3.02 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 2974.90 | 780.00 | 3.81 |
| 26. | अंडमान और नि. द्वीपसमूह | 188.47 | 4.00 | 47.12 |
| 27. | चंडीगढ़ | 190.83 | 9.00 | 21.20 |
| 28. | दादर और नगर हवेली | 65.62 | 2.00 | 32.81 |
| 29. | दमण और दीव | 129.39 | 1.00 | 129.39 |
| 30. | दिल्ली | 931.13 | 134.00 | 6.95 |
| 31. | लक्षद्वीप | 38.46 | 0.70 | 54.94 |
| 32. | पांडिचेरी | 70.69 | 11.00 | 6.43 |
| | कुल (राज्य+संघ राज्य क्षेत्र) | 51518.26 | 9805.80 | 5.25 |

**नौवीं योजना लक्ष्य की प्राप्ति**

**5803. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान योजना लक्ष्य का केवल 54.3 प्रतिशत हासिल किया गया है और 2000-2002 के दौरान शेष 45.7 प्रतिशत निवेश का लक्ष्य हासिल करना लगभग असम्भव लगता है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने यह कहा है कि योजना के अंतिम दो वर्षों के लिए यह चिंता का कारण है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा नौवीं योजना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या ठोस प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या नौवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र का निवेश/ निजी क्षेत्र के निवेश के मुकबाले नीचे गिरा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी):** (क) और (ख) नौवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए) में अनुदान लगाया गया है कि नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान समुच्चय निवेश संशोधित योजना लक्ष्य का 54.3% हासिल किया गया था। एमटीए में यह चिन्ता व्यक्त की गई है कि नौवीं योजना के पिछले दो वर्षों (2000-2002) के दौरान यद्यपि सार्वजनिक निवेश में सुधार होने की आशा थी, तथापि, लक्ष्य प्राप्त करना असम्भव लगता है। तथापि, आशा की जाती है कि निजी निवेश का संशोधित लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

(ग) सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना, राजकोषीय घाटा और मुद्रस्फीति दर को नीचे लाना, सेवाओं का उपयुक्त मूल्य निर्धारण और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए श्रम नीति में सुधार एमटीए में सुझाव गए कुछेक उपाय हैं।

(घ) और (ङ) नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान समुच्चय निवेश में सार्वजनिक क्षेत्रक का हिस्सा 33.5 प्रतिशत के योजना लक्ष्य की तुलना में 27.3 प्रतिशत तक नीचे गिरा है। इसी अवधि के दौरान निजी क्षेत्रक का तदनुरूपी हिस्सा योजना लक्ष्य (66.5%) की तुलना में (72.7%) अधिक रहा है।

**गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग**

**5804. श्री गंता श्रीनिवास राव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है; और

(ख) देश भर में समान विकास दर सुनिश्चित करने के लिए अधिक गरीबी वाले राज्यों को अधिक धन दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी):** (क) योजना आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत का अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा लगभग पांच वर्षों के अंतराल पर कराए गए उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण से लगाता है। गरीबी के नवीनतम उपलब्ध अनुमान जुलाई 1999 से जून 2000 तक की अवधि को कवर करते हुए 55वें दौर के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण उपभोक्ता व्यय आंकड़ों पर आधारित हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराए गए परिवार उपभोक्ता व्यय के वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 55वें दौर के मुख्य परिणामों के 30 दिवसीय प्रत्याह्वान के आधार पर वर्ष 1999-2000 में देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 260.25 मिलियन (कुल जनसंख्या का 26.1%) होने का अनुमान लगाया गया है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अनुमान विवरण में दिए गए हैं।

(ख) गरीबी-रोधी कार्यक्रमों के अन्तर्गत निधियों के केन्द्रीय आबंटन सामान्यत: समय-समय पर योजना आयोग द्वारा अनुमानित गरीबों की संख्या के अनुपात में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वितरित किए जाते हैं।

***विवरण***

*1999-2000 में राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या व प्रतिशत*

(30 दिवसीय प्रत्याहवान अवधि)

| क्र.सं. | राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र | ग्रामीण | | शहरी | | सम्मिलित | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | व्यक्तियों की संख्या (लाख) | व्यक्तियों का प्रतिशत | व्यक्तियों की संख्या (लाख) | व्यक्तियों का प्रतिशत | व्यक्तियों की संख्या (लाख) | व्यक्तियों का प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 58.13 | 11.05 | 60.88 | 26.63 | 119.01 | 15.77 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 3.80 | 40.04 | 0.18 | 7.47 | 3.98 | 33.47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | असम | 92.17 | 40.04 | 2.38 | 7.47 | 94.55 | 36.09 |
| 4. | बिहार | 376.51 | 44.30 | 49.13 | 32.91 | 425.64 | 42.60 |
| 5. | गोवा | 0.11 | 1.35 | 0.59 | 7.52 | 0.70 | 4.40 |
| 6. | गुजरात | 39.80 | 13.17 | 28.09 | 15.59 | 67.89 | 14.07 |
| 7. | हरियाणा | 11.94 | 8.27 | 5.39 | 9.99 | 17.34 | 8.74 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 4.84 | 7.94 | 0.29 | 4.63 | 5.12 | 7.63 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 2.97 | 3.97 | 0.49 | 1.98 | 3.46 | 3.48 |
| 10. | कर्नाटक | 59.91 | 17.38 | 44.49 | 25.25 | 104.40 | 20.04 |
| 11. | केरल | 20.97 | 9.38 | 20.07 | 20.27 | 41.04 | 12.72 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 217.32 | 37.06 | 81.22 | 38.44 | 298.54 | 37.43 |
| 13. | महाराष्ट्र | 125.12 | 23.72 | 102.87 | 26.81 | 227.99 | 25.02 |
| 14. | मणिपुर | 6.53 | 40.04 | 0.66 | 7.47 | 7.19 | 28.54 |
| 15. | मेघालय | 7.89 | 40.04 | 0.34 | 7.47 | 8.23 | 33.87 |
| 16. | मिजोरम | 1.40 | 40.04 | 0.45 | 7.47 | 1.85 | 19.47 |
| 17. | नागालैंड | 5.21 | 40.04 | 0.28 | 7.47 | 5.49 | 32.67 |
| 18. | उड़ीसा | 143.69 | 48.01 | 25.40 | 42.83 | 169.09 | 47.15 |
| 19. | पंजाब | 10.20 | 6.35 | 4.29 | 5.75 | 14.49 | 6.16 |
| 20. | राजस्थान | 55.06 | 13.74 | 26.78 | 19.85 | 81.83 | 15.28 |
| 21. | सिक्किम | 2.00 | 40.04 | 0.04 | 7.47 | 2.05 | 36.55 |
| 22. | तमिलनाडु | 80.51 | 20.55 | 49.97 | 22.11 | 130.48 | 21.12 |
| 23. | त्रिपुरा | 12.53 | 40.04 | 0.49 | 7.47 | 13.02 | 34.44 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 412.01 | 31.22 | 117.88 | 30.89 | 529.89 | 31.15 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 180.11 | 31.85 | 33.38 | 14.86 | 213.49 | 27.02 |
| 26. | अंडमान और नि. द्वीपसमूह | 0.58 | 20.55 | 0.24 | 22.11 | 0.82 | 20.99 |
| 27. | चंडीगढ़ | 0.06 | 5.75 | 0.45 | 5.75 | 0.51 | 5.75 |
| 28. | दादरा और नगर हवेली | 0.30 | 17.57 | 0.03 | 13.52 | 0.33 | 17.14 |
| 29. | दमन और दीव | 0.01 | 1.35 | 0.05 | 7.52 | 0.06 | 4.44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | दिल्ली | 0.07 | 0.40 | 11.42 | 9.42 | 11.49 | 8.23 |
| 31. | लक्षद्वीप | 0.03 | 9.38 | 0.08 | 20.27 | 0.11 | 15.60 |
| 32. | पांडिचेरी | 0.64 | 20.55 | 1.77 | 22.11 | 2.41 | 21.67 |
| | अखिल भारत | 1932.43 | 27.09 | 670.07 | 23.62 | ,2602.50 | 26.10 |

टिप्पणी:

1. असम के गरीबी अनुपात का सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए प्रयोग किया गया है।
2. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा व गोवा के व्यय वितरण का गोवा के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
3. हिमाचल प्रदेश की गरीबी रेखा व जम्मू और कश्मीर के व्यय वितरण का जम्मू व कश्मीर के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया गया है।
4. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का पांडिचेरी और अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए प्रयोग किया गया है।
5. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का चण्डीगढ़ के ग्रामीण व शहरी दोनों की गरीबी, के लिए प्रयोग किया गया है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और दादरा व नगर हवेली के व्यय वितरण का दादरा व नागर हवेली के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया गया है।
7. गोवा के गरीबी अनुपात का दमन व दीव के लिए प्रयोग किया गया है।
8. केरल के गरीबी अनुपात का लक्षद्वीप के लिए प्रयोग किया गया है।
9. राजस्थान के शहरी अनुपात को अनंतिम समझा जाए।

## उन्नयन के लिए चुने गए समुदाय

**5805. श्री किरीट सोमैया:** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 1998 से प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रबंधन संबंधी "अपटैक" नामक योजना को कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं योजना के दौरान देश में, विशेष तौर पर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में उन्नयन के लिए कितने समुदायों का चुनाव किया गया है;

(घ) इन समुदायों के उन्नयन के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) कितने समुदायों में उन्नयन संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है और इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) जी, हां।

(ख) योजना, क्लस्टर के प्रौद्योगिकी उन्नयन से संबंधित सभी सार्व विषयों का निदान करती है। इसका कार्यक्षेत्र नैदानिक अध्ययन, सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना, और नई प्रौद्योगिकी निरूपण संयंत्र, कामगारों/पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण इत्यादि है।

(ग) नौवीं योजना के लिए चुने गए 14 क्लस्टर्स में से तीन आंध्र प्रदेश से और एक महाराष्ट्र से है।

चुने गए क्लस्टर्स निम्न हैं:

1. केरल में पश्चिमी तट के साथ साथ टाइल उद्योग क्लस्टर
2. आंध्र प्रदेश में बल्क ड्रग एवं फार्मूलेशन उद्योग
3. कन्नौज में नीम एवं इत्र उद्योग
4. पंजाब और आंध्र प्रदेश में फोर्जिंग एवं फाउन्डरी उद्योग
5. आध्र प्रदेश के चित्तूर में खाद्य परिसंस्करण उद्योग
6. तमिलनाडु के वैनियामबाड़ी में लघु, चमड़ा कमाई उद्योग

7. खुर्जा में पॉटरी उद्योग क्लस्टर

8. दिल्ली और नोएडा का खिलौना उद्योग

9. पुणे, चेन्नई और इन्दौर का आटो कम्पोनैन्ट उद्योग

10. अलीगढ़ का ताला उद्योग

11. विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात में पत्थर उद्योग

12. कांच एवं मृत्तिका उद्योग मुख्यतया उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद और खुर्जा में और कर्नाटक में मंगलौर में।

13. राजस्थान के झालावाड़ एवं धौलपुर, उत्तर प्रदेश के बदायूं और भुवाली और उड़ीसा के गंजम जिले में जड़ी बूटी और एरोमेटिक प्लांट पर आधारित क्लस्टर्स का विकास

14. गुजरात में विशेष तेलों एवं शोधकों के विनिर्माण में हाइड्रोजीनेशन प्रक्रिया का परीक्षण किया जा रहा है।

(घ) नौवीं योजना के अंतर्गत सभी क्लस्टर्स के लिए 17.74 करोड़ रु. की राशि चिन्हित की गई है।

(ङ) विभिन्न केन्द्रों में कार्यक्रम का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है।

**नकली दवाइयां**

5806. **डा. बलिराम:**
**श्री पी. आर. खूंटे:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.जी.एच.एस. चिकित्सा भंडार डिपो में नकली दवाइयों का पता लगाने हेतु कोई जांच की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या विभिन्न सी.जी.एच.एस. औषधालयों ने अधिकृत कैमिस्टों को सी.जी.एच.एस. के लिए दवाइयों की खरीद पर 14 करोड़ रुपये प्रतिपूर्ति के रूप में दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सी.जी.एच.एस. द्वारा दवाइयों की खरीद हेतु अपनाई जाने वाली व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सी.जी.एच.एस. फार्मूलरी को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) और (ख) मैसर्स साइका फार्मास्युटिकल्स, रोहतक द्वारा विनिर्मित बेटन (बेटामेथासोन वैलिसेट स्किन क्रीम) बैच संख्या एस. 61 का एक नमूना केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, दिल्ली में **औषध** निरीक्षक द्वारा नकली पाया गया है। उक्त बैच की औषध का प्रयोग बंद कर दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान 104,94,92,193/- रुपये की औषधों की स्थानीय खरीद पर हुए व्यय को दर्शाने वाला नगर-वार विवरण संलग्न है। औषधालय-वार ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

(ङ) से (ज) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना तथा चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो के लिए व्यापक सम्मिलित फार्मूलरी तैयार करने तथा औषधों की खरीद के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में चिकित्सा अधिकारियों/विशेषज्ञों द्वारा निजी केमिस्टों के लिए अभिदेशनों (रिफर्रेसों) को न्यूनतम करने हेतु अपनायी जाने वाली क्रियाविधि पर विचार करने के लिए 16.11.2000 को डा. जे.ए. पाण्डे, विभागाध्यक्ष (आई एम) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की अध्यक्षता में एक नई समिति गठित की गई है इस समिति द्वारा 31.5.2001 तक अपनी रिपोर्ट देने की आशा है।

***विवरण***

| क्र.सं. | के.स.स्वा.यो. नगर का नाम | 2000-2001 के दौरान औषधों की स्थानीय खरीद पर व्यय (रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | इलाहाबाद | 1,92,03,116 |
| 2. | अहमदाबाद | 81,93,826 |
| 3. | बंगलौर | 2,67,84,977 |
| 4. | भुवनेश्वर | 33,96,806 |
| 5. | चेन्नई | 3,66,06,660 |
| 6. | दिल्ली | 51,99,00,201 |
| 7. | गुवाहाटी | 1,07,20,705 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 8. | हैदराबाद | 13,55,49,470 |
| 9. | जबलपुर | 1,69,38,863 |
| 10. | जयपुर | 1,70,94,454 |
| 11. | कानपुर | 3,35,45,539 |
| 12. | कोलकाता | 3,71,19,927 |
| 13. | लखनऊ | 1,29,66,000 |
| 14. | मेरठ | 2,49,12,685 |
| 15. | मुम्बई | 4,92,38,754 |
| 16. | नागपुर | 3,55,00,000 |
| 17. | पुणे | 2,88,59,279 |
| 18. | रांची | 1,10,08,692 |
| 19. | पटना | 1,22,33,839 |
| 20. | त्रिवेन्द्रम | 97,18,400 |
| | कुल | 104,94,92,193 |

*[हिन्दी]*

## समुद्री सीमा

**5807. श्री थावर चन्द गेहलोत:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत की समुद्री सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश की समुद्री सीमा को चिन्हित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू):** (क) पड़ोसी देशों (पाकिस्तान और बंगलादेश को छोड़कर) के साथ भारत की समुद्री सीमा की लम्बाई के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

| क्र.सं. | देश | भारत के साथ समुद्री सीमा की लगभग लम्बाई |
|---|---|---|
| क. | मालद्वीप | 545 एन एम 1010 किलो मीटर |
| ख. | श्रीलंका | 610 एन एम 1130 किलो मीटर |
| ग. | इंडोनेशिया | 305 एन एम 565 किलो मीटर |
| घ. | थाईलैंड | 100 एन एम 185 किलोमीटर |
| ङ. | म्यांमा | 585 एन एम 1083 किलोमीटर |

(ख) जी, हां। पाकिस्तान और बंगलादेश को छोड़कर भारत सरकार ने अन्य देशों अर्थात श्रीलंका, बर्मा अब म्यांमा और मालद्वीप के साथ 11 समुद्री सीमा करार सम्पन्न किए हैं।

(ग) समुद्री सीमा करारों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

1. 26/28 जून, 1974 को सम्पन्न में म्यामां की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों के बीच भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक जल सीमा में और उससे सम्बद्ध मसलों से सम्बद्ध करार जो 8 जुलाई, 1974 को प्रवृत्त हुआ।

2. 23 मार्च, 1976 को सम्पन्न म्यामां की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों के बीच भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा तथा उससे सम्बद्ध मसलों से सम्बद्ध करार जो 10 मई, 1976 को प्रवृत्त हुआ।

3. 22 नवम्बर, 1976 को सम्पन्न म्यामां की खाड़ी में 13 मीटर से भारत-श्रीलंका और मालद्वीप प्वाइंट टी के बीच त्रिसंगम प्वाइंट तक दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा के विस्तार से सम्बद्ध भारत श्रीलंका अनुपूरक करार जो 5 फरवरी, 1977 को प्रवृत्त हुआ।

4. 31 जुलाई, 1976 को सम्पन्न तीनों देशों के बीच त्रिसंगम का निर्धारण करने से सम्बद्ध भारत, श्रीलंका और मालद्वीप के बीच करार जो हस्ताक्षर करने की तारीख अर्थात 31 जुलाई, 1976 को प्रवृत्त हुआ।

5. 28 दिसम्बर, 1976 को सम्पन्न अरब सागर में समुद्री सीमा तथा उससे सम्बद्ध मसलों से सम्बद्ध भारत और मालद्वीप के बीच करार जो 8 जून, 1978 को प्रवृत्त हुआ।

6. 8 अगस्त, 1974 को भारत गणराज्य की सरकार और इंडोनेशिया गणराज्य की सरकार के बीच संपन्न दोनों देशों के बीच महाद्वीपीय रेतीय सीमा के सीमांकन से सम्बद्ध करार जो 17 दिसंबर, 1974 को प्रवृत्त हुआ।

7. 14 जनवरी, 1977 को भारत गणराज्य की सरकार और इंडोनेशिया गणराज्य की सरकार के बीच अण्डमान सागर और हिन्द महासागर में दोनों देशों के बीच 1974 के महाद्वीपीय रेतीय सीमा के विस्तार से सम्बद्ध करार जो 15 अगस्त, 1977 को प्रवृत्त हुआ।

8. 22 जून, 1978 को संपन्न अंडमान सागर में तीनों देशों के बीच त्रिसंगम प्वाईंट के निर्धारण और सम्बद्ध सीमाओं के सीमांकन के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार,

इंडोनेशिया गणराज्य की सरकार तथा थाईलैंड राज्य की सरकार के बीच करार जो 2 मार्च, 1979 को प्रवृत्त हुआ।

9. 22 जून, 1978 को संपन्न अंडमान सागर में दोनों देशों के बीच समुद्री मैदान सीमा का सीमांकन करने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और थाईलैंड राज्य की सरकार के बीच करार जो 15 दिसंबर, 1978 को प्रवृत्त हुआ।

10. 23 दिसम्बर, 1986 को सम्पन्न अंडमान सागर में कोको चैनल और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा के सीमांकन के लिए भारत गणराज्य तथा बर्मा समाजवादी गणराज्य संघ के बीच करार जो 14 सितम्बर, 1987 को प्रवृत्त हुआ।

11. 27 अक्टूबर, 1993 को सम्पन्न अंडमान सागर में भारत, म्यामां और थाईलैंड के बीच त्रिसंगम के निर्धारण के संबंध में करार जो 24 मई, 1995 को प्रवृत्त हुआ।

*[अनुवाद]*

**कनाडा द्वारा प्रतिबंध हटाना**

5808. **श्री अजय सिंह चौटाला:**
**श्री सी. श्रीनिवासन:**
**श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :**
**श्री तिरूनावकरसू:**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कनाडा ने मई, 1998 में पोखरन परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का प्रस्ताव किया है जैसा कि दिनांक 21 मार्च, 2001 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' समाचार-पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले चार वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच कितना व्यापार हुआ;

(घ) प्रतिबंध हटने के परिणामस्वरूप व्यापार में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ङ) क्या कनाडा का अपने उत्प्रवास संबंधी नियमों में ढील देने का भी प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कृष्णमराजू ):** (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 21 मार्च 2001 के 'टाईम्स ऑफ इंडिया' में कनाडा द्वारा भारत पर से प्रतिबंधों को उठाने से संबंधित खबरें देखीं हैं। 20 मार्च, 2001 को कनाडा के विदेश मंत्री ने घोषणा की कि कनाडा की सरकार भारत के साथ व्यापकतम संभव राजनैतिक और आर्थिक संबंध रखेगी और मई, 1998 से स्थगित औद्योगिक सहयोग, और संस्कृति तथा खेलों के लिए समर्थन प्रदान करने सहित द्विपक्षीय मंत्रिस्तरीय यात्राओं के लिए प्रोत्साहन देगी, भारत में पूर्ण कनाडाई अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सीआई डी ए) कार्यक्रम बहाल करेगी।

(ग) गत चार वर्षों में दोनों देशों के बीच दो-तरफा व्यापार की मात्रा निम्न प्रकार है:

2365.56 करोड़ रुपए 1996-97

3154.30 करोड़ रुपए 1997-98

3612.11 करोड़ रुपए 1998-99

4183.24 करोड़ रुपए 1999-2000

(घ) संबंधों के सामान्यीकरण से अभिवृद्ध व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए अधिक सकारात्मक वातावरण उपलब्ध होने की उम्मीद है।

(ङ) और (च) सरकार को कनाडाई आप्रवासन नियमों की किसी छूट अथवा किसी परिवर्तन की जानकारी नहीं है, जो कि कनाडा का एक आंतरिक मामला है।

*[हिन्दी]*

**प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना ( पी. एम. जी. वाई.) के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण**

5809. **डा. अशोक पटेल:**
**श्री रामपाल सिंह:**
**श्री पदमसेन चौधरी:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना(पी. एंम.जी.वाई.) के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण को शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैरा क्या है;

(ग) इस निर्णय को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित किए जाने की संभावना है?

**विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी)**: (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2001-2002 के अपने बजट भाषण में प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के अतिरिक्त घटक के रूप में ग्रामीण विद्युतीकरण को शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) इस निर्णय का कार्यान्वयन चालू वित्त वर्ष के दौरान ही शुरू किया जाएगा।

(घ) पीएमजीवाई के पांच अन्य घटकों के समान ही इस घटक हेतु वित्त पोषण होगा।

## बच्चों को गोद लिया जाना

**5810. श्री सुरेश चन्देल: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से बच्चों को गोद लेने के संबंध में हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद, लघु सचिवालय, शिमला-2 इंडिया लेड़ीज क्लब, नाहन, जिला, सिरमोर, हिमाचल प्रदेश महिला कल्याण मंडल, चम्बा, हिमाचल प्रदेश और कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, राकवुड, शिमला-हिमाचल प्रदेश को अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इसके लम्बित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी)**: (क) इस मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद, लघु सचिवालय, शिमला-2 के संबंध में राज्य सरकार से इसके पत्र संख्या डब्ल्यू.एल.एफ. -एफ/5/-2/96-1 दिनांक 10.7.2000 के तहत राज्य सरकार से अंत:देशीय दत्तक ग्रहण प्रोत्साहन के लिए शिशुओं के लिए (शिशु गृह) गृहों हेतु "स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना" के अंतर्गत एक अनुरोध प्राप्त किया है।

इस मंत्रालय ने अन्य संगठनों के संबंध में राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं किया है।

(ख) हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद, शिमला को हमारे पत्र संख्या 22/55/97-सी. एच. (एसी) दिनांक 31.3.2001 के तहत 78763 रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

## परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन

**5811. श्री किरीट सोमैया: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे)**: (क) से (ग) जी, हां। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की पुनरीक्षा करने और अन्य बातों के साथ-साथ परमाणु बिजली के उत्पादन और उसकी आपूर्ति में गैर-सरकारी क्षेत्र के भागेदारी कर सकने की दृष्टि से इसमें संशोधन करने के बारे में सुझाव देने की कार्रवाई चल रही है। उक्त अधिनियम की पुनरीक्षा को अंतिम रूप देने के बाद ही, सरकार इस अधिनियम की संबंधित धाराओं में संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों में एक विधेयक प्रस्तुत करेगी।

## उत्तरांचल को विशेष दर्जा देना

**5812. श्री माधव राव सिंधिया:**
**श्री सुशील कुमार शिंदे:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तरांचल के तीव्र विकास हेतु उसे 'विशेष दर्जा' देने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय लेने के कारण और परिस्थितियां क्या हैं;

(ग) क्या ऐसा ही दर्जा झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों को भी दिया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी):** (क) जी, हां।

(ख) विशेष श्रेणी दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जो मुख्यत: पर्वतीय क्षेत्र हैं, जिनकी जनसंख्या का एक बड़ा भाग जनजातीय है, जो सीमा पर स्थित हैं और सामाजिक-आर्थिक आधारिक संरचना और समग्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। उत्तरांचल में एक विशेष श्रेणी राज्य की अधिकांश विशेषताएं हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। झारखण्ड और छत्तीसगढ़ राज्य विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त करने के मापदण्ड को पूरा नहीं करते हैं।

## रक्षा उपकरणों की विलंब से आपूर्ति

**5813. श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 मार्च, 2001 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में 'एम ओ डी शापिंग स्प्री शोज बैड मैनेजमेंट: सी ए जी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपकरणों और गोला बारूद की आपूर्ति में विलंब एकल विक्रेता सौदों और दोषपूर्ण आपूर्तियों के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए दिसंबर, 2000 में लेखा परीक्षा महानिदेशक, रक्षा सेवाएं की तरफ से 'आपरेशन विजय (कारगिल) के लिए भंडारों की खरीद पर विशेष लेखा परीक्षा' शीर्षक से एक प्रारूप पुनरीक्षा प्राप्त हुई है। इस प्रारूप में की गई टिप्पणियां मुख्यत: आपरेशन विजय के दौरान की गई खरीद, उपस्करों तथा गोला-बारूद की सुपुर्दगी में विलंब, एकल विक्रेता से अधिप्राप्ति तथा दोषपूर्ण आपूर्तियों से संबंधित हैं। सेना मुख्यालय के साथ परामर्श करके इन टिप्पणियों की जांच की जा रही है।

## बुनियादी न्यूनतम सेवा

**5814. डा. जसवंत सिंह यादव:**
**श्री सुरेश रामराव जाधव:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बुनियादी न्यूनतम सेवाओं की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम को रोक दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के स्थान पर कोई अन्य बुनियादी सेवा कार्यक्रम शुरू किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी):** (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं (बी एमएस) की पहचान की थी। ये सेवाएं थी: स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देख-भाल, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास,

शहरी सम्बद्धता, पोषाहार एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था कारगर बनाना।

(ग) से (ङ) बीएमएस कार्यक्रम को बनाने, बीएमएस के कुछ घटकों पर बेहतर ध्यान केन्द्रित करने और कार्यक्रम की बेहतर मानीटरिंग करने के उद्देश्य से बीएमएस का पुन: गठन किया गया है और इसको प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) का रूप दिया गया है? कार्यक्रम के लिए आबंटनों में पर्याप्त रूप से वृद्धि की गई है।

(च) पीएमजीवाई के घटक हैं: ग्रामीण पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास एवं पोषाहार। चालू वर्ष (2001-2002) से ग्रामीण विद्युतीकरण को पीएमजीवाई के अंतर्गत एक अतिरिक्त घटक के रूप में शामिल किया जा रहा है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना**

**5815. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
**श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:**

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई नीतिगत निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन उद्योगों को वित्तीय सहायता देने तथा ऋण और राजसहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रावधान किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) और (ख) देश में लघु उद्योगों, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन हेतु पहले ही नीतिगत उपाय मौजूद हैं और सरकार उनके हितों की पूर्ति पर लगातार जोर देती रहती है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लिए एकीकृत आधारिक संरचना विकास केन्द्रों (आई आई डी), ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई सी पी) और राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण कार्यक्रम (एन पी आर आई) जैसी योजनाओं द्वारा जोर दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने देश में लघु उद्योगों के उद्यमियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक योजनाएं बनाई हैं। ये योजनाएं लघु उद्योग इकाइयों के विस्तार, प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, विद्यमान इकाइयों के पुनर्वास और विपणन क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण जैसी कार्यवाहियों हेतु परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती है। यह सहायता प्रत्यक्ष सहायता और अप्रत्यक्ष सहायता की उपयुक्त योजनाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। (मुख्य ऋणदायी संस्थानों, बैंकों/राज्य वित्त निगमों और राज्य उद्योग विकास निगमों द्वारा लघु उद्योगों को ऋण का पुनर्वित्तयन (प्रधान मंत्री रोजगार योजना और मार्जिन मनी स्कीम के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त 30 अगस्त, 2000 को लघु उद्योगों के विकास हेतु व्यापक पालिसी पैकेज की घोषणा की गई है। क्रेडिट पक्ष में, पालिसी पैकेज क्रेडिट तक सरल पहुंच की स्वीकृति, 25 लाख रु. तक के कोलेटरल मुक्त मिश्रित ऋणों की उपलब्धता और प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु पूंजी राजसहायता प्रदान करेगा।

(ङ) और (च) भारत सरकार ने लघु उद्योग इकाइयों के पंजीकरण के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं और सभी योजनाएं स्वीकृत मानकों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाती हैं।

*[अनुवाद]*

**चेचक**

**5816. श्री किरीट सोमैया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल, 1997 में इन्टरनेशनल कमीशन फार असेसमेन्ट ऑफ स्माल पॉक्स इरेडिकेशन ने भारत को चेचक मुक्त देश घोषित किया था;

(ख) यदि हां, तो तब से चेचक के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों से हाल ही में चेचक के कुछ मामले प्रकाश में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा चेचक पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या अन्तर्राष्ट्रीय एजेंन्सी से इस संबंध में किसी नए प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) जी, हां।

(ख) से (छ) चेचक का भारत का अंतिम मामला 24 मई, 1975 को हुआ था। चूंकि तब से चेचक के किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है, इसलिए इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण से नए प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

**प्रधान मंत्री की ईरान यात्रा**

5817. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
**श्री टी. गोविन्दन:**
**श्री तिरूनावकरसू:**
**श्री सी. श्रीनिवासन:**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल की ईरान यात्रा के दौरान हमारे प्रधान मंत्री द्वारा वहां के नेताओं के साथ जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) इस अवसर पर कौन-कौन से समझौतों पर हस्ताक्षर किए गये; और

(घ) इस यात्रा के परिणामस्वरूप भारत-ईरान आर्थिक संबंधों को कितना बढ़ावा मिला है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू):** (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने 10-13 अप्रैल, 2001 तक ईरान की राजकीय यात्रा की। ईरान एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के घनिष्ठ ऐतिहासिक संबंध तथा सभ्यतामूलक और सांस्कृतिक समानताएं हैं। प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सहयोग से जुड़े मसलों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने परामर्शों को संवर्द्धित और गहन करने तथा आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मसलों पर समन्वय बढ़ाने की अपनी-अपनी वचनबद्धता की पुष्टि की।

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति खातमी ने व्यापार संबंधों, आर्थिक और तकनीकी सहयोग एवं सास्कृतिक संपर्कों को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया और भारत में ''ईरान सप्ताह'' तथा इसी प्रकार ईरान में ''भारत सप्ताह'' मनाने का निर्णय लिया। दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में शांति के संरक्षण, सुरक्षा और स्थायित्व के महत्व को स्वीकार किया और इस क्षेत्र में शांति और स्थायित्व के संरक्षण में सहयोग करने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की जिसमें उग्रवादी तत्वों, आतंकवाद और अवैध मादक पदार्थों का प्रवाह धड़ल्ले से चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपनी चर्चा में दोनों नेताओं ने देशों और सरकारों के बीच समानता पर बल दिया।

(ग) और (घ) प्रधानमंत्री और ईरान के राष्ट्रपति खातमी ने ''तेहरान घोषणा'' पर हस्ताक्षर किये जो दो राष्ट्रों और इस क्षेत्र तथा संपूर्ण विश्व के लाभ के लिए साझी चिंताओं/समान आकांक्षाओं और साझी संपूरकताओं पर आधारित सहयोग के स्वपन्न की अभिव्यक्ति है। इसके अतिरिक्त (1) व्यापार और आर्थिक सहयोग (2) सीमा शुल्क सहयोग से संबद्ध करार (3) सूचना प्रौद्योगिकी (4) ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग (5) बिजली के क्षेत्र में सहयोग (पारंपरिक और अपारंपरिक स्रोत) तथा (6) तकनीकी सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन भी संपन्न किये गये।

इस यात्रा के दौरान संपन्न किये गये करारों और समझौता ज्ञापनों से दोनों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संरचना की स्थापना होगी। भारत और ईरान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री ने आपसी सहमति, निबंधन और शर्तों पर विशेषकर ईरान की बुनियादी परियोजनाओं के लिए 200 मि. अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला उपलब्ध कराने की इच्छा व्यक्त की।

**अपराह्न 12.01 बजे**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

*[अनुवाद]*

**विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3633/2001]

(3) भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।)

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3634/2001]

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** मैं श्रीमती मेनका गांधी की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3635/2001]

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) संशोधन नियम, 2000 जो 12 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 51 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम, 2000 जो 17 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 212 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1998 जो 7 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 379 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन अवकाश) संशोधन नियम, 1960 जो 10 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 74 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) संशोधन नियम, 2000 जो 24 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 101 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी)) संशोधन नियम, 2000 जो 24 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 102 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3636/2001]

(2) (एक) कयॅर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कयॅर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कयॅर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1999-2000 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3637/2001]

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ए. राजा ):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट आफ आंकोलाजी, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट आफ आंकोलाजी, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट आफ आंकोलाजी, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3638/2001]

(3) (एक) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3639/2001]

(5) (एक) लाला राम सरूप इंस्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड एलाइड डिजीजेज, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लाला राम सरूप इंस्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड एलाइड डिजीजेज, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3640/2001]

(7) (एक) भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो)भारतीय चिकित्सा परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3641/2001]

(9) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3642/2001]

(11) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3643/2001]

(12) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26-क के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं को एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) सा.का.नि. 169 (अ) जो 12 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1983 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 578 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) सा.का. नि. 170 (अ) जो 12 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित कतिपय औषधियों के विनिर्माण, बिक्री और विवरण को 1 जनवरी, 2002 से मानव उपयोग के लिए निषिद्ध किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3644/2001]

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 210 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत "स्टेट इनोवेशन इन फेमिली प्लानिंग सर्विसेस प्रोजेक्ट एजेंसी, लखनऊ" को निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(दो) का.आ. 211 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत "नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पालिसी, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(तीन) का.आ. 213 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत "भारत भवन ट्रस्ट, मध्य प्रदेश" को निर्धारण वर्ष 1998-1999 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(चार) का.आ. 214 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत "नेशनल एसोशिएसन फॉर दी ब्लाइंड, कर्नाटक ब्रांच, बंगलौर" को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(पांच) का.आ. 215 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत "जवाहर लाल नेहरू मैमोरियल फंड, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(छः) का.आ. 216 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत "दि हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(सात) का.आ. 217 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत "इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(आठ) का.आ. 218 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत ''एक्जीबिशन सोसायटी, हैदराबाद'' को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(नौ) का.आ. 219 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत ''आगा खा रूरल सपोर्ट प्रोग्राम (इंडिया), नई दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 1997-1998 से 1999-2000 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(दस) का.आ. 220 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत ''स्माल फार्मर्स एग्री-बिजनेस, कंसोर्टियम, नई दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 1998-1999 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(ग्यारह) का.आ. 221 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत ''हिज होलीनेस दलाई लामा चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 1996-1997 से 1998-99 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(बारह) का.आ. 222 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत ''दि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नई दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 2000-01 से 2002-03 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(तेरह) का.आ. 223 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत ''इंडियन काउंसिल फोर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स, नई दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(चौदह) का.आ. 224 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत ''मोबाइल क्रेचिज फार वर्किंग मदरस चिल्ड्रन, नई दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(पन्द्रह) का.आ. 225 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत ''फोरम ऑफ फायनेंशियल राइटर्स, नई दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(सौलह) का.आ. 226 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत ''इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(सत्रह) का.आ. 227 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत ''श्री रामकृष्ण आश्रम, 24 परगना, पश्चिम बंगाल'' को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(अठारह) का.आ. 228 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत ''सेंटर फार सोशल रिसर्च, नई दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(उन्नीस) का.आ. 229 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत ''इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद, गुजरात'' को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(बीस) का.आ. 230 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत ''आर्य वैद्य शाला कोट्टाक्कल, केरल'' को निर्धारण वर्ष 2001-02 से 2003-2004 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(इक्कीस) का.आ. 231 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत ''इनलैण्ड वाटरवेज आथॉरिटी ऑफ इंडिया, नोएडा (उ.प्र.)'' को निर्धारण वर्ष 1998-1999 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(बाइस) का.आ. 232 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत ''सिविल सर्विसिज ऑफिसर्स, इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(तेइस) का.आ. 233 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत ''मैसूर रिसेटलमेंट एण्ड डेवलपमेंट एजेन्सी, बंगलौर'' को निर्धारण वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(चौबीस) का.आ. 234 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत ''ज्ञान प्रबोधिनी, पुणे'' को निर्धारण वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(पच्चीस) का.आ. 235 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत ''वेस्ट बंगाल काउंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर, कलकत्ता'' को निर्धारण वर्ष 2000-2001से 2002-2003 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(छब्बीस) का.आ. 237 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत ''महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि, पुणे'' को निर्धारण वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(सत्ताइस) का.आ. 239 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत ''नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, मुंबई'' को निर्धारण वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(अट्ठाइस) का.आ. 247 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत ''के.डी. मालवीय नेशनल ऑयल म्यूजियम, नई दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 2000-2001 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(उनतीस) का.आ. 248 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत ''श्री रामकृष्ण सत्यानन्द आश्रम, जिला 24 परगना, (उत्तर), पश्चिम बंगाल'' को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3645/2001]

(2) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता संव्यवहार) (संशोधन) नियम, 2000 जो 17 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 663(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 25 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 674 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 25 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 675 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएं) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 28 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 756 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000 जो 12 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 89 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपयों में उधार लेना और उधार देना) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 12 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 90 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 13 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 175 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2001 जो 19 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 103 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 14 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 182 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) विदेशी मुद्रा प्रबंध (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 21 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 199 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 21 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 200 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) विदेश मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 21 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 201(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 2 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 157 (अ) में प्रकाशित हुए थे

(चौदह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बारह निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 2 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 158 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता संव्यवहार) संशोधन) नियम, 2001 जो 30 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 301 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 3646/2001]

(3) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 45 के अंतर्गत जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2000 जो 1 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 530 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 3647/2001]

(4) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 860 (अ) जो 10 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 3 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या एफ.ई.एम.ए./16/आर.पी.-2000 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 3648/2001]

(5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 171 (अ) जो 12 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके

द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, ताकि डी.ई.ई.सी./डी. एफ.आर.सी./डी.ई.पी.बी. स्कीम के प्रचालन का ओखा और मुंदरा के पत्तनों और सिंधबाद के एलसीएस तक विस्तार किया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्पक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3649/2001]

(6) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 की उपधारा (2) (ग) के अंतर्गत जारी 13 मार्च, 2001 का आदेश संख्या एफ.सं. 212/52/98 आई.टी.ए II, जो उक्त अधिनियम की धारा 43 ख की आवश्यकता में छूट देने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 3650/2001]

(7) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन ओवरसीज बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, जो 28 अक्टूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई आर डी/184/132 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, जो 25 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 3930 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, जो 2 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3 (एच)/13.8.2000 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2000, जो 9 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओएसआर/17 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2000 जो 30 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओएसआर/16 में प्रकशित हुए थे।

(छः) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, जो 30 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3 (क)/13-8-2000 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, जो 30 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ. ओएसआर एंड आई आर: 27/108जी/2642 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सिंडीकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, जो 30 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4268/0089/पीडी/आईआरडी (ओ)/रेग 6 (2) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी ) सेवा (संशोधन) विनियम, 2000, जो 20 जवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी.आइआर:एसएच: 1174 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) पंजाब एंड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, जो 5 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डी.ए.सी./मिस./2001/2809 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई.आर.एस.: 124सी: 6479: एन.ए.के. में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) देना बैंक कर्मचारी पेंशन (संशोधन) विनियम, 2000, जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पेन/अमेंड/01/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(8) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 52 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं

की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सामान्य विनियम), 2000 जो 13 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या एल.डी. 63/लीगल में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र।

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी उपदान तथा अधिवर्षिता निधि विनियम, 2000 जो 16 फरवरी, 2001 के भारत में राजपत्र में अधिसूचना संख्या विज्ञा. 3/4/139/2000/एक्स्टी में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 3651/2001]

(9) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एस.बी.डी. सं. 12/2000 जो 23 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर/हैदराबाद/इंदौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/ट्रांवनकोर अधिकारी सेवा विनियम, 1979 के विनियम 38 में संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 3652/2001]

---

**अपराह्न 12.02 बजे**

## प्राक्कलन समिति

### छठा प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री महेश्वर सिंह** (मंडी): मैं संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)-''ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं'' संबंधी छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

**अपराह्न 12.02$^{1}/_{2}$ बजे**

## लोक लेखा समिति

### की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण

*[हिन्दी]*

**श्री नारायण दत्त तिवारी** (नैनीताल): उपाध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आगे की गई अनुवर्ती कार्यवाही और अध्याय पांच के संबंध में अन्तिम उत्तरों को दर्शाने वाले विवरण के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) ''संघ सरकार विनियोग लेखे (1994-95)-रक्षा सेवाएं'' के बारे में लोक लेखा समिति (बारहवीं लोक सभा) का सातवां प्रतिवेदन।

(2) ''संघ सरकार विनियोग लेखे (1994-95)-डाक सेवाएं'' के बारे में लोक लेखा समिति (बारहवीं लोक सभा) का पांचवां प्रतिवेदन।

---

**अपराह्न 12.03 बजे**

## वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

### छयालीसवां, सैंतालीसवां और अड़तालीसवां प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री पी.एस. गढ़वी** (कच्छ): महोदय, मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को सभा पटल पर रखता हूं:

(1) वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) की अनुदान मांगों (2001-2002) से संबंधित 46वां प्रतिवेदन।

(2) औद्योगिक नीति और पदोन्नति विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) की अनुदान मांगों (2001-2002) से संबंधित 47वां प्रतिवेदन।

(3) वस्त्र मंत्रालय की अनुदान मांगों (2001-2002) से संबंधित 48वां प्रतिवेदन।

---

**अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे**

## पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

### की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण

*[हिन्दी]*

**श्री पदमसेन चौधरी** (बहराइच): उपाध्यक्ष महोदय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग की अनुदानों की मांगों -

2001-2002 संबंधी छठे प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सातवें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरणों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

---

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आज की कार्य सूची में शामिल नियम 377 के अधीन मामले को सभा पटल पर रखा माना जाये।

**अपराह्न 12.04 बजे**

## नियम 377 के अधीन मामले*

### (एक) देश की जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता

*[अनुवाद]*

**श्री विजय गोयल** (चांदनी चौक): हमारे देश की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है। इस जनसंख्या वृद्धि के प्रति सर्वत्र चिन्ता प्रकट की गयी है। हमें इस संबंध में बहुत गंभीर हो जाना चाहिए और छोटे परिवार अपनाने के लिए उपाय करना अथवा प्रोत्साहन देना चाहिए।

मुसलमान परिवारों को छोटे परिवारों की आवश्यकता के बारे में पहले ही आश्वस्त करा दिया गया है और उन्होंने इस ओर प्रयास करना शुरू कर दिया है।

### (दो) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच से उसेदघाट में चम्बल नदी पर एक पुल निर्माण के लिए मध्य प्रदेश की सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

*[हिन्दी]*

**श्री अशोक अर्गल** (मुरैना): उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच चम्बल नदी के उसेदघाट पर पुल का शिलान्यास तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व. श्री राजीव गांधी द्वारा किया गया था, परन्तु आज दिनांक तक पुल का कार्य शुरू नहीं हुआ है। यदि उसेदघाट पर पुल का निर्माण होता है, तो फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश और मुरेना, मध्य प्रदेश के बीच यातायात चालू हो जाएगा और लाखों नागरिकों को इससे सुविधा होगी। वर्तमान में वहां पीपों का पुल बना हुआ है जो बारिश में खोल दिया जाता है जिस पर प्रतिवर्ष लाखों रुपया खर्च होता है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि चम्बल नदी के उसेदघाट पर पुल निर्माण हेतु पहल करने का कष्ट करें अथवा इसके लिए राज्य सरकार को आवश्यक धन निर्गत करें।

### (तीन) बिहार में नवादा, गया और औरंगाबाद में विकास केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

**डा. संजय पासवान** (नवादा): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार प्रदेश के पुनर्गठन के बाद से शेष बचे बिहार में नाम मात्र का उद्योग रह गया है जबकि इन तमाम क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योगों एवं खाद्य प्रसंस्करण संबंधी उद्योगों की असीम संभावना है। मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रालय से आग्रह करना चाहूंगा कि झारखंड प्रदेश से सटे सीमा पर अवस्थित कौवाकोल, गोविन्दपुर, रजौली, नवादा, फतेहपुर, गया, औरंगाबाद तथा डिहरी ऑन सोन जैसे स्थानों को चिन्हित करके उद्योग धन्धों का जाल बिछाया जाना चाहिए एवं इन स्थानों पर भारत सरकार के वर्तमान नीति के अनुसार तीन "ग्रोथ सैन्टर" यथा नवादा, गया एवं औरंगाबाद में अविलम्ब स्थापित किया जाना चाहिए।

### (चार) राजस्थान में अजमेर को वायु मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता

**प्रो. रासा सिंह रावत** (अजमेर): महोदय, अजमेर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक एवं साम्प्रदायिक सौहाद्रता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। इस अजमेर नगरी में स्थित प्रसिद्ध सूफी संत हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकीदत के फूल चढ़ाने के लिए देश-विदेश के लाखों श्रद्धालु प्रति वर्ष अजमेर आते हैं। इसी प्रकार अजमेर के पास ही स्थित सुप्रसिद्ध तीर्थस्थली पुष्कर जो तीर्थगुरू के नाम से विख्यात है, में भी देश-विदेश के लाखों यात्री आते हैं। अजमेर रेल और सड़क मार्ग से तो देश के प्रमुख स्थलों से जुड़ा हुआ है परन्तु वायु सेवाओं से नहीं जुड़ा होने के कारण आने वाले पर्यटक यात्रियों को पहले दिल्ली और फिर वायुयान से जयपुर उतर कर सड़क मार्ग से अजमेर आना पड़ता है।

अजमेर में आने वाले अनेक महामहिम राष्ट्रपतियों एवं प्रधान मंत्रियों ने भी अजमेर में हवाई अड्डे की आवश्यकता अनुभव करते हुए अजमेर में हवाई अड्डा बनाने एवं वायु सेवा से जोड़ने का अनेक बार आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आवश्यक सर्वेक्षण करवा कर इसके लिए निर्धारित स्थान का चयन भी कर लिया है। राजस्थान की वर्तमान तथा पूर्ववर्ती सरकारों ने भी भारत सरकार से अजमेर में हवाई अड्डे की स्थापना और इसे वायु सेवाओं से जोड़ने का आग्रह किया है।

*सभा पटल पर रखे गये।

[प्रो. रासा सिंह रावत]

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि अजमेर में हवाई अड्डे की स्थापना को योजना में सम्मिलित कर शीघ्र ही हवाई अड्डे का निर्माण कराया जाए तथा इसे देश के हवाई मानचित्र पर अंकित करने के लिए वायु सेवाओं से जोड़ा जाए।

**(पांच) उड़ीसा के बारबिल में कलिंगा आयरन वर्क्स को अर्थक्षम बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री अनंत नायक** (क्योंझर): कलिंग आयरन अर्क्स, बारबिल जिसे एक महत्वपूर्ण संयंत्र माना जाता था और जिसने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले लोहे का उत्पादन करने की ख्याति प्राप्त की थी इस समय गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। चूंकि यह संयंत्र बंद होने की कगार पर है इसलिए इस संयंत्र में कार्यरत लगभग तेईस सौ कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन और मजदूरी नहीं मिल रही। जब तक संयंत्र के प्रबंधन का पुनरुद्धार नहीं किया जाता और संयंत्र को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। इस संयंत्र को किसी भी दिन बंद घोषित किया जा सकता है। इससे गरीब मजदूरों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा क्योंकि उनमें से अधिकांश मजदूर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य दलित समुदायों के हैं।

इसे ध्यान में रखते हुए, मैं केन्द्र सरकार से यह आग्रह करूंगा कि संयंत्र को अनिश्चय की दशा में पहुंचाने वाले कारकों का पता लगाया जाये और बिना कोई समय गंवाये बारबिल में कलिंग आयरन वर्क्स के कार्यकरण का पुनरुद्धार करने के लिए कदम उठाये जाएं।

**(छः) विश्व बैंक की सहायता से मध्य प्रदेश में शुरू की जा रही स्वास्थ्य परियोजनाओं को लागू किए जाने की समीक्षा की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश को जिस प्रकार मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं एवं विशिष्ट संक्रामक व अन्य रोगों के निवारण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, उनका पूर्णत: उपयोग हो, इस दृष्टि से आवश्यक है कि इनकी पूर्णत: जैसे परिवार कल्याण कार्यक्रम, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन, मलेरिया नियंत्रण व अंधत्व निवारण आदि हैं, इनकी सामयिक निगरानी या जांच अथवा समीक्षा आवश्यक है, क्योंकि उक्त कार्यक्रमों में विश्व बैंक का भी सहयोग है तथा ऐसे कार्यक्रम, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुछ जिलों तक सीमित हैं, उन्हें अन्यान्य जिलों में भी, यथा मंदसौर, नीमच, रतलाम व उज्जैन आदि में लागू किया जाये, ताकि प्रदेश के अन्य जिलों में जो वर्तमान में केन्द्रीय व विश्व बैंक की सहायता से वंचित हैं, लाभ प्राप्त कर सकें व राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में सहभागी हो सकें।

अत: मेरा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश को पूर्णत: केन्द्रीय व वैश्विक स्वास्थ्य योजना का लाभ देने हेतु मध्य प्रदेश द्वारा किये गये अनुरोध को स्वीकार करें, जिससे कि मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, रतलाम व उज्जैन आदि भी लाभान्वित हो सकें।

**(सात) कर्नाटक में होलेनारासिपुरा तालुक में पेयजल की गंभीर समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा** (हसन): संपूर्ण होलेनारासीपुरा तालुक पेयजल के गंभीर संकट का सामना कर रहा है। इस तालुक के 50 प्रतिशत से भी ज्यादा गांवों को पेयजल नहीं मिल पा रहा है। औरतों को कई किलोमीटर जाकर पानी लाना पड़ता है। होलनरसीपुरा तालुक के कुछ गांवों में बोरवेल लगे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से 75% से भी अधिक बोरवेल खराब पड़े हैं। अधिकांश गांवों में लोगों की यही दयनीय दशा है। इस संबंध में, हमने केन्द्र सरकार को कई अभ्यावेदन दिए हैं। नेत्रावाठी के जल का उपयोग पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है। बड़ी मात्रा में इसका जल कावेरी नदी में चला जाता है जो अंतत: सागर में मिल जाती है। इसका प्रवाह होलनरसीपुरा की ओर मोड़ कर जल की इस बर्बादी को रोका जा सकता है। इस क्षेत्र की ऊंचाई लगभग 150 फुट है और इसलिए पानी का प्रवाह इस ओर मोड़ना कोई समस्या नहीं होगी। वस्तुत: इस प्रकार की व्यवस्था हमारे राज्य के कुछ जिलों में की गयी है।

अत: मैं संबंधित माननीय केन्द्रीय मंत्री महोदय से इस महत्वपूर्ण मामले की जांच करने और होलनरसीपुरा के संपूर्ण क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त धन जारी करने का आग्रह करता हूं।

**(आठ) निराश्रित और विकलांग व्यक्तियों के लिए अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरित किए जाने की आवश्यकता**

**श्री आर.एस. पाटिल** (बागलकोट): पिछले वर्ष, भारत सरकार ने उन लोगों को 10 किलोग्राम चावल देने के लिए जोर-शोर से

'अन्नपूर्णा योजना' शुरू करने की घोषणा की थी जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अधीन नहीं आ पाए हैं। एक वर्ष पूर्व, अर्थात् 1.4.2000 को इस योजना को प्रारंभ करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने आपको गौरवान्वित महसूस किया था।

'अन्नपूर्णा योजना' की इस पूरी योजना की विडम्बना यह है कि अधिकांश राज्यों में लाभार्थियों की पहचान तक नहीं की गई है। यदि जिला प्रशासन यह कहता है कि वह इस योजना के अन्तर्गत लोगों की पहचान नहीं कर सकता, क्योंकि उसका काम तो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लोगों की पहचान करके उन्हें पेंशन उपलब्ध कराना है तो उसे इसके लिए जिम्मेदार समझा जाना चाहिए। जाहिर है कि यह एक लोकप्रिय योजना लगती है, किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि अंततः यह योजना स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जायेगी।

अतएव, मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से 'अन्नपूर्णा योजना' के तहत निराश्रित और विकलांग व्यक्तियों को खाद्यान्न वितरित करने के लिए तुरंत निर्णय लेने का आग्रह करता हूं।

**(नौ) कर्नाटक में बीदर और गुलबर्गा के बीच नई रेल लाइन को शीघ्र पूरा करने के लिए धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता**

**श्री इकबाल अहमद सरडगी** (गुलबर्गा): कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में बीदर और गुलबर्गा के बीच एक नई रेल लाइन का प्रस्ताव किया था। इसका स्थल-सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका था, और रेल मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी। इस मार्ग का निर्माण करने में लगभग 50 लाख रु. भी खर्च हुए थे। कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में 3.2.2000 को भारत सरकार को एक पत्र भेजा था। गुलबर्गा जिले में इस रेल लाइन की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि वहां अनेक तकनीकी महाविद्यालय हैं और कई उद्योग भी लगे हुए हैं। कर्नाटक सरकार ने इस लाइन का निर्माण करने के लिए 2000-01 और 2001-02 के रेल-बजट में धनराशि उपलब्ध कराने का रेल मंत्रालय से अनुरोध किया था। लेकिन रेल विभाग ने इस पर विचार नहीं किया है। इस परियोजना पर कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है, लेकिन धनराशि के अभाव में इस लाइन का काम पूरा ही नहीं हो रहा है।

अतएव, मैं सरकार से इस रेल लाइन का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण कराने के लिए इस पर विचार करने तथा बजट में तत्संबंधी प्रावधान करने का अनुरोध करता हूं।

**(दस) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए कर्नाटक सरकार को धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता**

**श्री जी.एस. बसवराज** (तुमकुर): कर्नाटक सरकार (1) इंदिरानगर, बंगलौर; (2) संपनग्रामनगर, बंगलौर; (3) मैसूर; (4) धारवाड़ और (5) गुलबर्गा स्थानों पर पांच परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र संचालित कर रही है। इन सारे केन्द्रों में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को रोजगार के लिए विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जबकि इंदिरानगर, बंगलौर स्थित केन्द्र में केवल उन अभ्यर्थियों को ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं में बैठते हैं, अन्य केन्द्रों में विभिन्न भर्ती प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

कर्नाटक सरकार ने इन केन्द्रों को संचालित करने और अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 2000-01 के बजट में 125 लाख रु. की राशि निर्धारित की है। भारत सरकार से प्राप्य अनुदान सहायता राशि का 2000 के लिए आकलन करने पर कुल प्राप्य धनराशि 18,74,025 रु. बनती है। अनेक बार स्मरण कराए जाने पर भी, भारत सरकार ने अभी तक इस धनराशि को जारी नहीं किया है।

अतएव, मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह कृपया इस धनराशि को जारी करे, जिसकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लाभार्थ इन केन्द्रों के संचालन हेतु आवश्यकता है।

**(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अवंतिकापुरी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई किए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**डा. बलिराम** (लालगंज): मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में स्थित रानी की सराय विकास खण्ड के गांव आंवक (अवन्तिकापुरी) की ओर दिलाना चाहता हूं, जहां पुरातत्व विभाग द्वारा जून 2000 में खुदाई के दौरान 10वीं व 11वीं शताब्दी में प्रचलित बताए जाने वाले चांदी के सिक्के और गुप्तकाल के दौरान भवन निर्माण में प्रयोग की गई ईंटे प्राप्त हो चुकी हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्व विदों के मतानुसार टीले के दर नव-निर्मित मंदिर के नीचे गुप्तकालीन भव्य एवम् विशाल मंदिर का ढांचा दबा हुआ है। मंदिर के सामने जनमेजय के नाम

[डा. बलिराम]

यज्ञ कुण्ड के रूप में प्रसिद्ध विशाल जलाशय की दीवारों में प्रयुक्त ईंटों के आधार पर इसे कुषाण-काल का बताया। मंदिर से 35 मीटर उत्तर एक दीवार मिली जो दो मीटर चौड़ी है। इसे भी कुषाण काल का बताया। 6-7 स्प्रिंकलर के टुकड़े एवम् कुषाण काल की मिट्टी की एक मुहर मिली जो राजभवन होने का संकेत देते हैं। आंवक में सिरसाल में स्थित कोटिया नामक दो स्थल हैं जो किसी काल में यहां किसी शासक का किला होने का परिचायक है। दोनों का निर्माण-काल एक ही है।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आजमगढ़ जनपद में रानी की सराय विकास खंड के आंवक गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा उत्खनन करवाने व पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कराने व अवन्तिकापुरी नाम रखने की तत्काल व्यवस्था करें।

**(बारह) उड़ीसा के साथ महानदी के जल में हिस्सेदारी करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को सलाह दिए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री भर्तृहरि महताब** (कटक): हाल में महानदी बेसिन क्षेत्र में गंभीर जल संकट उत्पन्न हुआ है। उड़ीसा सरकार ने जुलाई, 2000 में जल संसाधन मंत्रालय से अनुरोध किया था कि गैर मानसून अवधि के दौरान सिंचाई और विद्युत उत्पादन हेतु उड़ीसा को कुछ जल देने हेतु मध्य प्रदेश सरकार को दिशा-निर्देश जारी करे। यह स्वीकृत तथ्य है कि तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महानदी के ऊपरी अपबह क्षेत्र में 30 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनायें तथा 10 बैराज पहले ही निर्मित किये जा चुके हैं जिससे हीराकुंड जलभंडार क्षेत्र में पानी का प्रवाह बाधित हो गया। इसके अलावा 4 और मध्यम सिंचाई परियोजनायें निर्माणाधीन थीं और उनमें बांधों तथा एक बैराज के निर्माण का प्रस्ताव था।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उड़ीसा सरकार की सलाह मशविरा के बगैर बांधों और बैराज का निर्माण न करने हेतु और महानदी जल के बंटवारे संबंधी समझौते के लिए कार्य करने का छत्तीसगढ़ सरकार पर जोर डाले।

चूंकि महानदी जल के बंटवारे पर सलाह देने हेतु कोई अन्तरराज्यीय समझौता बोर्ड नहीं है, मैं सरकार से मामले पर विचार करने और गर्मी के मौसम के दौरान उड़ीसा को महानदी जल दिलाने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दे:

**(तेरह) सिक्किम को वायु मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता**

**श्री भीम दाहाल** (सिक्किम): सिक्किम का तेजी से एक पर्यटक स्थल के रूप में विकास हो रहा है। यहां भारत की सबसे ऊंची चोटियां और बड़ी-बड़ी पर्वत मालाएं, झीलें, फूल-पत्तियां, ट्रेकिंग मार्ग और महायान बौध धर्म के प्रमुख केन्द्र हैं।

यह सीमावर्ती राज्य है और नाथुला दर्रे से कोई भी चीन का सिंहावलोकन कर सकता है। भारत सरकार ने घरेलू पर्यटकों को उन स्थलों को देखने जाने की अनुमति देकर बड़ी कृपा की है जो पहले प्रतिबंधित थे। अब वे भारत-चीन सीमा तक जा सकते हैं।

लेकिन हवाई सेवा का न होना राज्य के लिए बहुत बड़ी बाधा है। अत: जब तक हवाई पट्टी तैयार नहीं हो जाती है तब तक पर्याप्त केन्द्रीय सहायता युक्त एक 15-16 सीटों वाली हेलीकॉप्टर सेवा राज्य को मुहैया करायी जाये।

**(चौदह) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए बनाए गए कानूनों को कड़ाई से लागू किए जाने की आवश्यकता**

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर): सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को विशेष संघटक योजना टी.एस.पी. तैयार करनी चाहिये और जनसंख्या के अनुपात में धन आवंटन सुनिश्चित करना चाहिये।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पद केवल उस समुदाय के उम्मीदवारों द्वारा ही भरे जाने चाहिये। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार न मिलने पर इन पदों/रिक्तियों को दोनों समुदायों के लोगों से पारस्परिक रूप से भरा जाना चाहिये।

पांच वर्ष के अन्दर-अन्दर सभी बेघरों को शामिल करने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को शामिल करने/बाहर करने के सभी मामलों से संबंधित एक व्यापक विधेयक तुरन्त लाया जाना चाहिये।

पी.सी.आर. अधिनियम का क्रियान्वयन और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों (पी.ओ.ए.) अधिनियम को और कठोर बनाया जाना चाहिये तथा इनके क्रियान्वयन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिये।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाये और इसे मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाये।

अनुरोध है कि इस संबंध में तुरन्त आवश्यक कार्रवाई की जाये।

---

**अपराह्न 12.05 बजे**

## सभा के कार्य के बारे में घोषणा

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि वित्त विधेयक, 2001 सभा की कार्यसूची में विचारार्थ और पारित किये जाने के लिये सूचीबद्ध है। इस चर्चा में अधिक सदस्यों की भागीदारी हेतु मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज शून्यकाल केवल 12.30 बजे तक हो। सभा वित्त विधेयक, 2001 पर अपराह्न 12 बजकर 30 मिनट से चर्चा करे और आज भोजनावकाश भी न हो। मुझे उम्मीद है कि सभा इस पर सहमत होगी।

**अनेक माननीय सदस्य** : हां, महोदय।

---

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले** (मुंबई दक्षिण मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, आज महाराष्ट्र बंद है। मैंने इस बारे में एक नोटिस भी दिया है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने श्री गीते को बोलने का अवसर दिया है।

*[हिन्दी]*

**श्री कांतिलाल भूरिया** (झाबुआ): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया हुआ है।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री भूरिया, मैंने आपको कह दिया है कि आपको बोलने का मौका मिलेगा।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** (रत्नागिरि): उपाध्यक्ष जी, महाराष्ट्र सरकार द्वारा मजदूरों के विरोध में जो नीतियां चलाई जा रही हैं, उसके खिलाफ आज महाराष्ट्र में सर्वदलीय बंद का ऐलान हुआ है। इस समय सारा महाराष्ट्र बंद है। रेलवे बंद है, एअरलाइन्स बंद है, बसें बंद हैं, दुकानें बंद हैं। आज महाराष्ट्र सरकार की गलत नीतियों के कारण उद्योग बंद होते जा रहे हैं। कई उद्योग तो महाराष्ट्र से बाहर पलायन कर रहे हैं। इससे सबसे बड़ा खतरा मजदूरों के लिये पैदा हो गया है। पहले यदि किसी उद्योगपति को या औद्योगिक घराने को अपना कारखाना बंद करवाना होता था और उसमें 100 से ज्यादा मजदूर कार्यरत होते थे तो सरकार की परमिशन के बगैर वह कारखाना बंद नहीं कर सकता था लेकिन आज महाराष्ट्र सरकार ने इस कानून में अमेंडमेंट कर दिया है। जिस उद्योग में 300 से अधिक कामगार काम कर रहे हों तो परमिशन की आवश्यकता है और यदि 300 से कम मजदूर काम कर रहे हैं तो उद्योगपति को सरकार की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय से पूरा उद्योग जगत और मजदूर वर्ग खतरे में आ गया है। इस नियम के खिलाफ महाराष्ट्र में सर्वदलीय बंद का आयोजन किया गया है। आज सारे देश में मजदूर विरोधी नीतियां बनाई जा रही हैं। इससे सारे मजदूर देश भर में अपने आपको असुरक्षित मान रहे हैं। मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिये भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि वे इस सदन में मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये बयान दें। मैं यह मांग इस सदन के अंदर कर रहा हूं।

**श्री मोहन रावले** : उपाध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बयान दें *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री रावले, मैं माननीय प्रधान मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता।

अब, श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने श्री दासमुंशी को पुकारा है।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं आपको एक-एक करके बोलने की अनुमति दूंगा।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष जी, आपने क्वश्चन आवर में कहा था कि मुझे जीरो आवर में बोलने के लिए चांस देंगे...*(व्यवधान)* यह बहुत इम्पार्टेंट मैटर है।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री पप्पू यादव, आपको बोलने का अवसर मिलेगा। मैं सभी माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति कैसे दे सकता हूं?

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री पप्पू यादव, आपको मौका मिलेगा। आप शांतिपूर्वक बैठें और कार्यवाही देखें।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या अन्य सभी चीजें बिना महत्व की हैं?

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री पप्पू यादव, मैं आपका यहां ऐसा आचरण नहीं चलने दूंगा। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री मोहन रावले, आप भी सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं।

*[हिन्दी]*

आप बार-बार उठकर खड़े हो जाते हैं, क्या दूसरे को चांस नहीं देंगे?

**अपराह्न 12.09 बजे**

## सेवा संबंधी मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हितों को प्रभावित करने वाले कार्मिक विभाग के कतिपय परिपत्रों को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में

*[अनुवाद]*

**श्री सुशील कुमार शिंदे** (शोलापुर): महोदय, मैंने श्री दासमुंसी से अनुरोध किया है *...(व्यवधान)* मुझे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मुद्दों के बारे में बोलने का अवसर मिलना चाहिए...*(व्यवधान)*

**उपाध्याक्ष महोदय:** मैंने श्री शिंदे को बोलने का मौका दिया है।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

*[हिन्दी]*

**श्री सुशील कुमार शिंदे:** माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपका और प्रधान मंत्री जी का बहुत आभारी हूं। इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थिति हैं, मैं आभार प्रदिर्शत करता हूं, क्योंकि यह विषय शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए प्रोमोशन और जो उनका जनरल इम्पलॉयमैंट था, उससे संबंधित था, उसके बारे में पहले हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने जैसे एक बार उनका इम्पलायमैंट का इश्यू लिया था और बैंकलांग पूरा करने का स्पेशल ड्राइव शुरू किया था, वैसे ही इन्होंने भी करने का तय किया था। इस बारे में नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्म और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की कांफ्रेन्स हुई और तभी आश्वासन दिया गया था। हम कभी वैल में जाने वाले नहीं है। जो हमारी गोल्डन जुबली हुई थी तब हमने इतना कहा था कि हम वैल में नहीं जाएंगे। लेकिन इस विषय पर इतना ज्यादा उत्तेजित थे कि पूरे देश में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो सर्विस मैन हैं, उन पर जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसके लिए दोनों तरफ के सब लोग भारतीय जनता पार्टी तथा सभी पार्टियों के लोग वैल में गये थे। हमारे शेडयूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो भाई बहन हैं, उनकी नौकरी के लिए हमने यहां प्रधानमंत्री जी को आश्वासन देने के लिए कहा और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, हम उनके आभारी हैं। उन्होंने कहा था कि जो डिपार्टमैंट ऑफ पर्सोनल में जो तीन-चार ओ.एम. निकले थे। उसमें से एक पर उन्होंने अच्छा प्रयास किया, हम उनका आभार प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो तीन बाकी है, उसमें कितनी देर लगाओगे, कितनी देर लगाओगे। तीन-तीन, छ:छ:, आठ-आठ महीने हो गये, एक बार कैबिनेट का निर्णय हो गया, फिर भी इनके आर्डर नहीं निकलते हैं। हम इतना ही कहेंगे कि प्रधान मंत्री जी की इच्छा है। हम इस बात के लिए उन पर कोई दोष नहीं लगाना चाहते। उनका दिल चाहता है कि वे दलितों की मदद करें। मैं तो चाहता हूं कि एक बात आप कहते हैं तो दो-दो, तीन-तीन बार कर दे फिर हमें विश्वास होगा कि प्रधान मंत्री और सरकार के दिल में भारतवर्ष के दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के बारे में एक नीति है, जो पिछड़े हैं उन्हें प्राधान्य दे दें। लेकिन उपाध्यक्ष जी जो बाते होतीं हैं क्या करें, प्रधान मंत्री

जी भी कहते हैं, लेकिन डिपार्टमैंट में क्या होता है, हमे पता नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा मैं आप पर ज्यादा टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, हम इंटरेस्टिड हैं कि हमारे लोगों को न्याय और उचित काम मिले। हम प्रधान मंत्री जी आपसे विनती करते हैं कि आज आप आश्वासित करें और हमें यह बतायें कि ओ.एम. के ऑर्डर्स कब निकलेंगे और इस देश में हमारे दलितों पर सर्विसेज में जो अन्याय हो रहा है, उन्हे न्याय देने का काम आप करेंगे, मैं आपसे इतनी ही विनती करना चाहता हूं। धन्यवाद।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री प्रवीण राष्ट्रपाल, श्री माणिकराव गावित, श्री रामदास आठवले और के.एच. मुनियप्पा को इसी विषय पर सूचना दी गई है। मैं. उन्हें इस मुद्दे से सम्बद्ध होने की अनुमति देता हूं।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** हां, मैंने उन्हें इस मुद्दे से सम्बद्ध होने की अनुमति प्रदान की है।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया अपनी सीट पर बैठिए। माननीय मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हैं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर): प्रदान मंत्री जो ओ. एम. विदड्रा करो। *...(व्यवधान)*

**प्रधान मंत्री ( श्री अटल बिहारी वाजपेयी ):** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिन्दे जी ने जो सवाल उठाया है वह बड़ा महत्पवूर्ण है। सरकार में और प्रतिपक्ष में उसके बारे में कोई मतभेद नहीं है। हम चाहते हैं कि परिगणित जातियों और परिगणित जनजातियों की स्थिति में सुधार हो। सेवाओं में उनके साथ पूरा न्याय हो और न्याय का अर्थ यह है कि अभी तक जो अन्याय हुआ है या अभी तक जो उपेक्षा हुई है उसका परिमार्जन करने का रास्ता भी निकाला जाए, इसीलिए नीतियां बनी हैं। लेकिन उन नीतियों को चुनौती दी जाती है, मामले अदालत में जाते हैं। सदन को स्मरण होगा कि सरकार दो बार संविधान संशोधन विधेयक ला चुकी है, और वह सर्वसम्मति से पास हुआ था क्योंकि इस पर कोई मतभेद नहीं है। तीसरा जो मुद्दा आपने उठाया है, जो सवाल अभी बाकी है, नौकरियों से संबंधित है, वह सरकार के सामने विचाराधीन है।



मगर कठिनाई उसमें यह पैदा हो रही है कि मामाल अदालत में भी है, कांस्टीट्यूशन बैन्च के सामने भी है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वहां से अनुकूल फैसला हो। सरकार वचनबद्ध है। हम तो संसद के इस बजट सत्र के पहले ही इस तरह का विधेयक लाना चाहते थे, लेकिन हम फिर से प्रयास कर रहे हैं और आपका समर्थन उसमें आवश्यक है। *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले** (मुम्बई दक्षिण मध्य): महाराष्ट्र सरकार द्वारा मजदूर विरोधी नीति अपनाई जा रही है। *...(व्यवधान)* मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रधान मंत्री बैठे हैं, मुझे उनसे जवाब चाहिए।*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं माननीय प्रधान मंत्री जी हर किसी मामले पर जवाब देने हेतु खड़ा होने के लिये बाध्य नहीं कर सकता।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लगातार पांच दिनों से बिहार के सवाल पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं बिहार इस देश का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। कल भी छ: दलितों की हत्या सासाराम जिले में कर दी गई। आज से पांच दिन पहले जंगलटोला में अति-पिछड़े और दलितों के 213 घर जला दिए गए और एक बच्चे को आग में फेंक दिया गया। वर्तमान अपराधी जो बिहार में पल रहे हैं, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संपूर्ण अपराधी बिहार सरकार की छत्रछाया में पल रहे हैं। जो हालात बिहार के हैं, पंचायत चुनाव जब से शुरू हुए हैं और अभी तीन चरण पंचायत चुनावों के बाकी हैं, 200 से ऊपर हत्याएं हो गई हैं। और कितनी हत्याएं होंगी, यह कहना मुश्किल है लेकिन संपूर्ण बिहार में कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में दहशत का वातावरण न हो, गोलियां न चल रही हो, जाति और मजहब के बीच में झगड़े न हुए हों, उन्माद न फैलाया जा रहो हो - सिर्फ अपराधियों द्वारा ही नहीं, सरकारी तन्त्र के द्वारा भी और सरकार के वर्कर्स द्वारा भी, सरकार के मंत्रियों और विधायकों द्वारा भी खुलेआम बंदूक और राइफल से गोलियां चलाई जा रही हैं और प्रत्याशियों पर गोली चलाकर उनको कत्ल किया जा रहा है। एक मंत्री को इलैक्शन कमीशन द्वारा वहां से जो रोका गया लेकिन वे मंत्री वहां जाने से बाज में नहीं आए और उल्टे वहां जाकर मंत्री ने राइफल से गोली चलाकर हत्या की। परिस्थिति इतनी विस्फोटक है कि वहां कोई भी जन-प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है और मै बता नहीं सकता कि वहां क्या परिस्थिति है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, मैंने श्री पप्पू यादव को बोलने का अवसर दिया है। कृपया उनके बोलने में व्यवधान न डाले।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:** मैं भारत सरकार से जांच की मांग करता हूं । प्रमोद महाजन भी यहां बैठे हैं। मैं उनसे बोल-बोलकर थक गया हूं। गृह मंत्री जी से मैं बार-बार कह रहा हूं।...(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप भारत सरकार से क्या चाहते हैं वह बताइए।

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:** सदन बिहार की रक्षा करे और बिहार सरकार के द्वारा रिपोर्ट मंगाए। वह सही रिपोर्ट तो नहीं देगी इसलिए यहां से या तो एक संसदीय समिति या भारत सरकार के मंत्रालय की कोई समिति वहां भेजी जाए और वहां के सम्पूर्ण हालात से भारत सरकार को अवगत कराया जाये और सरकार कोई कठोर निर्णय ले। वहां एक भी जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, उनकी सुरक्षा छीन ली जाती है, जो राजनैतिक विरोधी लोग हैं उनको कत्ल करने की धमकी दी जाती है। अनवरूल हक की हत्या की साजिश की गई, सुशील मोदी को मरवाने की साजिश की गई, शहाबुद्दीन को मरवाने की साजिश की गई ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री पप्पू यादव, आपने इस मामले को उठाया है। अब आप अपनी सीट पर बैठे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**उपाध्यक्ष महोदय:** पप्पू यादव जी, आप भारत सरकार से जो आग्रह करना चाहते थे वह आपने कर दिया।

...(व्यवधान)

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, जंगलडोल में इतने घर जला दिए, एम.पी. और एम.एल.ए. को धमकाया जा रहा है।...(व्यवधान)



[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री पप्पू यादव, मैंने आपको बोलने का अवसर दिया है लेकिन आपको अध्यक्षपीठ की आज्ञा का पालन करना होगा मैंने आपको मौका दिया है।

[हिन्दी]

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार की समस्या के बारे में बोल रहा हूं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय:** मुझे आपके आचरण पर गंभीरता से नजर रखनी होगी। आप पहले इस मुद्दे को उठा चुके हैं इस तरह व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय:** संपूर्ण सदन की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों में रुचि है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने आपको फ्लोर दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि आप चेयर को आनर न करें। यह शून्य काल है।

...(व्यवधान)

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन बिहार के लोगों की सुरक्षा कैसे होगी, उसके लिए संसद की एक कमेटी बना दी जाए। यहां श्री प्रमोद महाजन जी बैठे हैं। आपके माध्यम से मेरा उनसे आग्रह है कि इसके लिए कमेटी बनाने की घोषणा संसद में करें।...(व्यवधान)

**कुंवर अखिलेश सिंह** (महाराजगंज, उ.प्र.) : मान्यवर पूरे देश का किसान मर रहा है। हम उनके सवाल को यहां उठाने के लिए रोजाना नोटिस देते हैं, लेकिन हमें समय नहीं दिया जाता है। जब किसान का मुद्दा आता है, हमें उसे उठाने का अवसर नहीं दिया जाता। यदि ऐसा ही चलेगा, तो फिर हम यहां किस लिए चुनकर आए हैं। हमें किसानों ने चुनकर लोक सभा में भेजा है। हम उनकी बात उठाना चाहते हैं और औप हमें समय नहीं देंगे, तो काम कैसे चलेगा।

मान्वयर, गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। धान की खरीद नहीं की। खाद, डीजल और मिट्टी के तेल के दाम बढ़ा दिया। गेहूं का समर्थन मूल्य सरकार ने तय किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में खरीद नहीं की जा रही है। हम अपनी बात कहे बगैर नहीं बैठेंगे भले ही आप हमें सदन से बाहर निकाल दीजिए। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

*...(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.22 बजे**

*[हिन्दी]*

*(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मुझे इस तरह बाध्य नहीं करें।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** क्या आपके द्वारा मामले को उठाये जाने का यही तरीका है। यदि आप इस तरह व्यवहार करेंगे तो मै बोलने का अवसर प्रदान नहीं करूंगा।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया मेरी बात सुनें मैंने श्री प्रियरंजन दासमुंशी को पुकारा है?

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : एक क्षण के लिए देखिए। मैंने श्री सुशील कुमार शिंदे को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले पर बोलने के लिए बुलाया। मैंने उन्हें मौका दिया था। उनके बाद मैं आपको मौका दूंगा।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या आप यह मामला उठाना चाहते हैं?



*[हिन्दी]*

**कुंवर अखिलेश सिंह** : हम किसानों की बात सदन में उठाना चाहते हैं।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री पप्पू यादव मैंने आपको मौका दिया है।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : ठीक है उन्होंने जो भी कहा है वे उस पर प्रतिक्रिया करना चाहते हैं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कुंवर अखिलेश सिंह जी, मैंने आपसे कहा है कि आपको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन आपसे पहले मैंने श्री प्रियरंजन दासमुंशी को बोलने के लिए कह दिया है। आप कृपया अपनी-अपनी जगह पर जाएं।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अखिलेश जी, मैंने आपसे कहा कि आपको बोलने का चांस मिलेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो शून्य-काल भी नहीं चल पाएगा। यह क्या हो रहा है। आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं। मैंने आपसे कहा है कि आपको बोलने का चांस दूंगा, लेकिन पहले श्री प्रियरंजन दासमुंशी को अपनी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद आपको बोलने का मौका जरूर दूंगा।

*...(व्यवधान)*

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रमोद महाजन जी बैठे हैं, उनसे बिहार के लिए सांसदों की एक कमेटी बनवा दी जाए और वे इस बारे में सदन को आश्वस्त करें। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : पप्पू यादव जी, मैं मिनिस्टर को कंपैल नहीं कर सकता हूं।

*...(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.24 बजे**

*(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)**: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि संसदीय समिति का निर्माण कोई मंत्रालय नहीं करता है। उसके निर्माण के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ही सक्षम हैं। *...(व्यवधान)*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार ने चुनावों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10-12 कंपनियां मांगी, लेकिन भारत सरकार ने नहीं दीं *...(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.25 बजे**

*(इस समय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)*

*...(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.25½ बजे**

*(इस समय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : रघुवंश जी, आप अपने स्थान पर वापिस जाइये।

*...(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.26 बजे**

*(इस समय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपने स्थान पर वापस चले गए।)*

*...(व्यवधान)*

**श्री प्रमोद महाजन** : उपाध्यक्ष महोदय, पप्पू यादव जी ने जो मुद्दे उठाये हैं *...(व्यवधान)* मैं केन्द्रीय गृह नंत्री जी का ध्यान उन मुद्दों की तरफ आकर्षित करूंगा। *...(व्यवधान)*

**श्री विजय गोयल** (चांदनी चौक): उपाध्यक्ष महोदय, रघुवंश जी के इन शब्दों को प्रोसीडिंग्स से निकाला जाये। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी ने कहा है कि मैं गृह मंत्री जी को इस बारे में बता दूंगा।

*...(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.27 बजे**

*(इस समय श्री रघुवंश प्रसाद सिंह अपने स्थान पर वापस चले गए।)*

**श्री विजय गोयल** : उपाध्यक्ष महोदय, रघुवंश जी ने जो कुछ कहा है, उसे प्रोसीडिंग्स से निकाला जाये। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह जीरो आवर है।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री विजय गोयल कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां तक कि सत्ता पक्ष के सदस्य भी इस प्रकार बाधा पहुंचा रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्रनाथ सिंह** (मछलीशहर): उपाध्यक्ष महोदय, किसानों का मामला भी उठाया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में किसान मर रहे हैं। *...(व्यवधान)* आपने बोलने के लिए सुमन जी को बुलाया था। *...(व्यवधान)* इसके लिए हमने काम रोको प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है। *...(व्यवधान)*

**श्री शीशराम सिंह रवि** (बिजनौर): पूरे बिहार को बर्बाद किया गया है। *...(व्यवधान)* यह क्या तरीका है। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह क्या तरीका है?

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** (रायगंज): उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : यहां क्या हो रहा है? आप सत्ता पक्ष के हैं। कम से कम आपको कुछ धैर्य रखना चाहिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री विजय गोयल कृपया अपने स्थान पर बैठिए। सभा में क्या हो रहा है?

[हिन्दी]

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : आप बिहार को बचा लीजिए। ...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : यह क्या कर रहे हैं? क्या आप हमें बोलने नहीं देंगे? ...*(व्यवधान)*

**श्री विजय गोयल** : उपाध्यक्ष महोदय, रघुवंश जी ने जो बात कही है, उसको प्रोसीडिंग्स से निकाला जाये। ...*(व्यवधान)* ये हम लोगों को क्या डिसिप्लेन सिखायेंगे जबकि ये खुद ही चेयरमैन के पैनल में हैं ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप अभी क्या कर रहे हैं? आप भी वहां इंटरप्शन कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री एस. जयपाल रेड्डी** (मिरयालगुडा): कृपया श्री दासमुंशी को बोलने की अनुमति दीजिए। यह एक गंभीर मामला है ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : जो भी आपत्तिजनक होगा। मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं करूंगा। आप सभा में इस तरह व्यवधान क्यों पहुंचा रहे है?

...*(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.29 बजे**

## संसद सदस्य के नाम कथित रूप से धमकी भरे फोन आने और उनके टेलीफोन टेप किए जाने के बारे में

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** (रायगंज): महोदय, मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* आप हर बार ऐसा क्यों करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा का ध्यान इस गम्भीर मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस सभा का सदस्य होने के अतिरिक्त मुझे प्रमुख विपक्षी दल का मुख्य सचेतक होने के कारण विभिन्न मामलों पर समय-समय पर अपने दल के आदेश के अनुसार गंभीर दायित्वों का निर्वहन करना होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले सत्ता पक्ष और हमारे संयुक्त सहयोग से गतिरोध दूर करने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री के उत्तर पर विपक्ष के नेता ने कार्य की कुछ मदों यथा शेयर घोटाला, दूरसंचार घोटाला इत्यादि की सूची माननीय प्रधानमंत्री को अपने उत्तर में दी थी। सभा के सदस्य के रूप में मैंने 17 तारीख को दूरसंचार से संबंधित मामला स्थायी समिति को भेजकर अपने दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास किया। कल सभा पटल पर रखे गए स्थायी समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है, ''पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी नजर आती है।''

अनुदानों की मांगों को सभा में निपटाने के पश्चात् मैं लगभग सायं 7.30 बजे अपने घर गया ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्रनाथ सिंह** (मछलीशहर): हमारा उत्तर प्रदेश के किसानों का बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के पश्चात् मैं अपने घर वापस गया। ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

यह सब माननीय सदस्यों की इज्जत की बात है।

*[अनुवाद]*

निगमित माफिया से धमकी भरी टेलीफोन कालें आनी शुरू हो गयी। मैं अपने घर में अकेला रह रहा हूं। मेरी पत्नी और मेरा पुत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं। धमकी देने वाले ने पूछा, ''आपका बेटा कहां है?'' फिर मैंने कालों पर नजर रखनी शुरू की। स्वर कठोर था और फोन टेप किया गया था।

सायंकाल 7.00 बजे ठीक तहलका एपिसोड की भांति एक आदमी एक मोटा भरा हुआ पैकेट लिए हुए मेरे दरवाजे की ओर बढ़ा, जैसे कि यह पैकेट नोट या और किसी वस्तु से भरा हुआ हो। दरवाजे पर सी.आर.पी.एफ. के जवान ने कहा, ''आप किसे ढूंढ रहे है।'' उसने कहा, ''हम श्री मुंशी को ढूंढ़ रहे हैं?'' सी.आर.पी.एफ. के जवान ने कहा, ''वे संसद में है।'' फिर उसने

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

कहा, ''ठीक है इसे लीजिए और यह उनको दे दीजिए।'' जवान ने कहा, ''मैं इसे नहीं ले सकता; आपको इसे खोलना होगा।'' उन्होंने उसे वहां रख दिया। दो या तीन व्यक्ति वहां थे। एक की पहचान नहीं की जा सकी क्योंकि जवान के लिए यह पता लगाना कठिन था कि वहां सब तीनों कौन थे। एक पैकेट वहां रखा गया था। मैं सायं 7.30 बजे वापस अपने घर गया। सी.आर.पी.एफ. के जवान ने मुझे बताया, ''आपके लिए यह एक पैकेट पड़ा हुआ है। यह एक बड़ा पैकेट है।'' मैंने कोना फाड़ा और देखा कि मुझे धमकी देने वाले, चेतावनी देने वाले और सवाल करने वाले विभिन्न जाली नामों के सैकड़ों पत्र थे। महोदय, मेरा अनुमान था कि एक कैमरा था जैसे कि मुझे कुछ सौंपा जा रहा हो। तुरन्त दस मिनट के भीतर ही मैंने एक पत्र के साथ इसे अध्यक्ष के कार्यालय में भेजा और एक प्रति पुलिस स्टेशन को दी। उसके तुरन्त बाद प्रात: 3.00 बजे तक न केवल धमकी भरी कालें आयीं बल्कि उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि मेरा पुत्र इस समय कहां और किस गांव में रह रहा है। उन्हें सब बात पता थी। इस प्रकार का दबाव मुझ पर डाला गया।

मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं अथवा किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। महोदय, यदि मुख्य सचेतक के फोन को इस प्रकार टेप किया जा रहा है, यदि मैं कोई मामला संसद में उठाता हूं और यदि इस प्रकार दबाव डाला जा रहा है तो न केवल मेरे लिए बल्कि किसी भी संसद सदस्य के लिए इस सभा में कार्य करना मुश्किल होगा। अत: महोदय, मैंने फौरन पूरा फोल्डर माननीय अध्यक्ष के पास भेजा। यदि न्यायिक परीक्षण किया जाता है और अगुंलियों के निशान प्राप्त किए जा सकते हैं और हमें पता चल सकता है कि किसने आकर यह दिया था। मैंने कल रात्रि में पूरा गठ्ठा माननीय अध्यक्ष को दिया था। मैंने तुरंत आधे घंटे के भीतर ही माननीय अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था। महोदय, मुझे लगता है कि वे किसी गलत मंशा से और एक कैमरा लेकर आये थे। सुरक्षा जवान ने मुझे बताया था कि वे वहां दो मिनट रूके थे और उन्होंने मुस्कुराना शुरू कर दिया और कहा, ''इसमें बहुत सी चीजें हैं, तुम्हारे संसद सदस्य प्रसन्न होंगे।'' इस तरह से उन्होंने यह किया। जो पत्र मैंने माननीय अध्यक्ष को लिखा था उसमें मैंने उनके पत्र की एक प्रति भी संलग्न की थी। कभी भी नाम का पता नहीं लगाया जा सकता है। मुख्य एवं अन्दर के लिफाफों पर कम्प्यूटर से छपा हुआ नाम एक समान है। इस प्रकार इसमें वही नाम अंकित करके उसी केन्द्र से संचालित किया गया था।

यह संसद सदस्यों का दुर्भाग्य है। कल दूरसंचार संबंधी बाइसवें प्रतिवेदन को पटल पर रखे जाने के बाद इन बातों में वृद्धि होने लगी है।

महोदय, मैं सभा का समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि सरकार को अपने उपयुक्त अभिकरणों के माध्यम से इस मामले की जांच पड़ताल करनी चाहिए। यदि कोई संसद सदस्य दूरसंचार के संबंध में बातें करता है तो उसके फोन टेप किए जाते हैं, यदि कोई संसद सदस्य किसी मुद्दे को उठाता है तो उसे संगठित माफिया द्वारा धमकी दी जाती है, सभी इस बात को जानते हैं और ऐसी स्थिति में संसद सदस्यों द्वारा अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करना बहुत ही कठिन होगा।

मेरे विचार से इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए और इसकी जांच की जानी चाहिए। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस मुद्दे को सभा में उठाने दिया मैंने अपने पत्र की प्रति सभी संबंधित लोगों को भेजी है।

**श्री एस. जयपाल रेड्डी** (मिरयालगुडा): महोदय, यह एक गंभीर चिंता का विषय है–मुझे विश्वास है कि सत्ता पक्ष के सदस्य और सरकार भी इस स्थिति की गंभीरता को समझेंगे, कि किस प्रकार प्रमुख विपक्ष के मुख्य सचेतक द्वारा दूरसंचार से जुड़े मामले को उठाने पर उसे इस तरीके से धमकी दी जा सकती है।

महोदय, सरकार को एक वक्तव्य भी देना चाहिए और अध्यक्षपीठ को बचाव के लिए सामने आना चाहिए और पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। इस तरह से तो हममें से कोई भी सभा में अपनी आवाज नहीं उठा सकता।

*[हिन्दी]*

**डा. विजय कुमार मल्होत्रा** (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, श्री दासमुंशी जी ने जो प्रश्न उठाया है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। यह पार्लियामेंट के सदस्यों को काम करने, स्वतंत्रता से काम करने के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा है और बहुत ही गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए। अगर कोई भी मैम्बर, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वह सदन में कोई भी प्रश्न उठाता है और उसके खिलाफ इस प्रकार की धमकियां आयें। जब उसको इस काम को करने से रोका जाए तो मैं समझता हूं कि यह सदन के लिए, स्वतंत्रता के लिए, जनतंत्र के लिए और डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा आघात है और सरकार को इस बारे में पूरी जांच करके जिसने भी ऐसा किया हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

**श्री चन्द्रशेखर** (बलिया, उत्तर प्रदेश): उपाध्यक्ष जी, प्रियरंजन दासमुंशी जी ने जो सवाल उठाया है, यह सवाल बहुत गम्भीर है और इस सवाल के ऊपर सरकार को और खास तौर से, उपाध्यक्ष महोदय, आपको उसी गम्भीरता से लेना चाहिए और सरकार को निर्देश देना चाहिए कि इस मामले की पूरी जांच हो। यह पहली

बार नहीं है। इस देश में एक विषम स्थिति पैदा हो गई है कि बड़े औद्योगिक घरानों की ओर से समय-समय पर दबाव पड़ते रहे हैं। 1968 में एक परिवार था, जो दबाव डालता था। 1970 के दशक में दूसरा परिवार था। लेकिन आज एक ऐसा परिवार औद्योगिक घराने का हो गया है, जो सरकार पर दबाव डालता है, संसद पर दबाव डालता है, वित्तीय संस्थाओं पर दबाव डालता है और उसके सामने सब असमर्थ मालूम होते हैं। प्रियरंजन दासमुंशी जी ने जिस तरफ संकेत किया है, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारी सारी संसदीय परम्परा, हमारा सारा राजनैतिक जीवन कुछ चन्द लोगों के हाथों में कैद हो गया है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रधान मंत्री जी से और गृह मंत्री जी से इस बारे में बात करें, चर्चा करें। मैं नहीं जानता, कैसे इसकी जांच होगी, लेकिन प्रियरंजन दासमुंशी ने जो सवाल उठाया है, यह अकेले उनका सवाल नहीं है। यह देश के भविष्य का सवाल है, संसदीय परम्परा का सवाल है। ...*(व्यवधान)*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने जो सवाल उठाया है, अभी माननीय चन्द्रशेखर जी ने और मल्होत्रा जी ने उस बारे में कहा है। इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। किसी भी माननीय सदस्य को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का प्रिवलेज है, विशेषाधिकार है। संसदीय कर्तव्य का निर्वहन करने के चलते कारण क्या था? एक बार और 1993 में ऐसा हुआ था। आप भी उस समय थे, मुझे याद है, जब मैंने एक बड़े उद्योगपति के खिलाफ जिसने गलत ढंग से फर्जी मैम्बर बनाकर एम.डी. का चुनाव किया था तो हमने उस सवाल को सदन में उठाया था तो हमको थ्रेट किया गया था। यहां तक कि हमारा कार से संसद के गेट तक पीछा भी कराया गया था, जिसमें काफी जांच हुई थी और प्रिवलेज का प्रश्न मैंने उठाया था। ऐसे सवाल उठते क्यों हैं, इस तरह की बात क्यों हो गई है। संसदीय कर्तव्य का निर्वहन करने में कभी किसी माननीय सदस्य को इस तरह से बड़े उद्योगपति घरानों की ओर से दबाव नहीं पड़े, इसके निश्चित रूप से समाधान और निराकरण के लिए सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। न केवल जांच करके, बल्कि मैं समझता हूं कि मामले में माननीय सदस्य ने जिस तरह से सवालों को उठाया है, कोई भी सवाल उठाने की माननीय सदस्य को पूरी आजादी है। इस तरह संसदीय लोकतंत्र कैसे चलेगा, यदि इस प्रकार का दबाव डालने का काम होगा तो कोई माननीय सदस्य अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ होगा। यह केवल सरकार का ही सवाल नहीं है, यह पूरी संसद का सवाल भी है। माननीय चन्द्रशेखर जी को भी मैंने सुना है, ये हम लोगों के बड़े आदरणीय नेता हैं। संसद को भी इस पर विचार करना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संसद के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। पूरी संसद को इस पर एकजुट होकर सोचना चाहिए, यह केवल किसी पार्टी या केवल इण्डीविजुअल का सवाल नहीं है, पूरे सदन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, यह मेरा नम्र निवेदन है। ...*(व्यवधान)*

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** (पूर्णिया): हम लोग भी पूंजीपतियों के हाथों में न खेलें। सांसद भी पूंजीपतियों की कठपुतली न बने। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : पप्पू यादव आप हर चीज पर बात करते हैं।

*[अनुवाद]*

**डा. एस. वेणुगोपाल** (आदिलाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, श्री प्रियरंजन दासमुंशी इस सभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं। उन्होंने बताया है कि पिछली रात कैसे उन्हें 3 बजे रात्रि तक धमकियां दी गई और कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध किया था। ...*(व्यवधान)*

महोदय, पैकेट प्राप्त करने के बाद माननीय सदस्य ने इसे माननीय अध्यक्ष को सौंप दिया है।

हम माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए इसकी जांच करें। माननीय सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी, उनके पुत्र और परिवार के अन्य सभी सदस्यों को पूरा संरक्षण दिया जाना चाहिए। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हम सभी सदस्य इससे जुड़े हुए हैं।

**श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम** (तंजावूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी द्वारा उठाया गया मुद्दा बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। मामले के लिए दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सभा द्वारा श्री दासमुंशी और उनके परिवार के सदस्यों को पूरा संरक्षण दिया जाना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किए जाने से पहले, मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि आपने अवश्य सभा द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं को सुना होगा। ऐसी घटनाएं हमारे लोकतंत्र के लिए प्रत्यक्ष खतरा बनेगी। उनके पुत्र और समस्त परिवार को दी गई धमकी के संबंध में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सरकार जैसी भी समुचित कार्रवाई की मंशा करती है, उसे किया जाएगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

*[हिन्दी]*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ( श्री प्रमोद महाजन )**: उपाध्यक्ष जी, प्रियरंजन जी ने जो मुद्दा आज उठाया है, वैसे कल रात को ही इस घटना के संबंध में उन्होंने तुरंत लोक सभा के अध्यक्ष जी को पत्र लिखा था। उस पत्र की एक प्रतिलिपि उन्होंने देर रात मुझे भी भेजी थी, ताकि मैं इस पर कुछ प्रयास कर सकूं। मैं समझता हूं जैसा चन्द्रशेखर जी ने कहा है कि जब हम संसद में बहस करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो मुद्दा हमें ठीक लगता है, हम अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर यहां उठाते हैं। स्वाभाविक है कि उससे किसी को लाभ होता है, किसी को घाटा होता है, वह उसका प्रश्न है। लेकिन संसद सदस्य का यह मौलिक अधिकार है कि जिस चीज को वह ठीक समझता है, वह अपने विवेक से उसको यहां रखे। दासमुंशी जो ने जो बात कही होगी, अपनी बुद्धि से और प्रामाणिकता से कही है। इसके परिणामस्वरूप उन्हें कोई धमकी दे रहा है, उनके परिवार को धमकी दे रहा है, सदन ने जो इस पर अपनी भावना प्रकट की है, मैं व्यक्तिगत रूप में और सरकार के रूप में भी इससे सहमत हूं। चूंकि हमारे द्वारा यहां व्यक्त किए गए विचारों के कारण जिनको बाहर नुकसान होगा, वे नुकसान वाले व्यक्ति अगर हमें यहां विचार करने के लिए बार-बार धमकाते रहें, स्वाभाविक रूप से कोई लड़ाकू एम.पी. लड़ भी सकता है, लेकिन अगर कोई चिंतित हो जाए तो उसके विचार स्वातंत्र्य पर भी अंतर पड़ सकता है। इसलिए यह बहुत ही गंभीर मामला है, संसद को चलाने की दृष्टि से, उसकी स्वतंत्रता की दृष्टि से, क्योंकि कानून के अंतर्गत हम जो यहां बोलते हैं, उसको इतनी शक्ति प्राप्त है कि किसी न्यायालय में भी उसके बारे में कोई बहस या प्रश्न नहीं उठ सकता कि हमने यहां क्यों और क्या बोला। यह हमारा अधिकार है। यह हमारा मौलिक अधिकार है, जो संविधान ने संसद सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए दिया है। इस मौलिक अधिकार को अगर कोई बाहर चुनौती देता है या उसका हनन करने की किसी भी प्रकार से कोशिश करता है, तो निश्चित रूप से वह निंदनीय है और उसका मुकाबला करना चाहिए। प्रियरंजन जी ने स्पीकर साहब को सारे कागज दिए हैं। उन्होंने पुलिस स्टेशन में भी कहा है। अभी-अभी चन्द्रशेखर जी ने प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी से बात करने के बारे में जो कहा है, उनके परिवार को सुरक्षा देने का सुझाव भी दिया है, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि स्पीकर साहब मुझे कागज भेजें, इसका इंतजार किए बिना मैं स्वयं उनसे वे कागज ले लूंगा। प्रियरंजन जी का जो पत्र है, वह भी मैं स्वयं गृह मंत्री जी को दूंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस बारे में पूरी तरह से जांच-पड़ताल करके इसका निर्णय हो, ताकि किसी और सदस्य को इस प्रकार की स्थिति का सामना न करना पड़े। यहां जिस प्रकार की चिंता उनके परिवार को धमकी दिए जाने के सम्बन्ध में प्रकट की गई है, वैस्ट बंगाल की सरकार से बातचीत करके इस पर भी ध्यान रखेंगे।

---

**श्री रामजी लाल सुमन** (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, बेमौसम बरसात ने किसानों का काफी नुकसान किया। सरकार की ओर से पर्याप्त मात्रा में खरीद केन्द्र नहीं खोले गए हैं। किसान जो गेहूं लेकर खरीद केन्द्रों पर जा रहा है या तो वापस आ रहा है। ...*(व्यवधान)*

**डा. विजय कुमार मल्होत्रा** (दक्षिण दिल्ली): आप बजट पर कितने बजे वोटिंग करेंगे, यह घोषणा कर दें तो मेम्बर्स के लिए अच्छा होगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : थोड़ा सब्र कीजिए।

**श्री रामजीलाल सुमन** : महोदय, एफ.सी.आई. के जितने खरीद केन्द्र खोले जाने चाहिए थे, उतने खरीद केन्द्र नहीं खोले गये और मेरा मानना यह है कि किसान को जानबूझकर संकट में डालने का काम किया जा रहा है। मजबूरी में 610 रुपया, जो गेहूं का समर्थन मूल्य था, उसकी जगह किसान को आढ़तियों और बिचौलियों को 500 रुपए, 550 रुपया और 560 रुपये में अपना गेहूं बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सही मायनों में बात यह है कि एक ओर सरकार ने खरीद केन्द्र नहीं खोले और दूसरी तरफ सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में गोदाम नहीं हैं। सरकार की नीयत खरीदने की नहीं है। यह बहुत गंभीर मामला है। बड़ी मेहनत करके किसान ने गेहूं की फसल पैदा की। आज शादियों का वक्त चल रहा है, यही वह समय होता है। जब किसान साहूकार को कर्ज की अदायगी करता है। चारों तरफ से किसानों पर मार पड़ रही है। जानबूझकर सरकार किसानों को परेशान करने का काम कर रही है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि पर्याप्त मात्रा में इस देश में खरीद केन्द्र खोले जायें, किसान को नगद भुगतान किया जाये और किसान को जो संरक्षण मिल सकता है। वह उसे तत्काल देने का काम भारत सरकार करे।

**कुंवर अखिलेश सिंह** (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, इस पर हमारा भी नोटिस है।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : जी हां, उन्होंने इस विषय पर नोटिस दिया है।

**कुंवर अखिलेश सिंह** : महोदय, भारत सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 610 रुपया प्रति क्विंटल काफी विलम्ब से

निर्धारित किया। भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों के लागत मूल्य में लगातार वृद्धि होती जा रही है। खाद, डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल में वृद्धि होने से किसान का उत्पादन लागत मूल्य बढ़ा और उसकी तुलना में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य भी सरकार ने निर्धारित नहीं किया लेकिन भारत सरकार ने जो समर्थन मूल्य निर्धारित किया, उस निर्धारित मूल्य पर भी सरकार द्वारा अभी तक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित देश के किसी भी हिस्से में गेहूं की खरीद का समुचित प्रबंध नहीं किया गया जिसके कारण किसान बिचौलियों के हाथ में अपना गेहूं 500 रुपया, 510 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर बेचने के लिए मजबूर हैं। खरीफ की फसल में भी भारत सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 510 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया था। किसानों को अपना धान 350 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर बिचौलियों के हाथ बेचना पड़ा था। खरीफ की फसल में सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान को भारी घाटा उठाना पड़ा था और इस रबी की फसल में भी किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण किसान भारी घाटे की तरफ जा रहा है जिसके कारण किसान अपने भविष्य के प्रति आशंकित है, चिंतित है। पूरी खेती के ऊपर एक नये तरह का संकट उत्पन्न हो गया है। विश्व व्यापार संगठन के दबाव में यह सरकार लगातार कृषि सब्सिडी को घटाती चली जा रही है और जिन राष्ट्रों के दबाव में यह सरकार लगातार कृषि सब्सिडी को घटा रही है, वे राष्ट्र अपने यहां कृषि क्षेत्र में अत्यधिक सब्सिडी दे रहे हैं। वह चाहे अमरीका हो या कनाडा हो या यूरोपियन कंट्रीज हों या जापान हो, उनके यहां कृषि क्षेत्र में कितनी अधिक छूट दी जा रही है और हमारे देश की सरकार लगातार कृषि में छूट घटाकर उत्पादन लागत को बढ़ा रही है। आज भारत सरकार की जो स्थिति है, उसमें बीस प्रतिशत से ज्यादा भंडारण की क्षमता भारत सरकार की नहीं है। सरकार अगर चाहे भी तो सम्पूर्ण उपज को भंडारित नहीं कर सकती है। आज किसान को बचाने के लिए मात्र एक ही रास्ता बचा है कि किसान के लागत मूल्य में किसानों को अतिरिक्त छूट देकर लागत मूल्य घटाया जाये। जब तक किसानों को अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी, जब तक किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी की सुविधा नहीं दी जाएगी और जब तक हम लागत मूल्य को घटाकर उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तब तक विश्व बाजार प्रतिस्पर्धा का हमारे देश का किसान मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए हम आज इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि वर्तमान में किसानों की गेहूं की खरीद का प्रबंध समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित किया जाये और आने वाले दिनों में इस देश की खेती को बचाने के लिए एक नयी नीति बनाकर किसानों को उसी तुलना में कृषि क्षेत्र में सब्सिडी दी जाये जिस तरह से अन्य राष्ट्र दे रहे हैं।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** (वैशाली): किसान का सवाल है तो सरकार चुप क्यों बैठी है? *...(व्यवधान)* गोबर गणेश की तरफ बैठी है। *...(व्यवधान)* अन्य सवालों पर सरकार बोलने के लिए खड़ी होती है लेकिन किसान के सवाल पर सुनती नहीं है। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : रघुवंश प्रसाद जी, यह उसी मामले पर बोल रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अगर आपको कुछ पूछना है, तो आपको भी मौका मिलेगा। आपको मालूम है कि इसके लिए आपको नोटिस देना होता है।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री एस. जयपाल रेड्डी** (मिरयालगुडा): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राजीव प्रताप रूडी** (छपरा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो मुंह में आता है, बोल देते हैं। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : रुडी जी, आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इसका ख्याल रखूंगा।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने श्री जयपाल रेड्डी को बोलने की अनुमति दी है...

*...(व्यवधान)*

**श्री एस. जयपाल रेड्डी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय सहयोगियों द्वारा किसानों की अभूतपूर्व दुर्दशा के संबंध में व्यक्त किए गए विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह न केवल गेहूं के लिए सही है बल्कि यह धान के लिए भी समान रूप से सही है? मैंने स्वयं अपने निर्वाचन क्षेत्र, मिरयालगुडा के बाजार का दौरा किया है। हालांकि धान का समर्थन मूल्य 540 रुपए है, परन्तु बाजार में किसानों को केवल 440 रुपया या 450 रुपये ही मिल पा रहा है। यह पिछले छः माह पहले के मूल्य से काफी कम है। रबी की फसल आने ही वाली है।

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भूमि की कीमत में 40 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है? यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। मेरे विचार से सरकार इस पर काफी गंभीरता से विचार करेगी। जैसा कि उल्लेख किया गया है, विकसित देशों में राजकीय सहायता को यदि नहीं बढ़ाया जा रहा है तो बनाए रखा जा रहा है, जबकि यह सरकार - मेरे मित्र श्री यशवंत सिन्हा जी, जो राजकोषीय आतंकवाद के मेरे मुहावरे को पसंद करते हैं - वे राजकीय सहायता को खत्म करने पर उतारू हैं। निश्चित ही, इस वर्ष उन्होंने यूरिया के लिए राजकीय सहायता दी। परन्तु तथ्य यही रहता है कि किसानों को दी जा रही राजकीय सहायता में कमी आ रही है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दिया जा रहा है। जब हम ठीक डेढ़ साल पहले संसद सदस्य बने, तो उस समय धान की बाजार में कीमत 700 रुपये प्रति क्विंटल थी, आज किसान बहुत कम मूल्य पा रहा है जबकि डीजल, उर्वरकों और अन्य आदानों की लागत में काफी वृद्धि हुई है। यही स्थिति है जिसको हम सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

मुझे पूरा विश्वास है कि सभा में इस पर सभी वर्गों की सभी पार्टियों की सहमति है। मुझे पूरा विश्वास है कि सत्ताधारी दल के सदस्य मुझसे पूर्णत: सहमत होंगे। मैं समझता हूं कि सरकार को इस संबंध में आपातकालीन उपायों के एक पैकेज की घोषणा अवश्य करनी चाहिए।

*[हिन्दी]*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)**: उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के संबंध में अखिलेश सिंह जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। जैसा मैंने कहा, किसानों की पिछले कुछ वर्षों में दिक्कतें बढ़ी हैं। इसलिए सरकार, राज्य सरकारों और सभी दलों को मिलकर इसमें कोई रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि किसान अपने समाज की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इस बारे में जो भी विचार आये हैं। मैं कृषि मंत्री - वित्त मंत्री जी सदन में उपस्थित है, वे तो सुन ही रहे हैं - और उपभोक्ता मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा।

**श्री एस. जयपाल रेड्डी** : शान्ता कुमार जी का भी।

**श्री प्रमोद महाजन** : उनका भी नाम मैंने लिया है। उनका भी ध्यान आकर्षित करूंगा, कम से कम यूरिया के बारे में जो इस बजट में फैसला लिया है, वह जयपाल रेड्डी जी को अच्छा लगा है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं, यूरिया के मामले में हमारी सरकार ने एकाध बार दाम बढ़ाकर फिर कम कर दिया। वे जिस नई पार्टी में गए हैं, उन्होंने कई बार दाम बढ़ाया है, जिसकी गिनती करना मेरे लिए मुश्किल है। फिर भी उन्होंने कहा है, सहमति तो इस पर जरूर विचार करेंगे।

**कुंवर अखिलेश सिंह** : महोदय, जब तक किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी नहीं देंगे, तब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

**अपराह्न 12.54 बजे**

## वित्त विधेयक, 2001

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब मद संख्या 12, वित्त विधेयक, 2001 पर चर्चा शुरू करेगी। यदि सभा सहमत हो, तो हम इस वित्त विधेयक के सभी तीन चरणों के लिए पांच घंटे का समय आवंटित कर सकते हैं। यानि इसमें चार घंटे इस पर सामान्य चर्चा के लिए, आधा घंटा खण्ड-वार विचार के लिए और अन्य आधा घंटा विधेयक के तृतीय वाचन चरण के लिए शामिल हैं। मतदान अपराह्न 5.00 बजे शुरू किया जा सकेगा। अब वित्त मंत्री जी बोलेंगे।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती जसकौर मीणा** (सवाई माधोपुर): महोदय, मैंने राजस्थान में नौ लड़कियों को बेचे जाने संबंधी मुद्दे को रखा था। *...(व्यवधान)* महोदय, यह बहुत गंभीर मुद्दा है, नौ लड़कियों को बेचा गया है *...(व्यवधान)*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)**: अभी बजट शुरू होने दो, कल इस पर बात करेंगे।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : हम अगली मद पर चर्चा शुरू कर चुके हैं।

*...(व्यवधान)*

**वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा)**: उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करते हुए आपकी अनुमति से मैं कुछ कहना चाहूंगा।

अपने बजट प्रस्तावों में, मैंने कर ढांचे और प्रक्रिया में कई प्रमुख परिवर्तनों की घोषणा की थी। उत्पाद शुल्क के संबंध में मैंने 'सेनवेट' की एकल दर को आरम्भ करने के लिए कहा था। यह अधिकतर वस्तुओं पर लागू होगी। मैंने विशेष उत्पाद शुल्क के क्षेत्र

को तर्कसंगत बनाया है। प्रत्यक्ष करों के संबंध में मैंने दरों की स्थिरता कामय रखी है। इन प्रस्तावों की व्यापार और उद्योग जगत ने प्रशंसा की है। तथापि, मुझे विभिन्न हलकों से अभ्यावेदन और सुझाव प्राप्त हुए हैं जिनका संबंध मेरे द्वारा आरंभ किए जाने वाले उत्पाद और सीमा शुल्क के परिवर्तन के कुछ पहलुओं से है। कई माननीय सदस्यों ने मुझे इस बारे में लिखा है। मैं उनके सुझावों और उनके परामर्श के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

महोदय, सभी पहलुओं पर भलीभांति विचार के उपरान्त, मैं अपने बजट प्रस्तावों में कुछ संशोधनों की घोषणा का प्रस्ताव करता हूं।

**अपराह्न 12.56 बजे**

**[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]**

अप्रत्यक्ष करों के संबंध में मैंने ब्रांडेड सिलेसिलाए वस्त्रों तथा तत्संबंधी उपायों पर 16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा था। यहां इस बात का तर्क दिया गया है कि ब्रांडेड सिले-सिलाए वस्त्रों और उनके उपायों पर लेवी के प्रतिबंध से ही इसमें विकृति और हेराफेरी की जा सकती है। इन सभी तर्कों को ध्यान में रखते हुए मैं सभी सिले-सिलाए वस्त्रों चाहे वे ब्रांडेड हों या गैर-ब्रांडेड को 16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क के दायरे में लाने का प्रस्ताव करता हूं। तथापि, वस्त्र संबंधी उपायों रेनकोटों तथा अधोवस्त्रों को इस लेवी से मुक्त रखा जाएगा। लघु उत्पाद शुल्क छूट योजना इन वस्त्रों पर भी लागू होगी। यह संशोधित योजना 1 मई, 2001 से लागू होगी।

सभा को याद होगा कि मैंने स्वतंत्र वस्त्र प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए उत्पाद शुल्क को यथा-मूल्य ढांचे का प्रस्ताव किया था। कुछ लोगों ने चेम्बर आधारित शुल्क के उन्मूलन का स्वागत किया तो अन्य लोगों ने इसकी बहाली की वकालत की है। मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि संयुक्त लेवी व्यवस्था से यथा-मूल्य शुल्क व्यवस्था को वरीयता दी जाए। तथापि, मुझे इस बारे में जोरदार अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि छोटे प्रसंस्करण ग्रहों ने प्रतियोगिता और नई प्रौद्योगिकी अपनाने की चुनौती का सामना करने के लिए अभी तक स्वयं को पूर्णत: तैयार नहीं किया है। मैं सभी स्वतंत्र वस्त्र प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए चेम्बर आधारित शुल्क को बहाल करने का इच्छुक नहीं हूं। तथापि, जिन प्रसंस्करणकर्ताओं का संयंत्र और मशीनरी में निवेश 3 करोड़ से अधिक नहीं है उन्हें ही चेम्बर आधारित शुल्क का भुगतान करने के विकल्प के अनुमति दी जाएगी। जो लोग यह विकल्प चुनेंगे उनके लिए मासिक भुगतान दर को दो बजट पूर्व स्लेबों में प्रत्येक में 50000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। किसी स्टेंटर को बंद करने के लिए छूट या चैम्बर को हटाने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। यह परिवर्तन 1 मई 2001 से प्रभावित होगा।

मैं विशेषकर प्लास्टिक से बने फुटवेयरों और जिनकी खुदरा बिक्री की कीमत 125 रुपये प्रति जोड़ी है को न्यूनतम उत्पाद शुल्क के चार प्रतिशत यथामूल्य की लेवी जैसा कि मैंने बजट में प्रस्ताव रखा था, को समाप्त करने का प्रस्ताव रखता हूं।

**अपराह्न 1.00 बजे**

मैंने अपने बजट प्रस्तावों में घोषणा की थी कि वॉल और रोलर बियरिंग्स को लघु उद्योगों संबंधी कर छूट योजना में शामिल नहीं किया जायेगा। इन्हें विशेष छूट देने के लिए मैं वॉल और रोलर बियरिंग का उत्पादन करने वाली इकाइयों को प्रतिवर्ष 25 लाख रुपये तक के उत्पाद शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। इससे छोटी इकाइयों को सहायता मिलेगी। यह नई योजना 1 मई 2001 से प्रभावी होगी।

स्वदेशी पोत परिवहन कम्पनियों द्वारा नए पोत प्राप्त करने को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि पोतों पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क को समाप्त किया जाए जिसे कि मैंने इस बजट में आरम्भ किया था।

'मेट कोक' पर लगाए गए सीमा शुल्क को इस्पात संयंत्रों के लिए वास्तविक प्रयोग आधार पर 5 प्रतिशत तक घटाये जाने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि उनकी अर्थक्षमता में सुधार हो सके।

रुग्ण वनस्पति इकाइयों द्वारा कच्चे पाम तेल के आयात के लिए 55 प्रतिशत के शुल्क रियायती दर का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया था। अब यह प्रस्ताव किया जाता है कि भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से इस शुल्क की रियायती दर को समाप्त किया जाए।

वस्त्र उद्योग जिसमें माल विहीन करघे भी शामिल हैं की 12 अतिआवश्यक मदों पर 16 प्रतिशत के सी.वी.डी. को समाप्त करने का प्रस्ताव है ताकि इससे वस्त्र मिलों में पूंजी निवेश तथा उनके आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन मिल सके।

सदन में इस बात का सभी को स्मरण होगा कि मैंने अपने बजट प्रस्तावों में पुरानी कारों और दुपहिया वाहनों पर 105 प्रतिशत तक मूल सीमाशुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव किया था। मेरे साथी वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने सुझाव दिया था कि इसी तरह पूर्ण रूप से निर्मित कारों और दुपहिया वाहनों के आयात की आशंकाओं पर गौर करने की जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं पूर्ण रूप से निर्मित कारों और दुपहिया वाहनों पर मूल सीमा

[श्री यशवंत सिन्हा]

शुल्क को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

अपने बजट प्रस्तावों में मैंने दूरसंचार उपकरणों पर 25 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक सीमा शुल्क कम करने का प्रस्ताव किया था। लेकिन कलपुर्जों पर शुल्क 15 प्रतिशत ही रखा गया था। मुझे बताया गया है कि शुल्क दरों को एक समान रखने से घरेलू दूरसंचार उपकरणों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। इनकी उत्पादन हानि को रोकने के उद्देश्य से मेरा पापुलेटिड प्रिंटिड सर्किट बोर्डों के अलावा दूरसंचार उपकरणों के विशिष्ट कलपुर्जों पर सीमा शुल्क को पांच प्रतिशत कम करने का प्रस्ताव है।

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मैंने मशीनों और उपकरणों की सूची में उन 32 विशिष्ट मदों को शामिल करने का है जिन्हें पांच प्रतिशत मूल सीमा शुल्क की कम दर पर आयात किये जाने की अनुमति है।

कुछेक को छोड़कर जो 1.5.2001 से प्रभावी होंगे, उपर्युक्त दर्शाए गए उत्पाद और सीमा शुल्कों में परिवर्तन कल से अस्तित्व में आ जाएंगे। अधिसूचना की प्रतियां यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएंगी। इन परिवर्तनों का कोई उल्लेखनीय राजस्व प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये राजस्व के मामले में व्यापक रूप से तटस्थ हैं।

प्रत्यक्ष करों पर बात करते हुए महोदय, विभिन्न पक्षों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् मेरा प्रत्यक्ष करों से संबंधित अपने प्रस्तावों में कुछ परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव है।

वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत निर्यातकों को चालू वर्ष के लिए अपनी आय के 40 प्रतिशत पर कर अदा करना अपेक्षित है। यह प्रतिशत अगले तीन वर्षों के लिए 60 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत तक बढ़ाया जा रहा है। इन करदाताओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मैं ''बैंक लोडिंग'' के माध्यम से आहरण प्रावधानों को पुन: चरणबद्ध करने का प्रस्ताव करता हूं। चालू वित्तीय वर्ष के लिए, उनको अब अपने लाभ का 30 प्रतिशत तक कर देना होगा और उनकी कर योग्य आय का प्रतिशत अगले तीन वर्षों के लिए क्रमश: 50 प्रतिशत, 70 प्रतिशत और 100 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।

मैं ब्याज भुगतानों पर स्रोत पर कर कटौती हेतु अपने प्रस्ताव को संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूं। स्रोत पर कर कटौती की सीमा पहले प्रस्तावित 2500 से 5000 तक बढ़ायी जा रही है।

वित्त विधेयक में, मैंने धारा 80 एल के अंतर्गत ब्याज से आय की कटौती सीमा में 15000 रुपए से 9000 रुपए की कमी का प्रस्ताव किया था। करदाताओं को और राहत प्रदान करने के लिए, मैंने 12000 रुपए की सीमा को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है। अतिरिक्त कटौती सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के संबंध में होगी।

वेतनभोगी करदाताओं के लिए इस समय 25,000 रुपए की मानक कटौती उन व्यक्तियों को उपलब्ध है जिनकी आय एक लाख रुपए तक है और 20,000 रुपए की मानक कटौती उन व्यक्तियों को उपलब्ध है जिनकी आय एक लाख से पांच लाख रुपए तक है वेतनभोगियों को राहत देने के उद्देश्य से मैं 25,000 रुपए की सीमा को 30,000 रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं जो अब डेढ़ लाख रुपए की आय वाले व्यक्तियों को उपलब्ध होगी। डेढ़ लाख से तीन लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए इस सीमा को 20,000 रुपए से 25,000 रुपए तक बढ़ाया जा रहा है। 3 लाख रुपये से पांच लाख रुपए आय वाले व्यक्तियों को 20,000 रुपए की वर्तमान कटौती का लाभ मिलता रहेगा। जबकि इससे लगभग 1000 करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा होगा, पर साथ ही इससे उतनी ही अतिरिक्त आय इस श्रेणी के निर्धारितियों के हाथ में बनी रहेगी।

वित्त विधेयक प्रस्तुत करते समय, मैंने विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए गैर कार्पोरेट्स जगत के लिए 31 जुलाई और कार्पोरेट्स जगत के लिए 31 अक्तूबर की दो तारीखों का प्रस्ताव किया था। मेरा अब प्रस्ताव है कि गैर कार्पोरेट्स करदाताओं जिनके लेखों की सांविधिक रूप से लेखा परीक्षा की जानी है के संबंध में विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख कार्पोरेट्स जगत के लिए निर्धारित तारीख की तर्ज पर 31 अक्तूबर होगी।

धारा 10 (23सी) के अंतर्गत छूट प्राप्त निधियों को, उनकी आय के संचयन के संबंध में धारा 11 के अंतर्गत छूट का दावा करने वाली धर्मार्थ संस्थाओं को समतुल्य रखे जाने का प्रस्ताव है। चैरिटेबल संस्थाओं की तरह इन निधियों को बिना किसी समय सीमा के उनकी आय का 25 प्रतिशत का संचय करने की अनुमति होगी। 25 प्रतिशत से अधिक आय का संचयन पांच वर्षों के लिए प्रतिबंधित होगा।

चैरिटेबल न्यास और निधियों को अपने लेखाओं को केवल तभी प्रकाशित किया जाना अपेक्षित होगा जब उनकी वार्षिक प्राप्तियां विधेयक में प्रस्तावित 10 लाख रुपए को वर्तमान सीमा की तुलना में एक करोड़ रुपए से अधिक होंगी।

डि-म्युअचलाइजेशन और स्टॉक एक्सचेंजों के निगमीकरण को सरल बनाने के लिए यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि इस

तरह की व्यवस्था में परिसम्पत्तियों का अंतरण पूंजीगत लाभ करों के लिए आदार्या नहीं होगा।

इन विनियमों को स्पष्ट करने के लिए मूल्य अंतरण प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है और ये विनियम मुख्य कार्यालय और इसकी शाखाओं के बीच लेनदेन पर भी लागू होंगे और यह कि किसी एक उद्यम के मामले में अन्तरण मूल्य में किया गया समायोजन स्वयं ही दूसरी उद्यम के मामले में होने वाली परिणामी समायोजन का आधार नहीं माना जाएगा।

ऐसे अन्य संशोधन भी हैं जिनके परिणामस्वरूप छोटे संशोधन करने पड़े है।

महोदय, इन संशोधनों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं*

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार माननीय सदस्यों को कोई रियायतें नहीं दी गई है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**श्री शिवराज वि. पाटील** (लातूर): महोदय, चूंकि समय कम रह गया है इसलिए आपकी अनुमति से मैं अपना भाषण पढ़ना चाहता हूं।

वित्त मंत्री का कार्य बहुत कठिन है। हम उनकी कठिनाइयों को समझते है और उनके साथ सहानुभूति जताते हैं। उन्होंने जो कुछ किया है उसकी कुछ लोगों ने प्रशंसा की है। लेकिन समाज में कमजोरों की आवाज कोई नहीं सुनता है। वे चुपचाप रहते हैं और सहते रहते हैं। वे अपने लिए बजटीय प्रावधानों की उपयोगिता के बारे में बहुत आश्वस्त नहीं हैं। कुछ ने उनकी कठिनाइयों के बारे में बोला है। सभा में ऐसे कुछ सदस्य जरूर होंगे जो उनकी आवाज उठाएंगे। जब वे अपनी भावनाओं और अनुमानों को व्यक्त करेंगे तो सरकार उनकी बातों को अच्छी तरह समझेगी और हर संभव उनको उचित स्थान देगी तथा उनको अलग-थलग नहीं करेगी अथवा अदालत में वकीलों की तरह वे अपने विचारों का बचाव करेगी। यदि अन्य पार्टियों के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को कुछ हद तक स्वीकार किया जाता है तो बजट लोगों को अधिक स्वीकार्य होगा और इससे जो नतीजा निकलेगा वह लोगों को और हम सभी को और अधिक स्वीकार्य हो जाएगा। कभी-कभी ऐसा किया जाता है। कभी ऐसा नहीं किया जाता। अत: जो कुछ किया जाता है और जो कुछ नहीं किया जाता है के अनुसार ही परिणाम निकलते हैं। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ब्रोड बैंड नेटवर्क, इंटरनेट सेवाओं के लिए, विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण नेटवर्क के लिए, आवास के लिए, चाय उद्योग के लिए, कुछ क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, ज्ञान आधारित उद्योग के लिए, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए, समेकित हैंडलिंग, खाद्यान्नों के भंडारण और परिवहन के लिए तथा कुछ ऐसे अन्य उपायों के लिए जो कुछ किए जाने का प्रस्ताव है उसे दोषपूर्ण नहीं पाया जा सकता है।

हमें आशा करनी चाहिए कि उन्हें उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाएगा और इनका पूंजी बाजार के साथ छेड़छाड़ करने के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। माननीय मंत्री द्वारा सुझाए गए संशोधनों का भी अब स्वागत किया जाता है।

पूंजी बाजार का विकास होना चाहिए। उद्योग, व्यापार, प्रौद्योगिकी, कृषि आदि के लिए पूंजी उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अनुचित रूप से लाभ अर्जित करने हेतु पूंजी बाजार में हेरा-फेरी की जाती है और इस प्रक्रिया में सीधा-सादा आम आदमी जो दूसरों पर आसानी से विश्वास कर लेता है, अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई गंवा देता है। इस प्रकार की हेरा-फेरी से उद्योग और व्यापार के विकास में सहायता नहीं हो सकती है। वे आम आदमी के उत्साह को कम करते हैं जिससे अन्ततः छोटी और लंबी अवधि की विकासात्मक गतिविधियों और प्रक्रिया को आघात पहुंचता है। जो हेरा-फेरी करके कमाना चाहते हैं उन्हें दूसरों की परवाह नहीं होती। उन्हें केवल अपने लाभ की चिंता रहती है। सरकार, संसद और व्यक्ति आम आदमी की लंबे समय तक उपेक्षा नहीं कर सकते। उन्हें उनकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। उन्हें बाजार के चपेड़े खाने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें कर्त्तव्यों का पालन करने में कोताही बरतने का आरोपी ठहराया जा सकता है। ऐसा विगत कुछ दिनों से वास्तव में हो रहा है। सरकार को स्थिति को सुधारने, निर्दोष निवेशकों की रक्षा करने और पूंजी बाजार की साख बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिएं। यदि आवश्यक हो तो निवेशकों की रक्षा करने हेतु 'सेबी' और अन्य संगठनों को मजबूत बनाने के लिए कानून बनाए जाने चाहिएं और वर्तमान कानूनों में संशोधन किए जाने चाहिएं। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। इस स्थिति में सुधार करने हेतु संसद्रीय जांच के आदेश दिए जा सकते हैं तथा सुधारात्मक व दण्डात्मक कदम

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री शिवराज वि. पाटिल]

उठाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हेरा-फेरी करने वालों तथा गलत कार्य करने वाले लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मामले में अपने कर्त्तव्यों का पालन करने से विमुख नहीं होगी।

उद्योग और व्यापार को दी जाने वाली प्रस्तावित छूट और सहायता से उत्पादनकारी गतिविधियों और अर्थव्यवस्था में सहायता की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या उनसे मदद मिलेगी? औद्योगिक विकास के लिए केवल पूंजी पर जोर दिया जाता है। कर्मचारियों और अधिकारियों की मदद हेतु कुछ नहीं है। श्रमिकों का पक्ष नहीं लिया जाता। उनकी भविष्य निधि और पेंशन निधि पर ब्याज घटा दिया गया है।

ऐसा प्रस्ताव है कि जिन उद्योगों में एक हजार से अधिक कामगार हैं केवल वे ही औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आएंगे न कि सौ कामगार वाले उद्योग। सरकार ठेका श्रम संरक्षण अधिनियम का असर कम करना चाहती है। सरकार देश के श्रम कानूनों में इसी प्रकार के कुछ और संशोधन करना चाहती है और इन्हें श्रम कानूनों में सुधार का नाम दिया जा रहा है। हमारी समझ में नहीं आता कि इन्हें श्रम कानून सुधार कैसे कहा जा सकता है। वे उद्योगों में कार्यरत अधिकारियों और कामगारों को परेशान करने हेतु बाध्य हैं। ऐसी परिस्थितियां पैदा करके, जिनसे उत्पादनकारी गतिविधियों में लगे अधिकारी और कामगार परेशान हों और उनका मोह भंग हो जाए, औद्योगिक विकास कैसे किया जा सकता है?

उद्योगों, कृषि, सेवाओं और उत्पादन के क्षेत्र में अन्य क्षमताओं का विकास करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है? इन प्रयोजनार्थ बजट में जो धनराशि उपलब्ध कराई गई है वह बहुत कम और अपर्याप्त है। इलैक्ट्रानिक और जेनेटिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की गतिविधियों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। लेकिन जो किया गया है वह पर्याप्त नहीं है। इससे मदद नहीं मिलने वाली। वास्तव में बड़े पैमाने पर प्रयास, भारी धनराशि, स्पष्ट योजना और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

सरकार के कार्य-व्यवहार में यह कहीं नहीं दिखता। इससे हमारे देश को विकसित देशों के समकक्ष आने में कोई मदद नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में हम विश्व व्यापार संगठन, प्रतिस्पर्धा, वैश्वीकरण की बढ़ती चुनौतियों से डरे हुए हैं और उनका सही तरह से सामना नहीं कर पा रहे। ये ही वे कारण हैं जिनकी वजह से औद्योगिक विकास दर के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा रहे और इसमें मंदी की स्थिति है।

इसके बाद मैं कृषि के विकास पर बोलूंगा। हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि कृषि क्षेत्र हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसकी 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है। उद्योग ही की तरह इसमें भी बड़े पैमाने पर पूंजी, नई प्रौद्योगिकी, अग्रिम योजना और सिंचाई आदि की आवश्यकता है। विद्युत, शिक्षा, परिवहन आदि की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। सरकार की अभिकल्पना और योजना के अनुसार इन सब क्षेत्रों में जो कुछ भी किया गया है वह संतोषजनक नहीं है। देश में कृषकों के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु कितनी धनराशि रखी गई है? यह केवल 50,000 करोड़ रुपये के लगभग है। क्या यह पर्याप्त है? क्या यह इस क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है? यदि नहीं, तो अधिक धन उपलब्ध कराने हेतु कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश कम होता जा रहा है। इससे सिंचाई और कृषि क्षेत्र के विकास हेतु अत्यावश्यक सुविधाओं पर असर पड़ता है। बैंकों से कहा गया है कि वे उनके द्वारा दिए जा रहे कुल ऋणों में से 18 प्रतिशत कृषकों को दें। सरकारी क्षेत्र के बैंक 14 से 15 प्रतिशत तक ऋण देते हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 4 से 6 प्रतिशत तक ऋण दिया है। नाबार्ड से कहा गया था कि बैंकों से 18 प्रतिशत धन लेकर कृषकों को ऋण दें। इसे संतोषजनक तरीके से नहीं किया गया है। सरकार ने इस पहलू का अध्ययन क्यों नहीं करवाया और उनके द्वारा प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए गए? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि कृषि कार्यों से जुड़े लोग शांत, आंदोलित न होने वाले, शिकायत न करने वाले और सहयोगी प्रकृति के होते हैं? सरकार अन्य बैंकों की भांति नाबार्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक, लघु उद्योग विकास बैंक से आयकर वसूल करना चाहती है। क्या यह आवश्यक है? सरकार ने लाटरियों से होने वाली आय पर कर कम किया है और वह उन बैंकों के पास उपलब्ध धनराशि को कम करना चाहती है जो कृषि, आवासीय गतिविधियों और लघु उद्योगों की मदद करना चाहते हैं। सरकार का ऐसे लोगों के प्रति, जो मजबूत और धनी नहीं हैं, जिन्हें बहुत सी रियायतें दी जाती हैं, जिनके लिए हम विरोध नहीं कर सकते, इस प्रकार का रवैया प्रशंसनीय नहीं है। परंतु हमें इस बात की नाराजगी है कि जिन्हें मदद की आवश्यकता है उन्हें मदद व सहायता नहीं दी जाती और न ही सरकार उनके हित में कोई योजना बनाती है।

अब, मैं घाटे पर आता हूं। सरकार घाटे के प्रति चिंतित है। ऐसा होना भी चाहिए। इसे स्वीकार्य स्तर तक लाया जाना चाहिए। ऐसा करना भी चाहिए। हम उनकी इसे स्वीकार्य स्तर तक लाने की इच्छा का विरोध नहीं करते। लेकिन वे ऐसा किस प्रकार करना चाहते हैं? वे ऐसा विनिवेश, राजसहायता में कमी करके और सरकार का आकार घटाकर करना चाहते हैं। घाटा कम करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वे इन मार्गों का चुनना चाहते हैं। इस संबंध में जो अन्य उपाय किए जा सकते हैं उनके बजाय उन उपायों पर अधिक चर्चा हुई है। ऐसा करते समय इस चीज पर ध्यान नहीं दिया जा रहा कि केवल इन्हीं पर निर्भर रहने से काम

नहीं चलेगा अपितु अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य उपाय भी अपनाने पड़ेंगे। यह भुला दिया जाता है कि वे उपाय नकारात्मक प्रकृति के हैं न कि सकारात्मक प्रकृति के।

यह नहीं भूलना चाहिए कि बिना उचित नीतियों को अपनाए लाभ अर्जित करने वाले उद्योगों, ऐसे उद्योगों, जो अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु आधार प्रदान करते हैं, न कि केवल लाभ अर्जित करते हैं, उनका विनिवेश करने से घाटा कम नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार ऐसा ही कर रही है।

अत: हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि कुछ भी मदद करके अधिसंख्य की ओर ध्यान न देने का उसका यह रवैया देश की आर्थिक गतिविधियों व बहुसंख्यक लोगों के लिए उपयोगी नहीं होगा। निजी क्षेत्र की पूरी शक्ति और क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसी प्रक्रिया न अपनाएं जिससे की राष्ट्र की शक्ति और क्षमता कम न हो क्योंकि इस संबंध में गलत मार्ग अपनाए जाने के कारण ऐसा होता दिखाई दे रहा है।

समाज के कमजोर तबके की मदद करने, विभिन्न क्षेत्रों में आम आदमी को बढ़ावा देने, आर्थिक व सामाजिक न्याय करने हेतु राजसहायता उपलब्ध कराई जाती है। इससे जो लाभ होते हैं वे हो सकता है कि प्रत्यक्ष लाभ के रूप में न दिखे परंतु उनका लाभ तो होता है। इससे हताशा कम करने में, समाज में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में, नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित होने में मदद मिलती है। इसे युक्तिसंगत बनाने और यह सुनिश्चित करने में कि ये लक्षित तबके तक पहुंच सके ऐसे प्रयासों का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन अन्य विकसित देशों के लिए जो उपाय सही हैं। परन्तु यदि वे भारत की वास्तविकताओं से परिचित नहीं हैं। यहां की वास्तविकता पर जिनकी पकड़ नहीं है उपायों को यहां लागू नहीं किया जाना चाहिए। सौभाग्यवश, इन तर्कों को किसी सीमा तक सुना जाता है और बिना सोचे-विचारे राजसहायता कम करने की ऐसी बड़ी-बड़ी योजनाओं का न तो प्रारुप तैयार किया गया है और न ही उन्हें क्रियान्वित किया गया है। आइये, उम्मीद करें कि आम आदमी को बिसराया नहीं जाएगा। उम्मीद करें कि केवल प्रासंगिक और उचित नीतियां बनाई जाएंगी और उन्हें उचित रूप से क्रियान्वित किया जाएगा।

सरकार का आकार कम करना एक मंत्र हो गया है जिसका ये हर समय जाप करते रहते हैं। यह अच्छी बात है कि सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य सरकार का आकार कम करने से पूर्णत: सहमत नहीं हैं और सरकार का आकार सही करने का समर्थन करते हैं। हमें उन लोगों की सहायता करनी है जिनके पास कोई सम्पत्ति नहीं है, जो खून पसीना बहाकर और कुछ की कामना न करके ईमानदारी से रोटी का जुगाड़ करके जीना चाहते हैं। अगर हमने उन्हें नौकरियों से निकाल दिया है तो हमने उनके साथ न्याय नहीं किया। हमें बहुत सी चीजें करनी हैं - हमें अपनी अर्थव्यवस्था और देश को विकसित करना है। हमें उन्हें उचित रोजगार देना होगा और बराबर नौकरियों में रखना होगा, वे सभी प्रकार से हमारी मदद करेंगे। ऐसा करने की बजाय, अगर हम उनकी छंटनी करेंगे और कार्यरत व्यक्तियों को नौकरियों से निकालेंगे तो हम स्वयं अपने लिए मुसीबत मोल लेंगे। हम यह कभी न भूलें।

घाटा कम करने के लिए और बहुत सी चीजें की जा सकती हैं। कई क्षेत्रों में हमारे द्वारा स्थापित की गयी क्षमताओं का उतना उपयोग नहीं हो रहा है जितना कि उनका उपयोग किया जा सकता है। सिंचाई बांधों के जल का उतना उपयोग नहीं किया जा रहा है जितना कि इसका उपयोग हो सकता है। कई मामलों में इसका केवल 40 प्रतिशत ही उपयोग किया जा रहा है। देश के कुछ भागों में विद्युत संयंत्र अपनी क्षमता का केवल 40 से 50 प्रतिशत उपयोग करते हैं। निश्चित रूप से इससे इनकी क्षमता का 60 से 80 प्रतिशत तक कार्य कराया जा सकता है। देश के कुछ भागों में बिजली की चोरी बढ़कर अपने उत्पादन के 40 से 50 प्रतिशत तक हो गई है। निश्चित रूप से, इसे रोका जा सकता है। स्थापित की जा रही परियोजनाएं अधिक लागत और अधिक समय लगने की समस्या से ग्रस्त हैं। लगभग 200 परियोजनाएं 43,000 करोड़ रुपए तक अधिक लागत लगने से ग्रस्त हैं। निश्चित रूप से, अधिक लागत और अधिक समय लगने की इस समस्या को कम किया जा सकता है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भंडारित अनाजों के सड़ने के कारण इसे भारी नुकसान होता है। हमें मालूम है कि भंडारित 10 प्रतिशत स्टाक का नुकसान होता है। इस तरह की अन्य कई चीजें हैं जिन्हें उत्पादन वद्धि के लिए और घाटा कम करने के लिए अपनाया जा सकता है। प्रबंधन के आधुनिक साधनों का प्रयोग करके, लोगों को प्रोत्साहित करके, उन्नत प्रौद्योगिकियों को नियोजित करके, उत्पादन और विकास के नये क्षेत्रों में प्रवेश करके प्रबल और उपयोगी दूर दृष्टि का इस्तेमाल करके तथा अधिक अनाज पैदा करके इनके स्थान पर कुछ अन्य करके उचित लागत और समय किफायती ढंग से घाटा कम किया जा सकता है। व्यवस्था के स्थान पर कुछ और करके कृत्रिम और नकारात्मक उपायों को अपनाकर सरकार घाटा कम करना चाहती है तो वह सफल नहीं होगी।

इससे सरकार आर्थिक अक्षमता, घाटा और लोगों की कुंठा की दलदल में धंस जायेगी। सरकार ठीक रूप से चले और मिल जुल कर चले। घाटे को कम करने का कार्य सरकार के सभी मंत्रालयों और मंत्रियों द्वारा किया जाना चाहिए। यह अकेले वित्त मंत्रालय अथवा वित्त मंत्री द्वारा नहीं किया जा सकता। अगर यह अकेले वित्त मंत्रालय अथवा वित्त मंत्री के प्रयासों द्वारा ही किया जाता है

[श्री शिवराज वि. पाटिल]

तो जो हासिल होगा वह स्थाई नहीं होगा। वह बड़ा बनावटी होगा और यह दीन-हीन लोगों तथा अपनी आवाज न उठाने वाले लोगों के साथ अन्याय होगा। अत: घाटे को कम करने का कार्य समाज के सभी वर्ग करें। इसे कम करने का कार्य देश के अनुकूल सिद्धांतों और डिजायनों के आधार पर देश की सभी सरकारें भी करें लेकिन वे दूसरों के सिद्धांत के जरिये अथवा अन्य उन व्यक्तियों के विचारानुसार घाटा कम करने का कार्य न करें जो भारतीय लोगों की लोकनीति और देश की वास्तविकताओं को न जानते हों। हम उसकी बात सुन लें, उनके विचार जान लें परन्तु हम उनके डिजायनों और प्लानों को स्वीकार न करें। हर व्यक्ति दुकानें तथा छोटे और बड़े उद्योग अपने विकास की योजनाएं बनाते हैं। सही दिशा-निर्देश नीतियां तथा सिद्धान्त अपना करके स्वीकार्य किस्म के सर्वोत्तम संभव परिणाम पैदा करने हेतु जो सामग्री उनके पास उपलब्ध है उसका प्रयोग करके भविष्य में समय और ऊर्जा को कैसे बचाये, इस संबंध में भी योजनाएं बनाते हैं। योजनाओं से किन्हीं व्यक्तियों, किन्हीं उद्यमों तथा सरकारों की गतिविधियां सीमित होने की आवश्यकता नहीं होती है। वे दिशा-निर्देश दे सकती हैं, वे सहयोग बढ़ा सकती हैं तथा आर्थिक गतिविधियों में समन्वय प्रदान कर स्कती हैं। यदि किसी के विकास हेतु योजना जरूरी है तो वह दुकान अथवा उद्योग, किसी राज्य अथवा देश के विकास के लिए भी यह जरूरी है। अत: इसके प्रति नकारात्मक रवैया नहीं होना चाहिए, इसे ठीक प्रकार प्रयुक्त किया जाना चाहिए। यह आधुनिक सिद्धांतों और वास्तविकताओं पर आधारित होना चाहिये, परन्तु यह अप्रभावी नहीं होनी चाहिये।

विगत में प्रतिष्ठानों द्वारा दृष्टिकोण पत्र तैयार किया जाता था। सरकार और लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा उन पर विचार-विमर्श किया जाता था। उसके पश्चात् ही योजनाएं बनायी जाती थी। अब तो सरकार भी उन पर ठीक प्रकार से विचार-विमर्श नहीं करती। निश्चित रूप से विधायक भी इस पर विचार-विमर्श नहीं करते। इन योजनाओं को अपनाने और कार्यान्वित करने से पहले सरकार, विधान मंडलों तथा लोगों द्वारा इन पर सामान्यतया विस्तारपूर्वक विचार किया जाता था। एन.डी.सी. की बैठकों में भी इन पर विचार-विमर्श किया जाता था। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता।

विधानमंडल के सदस्यों के समक्ष योजना संबंधी कार्यनिष्पादन का मध्यावधि मूल्यांकन भी प्रस्तुत किया जाता था। उन पर विचार-विमर्श किया जाता था। सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में इसके निष्पादन न करने अथवा गलत निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता था। लेकिन आजकल वह भी नहीं हो रहा है। योजनाओं में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का पालन नहीं किया जाता। उनमें कमी कर दी जाती है। व्यय संबंधी आंकड़ा मोटे से मोटा होता जा रहा है लेकिन उपलब्धि संबंधी आंकड़ा कम से कम होता जा रहा है। कुछ ही दिन पहले, सभा में हमसे यह कहा गया था कि नौवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 43,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने का था। पहले इसमें 28,000 मेगावाट की कमी की गयी और दूसरी बार इसमें 20,000 मेगावाट की कमी हो गयी। सिंचाई, कृषि, उद्योग, सामाजिक क्षेत्र आदि सभी क्षेत्रों में ऐसा ही हो रहा है। सभा में हमें इन मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिलता जो कि सही बात नहीं है। इससे सरकार के और हमारे सामने प्रतिकूल परिणाम आयेंगे।

इसलिए हमें नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन पर चर्चा करनी चाहिए, यदि इस सत्र में नहीं तो कम-से-कम अगले सत्र में। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए तैयार किए गए दृष्टिकोण पत्र और दसवीं पंचवर्षीय योजना पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। इस प्रकार की चर्चाएं सरकार के और देश के लिए अपने-अपने कार्यों को दिखाने में दर्पण का काम करेगी और समय पर सुधारात्मक कदम उठाने में भी मदद करेंगी। अगर हम यह कार्य नहीं करेंगे तो सभी क्षेत्रों में सरकार का कार्यकरण घटिया हो सकता है। भले ही कृषि, उद्योग, प्रौद्योगिकी विकास तथा सामाजिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था संबंधी वृद्धि दर अपने वांछित आंकड़ों तक न पहुंच पाए और भले ही घाटा बढ़ जाए और भले ही घाटा कम न हो लेकिन दुर्भाग्यवश ये अनुदेश नहीं हैं जो सरकार के प्रयासों के माध्यम से देखे जाने होते हैं। अत: इसमें अच्छी बात यह है कि जो अच्छी तरह से जांच परख करके की जाती है वह सारी-की-सारी गलत दिशा-निर्देशों, गलत नीतियों तथा प्रतिष्ठान की प्रमादता के मलबे के नीचे दबकर रह जाती है।

इसलिए, हमें उत्पादन के मामले में कल्पनाशील आधुनिक, साहसी और परिश्रमी होना होगा, और वितरण के मामले में ईमानदार और विचारशील होना होगा और अमीरों तथा गरीबों के साथ इस तरह से व्यवहार करना होगा कि वे उसकी मदद करें और केवल संपन्न लोगों पर ही मेहरबान न हों। हम यह न भूलें कि पूंजी आवश्यक है लेकिन आर्थिक और अन्य प्रकार के विकास कार्यों के लिए एकमात्र यही साधन नहीं है। हम यह भी याद रखें कि अच्छा शासन और प्रबंधन, नये विचार और प्रौद्योगिकियां तथा उन सभी लोगों का सहयोग और उत्साह भी जरूरी है जो उत्पादन तथा अन्य कार्यों में लगे हुए हैं।

मैं यह आशा करता हूं कि यह सब कार्यान्वित किया जाएगा और यह किया जाएगा और यह सब होगा।

मैं केवल दो बातें और कहना चाहता हूं और फिर मैं वित्त विधेयक पर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा।

ऐक्रिलिक फाइबर उद्योग को अधिक कर देने चाहिए। यह देश में आम आदमी की मदद करने वाला उद्योग है। अब,

ऐक्रिलिक उद्योग पर ज्यादा कर लगाने से इस उद्योग से जुड़े हुए लोग लाभान्वित नहीं होंगे। मैं यह आग्रह करूंगा कि करों में की गयी इस वृद्धि को कम करना चाहिए।

मैं अंतिम बात जो कहना चाहता हूं वह यह है कि ट्रस्टों से अपने खाते समाचार-पत्र में प्रकाशित करने के लिए कहा जाए। माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में कुछ परिवर्तन सुझाये हैं। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। यदि इन लेखों को समाचारपत्रों में प्रकाशित करने की आवश्यकता पड़ती है तो इनके प्रकाशन की लागत बहुत आयेगी। लेखों के संबंध में समाज के अनैतिक तत्वों को पता चल जायेगा, इसी बात से उन लोगों को परेशानी हो जाएगी जो वस्तुत: ट्रस्ट के इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग समाज की पूरी तरह से सहायता करने के लिए चाहते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप गैर-सरकारी संगठनों के बारे में कह रहे है?

**श्री शिवराज वि. पाटील** : ट्रस्टों को अपने खाते समाचार-पत्रों में प्रकाशित करने चाहिये। अब यह कहा जाता है कि ट्रस्ट की आय यदि एक करोड़ रुपये से ज्यादा है तो उन्हें ऐसा करना ही होगा। आज के समय के अनुसार एक करोड़ रुपये की राशि भी ट्रस्ट की गतिविधियों के लिए ठीक नहीं है। पारसी न्यास, अन्य अनेकों न्यासों और शैक्षिक न्यासों ने अनुरोध किया है कि वहां इस प्रकार की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके सारांश को प्रकाशित किया जा सकता है। लेखा-परीक्षक द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र और इस तरह की अन्य चीजों को प्रकाशित किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि उनके इस अनुरोध पर ध्यान देने की जरूरत है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

मैं पुन: अनुरोध करता हूं कि वे लोग जो एक्रीलिक फाइबर उद्योग अथवा लघु उद्योग में कार्य कर रहे हैं उनकी सहायता की जानी चाहिए। यदि उनकी सहायता नहीं की जाती है तो ऐसा आभास मिलेगा और मिल रहा है कि हम उनकी सहायता करने के इच्छुक हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता नहीं है और हम उनकी सहायता का प्रयास नहीं कर रहे है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। एक्रेलिक उद्योग एक लघु उद्योग है। यह उद्योग गरीबों विशेषकर गांवों में रहने वाले लोगों जो वहां कच्चे माल का उपयोग करते हैं कि सहायता करता है। ऐसी व्यवस्था वहां होनी चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री चिन्मयानन्द स्वामी** (जौनपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे 2001-2002 के फाइनेंस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मुझसे पहले इस सदन के वरिष्ठ सदस्य जो कि सदन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, माननीय पाटिल जी का भाषण हो चुका है। मैं अपनी चर्चा शुरू करने से पहले श्रद्धेय संत त्रिवल्लूर जी की बात को सामने रखना चाहूंगा जिन्होंने कहा है कि जो लोग जमीन खोदते हैं, जमीन उनका भी भार वहन करती है। ऐसे ही जो रचनात्मक आलोचना है, उसको हमें सहन करना चाहिए। उसके प्रति हमारा एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए।

शायद यही हमारे इस सदन की महत्वपूर्ण बात है। मैं पाटील जी के उन विचारों को सुझाव के रूप में समझता हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि यहां कई विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, सदन का वातावरण चर्चा का होना चाहिए। यह सच है। जब माननीय पाटील जी सदन के अध्यक्ष थे, तब चर्चा का एक वातावरण रहता था और यह सच है कि चर्चा से बहुत सी बातें निकलती हैं। कम से कम देश के बजट पर चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिए। मैं कांग्रेस के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बजट पर अब तक जो चर्चा रुकी हुई थी, उसे दूर करने में स्पीकर महोदय के हस्तक्षेप को स्वीकार किया और बजट पर चर्चा की। देश में बड़ी चिन्ता थी कि देश के बजट पर चर्चा नहीं हो पा रही है और बिना किसी बहस और चर्चा के यदि बजट पास हो गया तो हम लोग, जो जनता के संदेश, जनता की भावनाओं को लेकर आते हैं, वे अपनी बात कैसे रख सकेंगे और उसमें यदि माननीय वित्त मंत्री महोदय संशोधन भी करना चाहें तो लोगों के विचारों को सुन नहीं सकेंगे। लेकिन यह क्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां यह गतिरोध बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था वहीं स्पीकर महोदय का हस्तक्षेप और कांग्रेस पार्टी की समझदारी ने इस मामले का हल निकाला और आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ सदन के प्रमुख होने के नाते हम आपको भी धन्यवाद देते हैं।

जो बजट वित्त मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया, जब यह बजट प्रस्तुत किया गया था, मैं नहीं समझता कि किसी वर्ग की ओर से इस बजट को लेकर कोई आपत्ति उठाई गई हो। प्राय: सभी लोगों ने इस बजट की तारीफ, सराहना की थी, यहां तक कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो अब तक उपेक्षित रहा है, वह था ग्रामीण लोगों का वर्ग, खेतीहरों का वर्ग, खेती करने वाले मजदूरों का वर्ग, यह वर्ग ऐसा था जो आम बजट में छूट जाता था, उधर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन इस बजट में सबसे ज्यादा कृषि की ओर दिया गया है। हमारे मित्र शून्यकाल में कृषि उत्पादन की बातों को लेकर चिन्ता कर रहे थे। लेकिन हमें इसका अनुभव है, हम एक कृषक परिवार में पैदा हुए हैं। हम जानते हैं कि कृषक की क्या कठिनाइयां होती हैं। उसका उत्पाद केवल गेहूं, धान नहीं होता वह और बहुत कुछ पैदा करता है, उसकी आमदनी के स्रोत उसके द्वारा उत्पादित फल, सब्जी और दूसरी जायज फसल होते हैं। आज तक केवल गेहूं की फसल को ही एक उत्पाद माना जाता था, अन्य फसलों को उत्पाद माना ही नहीं गया, कभी सरकार ने

[श्री चिन्मयानंद स्वामी]

उसकी चिन्ता नहीं की। लेकिन इस बजट में उसकी व्यापक चिन्ता की गई है, कि किस तरह हम फसलों और सब्जियों के उत्पादन को सुरक्षित रख सकें, अपने क्षेत्र में उनके रख-रखाव की व्यवस्था कर सकें। उसके लिए सस्ते दर पर कर्ज उपलब्ध करवाने की व्यवस्था शासन की ओर से की गई है, उस पर छूट भी देने की व्यवस्था की गई है। कम से कम सीमांत कृषक, जिनकी तादाद पूरे देश में लगभग 20 प्रतिशत है, जो छोटा खेतीहर है, वह केवल फल, सब्जी का उत्पादन करता है, आज उसे अपने उत्पादन को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उसका उचित मूल्य मिले, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उसे रखने की व्यवस्था की गई है तो उसके उत्पाद का सही मूल्य मिले, इसका भी इंतजाम होना चाहिए क्योंकि वे उत्पाद ऐसे होते हैं जिनको लम्बे समय तक रखना मुश्किल होता हैं- न फल रखे जा सकते हैं न सब्जी रखी जा सकती है- ऐसी स्थिति में उनके विपणन का भी उचित प्रबन्ध होना चाहिए। होना तो यह चाहिए कि सरकार खरीद करे और ऐसा इंतजाम करे कि उनके विपणन के लिए रेल माध्यमों का उपयोग किया जाए क्योंकि जब ये कृषि उत्पाद बाजार में आते हैं तब बहुत सस्ते होते हैं लेकिन एक ही समय में जहां छोटे-छोटे बाजारों में ये सस्ते बिक रहे होते हैं वहीं बड़े-बड़े बाजारों में इनकी कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं। जब खेतों में आलू की पैदावार होती है, उस समय उसकी कीमत मुश्किल से एक रुपये किलो या डेढ़ रुपये किलो होती है लेकिन उसी समय वह दिल्ली और मुम्बई के बाजारों में 10-12 रुपये किलो बिक रहा होता है। ऐसी स्थिति में अगर उनके परिवहन का इंतजाम किया जाए, जिसकी चिन्ता की गई है तो अच्छा होगा। अगर उनके परिवहन की चिन्ता, जैसी की गई है वैसी व्यवस्था भी हो सकेगी तो मैं निश्चित समझता हूं कि छोटे, सीमान्त कृषक देश के सामने आने वाली चुनौती का सामना कर सकेंगे।

वित्त मंत्री महोदय जब बजट पेश कर रहे थे तो देश के सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं -एक गुजरात के भूकम्प ने देश को हिला दिया था, देश के सामने एक अप्रत्याशित संकट आ गया था, पूरा प्रान्त हिल गया था। पाटील जी परिचित हैं, जब उनके क्षेत्र लातूर में भूकम्प आया तो क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी, वह हम सब जानते हैं। मैं भी अपने एक संत के साथ देखने के लिए वहां गया था। गुजरात की त्रासदी उससे भी भयंकर थी। उस भयंकर त्रासदी का सामना करने के लिए सरकार तैयार नहीं थी, कोई वित्तीय इंतजाम नहीं था। लेकिन सहसा खड़े हुए संकट में शालीनता के साथ सरकार सामान्य सा अधिभार दो प्रतिशत का लोगों पर लगाया और केवल जन सहयोग से इस आपदा से निपटा गया। देश की जनता इसके लिए धन्यवाद की पात्र है कि अपनी गरीबी के बावजूद भी, मुफलिसी के बावजूद भी इस संकट को उसने अपना संकट समझा। देश के किसी भी प्रान्त ने, किसी भी जनपद ने इस संकट में साझेदारी न की हो, समझ में नहीं आता। सब ने साझेदारी की और उस संकट का सामना किया।

लेकिन यह दूसरा संकट हमारे सामने है, जो एक बड़ा संकट है, वह डब्लू.टी.ओ. द्वारा लाया हुआ संकट है, जिसका बीज दसवीं लोक सभा में बोया गया था, जब माननीय पाटिल जी अध्यक्ष थे। उस समय वह बीज बोया गया था, आज वह वृक्ष बनकर खड़ा है। आज वह हमारे सामने एक चुनौती बनकर खड़ा है। एक अप्रैल, 2001 हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का दिन है। यह दिन हमारे लिए एक संकट का दिन भी हो सकता है और यह दिन हमारे लिए वरदान का दिन भी हो सकता है। हम जानते हैं कि जिन वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगा था, वह प्रतिबन्ध हट गया है। विदेश के लोग अब यहां अपनी चीज बेच सकेंगे। हम जानते हैं कि छः वर्ष की अवधि हमारे लिए काफी थी, उसमें हमें तैयारी करनी चाहिए थी, मुकाबला करने की हिम्मत जुटानी चाहिए थी। पाटिल जी उसकी चिन्ता कर रहे थे, लेकिन इस चिन्ता के लिए छः वर्ष तक हमने क्या किया। जब हमने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये थे तो हमें पता था कि 6-8 वर्ष पड़े हुए हैं, उसके बाद यह स्थिति हमारे सामने आयेगी। जब छः वर्ष पहले हमें यह बात मालूम थी, तब अपनी आर्थिक नीतियों में जो तैयारी हमें करनी चाहिए थी, वह व्यापक ढंग से नहीं की, उसी का नतीजा है कि आज वह भय उत्पन्न कर रहा है। लेकिन मेरा विश्वास है कि जो बजट माननीय वित्त मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, उन संभावनाओं को देखते हुए उसमें सबसे निपटने का एक कारगर उपाय दिखाई पड़ता है।

यह सच है कि सरकार का साइज कम होना चाहिए। सरकार का भारी भरकम ढांचा, जो अनुत्पादक खर्च बढ़ाता है, जिसकी चिन्ता पाटिल जी ने की, उससे बहुत बड़ा खर्च बढ़ता है। इस खर्च को, जिसके परिणाम में कोई नतीजा नहीं निकलता है, कोई उत्पादन नहीं होता है, जो अनुत्पादक खर्च है, उसको कम करने की चिन्ता होनी चाहिए। वह कैसे खर्च कम किया जायेगा। जहां छटनी वाली बात को आपत्तिजनक बताया, माननीय पाटिल जी ने, वहीं कुछ रास्ते सुझाये होते कि किसी रास्ते से हम इस खर्चे को कम कर सकते हैं जो ज्यादा कारगर होता। उन्होंने खर्चे कम करने की बात कही। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह दुर्भाग्य ही रहा है कि देश की आजादी के बाद नौकरी को ही रोजगार मान लिया गया। नौकरी कोई रोजगार नहीं होती है। हम लोग जिस पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहां एक गांव गंवई का आदमी था, वह कवि था, उसका नाम घाघ था, उसने कुछ बातें कहीं थी। उसने कहा था, "उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान"। सबसे अच्छी खेती होती है, दूसरे नम्बर पर व्यापार होता है, तीसरे नम्बर पर नौकरी होती है, लेकिन नौकरी को ही इस देश ने रोजगार मान लिया। जो खेती करने वाले थे, वे भी नौकरी की ओर, जो व्यापार करते थे, वे भी नौकरी की ओर, जो उद्योग में थे, वे भी नौकरी की ओर, जो कुटीर उद्योग में थे, वे भी

नौकरी की ओर चले गये। हम सब नेता गांव से आते हैं। हम जहां से चुने जाते हैं, वह भी गांव का क्षेत्र है, जहां पैदा हुए हैं, वह भी गांव का क्षेत्र है। आज गांव के लोग खेती नहीं करना चाहते। खेती उद्योग है, अच्छी फरटाइल जमीन उनके पास है, लेकिन लोग खेती नहीं करते।

दुर्भाग्य यह है कि शिक्षा इस देश की ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण रही कि जैसे-जैसे शिक्षा में डिग्री बढ़ती गई, वैसे-वैसे लोग परम्परागत उद्योगों से हटते गये और नौकरी की ओर बढ़ते गये। नौकरी भी कौन सी, बाबूगिरी की या कहीं स्कूल में अध्यापक हो गये, चपरासी हो गये, कहीं दफ्तर में बाबू हो गये। इसी को जीविका का मान लिया गया। यह जीविका नहीं है, यह एक व्यक्ति के लिए जीविका हो सकती है, लेकिन राष्ट्र जीविका के लिए एक संकट ही है। यह सुविधा नहीं है कि नौकरी को रोजगार का पर्याय मान लिया। अभी माननीय पाटिल जी यह कह रहे थे शायद, वे नौकरी को ही रोजगार की बात कह रहे थे। मैं कहना चाहूंगा कि समय आ गया है कि इस संबंध में परिभाषा बदले और लोग अपने ढंग से रोजगार की तैयारी करें। सरकार की जिम्मेदारी राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित करना नहीं है। राष्ट्र की समृद्धि की यात्रा में सरकार सहयोग तो कर सकती है, लेकिन वह कोई ईश्वर नहीं है, वह कोई भगवान नहीं है, वह कोई दाता नहीं है, जो देश की गरीबी दूर करने की जिम्मेदारी ले सकती है। देश की गरीबी दूर करने में वह मदद कर सकती है, लेकिन देश की गरीबी दूर तब होगी, जब देश का हर आदमी अपनी गरीबी दूर करने के लिए अपने ढंग से प्रयास करेगा और अपने ढंग से इन्तजाम करेगा। वह अपने डंग से प्रयास जब होगा, तभी सरकारी नौकरियों पर निर्भरता खत्म होगी।

जैसे-जैसे सरकारी नौकरियों में भर्ती खत्म होगी, वैसे-वैसे रोजगार का संकट कम होता जाएगा और लोग उत्पादकता की दिशा में बढ़ते जाएंगे। जो छंटनी का निर्णय लिया गया है, सरकारी खर्चे में कमी करने के लिए सरकारी नौकरियों में कमी करने की बात है, वह देश के पुरूषार्थ को एक अवसर देगा, पुरूषार्थ जगाने के लिए। पाटिल जी इस सदन के ही नहीं, देश के भी विद्वान लोगों में से एक हैं। हम जानते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब पुरूषार्थ होते है। अर्थ एक पुरूषार्थ है। अर्थ पुरूषार्थ प्राप्त करने की मजदूरी नहीं है, एक पुरूषार्थ है, वह जगाना होगा कि हम क्यों नहीं अपनी जीविका को स्वयं अर्जित नहीं कर सकते। क्या हम अपने परिवार का पोषण प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त नहीं कर सकते। यही कारण है कि अगर हमने पुरूषार्थ को महत्व दिया होता तो हमारे देश में तालाबों की कमी न होती। आज नदियों को तालाब बनाया जा रहा है। आश्चर्य है कि बहने वाली नदियों को तालाब बनाया जा रहा है। तालाब खत्म हो रहे हैं, उनको कालोनियों में बदल रहे हैं। तालाब कालोनियां बन रही हैं और नदियां तालाब बन रही हैं। हम बांधों से पानी क्या लेंगे, यह सब निर्मित हो रहे हैं। अगर हम धरती को रिचार्ज नहीं करेंगे। यही वह देश है यहां वृक्ष लगाना पुण्य का काम समझा जाता था। आज वृक्षारोपण का अभियान चलाकर भी इस उद्देश्य में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। वजह क्या है, क्या वृक्ष लगाना भी हमारे पुरूषार्थ के हिस्से में नहीं, क्या जल संसाधनों का दोहन करना हमारे पुरूषार्थ के हिस्से में नहीं है? हम धरती को माता कहते थे वेद में कहा गया है—पुत्रो अहम् माता पृथ्वी, पुत्रो अहम् पृथ्विमान। इस धरती के हम सब पुत्र हैं। अब भी हमारे यहां कुछ बालक हैं जो सवेरे उठते हैं और धरती को प्रणाम करते हैं। समुद्रे वरूण: नमे। पर्वतस्ते मंडल: विष्णुपतीय: नम: नमस्ते। धरती को मां समझने की भावना बढ़ती तो हम धरती के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करते, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि के साथ उसमें वनस्पतियां पैदा करते।

अभी हमारे एक मित्र यूरिया की बात कह रहे थे। मैं नहीं समझता यूरिया पर दी जाने वाली छूट किसानों के लिए होती है। अगर किसान दस प्रतिशत लाभान्वित होता है तो 90 प्रतिशत वे लोग लाभान्वित होते हैं, जो यूरिया के कारखाने चलाते हैं। क्यों नहीं जैविकीय खादों का हमने प्रोत्साहन दिया, क्यों नहीं गोबर की खाद को प्रोत्साहन दिया। अगर हम जैविकीय खादों को प्रोत्साहन देते, न केवल जैविकीय खाद के द्वारा धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ती, उत्पादकता बढ़ती, बल्कि उसके साथ-साथ गैर पारम्परिक ऊर्जा के नए स्रोत भी विकसित होते। हमने उधर ध्यान नहीं दिया। हम केवल पाम्परिक ऊर्जा पर निर्भर करते रहे। इस सबमें एक पहल हुई है, एक रास्ता दिखा है, जो काम किए गए हैं, उनकी मैं आंख मूंद कर प्रशंसा नहीं करता। मैं खुली आंखों से उनकी तारीफ करना चाहता हूं और जानता हूं कि उनमें जो बातें कही गई हैं, वह दिशा बोधक हैं। एक दिशा दे रही हैं कि इस मंदी के दौर में जब पूरा विश्व मंदी का शिकार हो रहा है, देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए कुछ खतरनाक काम, कुछ साहसिक कदम उठाने पड़ेंगे। मैं जानता हूं भारत एक समृद्ध बाजार है, भारत की भूख मरी नहीं है, वह जिंदा है। लेकिन इस भूख को हम किसी विदेशी के हाथ में सौंप दें, वह हमारी भूख का शोषण करे यह नहीं होने देंगे। हमें उसके समानांतर एक व्यवस्था करनी होगी और वह कृषि ही ऐसा क्षेत्र है, जिसके द्वारा हम उनका रास्ता रोक सकते हैं, दूसरी कोई और व्यवस्था नहीं है। हम व्यापार में, उद्योग में तभी आगे बढ़ पाएंगे, जब कृषि के क्षेत्र में समृद्धि होगी। इस देश का किसान आत्मनिर्भर होगा।

अध्यक्ष जी मैं जिस क्षेत्र से आता हूं अभी भी वहां 372 गांव ऐसे हैं जहां पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सड़क छोड़ दीजिए, कच्चा रास्ता भी नहीं है। मीलों लोग चलकर जाते हैं। सोचा जा सकता है कि इस देश की 53 साल की आजादी के

[श्री चिन्मयानंद स्वामी]

बाद भी गांव में जाने का रास्ता नहीं हैं। धन्यवाद है प्रधान मंत्री जी को और वित्त मंत्रीजी को, जिनकी नजर उधर गई। अवस्थापना के संसाधनों में सड़क की अहम् भूमिका होती है, उसको अब समझा गया है। एक हजार की आबादी वाले गांव और कई जगह 500 की आबादी वाले गांवों को जोड़ने के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई गई है, यह एक क्रांतिकारी योजना होगी। इससे न केवल बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, बल्कि लोग अपना उत्पाद भी मंडियों तक ले जा सकेंगे, जिनकी उनको आवश्यकता है।

पेयजल के क्षेत्र में हम कितने अभागे हैं कि अब तक इस देश में पानी भी एक संकट है। पानी भी एक ऐसी जरूरत है कि आज पीने का पानी भी लोगों को उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। इसलिए पेयजल को प्राथमिकता देनी होगी और पेयजल के साथ सिंचाई को भी प्राथमिकता देनी होगी। सिंचाई के साथ-साथ जमीन के अंदर पानी को बनाए रखने को प्राथमिकता देनी होगी।

इसके साथ-साथ आसमान से जो पानी बरसता है, वह पानी भी बेकार न जाये, उसके लिए भी व्यवस्था सोची गई है और इस बजट में उन सबके लिए कहीं न कहीं संरक्षण दिखाई पड़ता है। इसलिए लगता है कि चाहे आसमानी पानी हो, चाहे जमीन का पानी हो, उसे सिंचाई के पानी के रूप में या उसे पेयजल के रूप में बदलने का इंतजाम रखा गया है, उसके बारे में सोचा गया है।

इसी तरह से उच्च शिक्षा की बात हो या माध्यमिक शिक्षा की बात हो या चाहे असंगठित क्षेत्र के खेतिहर मजदूरों की बात हो, सबकी चिंता इसमें की गई है। जहां उच्च शिक्षा के लिए मेधायें भटकती फिरती थी, उनको कहीं संरक्षण नहीं मिलता था कि कहां से पैसा आये, कहां उच्च शिक्षा के लिए जाएं, ऐसी स्थिति में पहली बार इस दिशा में नजर गई है। आज अगर वे चाहे तो 15 लाख रूपये तक उनको कर्ज दिया जा सकता है और धीरे-धीरे वे जब नौकरी या अपना धंधा या अपना व्यवसाय करेंगे तो वे वापस कर सकते हैं। अगर वे देश में पढ़ना चाहते हैं तो 7.5 लाख रुपया दिया जा सकता है और चार लाख रुपये तक तो उनके लिए कुछ नहीं रखा गया है कि उसके लिए कोई जमानत की जरूरत हो। इसी तरह माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले जो सामान्य और गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनको भी सौ रुपये महीना सहायता के रूप में स्कॉलरलिप के रूप में देने की बात कही गई है। इससे निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन होगा और मेधाएं आगे आएंगी, उनको पढ़ने का अवसर मिलेगा। असंगठित क्षेत्र का मजदूर आज तक बड़े-बड़े कारखानों में काम करता था और वहां यूनियनें थी, वे उनकी लड़ाई लड़कर उनका अधिकार प्राप्त कर लेती थीं लेकिन खेती में काम करने वाले खेतिहर मजूदर, जिसकी रोजी-रोटी कभी बारिश तो कभी आंधी तो कभी तूफान के कारण जिसकी छुट्टी हो जाया करती थी और वह भुखमरी का शिकार होता था, लेकिन इस बजट में उसे भी राहत दी गई है। उसके लिए भी कहा गया है कि यदि उसकी व्यवस्था हो गई तो उसे भी साठ वर्ष के बाद जिंदगी भर मेहनत करने के बाद, उसे सौ रुपये महीना पेंशन की तरह मिलता रहेगा।

**अपराह्न 1.53 बजे**

**[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]**

इसी तरह महिला सशक्तीकरण की बात कही गई है। महिला एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। उस ऊर्जा की निरन्तर उपेक्षा होती रही है। हम उस ऊर्जा को अब तक समझ नहीं पाये और आज उस ऊर्जा को जोड़ने का, जगाने का काम विभिन्न योजनाओं के द्वारा इस बजट में किया गया है। निश्चित ही महिलाओं को इससे बल मिलेगा और महिलाएं देश की रचना के काम में आगे आएंगी। इस बजट में विश्व व्यापार संगठन की चुनौतियों का सामना करने के लिए जो तैयारी दिखाई पड़ती है, जो मनोबल, जो संकल्प शक्ति दिखाई पड़ती है, वह हम अमल में लाएंगे और उसके द्वारा विश्व व्यापार संगठन की जो भी चुनौतियां हैं, उनको हमें रोकना होगा और उनसे हम उपने देश को प्रभावित नहीं होने देंगे। इसी तरह जो पेटेंट का मामला है, उसके लिए भी एक अलग इंतजाम किया गया है। बाकायदा डायरेक्टरेट बनाया गया है। वे लोग बैठकर हमेशा से देश में जो उत्पादित वस्तुएं हैं, उनको कोई और पेटेंट नहीं करा ले, उन पर कोई और कब्जा न कर ले, इसका भी इंतजाम किया गया है। हम जानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सरकार ने जो पहल की है, उसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। दस साल पहले इस व्यवसाय में भारत का हिस्सा केवल 15 करोड़ का था लेकिन दस साल के बाद आज 6000 करोड़ की हिस्सेदारी बढ़ी है। 6 अरब का हिस्सा हो गया है। यह कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। मैं जानता हूं कि राजकोषीय घाटे के नियंत्रण में जो कामयाबी माननीय वित्त मंत्री जी को मिली है, आज विदेशी मुद्रा का जो बड़ा भंडार है, खाद्यान्नों के मामले में एक आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है। वह अचानक नहीं है, उसके पीछे एक योजना है, संकल्प है, एक दृष्टि है, एक समझ है और मैं समझता हूं कि सदन समवेत रूप से इस नीति के प्रति अपना उदार दृष्टिकोण अपनाये और समझबूझकर इस मामले को आगे बढ़ाये तो भारत आगे चलकर इस विश्व में आर्थिक दृष्टि से न केवल आत्मनिर्भर हो सकता है बल्कि अत्यधिक प्रगति कर सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि सीमाएं कितनी अशांत हैं। आप देखिए कि पश्चिमी सीमा में जो हो रहा है, वह हो रहा है और अब पूर्वी सीमा पर भी शुरू हो गया है। अब मेरी मान्यता है कि इसे अलग-अलग दृष्टिकोण से देखा जा रहा है लेकिन ताईवान का अन्तर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है या तालीमानी

साजिश पूरी भारतीय सीमा पर कहीं न कहीं सिर उठा रही है। बंगलादेश की सीमा भी अशांत हो गई है। अगर रक्षा की पूंजी नहीं बढ़ाई जाती है तो ऐसी स्थिति में वहां तैनात सिपाहियों के मनोबल को कायम रखना, उनको आवश्यक हथियार दे पाना, उनको आवश्यक संसाधन दे पाना संभव नहीं होगा।

इसके साथ-साथ वैज्ञानिक उपलाब्धयों के क्षेत्र में माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था- ''जय जवान, जय किसान'' के साथ ''जय विज्ञान'' को भी जोड़ा जाना चाहिए और यह जोड़ा भी गया है। ''जय जवान, जय किसान'' का नारा बहुत पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इस बीच काफी लम्बा समय बीत गया है और उस पर कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन प्रधान मंत्री जी द्वारा सत्ता संभालने के बाद उसमें अन्तर आने लगा और आज हम अन्तरिक्ष विज्ञान में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल हो रहे हैं। आज हम विश्व की छठी ताकत हो गए हैं। अन्तरिक्ष विज्ञान और परमाणु क्षेत्र में भारत ने सफलता पाई है। लेकिन मैं चाहूंगा कि बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, वैज्ञानिकों का ध्यान कृषि उत्पादों को बढ़ाने के लिए, कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के लिए और छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए तथा देश में सिंचाई संसाधनों को बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए होना चाहिए। उस दिशा में अगर काम होगा, तो निश्चित रूप से भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करने में सफल होंगे। अगर वित्त मंत्री जी राजकोषीय घाटे को बरकरार रखने में कामयाब हुए, तो मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में राजकोषीय घाटे को कम करने में भी सफल होंगे। यह दृढ़ संकल्प कायम रहा, तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी।

इन शब्दों के साथ, मैं एक अंतिम बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। यह धन और ये साधन हमारे नहीं हैं, सब परमात्मा के दिए हुए हैं। ईश्वर के दिए हुए संसाधनों के प्रति हमारा दृष्टिकोण ईमानदारी का हो, तो हमारे पास कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि धन पर किसी का अधिकार नहीं होता है। धन परमात्मा की सम्पत्ति होती है- ईश्वावसयमिदं सर्व भत्किंचिन्द जगत्या जगत तेन व्यकृन भुन्जीथा मा भृध: क्स्यस्विद धनम्। धन किसी की बपौती नहीं है और बपौती होनी भी नहीं चाहिए। 110 करोड़ डालर भारत का धन बाहर के बैंकों में बढ़ता जा रहा है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। धन यहां का, जमा वहां है-यह सब बपौती के कारण ही जमा है। धन पर किसी का अधिकर नहीं होना चाहिए। रघुवंश में पैदा हुए राजापृथु ने कहा था-यावतप्रियेत जठरं तत्सत्वं हिदेहिनाम। जितने में पेट भरता है, उतने पर ही व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, उससे अधिक मैं अधिकार नहीं मानता हूं। जहां इतनी ईमानदारी बरती गई हो, जहां अर्थ के प्रति इतना ईमानदार दृष्टिकोण अपनाया गया हो, वह देश आर्थिक दृष्टि से भ्रष्टाचार का शिकार बनें, यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसलिए आर्थिक नैतिकता, आर्थिक आध्यात्मिकता और आर्थिक संकल्प का दृष्टकोण हमारा होना चाहिए। मनु ने कहा था - प्रातरोत्थाय अर्थ कामायनु चिन्तयेत। सवेरे उठकर जहां धर्म का चिन्तन करना चाहिए, वहीं अर्थ का भी चिन्तन करना चाहिए। हमारे यहां अर्थ का चिन्तन नहीं हुआ है, इसलिए अनर्थ दिखायी दे रहा है। यदि इस पर नैतिक और ईमानदारी का अनुशासन होता, तो देश में भ्रष्टाचार और चोरी की स्थिति न पैदा होती और हम एक दूसरे को संशय की दृष्टि से नहीं देखते। एक दूसरे को शक की नजर से नहीं देखते। आज एक वातावरण बने ईमानदारी का, नैतिकता का और मिलकर काम करने का, तो निश्चित ही हम देश को आत्म-निर्भरता की ओर ले जा सकेंगे।

इन शब्दों के साथ अपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

**श्री सुबोध राय** (भागलपुर): सभापति महोदय, मुझे अफसोस है, मैं वित्त विधेयक 2001-2002 का किसी भी तरह से समर्थन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह घोर जनविरोधी है, किसान विरोधी है और मजदूर विरोधी है। यह विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष और बहुराष्ट्रीय निगमों के इशारे पर पूरी तरह से तैयार किया गया है। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण जैसे खुबसूरत आवरण से ढ़का हुआ है। यह बजट विष भरा कनक घट जैसा है।

**अपराह्न 2.00 बजे**

इस सोने के घड़े में विष ही विष भरा हुआ है। भारत की करोड़ों जनता, इस देश का सबसे बड़ा समुदाय किसान, मजदूर, कर्मचारी, बुनकर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग हैं और करोड़ों ऐसे लोग हैं जो इस देश की हर तहर से रक्षा करने के लिए अपने खून-पसीने को बराबर लगाते आए हैं। उन तमाम लोगों ने आज इस चीज को महसूस किया है कि जो भारत सरकार का बजट है उसने उसे महंगाई दी है। उसने उसके सामने भुखमरी की हालत पैदा की है, उसके बीच बेकारी, दरिद्रता और पस्त-हिम्मत का आलम पैदा किया है। आज इस बात का जवाब देने में सरकार क्यों असमर्थ है? किसानों के द्वारा आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं? ये किसान और बुनकर कब तक आत्महत्या करते रहेंगे? हमारे देश के करोड़ो नौजवानों ने जो सपना देखा था, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का लालकिले के प्राचीन से भाषण सुना था, वे आज बेकार दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। वित्त मंत्री जी प्रस्ताव लेकर आते हैं कि एक हजार मजदूर कर्मचारी रखने वाले कल-कारखाने के मालिक को अधिकार होगा कि वे जब चाहें तब उन्हें बहाल करें या निकाल कर बाहर करें-''हायर

[श्री सुबोध राय]

एंड फायर'' यह गजब की नीति है। आज हमारे जिन नौजवानों ने बड़ी उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के लिए वोट दिया था, उन्होंने कहना शुरू किया है- ''हमदर्द समझा जिसे था, वही अपना दुश्मन निकला।'' जिसे हमदर्द समझा था वही उनका दुश्मन निकला और जिस पर रहबर का यकीं था वह सबसे बड़ा राहजन निकला,'' तहलका, शेयर घोटाला, रिलायंस आदि घोटालों की बाढ़ ने आज यह जाहिर कर दिया कि 45 साल की जो कांग्रेस की हुकूमत थी, उसका भी इन्होंने रिकार्ड तोड़ दिया। घोटाले और भ्रष्टाचार में इतनी पारदर्शिता दिखाई कि किस तरह से करोड़ों लोग आसानी से घूस लिए और दिए जा रहे हैं, को लोग खुली आंखों से सब देख रहे हैं।

महोदय, आज तमाम लोगों को इस बात का अहसास हो रहा है कि भारत सरकार का बजट गरीबों, किसानों और बुनकरों के लिए नहीं, हमारे देश के करोड़ों मेहनतकशों के लिए नहीं बल्कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों के लिए है। कार्पोरेट सैक्टर के जो लोग हैं। उनके लिए है और उनके हितों की रक्षा करने के लिए है। इसलिए उन्हें 5500 करोड़ रुपये की छूट दे दी गई है लेकिन जो लोग लघु बचत करते हैं उनके ब्याज की दर को घटा दिया गया है। इससे कितना बड़ा प्रहार गरीबों पर किया गया है। उनके प्रति कितनी बड़ी हमदर्दी दिखाई गयी है यह इस बात से जाहिर होता है कि जिस प्रणाली के माध्यम से करोड़ों गरीबों को आसानी से गांव में अनाज और दूसरी आवश्यक सामग्री मिलती थी उस प्रणाली को आज ढहाने का काम किया जा रहा है। आज राज्य सरकारों को यह जिम्मा दिया गया है कि वह किसानों से अनाज खरीदें। आज जिस प्रकार से संसद में किसानों के सवाल पर सभी पक्षों द्वारा आवाज बुलंद की गयी उससे हमारे देश के किसानों की दर्दनाक हालत पूरी तरह से जाहिर हो गयी है। बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, केरल और तमाम अन्य राज्यों के किसानों की हालत आज बदतर हुई है लेकिन बजट में सरकार की तरफ से उनके लिए कोई आश्वासन नहीं, कोई हमदर्दी के शब्द नहीं हैं कि वे अब आत्महत्या नहीं करेंगे। बैंकों से कर्जा लेते वक्त उनके साथ धांधली होती है। बड़े-बड़े व्यापारियों के द्वारा उनका शोषण किया जाता है और उनकी सारी जिंदगी की कमाई नाश हो जाती है क्योंकि उन्हें उनकी फसल की कोई कीमत नहीं मिलती है।

हमारे करोड़ों खेत-मजदूर बिना काम के अनेक दिनों तक खाली बैठे रहते हैं। कैसे इस स्थिति में सुधार होगा। उनकी मां-बहनें आज शोषण की शिकार हैं और अपमान की जिंदगी जी रही हैं। उनकी हालत में कैसे सुधार होगा। इस बारे में भारत सरकार का बजट पूरी तरह से चुप है। इसलिए मेरा कहना है कि यह बजट आम आदमी की भलाई के लिए नहीं है।

महोदय, विनिवेश के नाम पर जिस तरह की बातें हुई हैं और उस पर चर्चा कल भी सदन में हुई और किश्तों में अलग-अलग मौकों पर जो बातें होती हैं सबको मैंने सुना है। बड़े-बड़े कल-कारखाने, बड़ी-बड़ी फैक्टरियां, बड़े-बड़े उद्योग जो हमारी अर्थव्यवस्था और आत्म-निर्भरता के बहुत बड़े प्रतीक हैं और जिन्होंने हमें साम्राज्यवादी दवाबों के आगे झुकने से रोका है, आज तमाम शर्तों के जरिये डब्ल्यू.टी.ओ. के सामने, मल्टी-नेशनल्स के सामने झुककर हमारी जो आत्म-निर्भरता थी उसको समाप्त करने की बात हुई है, जिस तरह से एग्जिम-पॉलिसी के नाम पर दरवाजे खोल दिए गये हैं उसने देश में जो माहौल पैदा किया है उससे गांव के तमाम उद्योग-धंधे चौपट हो रहे हैं। गांव में कल तक जहां खुशहाली थी आज वह विपन्नता, अराजकता और अव्यवस्था में तब्दील होती जा रही है। उग्रवाद, आतंकवाद, अपराध तथा कानून और व्यवस्था में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, उसने यह जाहिर कर दिया है कि अगर भारत के गांवों में ज्यादा से ज्यादा पूंजी नहीं लगाई गई, गांवों की स्थिति में सुधार नहीं किया गया, किसानों की हालत, खेत मजदूरों की हालत, काश्तकारों की हालत और दूसरे तमाम तबके के गरीब लोगों की हालत सुधारने के पर्याप्त साधन जुटाए नहीं गए तो सिर्फ दिल्ली को चकाचौंध करके मुम्बई और बड़े-बड़े महानगरों में अट्टालिकाएं खड़ी करके भारत की गरीबी और बदहाली मिटाने का सपना देखा नहीं जा सकता है। जिस तरह दिल्ली के लाखों गरीबों पर अत्याचार किया गया, आज जरूरत है कि झोंपड़-पट्टी में रहने वाले लोगों को काम दिया जाता, उनके रहने की हालत पैदा की जाती, उनके बाल-बच्चों के भविष्य का इंतजाम किया जाता लेकिन जिस तरह चंगेजी और नादिरशाही का परिचय इस सरकार ने दिया है, उसने चंगेजी और नादिरशाही जुल्म और अत्याचार को पीछे छोड़ने का काम किया, इतना बड़ा अमानवीय अत्याचार और क्रूरता का प्रदर्शन आजादी के बाद कभी नहीं हुआ था। वह दिल्ली और बड़े-बड़े महानगरों में किया जा रहा है। भारत सरकार के वित्त मंत्री कहते हैं कि यहां गरीबी घट रही है लेकिन गरीबों की संख्या घटा कर बताई जाती है। गरीबी उन्मूलन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाना, पर्याप्त साधनों को न लगाना और बड़े-बड़े उद्योग-धंधों में कार्यरत कर्मचारियों के हितों की रक्षा न करना इस सरकार की नीति है। विनिवेश और निजीकरण का उन्माद केन्द्र सरकार के सम्मुख सवार हो गया है। यह देश की जनता की हालत को बदत्तर बनाने का लगातार उठता कदम है। यह इस सरकार की दिवालिया नीति है। यह भारत के विकास, समृद्धि और आत्मनिर्भरता का रास्ता नहीं है।

कहा गया कि गुजरात की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया। इसकी चर्चा सदन में हुई। आप सारी प्रोसिडिंग्स उठा कर देख लीजिए। आपको वस्तु स्थिति की जानकारी हो जाएगी। 300-400 करोड़ रुपये प्रधान मंत्री राहत कोष में जमा हुए। वे भारत की करोड़ों जनता के पैसे थे। वे पैसे रिक्शा चलाने

वालों, ठेला चलाने वालों, खेत मजदूरों, ईंट-भट्ठों में काम करने वालों और हमारी मां-बहनों के पैसे थे। इस मामले में विदेशियों ने भी हमारी मदद की लेकिन इसके बाद भी हमारे विदेशी मेहमान को बुला कर दान लेने की बात हो रही है। कहां गया हमारा आत्मसम्मान, कहां गया हमारा स्वाभिमान।

बिहार में बाढ़ के चलते विनाश की स्थिति पैदा हुई और इससे लाखों लोग तबाह हुए। सभापति जी, केन्द्रीय टीम के साथ भारत सरकार के मंत्री भी भागलपुर और दूसरे इलाकों में पहुंचे लेकिन राहत के नाम पर एक पैसा भी न देने का अमानवीय काम किया गया। उसी तरह से प. बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की स्थिति है। राजस्थान में सुखाड़ के चलते जो तबाही हुई है और उसके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, वह यह जाहिर करता है कि भारत सरकार की नीति आम जनता विरोधी है। यह सरकार संकट में मदद करने वाली नहीं है। यह सरकार संवेदनहीनता, क्रूरता और निर्ममता की प्रतीक बनकर बैठी हुई है।

सभापति जी, अंत में यही कहूंगा कि हम यह समझे थे कि चंगेजी खत्म हुई लेकिन इस सरकार के आने के बाद ऐसा लगता है कि चंगेजी से भी बढ़कर यह भाजपा शासन निकला। "जिसे हम दोस्त समझे थे, वह दुश्मन निकला, जिस पर रहबर का यकीन था, वह राहजन निकला।"

यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** (विशाखापत्तनम): सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक, 2001 का समर्थन करता हूं।

इस विधेयक में बहुत सी अच्छी बाते हैं और समाज के सभी तबकों ने इस बजट को प्रगतिशील बताकर माननीय वित्त मंत्री की प्रशंसा की है। यह बजट गरीबी उन्मूलन और अन्य बुराईयों को दूर करने का और एक कदम है।

मैं बजट में उल्लेखित सभी बातों को दुहराना नहीं चाहता फिर भी बजट में कतिपय उपाय किये गये हैं और जो कुछ समय के लिए ही सही यह महत्वपूर्ण साबित होगा। ऐसा इसलिए है कि बाद में हमने पूंजी बाजार में घोटाला देखे और रुपये की कीमत इतनी गिरी जितनी पहले कभी नहीं देखी गयी। शेयर बाजार औंधे मुंह लढ़का और हमने यह भी देखा कि कुछ छोटे निवेशकों ने आत्महत्या कर ली है। हम छोटे निवेशकों की रक्षा और रुपये की गिरावट को रोकने में विफल रहे। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमने बजट पेश करने के तुरंत बाद अनुभव किया है।

हमारे देश में, दो-तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और एक-तिहाई जनसंख्या अन्य बातों में संलग्न है। यह सरकार का कर्तव्य है कि इस देश के बहुसंख्यक लोग जो गरीब हैं उनकी रक्षा करें। हमने यह भी देखा है कि कृषि उत्पाद पिछले वर्ष के 209 मिलियन टन की तुलना में इस वर्ष घटकर 199 मिलियन हो गया है।

ऐसा क्यों हुआ? हमें इस पर आत्म विश्लेषण करना होगा। उत्पादकता में कमी क्यों आयी है? हमारे किसान जो उत्पादन कर रहे हैं उन उत्पादों के लिए बाजार क्यों नहीं है? खामियां कहां हैं। क्या यह खामी हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तो नहीं है। एक ओर हम कहते हैं कि खाद्यान्न का अतिरिक्त भंडार है और दूसरी ओर भूखमरी से मौतें हो रही हैं। गोदाम अनाजों से भरे पड़े हैं लेकिन गरीबों के पेट खाली हैं। इसे दूर करना होगा। हमें इसके लिए कदम उठाने होंगे। अनेक लोगों ने प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 1999 में शुरू की गई अंत्योदय अन्न योजना की सराहना की है यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। इस कार्यक्रम के लाभों को गरीब लोगों तक पहुंचाना चाहिए। गोदामों को खाली करना होगा। हमें खाद्यान्नों को वितरित करना है। यदि हम खाद्यान्नों के अतिरिक्त भंडार जो हमारे गोदामों में जमा हो रहे है, वितरित नहीं करते हैं तो बाद में इसे समूह में फेकना पड़ेगा। भारतीय खाद्य निगम के अनाज के भंडारों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वितरित करना होगा। लेकिन हम खाद्यान्नों का वितरण नहीं कर रहे हैं। वहां कोई गोदाम नहीं है और इन खाद्यान्नों को गोदामों के बाहर जमा कर रहे हैं। इसे उन लोगों को वितरित किया जाना चाहिए जो इसे लेने को तैयार हैं क्योंकि हर कोई उस चावल और गेहूं को लेने के लिए तैयार नहीं है। 'अंत्योदय अन्न योजना' को राज्यों की सहायता से जोरदार तरीके से लागू किया जाना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है। लेकिन केन्द्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए हमारे पास एक मंत्री है। हमारे यहां एक नागरिक आपूर्ति मंत्री है। उन्हें कार्यक्रमों की निगरानी करनी होती है। हमें मिलकर काम करना है। केन्द्र और राज्यों को एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। जब तक हम लोग एकजुट होकर काम नहीं करते हैं और जब तक खाद्यान्नों का भंडार खत्म नहीं हो जाता है तब तक कोई सुधार नहीं होगा। रोजाना हम लोग इस मुद्दे को सदन में उठा रहे हैं। उत्तर भारत के राज्यों के सदस्यों का कहना है कि गेहूं की पर्याप्त मात्रा में खरीद नहीं की जा रही है और दक्षिण राज्यों के सदस्य कहते हैं कि अधिक चावल की खरीद करनी होगी। खाद्यान्न के इन भंडारों को खपत के लिए सही व्यक्तियों के पास पहुंचाना होगा। हमें खपत में वृद्धि करनी है। जब हम पड़ोसी देशों से तुलना करते है तो हमारी प्रति व्यक्ति खपत बहुत ही कम है। निश्चित रूप से गरीबी जिसका हम

[श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

आकलन कर रहे है वह आकड़ा वास्तविकता की तुलना में बहुत ही कम है। इसमें सुधार करना होगा। इसके लिए कुछ कदम उठाने होंगे।

अब मैं वित्तीय घाटे पर आता हूं। इस देश के पिछड़ने के मूल कारण में वित्तीय घाटा एक है। हम इसे नियंत्रित करने में असफल रहे हैं। वित्त मंत्री कहते हैं कि यह पांच प्रतिशत है लेकिन राज्यों में भी वित्तीय घाटा पांच प्रतिशत है। इसलिए दोनों मिलाकर आज वित्तीय घाटा दस प्रतिशत है। माननीय वित्त मंत्री ने स्वयं कहा है कि केन्द्र और राज्यों दोनों जगह खराब वित्तीय स्थिति ही इस अर्थव्यवस्था के समक्ष सबसे गंभीर समस्या है। यह एक स्वीकारोक्ति है। सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। अन्यथा समस्या और गंभीर हो जाएगी। रुपये के लुढ़कने से हमारे विदेशी कर्ज का बोझ और बढ़ जाएगा। यह चिंता की बात है। हम विदेशी ऋण भार से मुक्ति कैसे पा सकते हैं? हम कृषि क्षेत्र की पैदावार बढ़ा नहीं पा रहे, जबकि अधिसंख्य जन कृषि कार्य में ही संलग्न हैं। हम उनकी उपज को खरीद तक नहीं पा रहे हैं। ये दोनों समस्याएं हमारे देश को एक खतरनाक स्थिति की ओर ले जा रही हैं।

विश्व व्यापार संगठन की बात लें; बार-बार हम इन समस्याओं के बारे में बात करते रहे हैं। अब तो मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। कुछ भी हमारे देश में लाया जा सकता है-मुर्गे की टांगों से लेकर गेहूं चावल तक। जब तक हम इस स्थिति को काबू नहीं करते और जब तक तंत्र में समुचित अंतर्विष्टियां नहीं करते, तब तक हम कठिन स्थिति में फंसे रहेंगे। प्राग में आयोजित प्रथम बैठक और सिएटल में आयोजित दूसरी बैठक में व्यग्रता जाहिर हुई है। 13वीं लोक सभा के गठित हो जाने के बाद, हमारे प्रतिनिधियों ने भी सिएटल में आयोजित द्वितीय बैठक में भाग लिया था। उन्हें प्रदर्शनकारियों ने यह कहकर बैठक-कक्ष से बाहर नहीं आने दिया; कि विश्व व्यापार संगठन विकसित देशों की स्वार्थ सिद्धि का अस्त्र है और वह विकसित देशों का हित नहीं चाहता। उन्होंने इस विषय पर अपना सरोकार जाहिर किया। अभी हाल ही में, अमरीकी महाद्वीप के देशों की एक बैठक क्यूबेक, कनाडा में हुई। क्यूबेक में काफी संख्या में गरीब लोग जमा थे। उनका कहना था कि सभी विकसित देश विकासशील देशों पर हावी होना चाहते हैं। यह एक चेतावनी है और यदि सरकार उपभोग्य वस्तुओं तथा सामग्री के आने के संबंध में कतिपय निवारण कदम नहीं उठाती तो हमारी जनता को इसके परिणाम भुगतने होंगे।

केवल सीमा-शुल्क बढ़ा देने भर से काम नहीं चलेगा। कुछ वस्तुओं के मामले में, यदि आवश्यकता हो तो हमें पाटनरोधी उपाय भी करने होंगे।

हमारे साथी, श्री शिवराज पाटील ने एक्रेलिक फाइबर का एक और उदाहरण दिया है। कच्चे माल, अर्थात् एक्रेलिक फाइबर पर शुल्क, विनिर्मित एक्रेलिक वस्त्र पर सीमा-शुल्क की तुलना में कहीं अधिक है। क्या यह अजीब बात नहीं है? कच्ची सामग्री पर शुल्क, हमारे कारीगरों द्वारा तैयार किए माल पर शुल्क से बहुत अधिक है ...*(व्यवधान)* मुझे केवल सात ही मिनट मिले हैं। मुझे पांच मिनट और चाहिए। हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे अपनी बात जारी रखने की अनुमति देंगे ...*(व्यवधान)* अत:, इसे रोका जाना चाहिए।

**श्री प्रकाश परांजपे** (ठाणे) : क्या माननीय सदस्य द्वारा उठायी जा रही बातों पर कोई ध्यान दिया जा रहा है? उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु उठाए हैं। मुझे नहीं लगता कि माननीय सदस्यों द्वारा सभा में दिए जाने वाले सुझावों को कोई गंभीरता से लेता है।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : नोट कर रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** : यदि सरकार मेरे सुझावों की अनसुनी करती है, तो फिर निर्णय उन्हें ही करना है।

*[हिन्दी]*

**कुंवर अखिलेश सिंह** (महाराजगंज, उ.प्र.): माननीय सभापति महोदय, सरकार बजट पर ही गंभीर नहीं है।

*[अनुवाद]*

**श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** : महोदय, इस देश के युवाओं का मोहभंग हो गया है।

जहां भी देखिए, हम आकार कम करने की बात करते हैं। हमें संख्या को कम नहीं करना चाहिए। बल्कि, हमें उस संख्या को ठीक-ठीक रखना चाहिए। यह इसीलिए अधिक महत्वपूर्ण है ताकि इस देश के अधिक से अधिक युवा रोजगार पा सके। सरकार ने सेवानिवृत्ति की उम्र को कम करने के बजाय उसे और बढ़ा दिया; जिससे वयोवृद्ध लोगों की संख्या अधिक हो गई। युवाजन नौकरी पाए बिना ही और बूढ़े होते जा रहे हैं। जहां देखो, वहीं कुंठा नजर आती है। 35 साल का हो जाने के बाद भी अनेक लोगों का विवाह नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं हैं। एक तरह से तो यह ठीक है, हम जनसंख्या-नियंत्रण कर सकते है। लेकिन हम वह भी नहीं कर पा रहे हैं। इस देश की

जनसंख्या एक अरब तक पहुंच गई है। तो फिर, युवाओं को विश्वास में कैसे लिया जाये? वे इस देश का भविष्य है। युवा इस देश का धन हैं। हमें यह सुनिश्चित करना ही पड़ेगा कि वे रचनात्मक कार्यों में लगें। सरकार कहती है कि वह बेरोजगारी कम करेगी। लेकिन, उसके उपाय क्या हैं? इन लोगों को रोजगार कैसे दिया जाएगा? क्या यह देखना सरकार का काम नहीं, कि ये लाखों-लाख युवा रचनात्मक कार्यों में लगे? सरकार को इस संबंध में भी कुछ निवारक कदम उठाने चाहिए। जहां तक वित्तीय घाटा कम करने की बात है, तो जब तक सरकार कई एक वस्तुओं की लागत कम करने का तेजी से प्रयास नहीं करती, हमारे पास आवश्यक धनराशि का अभाव बना रहेगा।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को लाभांश कर को कम करके 10 प्रतिशत कर देने के लिए बधाई देता हूं। लेकिन, उन्हें चाहिए कि वे इसे पूरी तरह हटा ही दें। यह अधिक पूंजी प्रदान करने का एक उपाय रहेगा। आप कम्पनी के स्तर पर कर लगा रहे हैं और फिर, आयकर के द्वारा वैयक्तिक स्तर पर भी कर लगा रहे हैं।

**श्री यशवंत सिन्हा** : वैयक्तिक स्तर पर इस कर को नहीं लिया जाता। केवल निगम स्तर पर ही एक बार कर लिया जाता है।

**श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** : मैं आयकर की बात कर रहा हूं।

**श्री यशवंत सिन्हा** : वही तो मैं स्पष्ट कर रहा हूं। जब यह आय व्यक्ति तक पहुंचती है, तो वह उसे कर मुक्त होकर मिलती है।

**श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** : मैं यह सुझाव दूंगा कि इसे पूरी तरह से हटा ही दिया जाये, ताकि निवेश के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध हो सके और कम्पनियां अधिक से अधिक लाभांश देने को प्रेरित हों। उस लाभांश से पुनर्निवेश भी किया जा सकता है।

जहां तक ब्याज दरों का संबंध है, माननीय मंत्री ने बचतों पर ब्याज दरों को कम करके ठीक ही किया है। लेकिन साथ ही साथ, सरकार को ऋणों पर भी ब्याज दरों को घटाने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि हमारे उत्पाद प्रतिस्पर्धा योग्य बन सकें। आज हम कहते हैं कि हमें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा का सामना करना है। लेकिन हम 14 प्रतिशत ब्याज लगा रहे हैं। इन्होंने उसे डेढ़ प्रतिशत घटा दिया है। हम इस बात का स्वागत करते हैं। लेकिन जब तक इसे और कम नहीं किया जाता, तब तक हमारे उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। हम निर्यात में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। हम कृषि-उत्पादों तक का निर्यात करने में भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि कृषि-फसल की लागत भी काफी अधिक है। कृषि उत्पादों के लिए व्यापक बीमा योजना होनी चाहिए। 'नाबार्ड' और अन्य संस्थाओं को किसानों को और कम दरों पर उदारतापूर्वक ऋण देने के लिए स्वायत्तापूर्वक काम करने के लिए कहा जाना चाहिए।

आज, किसानों के पास 'किसान-कार्ड' नहीं हैं। हरेक को 'किसान-कार्ड' दिया जा सकता है। जिनके पास जमीन है। उन्हें 'किसान-कार्ड' उपलब्ध कराये जाने चाहिएं। केवल तभी अधिसंख्य लोग इस सरकार के हितकारी उपायों का लाभ उठा पायेंगे। अन्यथा, ऐसा करना उनके लिए मुश्किल बात होगी।

अब, मैं 'बालको' की बात करता हूं। वे अंतर्घात करते हुए पकड़ में आए हैं। हमें हमारी तरफ से भी पारदर्शिता रखनी पड़ेगी। आपको ऐसी पार्टी का चयन करना चाहिए, जिसकी सत्यनिष्ठा हो। इस पार्टी को तो शेयर-बाजार में तेजी लाने के लिए अंतर्घात करते हुए पकड़ा गया है। उसने पैसा बनाया। उसी पैसे को निवेश कर देना चाहते थे। अंततः, बदनामी तो सरकार की ही होगी।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इन सब सुझावों पर विचार करें। उनके द्वारा उठाये जाने वाले किसी भी प्रगतिकारी कदम पर हम सदैव उनके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं वित्त विधेयक, 2001 का समर्थन करता हूं।

*[हिन्दी]*

**कुंवर अखिलेश सिंह** (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हू कि आपने मुझे वित्त विधेयक 2001-2002 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की आत्मा गांवों के अंदर निवास करती है। किसी भी सरकार का बजट उस सरकार का आर्थिक दस्तावेज होता है। मंत्री जी ने जो इस सरकार का आर्थिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है, उसमें भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में जो चुनौतियां हमारे देश के समक्ष आई हैं, जो दुष्परिणाम उभरकर आए हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं ढूंढा गया है। वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट को प्रस्तुत करते वक्त ये भूल गए कि इस देश के 100 में से 75 लोग गांवों में निवास करते हैं। गांव इनकी सोच से ही अलग है। यह कोई नई सोच वित्त मंत्री जी नहीं ला रहे है, बल्कि इनकी सरकार की जो सोच है, उस सोच को ही उन्होंने अपने इस बजट में उजागर किया है। मान्यवर आज विनिवेश की नीति को अपना कर इनकी सरकार जिस तरह से हमारे पूर्वजों के द्वारा खड़ी की गई करोड़ों अरबों रुपयों की सम्पत्ति को कौड़ियों के दाम बेच कर देश को आर्थिक रूप से खोखला करने का कार्य कर रही है, यह चिंता का विषय है। आज नौजवानों को रोजगार देने की बात सरकार कर रही है, लेकिन जब इनके बजट का हम

[कुंवर अखिलेश सिंह]

अध्ययन करते हैं तो रोजगार छीनने की बात स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण के दौर में विश्व व्यापार संगठन की चुनौतियां हमारे देश में तथा हमारे जैसे अन्य राष्ट्रों के समक्ष उभर कर आ रही है, उनका मुकाबला करने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर सम्पूर्ण सदन को इस दिशा में एक नया रास्ता अख्तियार करना होगा। उसके लिए मेरी सोच है कि आय और खर्च में संतुलन को स्थापित नहीं करेंगे तो कभी भी देश को सही रास्ते पर नहीं ले जा पाएंगे। आज आय और जो हमारा खर्च है उसमें हमें और आपको दृष्टि डालनी होगी। जनपदों से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक हमारे प्रशासनिक अधिकारी और बड़े अधिकारियों के ऊपर जो खर्च हो रहा है, इस खर्च में भी कटौती करने के लिए हमें कठोर निर्णय लेने होंगे। राज्यों से लेकर केन्द्र तक जो मंत्रियों के ऊपर बेतहाशा धन खर्च हो रहा है, उस पर भी कठोर निर्णय लेना होगा। साफ शब्दों में कहूं कि हम संसद सदस्यों को भी खर्च में कटौती करके एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करना होगा। जब देश अन्न के मामले में संकट के दौर से गुजर रहा था, देश की सीमाओं पर खतरा था, तब देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व. लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान-जय किसान का नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि देश को अन्न के संकट से बचाने के लिए सप्ताह में एक दिन हम लोगों को उपवास रखना होगा। उन्होंने जो जय जवान-जय किसान का नारा दिया था, उसे देश की जनता ने अपनाया था, क्योंकि उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं था। जब तक सरकार की कथनी और करनी में अंतर समाप्त नहीं होगा, तब तक हम जो भी दिशा निर्देश लागू करेंगे, उनका पालन सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि जो भी नियम-कायदे बनाएं, जिस तरह के दिशा निर्देश लागू करें, उनको पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको आगे आना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना आदर्श प्रस्तुत करना होगा। आज खर्च की तरफ ध्यान दें, आपके केन्द्रीय सचिवालय का एक दिन का कितना खर्च है। उस खर्च में अगर दस प्रतिशत भी कटौती कर दी जाए तो कितना धन बचाया जा सकता है। उस बचाए हुए धन से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के आधे भाग का नए सिर से विकास कर सकते हैं। जो देश के सामने परिस्थितियां है, उनमें जब तक उत्पादकता मदों में पूंजी निवेश नहीं करेंगे, तब तक देश की अर्थ-व्यवस्था को सही पटरी पर नहीं ला सकते। जिस तरह से अनुत्पादक मदों में लगातार नियोजन करते चले जा रहे हैं और उत्पादक मदों पर नियोजन को लगातार घटाया जा रहा है, यह चिंता का विषय है। इस पर आपको विचार करना होगा और दृढ़तापूर्वक कठोर निर्णय लेने होंगे। आप आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण से देश के किसानों के समक्ष नयी तरह की चुनौतियां प्रस्तुत कर देते हैं। आज विदेशी कर्ज प्राप्त करने के लिए विकसित राष्ट्रों के दबाव में लगातार कृषि क्षेत्र पर से छूट को समाप्त करते चले जा रहे हैं नतीजा यह हो रहा है कि किसान विश्व बाजार प्रतिस्पर्धा में लगातार पिछड़ता चला जा रहा है। चाहे अमरीका हो या जापान हो या कनाडा हो या यूरोपियन राष्ट्रों के अंदर खेती पर इतनी अधिक छूट दी जा रही है कि उनकी उत्पादन लागत लगातार घट रही है और घटने के कारण अत्यधिक संसाधन होने के कारण उनकी पैदावार लगातार बढ़ रही है जब उत्पादन लागत घटेगी और पैदावार बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर उनका सामान सस्ता होगा। हमारे देश में आपने वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए पिछले बजट सत्र में खाद, डीजल, मिट्टी के तेल और उर्वरकों के दाम बढ़ा दिये थे और पिछले बजट में तर्क दिया था कि दस हजार करोड़ के राजकोषीय घाटे को पूरा करने का काम करेंगे। आपने उस घाटे को पूरा किया या नहीं किया, मैं नहीं जानता लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आपकी वृद्धि से निश्चित तौर पर किसानों की उत्पादन लागत मूल्य लगातार बढ़ रही है और उसके कारण आपने गेहूं और धान के समर्थन मूल्य में जो वृद्धि की है, वह भी पर्याप्त नहीं है।

हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि सत्ता में चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे सोनिया गांधी जी की सरकार हो या मुलायम सिंह यादव जी की सरकार हो या अटल जी की सरकार हो, चाहे जिसकी भी सरकार होगी, वह सरकार किसानों की सम्पूर्ण उपज का भंडारण नहीं कर सकती। आज आवश्यकता इस बात की है कि किसानों को हम किस तरह से प्रोत्साहित करें और उसके लिए एक ही विकल्प बचा है कि जिस तरह से विकसित राष्ट्र अपने देश में खेती पर अत्यधिक छूट देकर, सब्सिडी देकर उत्पादन लागत घटाकर विश्व प्रतिस्पर्धा में किसानों को आगे ला रहे हैं, उसी तरह से हम भी किसानों को संरक्षण प्रदान करें। अगर हम किसान को संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे तो किसान को बर्बाद होने से नहीं बचा पाएंगे। आज देश का किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। आज अगर किसान कर्ज ले रहा है तो खेती की बदौलत अपने कर्ज की अदायगी करने में वह सक्षम नहीं है क्योंकि उसे खेती से इतनी आय प्राप्त नहीं हो रही है कि उस खेती को फसल बेचकर वह अपने कर्ज को अदा कर सके। हम माननीय वित्त मंत्री जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि फल सब्जी की और खेती को बढ़ावा दो।

आदरणीय चिन्मयानंद स्वामी जी ने भी कहा कि धान और गेहूं की बात बंद करके हमें फल और सब्जी की खेती पर जोर देना चाहिए। गेहूं और धान का तो पक्का सौदा है और अगर उसकी खरीद और भंडारण का काम यह सरकार नहीं कर पा रही

है तो किसान जब फल और सब्जी पैदा करने लगेगा तो फल तो दो-तीन दिन में खराब हो जाएंगे, अगर उसका सही तरीके से भंडारण नहीं हो पाया तो वह खराब हो जाएंगे। इसी तरीके से सब्जी का भी यदि उचित भंडारण नहीं हो पाएगा तो वह 24 से 36 घंटे के अंदर खराब हो जाती है तो इससे किसान की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आज तो किसी तरह किसान अगर 6 रुपये दस पैसे प्रति कि.ग्रा. पर गेहूं का समर्थन मूल्य तय कर रहे हैं, उसे 4.5 रुपये या सवा पांच रुपये में बेचकर अपनी पूंजी किसी तरह से किसान निकाल रहा है या पूंजी से कुछ कम प्राप्त कर रहा है। सब्जी और फल भंडारण न होने के बाद तो पूंजी भी नहीं निकाल पाएगा, इसीलिए इस तरह का कोई भी विकल्प देने के पहले आपको सुनिश्चित करना होगा कि देश का लघु और सीमांत किसान अगर फल और सब्जी की पैदावार बढ़ाकर खरीदता है तो क्या सरकार उसे पूर्ण रूप से संरक्षण दे पाएगी?

अभी आलू की कितनी दुर्दशा हुई, यह हम सबके सामने है और आलू तो सब्जी में मजबूत सौदा है और जब सरकार आलू को ही संरक्षण नहीं दे पाई तो अन्य सब्जी को कितना संरक्षण दे पाएगी, इस पर भी हमें और आपको खुले रूप से विचार करना होगा। इसी तरह से प्याज की भी यही स्थिति है। कृषि के संदर्भ में एक स्पष्ट नीति हमें अख्तियार करनी होगी और विदेशी चुनौतियां जो हमें मिल रही हैं, जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया का पॉम ऑयल इस देश में आ रहा है, इससे तिलहन पैदा करने वाले किसान के लिए नये तरह की चुनौतियां पैदा हो रही हैं। कैश क्राप के रूप में हम तिलहन पैदा करने का काम करते थे लेकिन तिलहन की खेती करने वाले किसानों की स्थिति को देख लीजिए। उनकी स्थिति बहुत दयनीय है।

इसलिए मैं विनती करना चाहता हूं कि आप खर्च में कटौती करके, प्रशासनिक खर्च में कटौती करके, अधिकारियों की फौज को कम करके, बचत की धनराशि को कृषि क्षेत्र सब्सिडी देने में उपलब्ध कराना होगा। आज मांग और आपूर्ति के सिद्धान्त को भी ध्यान में रखना होगा। अभी चिन्मयानन्द स्वामी जी कह रहे थे के देहातों में फल-सब्जी अब ज्यादा सस्ती होती है और दिल्ली में महंगी होती है। यदि दिल्ली में भी फल सब्जी अधिक आ गई, तो दिल्ली में भी वही भाव हो जाएगा और पता लगेगा कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी नहीं निकल पाया। इसलिए मांग और आपूर्ति के सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए, देश के जिन हिस्सों में अधिक पैदावार हो रही है, देश के जिन हिस्सों में आपूर्ति की आवश्यकता है, उसके अनुरूप अगर आप एक व्यवस्था निर्धारित निश्चित करेंगे, तो उससे किसानों को फायदा होगा।

महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने दलालों के चगुंल से स्टाक-मार्केट को बचाया है, लेकिन महोदय इस काम को करने में आपने देरी की है। अभी तक बीयर-कर्टिल शंकर-शर्मा जैसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुई है, इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मंदड़ियों के गिरोहों को भी समाप्त करने की दिशा में आपको कारगर कदम उठाने चाहिए। मंत्री जी, आप जो भी नीतियां निर्धारित कर रहे हैं, उन नीतियों को सही तरीके से क्रियान्वित करिए, तभी जाकर आप अपने उद्देश्य में सफल हो पायेंगे। कस्टम अधिकारियों द्वारा किस तरह देश की सीमाओं पर, विमानपत्तनों पर कर-चोरियां की जा रही हैं, इसका श्री बी.पी. वर्मा से अच्छा जीता-जागता उदाहरण और कोई नहीं हो सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि चाहे भारत और नेपाल की सीमा हो या विमानपत्तनों का जिस तरह से कर की चोरियां की जा रही है, व्यापारियों को कस्टम अधिकारियों द्वारा हतोत्साहित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। हतोत्साहित और प्रताड़ित करके उसको बाध्य किया जाता है कि वे गलत कार्य करें और जब वे गलत कार्य करें, तो उन्हें रिश्वत देने का काम करें। इस पर भी आपको अंकुश लगाने की कार्यवाही करनी होगी और जब आप यह कार्यवाही करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो उद्योग जगत में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उनको सहूलियत होगी और उससे एक अच्छी उपलब्धि हासिल होगी। रक्षा सौदे में भी अभी तहलका.काम की बात आई है। यह नई बात नहीं है, इसके पहले भी बोफोर्स सौदे में दलाली प्रमाणित हो चुकी है। रक्षा सौदों में जो दलाली हो रही है, उस दलाली के पैसे को अगर आप बचा दे, तो मै आपसे साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि केरल जैसे छोटे राज्य का आप पुनर्निर्माण कर सकते हैं। आज समाज में भ्रष्टाचार का स्थान बढ़ता चला जा रहा है। यह भी हमारे लिए चिन्ता का विषय है। इस भ्रष्टाचार के दानव को समाप्त करने के लिए आपको कठोर कदम उठाने होंगे और कठोर निर्णय लेने होंगे। मैं विवादों में नहीं पड़ना चाहता हूं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और देश को इस आर्थिक संकट के दौर से बचाने के लिये निश्चित तौर पर आपको कठोर निर्णय लेने होंगे और इस बात का ध्यान रखना होगा कि समाज के जो निचले व्यक्ति है, समाज के गरीब व्यक्ति है, जो मेहनतकश व्यक्ति हैं, उनको आप कितनी आर्थिक सहूलियतें दे सकते हैं।

महोदय, नाबार्ड के सहयोग से आपके विभिन्न राज्यों में आरआईडीएफ के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित हो रही हैं। आरआईडीएफ के अन्तर्गत क्रियान्वित होने वाली योजनाओं की आप समीक्षा करें, तो आपको पता चलेगा कि उनके द्वारा प्रदत्त धनराशि का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। उस दुरुपयोग को रोकने के लिए आपको कारगर कदम उठाने चाहिए। आप यह कहकर अगर कदम नहीं उठाते हैं कि केन्द्र का काम केवल राज्यों को पैसा देना है, उनके कामों में दखलन्दाजी करने का काम केन्द्र का नहीं है। मैं कहना चाहता हूं चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य

[कुंवर अखिलेश सिंह]

प्रदेश हो, राजस्थान हो, जिन जगहों पर भी ये योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं। उनकी आप समीक्षा करें, तो आपके सामने वस्तु स्थिति उभर कर आ जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी एक किलोमीटर सड़क बनाने में दस लाख रुपया ले रही है। आप इसकी जांच के लिए संसदीय समिति गठित कर दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कि वही गुणवत्ता वाली सड़क निजी क्षेत्र में बनवाई जाए, तो सात लाख रुपये में तैयार हो सकती है, अन्यथा मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं विकास के कार्यों में धन की लूट हो रही है, इस धन की लूट पर आपको अंकुश लगाना होगा और उस पर बचत की धनराशि को आपको अन्य कार्यों में लगाना होगा। आप स्वयंसेवी संस्थाओं को सीधे धन आवंटित कर रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़ी संस्थायें हैं जो अच्छा काम कर रही हैं।

बहुत सी ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो भारत सरकार द्वारा दी गई राशि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रही हैं, जो दुरुपयोग करने वाले, धनराशि को लूटने वाले लोग हैं आप उनके खिलाफ जब तक कठोर कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक आप देश के साथ न्याय नहीं कर सकते।

महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। बजट के अंदर किसानों को बचाने के लिए आपने कोई समुचित प्रबंध किए हैं, देश के पूंजीपति घरानों के ऊपर अरबों-खरबों रुपये बाकी हैं। उनसे पैसा वसूलने के लिए आपने कारगर उपाय नहीं किए हैं, लेकिन अगर किसान के ऊपर एक-दो या पांच हजार रुपये बाकी हैं तो आपके तहसील का अमीन हमारे किसान को पेशाब वाले कमरे में बदबूदार सीलन भरे कमरे में रखने का काम करता है, जिसमें हमारा जानवर रहना भी पसंद नहीं करेगा। अगर जानवर को भी वहां रखा जाए तो वह भी उसका दरवाजा तोड़ कर बाहर चला जाएगा। यह जो दोहरी सोच और मानसिकता है, उसे आपको त्यागना होगा। गांवों का किसान किस मजबूरी के कारण कर्जे की अदायगी नहीं कर रहा है, इस पर भी आपको विचार करना होगा। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज किसान जिस तरह कर्जे के दबाव के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है, अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त न करके घाटे की खेती को करने के लिए मजबूर है। उसमें अब एक ही सूरत बची है कि किसानों के कर्जे को माफ किया जाए। साथ ही साथ किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी की या छूट की सुविधा देकर उसकी उत्पादन लागत घटाई जाए। लेकिन मुझे लगता है कि आप विश्व व्यापार संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में किसानों के हितों की बात को बजट में नहीं रखेंगे। अभी तक आपने रखा भी नहीं हैं और न ही अब संशोधन करेंगे। इसलिए मैं इस वित्त विधेयक का भरपूर विरोध करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रकाश परांजपे** (ठाणे): माननीय सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक, 2001 का समर्थन करता हूं देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत रखने की जिम्मेदारी वित्त की होती है मंत्री जी ने बजट को केवल एक वार्षिक कार्यवाही के तौर पर नहीं देखा है बल्कि यह जवाब देने का भी रिपोर्ट कार्ड है और बजट में भविष्य की रूपरेखा भी होती है साथ ही इसमें कटौती के वास्तव में भी होते है, जो बहुत कम दिखने वाला संयोग है। यद्यपि हम बजट का समर्थन कर रहे हैं फिर भी हम कुछ सुझाव दे रहे हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे मंत्री जी अपने अंतिम भाषण में उन्हें स्वीकार करने का प्रयास करेंगे।

मैं अभी मलेशिया के बजट का अध्ययन कर रहा था। उनकी कराधान नीति में बड़े बदलाव ने उनकी निर्धनता दर्शाने वाली आर्थिक दर को संपन्नता की दर में परिवर्तित कर दिया है। आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि उन्होंने परिवर्तनों के लिए काफी उपाय किए हैं परन्तु मैं उनमें से केवल एक के विषय में बता रहा हूं मलेशिया सरकार ने 1999 को कर मुक्त वर्ष घोषित किया था और यह भी कहा था कि एक वर्ष के लिए कोई निगमित कर और आयकर नहीं लगेगा आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस उपाय से उनकी गरीबी रेखा जो कि 1990 में 17.1% थी घटकर मात्र छः प्रतिशत तक रह गई।

आयकर 1961 में लागू किया गया था तब से 1,132 संशोधन हो चुके हैं। मेरी राय है कि हम मलेशिया की भांति प्रयास क्यों न करें यानी दो वर्ष के लिए आयकर समाप्त कर दें। आम सर्वेक्षण कर के कर को और सरल बनाए। क्या हम आय पर कर लगाने के बजाय व्यय पर कर लगा सकते हैं? हमने आय पर कर लगाना शुरू किया। यदि मैं रेंज में परिवर्तन करता हूं तो मैं कर से बचने के लिए अपनी अतिरिक्त आय को टालने का प्रयास करता हूं। व्यय पर कर से निश्चित रूप से और राजस्व अर्जित होगा। आय कर पर दो वर्षों के लिए विराम लगायें और आयकर का पूर्ण रूप से सर्वेक्षण करवाये तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विभाग को भी यह जानकारी नहीं थी कि उन्होंने 1,132 संशोधन किए हैं। इसका तात्पर्य है कि औसतन 30 संशोधन प्रतिवर्ष जिसकी न तो विभाग को जानकारी है और न ही अधिकांश स्थानों पर सनदी लेखाकारों को जानकारी है। आयकर दाताओं को इसका पता कैसे चलेगा? इसलिए मेरा यह मानना है कि कर की दर में कमी करने से राजस्व में कमी नहीं आयेगी। कर को और सरल बनाओ ताकि आम आदमी समझ सके कि वह क्यों भुगतान कर रहा है, वह कैसे भुगतान कर रहा है और उसे कब भुगतान करना पड़ेगा।

मुझे आशा है कि आप इसका महत्व समझेंगे और मैं आपके विभाग से अनुरोध करता हूं कि वह 1999-2000 और 2000-2001 के मलेशिया के बजट का अध्ययन करें जिससे पता चल सके कि उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए और क्या कठोर परिवर्तन किये।

हमने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख किया है। अपने भाषण में आपने पहले ही उस पर ध्यान दिया है। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने पोत परिवहन उद्योग पर पांच प्रतिशत उत्पाद शुल्क को वापस ले लिया।

परन्तु आपने एक चीज छोड़ दी। संबंधित मंत्री ने इस संबंध में आपसे अनुरोध किया था। सभी परिवहन संबंधी उपकरणों का 40 से 50 प्रतिशत तक अवमूल्यन की अनुमति दे परन्तु पोत परिवहन उद्योग में यह केवल 25 प्रतिशत है। यदि आप पोत परिवहन उद्योग में भी 40 अथवा 45 प्रतिशत तक अवमूल्यन की अनुमति दें तो मैं आपका आभारी रहूंगा।

महोदय, जहां तक प्रसंस्करण इकाईयों पर कर का संबंध है मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काफी प्रसंस्करण इकाईयां हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से वहां जाकर उनके कार्यकरण को देखा है। दो वर्ष पूर्व वित्त मंत्री जी डंडा राज नहीं चाहते थे और चैम्बर के आधार पर कर लागू किया गया था। अब दो वर्ष के पश्चात् आप पुनः पुरानी व्यवस्था की ओर जा रहे हैं। आपने अपने भाषण में बताया था कि जहां भी चैम्बर का कारोबार तीन करोड़ रुपए का है वे चैम्बर के आधार पर कर का भुगतान कर सकते हैं परन्तु वे यहां एक बात भूल गये या 1998 में प्रारम्भ की गई व्यवस्था के लाभ के बारे में उन्हें उनके विभाग ने नहीं बताया। जब चैम्बर के आधार पर कर था तो भ्रष्टाचार मुक्त था और विवाद शून्य थे और दो वर्षों में एक भी कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया। जहां कर संग्रहित किया गया वहां कर में छूट मिली, उच्च उत्पादन के लिए कर प्रोत्साहन था, लेवी निर्धारित की गई थी और विद्युत और तेल की बचत हुई थी जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हुई थी और कोई रूकावट नहीं थी और इन दो वर्षों में 2,000 करोड़ रुपए तक का नया निवेश हुआ था।

महोदय, वित्त मंत्री को यह जानकर हैरानी होगी कि इस कराधान प्रणाली के कारण आयकर वसूली में वृद्धि हुई थी और केवल सूरत शहर में ही आयकर की वसूली में 31 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। मैं वित्त मंत्री से चैम्बर बेस उत्पाद शुल्क की इस सुविधा को दो और वर्षों तक के लिए बढ़ाने का अनुरोध करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार चार वर्षों की शेष अवधि तक भी शासन करेगी। मुझे उम्मीद है कि उनकी जैसी प्रकृति वाला व्यक्ति, जो चार वर्षों की और अवधि तक वित्त मंत्री बने रहेंगे, हमारी समस्या को समझते हुए न्याय करेंगे। मैं उनसे राजस्व विभाग द्वारा प्राप्त किए गए लाभों को देखने और फिर अंतिम निर्णय लेने का अनुरोध करूंगा। मैं उनका बहुत आभारी रहूंगा। यदि वे इस सुविधा को और दो वर्षों के लिए बढ़ा सकें।

महोदय, मैं स्रोत पर कर की कटौती की बात करता हूं। यह कटौती बचतों पर प्राप्त किए गए ब्याज पर की गई थी। यदि यह 10,000 रुपए से ऊपर था। उसे घटाकर 2,500 रुपए किया गया था और अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि उन्होंने इसे अब बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया है। परन्तु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण बड़ी संख्या में लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जब वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति का लाभ प्राप्त करते हैं तो स्रोत पर कर की कटौती की जाती है। तत्पश्चात् यह धन बैंक में रखा जाता है, परन्तु वे इस रकम के मद में प्राप्त किए गए ब्याज पर 10 प्रतिशत की दर से फिर कर की कटौती कर रहे होंगे। इस प्रकार, वे उन लोगों पर दो बार कर लगा रहे हैं, एक बार जब वे अपनी सेवानिवृत्ति का लाभ प्राप्त करते हैं और दुबारा जब वे इस रकम को बैंक में जमा करते हैं। इसलिए मेरे दल और सभी लोगों की यह मांग है कि बचतों पर मिलने वाले ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती की पुरानी प्रणाली, यदि यह 10,000 रुपए से अधिक है जारी रहनी चाहिए।

महोदय, अभी बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां 58,000 करोड़ रुपए हैं और मैंने लगभग दो माह पहले आपको लिखा है। प्रत्येक दो वर्ष के बाद वित्त मंत्री स्वैच्छिक आय घोषणा योजना की पेशकश कर रहे हैं और लोगों को उनके काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उन्हें कुछ रियायतें दे रही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि 58,000 करोड़ रुपए की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां ब्याज का ब्याज है और मूल धन बस 35,000 करोड़ रुपए ही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वित्त मंत्री ऐसी कोई योजना लाने में समर्थ हैं जिसके द्वारा ऋण लेने वाले सभी व्यक्ति एक वर्ष के लिए 30 सितम्बर से पहले साधारण ब्याज का भुगतान या तो सफेद धन में या नगद अथवा स्वर्ण के रूप में जमा कर सके और राजस्व विभाग उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा कि उन्होंने ऋण वापस किए जाने के लिए यह धन कहां से प्राप्त किया। ऐसी योजना को लागू किए जाने से, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऋणों की वसूली तेजी से और प्रभावी रूप से हो सकेगी।

मैं वित्त मंत्री को नए कर लगाए जाने के संबंध में सुझाव देना चाहूंगा क्योंकि वे कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को पर्याप्त रियायत दे रहें हैं। वे खाली भूमि पर कर क्यों नहीं

[श्री प्रकाश परांजपे]

लगाते? लोगों को खाली भूमि पर उपज या कोई निर्माण करना चाहिए और जमीन को खाली रखा जाना अपराध माना जाता है। जिस भूमि पर जितना संभव हो कर लगाया जाना चाहिए जिससे कि लोगों को उक्त रिक्त भूमि पर उपज या निर्माण के लिए बाध्य किया जा सके।

मैंने उत्पाद शुल्क और लघु उद्योग इकाइयों के लिए उपेक्षकों के एक पैनल की नियुक्ति पर नियम 173 (ख) के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं।

**अपराह्न 3.00 बजे**

लघु उद्योग ईकाइयों को अपने बही खाते चार या पांच वर्षों तक रखने होते हैं। उत्पाद शुल्क अधिकारी कभी भी जाकर उनसे उनके बही खाते निकल सकेंगे और वे कहेंगे, ''ये गलतियां आपने की हैं। अब आपको अर्थदण्ड के साथ कर कम भुगतान करना होगा'' चार वर्षों के बाद यदि आप लघु उद्योग इकाई उद्यमी से अर्थदंड सही कर का भुगतान करने के लिए कह रहे हैं तो उसके द्वारा अर्जित समस्त लाभ अर्थदण्ड में चला जाएगा। इसलिए क्या आपके पास वकीलों का पैनल होना चाहिए जिससे कि बही खातों की लेखा परीक्षा एक वर्ष के अन्दर की जा सकेंगी? यदि उनमें गलतियां होगी तब इनका निराकरण एक वर्ष के अन्तर्गत कर लिया जाना चाहिए। मैंने तीन माह पहले भी आपको एक पत्र लिखा था, परन्तु आपने उसका उत्तर नहीं दिया। धारा 173 (ख) के अनुसार वस्तु का निर्माण करने वाले व्यक्ति को यह घोषणा करनी होती है कि वह किस वस्तु का निर्माण करने जा रहा है। वर्गीकरण के अनुसार उत्पाद शुल्क अधिकारियों को उसे सूचित करना होता है कि उसे किस दर से कर का भुगतान करना है। परन्तु कई महीनों/वर्ष तक उसे नहीं बताया जाता है कि उसे किस दर से कर का भुगतान करना है। एक या दो वर्षों के बाद उत्पाद शुल्क अधिकारी उसे बताएंगे कि इस मद पर उसे 18 प्रतिशत का भुगतान करना है जबकि उसने केवल 12 प्रतिशत का ही भुगतान किया है, इस प्रकार उसे छह प्रतिशत कर के अंतर का भुगतान सौ प्रतिशत अर्थदंड के साथ करना होता है। क्या आप धारा 73 (ख) के अन्तर्गत घोषणा करने हेतु नियम नहीं बनाते ताकि 15 दिन के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क अधिकारी निर्माता को सूचित करें कि उसे किस दर से कर का भुगतान करना है। यह एक प्रशासनिक परिवर्तन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जैसे स्वभाव वाला व्यक्ति मेरी बात समझेगा।

पिछले चार वर्षों से सत्ता में आने वाली कोई भी सरकार हमेशा अल्पसंख्यकों के हितों की बात करती है। 540 सदस्यों वाली इस सभा में, हम 24 संसद सदस्य अल्पसंख्यक हैं। किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम मतदाताओं की संख्या 37,000 है। उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य को 2 करोड़ रुपये मिलते हैं। बाहरी दिल्ली में सर्वाधिक मतदाताओं की संख्या 28,30,000 है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 27,70,000 है और मुझे भी 2 करोड़ रुपये ही मिलते हैं।

पिछले तीन वर्षों से मैं अध्यक्ष, वित्त मंत्री और मंत्रियों सहित सभी को इस बारे में लिखता रहा हूं परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला है? केवल मेरे को भी एक विभाग से दूसरे विभाग में भेज दिया जाता है। क्या मैं आपसे मतदाताओं की संख्या के अनुपात में और धन के लिए अनुरोध कर सकता हूं? मैंने एक चार्ट भी दिया है:- 15 लाख मतदाताओं के लिए रकम 2 करोड होगी, 15 से 20 लाख मतदाताओं के लिए रकम 3 करोड़ रुपये, 20 से 25 लाख मतदाताओं के लिए यह रकम 4 करोड़ रुपये और 25 लाख मतदाताओं वाले निर्वाचन क्षेत्र के लिए यह राशि 5 करोड़ रुपये होनी चाहिए।

15 लाख से अधिक मतदाताओं वाले निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले केवल 24 संसद सदस्य हैं। क्या मैं आपसे न्याय की आशा कर सकता हूं जिससे कि इन अल्पसंख्यक संसद सदस्यों को विकास कार्यों के लिए कुछ अतिरिक्त धन दिया जाएगा। आप यह जानकर प्रसन्न होंगे कि मैंने अपने कोष का 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किया है। कल ही मुझे जिला समाकर्ता का संदेश मिला। ग्रामीण क्षेत्र में पूरा विद्यालय भवन 24 लाख रुपये में निर्मित किया जाता था। उन्होंने संस्वीकृति दे दी है। मैं आपका आभारी रहूंगा यदि आप 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास' के अन्तर्गत दी जो वाली राशि को बढ़ाते हुए हम 24 संसद सदस्यों को न्याय दे सकें।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में आपने कृषि क्षेत्र और कृषि से जुड़े उद्योगों को लाभ और प्रोत्साहन दिया है। लोग काफी प्रसन्न हैं। मैं फिर पुन: कहना चाहता हूं कि 10 प्रतिशत कर की स्रोत पर कटौती की जाए। पहले इसकी सीमा 10,000 रुपये थी। यह मेरा निजी और मेरी पार्टी का अनुरोध है कि इस सीमा को केवल 10,000 तक रखा जाए।

**कुमारी मायावती** (अकबरपुर): माननीय सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें सरकार की मनुवादी मानसिकता नजर आती है। सरकार के बजट में समाज के हर वर्ग के हितों का ध्यान भी नहीं रखा गया है। समाज के कुछ खास वर्ग और कुछ खास क्षेत्रों का ध्यान रखकर यह बजट तैयार किया गया है। इस संबंध में देश की करोड़ों की तादाद में रहने वाला बहुजन समाज-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग धार्मिक अल्पसंख्यक समाज-सिक्ख, पारसी, ईसाई, बौद्ध, जो देश की आबादी का 85 प्रतिशत है, उनके आर्थिक डेवलपमेंट की तरफ सरकार की ओर से कोई खास दिलचस्पी नहीं ली गई है।

**अपराह्न 3.06 बजे**

**[ डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए]***

बजट में इन वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए जो स्कीम्स आप लोगों ने बनाई हैं, वे सब पुरानी हैं, घिसी-पिटी हैं। इस बजट में कोई भी नई स्कीम इनके डेवलपमेंट के लिए नजर नहीं आ रही है। देश की बहुत बड़ी आबादी की आर्थिक पहलू के मामले में उपेक्षा की गई है। यह समाज गरीबी का सबसे ज्यादा शिकार है। गरीबी दूर करने के लिए सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गये हैं और बेरोजगारी दूर करने के लिए आपने कोई स्पेशल स्टैप्स नहीं लिये हैं जबकि आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने यह बात स्वीकार की है कि देश में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा है।

सभापति महोदय, सरकार ने अपने राष्ट्रीय एजेंडा में यह वायदा किया था कि हमारी सरकार हर साल एक करोड़ लोगों को रोजगार देगी लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के पास इस वायदे को पूरा करने के लिए कोई जवाब नहीं है। सरकार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अलावा अन्य किसी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पायी है। इस कारण बेरोजगारी बढ़ रही है और देश में बड़े पैमाने पर अपराध हर क्षेत्र में बड़ रहे हैं। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और वे गरीबी से जूझेंगे तो अपना पेट पालने के लिए वे लोग गलत कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यही कारण है कि अपराध बढ़ते हैं जिन्हे रोकने के लिए सरकार करोड़ों-अरबों रुपये खर्च करती है।

सभापति महोदय, यदि सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए ज्यादा धन दे, तो मैं समझती हूं कि इससे देश में गरीबी भी मिटेगी और अपराधों पर भी नियंत्रण होगा।

सभापति महोदय, बजट में देहातों के विकास के बारे में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है। हमारे देहातों का यदि विकास नहीं होगा, तो इसका बहुत बुरा प्रभाव देश की 75-80 प्रतिशत जनता पर पड़ेगा। चूंकि मैं देहात से आती हूं इसलिए देहातों के बारे में मुझे मालूम है कि देहातों की क्या स्थिति है। देहातों के लिए जितनी भी विकास की योजनाएं सरकार बनाती है, वे वहीं नहीं पहुंचती और जितनी हमारी आबादी है, उसकी तादाद के अनुसार योजनाओं में धन का आबंटन नहीं किया जाता, जिससे देहातों के लोगों को योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिलता। जो थोड़ी-बहुत धनराशि बजट में दी जाती है, वह भी देहातों के विकास के लिए नहीं लग पाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को देहातों के विकास की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए और बजट में देहातों के विकास के लिए ज्यादा धनराशि आबंटित की जानी चाहिए। यह देश के हित में होगा।

सभापति महोदय, बजट में महिलाओं, बाल विकास और युवा कल्याण के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। आपने बजट में यह कहा है कि हम सरकारी खर्चों में कमी करेंगे। हमारी पार्टी भी इसकी पक्षधर है, लेकिन जिस तरह से हर क्षेत्र में घाटा बढ़ रहा है, उसे देखते हुए आपकी यह घोषणा भी सत्य सिद्ध नहीं होगी। आपने बजट में कहा है कि केन्द्रीय कर्मचारियों की संख्या में हर वर्ष दो प्रतिशत कटौती की जाएगी और इसके साथ-साथ ब्याज घटाने, पेंशन घटाने की बात भी कही है। इसके साथ-साथ एल.टी.सी. पर भी दो वर्ष के लिए आपने रोक लगाई है, लेकिन मैं समझती हूं कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपने एक तरफ तो कर्मचारियों की एल.टी.सी. पर दो वर्ष के लिए रोक लगा दी, लेकिन दूसरी तरफ नहीं सोचा कि इसका पर्यटन पर क्या असर पड़ेगा। जब आप एक तरफ देखते हैं और एक फायदे के बारे में सोचते हैं, तो दूसरी तरफ आपको नुकसान के बारे में भी सोचकर चलना चाहिए।

सभापति महोदय, मंत्री जी ने बजट में कुछ अच्छे फैसले भी लिए हैं, जिनकी मैं सराहना करती हूं। जैसे कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो इंसान की हैल्थ के लिए ठीक नहीं हैं, जैसे सिगरेट, बीड़ी और पान मसाला आदि के दाम बढ़ाए हैं, यह अच्छा स्टैप है। लेकिन आपने इसके साथ-साथ चाय और काफी की भी कीमत बढ़ाई है जो ठीक नहीं है। आप काफी की कीमत बढ़ा दें तो चलेगा क्योंकि काफी गरीब तबके के लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, वे चाय पीते हैं लेकिन आपको कम से कम चाय की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए थी क्योंकि इसका सीधा असर गरीब तबके पर पड़ता है। मेरा कहना है कि आप इस बारे में जरूर सोच विचार करें।

इसके अतरिक्त इस बजट में किसानों का कोई खास ध्यान नहीं रखा गया है। केन्द्र सरकार का कृषि बजट पिछले वर्ष कृषि मंत्रालय द्वारा घोषित कृषि नीति के एकदम उलटा है। सरकार ने किसानों के लिए कोई विशेष पैकेज की भी व्यवस्था नहीं की है। किसानों की तरफ भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि देश के हित में, जिन खास बातों की तरफ आपको बजट में ध्यान देना चाहिए था, उन पर आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सरकार का ज्यादातर ध्यान सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने में लगा है। उनका निजीकरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हमारी पार्टी निजीकरण के खिलाफ नहीं है। यदि आप देश हित में आर्थिक पहलू को ध्यान में रखकर, घाटे को ध्यान में रखकर, किसी भी क्षेत्र में निजीकरण का फैसला लेते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है लकिन आपको निजीकरण करते समय समाज के उन वर्गों का भी ध्यान रखना चाहिए जिन्हें निजीकरण से फायदे की बजाय नुकसान पहुंच रहा है- क्योंकि जिस तरह शैड्यूल कास्ट्स, शैड्यूल ट्राइब्स या बैकवर्ड क्लास के लोगों को सरकारी

[कुमारी मायावती]

नौकरियों में रिजर्वेशन मिलता है या निजी क्षेत्र में नहीं मिलता। इस संबंध में मैं पिछले सत्र के दौरान और कल भी हमारे एक मैम्बर आप पार्लियामेंट ने यह बात रखी थी कि निजी क्षेत्र में भी आप उनके लिए रिवर्जेशन की व्यवस्था करें। लेकिन सरकार इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। मैं समझती हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इस मामले में जरूर गंभीरता से सोचकर माननीय प्रधान मंत्री जी से बात करेंगे। आप निजीकरण देश हित में करें तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन हमारा कहना है कि करोड़ों दलित, शोषित समाज के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को निजीकरण में रिजर्वेशन देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मेरी माननीय वित्त मंत्री जी से रिक्वैट है कि वह माननीय प्रधान मंत्री जी से बात करके उन्हें रिजर्वेशन दिलाने के बारे में जरूर सोचें।

**सभापति महोदय:** अब आप समाप्त करें।

**कुमारी मायावती:** इस बजट में विदेशी कंपनियों द्वारा पूंजीवाद को विशेष राहत देकर छोटे उद्यमियों को काफी निराश किया गया है। छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के मामले में सरकार ने कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली है। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से यही कहना है कि आपने जो बजट में तैयार किया है, उसमें आप हर क्षेत्र के पहलू को देखें तथा समाज का जो सबसे दब-कुचला तबका है, जिनको विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है, उनके उत्थान के मामले में सरकार ने इस बजट में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली है। आप उनके बारे में भी जरूर सोच विचार करें और उनके डेवलपमैंट को ध्यान में रखकर यदि इसमें कुछ अमेंडमैंट हो सकता है या कुछ और ऐड हो सकता है तो आप उसे ऐड करने की कोशिश करें।

*[अनुवाद]*

**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा:** (कनारा): सभापति महोदय, पिछले पांच दशकों से एक के बाद एक आने वाली कांग्रेस सरकारों के सामने कुछ दीर्घावधि लक्ष्य थे, स्वाधीनता के बाद इन लक्ष्यों को भारत की वास्तविकता में रची बसी नीतियों के हासिल किया जाना था लेकिन इस ओर दृष्टि से हम निश्चित रूप से आगे बढ़े हैं। निश्चित अर्थव्यवस्था इस दृष्टि का अंग था। गरीबी उन्मूलन और राष्ट्रीय समस्या गरीबी से निपटने की चुनौती प्राथमिकता थी। और इन सबसे अधिक यह अवबोध कि भारत के गांवों में रहने वाली 80% जनसंख्या को ध्यान में रखकर ही नीतियों और कार्यक्रमों को बनाया जाना चाहिए। यह छोटी सफलता नहीं है। एक ऐसे देश में जहां आजादी के समय दो-तिहाई जनसंख्या अतिदाहिता की हालत में रह रहे थे, जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद उनमें से दो तिहाई जनसंख्या को उस स्तर तक हम ले आये, जहां वे आज मध्यम वर्ग के भाग हैं। जहां तक गरीबी के संबंध में आंकड़े हैं उनके अनुसार गरीबों की संख्या अब एक तिहाई है।

मैं इसके विस्तृत ब्यौरे में नहीं जा रही हूं क्योंकि मैं सभा में अपने एक सहयोगी की तरह अर्थशास्त्री नहीं हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था जड़ता से गतिशीलता की ओर बढ़ी है। राजीव गांधी सरकार के अंतिम वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 10.5% थी।

यहां तक 1990 के दशक में कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्षों में तीन साल वृद्धि दर 7% रही।

प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री ने 9% या उससे अधिक विकास दर का लक्ष्य रखा है, लेकिन मेरा कहना है यह है कि कि गत चार वर्षों में जब से आप वित्त मंत्री रहे हैं, विकास दर 6% से अधिक नहीं है। हमसे हर समय कहा जाता है कि आपके द्वारा विश्वव्यापार संगठन पर हस्ताक्षर करने से ही सब गड़बड़ी हो रही है और हम आपकी नीति का ही अनुसरण कर रहे हैं। जो आपने शुरू किया, उसे हम जारी रखे हुए हैं।

मुझे खेद है कि यही वह मुद्दे हैं जिन पर मेरा मतैक्य है, यह कहना कि सब कुछ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी. ओ.) के कारण है, सही नहीं है आपमें आपने हितों की रक्षा करने का सामर्थ्य होना चाहिए, आपने अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने की क्षमता होनी चाहिए। आपके पास 2003 तक समय था लेकिन आपने दो वर्षों पहले ही अपने बाजार खोलने का निर्णय लिया जिससे जो विकल्प आपके पास 2001 में थे वह भी नहीं रहे। हम जानते हैं कि आपके पास विश्व व्यापार संगठन के समझौतों पर अथवा दूसरे ढंग से द्विपक्षीय स्तर पर पुन:समझौता करने का अवसर था लेकिन वही समझौते हमारे राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने जा रहे थे। लेकिन 2001 में आपने अपना अवसर खो दिया।

महोदय, विश्व व्यापार संगठन के साथ अन्य देशों की अपने राष्ट्रीय हितों, अपने राष्ट्रीय उद्योग और कृषि क्षेत्र को राज सहायता देने के मसले पर अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं लेकिन हमारे आस-पास विद्यमान विश्व बैंक विशेषज्ञ यह कहते नहीं थकते कि हमने रिपोर्ट देखी है "खाद्य पर राजसहायता अब पुरानी पड़ चुकी है हमें धीरे-धीरे खुले बाजार वाली अर्थव्यवस्था को अपनाने की आवश्यकता है।" ऐसा प्रतीत होता है आज देश में "सक्षम का

अस्तित्व बना रहेगा'' यह बात नारा बन गयी है जब कि अधिकांश लोग बाजार प्रतिस्पर्धा और इससे जुड़ी चुनैतियों का सामना नहीं कर सकते हैं।

महोदय, मैं नहीं जानती हूं कि मेरे लिए निर्धारित समय में से कितना बचा है। इसलिए जितना संभव होगा मैं संक्षिप्त में बोलने की कोशिश करूंगी। मैं कहना चाहती हूं कि एन डी ए सरकार एक अलग सरकार, एक बेहतर सरकार के वायदे के साथ सत्ता में आई थी। वास्तव में यह बहुत अलग है। मैं कहना चाहूंगी कि गलियों में एक कहावत गूंज रही है:-

''बोली तो स्वदेशी, कार्य पूरा विदेशी''

आपकी सभी नीतियां और कार्यक्रम बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बड़े व्यावसायिक घरानों सभी के लिए दरवाजे खोल रहे हैं जबकि दूसरी ओर आपका नारा हमेशा स्वदेशी, स्वदेशी और स्वदेशी ही रहा है।

मैं उद्धृत नहीं करना चाहती हूं। लेकिन दिल्ली में आपके मजदूर संघ बी एम एस की रैली में शायद लोगों ने संसद अथवा इसके बाहर इतना ज्यादा गुस्से का इजहार किया था जितना कि शायद कांग्रेस ने भी संसद या इसके बाहर नहीं किया। इसलिए तथ्य सच ही होगें। बी एस एम के अध्यक्ष ने जो कुछ कहा है वही हम हमेशा से कहते आयें है।

महोदय, मैं कुछ बुनियादी मुद्दों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है मैं सरकार के आकार को छोटा करने की बात से शुरू करना चाहूंगी मैं कार्मिक मंत्रालय में पांच वर्षों तक मंत्री थी। हमने राष्ट्रीय विकास परिषद में दिल्ली में उच्च पदों में लगभग 30 प्रतिशत की कटौती करने का आश्वासन दिया था। मुझे खुशी है कि कार्मिक मंत्री यहां मौजूद हैं और मैं समझती हूं कि वे भी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन हम जानते हैं कि यह कैसे कार्य करता है। मैं कहना चाहती हूं कि एक ओर तो आप दिल्ली में सरकार का आकार छोटा करने की बात कर रहे हैं लेकिन दूसरी ओर आप मंत्रालयों और मंत्रियों की संख्या में बढोत्तरी कर रहे हैं। मंत्रालयों को इस सरकार बांटा और विभाजित किया गया है ताकि आप एन.डी.ए. सरकार अपने सभी सहयोगियों को समायोजित कर सकें जिन्हें वह करना चाहते हैं जिन पदों, स्थानों पर समायोजित करना चाहते हैं। मंत्री खुले आम संवाददाता सम्मेलनों में कह रहे हैं उनके पास काम नहीं है। केवल एक मंत्री ने स्वीकार किया है कि हमारे पास आज तक एक भी फाइल नहीं आई है, आफिस जाते हैं, कास्टीट्वेंसी का काम करते हैं घर चले आते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि उनके पास कोई काम नहीं है लेकिन वे मात्र मंत्री भर हैं।

यह आपकी सरकार की स्थिति है जो सरकार के आकार को छोटा करने की बात करती है। मुझे खुशी है कि आपने मंत्रालयों के विलय, कर्मचारियों को कम करने और ऐसी बातें की हैं कृपया उन मंत्रालयों को समाप्त करें जिनकी वास्तव में आवश्यकता नहीं हैं और शायद इसके साथ कुछ-कुछ मंत्री भी मैं समझती हूं कि इससे आगे लिए एक पूर्वोदाहरण बनेगा और ऐसा आप सरकारी क्षेत्र के लोगों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) भेजने से पहले करिए क्योंकि आप प्रतिष्ठानों को छोटा करने को सोच रहे हैं, क्योंकि आप अपने नौकरशाहों को घर भेजना चाहते हैं मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप फिर अपने दोहरे वक्तव्य पर ध्यान दें।

आपने सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ा दी है। 60 तक रख दिया। सरकार ने कहा है कि वे एक वर्ष में लगभग एक करोड़ नौकरियों का सृजन करेंगे। ऐसा नहीं हो रहा है। वी.आर.एस. में कम हो रहे हैं, लोग घर जा रहे हैं। न तो नौकरी का सृजन हो रहा है और न ही रोजगार में वृद्धि हो रही है। लेकिन दूसरी ओर मैं यह अवश्य कहूंगी कि अनेकों विधायक व प्राधिकरण बनाए जा रहे हैं और सेवानिवृत्ति उपरांत लोगों के लिए इनमें पद रखे जा रहे हैं। सेवानिवृत्त नौकरशाह या तो राजदूत बनकर चले जाते हैं अथवा वे विश्व व्यापार संगठन अथवा विश्व बैंक में चले जाते हैं, यहां तक कि उनकी सेवानिवृत्ति के पहले ही उनका स्थान निर्धारित होता है। मैं चाहती हूं कि आप मंत्रालयों और विभागों को बंद करने में इसी प्रकार उत्साह दिखाएं जितना आप सरकारी क्षेत्र और लाभ अर्जित करने वाली सरकारी उपक्रमों को बंद करने में दिखा रहे हैं। नौकरशाही में कई गुना वृद्धि आपके कंधे पर एक बोझ है। हम नौकरशाही को कम करने के प्रयास में आपका पूर्ण समर्थन करते हैं। मैंने जो वादा किया था उसे लागू करने के लिए मैंने पांच वर्ष संघर्ष किया लेकिन मुझे दुख है कि ऐसा नहीं हुआ। मैं समझती हूं कि अनेक विभाग और कई मंत्रालय ऐसे हैं जिनकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन मंत्रालयों के अधिकांश मामलों को राज्यों को रुपान्तरित किया गया है और राज्य पूर्णत: उन्हे देख रहे हैं। फिशरीज की मिनिस्ट्री दिल्ली में है मुझे पता नहीं कि मिनिस्टर कभी दरिया के किनारे जाकर बैठे हैं कि नहीं। लेकिन अभी भी मात्स्यिकी और जनजातीय विकास जैसे मंत्रालय हैं। मैं सचमुच नहीं समझ सकती कि वे क्या करते हैं...*(व्यवधान)* यहीं मैंने एक बार पूछा था, जब मिनिस्टर कोस्टल एरिया के बारे में बोल रहे थे कि आप कोस्टल एरिया के बारे में कुछ जानते भी है कि नहीं। महोदय, कल ही हमने विनिवेश के मुद्दे पर चर्चा की थी। मैं पूरे चर्चा को फिर से करना नहीं चाहती हूं। लेकिन चर्चा में मंत्री का उत्तर चौकाने वाला था। एक अनुशासित व्यक्ति होने के नाते और जैसाकि चूंकि बहुत सारे अन्य व्यक्ति हमारे सामने थे, मैंने कार्यवाही में व्यवधान नहीं डाला। मंत्री जी से मात्र

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

यह पूछा गया था कि पॉलिसी क्या है, अपनी पॉलिसी बोलिए डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर है कि नहीं, उसका उत्तर क्या मिला? मंत्री जी ने कहा कि सरकार की नीति को संसद में प्रश्नों के उत्तर में स्पष्ट किया गया है। क्या इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को सरकार की नीति का निर्णय तारांकित और अतारांकित प्रश्नों में मंत्री जी के उत्तर से जानना चाहिए। क्या संसद में सरकार का यह उत्तर है?

हमने एक श्वेत पत्र की मांग की थी यह नहीं पेश किया गया। हमने विनिवेश संबंधी एक स्थायी समिति की मांग की थी यह नहीं गठित की गई। हम सरकार की आलोचना नहीं करना चाहते सरकार बताए कि क्या नीति है। नीति हमारे बीच परिचालित की जाए और तब हम इसे देखेगे। जब हमने पूछा कि क्या सरकार समझती है सरकारी क्षेत्र की लाभ अर्जन करने वाली कंपनियां, घाटे में चल रही कंपनियां, जिसका केन्द्र द्वारा अधिग्रहण किया गया, और अन्य ऐसी कंपनियों की विभिन्न श्रेणियों के बीच कोई भिन्नता है तो मंत्री जी ने कहा कि उनके बीच कोई अंतर नहीं था और इन सभी को एक समान समझा जाता है उन्होंने कहा कि उनमें से सभी को एक पैमाने पर जांचा जायेगा चाहे यह बालको हो माडर्न फूड्स हो क्या यह लाभ अर्जित करने वाली कंपनियां अथवा घाटे में चल रही कंपनियां हैं। हमने पूछा कि विनिवेश और निजीकरण में क्या अंतर है। उन्होंने कहा कि विनिवेश और निजीकरण में कोई अंतर नहीं है। जब तक हम बोलीदाता को बहुसंख्यक शेयर नहीं देते हैं तब तक वे बोली नहीं लगायेंगे और इसलिए हमें उन्हें कहना है कि आएं और सब कुछ ले लें। तभी तो आयेंगे पैसा देंगे। क्या भारत सरकार को विनिवेश संबंधी अपनी नीति के बारे में इस प्रकार बात करनी चाहिए ?

**सभापति महोदय:** कृपया अपनी बात समाप्त करें।

**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा:** महोदय, मुझे बोलने के लिए पांच मिनट चाहिए। मुझे कृपया कर अपनी पार्टी के पांच मिनट का समय मुझे दे दें। मैं बेकार की बातें नहीं करूंगी जितना जल्द संभव होगा मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। मात्र कुछेक महिलाएं ही बजट पर बोलती हैं।

मैं कह रही हूं कि सरकारी क्षेत्र ने भूमिका निभाई है आप इसे यूं ही नहीं बेच सकते क्योंकि आप इसे पसंद नहीं करते हैं अथवा आपको धन जुटाना है। मैं महसूस करती हूं कि समय आ गया है जब सरकार पारदर्शिता के साथ सरकारी क्षेत्र के विनिवेश कार्यक्रम को देखे। हम सभी को विश्वास में लिया जाए। सरकार एक सर्वसम्मति बनाए और इस पर कार्य करे। सरकार और बाकी लोगों के बीच इसे निरन्तर झगड़े की बात नहीं बनाई जानी चाहिए। मैं चाहूंगी कि सरकारी क्षेत्र को स्वायत्ता, व्यावसायिक प्रबंधन की क्षमता प्रदान की जाए जिसकी उन्हें आदत है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ बाबुओं पर न छोड़ी जाए।

संयुक्त सचिवों को एयर इंडिया का अध्यक्ष बनाकर नहीं भेजा जाए। किसी को निकाल दिया, कहीं और बैठा दिया। यदि उन्हें इन उद्योगों को चलाने का अनुभव नहीं है तो वे इसे व्यावसायिक रूप से कैसे चला सकते हैं? हम गलती कर सकते हैं और आप यही गलती दोहरा रहे हैं। कृपया सरकारी क्षेत्र को पेशेवर बनाइए और देखिए कि जो इकाइयां लाभ अर्जित कर रही हैं उन्हें चालू रखा जाए।

लघु उद्योग क्षेत्र की चर्चा करने पर मैं प्रधान मंत्री को लिखे एक पत्र में जो लिखा है उसे उद्धृत कर रही हूं। मंत्रालय में महिलाओं और पुरूषों के लघु उद्योग के एक प्रतिनिधिमंडल ने एक अधिकारी से मुलाकात की क्योंकि इसके लिए उन्हें बुलाया गया था।

क्या आप जानते हैं कि उस प्रतिनिधिमंडल को उस अधिकारी ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, "आप हर तरह से मर रहे हैं। आप इसके बारे में शोर क्यों मचा रहे हैं? शालीनता से मरिये। " यह एक नौकरशाह ने लघु उद्योगों के प्रतिनिधिमंडल को कहा। मैंने एक मंत्री को अधिकारी का नाम दिया है। कोई तरीका है? हजारों लोग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। हजारों लघु निवेशकों ने लघु उद्योग में अपना धन लगाया है। आप उन्हें यह नहीं कह सकते कि अर्थव्यवस्था के द्वार खुलने के कारण उन्हें अपने द्वार बंद कर देना चाहिए और घर जाना चाहिए।

मैं आपको आपके बजट की दो या तीन बातें बता सकती हूं जिन्होंने हमें परेशान किया है। आपने मोमबत्तिबों पर चार प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया है। मोमबत्ती बनाने वाले गरीब लोग होते हैं। 125 रुपये से कम लागत वाली चप्पलों पर आपने चार प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया है। 125 रुपये से कम की जो चप्पल पहनते हैं वे कौन हैं?

**श्री यशवन्त सिन्हा:** आज निकाल दिया।

**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा:** निकाल दिया? मुझे खेद है, मैं उपस्थित नहीं थी। मुझे खुशी है कि आपने इसे निकाल दिया?

लघु उद्योग के लिए आरक्षित मदों की सूची में से चौदह मदों को निकाल दिया गया है। दूसरी ओर शीतल पेय पर उत्पाद शुल्क 40 प्रतिशत से घटाकर 32 प्रतिशत कर दिया गया है। कारों पर यह आठ प्रतिशत तक नीचे लाया गया है। यह उन वर्गों को, जो कि राय बनाने वाले हैं, प्रसन्न रखने के लिए किया है। ये सब साफ्ट ड्रिंक पीने वाले लोग हैं जिनको खुश करना है शहरों में। लघु उद्योग में शामिल लोग कष्ट उठा रहे हैं। मैं सोचती हूं कि उन्हें आवश्यक सहायता देकर उनकी रक्षा करना मंत्री जी का कर्त्तव्य है।

मैं ग्रामीण उद्योगों की परिभाषा पर चर्चा करना चाहती हूं। जो रुरल एरिया है उसकी क्या डेफिनेशन है 20000 लोगों से कम का क्षेत्र इस उद्देश्य के लिए ग्रामीण क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए छोटे समूहों में डिटरजेंट बनाने वाली महिलाओं की इकाईयां ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा करती हैं। वे कोई उत्पाद शुल्क नहीं देते। परन्तु उन क्षेत्रों में चूंकि आबादी बढ़ गई है और यह 20,000 के स्तर को पार कर गई है अब उनसे कहा जा रहा है कि वे अब ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हैं और वे नगरीय सीमाओं के भीतर आ गए हैं इसलिए उन्हें उत्पाद शुल्क देना चाहिए।

वे इसका भुगतान किए बिना वह अपने कार्य को किस प्रकार बचा पाएंगे? आज क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है तो वे कहते हैं, ''आपको उत्पाद शुल्क देना चाहिए'' इसलिए महिलाओं को आपनी इकाईयां बन्द करनी पड़ी हैं। यदि उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ गई है और किसी अधिसूचना के अंतर्गत नगर पालिका घोषित कर दी गई है तो इसमें उनकी गलती नहीं है। इसलिए मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि महिलाओं की लघु इकाईयों की रक्षा के लिए कृपया इस पहलू पर गौर करें।

महोदय, जहां तक कामगारों का प्रश्न है औद्योगिक विवाद अधिनियम के संबंध में मुझे कहना है कि माननीय मंत्री जी अपने बजट भाषण में उन मामलों पर निर्णय ले रहे हैं जो कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के समक्ष हैं। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? औद्योगिक विवाद अधिनियम और ठेका श्रमिक अधिनियम के सभी मामले राष्ट्रीय श्रम आयोग के समक्ष हैं। परन्तु माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह निर्णय दिया है कि यह अमेंड होगा, यह चेंज होगा, इंडस्ट्रियल एस्टेबिलिशमेंट हजारों वर्कर्स से ज्यादा हमारे सामने आयेंगे; दूसरे नहीं आयेंगे। राष्ट्रीय श्रम आयोग इन सब मामलों पर विचार कर रहा है। उन्हें घर भेजे जाने के कष्ट को और बढ़ाने के लिए उन्होंने अब भविष्य निधि में उनकी जीवन भर की बचत पर ब्याज दर भी कम कर दी है।

**सभापति महोदय:** माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

**श्रीमती माग्रेट आल्वा:** माननीय सभापति महोदय, आप घंटी बजा रहे हैं और मुझे घबराहट हो रही है। परन्तु मेरी अंतिम बात सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा के बारे में है। हमने वर्षों तक संघर्ष किया कि खाद्य न मांगना पड़े ताकि देश को हरित क्रांति के जरिए भोजन उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबों के लिए खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ा दी जिसके परिणामस्वरूप लोग उन्हें खरीद नहीं पा रहे हैं। भंडार सड़ रहे हैं और उन्हें चूहों तथा कुतरने वाले प्राणियों द्वारा खाया जा रहा है। वे इसका निर्यात नहीं कर सकते क्योंकि उनकी उत्पाद लागत बहुत अधिक है। भंडार पड़े हुए हैं। उनके पास गोदाम नहीं हैं। अब जब नई फसल आएगी तो वे क्या करेंगे वे इसको राज्यों को दे देंगे।

*[हिन्दी]*

एफ.सी.आई. को हम डिस्बैंड करेंगे। आप लोग स्टेट्स में करिए। स्टेट्स में भी गोदाम नहीं हैं। अचानक हम स्टेट्स को नहीं कह सकते हैं कि आप जादू की छड़ी से गोदाम प्रिपेयर करिए, इधर भी यही समस्या है।

*[अनुवाद]*

वे जिम्मेदारियां उनको हस्तांतरित कर रहे हैं। उनके पास आधारभूत ढांचा अथवा खरीदने की क्षमता नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कोई खरीद नहीं की जा रही है।

ऐसा प्रतीत होता हैं कि इस पागलपन में भी एक तरीका है कि एफ.सी.आई. को तो बंद करना है, पी.डी.एस. को खत्म करना है। किसी न किसी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे तो सब बंद हो जाएगा। मैं उन लोगों के अश्रुओं की बात कर रही हूं। जो इस कुप्रबंध के कारण भूखे रह जाएंगे। मैं यह नहीं कह रही हूं कि ''अमीरों को दें'' सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तक जाने दीजिए। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को यह दीजिए। महोदय, उन्हें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए और उनको भोजन देने की अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। सड़ रहे अनाज के बारे में मेरा सुझाव है कि उन्हें ''काम के बदले अनाज'' की योजना प्रारम्भ करके उन्हें सूखा पीड़ित क्षेत्रों में अनाज वितरित करना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** आप बहुत अच्छा भाषण कर रही हैं लेकिन कठिनाई यह है कि पांच बजे वोटिंग होनी है, उससे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को उत्तर भी देना है।

*...(व्यवधान)*

**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा:** यह महिलाओं की बात है।

*[अनुवाद]*

महोदय, उन्होंने महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने के लिए 650 ब्लाकों का चयन किया है। हमें पता नहीं है कि यह प्रोग्राम क्या होगा? दो वर्ष पूर्व उन्होंने सभी कार्यक्रम मिलाकर 'स्वर्ण जयंती कार्यक्रम' बनाया था। परन्तु यह कोई नहीं जानता कि इसमें 'स्वर्ण' क्या है और कोई नहीं जानता कि इसमें 'जयंती' क्या है। कार्यक्रम अब नहीं है।

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

[हिन्दी]

गाइडलाइन्स इश्यू नहीं की हैं, इम्पलीमेंटेशन नहीं हो रही है, कोई नहीं समझता है कि यह क्या प्रोग्राम है। आज एक नया एम्पॉवरमेंट का किया है, कमेटी ऑन वूमन एम्पॉवरमेंट की मैं तो चेयरमैन हूं, कोई नहीं पूछता है, कोई कंसलटेशन नहीं है, कुछ नहीं है। 650 ब्लॉक वूमन एम्पॉवरमेंट के हैं।

[अनुवाद]

महोदय, क्या वे यह आश्वासन दे सकते हैं कि महिला संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कम से कम एक अथवा दो ब्लाकों का प्रथप्रदर्शक ब्लाकों के रूप में चयन कर सकेंगी जहां महिला सदस्य कुछ कर सकेंगी और उन्हें बतायेंगी कि क्या किए जाने की आवश्यकता है। उन्हें हमारी सेवाओं का उपयोग करने के लिए लिए कहें क्योंकि हम इसमें कुछ करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपने कहा है कि मुझे अपनी बात समाप्त करनी चाहिए, हालांकि मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है परन्तु अब मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। परन्तु अंत में मैं एक बात माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूं। उनके आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि ''पिछले छः वर्षों में देश में गरीबी में आश्चर्यजनक रूप से 10 प्रतिशत की कमी आई है। 37 प्रतिशत से 27 प्रतिशत आपने अपने बजट भाषण में भी यही कहा है:

> ''1993-94 में गरीबी 36 प्रतिशत से गिरकर अब यह 26 प्रतिशत या इससे कम रह गई है।''

यह कोई जादू है। परन्तु वित्त मंत्री जी ने आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेजों में दी गई कुंजी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, को नहीं पढ़ा है। मैं आपके अपने दस्तावेज के पृष्ठ 193-194 से उद्धृत कर रही हूं:

> ''राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने की क्रियाविधि को परिवर्तित किया है। परिणामस्वरूप आंकड़े संग्रहण की क्रियाविधि में परिवर्तनों के कारण संभवतः इन अनुमानों की गरीबी के पहले के अनुमानों से तुलना संभव नहीं है''।

जब आपके अपने सर्वेक्षण में कहा गया है कि क्रियाविधि में परिवर्तन हो गया है और आप तुलना नहीं कर सकते और आपने कहा है कि इसमें कमी आई है। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस मुद्दे को स्पष्ट करने का अनुरोध करती हूं। गरीबी में कमी नहीं आई है जैसा कि आपने दावा किया है कि आपके निवेश में कमी क्यों आई है? मेरा विचार है कि जब आपका अपने आर्थिक सर्वेक्षण में प्रमुख स्पष्टीकरण दिया गया है कि क्रियाविधियां भिन्न हैं तो आपको अपने बजट भाषण में देश को भ्रमित नहीं करना चाहिए।

महोदय, मैं आपके धैर्य के लिए आपको धन्यवाद देती हूं और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी कमजोर वर्गों की समस्याओं पर ध्यान देंगे और उनकी रक्षा करेंगे।

**अपराह्न 3.42 बजे**

**[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुई*]**

[हिन्दी]

**श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी** (देवरिया): सभापति महोदय, सदन में वित्त विधेयक पर चर्चा हो रही है और यह चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे अपने आप अकेले में नहीं देखना चाहिए। हर साल का बजट एक मील का पत्थर होता है। मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने वित्त मंत्री जी ने पांचवा या चौथा बजट पेश किया है और उनमें हमें एक सूत्र दिखाई देता है। 28 फरवरी को जब वित्त मंत्री जी बजट पेश करने वाले थे, उसके पहले और बाद में लोगों के दिमाग में जो आशंकायें थी। एक तरह से, इनके पास विकल्प था कि एक साहसी बजट देकर, हमारी जो अपोर्चुनीटिज हैं, उनको पकड़कर आगे बढ़े या सुरक्षात्मक बजट लेकर, सुरक्षा का कवच पहनकर, करों को बढ़ाकर चुपचाप किनारे बैठ जाएं। बजट प्रस्तुत करते हुए जब इन्होंने बजट का ''क'' भाग खत्म किया और ''ख'' भाग शुरू किया, तो मुझे याद है, इन्होंने कहा था मैं थोड़ा पानी पीऊंगा और अपना पसीना पोंछूंगा, क्योंकि इसके बाद काफी लोगों के पसीने छूटेंगे। लेकिन उसकें बाद जो उन्होंने बजट प्रस्तुत किया, वह ऐसा था कि करीब करीब हर तबके के लोग स्तब्ध रह गए, एकाएक खुश हो गए। मैं कहना चाहता हूं चाहे वह किसान हो, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे घरेलू महिलाएं हो, हर तरफ से आवाज आई-बल्कि मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि यह कोई भारतीय जनता पार्टी का अखबार नहीं है, 'इकोनोमिक टाइम्स' ने लिखा ''शाटगन सिंहा-II फायर्स राउन्ड-II रिफार्म्स'' यह बात मैं वित्त मंत्री जी की तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं दस साल और राउन्ड टू-रिफार्म की बात कह रहा हूं। मैं उस सड़क की बात कह रहा हूं, जिसमें हर साल का बजट एक मील का पत्थर होता हैं। इस मामले में मैं आपको जरूर बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि चाहे मार्केट हो, चाहे पर्सनल टैक्स पेयर की बात हो, चाहे कृषि की बात हो, सभी को राहत दी गई है हमने सुना है, यह कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों का ख्याल नहीं किया गया है, कृषि के बारे में ख्याल नहीं किया गया है। मेरे अपने विचार में आपने घरेलू उत्पाद का 1,16,314 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्तियां की हैं, जो कि घरेलू उत्पाद का 4.7 परसेंट है। संभवतः प्रदेशों में जायें, तो घाटे बढ़ेंगे।

ये करने के बाद अगर देखा जाए तो हम यह कहेंगे कि जो लक्ष्य इन्होंने अपने बजट प्रजेंटेशन में कहा था कि राजस्व की वृद्धि होनी चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को व्यवसाय होना चाहिए अभी मार्ग्रेट आल्वा जी ने कहा कि व्यवसाय कम हो रहे हैं, मैं उसकी भी बात करूंगा। व्यवस्था का सरलीकरण होना चाहिए और ईमानदार करदाता का सम्मान होना चाहिए, ये तीन चार बातें आपने कही थीं। मैं कहना चाहता हूं कि ये सब चीजें हो रही हैं। केवल अभी टैक्सपेयर का सम्मान इस देश में नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिए। अब भी इंकम टैक्स अधिकारी टक्सपेयर को बराबर क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते हैं। टैक्स पेयर्स एक करोड़ से बढ़कर 2.3 करोड़ हो गए हैं। इसके लिए मैं आपको दोबारा बधाई देता हूं लेकिन अगर ठीक से कोई खास अभियान चलाया जाए कि टैक्स पेयर ज्यादा सम्मानित व्यक्ति हमारी सोसायटी में माना जाए, वह कह सके कि मैं टैक्स देता हूं तो 2.3 करोड़, पांच करोड़ एक-दो साल में हो सकता है, क्योंकि भारतीय सम्मान का बहुत भूखा रहता है। आप कोई न कोई सम्मान का तरीका निकालिए। राजस्व की वृद्धि केवल इसका उद्देश्य नहीं हो सकता है, इसके बहुत से उद्देश्य होते हैं, लेकिन खास तौर से राजस्व की वृद्धि भी अपने आप में एक आंकड़ा होता है और ये आकड़े कई तरह से मिलते हैं, मैं यह मानता हूं कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र, कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए जब तक ग्रामीण और कृषि क्षेत्र का विकास तेजी से नहीं होगा तब तक उन्नति नहीं हो सकती है। यह दुर्भाग्य रहा है कि हमारे बहुत से फाइनेंस मिनिस्टर हार्वर्ड से पढ़े हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उनकी सोच इस बात पर आकर टिक जाती थी अगर हमारा व्यापार, उद्योग बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। मैं इस बात से बिलकुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर एक साल हमारा अनाज कम हो जाए तो आपका सारा व्यापार अपनी तरफ रह जाएगा और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता, मेरे ख्याल में इस बजट में अगर कोई चीज देखने वाली है तो वह यही है कि कृषि को बहुत महत्व दिया है हमें ऐसा लगा कि 64 हजार करोड़ फार्म सैक्टर को दिया गया है। क्रेडिट कार्ड के बारे में वित्त मंत्री जी ने बताया था और यह वायदा है कि तीन साल में हर किसान को क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, उसके साथ उसका इश्योरेंश भी हो जाएगा। इंश्योरेंस से किसान घबराते हैं, अगर क्रेडिट कार्ड के साथ उसका इंस्योरेंश हो जाए तो अच्छा रहेगा।

महोदय, 2500 करोड़ रुपये ग्रामीण सड़क के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा घोषित प्रधान मंत्री सड़क योजना की आलोचना हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से केन्द्र से आज तक किसी बजट में इतनी बड़ी धनराशि ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने के लिए नहीं दी गई है, यह हमारा दावा है। अभी मणिशंकर जी बोले कि कहां खर्च हुई है। उसकी क्या हालत है। हर चीज में खर्च की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि 2500 करोड़ रुपये जल्दी से जल्दी हम किसी को दे दें और कहें कि हमने अपना काम कर दिया । यहां से जब पैसा जाता है और वहां पहुंचता है, वहां से जब वापस आता है तो उसमें कुछ समय लगता है हम कहते हैं, कि थोड़ा और समय लगे लेकिन एक परिपक्व, मेच्यौर तरीके से इसका कार्यान्वयन किया जाए तो 2500 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने के लिए बहुत अच्छी धनराशि है, कुछ और समय लगे, उसकी आप चिन्ता मत कीजिए।

80 हजार गांवों के विद्युतीकरण की जो बात है, हम किस मुंह से कह सकते हैं कि किसी गांव को विद्युत न मिले। हम इस मत के नहीं हैं कि पुरानी सरकार ने कुछ नहीं किया है। लेकिन 2001 के बाद अगर किसी गांव में विद्युतीकरण नहीं होता है तो हम राजनेता कहलाने के लायक नहीं है। हमारे ही देश में कुछ क्षेत्र तो आगे बढ़ रहे हैं और कुछ क्षेत्र उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यह समस्या चीन और कुछ अन्य देशों की भी है लेकिन इस समस्या की तरफ हमें अभी से ध्यान देना पड़ेगा और इस असमानता को दूर करना पड़ेगा।

खाद्यान्न और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कुछ सुधार आया है और इसमें और सुधार की जरूरत है। इस क्षेत्र में सरकार की आलोचना बहुत होती है। प्याज महंगा हो जाए तो दिल्ली की सरकार गिर जाती है और अगर आलू सस्ता हो जाए तो कहा जाता है कि किसान क्या करें, वह आत्महत्या कर रहा है।

बैंकिंग के क्षेत्र में जो वसूली आप नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रही है तो जमीनी सच्चाई को देखते हुए इसे और प्रभावशाली बनाने की जरूरत है।

स्वदेशी और विदेशी की बात बहुत चलती है लेकिन विदेशी का दरवाजा खोलने का काम जिन्होंने किया वही आज स्वदेशी की बात करें तो अच्छा नहीं लगता है।

एम्प्लॉएमेंट जैनरेशन का मतलब सरकारी नौकरी से नहीं है। अगर फल का व्यापार गांव में बढ़ता है तो यह भी एम्प्लॉएमेंट जैनरेशन का हिस्सा है। मेरा पक्का विचार है कि कृषि, लघु उद्योगों से बहुत ज्यादा एम्प्लॉएमेंट जैनरेशन हो सकता है उतना सरकारी नौकरी देकर आप नहीं कर सकते हैं।

विनिवेश और निजीकरण के बारे में भी मुझे बहुत कहना था लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं केवल यह कहूंगा कि यह ऐसा बजट है जो हर तबके को पसंद आया है इसलिए वित्त विधेयक को हम सर्वसम्मति से पास करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

**श्री हरीभाऊ शंकर महाले** (मालेगांव) : सभापित महोदया, सदन में बजट पर चर्चा हो रही है और मैं अपने विचार रखने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। मेरा आक्षेप तो मंत्री महोदय के ऊपर

[श्री हरीभाऊ शंकर महाले]

है क्योंकि उन्होंने ही ज्यादा से ज्यादा औचित्य भंग किया है। बजट पेश करने से पहले उन्होंने बार-बार घोषणा की है कि कंपनियों और व्यक्तियों के ऊपर जो कर लगे हैं वे उन्हें कम नहीं करेंगे, इसलिए कालाधन बढ़ा और इसीलिए मेरा महोदय के ऊपर आक्षेप है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 40 साल पहले इंग्लैंड में भी वित्त मंत्री ने औचित्य भंग किया था।

संसद में बजट प्रस्तुत करने से पहले वहां के वित्त मंत्री श्री ह्यू डालटन ने इवनिंग स्टार के पत्रकार से कहा, जो वहां खड़े सिगरेट पी रहे थे, कि आज चाहे जितनी सिगरेट पी लो लेकिन कल से वह महंगी हो जाएगी। यह बात सुन कर वह पत्रकार तुरन्त अपने दफ्तर चला गया और अखबार में छाप दिया कि तम्बाकू के ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा और सिगरेट महंगी हो जाएंगी। उन्होंने जो बजट लीक किया, उसे लेकर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसी परम्परा के अनुसार यहां के वित्त मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए।

अर्थ मंत्री ने राष्ट्रीयकरण के लिए दस हजार करोड़ रुपये देने का वायदा किया था लेकिन केवल ढ़ाई सौ करोड़ रुपये दिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का निजीकरण करने से बड़े-बड़े पैसे वाले लोग उसके शेयर ले लेते हैं जिससे घाटा और बढ़ जाता है। जितने भी प्रॉफिट मेकिंग उद्योग थे उनका आज निजीकरण हो गया है और घाटे वाले उद्योग बंद हो गए हैं। यह बात ठीक नहीं है।

एनरॉन को भारत सरकार ने काउंटर गारंटी दी थी। महाराष्ट्र सरकार की दशा खराब है। 7 रुपये 75 पैसे यूनिट में ग्राहकों को बिजली मिलनी चाहिए। आपने एनरॉन के साथ जो करार किया है, उसे रद्द करें।

पिछले दिनों अखबार में आया था कि बड़े-बड़े व्यापारियों ने इस बजट की प्रशंसा की लेकिन आज किसान, कामगार, लोग, आदिम जाति और जन जाति के लोग भूखे मर रहे हैं। अर्थ मंत्री ने इनके बारे में कुछ नहीं सोचा। अभी एक माननीय सदस्य इस बजट की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे लेकिन बजट में हमें ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती है। गरीब आदमी और गरीब हो गया तथा अमीर और अमीर हो गया। इसलिए मैं इस बजट की कड़े शब्दों मे निन्दा करता हूं। मंत्री महोदय का इस्तीफा देना जरूरी है, यही मेरी मांग है।

**अपराह्न 4.00 बजे**

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर): सभापति महोदया, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात का जिक्र करना चाहूंगा और चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री उन शंकाओं का समाधान करें जब वे जवाब देंगे। वित्त मंत्री जी ने किसानों के लिए सुविधाओं के अन्य उपाय, बीमा पर विचार, किसानों के लिए पूंजी की कमी दूर करने का प्रयास किया है तथा कोल्ड स्टोरेज के लिए ऋण हेतु आपने बजट में 78 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह अच्छी बात है। लेकिन किसानों की मौलिक जरूरतों की तरफ जो ध्यान दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया गया है। बजट का आधार इकोनोमिक ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता पर होनी चहिए। यह मुख्य चिंता बजट में दर्शायी गई है। किसानों को सूखे और बाढ़ से बचाने के लिए किसी दीर्घकालिक योजना का जिक्र नहीं किया गया है। किसानों को कृषि उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिलें, चाहे गन्ना हो, गेहूं हो, धान हो या तिलहन या दलहन हो या कामर्शियल क्राप्स हों, उनकी तरफ स्थायी तौर पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय, आयात से बचाने के लिए मामूली सा प्रयास किया गया है लेकिन जो कृषि जनित वस्तुएं हैं, जो भारत में विदेशों से धड़ल्ले से आ रही रही हैं। उसमें डब्ल्यू.टी.ओ. का जो प्रावधान है, उससे किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई गारंटी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। अभी जो पहला चरण 1991-2000 गुजर गया है, आने वाले 2001-2010 तक का जो द्वितीय चरण है, उसमें क्या क्या संभावनायें हैं, यह नहीं बताया गया है। इसके पहले केवल इतना ही कहा गया है कि इस उदारीकरण को द्वितीय चरण में बहुत मुस्तैदी से लागू करना है। क्या करना है? पहला चरण ऐसे ही चला गया, क्या किया गया? इसमें एग्रीकल्चर प्रौडैक्टिविटी का ह्रास हुआ है। यह मैं नहीं कह रहा, यह आर्थिक सर्वेक्षण संकेत कर रहा है। चूंकि समय कम है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन यह बात सही है कि एग्रीकल्चर प्रौडेक्टिविटी में ह्रास हुआ है। उसी तरह से कृषि उत्पाद के मूल्यों में गिरावट आई है। यह पारदर्शिता है कि किसानों को उनके उत्पादन- गेहूं, चावल, गन्ना का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। कारखानों में निर्मित वस्तुओं के दाम बढ़ गये हैं। यह सही है कि हम एन.डी.ए. के पार्टनर हैं, उसे अपना समर्थन दे रहे हैं और सहभागी हैं लेकिन ऐसी बात कहेंगे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा।

सभापति जी, किसान के ट्रैक्टर का दाम बढ़ रहा है। किसान जिन कृषि उपकरणों का उपयोग कर रहा है, उनके दाम बढ़ रहे हैं। काखानों की हर वस्तु का दाम बढ़ रहा है। फर्टिलाइजर, कीटनाशक दवाइयां जो किसान इस्तेमाल करता है, उसके दाम बढ़ रहे हैं। किसान की उत्पादन लागत बढ़ रही है लेकिन किसान द्वारा उत्पादित वस्तुओं, गेहूं, गन्ना, धान, तिलहन, दलहन और कामर्शियल क्राप्स का मूल्य घटता जा रहा है। किसानों पर दोतरफा मार पड़ रही है। इरीगेशन पर टैक्स बढ़ रहा है। जिस एरिया में सिंचाई नहीं होती, वह वहां पटबन लगाता है। किसान के घर क्या पैदा होता है, वह दिखाई दे रहा है लेकिन यह व्यावहारिक बात

नहीं है। मैं वास्तविकता बताना चाहता हूं, आंकड़ों और तथ्यों को बताने में समय लगेगा। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि किसानों पर दोतरफा मार पड़ रही है। इसी का नतीजा है कि खेतिहर मजदूर को रोजगार का अवसर नहीं मिला तो वह शहरों की तरफ भाग रहा है। गांवों से बड़े पैमाने पर खेतिहर मजदूरों का पलायन हो रहा है। क्या सरकार के पास इसे रोकने के लिए कोई योजना है?

सभापति महोदया, मुझे एक शंका है, जिसका समाधान मैं माननीय वित्त मंत्री जी से चाहता हूं और वह यह है कि क्या कृषि नीति और उद्योग नीति में कोई तालमेल है, जो सी.डी. रेश्यो कम हो रहा है, उसका क्या कारण है? मैं एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूं और अकेले एक राज्य का नाम लूंगा। वैसे मेरे पास सभी राज्यों के सी.डी. रेशियो के आंकड़े हैं, लेकिन मैं उनका उल्लेख कर के सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। इस बात से सदन को ज्ञात होगा कि सरकार निवेश बढ़ा रही है या निवेश घटा रही है।

मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में निवेश घटाया जा रहा है और सम्पूर्ण देश में कृषि में सिर्फ 12 प्रतिशत निवेश रह गया है। कृषि में लगे लोगों की संख्या भी घटाई जा रही है यह अद्भुत है। निवेश 12 प्रतिशत और कृषि में लगे लोगों की संख्या 20 करोड़। यह बात वित्त मंत्री जी ने बजट में नहीं कही है, बल्कि यह राष्ट्रीय कृषि नीति के अन्तर्गत स्पष्ट की गई है। इस देश में 76 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खेती करते हैं। बी.पी.एल. की परिभाषा तो अब सामान्य हो गई है। राष्ट्रीय कृषि नीति में इस परिभाषा पर ध्यान नहीं दिया गया प्रतीत होता है।

महोदया, अभी मैं बैंक के बारे में कह रहा था। बिहार में बैंक का सी.डी. का रेश्यो 24 प्रतिशत रह गया है। वह अलग बात है कि आर.बी.आई. की गाइड लाइन है कि सुदूर और पिछड़े क्षेत्रों में ज्यादा खर्च करना चाहिए, लेकिन वह रेश्यो 24 प्रतिशत रह गया है। पहले चल रहा था कि 60 और 40 के अनुपात में होना चाहिए और उसके अनुसार जो राज्य जितना जमा करेगा उसका उसे 60 प्रतिशत दिया जाए, लेकिन उसे 24 प्रतिशत कर दिया गया। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इसका बिहार की जनता पर असर नहीं पड़ेगा। मैं तो कहना चाहता हूं कि बिहार ही नहीं, कोई भी राज्य होगा, वह रसातल में जाएगा।

माननीय वित्त मंत्री जी ने ठीक कहा है कि यह उनका दूसरा चरण होगा सेकेण्ड फेज में राष्ट्रीय कृषि नीति की ही प्रतिछाया बजट में दिखाई गई है। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कृषि नीति में भी तीन बिन्दुओं पर ज्यादा जोर दिया गया है। पहला तो यह है कि कृषि को भी उद्योग और व्यापार बनाया जाए। इससे क्या होगा कि जो भारतीय कृषि की परम्परा है, जो कृषि का हमारा परम्परागत ढांचा है, जो हमारी कार्यशैली है, उसका दरवाजा बन्द हो जाएगा। नंबर दो, जब कृषि को उद्योग और व्यापार बनाया जाएगा। तो कृषि में भारी पूंजी निवेश करने की जरूरत होगी। इसका मतलब यह होगा कि मल्टी नैशनल को इनवाइट किया जाए, स्थानीय और निजी निवेश को घटाया जाए।

महोदया, वित मंत्री महोदय, हमारे राज्य से आते हैं। वे बहुत बुद्धिमान हैं और अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करुंगा और नम्र निवेदन करूंगा कि जब ऐसा होगा तो क्या कृषि में पूंजीपतियों की घुसपैठ नहीं होगी? आजादी के बाद केवल यही एक क्षेत्र ऐसा बचा हुआ था जिसमें पूंजीपतियों का दखल नहीं था। इसीलिए अब तक देश की आत्मनिर्भरता और सम्प्रभुता की बात कुछ लोग करते रहे, लेकिन क्या वे अब ऐसा कर पाएंगे। अब तो वे डब्ल्यू.टी.ओ. की मार की बात करेंगे। जो मैं कह रहा हूं उसमें तथ्य हैं, उसमें फैक्ट्स हैं। इन बातों का मैं जिक्र इसीलिए कर रहा हूं।

महोदया, तीसरी बात कही गई है कि कृषि में तकनीकी विकास की जरूरत है। यह तकनीकी विकास शब्द बहुत बुद्धिमानी से निकाला गया है। यह कृषि पर कब्जा करने की बहुत बढ़िया तकनीक अपनाई गई है। मीडिया वाले बहुत जोर से लिखते हैं कि पूरा तकनीकी विकास करना है, तो आई.टी. का रिवोल्यूशन देश में लाना है। इस सबका परिणाम तहलका के रूप में देश ने देखा है। यह सब उसी का कुपरिणाम है। हम तकनीकी विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन तकनीकी विकास, विकास की तरह होना चाहिए। अब जो सूचना प्रौद्योगिकी का युग चल रहा है, तो इसको इतना डिवेलप कर दिया जाए कि पूरी ट्रांसपेरेंसी हो जाए। जब पूरी ट्रांसपेरेंसी तहलका के मामले में जनता के सामने आ गई, तो फिर सरकार क्यों चिल्लाती है? यह दौर भी पूरा होगा और कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। देश का जो मान, सम्मान और संप्रभुता है वह बनी रहनी चाहिए।

महोदया, क्या कृषि में तकनीकी विकास के बहाने से मल्टी नैशनल कंपनियां हमारे देश में नहीं आ जाएंगी। मैं इस बारे में विस्तार से बताना चाहता था, लेकिन समय नहीं है। मैं आपके सामने सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, माननीय फूड मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं-करगिल, जो एक विदेशी कंपनी है, भारत के सारे अनाज के भंडार को पाने का प्रयास कर रही है।

मैं विदेशी मल्टी नैशनल कंपनी की बात कर रहा हूं। अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं इन सारी बातों का जिक्र करता और बताता कि किस-किस तरह से हमला हो रहा है। *...(व्यवधान)*

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

अभी छोड़ दीजिए। मैं उस पर नहीं बोलूंगा। मैं यहां न कहकर उसे अपनी स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू कहता हूं। मैं अपनी सीमाओं को जानता हूं। मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि इस परिपेक्ष्य में वर्तमान बजट का विश्लेषण होना चाहिए। वर्तमान बजट में सिर्फ दो मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया है। एक जोर यह दिया गया है कि किसानों को कैसे पूंजी उपलब्ध कराई जाये। मतलब ठेके की खेती, कारपोरेट खेती को बढ़ाया जाये। इसका मतलब साफ है कि इसमें कहीं कोई बाहर से एनालेसिस करने की जरूरत नहीं है। हालांकि लिट्रेचर में इतनी बहस हुई है कि इसका भी तर्क दे दिया जाएगा लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहते। हम सीधी-सादी बात करते हैं क्योंकि सीधे आदमी हैं और गांव की बात करते हैं, दूसरा, बजट में कृषि वस्तुओं के निर्यात पर विशेष जोर देंगे। अब इसको कम्पेनसेट कैसे किया जाए? कहा जाता है कि जो ओपन मार्केट है या क्वांटीटेटिव रिस्ट्रक्शन उठाया गया है, उसमें हम निर्यात पर जोर देंगे। निर्यात पर हम इतना जोर देंगे कि भारतीय किसान निर्यात में कम्पीट कर जाएगा। दुनिया के उन्नत देशों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इतनी ज्यादा सबसिडी दी जाती है कि भारत का किसान कभी भी निर्यात में कम्पीट नहीं कर सकेगा। आयात की मार तो अलग है। वह मार होनी शुरू भी हो गई है। मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं अभी 1429 वस्तुएं जो कि संवेदनशील हैं जिसमें कृषि, टेक्सटाइल आदि अन्य सामान हैं, उन पर क्वांटीटेटिव रिस्ट्रक्शन उठा है। वैसे यह पालिसी 1991 में श्री नरसिंह राव के जमाने में ही अख्तियार की गई है, गैट समझौता किया गया है।

हम वित्त मंत्री जी को सुझाव देना चाहते हैं कि कम से कम भारत में जो कृषि उत्पादन है, उसकी रक्षा करने के लिए, किसानों की रक्षा करने के लिए एंटी डम्पिंग ड्यूटी को लाया जाये, क्लोज मौनीटरिंग स्थापित की जाये ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान ऐसा न आ जाये जिससे हमारा हिन्दुस्तान डम्पिंग ग्राउंड बन जाए। इसलिए हिन्दुस्तान में विदेशी अनाज का डम्पिंग ग्राउंड नहीं बनने देने के लिए एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगानी चाहिए। काउंटरवेलींग ड्यूटी जो भी लगानी हो, वह लगायें और रेगुलर मौनीटरिंग तेज की जाए ताकि कोई ऐसा सामान न आ जाये जिससे हमारे किसान को नुकसान हो। चूंकि अभी किसानों के लिए 610 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य तय हुआ है जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसका मूल्य 400-450 रुपये प्रति क्विंटल है। इसका क्या होगा? इसलिए किसानों की रक्षा के लिए सेफ्टी गार्ड, सेफ्टी प्रोविजन या स्पेशल प्रोविजन जो भी लाना हो, वह लाना चाहिए। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि अभी आपने सोयाबीन तेल पर 45 परसेंट आयात ड्यूटी कहा है। डब्ल्यू.टी.ओ. में जो बाउंड रेट है, उस सीमा के तहत हमें उसको 45 परसेंट रखना पड़ा। औरों में तो हम 80,90 और 170 तक चले गये हैं लेकिन यहां हमें बाउंड रिस्ट्रक्शन को देखना पड़ा। लेकिन एमरजेंट प्रोविजन है तो क्या आप विश्व के मंच पर इस सवाल को नहीं उठा सकते क्योंकि सोयाबीन सबसे ज्यादा प्रोटीनेस चीज है। जिस तरह से महिलाओं और बच्चों में कुपोषण है, उसको देखते हुए हमारे देश में सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। इसकी खेती को डेवलप करने के लिए इसको और बढ़ाना चाहिए यानी आयात ड्यूटी 45 परसेंट से भी आगे करना चाहिए।

**सभापति महोदय** : इस कम्पीटिशन के चलने सोयाबीन की सब यूनिट्स बंद हो गई हैं।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : मैं मात्र दो बिन्दुओं पर कहना चाहता हूं। मैं अधिक समय न लेकर केवल दो मिनट लूंगा। अगर आपका आदेश हुआ तो मैं अभी भी बैठ जाऊंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी कृपा की जो सिक वनस्पति यूनिट को 55 प्रतिशत आयात दर में छूट देने की घोषणा इस बजट में की। यह घोषणा 28 फरवरी 2001 को की गई और 1 मार्च 2001 को रेवन्यू डिपार्टमैंट ने यह अधिसूचना जारी कर दी कि यह छूट मिलेगी।

वनस्पति निदेशालय ने 16 मार्च, 15 दिन बाद एक गाइडलाइन तैयार कर दी। वह गाइडलाइन इतनी जटिलता से भरी हुई है कि सीका एक्ट का जो परव्यू है, सीका एक्ट सिक इंडस्ट्री को डिफाइन करने के लिए बना था, सीका एक्ट के परव्यू के बाहर एक आयरन फिटेड गेट गाइडलाइन के जरिए लागू कर दिया गया कि किसी सिक यूनिट को रिवाइन करने का मौका नहीं मिलेगा और न ही कन्सेशन मिलेगा—इसलिए मंत्री जी इस पर अवश्य विचार करें।

बी.पी.एल. के संबंध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि वह योजना आयोग का विषय है। वित्त मंत्री जी बी.पी.एल. ऐस्टीमेट तैयार नहीं करते, वह योजना आयोग तैयार करता है, यह बात सही है। वित्त मंत्री जी के बस की बात नहीं है लेकिन जिस योजना आयोग ने बी.पी.एल. ऐस्टीमेट तैयार किया है, हमको समझ नहीं आ रहा, ज्यादा समझ योजना आयोग को है तो उसे कैसे समझाया जाएगा। 1993-94 में लकड़वाला एक्सपर्ट कमेटी के जरिए जो नैशनल सैम्पल सर्वे हुआ था, उसमें बताया गया था कि 35.97 प्रतिशत बी.पी.एल. ऐस्टीमेट इस देश में है, लगभग 32 दशमलव कुछ करोड़ लोग इस देश में गरीबी की रेखा से नीचे हैं। 1994 के बाद 1996-97 में पूरे विभाग ने इसी ऐस्टीमेट से काम चलाया। दो-ढाई साल में नया मैजिक हो गया, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आबादी अचानक 36 प्रतिशत से घट कर 26 प्रतिशत हो गई। पावर्टी एलीविएशन कितना प्रतिशत हुआ? क्या 2400 कैलौरी का भोजन गरीब आदमी को मिल गया, क्या गरीब लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुल गए, क्या गरीब

लोगों की क्रय शक्ति मार्किट में बढ़ गई? कौन सा मुद्दा था जिसके मापदंड के चलते नए तौर-तरीके अपना कर आंकड़े घटा दिए गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किस तरह प्लानिंग कमीशन ने 36 प्रतिशत को अचानक 26 प्रतिशत कर दिया। जब पावर्टी एलीविएशन नहीं हुआ, जब रोजगार के अवसर नहीं बढ़ाए गए, तब गरीबों के क्रयशक्ति ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** क्राइटेरिया बदल गया। मैंने भी यही कहा।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :** मैं समझता हूं कि इस पर फिर से विचार करना चाहिए नहीं तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा गरीबों से धोखा करने के विषय पर एक कमीशन बिठाना चाहिए।

**डां. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):** सभापति महोदय, देवेन्द्र जी बी.पी.एल. के बारे में बोल रहे थे। आपके बोलने की क्या वैल्यू है, क्या कोई सुनने वाला, विचार करने वाला है?

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** जैसे बिहार में आपकी वैल्यू नहीं है।...*(व्यवधान)*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :** जो वित्त विधेयक लाया गया है, हम उसके खिलाफ हैं। जब बजट लाए थे तब शुरू में लगा कि झामर झूमर में रीझे रे दुनिया, लगा कि इन्होंने अच्छे बजट की रचना कर ली। लेकिन अब बजट का भंडा फूट गया। देशभर में कोई भी वर्ग, पूंजीपति को छोड़ कर, मल्टी नेशनल को छोड़ कर, इस बजट से प्रसन्न नहीं है। बजट में बेरोजगारी का जिक्र क्यों नहीं है, वित्त मंत्री जी जवाब दें? एन.डी.ए. का नैशनल एजैंडा या ऐंटी नेशनल एजैंडा था कि बेरोजगारी हटाएंगे और बजट में बेरोजगारी का जिक्र ही नहीं है। आप पढ़ते, देखते नहीं हैं, सिर्फ मेज थपथपा देते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद। बेरोजगारी हटाने के लिए कोई भी दृष्टि नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। जो नौकरी वाले लोग हैं, क्या वे प्रसन्न हैं? जो लोग नौकरी में हैं, उनके पी.एफ. का इंटरस्ट भी घटा दिया। सब लोग नाराज हैं। जो आम आदमी पेट काट कर बैंक में पैसा जमा करता था। उसका भी इंटरस्ट घटा दिया। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** उनको खत्म करने दीजिए, मंत्री जी को रिप्लाई करना है।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** बेरोजगार और किसान की दुश्मन सरकार तो यह है ही।...*(व्यवधान)* ये शुरू में भाषण में कह रहे थे, जब इनका राज बना तो कहा कि दस वर्षों में हम अनाज का उत्पादन दुगना कर देंगे। इस साल उत्पादन पिछले साल से 110 लाख टन घट गया और उससे पहले 70 लाख टन घटा था ये घटती की तरफ जा रहे हैं या दुगना अनाज करने की तरफ जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? जसवन्त यादव जी हमसे कहते हैं कि किसान की बात बोलिए। 'इंडिया टुडे' कहता है, वह हम लोगों का नहीं है, भाजपा से लाग वाला पत्र है...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आप बैठ-बैठे इस तरह डिस्टर्ब मत करिए। यह ठीक नहीं है। रघुवंश प्रसाद जी, आप यहां देखकर बात करिये।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** उसमें यह लिखा था कि खेती करे सो मरे- 'इंडिया टुडे' ने यह मुख्यपृष्ठ पर छापा। देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अब इससे ज्यादा दुख का वर्णन क्या किया जाए। इससे ज्यादा दु:ख का वर्णन क्या हो सकता है कि इनके राज में किसान आत्महत्या कर रहा है, इसलिए कि ये किसान विरोधी हैं। यहां सदन में चर्चा होती है, लेकिन उस पर सरकार कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो पूंजीपतियों के, रिलायंस के गुलाम हैं। अब किसान की बात ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** यह सब छोड़ दीजिए।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :** अब मैं बिहार की बात कहता हूं। आप बिहार का पूछ रहे थे।

**सभापति महोदय :** उधर देखने की जरूरत नहीं है, आप यहां देखकर बात करिये।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** माननीय वित्त मंत्री जी जब बजट भाषण पर पिछले साल जवाब दे रहे थे तो हमारा जो पंचायत मद का 500 करोड़ रुपया इन्होंने रोक कर रखा था, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एप्रोच करे तो हम विचार करेंगे। अब पंचायत के चुनाव हो गये ...*(व्यवधान)* अब चुनाव चल रहा है तो क्या उसको पैसा नहीं देना है? राज्य सरकार ने आपको एप्रोच भी किया है। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** उत्तर देने के लिए मंत्री बैठे हैं, आप क्यों उत्तर दे रहे हैं।

**डां. रघुवंश प्रसाद सिंह:** इनके ग्रामीण विकास मंत्री बोलते हुए कह रहे हैं कि आप लोगों ने वहां चुनाव नहीं कराए, वहां जिला परिषद बॉडी नहीं थी, इसलिए पैसा नहीं दिया। पांच वर्ष में एक वर्ष का पैसा मिल गया। वहां 1978 में चुनाव हुए, एक वर्ष का पैसा मिल गया, लेकिन चार वर्ष का पैसा दुश्मनी से ये रोके हुए हैं। इसकी छानबीन हो जाये तो यह साबित हो जायेगा कि यह सरकार गरीब की, किसान की दुश्मन तो है ही, यह सरकार बिहार की घोर दुश्मन है। इन्होंने बिहार का 500 करोड़ रुपया रोक कर रखा है, नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

**श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज):** बिहार के लोग ही तो सरकार में बैठे हुए हैं, बिहार के दुश्मन कैसे हैं।

**सभापति महोदय:** आप इधर देखकर बात करिए।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** बिहार के जो मंत्री बने हुए हैं, ये बिहार के तनखैया हैं। ये नौकरी कर रहे हैं, बिहार के हितों की रक्षा नहीं कर रहे, हैं न्याय भी नहीं दे रहे हैं, नहीं तो बंटवारे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

के बाद भी हमारे 54 से घटकर 40 सांसद हैं, झारखण्ड सहित मैं बिहार की बात बोलता हूं। इसकी हर विभाग में छानबीन की जाए। कृषि मंत्री बिहार के हैं, 5000 करोड़ रुपये नवीं पंचर्षीय योजना में खर्च हुए, बिहार हिन्दुस्तान का दसवां हिस्सा है, 500 करोड़ रुपये हमें मिलना चाहिए, लेकिन 54 करोड़ रुपये का आबंटन हुआ है और केवल 25 करोड़ रुपये मिले हैं। इस तरह बिहार दरिद्र नहीं होगा, बिहार पिछड़ा नहीं होगा तो क्या उपाय है। भारत सरकार इस तरह से हिस्सा मारने का काम करेगी, बिहार के साथ अन्याय करेगी ...*(व्यवधान)*

**एक माननीय सदस्य:** चारे में कितना कमाया?

**सभापति महोदय:** आप बैठिये

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** शेयर घोटाले में कितना खाया और पी.एम.ओ. घोटाले में प्रधान मंत्री बैठे रहे। पी.एम.ओ. घोटाला, शेयर घोटाला, टेलीफोन घोटाला, घोटाले पर घोटाला, अनाज घोटाला, सारे घोटाले हो रहे हैं, एक तरफ से हो रहे हैं।

**सभापति महादय:** आप खत्म करिए।

**डां. रघुवंश प्रसाद सिंह:** तहलका काण्ड में रख दिया कि कौन मंत्री कितनी घूस खा रहा है। यह सारा विवरण रख दिया। तहलका पर बहस होगी तो मैं बताऊंगा कि यह घोटाले की सरकार है।

**सभापति महोदय:** आप जल्दी खत्म करें और उनसे बात न करें।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** बिहार की जनता का सवाल हम देश के सर्वोच्च पंचायत इस संसद में उठाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि बिहार की दस करोड़ जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा है।

**श्री रघुनाथ झा :** बिहार के बारे में ये बोल रहे हैं। वित्त मंत्री जी बिहार के ही हैं, अब झारखंड के हो गए हैं। हम उसे कहना चाहते हैं कि जो बकाया हमारा है, उसको देने की घोषणा करें।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** यह 500 करोड़ रुपया दोनों राज्यों का है।

**सभापति महोदय:** आप बजट पर बोलिए।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :** सभापति महोदया, सातवीं, आठवीं, और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं को जोड़ कर देखा है कि बिहार को जो हिस्सा मिलना चाहिए, उसमें से दस हजार करोड़ रुपया कम मिला है।

**डा. जसवंत सिंह यादव** (अलवर): ये बात करते हैं किसानों की, लेकिन केवल बिहार तक ही सीमित रह गये हैं!

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :** बिहार को दस हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उसका हिस्सा भारत सरकार मार चुकी है। लेकिन भारत सरकार का कर्जा बिहार पर दस हजार करोड़ रुपये है। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आप बिहार की चर्चा न करें आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आप बजट पर चर्चा करें।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** बिहार पर भारत सरकार का दस हजार करोड़ रुपया बकया है। सातवीं, आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं में सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स में बिहार का हिस्सा दस हजार करोड़ रुपया मारा जा चुका है, मैं मांग करता हूं उसको राइटआफ किया जाए। उस पर आपको कोई खर्च नहीं करना है। उधर के जो सांसद हैं, वे भी इसका इसका समर्थन करें।...*(व्यवधान)* है कोई माई का लाल जो इस बात को मेरे साथ कहे।...*(व्यवधान)* तमाम आर्थिक इंडिकेटर्स से देखा जाए, जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, उस केटेगरी में बिहार को आर्थिक आमदनी के हिसाब से शामिल किया जा सकता है या नहीं, इस पर विचार किया जाए। हमारा दो तिहाई खर्चा बिहार में रह गया और एक तिहाई आमदनी झारखंड में रह गई। इसलिए हम मांग करते हैं कि उत्तराखंड को जैसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा है, उसी तरह बिहार को भी आर्थिक इंडीकेटर की छानबीन करके विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं तो बिहार संकट में रहेगा और वहां की जनता को कठिनाई होगी...*(व्यवधान)*

**श्री प्रकाश परांजपे:** अगर बिहार को पैसा मिलेगा तो क्या आप बजट का समर्थन करेंगे...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आप बैठिए, क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं।

**श्री रघुनाथ झा:** हम वित्त मंत्री जी से जानकारी चाहते हैं।

**सभापति महोदय:** आप वित्त मंत्री जी से बात कर ले। रघुवंश प्रसाद जी अब आप समाप्त कीजिए।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :** अभी यादव जी बोल रहे थे कि किसानों की बात बोलिए।

**सभापति महोदय:** आपने किसानों की बहुत बात कर ली है।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** पांच राज्यों में गेहूं सरप्लस हुआ, बिहार को छोड़कर सभी राज्यों में प्रोक्योरमेंट होता है, वहां एक साल नहीं हुआ, इस साल कैसे होगा। 43 लाख टन गेहूं पैदा हुआ था। उसका छठा हिस्सा भी प्रोक्योर नहीं हुआ। धान एक करोड़ 23 लाख टन बिहार ने पैदा किया।

किसान आधा धान बेचने को मजबूर हुआ। व्यापारियों के दूसरे प्रदेश में ले जाकर जमा किया लेकिन वहां के किसानों को एक करोड़ तेईस लाख टन में से 8000 टन केवल नगण्य प्रोक्योरमेंट हुआ। इस तरह का भेदभाव बिहार के किसानों के साथ यह सरकार कर रही है। सरकार बिहार के किसानों के साथ अन्याय कर रही है। केरल से लेकर नारियल, तिलहन, अनाज, फल और सब्जी के किसान पर डब्ल्यू.टी.ओ. का हमला हुआ है। डब्ल्यू.टी.ओ. से जो उपाय किसानों को बचाने के हैं या छोटे उद्योगों को बचाने के हैं, वे उपाय करने में सरकार सक्षम रही है और कहते हैं कि गरीब...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आपका टाइम खत्म हो गया है अब समाप्त कीजिए।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** एक बात का भी कोई जवाब दे दे। साढ़े चार रुपये प्रति कि.ग्रा. गेहूं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आदमी को मिल रहा है।...*(व्यवधान)* पी.डी.एस. में साढ़े रुपये में दिया गया है। हिसाब बता दें कि चार रुपये पन्द्रह पैसे प्रति कि.ग्रा. गेहूं एक्सपोर्ट के नाम पर ट्रेडर के हाथ में सरकार बेच रही है और गरीब आदमी को साढ़े चार रुपये में गेहूं यह सरकार दे रही है।...*(व्यवधान)* अंधेर नगरी, चौपट राजा। ...*(व्यवधान)* और कहते हैं कि विदेश भेजेंगे। कोई माई का लाल हो तो जवाब दे।...*(व्यवधान)* इतना भारी अंधेर नहीं देखा गया। ...*(व्यवधान)* अन्तयोदय अनाज योजना सरकार चला रही है। 6 करोड़ परिवार देश में गरीबी रेखा से नीचे हैं।...*(व्यवधान)* सरकार ने कहा कि गरीबों में भी एक करोड़ गरीब परिवार को खोजें। 6 करोड़ परिवार बीपीएल हैं। एक करोड़ गरीबों में गरीब कैसे खोजेंगे? गरीब को ठग रहे हैं। गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इसीलिए हम इस तरह के वित्त विधेयक के खिलाफ हैं और इसको पास नहीं होना चाहिए। चूंकि यह किसान विरोधी, जन विरोधी है और गरीब विरोधी बजट है और कोई सैक्शन इस बजट से संतुष्ट नहीं है। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** टाइम भी नहीं है। अब समाप्त करिए।

...*(व्यवधान)*

**श्री रघुनाथ झा :** महोदय, यहां माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं। एक आंकलन के अनुसार लगभग एक लाख करोड़ रुपये का कालाधन विदेशों में स्विस बैंकों, नेपाल बैंकों, अरब अमीरात तथा अमरीका और अन्य देशों में हैं। टैक्स चोरी, कर भ्रष्टाचार, हेराफेरी और घपलों, सरकार और व्यवस्था की कमियों और खामियों से फायदा उठाकर अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों या संपत्तियों से बड़े अपराधियों, अफीम, ड्रग और हथियार के मामलों से अर्जित विशाल और अपूर्व कालधन इकट्ठा करने वाले धन कुबेरों की लम्बी लिस्ट में बड़े उद्योगपतियों, माफिया और अधिकारियों के नाम हैं और इसके बारे में हम वित्त मंत्री जी से जानकारी चाहते हैं कि इस पर कुछ नियंत्रण करने का काम है या नहीं है? क्या इन्हें पकड़ा गया है या ऐसे लोगों के बारे में सरकार को कोई सूचना है? सरकार अपने उत्तर में बताने का काम करें तो बड़ी कृपा होगी।

**श्री रामानन्द सिंह** (संतना) : महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब उन्होंने इस वर्ष का बजट प्रस्तुत किया तो देश के सामने असामान्य स्थिति रही हैं। गुजरात में इतना भयंकर भूकंप आया। इससे पहले उड़ीसा की त्रासदी और देश के अन्य भागों में वर्षा की कमी और इसके बावजूद भी जबकि देश पर 13 लख करोड़ रुपये का कर्जा है।

हम लोगों ने सातवें दशक से कर्जा लेना शुरू किया। इन कर्जों का जो हमारा कुल राजस्व है, उसका 69 प्रतिशत विश्व बैंक को ब्याज के रूप में दे रहे हैं। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका समाज के सभी क्षेत्रों में मोटे तौर पर स्वागत किया है। मुझे प्रसन्नता है, कांग्रेस मुख्य विरोधी पक्ष है, उसने भी इस बजट के विरोध में ऐसे बातें नहीं कही हैं, जो विशेष रूप से खिलाफ में जाती हों। स्वाभाविक है, प्रतिपक्ष की आलोचना करनी है और उन्होंने आलोचना की लेकिन मोटे तौर पर वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका स्वागत किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण विकास के लिए बजट में 4500 करोड़ रुपये के स्थान पर 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसी प्रकार किसानों के लिए ब्याज की दर में नाबार्ड में 11.5 प्रतिशत से घटा कर 10.5 प्रतिशत की गई है। आगामी तीन वर्षों में किसानों को क्रैडिट कार्ड देने की व्यवस्था की है। ग्रामीण अंचल में कोल्ड स्टोरेज के लिए पांच परसेंट की दर पर ऋण देने की व्यवस्था की है। एग्रीकल्चर ग्रेज्युएट्स के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने एग्रो-क्लीनिक्स सैन्टर्स की स्थापना की घोषणा की है। पूर्वी भारत के लिए धार वाटर मैनेजमेंट के लिए 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। उत्तर पूर्व में बागवानी के लिए 32 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। प्रधान मंत्री सड़क योजना-भारत के गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए 2500 करोड़ रुपये की घोषणा की है और बजट में प्रावधान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 2003 तक एक हजार की जनसंख्या वाले गांवों को और 2007 तक पांच सौ की जनसंख्या वाले गांवों को सड़क से जोड़ने

[श्री रामानन्द सिंह]

का विचार रखा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ग्रामीण सड़क और ग्रामीण विकास के लिए जो उन्होंने प्रावधान किए हैं, उनमें सांसदों की भागीदारी को सुनिश्चित करें। कारण यह कि राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें हैं और उनकी अपनी कठिनाइयां हैं। दूसरे राज्य सरकारों द्वारा इस मद का पैसा दूसरे मद में खर्च कर दिया जाता है। इस संबंध में संसद में प्रस्तुत संकल्प पर माननीय सदस्य चेन्नितल्ला जी ने भी विचार प्रकट किए थे। ये बहुत दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है कि राज्यों को ग्रामीण विकास के लिए दी जाने वाली राशि में से केवल 56 प्रतिशत ही खर्च हो रहा है। मेरे मित्र कह रहे थे कि बिहार को बकाया राशि दी जाए। ...*(व्यवधान)* मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। बिहार में पंचायती राज के चुनाव बहुर देर से हुए हिंसा हो रही है, वह अलग बात है, हिंसा बाकी राज्यों में भी होती है। चुनावों को ठीक कराकर पंचायतों को अधिकार देने चाहिए और उन अधिकारों को केन्द्रीयकरण अनुचित है।मैं आशा करता हूं कि ग्रामीण विकास के लिए जो शुरूआत हुई है, आगे आने वाले सरकारें उस दिशा में ध्यान देंगी। इसी प्रकार ग्रामीण विद्युतीकरण की बहुत आवश्यकता है। राज्यों की बात अलग है, दिल्ली में बिजली का संकट है। आपने ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हम मानते हैं कि यह प्रावधान बहुत कम है और इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। छः वर्षों में देश के 80 हजार गांवों को विद्युत से जोड़ने का आश्वासन किया है। हमें आशा है कि राज्य सरकारें और राज्यों के बिजली बोर्ड्स के सहयोग के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत सरकार सफल होगी। आपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए और राज्यों के विद्युत बोर्ड्स के पुनर्गठन के लिए आश्वासन दिए हैं। हमें आशा है कि इस दिशा में सरकार कारगर कदम उठाएगी।

खाद्यान्न के प्रबंधन में, अनाज के प्रक्योरमेंट में, उसके वितरण में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आपने कहा है, लेकिन इसमें हमारा अनुभव है कि कई राज्यों में खतरा है। कई गरीब क्षेत्रों में खाद्यान्न नहीं पहुंचता, शहरों में ही ब्लैक हो जाता है। इसलिए हमारा कहना है कि खाद्यान्न वितरण समितियां बननी चाहिए। उसमें एस.सी., एस.टी. और गरीब तबके के लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। केवल ग्राम पंचायतों के सरपंचों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ग्रामसभाओं को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए। उन्हें अधिकार दिए जाने चाहिए। वित्त मंत्री जी, आपने इन सारी कठिनाईयों के बावजूद हमारे देश का जो कुल बजट 3,75,323 करोड़ रुपये का है। उसमें एक लाख सौ करोड़ योजना मद में रखा है और लगभग शेष राशि नॉन प्लान में रखी है। आपने केन्द्र शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए 16 प्रतिशत राशि बजट में बढ़ाई है, जो केवल 13,862 करोड़ रुपये है। ...*(व्यवधान)*

माननीय मंत्री जी, देश पर भयंकर कर्जा है, यह चिन्ता की बात हैं।...*(व्यवधान)* मैं किसी एक राज्य सरकार को इसके लिए दोष नहीं देता लेकिन यह सच है कि कर्जे का बहुत बड़ा हिस्सा इनफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लिया गया और अभी भी देश का बुनियादी ढांचा तैयार नहीं हुआ। वह बुनियादी ढांचे के विकास में, निर्माण में खर्च हो और देश अपने पैरों पर खड़ा हो।

मंत्री जी, मैं निश्चित रूप से आपके दल में हूं लेकिन मुझे इस बात की बहुत चिन्ता है कि बेरोजगारों के लिए कोई चिन्ता नहीं की गई, जब कि आपने अपने घोषणा-पत्र में कहा था कि एक करोड़ बेरोजगारों को काम देंगे, लेकिन बजट में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।...*(व्यवधान)* आपने सरकारी खर्चे को कम करने के लिए कहा, लेकिन यह खर्चा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा बढ़ा है। लोकसभा के सामने गांधी जी का स्टेचू लगा हुआ है। हम चाहते है कि सरकार द्वारा सादगी को बढ़ावा दिया जाए तथा लोकसभा में जो पर्दे लगे हुए हैं वे खादी के, हैंडलूम के हों। लोकसभा के सांसदों और सरकारी कर्मचारियों का खर्चा निरंतर बढ़ता जा रहा है, इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। सब्सिडी की दिशा बदलनी चाहिए। इसे उत्पादक कार्यों में, तालाब एवं नहरों के निर्माण में खर्च करना चाहिए। वह पीने के पानी के लिए, विकास कार्यों के लिए खर्च किया जाए। मैं ट्रेक्टर वालों के लिए सब्सिडी की बात नहीं करता, छोटे किसानों के लिए कह रहा हूं। मैं सीमांत किसान की बात कह रहा हूं। इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी भारत के गरीबों और छोटे किसानों के लिए तथा बेरोजगारों के लिए नीति बनाएं और आने वाले वर्षों में बजट में उनके लिए प्रावधान करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी के बजट का स्वागत करते हुए उनसे अपेक्षा करता हूं कि वे अपने उत्तर में इन्हें पूरा करने का आश्वासन देंगे।

*[अनुवाद]*

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** यदि आप बाधा खड़ी करेंगे, तो मैं आपको नहीं बुला सकती हूं।

**श्री पवन कुमार बंसल** (चंडीगढ़): सभापति महोदया, जब माननीय वित्त मंत्री ने इस वर्ष का बजट प्रस्तुत किया तो औद्योगिक घरानों ने उनका स्तुतिगान किया। उनकी अत्यधिक प्रशंसा की गई। बजट को एक शानदार बजट कहा गया लेकिन अगले ही दिन, जब लोगों के पास उनके वित्त विधेयक की प्रति पहुंची तो वह

उल्लास तितर-बितर हो गया। इस दिन तक घटी घटनाओं ने उनकी इस घोषणा की पोल खोल दी जिसमें उन्होंने कहा था, कि "ऐसी प्रणाली को समाप्त कर देना है जहां तक दबाव समूह या लॉबियां निणय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं।"

अब तक खेद पूर्ण ढंग से यह स्पष्ट हो चुका है कि सरकार ने आर्थिक विकास में अपनी भूमिका का त्याग कर दिया है। सरकार के वित्तीय प्रस्तावों पर बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा अवश्य खुशी व्यक्त की गई पर उन प्रस्तावों ने आम आदमी को दबाने के साथ-साथ लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों की जड़ ही खोद दी है।

महोदया, शेयर बाजार में मंदी के परिणामस्वरूप लाखों लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए और कई तो आत्महत्या करने पर विवश हो गए। इतना बड़ा घोटाला अभूतपूर्व हैं, फिर भी, सरकार अपने मुंह मिया मिठ्ठु बन रही है और यदि हम घोटाले की जांच करने हेतु संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की उनकी घोषणा की। याद उन्हें दिलाते हैं, तो ऐसा आभास दिलाया जाता है जैसे कि उनके इस अपमान के लिए हम ही दोषी हैं।

चारों तरफ मोह भंग और असंतोष का माहौल है, किसी को स्वीकार की वित्तीय नीति में अधिक समर्थक और गरीब विरोधी गहरे पूर्वाग्रह को देखने में कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। श्री यशवंत सिन्हा ने अग्रणी उद्योगपतियों से 10 में से 9 अंक प्राप्त करने के लिए आम आदमी को दरकिनार कर दिया है। कारों के उत्पाद शुल्क में कटौती की गई है जबकि गरीब एक साइकिल का खर्च भी नहीं वहन कर सकता।

सम्पन्न लोगों के स्नान घरों की शोभा बढ़ाने वाली चमकीली (ग्लेज्ड) टाइलों पर शुल्क कम किया गया है जबकि गरीब लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। सोने पर सीमा शुल्क में कमी करने की बात भी मेरी समझ में नहीं आई है। क्या यह सरकार की प्राथमिकता है? मैं माननीय मंत्री से इस बारे में जानना चाहता हूं।

देश के समक्ष अनेक समस्याएं हैं। लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा कि सरकार इन पर काबू पाने में सक्षम हो। विकास दर गिर रही है, राजकोषीय घाटा बराबर राजकोषीय प्रबंधन का मजाक उड़ा रहा है, रोजगार के अवसर पैदा न होना हतोत्साहित कर रहा है, शेयर बाजार लुढ़क रहा है, घोटालों का पता लग रहा हैं और भ्रष्टाचार से लड़ने की इच्छा नजर नहीं आ रही है। 'मोडवैट का दुरूपयोग हो रहा है। बैंकों के पास विशाल अनुप्रयोज्य आस्तियां हैं। शायद इन सब बातों से सरकार परेशान नहीं हैं।

माननीय मंत्री अपने प्रस्तावों में कर वंचन और काले धन के बारे में मौन हैं। एक अध्ययन के अनुसार देश में सकल घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत काला धन है जो कि अनुमानत: 8,00,000 करोड़ रुपये वार्षिक बैठता है। काले धन की समस्या से निपटने हेतु आयकर अधिनियम के प्रावधानों को सुदृढ़ बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

स्रोत पर ही कर वसूली (टीडीएस) हेतु ब्याज सीमा की छूट को घटाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। इससे पेंशनभोगी, सी क्लर्क और अन्य सीमित आय वाले भी टीडीएस के तहत आ जाएंगे जो आयकर के दायरे में भी नहीं हैं। इससे गैर-निर्धारितियों को सचमुच दु:ख होगा।

माननीय मंत्री ने छोटे फोटोग्राफरों और वीडियोंग्राफरों सहित हर उस सेवा पर कर थोप दिया है जो उनके दिमाग में आई और इस बात की भी कोई परवाह नहीं की इन छोटे-छोटे स्वनियोजित व्यक्तियों को भ्रष्ट उत्पाद कर अधिकारियों/कर्मचारियों के हाथों कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं कर का आधार व्यापक बनाने पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा। लोगों को स्वेच्छा से कर अदा करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की अवश्यकता है। लेकिन साथ ही, कराधान दंडात्मक या असहनीय नहीं होना चाहिए।

आज के दिन आम आदमी अपने कुल अर्जनों का जितना प्रतिशत कर के रूप में देता हैं वह अमीर आदमी से बहुत अधिक है। इसलिए आय कर छूट की सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये किए जाने की मांग में दम है। इतनी रकम कमाने वाला कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को खान-पान, आवास, शिक्षा और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में बहुत परेशानी का सामना कर रहा है।

वह जब कई अन्य प्रकार से पहले ही कर अदा करता है तो कम से कम आय-कर से उसे छूट मिले। महोदया, इस बारे में वित्तीय विधेयक में संशोधन करने के लिए सूचना दी है। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इन्हें स्वीकार करें और जहां भी आवश्यक हो तदनुसार परिवर्तन करें। इस वजह से होने वाली क्षति को कुशल प्रशासन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

मैं कई अन्य मामलों पर भी बात करना चाहता था, परन्तु मैं समय की कमी के प्रति जागरुक हूं। अत: अंत में, मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय के वित्तीय प्रस्तावों को किसी भी दृष्टि से देखें, सरकार का दृष्टिकोण बस निराशाजनक ही है। इसीलिए, इस विधेयक का समर्थन करना मुश्किल हो गया है।

**सभापति महोदय:** मंत्री महोदय को जवाब देना है।

*...(व्यवधान)*

**श्री प्रवीण राष्ट्रपाल** (पाटन): महोदया, चर्चा 12.30 बजे शुरू होनी थी जो 1.15 बजे शुरू हो सकी। आप बजट पर सदस्य गणों को बोलने के समय में कटौती न करें।

**सभापति महोदय:** मैंने किसी के समय में कटौती नहीं की है। बल्कि हमने अधिक समय दिया है। 4.30 से 5.30 बजे तक का समय अतिरिक्त समय है।

*...(व्यवधान)*

**श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:** हमारी ओर से पांच नाम दिए गए थे लेकिन पांच सदस्य नहीं बोले हैं। मैं बोलना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** मुझे खेद है मुझे प्रत्येक दल को दिए गए समय के हिसाब से चलना है, सदस्यों की संख्या के हिसाब से नहीं। तीन लोग बोल चुके हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर): माननीय सभापति महोदया, इस साल का बजट देश के गरीबों की गरीबी बढ़ाने वाला और अमीरों की अमीरी बढ़ाने वाला बजट है। इसमें ऐसा प्रावधान करना चाहिए जिससे काला धन कम होता। काले धन को कम करने की आवश्यकता है। आपको सत्ता में आए तीन साल हो गए हैं। आपके आंकड़ों के मुताबिक 26 परसैंट लोग बी.पी.एल. में हैं। सौ करोड़ की पापुलेशन को देखते हुए आपके आंकड़े गलत हैं। हमारे आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। इन्हें ऊपर उठाने की आवश्यकता है लेकिन यशवन्त सिन्हा जी, आपकी सरकार और वित्त विधेयक में इतनी ताकत नहीं है। आज अमीर लोग गलत काम करके पैसा बना रहे हैं। ऐसे लोगों को खींचने की आवश्यकता है लेकिन आप अकेले इन्हें खींच नहीं सकते। जब तक हम वहां नहीं आते तब तक वे नीचे आने वाले नहीं हैं। यशवन्त सिन्हा साहब, मैं यहां आया हूं आपके बजट के विरोध में सारे देश को जगाने के लिए और मैं अभी-अभी आ रहा हूं आपकी सरकार को यहा से भगाने के लिए। मैं यहां आया हूं इस संसद को बहुत शांति से चलाने के लिए और मैं अब जा रहा हूं आपके सरकार को मिट्टी में मिलाने के लिए। यशवन्त सिन्हा साहब, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमें मालूम है कि आपके दिल में गरीबों के प्रति हमदर्दी है लेकिन आडवाणी जी और दूसरे सहयोगी दल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप भी परेशान हैं। आप वहां क्यों चले गए इसलिए हम भी परेशान हैं। यही मसला चलता रहा है। यशवन्त सिन्हा जी, अगर गरीबों को नहीं मिलेगा मकान तो एक दिन बंद हो जाएगा आपका मुकाम। प्रमोद महाजन जी, गरीबों दलितों को नहीं मिलेगी रोटी तो आने वाले चुनाव में हम कर देंगे आपकी छुट्टी।

मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस बजट में अनुसूचित जाति और अनुसूचि जनजाति की पापुलेशन के हिसाब से, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में धन का प्रावधान होना चाहिए। मैं इसके बारे में पहले भी कह चुका हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने एश्योरेंश दिया था लेकिन इस फाइनेंस बिल में उसके लिए कुछ नहीं किया गया है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि स्टेट और सैंट्रल दोनों बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए प्रोवीजन किए जाने की आवश्यकता है। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे क्या कर रहे हैं?

**सभापति महोदय:** सिन्हा साहब जवाब तैयार कर रहे हैं।

**श्री रामदास आठवले:** वह क्या जवाब देने वाले हैं, वह मेरे पास भी है लेकिन जो सवाल मैंने पूछा है, उसका जवाब मिलने वाला है या नहीं?

**सभापति महोदय:** सब कुछ मिलेगा।

**श्री रामदास आठवले:** सभापति महोदय, मैं सदन में प्रस्तुत फाइनेंस बिल का विरोध करता हूं क्योंकि यह गरीबों का विरोधी है। अगर आप अगले साल रहेंगे तो अच्छा बजट लायें, यदि नहीं रहेंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे अच्छा फाइनेंस बिल लाना है।

*[अनुवाद]*

**श्री पी.सी. थामस** (मुवत्तुपुजा): सभापति महोदया, समय की कमी के कारण मैं कुछ बिन्दुओं को ही उठाऊंगा।

एक तो यह है कि कोको पर सीमा-शुल्क को नहीं बढ़ाया गया है और इसके परिणाम स्वरूप बहुत से व्यक्तियों—कोको के छोटे और सीमांत स्तर के उत्पादकों को परेशानी हो रही है। 'नेस्ले' और 'कैडबरी' जैसी बड़ी कंपनियां भारी मुनाफा कमा रही हैं। वे प्रति किग्रा. चाकलेट पर 400 रुपये प्राप्त कर रही हैं। जब कि उत्पादक को केवल 30 रु. या 38 रु. ही मिल रहे हैं। भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है। अत:, कोको पर आयात शुल्क को अधिक करना पड़ेगा।

दूसरी बात रबरयुक्त क्वॉयर के विषय में है। आप जानते हैं कि क्वॉयर नारियल के जटाजूट से प्राप्त किया जाता है। सामान्यतया इसे फेंक दिया जाता है, लेकिन अब इसका बहुत बढ़िया उपयोग हो रहा है इसके कारण काफी लोगों को रोजगार भी मिला है। मैं यह कहना चाहूंगा कि क्वायर और रबर—जो कि शुद्धता: कृषि आधारित उद्योग हैं- पर लगाए गए चार प्रतिशत उत्पाद शुल्क को हटा लिया जाना चाहिए। इससे, काफी लोगों को रोजगार तो मिलता ही है और यह उद्योग पर्यावरणानुकूल भी है।

तीसरे, भारत में रबर के धागे बनाने का उद्योग भी समस्याओं का सामना कर रहा है। इससे संबंधित जिस पक्ष को आपको आशोधित करना चाहिए, वह है- इस पर लगाया गया उत्पाद-शुल्क।

अगला बिन्दु 'कैप्रोलैक्टम' के संबंध में है, जो कि एफ.ए.सो.टी. का उत्पाद है। एफ.ए.सी.टी. सर्वाधिक बड़े सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है, जिसमें, प्राण फूंकने की आवश्यकता है 'कैप्रोलैक्टम' पर आयात-शुल्क को कम कर दिया गया है, इसे घरेलू उद्योग के हितसंरक्षणार्थ बढ़ा दिया जाना चाहिए, वैसे भी यह उद्योग अच्छा काम कर रहा है और इसकी अन्य तरह से भी सहायता की जानी चाहिए।

मेरी अगली बात चाय और काफी पर उत्पाद-शुल्क के संबंध में है। चाय और काफी उंत्पादक बड़ी दिक्कत में हैं। अतएव, चाय पर जो उत्पाद-शुल्क लगाया गया है, उसे हटा ही दिया जाना चाहिए।

मैं समयाभाव के कारण केवल बिन्दुओं का ही उल्लेख कर रहा हूं।

जूते-चप्पलों के विषय में मेरा कहना यह है कि आम आदमी, कामगार और गरीब लोग जो जुते-चप्पल पहनते हैं; उनकी कीमत 40 रु. से 125 रु. के बीच होती है। मैं कहना चाहूंगा कि इस श्रमोन्मुखी उद्योग का संरक्षण किया जाए।

**अपराह्न् 5.00 बजे**

महोदया, मैं अब रुग्ण 'वनस्पति' इकाइयों की बात करना चाहूंगा। हम इस बिन्दु को पहले ही माननीय वित्त मंत्री की जानकारी में ला चुके हैं...*(व्यवधान)* श्री बालू, मुझे बस एक मिनट ही चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

**सभापति महोदय:** श्री बालू, वे माननीय वित्त मंत्री को सुनाना चाह रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री पी.सी.थामस:** महोदय, 'वनस्पति' इकाइयों पर विशेष रूप से विचार किया गया है। यदि सरकार रुग्ण इकाइयों का उद्धार करना चाहती है, तो यह बड़ी अच्छी बात है। नारियल और अन्य खाद्य तेल के उद्योग में संकट का कारण है। कच्चे पाम तेल का आयात। अब इस पर 75 प्रतिशत आयात-शुल्क लगा दिया गया है। किसानों की ओर से हमारा कहना यह है कि आयात-शुल्क को बढ़ा दिया जाना चाहिए। रुग्ण 'वनस्पति' इकाइयों के लिए आयात-शुल्क में कमी का प्रस्ताव किया गया है। मुझे पक्की तौर पर यह अंदेशा है कि इसका दुरूपयोग होने लगेगा। अच्छा होगा, यदि रुग्ण इकाइयों की किसी दूसरी तरह से सहायता की जाए। लेकिन उनके लिए केवल आयात-शुल्क कम कर देना सही कदम नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इससे आयात और भी अधिक मात्रा में होने लगेगा। महोदया, भविष्य निधि की ब्याज दर को कम करके 9.5 प्रतिशत कर देने से बहुत से पेंशनभोगी प्रभावित हुए हैं।

महोदया, वित्त विधेयक के-जहां तक मैं सोचता हूं, उपखंड 5 में- एक नया प्रावधान है, जो जनसेवी संस्थाओं के बारे में हैं...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** कृपया शांत रहें।

**श्री पी.एस. थामस:** मैं कहना चाहूंगा कि; यह प्रस्ताव किया गया है कि यदि किसी जनसेवी संस्था या गैर-सरकारी संगठन का करोबार 10 लाख रु. से अधिक का हो, तो उसे इसका प्रकाशन समाचार-पत्रों में करना होगा। मेरा मत यह है कि यदि आप उनसे इस सूचना को समाचार-पत्रों में प्रकाशित करने को कहते हैं, तो यह उन कई गैर-सरकारी संगठनों और जनसेवी संस्थाओं के लिए भार-स्वरूप होगा जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए, किन्तु यह कहना कि वे इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करें, उनके लिए कठोर बात होगी। यदि आप इसे करना ही चाहते हैं तो फिर आपको समाचार पत्रों में इसे प्रकाशित करने में उनकी मदद करनी होगी। 10 लाख रु. की रकम कोई बड़ी रकम नहीं हैं और सरकार को इस पहलू पर पुनर्विचार करना चाहिए। देश में कई जनसेवी संस्थाएं ऐसी भी हैं, जो समाज की असाधारण सहायता कर रही हैं।

महोदया, मेरी अगली बात रबर के बारे में है। भारत बड़ी मात्रा में रबर का उत्पादन कर रहा है।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** माननीय सदस्यो मुझे लगता है कि आप वक्ता सदस्य के प्रति निष्पक्ष व्यवहार नहीं कर रहे हैं। कृपया उनकी बात को थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिए।

**श्री पी.सी. थामस:** महोदय, एक लाख सत्तर हजार टन रबर फालतू पड़ा है। अब प्राकृतिक रबर-उत्पादकों—जिनमें से 90 प्रतिशत लोग बहुत छोटे और सीमांत कृषक हैं और जिनके लिए कीमत को 70 रु. प्रति कि.ग्रा. से 22 रु. प्रति कि.ग्रा. कीमत कर देने से खतरा उत्पन्न हो जाएगा—की सहायता करने का एकमात्र उपाय यही माप है, कि रबर के आयात पर शुल्क में वृद्धि कर दी जाए। मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्री को इस बारे में कुछ करना चाहिए था। लेकिन, इस बजट में ऐसा नहीं किया गया है। रबर पर आयात-शुल्क 25 प्रतिशत है। मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री जी यही कहेंगे कि इस अवस्था में विश्व व्यापार संगठन के

[श्री पी.सी. थामस]

प्रतिबंधों के कारण इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अनेक रबर विनिर्मित सामग्रियों, जिसमें रबर लैटेक्स का उपयोग होता ही और जो हमारे कृषि-उत्पाद हैं- पर उत्पाद-शुल्क की समीक्षा की जानी चाहिए। इससे बड़े उद्योगों और साथ ही साथ, छोटे विनिर्माताओं को बल मिलेगा?

मैं कहना चाहूंगा कि यदि आवश्यक हो तो, इस विषय पर विश्व व्यापार संगठन के साथ बात की जाए। मैं यह इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि है तो यह एक कृषि उत्पाद, लेकिन बिडम्बना की बात है कि इसे एक वाणिज्यिक उत्पाद की भांति पेश किया गया है। रबर-जिसे एक छोटे स्तर का किसान रोपता है। जो सात वर्षों के बाद ही पकता है। उसे वाणिज्यिक उत्पाद कैसे माना जा सकता है? लैटेक्स रबर के वृक्ष से तब निकलता है, जब एक श्रमिक कठिन परिश्रम करता है। यह एक निर्धन श्रमिक की मेहनत का फल है।

इसलिए, इस मुद्दे को जहां भी आवश्यक हो, उठाया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसे रिकार्ड में भी कृषि उत्पाद के रूप में माना जाए। इस पर आयात शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए। हमें श्रीलंका जैसे दक्षेस देशों से निःशुल्क या आधे शुल्क दरों पर भारी मात्रा में आयात का खतर है इस मुद्दे पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है। यदि घरेलू उत्पादन प्रभावित होता हो तो संबंधित देशों के साथ ऐसे मुद्दों को उठाए जाने का प्रावधान है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे नारियल और रबड़ के विषय में कुछ करें। मुझे आशा है कि वे इस वित्त विधेयक में, बजट में, और उठाए जाने वाले कदमों में, किसानों की रक्षा के लिए तत्काल कोई कार्रवाई करेंगे।

मैं जिस अन्तिम विषय पर अपनी बात कहना चाहता हूं वह कम मूल्य का बीजक बनाए जाने से संबंधित है। कम मूल्य का बीजक बनाए जाने की घटनाएं हर प्रकार के आयात में हो रही हैं। कई ऐसे मामले हैं जहां वास्तविक मूल्य दर्शाए बिना वस्तुओं का आयात किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने ऐसे उत्पादों के आयात के मामलों में कम मूल्य का बीजक बनाए जाने की अनुमति प्रदान की है जिनका उत्पादन भारत में बिल्कुल भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए, भारत में पोस्त का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होता है। पोस्त के आयात के कुछ मामलों में सही मूल्य दर्शाए जाने और प्रमाण प्रस्तुत किए जाने के बावजूद अधिकारियों का कहना होता है कि सही मूल्य नहीं दर्शाया गया हैं। उनका कहना होता है कि आयातित माल का कम मूल्य का बीजक बनाया गया है और इसलिए आयातित सामग्री की डिलीवरी नहीं ली जा सकती है। यह एक ऐसे उत्पाद की बात है जिसका उत्पादन भारत में नहीं होता है। लेकिन, जहां तक ऐसे उत्पादों का सम्बन्ध है जिनका उत्पादन भारत में होता है, राजस्व विभाग के बहुत से अधिकारी इस बात में रूचि नहीं रखते हैं कि ऐसी वस्तुओं के अवैध आयात को रोका जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दें।

*[हिन्दी]*

**श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** (धन्धुका): माननीय मंत्री जी ने आम बजट प्रगति और विकास का बजट बनाकर हिन्दुस्तान के सब वर्गों के लोगों को खुश किया है। मेरा यह भी कहना है कि यह क्षमता और समानता का बजट है। इसके साथ यह नई आशाएं भी हमको प्रदान कर रहा है। प्रस्तुत आम बजट में कृषि विषयक अनेक सुविधाएं देकर किसानों की भी रक्षा की गई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का इस कार्य के लिए अभिनंदन करता हूं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तथा आर्थिक क्षेत्र और पूंजी बाजार के सुधारों को जारी रखने का काम किया गया है। सीमा शुल्कों में छूट देने के लिए आज तक के अन्य वित्त मंत्री जी अपने विवेकाधिकार से किसी की भी मदद करते रहे थे या उनको खुश करते थे लेकिन इस बार माननीय मंत्री जी ने अपने विवेकाधीन शक्तियों को त्यागकर यह आम बजट बनाया है और सरकार के गई करोड़ रुपये बचाकर एक सराहनीय कार्य किया है। वह आगे भी रुपये बचाते रहेंगे। इसके साथ-साथ कर चोरी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए जो प्रावधान किया है, उससे देश में कर चोरी कम होगी। सूती धागे, रसोई गैस, मिट्टी के तेल, दस हार्स पावर तक के डीजल इंजनों में आठ परसेंट का कर उत्पादन शुल्क रखकर, आचार, जूस, सॉस वगैरह सस्ते रखकर तथा फूल और सब्जियों में छूट देकर गरीब जंनता को राहत पहुंचाई है। इसके अलावा इस बजट में महिलाओं का ध्यान रखकर घर में शांति स्थापित करने का सराहनीय प्रयत्न माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है।

स्वर्ण पर सीमा शुल्क प्रति दस ग्राम 400 रुपये से घटाकर 250 रुपये किया गया है। इससे स्वर्ण गहनों का निर्यात तो होगा ही लेकिन साथ ही भारतीय महिलाओं को स्वर्ण आभूषण अपने पति से भी ज्यादा प्यारा होता है, इसलिए वे उन्हें आसानी से धारण भी कर सकेंगी।

रक्षा बजट में बढ़ोत्तरी करके हमारी सेना का मनोबल बढ़ाया गया है। उसके लिए इस वर्ष 31,773.16 करोड़ रुपये का प्रावधान करके थल, वायु और नौ सेना, जो हमारी सीमाओं की रक्षा कर रही है, का मनोबल बढ़ाया गया है।

मंत्री जी को मैं इसलिए भी अभिनन्दन दे रहा हूं कि उन्होंने बीड़ी, तम्बाकू और पान मसाले पर 15 प्रतिशत अधिभार लगाया है ताकि लोग उसका कम सेवन करें या धूम्रपान को छोड़ने पर

मजबूर हों। मंत्री जी ने उसी तरह जनता को स्वथ्य एवं ताकतवर बनाने के लिए जो कदम उठाए हैं, उनसे महिलाओं और बालकों में भी आनन्द देखने को मिलता है।

**अपराह्न् 5.12 बजे**

**[ उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]***

मैं गुजरात के बारे में कहना चाहता हूं। गुजरात में भूकम्प आया, दो प्रतिशत सरचार्ज लगाया गया लेकिन फिर भी गुजरात को और अधिक धनराशि की आवश्यकता है। लाखों मकान बनाने की आवश्यकता है। सारी दुनिया, सारे देश से मदद मिली है लेकिन फिर भी लोग भारत सरकार की तरफ निगाह लगाकर बैठे हैं कि भारत सरकार की ओर से ज्यादा से ज्यादा धनराशि दी जाए। गुजरात सहकारी क्षेत्र में नम्बर वन है। सारे हिन्दुस्तान से लोग गुजरात के सहकारी क्षेत्र को देखने के लिए आते थे। लेकिन कुछ समय पहले माधवपुर कोआपरेटिव बैंक में एक घटना घटित हुई। अगर यह बैंक बंद हो जाता है तो सारे गुजरात के सहकारी बैंकों को धक्का लगेगा। माधवपुर कोआपरेटिव बैंक चालू रहे और उसे जो आर्थिक मदद देनी पड़ेगी या बैंक गारंटी देनी पड़ेगी, वह भारत सरकार, रिजर्व बैंक की ओर से दी जाए।

गुजरात में लघु सिंचाई योजनाएं बहुत चल रही हैं। आज हर जगह पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। भारत के कई राज्यों में पीने के पानी की परेशानी है। लेकिन गुजरात ने लघु सिंचाई योजनाएं बना कर नमूनेदार काम किया है। मेरे क्षेत्र गदड़ा में खोपाड़ा गांव है। हिन्दुस्तान से लोग वहां सिंचाई योजनाएं देखने के लिए आते हैं। इसी तरह सारे गुजरात में सिंचाई योजनाओं का प्राधान्य हो, छोटे-छोटे तालाब बड़े हों, हर नदी-नाले पर चैक डैम बने। इसमें भी ज्यादा सहायता भारत सरकार की ओर से मिले, यही मैं चाहता हूं।

आज सुबह एक सवाल में कहा गया था कि बच्चों को जन्म देते समय बहुत सी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। गुजरात सरकार ने प्रयत्न करके यह आंकड़ा बहुत कम किया है। गुजरात अच्छा कार्य करने में नम्बर वन आया है। मंत्री जी से मेरी विनती है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुजरात जिस तरह आगे बढ़ रहा है, इसलिए उसे और धनराशि देकर उसका उत्साह बढ़ाया जाए।

25 लाख रुपये तक बाल बेरिंग यूनिट्स के टर्नओवर की राहत दी गई है। मेरी विनती है कि एक करोड़ रुपये की लिमिट में राहत देनी चाहिए। प्रधान मंत्री जी ने एस.एस.आई. यूनिट्स के लिए 50 लाख रुपये से बढ़ा कर एक करोड़ रुपये की राहत दी है। इसी तरह इसमें भी एग्जिम ड्यूटी को माफ करने की मेरी विनती है।

सोडा ऐश पर भी सीमा शुल्क बढ़ाना चाहिए।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रवीण राष्ट्रपाल** (पाटन): उपाध्यक्ष महोदय, केंद्रीय बजट पर अपने विचार-व्यक्त करने के लिए मुझे अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं शुरू में ही आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से कुछ प्रश्न पूछता चाहता हूं। वे पिछले दो वर्षों से भारतीय संसद को गलत सूचना देकर गुमराह क्यों कर रहे हैं? मेरा प्रश्न यह है कि वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के वास्तविक और परिशोधित आंकड़े इस वर्ष के बजट में क्यों नहीं दिए गए हैं

यदि आज संभव न हो, तो इस प्रश्न का जवाब सात दिन बाद दिया जा सकता है। मुझे इस बात पर आपत्ति नहीं है लेकिन संसद को उसके कारण बताए जाएं।

यदि आप 1997-98 से 2000-2001 तक के लिए चार विशिष्ट मदों, अर्थात, कुल आयात शुल्क, कुल आयात शुल्क प्रतिदाय, वापस ली गई शुल्क की कुल राशि और कुल योग आयात शुल्क के बजट आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि वर्ष 1997-98 और 1998-99 के आंकड़े समान हैं। यहां तक कि वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के परिशोधित आंकड़े भी समान हैं और वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के बजट संबंधी आंकड़े भी एक जैसे ही हैं। प्रतिदाय, शुल्क वापसी, कुल आयकर शुल्क और कुल योग आयात शुल्क के कालमों में आंकड़े समान कैसे हो सकते हैं? माननीय वित्त मंत्री कृपया मेरे इस विशिष्ट प्रश्न का उत्तर दें।

भारत के वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण के अन्तिम पैराग्राफ में अपने ही बजट को महिमा मंडित किया है:

> ''यह बजट दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का माध्यम है। यह एक विकासोन्मुखी बजट है। यह समानता और कार्यदक्षता का बजट है। यह बजट नई सहस्राब्दी में भारतीयों के लिए एक नई पेशकश है।''

उन्होंने बजट की महिमा का बखान किया है लेकिन उनके बजट को पेश किए जाने के दो महीने के अन्दर ही परिणाम हमारे सामने हैं। 'लोग' शब्द का प्रयोग करना बहुत आसान है। इस सदन को भी 'लोक सभा' कहा जाता है। मेरी परिभाषा में 'लोग' वे हैं जो लाइनों में खड़े होकर बसों का इंतजार करते हैं, जो रेलवे स्टेशनों पर इंतजार करते हैं और जिन्हें टिकट खरीदने के बाद भी भारतीय रेलवे की गाड़ियों में सीट नहीं मिलती है।

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

वास्तव में यही लोग हैं, गुजरात के रहने वाले लोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग हैं जो सूखे से गत दो वर्षों से परेशान हैं, भारतीय गांवों के इन लोगों को वर्ष भर तक पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता...*(व्यवधान)*। हमने शासन किया है लेकिन सम्पूर्ण देश पर नहीं। आपका भी कुछ राज्यों में शासन रहा है। कृपया आप मेरी बात सुनिए।

मैंने भारतीय लोगों को अलग-अलग श्रेणियों में बाटा है। ये हैं- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, महिलाएं, बच्चे, भूमिहीन किसान, बेरोजगार युवा, अपंग लोग विशेषकर अंधे लोग, सेना के भूतपूर्व जवान, युद्ध के दौरान विधवा हुई महिलाएं, अन्य विधवाएं, अकेले जीवन यापन करने वाले वृद्ध लोग, विश्व के सबसे पुराने व्यवसाय वेश्यावृत्ति से अपनी आजीविका कमाने वाले, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के लोग। ये हमारे समाज के कमजोर वर्ग हैं मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने लोगों की इन 14 श्रेणियों के लिए बजट में क्या प्रावधान किए हैं, उन्होंने समाज के इन कमजोर वर्गों के लिए क्या किया है।

उद्योगपतियों ने, अनिवासी भारतीयों ने पंच-सितारा होटलों में बैठक आयोजित करने वालों ने नि:सन्देश बजट का स्वागत किया है। मैं भारतीय वित्त मंत्री जी का ध्यान उनके बजट भाषण के पैरा 52 की और आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने के विशेषाधिकार का प्रयोग किया। इस अधिनियम को संसद द्वारा पारित किया गया था। 100 मजदूरों की संख्या को बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। उन्होंने कारखाना मालिकों को सरकार की आज्ञा लिए बिना ही कारखानों को बंद करने का अधिकार प्रदान किया है। इन्होंने इस विशेषाधिकार का उपयोग किया है। उन्होंने श्रम मंत्रालय के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है और उन्होंने अपने बजट भाषण में सीधे यह संशोधन कर दिया है।

जब संसद ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड का गठन किया गया। राष्ट्रीयकरण से पूर्व, प्रत्येक बैंक एक विशेष समुदाय का बैंक होता था। प्रत्येक बैंक एक विशेष राज्य का और विशेष क्षेत्र का बैंक होता था।

यदि आप बैंक आफ बड़ौदा जाएं अथवा बैंक आफ सौराष्ट्र जाएं तो आपको यह ज्ञात होगा कि इन बैंकों में किसी एक खास जाति अथवा वर्ग, के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। यदि आप देना बैंक जाएं, तो आपको यह पता चलेगा कि वहां किसी खास समुदाय अथवा वर्ग अथवा क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन ऐसा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद ही हुआ कि विभिन्न वर्गों अथवा जातियों अथवा क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंकों में काम करने का अवसर मिल रहा है। वित्त मंत्री जी को बैंकों और इंडियन बैंक्स एसोशिएशन को भर्ती करने का अधिकार देने का और बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड को समाप्त करने का कौन-सा अधिकार मिला हुआ है? हम इस बारे में वित्त मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहते हैं।

अब, मैं केवल महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए किए गए प्रावधानों के बारे में बोलना चाहता हूं। हम सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का उदाहरण लें। गत वर्ष 1,350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और इस वर्ष भी 1,350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। न तो एक रुपया ज्यादा है और न ही एक रुपया कम है। नौकरशाहों ने इस बजट को तैयार किया है ।

*[हिन्दी]*

किसको बजट देना है?

*[अनुवाद]*

गत वर्ष कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? इसके लिए उतनी ही राशि थी। मैं वित्त मंत्री जी को यह बता दूं कि भा.ज.पा. द्वारा नियुक्त राज्यपाल श्री सूरज भान ने अधिकारिक रूप से इस देश में 46 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि को बंजरभूमि के रूप में खाली पड़ा हुआ घोषित किया है। भारतीय वित्त मंत्री जी ने इस देश में भूमि सुधार के लिए केवल एक करोड़ रुपये प्रदान किये हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मात्र एक करोड़ रुपये की राशि से इस देश में भूमि सुधार किये जा सकते हैं? इस वर्ष के लिए एक करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है, गत वर्ष के लिए भी एक करोड़ की राशि का प्रावधान था, गत से गत वर्ष के लिए भी एक करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान था। मैं वित्त मंत्री जी से उत्तर चाहता हूं। भूमि सुधार की यह राशि एक करोड़ ही क्यों होती है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की राशि 1350 करोड़ रुपये ही क्यों होती है?

गुजरात के मेरे मित्र अधिक धन की मांग कर रहे थे। भा.ज.पा. के अपने मित्रों को मैं गुजरात के सूखे और भूंकप द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों को भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई राशि के बारे में बता दूं। आज की तिथि तक, भारत सरकार ने तदर्थ भुगतान के रूप में केवल 500 करोड़ रुपये दिये हैं। इसे प्रधानमंत्री राहत कोष से नहीं दिया गया है न ही किसी अन्य शीर्ष से यह राशि तदर्थ भुगतान के रूप में दी जाती है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

*...(व्यवधान)*

**श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:** यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 342 करोड़ रुपये की राशि दी है। कुल मिलाकर गुजरात को 842 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गयी है। दूसरी ओर, गुजरात की भा.ज.पा. सरकार ने केन्द्र सरकार को इस आशय की लिखित रिपोर्ट दी है कि गुजरात में भूकंप के कारण 22,000 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी और गैर सरकारी सम्पत्ति नष्ट हुई। लेकिन इसी पार्टी की भारत सरकार ने गुजरात सरकार को 500 करोड़ रुपये की अल्प राशि प्रदान की है।

गुजरात सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि मृत लोगों की संख्या 20,000 है। वास्तविक संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। गुजरात सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि मृत लोगों के नजदीकी रिश्तेदारों को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इनमें से तीन महीने पहले मारे गये 20,000 लोगों में से केवल 8,000 लोगों को गुजरात सरकार ने एक एक लाख रुपये का मुआवजा दिया है। मैं भारत सरकार से माध्यम से गुजरात सरकार से यह जानना चाहता हूं कि मारे गये लोगों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। अगले वक्ता हैं–डा. बी.बी. रामैया।

**श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:** मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं...*(व्यवधान)* मैं बजट से संबंधित केवल एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* मैं केवल एक मिनट लूंगा

माननीय मंत्री जी ने गुजरात भूंकप के कारण दो प्रतिशत अधिभार लगाया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि क्या इसके परिणामस्वरूप इकट्ठे होने वाले 1,300 करोड़ रुपये की धनराशि को गुजरात सरकार को सौंप दिया जाएगा अथवा इसे केवल राष्ट्रीय आपदा निधि में डाल दिया जाएगा।

मेरी जानकारी के अनुसार, पहली किश्त आ भी चुकी है। लेकिन इस धन को राष्ट्रीय आपदा कोष में डाल दिया गया है। मैं गुजरात से संसद सदस्य होने के नाते यह मांग करता हूं कि गुजरात में भूकंप के नाम पर एकत्रित सारी धनराशि सीधे गुजरात सरकार को दे देनी चाहिए न कि इसे राष्ट्रीय आपदा कोष में डाल दिया जाये।

**डा. बी.बी. रमैया** (एलूरू): महोदय, सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी को प्रत्यक्ष करों पर अधिभार कम करने और अप्रत्यक्ष करों और लाभांश करों में जो राहत उन्होंने दी हैं, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने सही दिशा में कदम उठाया है। केवल यही कदम नहीं; उन्होंने बैंकों की ब्याज दरों के मामले में भी सही रूख अपनाया है जो कि इस देश के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में टिके रहने और प्रतिस्पर्धा करने के लिए परम आवश्यक हो गया है। आज हम प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। मैं महसूस करता हूं कि वृद्धि दर नौ से दस प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। मुझे विश्वास है वे इसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

मेरे पास केवल कुछ मदें हैं जिनके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। उनमें से एक कृषि के संबंध में हैं। हमारे देश के 65 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। वे बड़ी कठिनाई और कड़ी मेहनत से फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। इसके बावजूद, वे कृषि उत्पादों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन करने में समर्थ हैं। आज वे चाहे चावल हो या गेहूं अथवा चीनी, सभी का वे अतिरिक्त उत्पादन करने में समर्थ हैं। परन्तु आज हमें उचित मूल्य की आवश्यक है जो कि उनके उत्पादकता और वृद्धि को बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यकता है। मेरे विचार से भारतीय खाद्य निगम को व्यापाक रूप से खरीद करने में समर्थ-होना चाहिए और कम से कम सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य का भुगतान करने का प्रयास करना चाहिए।

आज भारतीय खाद्य निगम की मुख्य बाधा गोदाम क्षमता है पिछले 10 वर्षों से हम अपनी गोदाम क्षमता में वृद्धि कर पाने में असमर्थ रहे हैं। उत्पादन बढ़ रहा है। इस प्रकार यही मुख्य बाधा है। हमें कुछ और पहल करनी चाहिए और अधिक गोदामों का निर्माण किए जाने को प्रोत्साहन देना चाहिए।

कृषि उत्पादन को बनाए रखने के लिए हमे शीत गृहों की आवश्यकता है। आज, कर्नाटक में टमाटर मात्र 50 पैसे में बेचा जा रहा है। राज्य सरकार कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। मेरा कहना है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि हम टमाटर से बने केचप, सूप, जूस और उस जैसी चीजे बनाने में समर्थ हो सकें। यह केवल टमाटरों की ही स्थिति नहीं हैं बल्कि कई अन्य उत्पादों के साथ है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि इस देश में सतत विकास बनाए रखने के लिए कृषि को विभिन्न दिशाओं में प्रोत्साहन देना चाहिए।

आज, अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात किए जाने की आवश्यकता है। हम अपनी वर्तमान मूल्य संरचना के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात नहीं कर सकते हैं। हमें निर्यात के क्षेत्र में कुछ राज सहायता देने की आवश्यकता है, जैसा कि अन्य देशों में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कृषि विकास हेतु पर्याप्त सहायता दे रहा है और मैं इससे काफी प्रसन्न हूं। फसल बीमा को लागू किया जाना है। जब तक फसल बीमा में पर्याप्त रूप से सुधार नहीं लाया जाता, तब तक पर्याप्त कृषि विकास नहीं होगा। पहले हम ड्रिप सिंचाई को काफी बढ़ावा दे रहे थे परन्तु अब यह

[डा. बी.बी. रमैया]

किसी प्रकार से सफल नहीं रहा है। इससे न केवल जलापूर्ति की बचत होती है बल्कि इससे कृषि उत्पादन में भी सहायता पहुंचती है। इसलिए मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

जहां तक आम आदमी को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति किए जाने का संबंध है, मैं कहना चाहूंगा कि जब उत्पादन बढ़ता है, तो मूल्य नीचे गिरता है। आम आदमी को आवश्यक वस्तुओं की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु हमें शीत गृहों की आवश्यकता है। मैं अवसंरचना के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। यह कृषि में बढ़ोत्तरी और उसके विकास हेतु बड़ा ही अनिवार्य हो गया है। बिजली परियोजनाएं, सड़कें, पत्तनों और इस जैसी कई चीजें, जिनके बारे में हम पिछले दस वर्षों से सोचते रहे हैं और अब भी सोच रहे हैं, अपेक्षित स्तर को प्राप्त कर पाने में असमर्थ होंगे। जब तक हम इन चीजों का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हम अपेक्षित वृद्धि दर प्राप्त कर पाने में सफल नहीं होंगे। आज, बिजली की समस्या और अन्य परिवहन संबंधी कठिनाइयों के कारण कृषि और उद्योग दोनों ही क्षति उठा रहे हैं।

जहां तक वस्त्र उद्योग का संबंध है, इसको हाल के बजट के बाद काफी नुकसान हुआ है। यह सबसे बड़े निर्यात् से आय प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में से एक है जो 40,000 करोड़ रुपये से अधिक अर्जित कर रहा है। मेरे विचार से हमें वस्त्र उद्योग के लिए कुछ करना है। आज विश्व में पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जिसे काफी प्रोत्साहन मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि हमें इस पर कुछ और जोर दे पाने में सफल होना चाहिए। मैं लघु उद्योग क्षेत्र की वृद्धि को भी देखना चाहता हूं, जो देश का निर्यात से अर्जन करने वाला भी है। उत्पाद शुल्क एक बड़ी समस्या बन गया है। हमें यह देखना चाहिए कि लघु उद्योग क्षेत्र न केवल बचा रहे बल्कि इसे निर्यातोन्मुखी भी बनाया जाए। सरकार द्वारा अपनाई गई नवीन उदारीकरण नीति से बड़े पेट्रोरसायन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हैं। हमें इसे किसी भी तरह बचाना है, या तो उत्पाद शुल्क अथवा पाटन रोधी शुल्क में वृद्धि करके या उत्पाद शुल्क में छूट देकर।

राज्य भी अपनी अर्थ-व्यवस्था को बनाए रखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। दूसरे दिन हमने चर्चा की कि न्यूनतम 33 प्रतिशत शेयर को राज्यों को दिया जाना है। मेरे विचार से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी वित्त विधेयक में इन चीजों पर विचार करेंगे। शेयर बाजार हमारे नियंत्रण पर प्रभाव डाल रहा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को पर्याप्तरुपेण सुदृढ़ किया जाना चाहिए और उसे अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए, अन्यथा, शेयर बाजार औद्योगिक वृद्धि और विकास पर भी प्रभाव डालेंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय:** अब वित्त मंत्री जी बोलेंगे।

**श्रीमती श्यामा सिंह** (औरंगाबाद, बिहार) : महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।...*(व्यवधान)*

**श्री माधवराव सिंधिया:** (गुना): आपको महिला सदस्य की बात माननी चाहिए।

**श्री यशवन्त सिन्हा:** यदि आप कहें, तो श्री सिंधिया मैं आपकी बात भी मान सकता हूं।

**श्रीमती श्यामा सिंह:** मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से बस यह पूछना चाहती हूं कि बजट में हम रोज पढ़ रहे थे कि देश में प्रतिवर्ष एक करोड़ लोगों के रोजगार का प्रावधान था, परन्तु इस देश में एक करोड़ रोजगार सृजित करने के बजाय हमने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से लोगों की छंटनी की है। सरकारी क्षेत्र की उपेक्षा करके इस देश में रोजगार प्राप्त अधिकतर लोगों की छंटनी की गई है अथवा बेरोजगार कर दिए गए हैं। इस समय, भारत जनसंख्या और बेरोजगारी की दो बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री जी किस तरीके अथवा प्रक्रिया से प्रति वर्ष एक करोड़ लोगों के लिए रोजगार सृजित करने की सोच रहे हैं।

चूंकि मंत्री जी बिहार के हैं, तो दूसरी चीज महत्वपूर्ण है और दूसरे दिन तक वे भी हमारा हिस्सा थे आज, कतिपय सर्वाधिक बेरोजगारी उस राज्य में है। हमारे पास बिहार की बिजली परियोजना है। जिसकी वर्ष 1989 में अवधारणा की गई थी। निर्धन और दलितों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में यही एकमात्र उम्मीद की किरण है। उस परियोजना का विचार भी संभवत: छोड़ दिया गया है क्योंकि हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भाग नहीं हैं।

क्या मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और यह देखेंगे कि आम आदमी के भविष्य जैसी बातों के प्रति उनका खैया पक्षपाती नहीं हो और, इसलिए बिहार को कुछ रोजगार और कुछ उद्योग प्राप्त हो बिहार के लोगों के लिए कुछ शुरूआत होनी ही चाहिए।

**श्री यशवन्त सिन्हा:** उपाध्यक्ष महोदय, श्री रघुनाथ झा के संक्षिप्त हस्तक्षेप सहित मैं उन सभी 19 माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वित्त विधेयक की चर्चा में व्यापक और महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन उठाए गए मुद्दों पर आने से पूर्व मैं माननीय अध्यक्ष, सभा के माननीय नेता तथा विपक्ष के माननीय नेता के प्रति अपना आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने इस चर्चा को इस भावना से करने के लिए

सम्भव बनाया, मैं समझता हूं कि भविष्य मे भी हम इसी तरीके से सभा में कार्य करते रहेंगे।

महोदय, चर्चा वित्त विधेयक पर हुई और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वित्त विधेयक में बजट के कराधान प्रस्ताव होते हैं। लेकिन शायद इस सत्र के अन्तिम दिनों में हम सभा में बजट पर चर्चा नहीं कर सके, सभा के माननीय सदस्यों ने मेरे द्वारा प्रस्तुत बजट पर संबद्ध मुद्दों को उठाया है, कुछ सदस्यों ने विशेषकर श्री पंराजपे ने कर संबंधी उन प्रस्तावों पर चर्चा की जिसका उल्लेख वित्त विधेयक में किया गया है।

मैं इस तथ्य का उल्लेख करना चाहूंगा कि अन्य सदस्यों ने कर प्रस्तावों पर अधिक समय तक चर्चा नहीं की, यह मेरे बजट के कर संबंधी प्रस्तावों की सभा में दलगत भावना से ऊपर उठकर सर्वमान्य स्वीकृति का संकेत देता है। लेकिन मैं आपने समय का एक पल उस मूल दर्शन को इंगित करने के लिए लेना चाहूंगा जो कि इस वर्ष के बजट में अन्तर्निहित कर प्रस्तावों से जुड़ा है। जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया कि हमारे कर प्रस्तावों के मार्गदर्शी सिद्धान्त कर दरों को औसत दर्जे का करना, कराधान का सरलीकरण, रियायतों को समाप्त करना तथा पूरे कर प्रशासन को जहां तक सम्भव हो सके कर दाताओं के हितों के अनुकूल बनाना हैं। इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए रखते समय आज अपराह्न् को मैंने अपने आरम्भिक भाषण में कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया था मेरा विश्वास है कि इन परिवर्तनों का व्यापक रूप से स्वागत हुआ है

यदि आप बजट निर्माण में हमारे लोकतंत्र में अपनायी गई प्रक्रिया को देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जब वित्त विधेयक को विचार करने के लिए रखा जाता है तो वित्त मंत्री के लिए अपने कर संबंधी प्रस्तावों में संशोधनों को लाना आवश्यक क्यों हो जाता है। मैं उस रहस्य, गोपनीयता की बात कर रहा हूं जो कि हमारी व्यवस्था में बजट की तैयारी के समय बरती जाती है। मैं इस बात को जानबूझ कर उठा रहा हूं। अन्य प्रजातांत्रिक देशों ने, जहां तक मेरी जानकारी है, बजट को सार्वजनिक रूप से तैयार किया जाता है, बजट पर खुलेआम चर्चा होती है कर प्रस्तावों पर संसद के सदस्य और विभिन्न हितों के समूह वाले लोग चर्चा करते हैं। इन प्रस्तावों को जनता, के समक्ष भी रखा जाता है और उनकी प्रतिक्रिया आमंत्रित की जाती है, तभी बजट को अन्तिम रूप दिया जाता है जैसा कि आज हम अपनी प्रक्रिया के माध्यम से कर रहे हैं वह काफी पारदर्शी और खुले तरीके से किया जा रहा है।

यह मेरा चौथा बजट है और मैं स्मरण करता हूं कि केवल इस बार ही आवाजें नहीं उठी। वरना जब भी वित्त मंत्री अपने बजट को लेकर आता है तब विभिन्न सदस्यों द्वारा यह मुद्दा अनिवार्यत: हर बार उठाया जाता है कि बजट पहले ही लीक हो चुका है। मैं समझता हूं सभी वर्ग के सदस्यों को इस पर विचार करना होगा, मैं इस मुद्दे को बजट को और अधिक पारदर्शी और खुला बनाने के उद्देश्य से जानबूझ कर उठा रहा हूं ताकि एक ओर सरकार प्रत्येक चीज को गोपनीय रहने की चिन्ता नहीं रखेगी और दूसरी ओर हम किसी को इस विश्वास में न लें और यह न सोचें कि विश्व में बजट बनाने वाला ही दुनिया भर में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। मैं बजट तैयार करने की प्रक्रिया को विभिन्न राजनीतिक दलों, अन्य समूहों को भागीदार बनाने के लिए तैयार हूं और इस प्रकार से बजट बनाने की प्रक्रिया को पारदर्शी और खुला बनाया जाए।

वह कौन सी दुविधा है जिसका हर वित्त मंत्री को हर बार बजट तैयार करते समय सामना करना पड़ता है? यह मेरे लिए अनूठी बात नहीं है। एक ओर तो वित्त मंत्री से आशा की जाती है वे संसाधन, धन और आवंटन की जितनी मात्रा उपलब्ध कराते हैं व्यय बजट के माध्यम से उसे अधिक मात्रा में उपलब्ध कराएं। दूसरी ओर मांग की जाती है कि कर-दरों को कम किया जाए और विशेष छूट दी जानी चाहिए आदि-आदि इसलिए ऐसी स्थिति में जब कि कर घटाने का दबाव और व्यय भी बढ़ाना पड़े तो आय के भीतर ही निर्वाह करना किसी भी वित्त मंत्री के लिए काफी कठिन होता है।

मैं ऐसी कोई जादुई युक्ति नहीं जानता जिसे कि वित्त मंत्री इस बात को सम्भव बनाने के लिए अपनाए और यही कारण है कि हम इसे तत्काल काम चलाऊ रूप में रखते हैं और यदि हम इसे कामचलाऊ रूप में प्रस्तावित करते हैं तो सभा के समक्ष विभिन्न तरीकों से वह मुद्दा उठाया जाता है।

मैं समझता हूं कि आब समय आ गया है केन्द्र सरकार के बजट में ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों के वित्तीय क्षेत्र के आचरण पर बजट निर्माण के समय में भी ध्यान देना होगा। वास्तव में ही जैसा कि विभिन्न माननीय सदस्यों ने कहा है कि यदि आप देश भर राजकोषीय घाटे को देखें तो पायेंगे कि यह कुल मिलाकर सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत है, यदि यह हमारे सकल घरेलू उत्पादन का 10 प्रतिशत है तो यह वास्तव में ही गम्भीर चिंता का विषय है, और यही कारण है कि इस बजट भाषण में, जैसाकि आप को याद होगा, मैंने वस्तु स्थिति को बहुत ही साधारण शब्दों में प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि हमें कितना प्राप्त होगा हमें कितना व्यय करने की आवश्यकता है और कितना ऋण लेना होगा और इससे यही बात निकलती है।

मैंने 'अन्तर पीढ़ी न्यायनीति, 'इंटर जनरेशन इक्विटी' का मुद्दा उठाया है, मैंने कहा था कि वर्तमान पीढ़ी के रूप में हमें

[श्री यशवन्त सिन्हा]

इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि हम भावी पीढ़ियों पर बिना विचार बहुत अधिक कर्ज लेकर इस कर्जे के भार को थोप दें। महोदय, मैं चाहूंगा कि इस मामले पर वाद-विवाद हो यह ऐसा मुद्दा नहीं है कि हमने किसी विशेष शीर्ष के अन्तर्गत परिव्यय को कम कर दिया है या हमने करों को घटाया है, इस देश की अर्थ व्यवस्था के प्रबंधन का पूरा मुद्दा ऐसा जिसके लिए और अधिक तथा तत्काल राष्ट्रीय सहमति के निर्माण की जरूरत है। अत: मैं सभा के सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि कृपया इस मुद्दे के बारे में मनन करें और इसके बारे में गम्भीरता से सोचें। एक जुट होकर एक निकाय के रूप में कुछ समाधानों सहित हम आगे आएं जिससे कि वित्त और घाटे को प्रबंधनीय सीमा के अन्दर तक रख पाने में हम समर्थ हो सकें।

सरकार अपनी ओर से राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक लाई है। मैंने इन्हें संसद के शीतकालीन सत्र में पुर: स्थापित किया था इस विधेयक के अन्तर्गत हम कतिपय जिम्मेदारियों को लेने जा रहे हैं, यह विधेयक स्वामी समिति के विचाराधीन है, वित्त संबंधी स्वामी समिति के अध्यक्ष ने आज चर्चा आरम्भ की थी, मैं आशा करता हूं कि स्वामी समिति इस संबंध में बहुत शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ताकि सरकार शीघ्र ही इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में ला सके, इसे विधान के रूप में अपनाया जा सकता है और हम बहुत दिनों से चली आ रही इस समस्या पर काबू पा सकते हैं।

अन्य मुद्दों पर आने से पहले, मैं समझता हूं कि एक मुद्दा श्री प्रवीण राष्ट्रपाल को कल से परेशान कर रहा है, मैंने उन्हें इस बारे में उत्तेजित होते देखा है और जब भी उन्हें वाद-विवाद में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला उन्होंने फिर एक बार यह मुद्दा उठाया। मैं यहां यह बात कहना चाहूंगा कि जब हम संसद सदस्य अखबार या पत्रिका में जो हमने पढ़ा है उस पर पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं तो कई वार हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं और यही बात इस मामले में भी हुई है। पिछले वर्ष प्रस्तुत किए गए बजट में मुद्रण संबंधी त्रुटियां बजट में देखने को मिली, जब मैंने देखा कि इस पत्रिका ने इस मामले को यह कहकर ज्यादा ही उछाला है कि यह एक प्रकार की 'कुक-बुक' है और हम इतने लापरवाह हैं कि हम उन्हीं आंकड़ों को दुहरा रहे हैं तो मुझे चिंता हुई, अत: मैंने इसकी स्वयं जांच करने का निर्णय लिया और पाया कि बजट को छापने में वहां एक मुद्रण संबंधी त्रुटि थी, जिस क्षण हमने इसे महसूस किया हम संसद में आए और संसद के दोनों सदनों में त्रुटि पत्र प्रस्तुत किया, यह शुद्धि पत्र मेरे हाथ मैं है और जो पत्र हमने इस पत्रिका को लिखा है वह भी मेरे हाथ में हैं। इस पत्रिका ने इस पत्र को छापा है लेकिन उनका उत्तर क्या था? उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों, जिन्होंने इसकी जांच की थी उन्हें इस शुद्धि पत्र के बारे में जानकारी नहीं थी।

यदि उन्होंने मंत्रालय में किसी को भी टेलीफोन किया होता तो हमने स्पष्ट कर लिया होता कि यह मुद्रण संबंधी त्रुटि है जिसे कि बजट प्रस्तुत करने के कुछ दिनों बाद ठीक कर दिया गया है। ऐसा बजट के केवल एक ही प्रपत्र में हुआ है। यह बात काफी समय से नहीं हुई थी, यहां चार वर्षों का सवाल ही नहीं उठता, उस त्रुटि को पिछले वर्ष ही ठीक कर लिया गया था।

मैं श्री राष्ट्रपाल को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस वर्ष बजट, बजट के रूप के अनुरूप है। बजट के प्रत्येक दस्तावेज में हमें जहां भी इस वर्ष के वास्तविक आंकड़े बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और बजट अनुमान देने थे, हमने उन्हें दिए हैं; ये चार कालम हैं जिनमें हमने गत वर्षों की भांति सभी आंकड़े दिए हैं। वास्तविक आंकड़ों को छिपाने का हमारी ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसलिए यही वह बात थी जिसे मैं स्पष्ट करना चाहता था क्योंकि मैंने यह सोचा था कि वे इसके बारे में थोड़ा चिंतित थे।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा विकास दर के बारे में बात कर रही थीं। उन्होंने कहा था कि उच्च विकास दर उनके मंत्री होने के दौरान हासिल की गई थी और, वे इससे बहुत अधिक चिंतित हैं, कि किसी कारणवश वह विकास दर नहीं रही मैं सभा में कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। 1990-1999 के दशक में, विश्व की विभिन्न बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में विकास दर क्या थी? फ्रांस में, वह 1.7 प्रतिशत थी, जर्मनी में यह 9.5 प्रतिशत थी; इंडोनेशिया में यह 4.7 प्रतिशत थी, जापान में, यह 1.4 प्रतिशत थी; पाकिस्तान में यह 4 प्रतिशत थी रूसी परिसंघ में यह 6.1 प्रतिशत थी; थाइलैण्ड, में यह 4.7 प्रतिशत थी। इग्लैंड में यह 2.2 प्रतिशत थी और अमरीका में यह 3.4 प्रतिशत थी; इस दशक में केवल तीन ऐसे देश थे जिन्होंने 6 प्रतिशत का आंकड़ा पार किया था। इसमें सबसे आगे चीन था जिसकी विकास दर 10.7 प्रतिशत थी और उसके बाद मलेशिया था जिसकी विकास दर 6.8 प्रतिशत थी और उसके बाद भारत था जिसकी विकास दर 6.1 प्रतिशत थी। इसलिए इन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत नब्बे के दशक में विश्व की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। मेरा मतलब इस दशक में तीन सरकारें आई थी? अत: मैं यह नहीं कह रहा हूं हमने बहुत कुछ किया हैं और अन्य ने बहुत कम किया है। मैं, यह कह रहा हूं कि एक राष्ट्र के रूप में हम इस तथ्य पर न्यायोचित रूप से गर्व कर सकते हैं कि हम सबसे तेजी से विकसित वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहे हैं...*(व्यवधान)*

**श्री मार्ग्रेट आल्वा:** जब हम 1996 में सत्ता में थे उस समय विकास दर सात प्रतिशत थी ...*(व्यवधान)*

**श्री यशवंत सिन्हा:** यदि आप एक मिनट धैर्य रखे तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मैं स्थिति जानता हूं ...*(व्यवधान)*

**श्री माधवराव सिंधिया:** शायद विकासशील अर्थव्यवस्था के आकड़ों की तुलना अत्यधिक विकसित अर्थव्यस्थाओं के आंकड़ों से करना उचित नहीं है। मेरा मतलब है कि यह पूर्णत: असंगत

हैं। आपको हमारे राष्ट्रीय संदर्भ में पहले के आकड़ों से आज के अपने आंकड़ों से तुलना करनी होगी।...*(व्यवधान)*

**श्री यशवन्त सिन्हा** : हां। मैं इसके बारे में जानता हूं। श्री सिंधिया मैंने आपके लिए कोई जाल नहीं बिछाया। इन आंकड़ों को उद्धृत करने और आपके लिए जाल बिछाने का मेरा कोई आशय नहीं था। लेकिन आपने ठीक वही मुद्दा उठाया है जो मेरे दिमाग में है। मैं इस पर स्वयं ही आ रहा था।

वह विकास दर क्या थी जिसे हमने इस दशक में देखा? मेरे पास यहां वार्षिक आकड़े हैं। 1991-92 के बारे में भूल जाएं क्योंकि कह एक संकट का वर्ष था। विकास दर गिरकर 1.3 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। यह 1992-93 में 5.1 प्रतिशत तक पहुंची; 1993-94 में यह 5.9 प्रतिशत तक पहुंच गई; 1994-95 में यह 7.3 प्रतिशत तक चली गई, और 1995-96 में यह 7.3 प्रतिशत पर बनी रही। कांग्रेस के दो वर्ष के शासन काल में यह 7 प्रतिशत को पार कर गई दो वर्षों के लिए यह 6 प्रतिशत से कम थी। मैं 1991-92 को नहीं गिन रहा हूं क्योंकि यह एक संकट का वर्ष था...*(व्यवधान)*

**श्री माधवराव सिंधिया:** यदि मुझे आप एक मिनट की अनुमति दें तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक आर्थिक आंकड़ों का संबंध हैं इसमें समयान्तरल की बात है, यदि आप किसी एक वर्ष में एक विशेष नीति लाते हैं तो यह ठीक से तीन वर्ष में लागू हो पाती है। इसलिए, यह देखें, कि क्या 1997-98 तक कांग्रेस शासन का असर है ...*(व्यवधान)*

**श्री यशवन्त सिन्हा:** इससे आगे नहीं ...*(व्यवधान)*

**श्री माधवराव सिंधिया:** फिर, वह समय आया जब आपकी सारी नीतियां धरायाशी हो गई ...*(व्यवधान)*

**श्री यशवन्त सिन्हा:** इस पर मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता हूं।

यदि कोई मेरा मार्गदर्शन करे तो मुझे बहुत खुशी होगी जो मुझे ठीक ठीक बताए कि कांग्रेस शासन की आर्थिक नीतियों का प्रभाव किस समय खत्म हुआ था। अब यह दावा कर रहे हैं कि जब संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान श्री चिदम्बरम वित्त मंत्री बने थे तब तक इसका प्रभाव था, और विकास दर 1996-97 में 7.8 प्रतिशत तक पहुंच गई। यहां यदि आप पर ही विश्वास किया जाए तो यह आपकी ही नीतियों का परिणाम था कि ...*(व्यवधान)*

**श्री माधवराव सिंधिया:** यह समयान्तराल की बात थी।

...*(व्यवधान)*

**श्री यशवत सिन्हा:** मैं सहमत हूं। इस प्रकार कांग्रेस शासन की लाभकारी आर्थिक नीतियों का प्रभाव संयुक्त मोर्चा सरकार के पहले वर्ष 1995-96 में भी जारी रहा जबकि उसने गद्दी छोड़ दी थी। क्या यह बात सही है? संयुक्त मोर्चा सरकार के दूसरे वर्ष जो कि 1997-98 है, विकास दर घट कर 4.8 हो गई।...*(व्यवधान)*

**श्री माधव राव सिंधिया:** इसे हम मजाक में न लें। ...*(व्यवधान)* कृपया इसे गम्भीरता से लें...*(व्यवधान)*। प्रत्येक काबिल अर्थशास्त्री यह जानता है कि ये कम से कम एक वर्ष का समयान्तराल होता है। जब आर्थिक नीति अपना प्रभाव दिखाना शुरू करती है यह बहुत गम्भीर विषय है।

**श्री यशवन्त सिन्हा:** श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली सरकार 1998 में मार्च के अंत में बनी थी। जब हम सत्ता में आए तो मुझे वे आकड़े याद हैं। पूर्ववर्ती वर्ष में देश में विकास दर जो हमने प्राप्त की थी वह 4.8 प्रतिशत थी। यही वह विकास दर थी जो हमें सत्ता में आने पर मिली थी।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा कह रही थी कि उन्होंने तो सात वर्ष तक यह विकास दर लगातार बनाए रखी थी, पर 6 प्रतिशत विकास दर हासिल करने में असमर्थ रहे हैं। मैं केवल यह चाहता हूं...*(व्यवधान)*

**श्रीमती मार्गेट आल्वा:** मैंने सात प्रतिशत कहा था।

**श्री यशवन्त सिन्हा:** उन्होंने कहा है कि उन्होंने तीन वर्षों तक सात प्रतिशत विकास दर हासिल की थी और हम 6 प्रतिशत भी हासिल करने में असमर्थ रहे। 1998-99 में अर्थव्यवस्था की विकास दर 6 प्रतिशत थी: 1999-2000 में यह 6.4 प्रतिशत थी और 2000-2001 में यह कुछ कारण जिनका अभी अभी मैंने उल्लेख किया है यह अनुमानत: 6 प्रतिशत होगी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के शासनकाल के तीन वर्षों में एक भी वर्ष ऐसा नहीं रहा था जब विकास दर 6 प्रतिशत से कम रही हों। यह 6 प्रतिशत या इससे अधिक रही है। वह भी गम्भीर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय चुनौतियों के सामने। यह अधिक महत्वपूर्ण बात है। मैंने सदन में बार-बार यह कहा है कि 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 में एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जिसे सामान्य वर्ष कहा जा सके। एक भी वर्ष सामान्य वर्ष नहीं रहा है। फिर भी इन सभी चुनौतियों के बावजूद हम यह विकासदर हासिल कर रहे हैं। तो, मैं यह समझता हूं कि यहां शर्म की कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि यह अपर्याप्त है। मैं पहला यह मानने वाला पहला व्यक्ति हूं कि यह विकास दर इस देश के सामने आ रही अनेक समस्याओं के लिए प्रर्याप्त नहीं है। इसलिए, हमें वह लक्ष्य हासिल करना है जो प्रधान मंत्री ने हम सभी के लिए निर्धारित की है—वह है 21 वीं शताब्दी के पहले दशक में औसतन 9 प्रतिशत विकास दर यह लक्ष्य है...*(व्यवधान)*

[श्री यशवन्त सिन्हा]

श्री बंसल, यदि आप अंधेरे कमरे में अपनी आखे बंद कर लेगें तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। यदि आप अंधेरे कमरे में अपनी आंखें बंद करने पर आमादा हैं तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जहां तक विकासदर आंकड़ों का संबंध है वह यही है...*(व्यवधान)*

अनेक विपक्षी सदस्यों ने गरीबी के आंकड़ों का मुद्दा उठाया है। अब; कोई भी जो भारत सरकार को आंकड़ों के एकत्रित करने के तरीकों के बारे में थोड़ा भी जानता है तो उसे इस बात की जानकारी होगी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन भारत सरकार का अंग नहीं है और गरीबी के बारे में आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने भी यही मुद्दा उठाया है। यह प्रश्न नहीं है कि क्या योजना आयोग इसे देखता है अथवा इसे मैं देखता हूं। लेकिन तथ्य यह है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने पांच वर्ष के लिए विशाल प्रतिदर्श के आधार पर गरीबी का सर्वेक्षण किया है। वही हमेशा इस कार्य को करता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अध्यक्ष प्रख्यात अर्थशास्त्री डा. प्रबीन बिसरिया थे जो दुर्भाग्य से अब हमारे बीच नहीं हैं उनका निधन हो चुका है। वे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अध्यक्ष थे और यह 1993-94 के पश्चात् पांच वर्षों के गरीबी के आंकड़े उन्हीं के नेतृत्व में एकत्रित किए गए थे और उन्होंने इसमें अलग-अलग तरीके अपनाए।

महोदय, मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा ने इसके बारे में भी कहा था—उनके हाथ में कोई कागज का टुकड़ा था और उन्होंने कहा कि हमने आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा है। लेकिन सत्य यह है कि पूर्व के वर्षों में 30 दिन की अवधि के विवरण के आधार पर सर्वेक्षण किया जाता था। इसका मतलब, सर्वेक्षणकर्ता किसी के पास जाता और उससे पूछता कि पिछले 30 दिनों में तुमने क्या-क्या खाया? यदि आप मुझसे पूछो कि मैंने गत 30 दिनों के दौरान क्या-क्या खाया तो मैं वह सब याद नहीं कर पाऊंगा। इसलिए, अब दुनिया भर में इस विवरण अवधि को सीमित करके 7 दिन कर दिया गया है। लेकिन हमारे देश में अभी वही 30 दिन की विवरण अवधि ही चल रही है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के हाल ही के सर्वेक्षण में उन्होंने कहा कि ''ठीक है; हम 30 दिन की विवरण अवधि भी रखेंगे और 7 दिन की विवरण अवधि भी।'' अत: उन्होंने दोनों के आधार पर सर्वेक्षण किया है, 30 दिनों की विवरण अवधि में जिसकी तुलना विगत से की जा सकती है और दूसरी 7 दिनों की विवरण अवधि में जो कि एक यह चीज थी और इन दोनों के आधार पर वे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में निष्कर्ष निकाले। इन दोनों आंकड़ों में बहुत कम अंतर था और इसलिए उन्होंने कहा कि इस देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या घटकर 26 से 27 प्रतिशत के बीच में आ गई है। अब एक कहावत है कि ''आंकड़े-आकड़े सब झूठ''। हम कह सकते हैं कि हमने झूठ कहा परंतु हमने व्यवस्था नहीं बदली है। भारत सरकार हमेशा से इसी तरह से अपने आंकड़ें इकठ्ठे करती रही है और इसी तरह से आंकड़ें एकत्रित किए जा रहे हैं आज भी इसी तरह आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं और इसलिए जब तक कोई अन्य तरीका लेकर कोई सामने नहीं आता, जो कि अधिक उपयोगी हो, तब तक हमें इसी सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार कार्य करना होगा।

**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा:** मेरी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत न करें। मैंने कहा था कि सर्वेक्षण में ही पृष्ठ संख्या 193-194 पर एक पाद-टिप्पणी दी गई है जिसमें कहा गया है कि चूंकि आंकड़े एकत्रित करने के तरीके में परिवर्तन किया गया है अत: इन अनुमानों की तुलना गरीबी के पिछले अनुमानों से अक्षरश: नहीं की जा सकती। मैं यह नहीं कर रही। मैं आर्थिक सर्वेक्षण की पाद टिप्पणी का उल्लेख कर रही हूं। जिसमें कहा गया है कि चूंकि तरीका बदल गया है अत: आंकड़ों व अनुमानों की तुलना पिछले आंकड़ों से नहीं की जा सकती।

**श्री यशवन्त सिन्हा:** वह कौन सा दस्तावेज हैं?

**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा:** मैं आपके आर्थिक सर्वेक्षण की पाद टिप्पणी के बारे में बात कर रही हूं।

**श्री यशवन्त सिन्हा:** आपके हाथ में कौन सा दस्तावेज है?

**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा:** मैं आर्थिक सर्वेक्षण के एक हिस्से का उल्लेख कर रही हूं। इसका उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण में से किया गया है। मैं पृष्ठ संख्याएं भी दे रही हूं। यह पृष्ठ संख्या 193-194 पर है।...*(व्यवधान)* आप इसे देख लीजिए ...*(व्यवधान)* यह फुटनोट मैं आपके सर्वे से कोट कर रही हूं।

**सायं 6.00 बजे**

**श्री यशवन्त सिन्हा:** मेरे सामने आर्थिक सर्वेक्षण रखा है। इसीलिए मैंने इसे पकड़ा है ...*(व्यवधान)* इस दस्तावेज में तीन पाद टिप्पणियां हैं। उन्होंने अपने दस्तावेज से तो पढ़ा है वह मुझे इसमें नहीं मिल रहा...*(व्यवधान)* यह आर्थिक सर्वेक्षण है ...*(व्यवधान)*

**श्री किरीट सोमैया** (मुम्बई उत्तर पूर्व) : यह आर्थिक सर्वेक्षण में से है या किसी लेख में से?...*(व्यवधान)*

**श्री यशवन्त सिन्हा** : मेरा उद्देश्य माननीय सदस्य को उलझन में डालना नहीं है...*(व्यवधान)*

**श्री किरीट सोमैया:** यह इस सदन की सम्पत्ति है। कृपया इसे उपाध्यक्ष महोदय को भेजें ...*(व्यवधान)* यह सदन को गुमराह करने वाली बात है।...*(व्यवधान)* वह लेख किसने लिखा ? ...*(व्यवधान)*

**डा. विजय कुमार मल्होत्रा** : (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, इन्हें वह दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** वे उल्लेख कर चुकी हैं।

...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मंत्री महोदय, उत्तर दे रहे हैं।

**श्री यशवन्त सिन्हा:** मेरा उद्देश्य ऐसे छोटे से मसले पर किसी मुद्दे में उलझना नहीं है।...*(व्यवधान)* मैं केवल दर स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा था कि सरकार ने इस विशेष मामले में एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से किस प्रकार आंकड़े एकत्रित किए हैं। हमें इसे इस प्रकार लापरवाही से व्यर्थ करार नहीं देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

मैंने इसे भी स्पष्ट किया ...*(व्यवधान)* इसीलिए सभा को दृष्टिकोण के अंतर स्पष्ट करने हेतु मैंने समय लिया।

स्वाभाविक रूप से इस सदन में हर मौके पर और इस अवसर पर भी किसानों की पीड़ा पर बहुत चिंता व्यक्त की गई है। दलगत राजनीति से उपर उठकर इस ओर के कुछ सदस्य भी बोले हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप अनुमति दें, तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नैशनल सैम्पल सर्वे के अन्तर्गत जो पहले वार्षिक सर्वे का औसत लिया जाता था, लेकिन अब बी.पी.एल. के लिए नया तौर-तरीका अपनाकर 30 दिन का एवरेज लिया गया है, ऐसा करने के क्या कारण हैं और क्या ऐसा करने से रीयल एप्रोच हो सकती है, इसका मंत्री महोदय स्पष्टीकरण दे दें।

*[अनुवाद]*

**श्री यशवन्त सिन्हा:** महोदय, कृषि के प्रश्न पर और यहां व्यक्त की गई चिन्ताओं के अनुसार इस सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि हम कृषि क्षेत्र के प्रति चिंतित नहीं हैं। मैं, अपने मित्र श्री सुबोध राय द्वारा उठाए गए मुद्दे में नहीं उलझना चाहता।

*[हिन्दी]*

उपाध्यक्ष महोदय, सुबोध राय जी ने जो भाषण दिया था, वह एक रिकार्ड की तरह है जो बराबर बजता है और बजते-बजते वह रिकार्ड ऐसा हो गया है कि घिसते-घिसते उसकी आवाज भी अब फटी सी निकलती है। इसलिए उन्होंने जो बातें कहीं, मैं समझता हूं कि उनकी बातों का शायद मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं हैं। किसके दबाव में बने, क्या हुआ, वह सब उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनके मन में कुछ बातें बैठ गई हैं उनसे वे मुक्ति नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

**श्री सुबोध राय** (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय हमारी बातों पर निरूत्तर हो गए हैं इसलिए वे उत्तर नहीं देना चाहते हैं।

**श्री यशवन्त सिन्हा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों का उत्तर देकर सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं निरूत्तर नहीं हूं, उत्तर दे सकता हूं।

**श्री सुबोध राय** : वित्त मंत्री जी अगर आप हमारी बातों का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन ठेंगड़ी जी की बातों का तो उत्तर दे दीजिए।

**श्री यशवन्त सिन्हा:** उनकी बातों का उत्तर मैं उनको दूंगा।

**सायं 6.05 बजे**

*[अनुवाद]*

**[अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए]*

मैंने इस बजट में कृषि के बारे में जो कुछ कहा है उसे मेरे पिछले तीन बजटों में कृषि के बारे में जो कुछ कहा है उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।

इसे राष्ट्रीय कृषि नीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, जिसे इस सरकार ने पहली बार संसद के समक्ष प्रस्तुत किया है। किसी भी अन्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति तैयार नहीं की। पहली राष्ट्रीय कृषि नीति तैयार करने का श्रेय इस सरकार को जाता है ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**कुंवर अखिलेश सिंह:** इसका परिणाम क्या निकला? आज किसान मर रहा है। ...*(व्यवधान)* आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। आप उनको मार डालने की साजिश कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

**श्री यशवन्त सिन्हा:** अगर किसानों की इतनी ही चिन्ता हमारे से पहले वाली सरकारों को थी तो कम से कम यह छोटी सी बात उनको कहनी चाहिए थी।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह ठीक नहीं है। आप बैठ जाइये।

*...(व्यवधान)*

**श्री यशवन्त सिन्हा:** अध्यक्ष महोदय, सब तरह की नीतियां इस देश में बनी। अगर एक नीति किसी सरकार ने बनाई तो वह कृषि नीति थी। यह राष्ट्रीय कृषि नीति बनाने का काम पहली बार अगर किसी ने किया तो वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। सदन को याद होगा कि जब मैंने पहला बजट पेश किया।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आपने डिबेट में पार्टीसिपेट किया है, फिर प्रश्न क्यों उठा रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री यशवन्त सिन्हा:** जब मैंने अपना पहला बजट 1998 में पेश किया तब उस बजट में मैंने किसान क्रेडिट कार्ड की कल्पना की थी। आज मैं इस सदन में खड़े होकर नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि देश भर में 28 फरवरी तक एक करोड़ 24 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिये जा चुके थे जिसकी आउटस्टैंडिंग 23,690 करोड़ रुपये है।...*(व्यवधान)*

**श्री सुबोध राय:** कितने किसानों की हत्या की गई है। *...(व्यवधान)*

**कुंवर अखिलेश सिंह:** आप यह बताइये कि कितने किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित रह गये हैं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** वित्त मंत्री के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** मिस्टर अखिलेश, यह ठीक नहीं है। आप अभी नहीं, बाद में पूछिये।

*...(व्यवधान)*

**श्री यशवन्त सिन्हा:** अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का एक जिम्मेदार मंत्री हूं। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** फाइनेंस बिल एक महत्वपूर्ण सबजैक्ट है।

*...(व्यवधान)*

**श्री यशवन्त सिन्हा:** मैं जो कहूंगा, वह तथ्यों के आधार पर कहूंगा। तथ्य अगर चुभते हैं तो उसकी दवा मेरे पास नहीं है। इसका ध्यान आपको करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह क्वश्चेन ऑवर सैशन नहीं है।

*...(व्यवधान)*

**श्री यशवन्त सिन्हा:** अध्यक्ष महोदय, यहां पर कीमतों की बात हुई। मैं सिर्फ व्हीट और राइस की कीमतों के बारे में बात करना चाहता हूं कि पिछले 20 साल में क्या स्थिति रही। 1981 से 1985 में यानी इन पांच साल के पीरियड में व्हीट की कीमतों का सवाल है तो एवरेज उसमें 35 रुपये प्रति क्विंटन की वृद्धि हुई।...*(व्यवधान)*

**कुंवर अखिलेश सिंह:** आप उसकी लागत मूल्य भी बताइये। *...(व्यवधान)* अगर वह सही आंकड़े नहीं देंगे तो हम पूछेंगे ही। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मिस्टर अखिलेश, यह ठीक नहीं है। आप बैठ जाइये।

*...(व्यवधान)*

**कुंवर अखिलेश सिंह:** अध्यक्ष महोदय, किसानों का सवाल है। अगर हाउस को गुमराह किया जायेगा तो क्या हम चुपचाप बैठ जायें?...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो बाहर चले जाइये।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप बैठ जाइये। आप क्या कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप रोज-रोज ऐसा ही कर रहे हैं। आप बैठ जाइये।

*...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**कुंवर अखिलेश सिंह:** अध्यक्ष महोदय, हम लागत मूल्य के बारे में पूछ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह आपका फैशन हो गया है। आप रोज-रोज क्या कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री यशवन्त सिन्हा:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आंकड़े बता रहा था 1981-85 के पीरियड में एवरेज 35 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा। 1986-90 के पांच साल के पीरियड में एवरेज 31 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा। 1991-95 में कांग्रेस का शासन था। उसमें 167 रुपये बढ़ा। कांग्रेस को बधाई हो, उन्होंने अच्छा किया। अचानक बहुत वृद्धि हुई और 1991-95 में 167 रुपये बढ़ा।

उसमें आपका दल भी दो वर्ष शासन में था।...*(व्यवधान)*

**कुंवर अखिलेश सिंह:** हमने खाद की कीमतों को घटाया था। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** अखिलेश जी, हाउस में आपको हैंडल करना मुश्किल काम नहीं है, यह समझ लें। यह ठीक नहीं है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप क्या कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री यशवंत सिन्हा:** 31 रुपये से बढ़ाकर 167 रुपये कर दिए गए। और अगले पांच वर्षों में अर्थात् 1996 से चालू वर्ष 2001 तक इन पांच वर्षों में वृद्धि 230 रुपये प्रति क्विंटल थी, जो अब तक की अधिकतम वृद्धि थी ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**कुंवर अखिलेश सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक मिनट बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** अभी नहीं, बाद में बोलिए। आप पहले चेयर की परमीशन लीजिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री यशवन्त सिन्हा:** राइस के मामले में क्या हुआ?

*[अनुवाद]*

1981-85 में यह 32 रुपये थी, 1986-90 में यह 48 रुपये थी। 1991-95 में यह 155 रुपये थी और 1996-2001 में यह 170 रुपये थी। चावल के ये आंकड़े हैं। यह एक प्रकार का समर्थन मूल्य है जिसे हमने दिया है।...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**कुंवर अखिलेश सिंह:** मूल्य वृद्धि कितनी हुई लागत में, वह भी बता दीजिए।...*(व्यवधान)*

**श्री यशवन्त सिन्हा:** जैसे पहले कभी मूल्य वृद्धि नहीं होती थी।

**अध्यक्ष महोदय:** आप लोग क्या कर रहे हैं। आपको कोई क्लैरीफिकेशन चाहिए तो बाद में बोलिए।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह बहसबाजी क्या है?

*...(व्यवधान)*

**कुंवर अखिलेश सिंह :** डब्ल्यू.टी.ओ. के दबाव में बजट बना रहे हैं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए।

**श्री यशवन्त सिन्हा:** अध्यक्ष महोदय, मामले की सच्चाई यह है, जैसाकि मैंने अपने बजट भाषण में कहा है। हम कृषि में कमी की अर्थव्यवस्था से अधिशेष की अर्थव्यवस्था में पहुंच गये हैं और हम अभी तक इस स्थिति से पुराने ढंग से ही निपटने का प्रयास कर रहे हैं। यही इस नीति की कठिनाई है। और इसलिए, नीतियां अब बदल रही हैं। इसलिए मैंने पोस्ट "हार्वेस्ट टैक्नोलाजी मैनेजमेंट" के बारे में सीधे-सीधे कह दिया है। एक बजट के बाद दूसरे बजट में, मैंने पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नोलाजी मैनेजमेंट के बारे में बोला है फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने इस प्रकार के भंडारण पर जोर दिया है और फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम प्रसंस्करण पर इस तरह का जोर क्यों दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम किसानों को पर्याप्त मूल्य, उनके उत्पादन के लिए किफायती मूल्य दिलाना चाहते हैं और ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब आपके उत्पाद को रख सकें। मैंने बैंक प्रयासों पर ब्याज की दर को कम किया हैं। मैंने शीत गृह सहित ग्रामीण क्षेत्रों में

[श्री यशवन्त सिन्हा]

परिवहन सुविधाओं और भंडारण सुविधाओं को स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया है।

मैंने इस बजट में कहा है कि यहां कोई उत्पाद शुल्क नहीं होगा; फलों और सब्जियों को प्रसंस्करण पर शून्य उत्पाद शुल्क होगा। यही प्रोत्साहन है जो खराब होने वाले कृषि उत्पादों के लिए प्रसंस्करण के लिए दिया गया है, और पनधारा विकास और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं उससे किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी जो मूलत: उनके खेतों की सिंचाई के लिए जल है; आदानों की खरीद के लिए धनराशि है, कृषि आदान है और उनके उत्पाद का विपणन तथा उनके उत्पाद का प्रसंस्करण है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि पहले की सरकरों की वास्तव में यही दूरदृष्टि होती है और यदि वे इसी तरह से चिंतित होती जिस तरह से हम इन समस्याओं के बारे में चिंतित हैं, 53 वर्ष के बाद हम आज इस सभा में इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे होते और कृषि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत ऐसा विकसित देश बन चुका होता जैसा कि हमें होना चाहिए था। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** वह नहीं मान रहे हैं। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**कुंवर अखिलेश सिंह:** सरकार की इस नीति के विरोध में हम और हमारी पार्टी के सदस्य वाक आउट करते हैं।

**सायं 6.15 बजे**

*तत्पश्चात कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।*

*तत्पश्चात डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।*

*तत्पश्चात श्री सुबोध राय सभा-भवन से बाहर चले गये।*

*तत्पश्चात श्री हरीभाऊ शंकर महाले सभा-भवन से बाहर चले गये।*

*[अनुवाद]*

**श्री यशवन्त सिन्हा:** मुझे खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के बारे में बस एक शब्द कहना है।*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय:** श्री पवन कुमार बंसल, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

**श्री यशवन्त सिन्हा:** इस बजट में खाद्य अर्थ-व्यवस्था के बारे में कुछ चिंता व्यक्त की गई है। जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में कहा है। हम इसकी चर्चा राज्य सरकारों के साथ करेंगे और एक आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे जो उनको भी मान्य होगा और हमें भी। लेकिन इस बात का उल्लेख मुझे इस सभा में करने दें क्योंकि कार्य के बदले अनाज की बात उठायी गई थी। पांच राज्य सूखा प्रभावित हैं। वे हैं -उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, जो सूखा से अत्यधिक प्रभावित हैं। कुछ राज्यों में तो लगातार दूसरे और तीसरे वर्ष भी सूखा पड़ा है। भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है वह क्या है? शुरूआत में हम प्रत्येक राज्य सरकार को नि:शुल्क एक लाख टन खाद्यान्न-चावल या गेहूं देंगे। यह नि:शुल्क होगा जो हम राज्य सरकारों को ये खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं।*...(व्यवधान)* इसके लिए हमने कहा है कि यह बिल्कुल खुला है। राज्य सरकारों को काम के बदले अनाज कार्यक्रम में इस खाद्यान का उपयोग करने दें। हमारे गोदाम उनके लिए खुले हैं। जितनी मात्रा में वे चाहे उसे वहां से उठा सकते हैं।

हमारी एक योजना है, जिस पर अभी चर्चा होनी बाकी है, यह उन सभी राज्य सरकारों के लिए है जो अपने-अपने राज्यों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं। इसके अलावा इस आलोचना के निराकरण के लिए कि जबकि गोदामों में अनाज सड़ रहा है और लोग भूखे हैं, मैं आपको कहूंगा कि मेरे मित्र खाद्य मंत्री ने एक योजना बनाई है। यह है ''अन्त्योदय अन्न योजना'' क्या यह कोई ऐसी चीज है जिसका हमें मजाक बनाना चाहिए? यह निर्धन से भी निर्धनतम लोगों के लिए है। इस देश में एक करोड़ परिवार हैं जिनके लिए हम यह कह रहे हैं कि हम उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध करायेंगे सिर्फ दो रुपये पर गेहूं और 3 रुपये पर चावल। यह नई प्रणाली है जो शुरू की गई है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने किया। यह उस तरीके पर निर्भर करता है कि राज्य किस तरह से इसे लागू करते हैं। आधा देश तो पहले से ही इस योजना का लाभ उठा रहा है।

अपने 1999 के बजट में मैंने अन्नपूर्णा अन्न योजना की बात की थी, जहां मैंने कहा था कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वृद्ध पेंशन-धारी को नि:शुल्क 10 किग्रा. खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। यह योजना अभी भी चल रही है। इसलिए, हम इस अनाज का उपयोग जरूरत मंद लोगों और जरूरत मंद राज्यों को अनाज उपलब्ध कराने में कर रहे हैं। हमारी यह इच्छा है कि गोदामों में खाद्यान्नों को न रखकर उन्हें जितना उपयोग कर सकें करें। इसका कुछ हिस्सा निर्यात भी किया जा रहा है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह सदन से चले गए हैं पर उन्होंने एक मुद्दा उठाया...*(व्यवधान)* आप इसे बना रहे हैं उन्होंने कहा, "आप इसका निर्यात 4.15 रुपये पर कर रहे हैं। और आप इसे निर्धन लोगों को, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊंची कीमत दर बेच रहे हैं।" हम राज्य सरकारों को 4.15 रुपये की पर से खाद्यान्न उपलब्ध कर रहे हैं। इस मूल्य में जो भी जोड़ा जा रहा है, वह राज्य सरकारों अपनी-अपनी जरूरतों के हिसाब से ऐसा कर रही हैं।

**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा:** अन्नपूर्णा योजना कहां है? हममें से किसी ने भी इसे अपने राज्य में नहीं देखा हैं।

*[हिन्दी]*

उनसे पूछ लीजिए कि उनके यहां आया है क्या? हमारे यहां तो कहीं नहीं आया है, एक साल हो गया है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री एस. जयपाल रेड्डी:** क्या आप एक भी राज्य बता सकते हैं जहां यह योजना चल रही है?

**अध्यक्ष महोदय:** श्री जयपाल रेड्डी वे अभी बोल रहे हैं। उन्होंने अपना भाषण पूरा नहीं किया है।

*...(व्यवधान)*

**श्री एस. जयपाल रेड्डी:** क्या आप एक भी ऐसा राज्य बता सकते हैं जहां इस योजना को लागू किया गया है? मैं आंध्र प्रदेश से हूं। वहां इसे लागू नहीं किया गया है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** वे अभी बोल रहे हैं। उन्होंने अपना भाषण पूरा नहीं किया है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री भूरिया, कृपया बीच में टोकें नहीं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**श्री यशवन्त सिन्हा:** योजना बनाई गई है। योजना के बारे में राज्य सरकारों को बताया गया है। जहां तक सूखा प्रभावित राज्यों का संबंध है, हम स्थिति की समीक्षा का रहे हैं, यदि मैं गलत नहीं हूं और मुझे सही-सही याद है तो राज्य सरकारों द्वारा 3 लाख टन खाद्यान्न पहले ही से उठा लिया गया है और विभिन्न राज्यों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम चल रहा है...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री कांतिलाल भूरिया** (झाबुआ): मध्य प्रदेश के सारे सांसद गए थे...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री यशवन्त सिन्हा:** महोदय, अन्य मुद्दों के मामले में, मैं यह कहना चाहूंगा कि...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री कांतिलाल भूरिया, आप चर्चा में भाग ले रहे हैं और शोर भी मचा रहे हैं। यह क्या है? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री एस. जयपाल रेड्डी:** अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे अनुमति दें।

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय मंत्री बोल रहे हैं। उन्होंने अपना भाषण पूरा नहीं किया है।

**श्री एस. जयपाल रेड्डी:** महोदय, वे मान रहे हैं, मंत्री महोदय, योजना बनाई गई है, योजना के बारे में राज्यों को बताया गया है, लेकिन इसको क्रियान्वित नहीं किया गया है। मैं यहां चुनौती देता हूं ...*(व्यवधान)* माननीय वित्त मंत्री को इस पर कहने दें...*(व्यवधान)* वे एक भी ऐसा राज्य बताएं जहां इसे क्रियान्वित किया गया है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री जयपाल रेड्डी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री एस. जयपाल रेड्डी:** श्री यशवंत सिन्हा, योजना बनाना और इसके बारे में सूचित करना इसका क्रियान्वयन नहीं है। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री जयपाल रेड्डी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री यशवन्त सिन्हा:** महोदय, वे एक बात पर सहमत हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री कांतिलाल भूरिया:** वित्त मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय:** आप क्या कर रहे हैं। आप बैठ जाएं।

**श्री कांतिलाल भूरिया:** मध्य प्रदेश सरकार ने सूखा राहत के लि 715 करोड़ रुपये मांगे थे, सभी सांसद गये थे...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप बैठ जाएं।

*[अनुवाद]*

**श्री यशवन्त सिन्हा:** महोदय, मेरे विचार से माननीय संसद सदस्य श्री कांतिलाल भूरिया जैसे व्यक्तियों को उन राज्यों के अध्ययन दौरों पर ले जाए जाने की आवश्यकता है जहां योजना क्रियान्वित की जाती है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैडम टीका टिप्पणी न करें। आपने वाद-विवाद में भी भाग लिया है।

**श्री यशवन्त सिन्हा:** तब वे आश्वस्त हो जाएंगे ...*(व्यवधान)* हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े-लिखे को फारसी क्या।

**श्री के. येरननायडू** (श्रीकाकुलम): श्री जयपाल रेड्डी, दोनों योजनाएं आंध्र प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही हैं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आपस में बात न करें।

**श्री एस. जयपाल रेड्डी:** नहीं, यह क्रियान्वित नहीं की गयी है...*(व्यवधान)*

**श्री यशवन्त सिन्हा:** महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। यहां बहुत से सुझाव दिए गए हैं। मुझे याद है श्री शिवराज पाटील ने एक्रेलिक फाइबर की बात की है उन्होंने मुझे कागजात भेजे हैं मैं इस पर गौर करूंगा, कुमारी मायावती ने चाय और कॉफी का मामला उठाया है और कहा है कि आमतौर पर गरीब लोग चाय का उपयोग करते हैं। मैंने इस बजट में चाय के मूल्य बढ़ाने हेतु कुछ नहीं किया है। चाय या कॉफी पर कोई शुल्क या कर नहीं बढ़ाए गए हैं।

**श्री पी.सी. थामस:** चाय पर उत्पाद शुल्क को वापस लिया जा सकता है।

**श्री यशवन्त सिन्हा:** उत्पाद शुल्क वापस लेना एक अलग मुद्दा है। लेकिन मूल्यों में वृद्धि करने हेतु मैंने कुछ नहीं किया है।

माननीय संसद सदस्य श्री पवन कुमार बंसल के लिए यह कहना कि हमने कारों पर तो शुल्क घटा दिया है परंतु साइकिलों के लिए कुछ नहीं किया है। यह बड़ी सार्वजनिक बात थी इस देश में कारों और आटोमोबाइल्स पर 40 प्रतिशत शुल्क वसूला जाता है। जो सर्वाधिक है युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया में मैंने इन्हें घटाकर 32 प्रतिशत कर दिया है। साइकिलों पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं है। तो मैंने क्या किया?...*(व्यवधान)*

**श्री पवन कुमार बंसल:** मैंने जो कहा है वह अमीरों की तुलना में गरीबों के प्रति आपकी चिन्ता है। मैंने वह उदाहरण दिया। मैंने साइकिलों पर किसी उत्पाद शुल्क का उल्लेख नहीं किया। कृपया हमें गुमराह न करें।...*(व्यवधान)* कृपया सदन को गुमराह न करें। मैं जानता हूं मैंने क्या कहा है। मैं अपने कथन के प्रति पूर्णतया ईमानदार हूं। मैंने कहा कि अमीर व्यक्ति ही आपके प्रिय हैं...*(व्यवधान)*

**श्रीमती श्यामा सिंह:** महोदय, रोजगार सर्जन के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैडम वह नहीं मान रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री पवन कुमार बंसल:** मैंने उदाहरण ही दिया है। गरीब खुले में शौच कर रहे हैं। मैंने यही कहा है ...*(व्यवधान)*

**श्री यशवन्त सिन्हा:** यह आरोप लगाना बहुत आसान है जो आप तनिक किसी प्रमाण के बिना सरकार में किसी पर भी लगा सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

**श्री पवन कुमार बंसल:** जैसा कि मैंने कहा, गरीब लोग खुले में शौच कर रहे हैं। आपको इस पर क्या कहना है? ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** बंसल जी आप क्या कर रहे हैं, अभी उन्होंने जवाब खत्म नहीं किया है।

*[अनुवाद]*

**श्री यशवन्त सिन्हा:** गरीबों का पिछले पचास वर्षों की तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान अधिक ख्याल रखा गया है। मुझे इसे स्पष्ट करने दें...*(व्यवधान)*

**श्री पवन कुमार बंसल :** आपने मेरी बात को अपने आप तोड़-मरोड़ दिया है।...*(व्यवधान)*

**श्री यशवन्त सिन्हा:** महोदय, मुझे अंतिम शब्द कहना है।

**श्री रामदास आठवले:** महोदय, कृपया मुझे एक मिनट के लिए अनुमति दें।

**अध्यक्ष महोदय:** श्री आठवले, माननीय मंत्री महोदय ने नहीं माना है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*...(व्यवधान)*

**श्री यशवन्त सिन्हा:** यह बजट गुजरात त्रासदी के परिणाम की छत्रछाया में तैयार किया गया था।

इसलिए, इस सरकार ने जो किया है और जो यह करना चाहती है। वह मैंने अपने बजट भाषण में कहा है लेकिन मैं कुछ मिनट और लेना चाहूंगा क्योंकि श्री प्रवीण राष्ट्रपाल ने यह मामला उठाया है।

**श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:** मुझे उसका उत्तर भी चाहिए।

**श्री यशवन्त सिन्हा:** मैं उसी पर आ रहा हूं।

महोदय, गुजरात त्रासदी के एक या दो दिन पश्चात मैंने एक बयान जारी किया था कि हम अन्तर्राष्ट्रीय बहुक्षेत्रकारी एजेंसियों से सहायता मांगेंगे और मुझे इस सदन को यह सूचना देते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार के अनुरोध के प्रत्युत्तर में विश्व बैंक ने एक बिलियन डालर यानि 4700 करोड़ रुपये गुजरात को सहायता के रूप में स्वीकृत किए और इसी प्रकार एशियाई विकास बैंक पहले ही गुजरात के लिए सहायता राशि के रूप में हमें 500 मिलियन डालर देने पर सहमत हो गया है। इसके अलावा, दो आवासीय एजेंसियों, राष्ट्रीय आवास बैंक और हुडको को कर मुक्त बांडों के जरिए 2,000 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति दे दी गई है। हमने गुजरात सरकार को धनराशि उपलब्ध कराई है। जब प्रधानमंत्री जी वहां गए तो उन्होंने घटनास्थल पर ही तुरंत 500 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की अन्य 330 करोड़ रुपये की राशि भी जारी कर दी गई है। हमने गुजरात सरकार को आश्वस्त कर दिया है कि धन की समस्या नहीं आने दी जाएगी, भारत सरकार पुनर्वास कार्यों हेतु धन पैदा करने हेतु पूरी तरह गुजरात सरकार के पीछे खड़ी है।

अब, मैं श्री प्रवीण राष्ट्रपाल द्वारा 2 प्रतिशत अधिभार के बारे में उठाए गए मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं संक्षेप में बता दूं कि ग्यारहवें वित्त आयोग ने इस संबंध में क्या नीति निर्धारित की है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने कहा है कि केवल 500 करोड़ रुपये का कोष बनाया जाएगा जिसे राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा कोष कहा जाएगा। मेरे साथी कृषि मंत्री, जो कि इस संबंध में गठित केन्द्रीय स्तर की समिति के सभापति भी हैं, यहां बैठे हैं।

आपको याद होगा कि मैंने संसद के शीत सत्र में कार्पस फंड हेतु 500 करोड़ रुपये दिए थे। मैंने संसद में निगमित कर पर अधिभार के रूप में एक प्रतिशत कर लगाने पर आपकी स्वीकृति ली थी। इस धनराशि के इस्तेमाल से धनराशि की भरपाई की आशा कर रहे थे। यह धनराशि पहले ही खर्च हो गई और इसलिए हम पुन: आपके पास आए और गुजरात भूकम्प राहत के लिए आपसे कर पर दो प्रतिशत अधिभार लगाकर धन एकत्र करने के लिए आपकी अनुमति ली और मेरा यह अनुमान था कि हम 1300 करोड़ रुपये जुटा सकेंगे। इस अधिभार को हमने चालू वर्ष में भी जारी रखा है। इस प्रकार जुटाई गई धनराशि 2600 करोड़ रुपये की होगी जो केवल गुजरात को उपलब्ध कराई जाएगी। मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि इस धनराशि का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन श्री राष्ट्रपाल जी के साथ मेरा एक ही मतभेद है कि यह धनराशि राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि में जाएगी क्योंकि यह केन्द्र द्वारा नियंत्रित निधि है और इस निधि से यह धनराशि गुजरात जाएगी। हमें इन छोटी-छोटी बातों पर लड़ना नहीं चाहिए। धनराशि गुजरात भेजी जा रही है हम इस धनराशि में से अपना प्रशासनिक प्रभार भी नहीं ले रहे हैं। अत: इस बारे में परेशान न हों।

**श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:** प्रश्न यह है कि पांच मुख्यमंत्रियों की समिति इस पर निर्णय करेंगी।

**श्री यशवन्त सिन्हा:** नहीं, ऐसा नहीं हैं। यह सब बदल गया है। यह पांच मुख्यमंत्रियों की समिति नहीं है। यह समिति कृषि मांत्री की अध्यक्षता में बनी है जिसमें वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष शामिल हैं। हम तीनों किसी भी दिन बैठक करके इस धनराशि को किसी को दे सकते हैं जिसको इसकी आवश्यकता है, हम इस कार्य में तेजी ला रहे हैं। हम इसे अत्यंत ईमानदारी से कर रहे हैं।

**श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:** दो प्रतिशत अधिभार गुजरात को दिया जाना चाहिए।

**श्री यशवन्त सिन्हा :** मैं आपको विश्वास दिलाता हूं; मैं यह बात सदन में कह रहा हूं। आब इससे बड़ा आश्वासन कौन सा हो सकता है?

**श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:** धन्यवाद?

**श्री यशवन्त सिन्हा:** महोदय, अनेक सुझाव दिए गए हैं जिन पर मैंने ध्यान दिया है। और भी बड़े मुद्दे हैं और विशेषकर माननीय श्री शिवराज वि. पाटील ने अर्थशास्त्र में नैतिकता का प्रश्न उठाया है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन और पंचवर्षीय योजनाओं पर चर्चा करने का प्रश्न और योजनाओं की मध्यावधी समीक्षा का प्रश्न उठाया है। कई मित्रों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अनेक

[श्री यशवन्त सिन्हा]

अन्य मुद्दे उठाए हैं। कुमारी मायावती ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र और कमजोर वर्ग का मुद्दा उठाया है। मैं सरकार की ओर से कह रहा हूं कि...*(व्यवधान)*

**श्रीमती श्यामा सिंह:** रोजगार सृजन के बारे में प्रश्न का क्या हुआ? इसका उत्तर नहीं दिया गया है। यह एक प्रमुख प्रश्न है। क्या माननीय मंत्री इसका उत्तर देंगे?

**श्री यशवन्त सिन्हा:** श्रीमती श्यामा सिंह, आप थोड़ा अधीर हो रही हैं। मैं आपके प्रश्न का अन्त में उत्तर देने जा रहा था क्योंकि आप अन्तिम वक्ता थीं। इन मुद्दों पर इस सभा में समय समय पर चर्चा हो चुकी है। मैं आपका समय नहीं लेना चाहता ...*(व्यवधान)*

**श्री प्रकाश परांजपे:** वस्त्र प्रसंस्करण उद्योगों पर चैम्बर आधारित कर को दो और वर्ष के लिए बढ़ाया जाना चाहिए।

**श्री यशवंत सिन्हा:** मैंने कह चुका हूं कि दिए गए सभी सुझावों पर मैं ध्यान दे रहा हैं। मैं श्रीमती श्यामा सिंह द्वारा पूछे गए प्रश्न पर आते हुए ...*(व्यवधान)*

**श्री के. येरननायडू:** इससे पूर्व जहां तक कपड़ा उद्योग का संबंध है अनेक अभ्यावेदन दिए गए हैं।

**श्री यशवन्त सिन्हा:** जब मैंने विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत किया, तो मैंने इसकी पहले ही घोषणा कर दी है।

रोजगार सृजन के मुद्दे पर हमने यह बात बार-बार कही है कि रोजगार सृजन हमारी आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य है। यह हमारी आर्थिक नीति में प्रमुखता से है। यह सरकार बिना रोजगार के विकास नहीं चाहती और इसलिए हमने बहुत कुछ किया है। आप कह रहे हैं वह एक करोड़ रुपये कहां हैं क्योंकि जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनाने वाले नजर आ रहे हैं इसलिए यह बड़ा मुद्दा है। लेकिन जो रोजगार सृजित किये जा रहे है वह हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि इससे खबर नहीं बनती है। यदि हम गांव की सड़कों पर प्रति वर्ष 2500 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, यदि हम प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम के तहत 7000 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने जा रहे हैं जिसके लिए ठेका दिया जा चुका है और शेष राजमार्ग 30 जून तक पूरा होने जा रहा है और इस पर निर्माण कार्य चल रहा है, यदि आवास निर्माण कार्य को तेज किया जा रहा है, यदि साफ्टवेयर का निर्यात हो रहा है, यदि सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाएं देश में हो रही हैं, यदि यह सब हो रहा है और यदि अर्थव्यवस्था छह प्रतिशत की वृद्धि दर से प्रगति कर रही है तो यह कार्य भूतों ने नहीं किया है बल्कि यह कार्य लोगों द्वारा किया जा रहा है और इन लोगों को रोजगार मिल रहा है। आंकड़े आने में थोड़ी देर अवश्य लगती है क्योंकि यदि मैं आपको कोई आंकड़ा दूं तो आप कहेंगे इसका क्या आधार है? मैं आपको ऐसे आंकड़े नहीं देना चाहता जो किसी सर्वेक्षण पर आधारित नहीं हों। मैं उन आंकड़ों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी आर्थिक गतिविधि हो रही है, हमने जिस प्रकार का प्रोत्साहन लघु क्षेत्र को दिया है, हमने स्वत: सहायता समूहों के माध्यम से सूचना क्षेत्र को जिस प्रकार का उत्साह दिया है-उदाहरणार्थ स्वत: सहायता समूहों की संख्या को देखें, ऐसे समूह आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु में बन चुके हैं...*(व्यवधान)*

**श्री के. येरननायडू:** आंध्र प्रदेश में उनकी संख्या 3,50,000 है।

**श्री यशवन्त सिन्हा:** उन परिवारों की कल्पना करें जिन्होंने अपनी आय में बढ़ोत्तरी की है। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यों का विस्तार हुआ है। अत: महोदय, मेरा तर्क है कि रोजगार का काफी सृजन हुआ है। आकड़ों में थोड़ा समय तो लगेगा ही मैं गैर-जिम्मेदाराना तरीके से कुछ भी नहीं कहना चाहता। लेकिन सरकार इस सच्चाई से पूर्ण रूप से अवगत है कि सभी आर्थिक नीतियों अन्तत: रोजगार सृजित करती हैं और रोजगार के माध्यम से आम आदमी, भारत का निर्धन व्यक्ति लाभान्वित होना चाहिए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हमारी नीति का जोर इस पर ही रहेगा। मैं सभा को एक बार पुन: विश्वास दिलाना चाहूंगा जो कि हमने पहले भी कार्य किया है और आगे भी करते रहेंगे।

**अध्यक्ष महोदय:** श्री शिवराज वि. पाटील .

**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा:** महोदय, मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहूंगी।

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने श्री शिवराज वि. पाटील का नाम पुकारा है।

**श्री शिवराज वि. पाटील:** महोदय, हमने बजट में दी गई हर बात की आलोचना नहीं की है लेकिन इस बजट की एक जैसी आलोचना हुई है।

समान आलोचना यह है कि उद्योगों और पूंजी बाजार के विकास हेतु बहुत सी रियायतें दी गई है। लेकिन आम आदमी के लिए बजट में कोई रियायतें नहीं दी गई है। कोई स्पष्ट रियायतें नहीं हैं जिनसे यह पता चले कि किसानों को राहत मिली हो और रोजगार का सृजन हो सकता हो। माननीय वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिए प्रधान मंत्री योजना लागू की गई है जिससे रोजगार का सृजन किया जा सकेगा ...*(व्यवधान)* उन्होंने यह भी कहा है कि रोजगार सृजन करने के

लिए समय की जरूरत है और इसका लाभ नीचे तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा लेकिन बजट में ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे बेरोजगारी दूर करने में मदद मिल सके, इस पार्टी के संसद सदस्यों द्वारा ही नहीं बल्कि अन्य दलों के संसद सदस्यों द्वारा भी जो आरोप लगाया गया है और शिकायत की गई है, वह यह है कि बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि आम आदमी को मदद मिल सके, रोजगार सृजन करने में सहायता मिल सके और किसानों को सहायता मिल सके। ...*(व्यवधान)*

महोदय, हमने इस ओर ध्यान दिलाया है कि लाटरी पर आयकर घटा दिया गया है कारों पर सीमा शुल्क घटा दिया गया है। और साथ ही भविष्य निधि पर ब्याज दर भी घटा दी गई है नाबार्ड, लघु उद्योगों और आवास बैंक पर आयकर लगाया जाएगा। इन संगठनों को अब आयकर देना होगा। कराधान के इन प्रावधानों से पता चलता है कि उन लोगों की सहायता करने की कोशिश की गई है जो धनी हैं किन्तु उन लोगों की सहायता करने हेतु कुछ भी नहीं किया गया है जिन्हें वास्तव में सहायता की जरूरत है। इस पहलू को माननीय वित्त मंत्री द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। हमने आशा की थी कि वह अन्य वर्षों में कार्यनिष्पादन के उल्लेख की बजाय इन मुद्दों को स्पष्ट करेंगे। उन्हें बजट में किये गये प्रावधानों का उल्लेख करके इन मुद्दों को स्पष्ट करना चाहिए था।

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**अध्यक्ष महोदय:** अब सभा विधेयक पर खंड वार विचार आरम्भ करेगी।

***खंड 2 और 3–आयकर और धारा 2 का संशोधन***

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है कि

*"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"*

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

**खंड 4-धारा 9 का संशोधन**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 3, पंक्ति 32 में, "उपयोग करने का अधिकार" के *पश्चात्* "किन्तु इसके अंतर्गत धारा 44 खख में निर्दिष्ट रकम नहीं है" *अंत:स्थापित* किया जाए। (22)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*खंड 4, संशोधित रूप में विधेयक में, जोड़ दिया गया।*

**खंड 5–धारा 10 का संशोधन**

*संशोधन किए गए:*

पृष्ठ 4, पंक्ति 10, "खंड अन्त: स्थापित किया जाएगा" के *स्थान* पर, "खंड अन्त: स्थापित किए जायेंगे" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (23)

पृष्ठ 4, पंक्ति 13 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए।

1999 का 41 "(23 ख ख ङ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की कोई आय;"। (24)

पृष्ठ 4, पंक्ति 14 से 18, के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए-

(ङ) खंड (23 ग) में,

(क) तीसरे परन्तुक में,

(i) खंड (क) में, "उन उद्देश्यों के लिए जिनके लिए उसकी स्थापना की गई है" शब्दों के पश्चात् "और ऐसी दशा में जहां 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् आय के पच्चीस प्रतिशत से अधिक संचित होती है, वहां उसकी आय के पच्चीस प्रतिशत से अधिक की रकम की संचयन की अवधि किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल 2002 से अंत:स्थापित किए जाएंगे,'। (25)

पृष्ठ 4, पंक्ति 26 से 30 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए,-

''(ख) आठवें परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2002 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

''परंतु यह भी कि जहां उपखंड (IV) में निर्दिष्ट निधि या संस्था की या उपखंड (V) में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था की या उपखंड (VI) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था की या उपखंड (VI) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अन्य संस्था की कुल प्राप्तियां, किसी पूर्व वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक है, वहां, यथा स्थिति, निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य संस्था,''।'। (26)

पृष्ठ 4, पंक्ति 49 में, ''जो धारा 80 झक की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कारबार'' के *पश्चात्* ''या धारा 80 झख की उपधारा (10) में निर्दिष्ट आवास परियोजना'' *अंत:स्थापित* किया जाए। (27)

पृष्ठ 4, पंक्ति 56 में ''प्रत्यय रेटिंग उपलब्ध कराने'' के *स्थान* पर ''प्रत्यय की अभिवृद्धि करने'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (28)

पृष्ठ 5, पंक्ति 3 और 4 के *स्थान* पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

''परंतु यह खंड, यथास्थिति, भारतीय यूनिट ट्रस्ट या ऐसी पारस्परिक निधि के यूनिटों के अन्तरण से अद्भूत किसी आय को लागू नहीं होगा।''। (29)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 6–खंड 10क का संशोधन**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 5, पंक्ति 16 और 17 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए–

''(1) स्पष्टीकरण-1 के नीचे निम्नलिखित परन्तुक *अंत: स्थापित* किया जाएगा, अर्थात् :-

''परन्तु इस स्पष्टीकरण की कोई बात कंपनी के शेयर धारण में–

(क) उसके ऐसी कम्पनी हो जाने के परिणामस्वरूप जिसमें जनता सारभूत रूप से हितबद्ध है; या

(ख) किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि द्वारा उसके साधारण शेयरों का अपविनिधान के परिणामस्वरूप, किसी परिवर्तन को लागू नहीं होंगे।'' (30)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 7–खंड 10ख का संशोधन**

**श्री यशवन्त सिन्हा:** महोदय, संशोधन संख्या 31 लाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में हमने आपकी अध्यक्षता में बैठक की थी। मैं सभा के माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि इन मामलों पर निर्णय लेने के लिए माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली एक समिति है। यह अनुरोध भी उसी समिति को भेजा जाना चाहिए। मैं समिति का स्थान नहीं ले सकता। अत: अध्यक्ष महोदय को ही इसे देखने दें। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यगण, आप संसद सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह समुचित रूप से नहीं कर रहे हैं लेकिन आपे अधिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं?

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 5, पंक्ति 30 और 31 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए,-

'(1) स्पष्टीकरण-1 के *नीचे* निम्नलिखित परन्तुक *अंत:स्थापित* किया जाएगा, अर्थात्:

''परन्तु इस स्पष्टीकरण की कोई बात कंपनी के शेयर धारण में-

(क) उसके ऐसी कंपनी हो जाने के परिणामस्वरूप जिसमें जनता सारभूत रूप से हितबद्ध है; या

(ख) किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि द्वारा उसके साधारण शेयरों का अपविनिधान के परिणामस्वरूप, किसी परिवर्तन को लागू नहीं होंगे।''।'। (31)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खंड 8 और 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।**

**खंड 10–धारा 12क का संशोधन**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 5, पंक्ति 49 में, ''दस लाख रुपये'' के *स्थान* पर ''एक करोड़ रुपये'' *प्रतिस्थापित किया जाए।* (32)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

**खंड 12–धारा 16 का संशोधन**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ट 6, पंक्ति 1 से 4 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए:-

12 आयकर अधिनियम की धारा 16 में, खंड (i) और खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2002 से रखे जाएंगे, अर्थात्:

''(i) किसी निर्धारिती की दशा में, जिसकी वेतन से आय इस खंड के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व,

(अ) एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक नहीं है, वेतन के तैंतीस सही एक बटा तीन प्रतिशत के बराबर राशि या तीस हजार रुपये की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती;

(आ) एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक है किंतु तीन लाख रुपये से अधिक नहीं है, पच्चीस हजार रुपये की राशि की कटौती;

(इ) तीन लाख रुपये से अधिक है किंतु पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है, बीस हजार रुपये की राशि की कटौती;

(ii) ऐसे निर्धारिती को जो सरकार से वेतन प्राप्त करता है, नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अनुदत्त सत्कार भत्ते की प्रकृति के किसी भत्ते के संबंध में उसके वेतन के (किसी भत्ते, फायदे या अन्य परिलब्धि को छोड़कर) पंचमांश के बराबर राशि या पांच हजार रुपये की, इनमें जो भी कम हो, कटौती;''।'। (33)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

**खंड 13–धारा 17 का संशोधन**

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 6, पंक्ति ९ से पंक्ति 12 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए–

'(आ) परंतुक में, ''कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना या उक्त कंपनी की स्कीम'' शब्दों के *स्थान* पर ''केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को प्रस्तावित कोई कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना या उक्त की स्कीम'' *शब्द रखे जाएंगे।''।* (34)

पृष्ठ 6, पंक्ति 13 में, ''(vii)'' के *स्थान* पर, ''(v)'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (35)

पृष्ठ 6, पंक्ति 14 में, ''(viii)'' के स्थान पर, ''(vi)'' *प्रतिस्थापित किया जाए।* (36)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया। खंड 14 से 20 विधेयक में जोड़ दिए गए।

**खंड 21–धारा 32 का संशोधन**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 7, पंक्ति 23 के *स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित किया जाए-*

'(क) उपधारा (1) के खंड (ii) में-

(अ) पहले परंतुक के खंड (क) में, ''28 फरवरी, 1975 के पश्चात्'' अंक और शब्दों के पश्चात् ''किन्तु 1 अप्रैल, 2001 से पूर्व'' शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जायेंगे;

(आ) स्पष्टीकरण 4 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण *अंत: स्थापित* किया जाएगा, अर्थात्: (37)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 22 और 23 विधेयक में जोड़ दिए गए।

**खंड 24–नई धारा 35 घ घ क का अन्त:स्थापन**

*संशोधन किए गए:*

पृष्ठ 7, पंक्ति 49 में, ''1 अप्रैल, 2002 से'' का **लोप** किया जाए। (38)

पृष्ठ 7, पंक्ति 54 और पंक्ति 55 का **लोप** किया जाए। (39)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

**श्री माधवराव सिंधिया:** अध्यक्ष महोदय, श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा को अपनी बात कहने का अवसर देने की कृपा करें।

**अध्यक्ष महोदय:** लेकिन मैं उन्हें इस समय अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दे सकता।

**श्री माधवराव सिंधिया:** महोदय, आप उन्हें अन्त में अनुमति दे दें।

**अध्यक्ष महोदय:** ठीक है।

**नियम 80 (एक) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव**

**श्री यशवन्त सिन्हा:** मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 40 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 40 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**नया खंड 24 क और ख**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 7, पंक्ति 56 के *पश्चात्*, निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए,-

'24 क धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (vii) में परंतुक के *पश्चात्* निम्नलिखित स्पष्टीकरण *अंत: स्थापित* किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1989 से अत: स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:- धारा 36 का संशोधन

''स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती के लेखाओं में अवसूल्नीय के रूप में अपलिखित किसी डूबंत ऋण या उसके भाग के अंतर्गत निर्धारिती के लेखाओं में किया गया डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए कोई उपबंध नहीं होगा।''

'24 ख. आयकर अधिनियम, की धारा 43 में, धारा 43 का संशोधन 1 अप्रैल, संशोधन 2002 से -(क) खंड (1) में, स्पष्टीकरण 11 के *पश्चात्*, निम्नलिखित स्पष्टीकरण *अंत:स्थापित* किया जाएगा, अर्थात्: ''स्पष्टीकरण 12- जहां कोई आस्ति भारत में मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज के निर्धारिती द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित निगमीकरण हेतु किसी स्कीम के अधीन अर्जित की जाती है, वहां उक्त आस्ति की कीमत वह रकम समझी जाएगी जो, यदि ऐसी निगमीकरण नहीं हुआ होता तो उसे वास्तविक कीमत के रूप में माना गया होता,'' 1992 का 15

(ख) खंड (6) में, स्पष्टीकरण 4 **के पश्चात्**, निम्नलिखित स्पष्टीकरण *अंत:स्थापित* किया जाएगा, अर्थात्:-

''स्पष्टीकरण 5-जहां किसी पूर्व वर्ष में आस्तियों के किसी ब्लाक के भाग रूप में कोई आस्ति भारत में मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज द्वारा किसी कंपनी को भातीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित निगमीकरण के लिए किसी स्कीम के अधीन अंतरित की जाती है वहां ऐसी कंपनी की दशा में आस्तियों के ब्लाक का अवलिखित मूल्य ऐसे अंतरण के ठीक पूर्व स्टाक एक्सचेंज की दशा में अंतरित आस्तियों का अवलिखित मूल्य होगा।''।' (40) 1992 का 15

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि नये खंड 24 क और ख विधेयक में जोड़ दिए जाएं।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*नये खंड 24 क और ख विधेयक में जोड़ दिये गये।*

*खंड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 26-धारा 44 क ख का संशोधन**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 8, पंक्ति 17 से पंक्ति 19 के *स्थान पर*

निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए,-

'किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के निर्धारित के लेखाओं के संबंध में ''विनिर्दिष्ट तारीख'' से निर्धारण वर्ष की 31 अक्तूबर अभिप्रेत है।'। (41)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि खंड 26, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*खंड 26, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 27-धारा 47 का संशोधन**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 8, पंक्ति 21 से पंक्ति 23 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए,-

'(क) खंड (iii) के परंतुक में, ''कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना या उक्त स्कीम के अधीन'' शब्दों के स्थान पर ''केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को प्रस्तावित कोई कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना या स्कीम के अधीन'' शब्द रखे जाएंगे।'' (42)

पृष्ठ 8, पंक्ति 24 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया गए।

'(ग) खंड (xiii) में, 1 अप्रैल, 2002 से,-

(i) ''किसी व्यक्ति'' शब्दों से प्रारंभ होने वाले और ''कोई अंतरण'' शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

''किसी फर्म द्वारा किसी कंपनी को पूंजी आस्ति या अमूर्त आस्ति का फर्म द्वारा चलाए जा रहे कारबार में कंपनी द्वारा

फर्म के उत्तराधिकार के परिणामस्वरूप किया गया कोई अंतरण या किसी कंपनी को भारत में मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज के निगमीकरण के अनुक्रम में पूंजी आस्ति का कोई अंतरण जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों के किसी संगम या व्यष्टियों के किसी निकाय की कंपनी उत्तराधिकारी बन जाती है:''

(ii) परंतुक में,-

(अ) खंड (क) में, ''फर्म के दायित्व'' शब्दों के *पश्चात्* ''या व्यष्टियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय के दायित्व'' शब्द *अंत:स्थापित* किए जाएंगे;

(आ) खंड (घ) के *पश्चात्* निम्नलिखित खंड *अंत: स्थापित* किया जाएगा, अर्थात्:-

''(ङ) भारत में मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज का निगमीकरण, निगमीकरण के लिए ऐसी स्कीम के अनुसार किया जाता है जिसका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया जाता है।'' (43) 1972 का 15

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि खंड 27, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

खंड 27, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28 से 31 विधेयक में जोड़ दिये गये।

**खंड 32–धारा 55 का संशोधन**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 9, पंक्ति 9 और 10 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए,-

''32, आय-कर अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (2)में, 1 अप्रैल, 2002 से,-

(क) खंड (क) में, ''किसी कारबार की गुडविल'' शब्दों के पश्चात् ''या किसी कारबार से सहबद्ध कोई व्यापार चिन्ह या ब्रांड नाम'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (कक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

''(कख) ऐसी पूंजी आस्ति के संबंध में जो सधारण शेयर है या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित निगमीकरण की किसी स्कीम के अधीन भारत में मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज के किसी शेयरधारक को आबंटित शेयर हैं, एक्सचेन्ज की उसकी मूल सदस्यता के अर्जन की कीमत होगी,''।'' (44) 1992 का 15

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि खंड 32, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

खंड 32, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया। खंड 33 से 38 विधेयक में जोड़ दिये गये।

**नियम 80 के खंड (एक) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव**

**श्री यशवंत सिन्हा:** मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (I) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 45 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (I) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 45 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**नया खंड 38 क**

*संशोधन किया गया–*

पृष्ठ 9, पंक्ति 41 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए,–

'38क, आयकर अधिनियम की धारा 80 जजग की उपधारा — धारा 80 जजग का संशोधन

(1ख) में, उपखंड (ii), उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2002 से रखे जायेंगे, अर्थात्:–

["(ii) 1 अप्रैल, 2002 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए उसका सत्तर प्रतिशत;

(iii) 1 अप्रैल, 2003 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए उसका पचास प्रतिशत;

(iv) 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए उसका तीस प्रतिशत।"] (45)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 38क विधेयक में जोड़ दिया जाये"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

नया खंड 38क विधेयक में जोड़ दिया गया।

**खंड 39–धारा 80 जजङ का संशोधन**

*संशोधन किया गया–*

पृष्ठ 9, पंक्ति 42 से 46 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए,–

"39 आय-कर अधिनियम की धारा 80 जजङ में,–

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

["स्पष्टीकरण-शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि भारत से बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के स्थल विकास से, (साफ्टवेयर के विकास के लिए सेवाओं सहित) व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ भारत से बाहर कंप्यूटर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे।";

(ख) उपधारा (1ख) में उपखंड (ii), उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2002 से रखे जाएंगे, अर्थात्:–

"(ii) 1 अप्रैल, 2002 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए उसका सत्तर प्रतिशत;

(iii) 1 अप्रैल, 2003 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए उसका पचास प्रतिशत;

(iv) 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए उसका तीस प्रतिशत।"] (46)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 39, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

खंड 39, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

**नियम-80 (एक) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव**

**श्री यशवन्त सिन्हा:** मैं प्रस्ताव करता हूं:–

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 47 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:–

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 47 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**नया खंड 39 (क)**

*संशोधन किया गया-*

पृष्ठ 9, पंक्ति 46 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

उपधारा धारा 80 जजच का संशोधन

'39क, आयकर अधिनियम की धारा 80 जजच की उपधारा (1क) में, उपखंड (ii), उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2002 से रखे जायेंगे, अर्थात्:-

"(ii) 1 अप्रैल, 2002 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए उसका सत्तर प्रतिशत;

(iii) 1 अप्रैल, 2003 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए उसका पचास प्रतिशत;

(iv) 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए उसका तीस प्रतिशत।"।'। (47)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है:

"कि नयखंड 39क विधेयक में जोड़ दिया जाये"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

*नया खंड 39 क विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 40 और 41 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

**खंड 42-धारा 80 (ठ) का संशोधन**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 11 "पंक्ति 6 का लोप किया जाए। (48)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है:-

"कि खण्ड 42, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

खंड 42, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 43, विधेयक में जोड़ दिया गया।

**नियम 80 के खंड (एक) के निलंबन बारे में के प्रस्ताव**

**श्री यशवन्त सिन्हा**: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (I) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 49 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (I) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 49 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**नया खंड 43 क**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 11, पंक्ति 14 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए:-

धारा 90 का संशोधन

'43क. आयकर अधिनियम की धारा 90 में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण *अंत:स्थापित* किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1962 से अंत:स्थापित किया समझा जाएगा, अर्थात्:-

"*स्पष्टीकरण*-शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी विदेशी कंपनी की बाबत कर का, उस दर से अधिक दर पर जिसपर कोई देशी कंपनी प्रचार्य है, प्रभार ऐसी विदेशी कंपनी की बाबत कर का कम अनुकूल प्रभार या उदग्रहण नहीं समझा जाएगा जहां ऐसी विदेशी कंपनी ने लाभांशों की (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी है) जो भारत में उसकी आय में से संदेय हैं, भारत में घोषणा और संदाय के लिए विहित व्यवस्था नहीं की है।"। (49)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि नया खंड 43 क विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*नया खंड 43 क विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 44—धारा 92 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापना**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 12, पंक्ति 46 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए-

''परंतु यह और कि जहां किसी सहबद्ध उद्यम की आय किसी-किसी अन्य सहबद्ध उद्यम द्वारा प्राप्त किसी राशि या आय या रकम के संबंध में असन्निकट कीमत के निर्धारण पर इस उपधारा के अधीन संगणित की जाती है जिससे अध्याय 17 ख के उपबंधों के अधीन कर की कटौती कर ली गई है, वहां अन्य सहबद्ध उद्यम की आय प्रथम वर्णित उद्यम की दशा में असन्निकट कीमत के ऐसे अवधारण के कारण पुन: संगणित नहीं की जाएगी।''। (50)

पृष्ठ 13, पंक्ति 5 में, ''वह व्यक्ति अभिप्रेत है'' के *पश्चात* ''(जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति का स्थाई स्थापना भी है)'' शब्द *अंत:स्थापित* किया जाए। (51)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि खंड 44, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने''।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

खंड 44, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 45 से खंड 53 विधेयक में जोड़ दिए गए।

**खंड 54—धारा 139 का संशोधन**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 15, पंक्ति 36 के *स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए:

''(क) जहां निर्धारिती-

(i) कोई कंपनी है; या

(ii) (कंपनी से भिन्न) कोई व्यक्ति है जिनके लेखाओं की इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षा कराया जाना अपेक्षित है; या

(iii) ऐसी किसी फर्म में कार्यरत भागीदार है जिसके लेखाओं की इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षा कराया जाना अपेक्षित है,

वहां निर्धारण वर्ष के अक्तूबर का 31वां दिन''। (52)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि खंड 54, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

खंड 54 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 55 से 59 विधेयक में जोड़ दिया गया

**खंड 60—धारा 154 का संशोधन**

*संशोधन किया गया*

पृष्ठ 16, पंक्ति 56 में, ''उपधारा (7) में किसी बात के होते हुए भी'' शब्दों के स्थान पर, ''उपधारा (7) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। (53)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि खंड 60, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

खंड 60, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 61 से 63 विधेयक में जोड़ दिए गए।

**खंड 64—धारा 194क का संशोधन**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 17, पंक्ति 15 से 18 के *स्थान* पर निम्नलिखित

*प्रतिस्थापित* किया जाए-

'64. आयकर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (1) के परन्तुक में की उपधारा (3) में, ''इस खंड के उपबंधों का'' शब्दों से आरंभ होने वाले'' तथा ''रखे गए हों और'' शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग का 1 जून, 2001 से लोग किया जाएगा।'। (54)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है

''कि खंड 64, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

खंड 64, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 65 से 67 विधेयक में जोड दिये गए।

**नियम 80 (एक) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव**

**श्री यशवंत सिन्हा:** मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 80 के खंड (I) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 55 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (I) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 55 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**नया खंड 67 क**

*संशोधन किया गया*

पृष्ठ 17, पंक्ति 42 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए:-

**धारा 197 का संशोधन**

धारा 197 का संशोधन '67 क-आयकर अधिनियम की धारा 197 की उपधारा (1) में, ''धारा 194घ'' शब्द, अंक और अक्षर के पश्चात्, ''धारा 194ज'' शब्द अंक और अक्षर 1 जून, 2001 से *अंत:स्थापित* किए जाएंगे।' (55)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:-**

**''कि नया खंड 67 क विधेयक में जोड़ा जाए।''**

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**नया खंड 67क विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खंड 68 से 126 विधेयक में जोड़ दिये गये।**

**नियम 80 (एक) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव**

**श्री यशवन्त सिन्हा:** मैं प्रस्ताव करता हूं:

**''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 200। की सरकारी संशोधन संख्या 56 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''**

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

**''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2001 की सरकारी**

संशोधन संख्या 56 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**नया खंड 126क**

**संशोधन किया गया**

पृष्ठ 25, पंक्ति 38 के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए-

चूर्ण या कणिका के रूप में पालिटन को दी गई कतिपय छूट का विधिमान्यकरण।

'126क (1) भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 98 (अ), तारीख 15 फरवरी, 2001 द्वारा, जो भारतीय खेल प्राधिकरण या राष्ट्रीय खेल परिसंघ द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के अधीन भारत में या विदेश में आयोजित किए जाने वाले किसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय चैम्पियनशिप या प्रतियोगिता में उपयोग के लिए संश्लिष्ट ट्रैक और कृत्रिम सतह बिछाने के लिए ''चूर्ण या कणिका के रूप में पालिटन'' के आयात पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट प्रदान करते हुए सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, किए गए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 168 (अ), तारीख 1 मार्च, 2000 में संशोधन के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए 1 दिसम्बर, 2000 से ही विधिमान्य रूप से प्रवृत्त हो गया है और सभी तात्विक समयों पर सदैव प्रवृत्त रहा है।

(2) ऐसे सभी शुल्कों का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किए गए हैं किन्तु, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहा होता तो इस प्रकार संगृहीत नहीं किए गए होते।

(3) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन, यथास्थिति, सीमाशुल्क या अतिरिक्त सीमाशुल्क के प्रतिदाय के दावे के लिए आवेदन उस तारीख से जिसको वित्त विधेयक, 2001 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, एक वर्ष के भीतर किया जाएगा।

(4) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार को, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं का, भूतलक्षी प्रभाव से, संशोधन करने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसके पास शक्ति है, मानो केन्द्रीय सरकार को सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचनाओं का भूतलक्षी प्रभाव से, सभी तात्विक समयों पर संशोधन करने की शक्ति हो।'। (56)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि नया खण्ड 126 क विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

नया खंड 126क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 127 से 129 विधेयक में जोड़ दिए गए।

**खंड 130-अधिनियम 32, 1994 का संशोधन**

*संशोधन किए गए:*

पृष्ठ 26, पंक्ति 16 में,-

(i) ''आटोमोबाईल विनिर्माता'' के *स्थान* पर, ''मोटर यान विनिर्माता'' *प्रतिस्थापित* किया जाए;

(ii) ''विनिर्मित किसी आटोमोबाईल'' के *स्थान* पर, ''विनिर्मित किसी मोटर कार या दुपहिया मोटर यान'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (57)

पृष्ठ 27, पंक्ति 54 में,-

''पत्तन'' के स्थान पर, ''पत्तन या पत्तन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (58)

पृष्ठ 29 पंक्ति 48 में,-

''पालिसी धारक'' के *स्थान* पर, ''पालिसी धारक या बीमाकर्ता'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (59)

पृष्ठ 38, पंक्ति 52 में,-

''पत्तन'' के *स्थान* पर, ''पत्तन या पत्तन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (60)

पृष्ठ 29, पंक्ति 53 में,-

''आटोमोबाईल, के *स्थान* पर, ''मोटर कार या दुपहिया मोटर यान'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (61)

पृष्ठ 30, पंक्ति 16 में,-

''प्रक्रिया अभिप्रेत है'' के *स्थान पर*, ''प्रक्रिया अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी भी रीति में उसका संपादन भी है'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (62)

पृष्ठ 30, पंक्ति 50 में,-

''कमीशन'' के *स्थान पर*, ''कमीशन, फीस या कोई अन्य राशि'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (63)

पृष्ठ 30, पंक्ति 51 में,-

''आटोमोबाईल, के *स्थान पर*, ''मोटर कार या दुपहिया मोटर यान'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (64)

पृष्ठ 31, पंक्ति 1 में,-

''आटोमोबाईल, के *स्थान पर*, ''मोटर कार या दुपहिया मोटर यान'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (65)

पृष्ठ 31, पंक्ति 33 से पंक्ति 35 का लोप किया जाए। (66)

पृष्ठ 31, पंक्ति 45 से पंक्ति 47 के *स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए,-

''(ट) धारा 77 में ''दो हजार रुपये'' शब्दों के *स्थान पर*, ''एक हजार रुपये'' *शब्द रखे* जाएंगे,''। (67)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

**सांय 7.00 बजे**

**अध्यक्ष महोदय:** श्री पवन कुमार बंसल, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

**श्री पवन कुमार बंसल:** हां, मैं अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

**मैं प्रस्ताव करता हूं:**

पृष्ठ 27, पंक्ति 50,-

''कोई वृत्तिक फोटोग्राफर या'' *का लोप* किया जाए।

(1)

पृष्ठ 29, पंक्ति 37, -

''फोटोग्राफी से संबंधित किसी रीति से'' के *स्थान* पर ''फोटोग्राफी, जिसका मूल्य पांच हजार रुपये से अधिक हो, से संबंधित'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (2)

पृष्ठ 29, पंक्ति 46,-

''किसी रीति से, विडियो टेप निर्माण'' के *स्थान* पर ''विडियो टेप निर्माण, जिसका मूल्य पांच हजार रुपये से अधिक हो,'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (3)

पृष्ठ 29, पंक्ति 46,-

''किसी भी प्रकार के ध्वन्यांकन के संबंध में किसी ध्वन्यांकन स्टूडियो या कंपनी द्वारा,'' के *स्थान* पर ''किसी ध्वन्यांकन स्टूडियो द्वारा,'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (4)

पृष्ठ 30, पंक्ति 14,-

''कोई वृत्तिक वीडियोग्राफर या'' का लोप किया जाए। (5)

**अध्यक्ष महोदय:** अब मैं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन सं.1 से 5 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 130, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

खण्ड 130, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 131 से 135 विधेयक में जोड़ दिए गए।

**पहली अनुसूची**

**अध्यक्ष महोदय:** श्री पवन कुमार बंसल, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

**श्री पवन कुमार बंसल:** हां, मैं अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूः

पृष्ठ 34,-

पंक्ति 8 से 15 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए-

**''आय-कर की दरें**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | जहां कुल आय 1,00,000 रु. से अधिक नहीं है | कुछ नहीं; |
| (2) | जहां कुल आय 1,00,000 रु. से अधिक है किन्तु 1,20,000 रु. से अधिक नहीं है। | उस रकम का 10 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,00,000 रु. से अधिक हो जाती है। |
| (3) | जहां कुल आय 1,20,000 रु. से अधिक है किंतु 1,70,000 रु. से अधिक नहीं है। | 2,000 रु. धन उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,20,000 रु. से अधिक हो जाती है। |
| (4) | जहां कुल आय 1,70,000 रु. से अधिक है (6) | 12,000 रु. धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,70,000 रु. से अधिक हो जाती है।'' |

पृष्ठ 34, पंक्ति 18, -

''साठ हजार'' के *स्थान* पर

''एक लाख बीस हजार'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (7)

पृष्ठ 34, पंक्ति 20,-

''साठ हजार'' के *स्थान* पर

''एक लाख बीस हजार'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (8)

पृष्ठ 34, पंक्ति 20,-

''एक लाख पचास हजार'' के *स्थान* पर

''एक लाख सत्तर हजार'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (9)

पृष्ठ 34, पंक्ति 21,-

''एक लाख पचास हजार'' के *स्थान* पर

''एक लाख सत्तर हजार'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (10)

पृष्ठ 34, पंक्ति 25,-

''साठ हजार'' के *स्थान* पर

''एक लाख बीस हजार'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (11)

पृष्ठ 34, पंक्ति 26,-

''साठ हजार'' के स्थान पर

''एक लाख बीस हजार'' प्रतिस्थापित किया जाए। (12)

पृष्ठ 34, पंक्ति 28,-

''एक लाख पचास हजार'' के *स्थान* पर

''एक लाख सत्तर हजार'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (13)

पृष्ठ 34, पंक्ति 29,-

''एक लाख पचास हजार'' के *स्थान* पर

''एक लाख सत्तर हजार'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (14)

पृष्ठ 34, पंक्ति 29-

''एक लाख पचास हजार'' के *स्थान* पर

''एक लाख सत्तर हजार'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (15)

पृष्ठ 34, पंक्ति 45,-

''35 प्रतिशत'' के *स्थान* पर ''32 प्रतिशत'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (16)

पृष्ठ 36,-

पंक्ति 54 से 61 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

**''आयकर की दरें**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | जहां कुल आय 1,00,000 रुपये अधिक नहीं है | कुछ नहीं |
| (2) | जहां कुल आय 1,00,000 रु. से अधिक है किन्तु 1,20,000 रु. से अधिक नहीं है | उस रकम का 10 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,00,000 रु. से अधिक है |
| (3) | जहां कुल आय 1,20,000 रु. अधिक है किन्तु 1,70,000 रु. से अधिक नहीं है | 2000 रु. धन उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,20,000 रु. से अधिक है। |
| (4) | जहां कुल आय 1,70,000 रु. से अधिक है | 12,000 रु. धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,70,000 रु. से अधिक है'' (17) |

पृष्ठ 37, पंक्ति 3,-

''साठ हजार'' के *स्थान* पर ''एक लाख बीस हजार'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (18)

पृष्ठ 37, पंक्ति 8,-

''साठ हजार'' के *स्थान* पर ''एक लाख बीस हजार'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (19)

पृष्ठ 37,-

पंक्ति 9 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए-

''उस आय की रकम, जो एक लाख बीस हजार रुपये से अधिक हो जाती है, से अधिक एक लाख बीस हजार रुपये की कुल रकम पर, आयकर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी।'' (20)

पृष्ठ 37, पंक्ति 24,-

''35 प्रतिशत'' के *स्थान* पर ''32 प्रतिशत'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (21)

**अध्यक्ष महोदय:** अब मैं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 6 से 21 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए।

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि पहली अनुसूची विधेयक का अंग बने।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ*

पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

दूसरी अनुसूची से आठवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

**अध्यक्ष महोदय:** अब, मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

**श्री यशवन्त सिन्हा:** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए''।

**अध्यक्ष महोदय:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

''कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए''

**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा:** मैं कोई नया मड़कर नहीं उठा रही हूँ, चूंकि सभा को महसूस हुआ कि मैं सभा को गुमराह कर रही हूँ इसलिए मैं अपना मुद्दा स्पष्ट करना चाहती थी। यह आर्थिक सर्वेक्षण है...*(व्यवधान)* मैं रिकार्ड में जाना चाहती हूं

*[हिन्दी]*

मैंने वित्त मंत्री जी को भी रिकार्ड दिखा दिया था, मैंने गलती की थी, मैं फुटनोट बोला था।

*[अनुवाद]*

लेकिन यह फुटनोट नहीं है, यह एक व्याख्यात्मक नोट है, मैंने जो कहा था वह यह है कि आंकड़े संग्रहण करने की कार्य-विधियों में परिवर्तन के कारण ये दो आकलन गरीबी के पूर्व के आंकलनों से सटीक रूप से तुलनीय नहीं है। मैं तो केवल रिकार्ड को ठीक कर रही हूं, मैं इससे परे नहीं जा रही हूं।

**श्री यशवन्त सिन्हा:** वास्तव में या तो मुझे गुमराह किया गया या गलत पढ़ाया गया। मैं तो पाद टिप्पणियों को देख रहा था, मैंने उस पैरा को भी देख लिया है जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, यह पैसा 10.15 है।

*[हिन्दी]*

**एक माननीय सदस्य:** प्रिंटिंग मिस्टेक है।

*[अनुवाद]*

**श्री यशवन्त सिन्हा:** यह मुद्रण संबंधी त्रुटि नहीं है, यदि आप पूरा पैरा पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वे गरीबी के आंकड़ों के संबंध में तीस दिन की सर्वेक्षण अविध की तुलना सात दिन की सर्वेक्षण अवधि से कर रहे हैं। जब सात दिन की सर्वेक्षण अवधि के बारे में बात करते हैं तो वे कहते हैं कि इस नवप्रवर्तन के कारण ये आंकड़े पूरी तरह तुलनीय नहीं हैं। इसलिए तुलनीय आंकड़े तीस दिन की सर्वेक्षण अवधि पर आधारित हैं जबकि वे आंकड़े जिनकी तुलना नहीं की जा सकती या उनकी पूरी तरह तुलना नहीं की जानी चाहिए, वे सात दिन की सर्वेक्षण अवधि पर आधारित आंकड़े हैं। यह बात है जिसे मैं स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**अध्यक्ष महोदय:** अब सभा कल 26 अप्रैल, 2001 को पूर्वाह्न् 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**सायं 7.05 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 26 अप्रैल, 2001/6 वैशाख, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

पी.एल.एस.–48.16.29/2001 ( एन० )
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।